दि बुलडाणा जिल्हा केन्द्रीय सहकारी बँक म. बुलडाणा

तुम्ही जेव्हा बचत करता तेव्हा भविष्यातील आर्थिक अडचणीतुन सुटण्याचा मार्ग तयार करता

जिल्हा केन्द्रीय सहकारी बँक म बुलडाणा या संस्थेच्या
ठेवीत आपली शिल्लक गुंतवा आणि भविष्यातील
आर्थिक अडचणीबद्दल निर्धास्त रहा इतर कोणत्याहि
बँकापेक्षा ही बँक ठेवीवर आकर्षक दराने व्याज देते

बचत ठेवीवर	**४ टक्के**
मुदती ठेवीवर	**५ ते ७ टक्के पर्यंत**



स्वार्थाबरोबरच जिल्हयाचा कृषि औद्योगिक विकासरुपी
परमार्थ साधण्यासाठी आपल्या ठेवी या बँकेतच ठेवा

आपल्या ३६ शाखासह संपुर्ण जिल्हयात बँक आपली सेवा प्रदान करीत आहे



भा मो पिंगळ	पृ अ देशपांडे	रा दे मोड	श वि देशमुख
व्यवस्थापक	सर-व्यवस्थापक	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष

हिन्दुस्थान समाचार

		दूरभाष
मुख्य कार्यालय	जीवन विहार पार्लियामेंट स्ट्रीट नई दिल्ली	३११६३३, ३१२०३०
शाखा कार्यालय		
१ असम	नवजान रोड, उजान बाजार, गोहाटी	६१३२
२ आंध्र प्रदेश	५ ६ २२/१०६, आदर्श नगर, हैदराबाद ८	३७६६२
३ उत्तर प्रदेश	विश्वेश्वरनाथ रोड, पोस्ट बाक्स न० १२६ लखनऊ	२४२०१
	भगतसिंह द्वार, आगरा	७२८४८
	सी १२/११ औरंगाबाद, वाराणसी	६६१२५
	१४/सी राजापुर इलाहाबाद	४८३८
	०६/५६ काहीयाना कानपुर	६१६५२
४ उत्कल प्रदेश	हाइकोट रोड कटक २	२२७५४
	१७/२ टाईप ६ ए अशोक नगर भुवनेश्वर ६	५००१५
५ केरल	हरी विहार चिराकुलम रोड त्रिवेंद्रम १	३५७१
६ गुजरात	भगवती भवन, शाहपुर मिल कम्पाउण्ड अहमदाबाद १	२३१३७
७ गोआ	गवर्नमेंट कालोनी, पणजी	२३२६
८ जम्मू कश्मीर	रना हाउस, अमीरा कदल, श्रीनगर	६३१४
	जम्मू तवी	३२६५
९ तमिलनाडु	१५ विचूर मुथिया मुडाली स्ट्रीट वेपरी मद्रास ७	३६७५४
१० त्रिपुरा	८ ए जगन्नाथबाडी रोड कृष्णनगर अगरतल्ला	१२६८
११ नागालण्ड	मिशन कम्पाउण्ड, कोहिमा	
१२ पंजाब	जी० टी० रोड जालंधर नगर	३५१४
१३ पंजाब व हरियाणा	हाउस न० ४०२ सेक्टर न० २२ ए चण्डीगढ़	२३६५६
१४ पश्चिम बंगाल	१२-ए सुरेन्द्रनाथ बनर्जी रोड, कलकत्ता १२	२४३१६०
१५ बिहार	पोस्ट बाक्स न० ११० पटना १	२२४२१
१६ मध्य प्रदेश	३ हाथी खाना भोपाल	३५७७
	फालके बाजार, गोल बिल्डिंग लश्कर, ग्वालियर	२२६१२
१७ मणिपुर	मंत्री पाखरी इम्फाल	
१८ महाराष्ट्र	वीर नारीमान रोड बम्बई १	२५२०४८
	३८८ वेस्ट पार्क रोड धन्ताली नागपुर १	२२६७६
	तिलक पथ, पूना ६	५६७७४
१९ कर्नाटक	३६, अनयप्पा ब्लाक बंगलोर २०	२७६१६
२० राजस्थान	न्यू कालोनी मिर्जा इस्माइल रोड जयपुर	७२६६५
२१ हिमाचल प्रदेश	मार्लिंग व्यू लोअर कथ्यू शिमला	३८८३
२२ नेपाल	दिल्ली बाजार पोस्ट बाक्स न० ११० काठमाण्डू	११२७६
२३ सिक्किम	मन रोड गंगटोक (सिक्किम)	५६६
२४ भूटान	फुन्त्सोलिंग (भूटान)	

हिन्दुस्थान समाचार वार्षिकी
१९७४

(Year Book 1974)

[विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा शिक्षण संस्थाओं एवं पुस्तकालयों के लिए स्वीकृत]

सम्पादक

शिवकुमार गोयल



प्रकाशक

हिन्दुस्थान समाचार

(प्रसंग लेख एवं प्रकाशन विभाग)

जीवन विहार, पार्लियामेंट स्ट्रीट,

नई दिल्ली-११०००१

प्रकाशक
हिन्दुस्तान समाचार सहकारी समिति
(प्रसार-सेवा एवं प्रकाशन विभाग)
जीवन विहार पार्लियामेंट स्ट्रीट
नई दिल्ली ११०००१

आवरण पृष्ठ श्री सुरेश सी० लाल

आठवां संस्करण

मूल्य २५ रुपये

मुद्रक
नवचेतन प्रेस (प्रा०) लि०
(लीजिज आफ अर्जुन प्रेस)
नया बाजार दिल्ली ११०००६

भूमिका

देश के सभी लोग इस बात से सहमत रहे हैं कि देश का आन्तरिक काम देश की ही किसी भाषा में होना चाहिए। इस दृष्टि से संविधान में हिन्दी को संघ के कार्यों के लिये राजभाषा माना गया।

हिन्दी को सरकारी कामकाज की भाषा के नाते प्रतिष्ठित करने का यह काम उसी स्वदेश भावना से प्रेरित है जो हमारी आजादी की लड़ाई में शक्ति प्रदान करती रही और आजादी के बाद हमारी प्रगति और समृद्धि का मापदण्ड है।

निःसंदेह राष्ट्र की स्व-भाषायें ही राष्ट्र की भावात्मक एकता स्थापित करने का एक मात्र मार्ग बन सकती है। यह तभी संभव है जब देश की इन सभी भाषाओं को जोड़ने वाली राष्ट्रभाषा हिंदी पूर्ण समर्थ और सक्षम बने। इसीलिये यह कहा जाता है कि हिन्दी की प्रतिष्ठापना राष्ट्र की समस्त भाषाओं की ही प्रतिष्ठापना है।

राष्ट्रीय प्रगति में हिंदी की इस महत्ता का ध्यान में रखकर ही ज्ञान विज्ञान के विविध क्षेत्रों में तेजी से श्रम हो रहा है। सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग न केवल देश के औसत आदमी को अधिक जानकार बना रहा है वरन् प्रजातन्त्र की जड़ों को मजबूत कर रहा है। इसके साथ-साथ तकनीकी चिकित्सा, कानून तथा वैज्ञानिक विविध क्षेत्रों में भी हिन्दी का प्रयोग बढ़ रहा है। हिन्दी के इस बढ़ते हुए प्रयोग का ध्यान में रख कर सन्दर्भ ग्रंथ की आवश्यकता स्वयं स्पष्ट हो जाती है। हिंदी को व्यवहार में पूर्णतः राष्ट्र-भाषा और राजभाषा का रूप देने के लिये आवश्यक है कि छात्रों, व्यवसायियों, पत्रकारों प्रशासकों तथा जन-सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले असंख्य कार्यकर्ताओं के पास वह सब जानकारी संकलित रूप में उपलब्ध हो जिसे वे अपने कामधंधों के उपयोग में ला सकें। इसी उद्देश्य को सामने रखकर हिंदुस्थान समाचार सहकारी समिति की ओर से विगत आठ वर्षों से वार्षिकी का प्रकाशन किया जा रहा है।

इतने वर्षों में 'हिन्दुस्थान समाचार' वार्षिकी ने अपना स्थान भी बना लिया है।

अपने देश के राजकाज के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिये अंग्रेजी भाषा पर निर्भर बने रहना एक ऐसी बात थी जो प्रत्येक स्वाभिमानी अन्तःकरण को खटकती थी। सौभाग्य से 'हिंदुस्थान समाचार वार्षिकी' प्रकाशन से यह कमी दूर हुई है। हिन्दुस्थान समाचार के इस प्रयास में सहयोग देकर उत्साहवर्धन करना राष्ट्रभाषा और राष्ट्र के प्रत्येक प्रेमी का कर्तव्य है।

हिंदुस्थान समाचार वार्षिकी के १९७४ के संस्करण में पाकिस्तानी आक्रमणों का इतिहास, भारत के समक्ष विस्थापितों की समस्या भारत और विश्व अध्याय पाठकों को सामयिक तथ्यों से अवगत कराने वाले हैं। 'विज्ञान और क्रीडा' अध्यायों को भी गतवर्ष की अपेक्षा अधिक विस्तार से संस्करण में संलग्न किया गया है।

मुझे आशा है कि केवल हिन्दी ही नहीं वरन समस्त राष्ट्रीय भाषाओं की प्रगति में रुचि रखने वाले सुधीजन इस वार्षिकी सन्दर्भ ग्रंथ का आदर करेंगे। साथ ही मैं नम्र प्रार्थना करना चाहूंगी कि यदि इस सन्दर्भ ग्रंथ में सुधार के लिये कुछ सुझाव भी वे दे सकें तो हम उनके अत्यन्त आभारी होंगे।

जीवन विहार
पार्लियामेंट स्ट्रीट
नई दिल्ली १

भवदीय
सरोजिनी महिषी
केन्द्रीय पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री
अध्यक्ष हिन्दुस्थान समाचार सहकारी समिति

प्रकाशक की ओर से

'हिन्दुस्तान समाचार वार्षिकी" का यह आठवां संस्करण राष्ट्रवासियों के हाथों में पहुंचाते समय असीम प्रसन्नता का अनुभव होना स्वाभाविक ही है।

हिन्दी में अपने राष्ट्रजीवन के विविध अंग उपांगों की जानकारी संकलित कर संदर्भ ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत करने का यह कार्य अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुआ है। यह क्षेत्र बहुत विस्तृत है तथा हिन्दी में सन्दर्भ ग्रंथों के अन्य प्रकाशन भी होते रहे हैं। फिर भी 'हिन्दुस्थान समाचार वार्षिकी' ने विगत सात प्रकाशनों में अपना विशेष स्थान बना लिया है।

अपने राष्ट्र की यह परम्परागत विशेषता रही है कि हम विविधता में एकता और समन्वय की स्थापना कर पाते हैं। भारत के वर्तमान प्रजातांत्रिक ढांचे में यह कार्य और भी अधिक आवश्यक हो गया है। आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सभी स्तरों पर असमानता और उत्पीड़न को समाप्त कर प्रगतिशील समृद्ध भारत के निर्माण के लिये सरकार की ओर से घोषित लक्ष्यों तक पहुंचने की जोरदार कोशिश हो रही है। इस समय में सरकारी प्रयत्नों की सफलता के लिए प्रत्येक देशवासी का हाथ बंटाना अतीव आवश्यक है। परन्तु यह तो तभी संभव है जब देश का हर सोचने समझने वाला नागरिक राष्ट्रीय प्रगति के प्रयत्नों की ठीक ठीक जानकारी रखे। विभिन्न सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों की उपलब्धियों का तुलनात्मक अध्ययन कर जनता को हर स्थिति में जागरूक और सक्रिय रखा जाय। यही वह उद्देश्य है जिसे इस संदर्भ ग्रंथ द्वारा प्राप्त करने का छोटा सा यत्न किया गया है।

हमें प्रसन्नता है कि हिन्दुस्थान समाचार के वार्षिकी प्रकाशन के इस कदम को केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने सराहा है। हम उनकी ओर से प्राप्त सहायता तथा प्रोत्साहन के लिए अतीव आभारी हैं।

इसी प्रकार देश के प्रमुख उद्योग संस्थानों, शिक्षा संस्थानों, नगरपालिका और निगमों, विभिन्न छोटे-बड़े व्यापारी, मिलमालिकों, पत्रसमूहों आदि उन सभी का सहयोग प्राप्त हुआ है जो देश की प्रगति में हाथ बटाने के लिये प्रयत्नशील हैं। उनकी ओर से प्राप्त विज्ञापनों के लिए भी हम हृदय से आभारी हैं।

विश्वास है कि प्रतिवर्षानुसार यह प्रकाशन भी पुस्तकालयों, शिक्षा केन्द्रों से वाचनालयों, छात्रों और प्रतियोगिता परीक्षार्थियों तथा अन्य सभी के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा।

इन शब्दों के साथ जब यह प्रकाशन आप सबके हाथों में प्रस्तुत किया जा रहा है तब हिन्दुस्थान समाचार के विभिन्न कार्यालयों के साथी तथा सुदूर जिला केन्द्रों तक कार्यरत अपने संवाददाता सहयोगियों का धन्यवाद किये बिना नहीं रहा जा सकता जिनके कठोर परिश्रम के बिना यह संदर्भ ग्रंथ बन पाना अत्यन्त कठिन था।

समस्त विज्ञापनदाताओं, ग्राहकों तथा पुस्तक विक्रेताओं के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुये यह संदर्भ ग्रंथ पाठकों के हाथों में सादर अर्पित है। आशा है पिछले प्रकाशनों की तरह इसका भी हार्दिक स्वागत होगा और भविष्य के लिये हम उन सभी से उत्साह तथा सहायता मिलेगी।

धन्यवाद,

बालेश्वर अग्रवाल
सचिव
हिन्दुस्थान समाचार सहकारी समिति

अनुक्रमणिका

भारत

अस्त्युत्तरस्या दिशि देवतात्मा,
हिमालयो नाम नगाधिराज ।
पूर्वापरौ तोयनिधी वगाह्य,
स्थित पृथिव्या इव मानदण्ड ॥

महाकवि कालिदास ने 'कुमार सभव' म वणन किया है कि भारत उत्तर मे देवतात्मा नगाधिराज हिमालय, पूरब पश्चिम में समुद्र स घिरा हुआ पथ्वी के मानदण्ड की तरह स्थित है। हिमाच्छादित हिमालय की चोटी मे ही ससार की सर्वोच्च चोटी 'सगर माथा' (गौरीशकर) है जिसके कारण ससार के साहसी पवतारोही हिमालय की ओर आकृष्ट होते रहे हैं।

– के हिमालय पवतमालाओ म से हमारे दश को शस्यश्यामला करने वाली गगा, यमु ।, सरस्वती, सतलुज, व्यास, झेलम, चिनाव रावी आदि नदिया का उद्भव हुआ है। भौगोलिक तथा प्राकृतिक दृष्टि से हिमालय को दश क प्रहरी के रूप म माना जाता था किन्तु १९६२ म चीन द्वारा उत्तर पूव सीमा की ओर से आक्रमण किये जाने के बाद हिमालय के क्षेत्र म स्थित नेपाल भूटान, सिक्किम तथा तिब्बत आदि पडोसी देशा का महत्व बढ गया है। हिमालय के उस पार रूस तथा अफगानिस्तान जसे पडोसी राष्ट्रा के साथ भारत के मत्री सम्बधा को भी एक विशेष तथा असाधारण महत्व प्राप्त हुआ है।

हिमालय की छत्रछाया म जिस भारतीय सभ्यता-सस्कृति का जन्म तथा विकास हुआ है उसके प्रभाव के कारण ही भारतभूमि की वन्दना अनेक विदेशियो ने भी की है। इसे देवभूमि कह कर वन्दना की गयी है। भारतीय सस्कृति म हिमालय की पवतमालाओ को तथा गगा यमुना, सरस्वती आदि नदिया को इतना महत्व प्राप्त हुआ है कि किसी भी शुभकाय का प्रारम्भ करते समय—

गगे च यमुने चव, गोदावरि सरस्वति,
नमदे सिधु कावेरि, जलेऽस्मिन सन्निधि कुरु ॥

इनके नामा का पुण्य स्मरण किया जाता है। आधुनिक भारत म इन्ही महान नदिया की शक्ति का उपयोग सिचाई तथा विद्युत निमाण के लिये करके ही भारत कृषि-उद्योग मे क्रान्ति द्वारा आत्मनिभर बनने की दिशा म अग्रसर हो रहा है। भरतखड, आर्यावत, सप्तसिंधु, भारतवष आदि इसके प्राचीन नाम हैं। इस देश की गाथा देवता

भी गाते हैं

'गायन्ति देवा किल गीतकानि, धन्यास्तु ये भारत भूमिभागे ।

भारत को विश्व-गुरु कहलाने का गौरव प्राप्त है। न केवल भारत अपितु प्राचीन पारस व अरब आदि देशों में भारत को सोने की चिड़िया या स्वर्गभूमि कह कर इसकी स्तुति की जाती रही है।

भगवान मनु ने भारत को मानव मात्र के लिए प्रेरणा व शिक्षा का केन्द्र बताते हुए कहा था —

एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन ।
स्व स्व चरित्रं शिक्षेरन पृथिव्यां सर्वमानवा ॥

अर्थात् यदि संसार के किसी व्यक्ति को सदाचार की शिक्षा ग्रहण करनी हो तो वह भारत के विद्वानों से जाकर ग्रहण करे।

संसार में अनेक संस्कृतियों ने जन्म लिया और वे देखते ही देखते मिट गयीं किन्तु भारतीय संस्कृति आज भी संसार को अमरत्व का सन्देश दे रही है। इसीलिए एक भारतीय शायर ने कहा था—

यूनान, मिश्र, रोमां, सब मिट गये जहाँ से
अब तक मगर है बाकी नामोनिशां हमारा।

भौगोलिक परिचय

अंग्रेजी में भारत को इंडिया कहा जाता है। पारस आदि देशों में प्राचीनकाल में भारत को हिन्द कहा जाता था। इस नाम तथा सिन्धु नदी के लिए यूनानी नाम इन्डस के आधार पर भारत का 'इंडिया' नाम बना।

भारत के संविधान में भी इसका मूल नाम इंडिया-जो भारत है कहा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की सूची में इस देश का नाम इंडिया है।

भारत के लिए एक और नाम हिंदुस्थान है, इसका अपभ्रंश हिन्दुस्तान प्रचलित है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से ७वां एवं जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा देश है। भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारत भूमि एशिया के दक्षिण में एक प्रायद्वीप है। यह भूमध्य रेखा के उत्तर में ८°४ से ३७ ६ उत्तरी अक्षांश रेखाओं तथा ६८ ७ से ९७ २५ पूर्वी देशान्तर रेखाओं के मध्य स्थित है।

भारत का विस्तार जनवरी १९६५ के अनुसार ३२ ६८,०९० वर्ग किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी लम्बाई ३ २२० कि० मी० है। इसकी चौड़ाई पूर्व से पश्चिम २ ९३३ कि० मी० है। इसकी स्थल सीमा १५,१६८ कि० मी० है। भारत का समुद्र तट ५,६८६ कि० मी० लम्बा है।

प्राकृतिक रचना भारत की उत्तरीय सीमा हिमालय बनाता है। पश्चिम में सिन्धु सागर या अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण में हिन्द महासागर लहरा रहा है। देश हिमालय के दक्षिण में फैला हुआ है।

नक्शे में भारत त्रिभुजाकार दिखाई देता है। इसका आधार उत्तर में हिमालय है और शीर्ष दक्षिण में हिंद महासागर में है। दक्षिणी छोर पर त्रिभुज नाशपाती की शक्ल ले लेता है और यह अन्तरीप कन्याकुमारी के नाम से प्रसिद्ध है।

उत्तर में स्थित हिमालय साधारणतः भारत को एशिया के शेष भू-भाग से अलग करता है। यह विश्व की सर्वोच्च पर्वतमाला है। भारत के पश्चिम व पश्चिमोत्तर में पाकिस्तान व अफगानिस्तान, उत्तर में पूर्व से पश्चिम चीनी तुर्किस्तान (सिंकियांग), तिब्बत व नेपाल हैं। पश्चिम में बर्मा है। बंगला देश, पश्चिमी बंगाल व असम के दक्षिणी अंचल के बीच स्थित है। उत्तर में सिक्किम व भूटान विशेष संधियों के अंतर्गत भारत से सम्बद्ध हैं। दक्षिण में श्रीलंका द्वीप है जिसे मन्नार की खाड़ी भारत से अलग करती है। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर के लक्षद्वीप मिनीकॉय तथा अमीन दीवी द्वीप-समूह भारत संघ के अंतर्गत हैं।

भारत लघु विश्व है। इस कारण राष्ट्रीय 'औसत तापमान' और औसत वर्षा इन शब्दों का भारत के लिए कोई अर्थ नहीं है। राजस्थान की मरुभूमि में औसत वार्षिक वर्षा ४ इंच होती है पर चेरापूंजी में ४२५ इंच होती है। इसी प्रकार कश्मीर के कुछ स्थानों में न्यूनतम तापमान ४०° फारनहाईट रहता है और राजस्थान के कुछ स्थानों में अधिकतम तापमान १२०° एफ० रहता है। इसलिए स्थानीय औसत की बात की जा सकती है भारतीय या राष्ट्रीय औसत की नहीं।

देश के विस्तार के अनुपात में समुद्र-तट कम है क्योंकि खाड़ियां और उप खाड़ियां की संख्या कम है। भारत का पश्चिमी समुद्र तट चट्टानी है। पूर्व में समुद्र उथला है अतः महासागर गामी बड़े जहाज दूर से लंगर डालने को बाध्य होते हैं।

प्राकृतिक संरचना

तीन प्राकृतिक भाग प्राकृतिक दृष्टि से भारत तीन क्षेत्रों में विभक्त है—(१) हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र। (२) गंगा सिन्धु का मैदान और (३) दक्षिणी पठार।

हिमालय भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी २५०० किलोमीटर की लम्बाई में पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई है। इसकी चौड़ाई २४० से ३२० कि० मी० है। इस पर्वत श्रेणी के पहाड़ों, घाटियों, पठारों आदि का कुल क्षेत्रफल ५ लाख किलोमीटर है। पूर्व में बर्मा और भारत के मध्य की पर्वतीय दीवार को पतकोई कहते हैं। असम में जयन्तिया खासी और गारो शाखाएं हैं। हिमालय की पूर्वी शाखाएं असम से नीचे उतरकर बंगाल की खाड़ी तक जा पहुंचती हैं। उत्तर पश्चिम शाखाएं अफगानिस्तान की सीमा को स्पर्श करती हुई अरब सागर तक जा पहुंचती हैं। उत्तर पश्चिम शाखाओं में सुलेमान कांधार हिन्दूकुश आदि पर्वत प्रसिद्ध हैं। अफगानिस्तान की सीमा पर सुलेमान पर्वत में खैबर, खुर्रम, गोमल, बोलन टोची आदि संकीर्ण मार्ग (दर्रे) हैं। भारत पर प्रारम्भिक आक्रमण इन्हीं दर्रों से हुए।

हिमालय पर्वत को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है महान हिमालय लघु या मध्य हिमालय एवं शिवालिक पहाड़ियां।

महान हिमालय यह भाग बर्फीला है। इस भाग की ऊंचाई साधारणतः ६००० से ७,००० मीटर तक है। विश्व के उच्चतम पर्वत शिखर इसी भाग में हैं। एवरेस्ट (गौरीशंकर) ८,८४८ मीटर कंचनजंघा ८,५८६ मीटर, धौलागिरि ८०३५ मीटर नन्दा देवी [illegible]८१६ मीटर, कामेत ७७५५ मीटर तथा अन्नपूर्णा ७६५० मीटर ऊंचे हैं।

लघु या मध्य हिमालय ये महान हिमालय के निचले ढलान में ३५०० से ५०००

भी गाते है

'गायंति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ये भारत भूमिभागे ।

भारत को 'विश्व-गुरु' कहलाने का गौरव प्राप्त है। न केवल यूरोप अपितु प्राचीन फारस व अरब आदि देशो में भारत को 'सोने की चिड़िया' या 'स्वर्णभूमि' कह कर इसकी स्तुति की जाती रही है।

भगवान मनु ने भारत को मानव मात्र के लिए प्रेरणा व शिक्षा का केन्द्र बताते हुए कहा था —

एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन ।
स्व स्व चरित्र शिक्षेरन पृथिव्यां सर्वमानवा ॥

अर्थात यदि ससार के किसी व्यक्ति को सदाचार की शिक्षा ग्रहण करनी हो तो वह भारत के विद्वानो से जाकर ग्रहण करे।

ससार मे अनेक सस्कृतिया ने जन्म लिया और वे देखते ही देखते मिट गयी किन्तु भारतीय सस्कृति आज भी ससार को अमरत्व का सन्देश दे रही है। इसीलिये एक भारतीय शायर ने कहा था—

यूनान, मिश्र, रोमां, सब मिट गये जहा से
अब तक मगर है बाकी, नामोनिशां हमारा।

भौगोलिक परिचय

अंग्रेजी म भारत को इंडिया कहा जाता है। फारस आदि देशो म प्राचीनकाल म भारत को हिन्द कहा जाता था। इस नाम तथा सिन्धु नदी के लिए यूनानी नाम इण्डस के आधार पर भारत का इंडिया नाम बना।

भारत के सविधान म भी इसका मूल नाम इंडिया जो भारत है कहा गया है। सयुक्त राष्ट्र सघ के सदस्य देशो की सूची म इस देश का नाम इंडिया है।

भारत के लिए एक और नाम हिन्दुस्थान है, इसका अपभ्रश हिन्दुस्तान प्रचलित है। भारत विश्व म क्षेत्रफल की दृष्टि से ७वा एव जनसख्या की दृष्टि से दूसरा देश है। भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारत भूमि एशिया के दक्षिण मे एक प्रायद्वीप है। यह भूमध्य रेखा के उत्तर म ८ ४ से ३७°६ उत्तरी अक्षाश रेखाओ तथा ६८ ७' से ६७ २५ पूर्वी देशान्तर रेखाओ के मध्य स्थित है।

भारत का विस्तार जनवरी १६६५ के अनुसार ३२ ६८,०६० वर्ग किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी लम्बाई ३ २२० कि० मी० है। इसकी चौड़ाई पूर्व से पश्चिम २ ६७३ कि० मी० है। इसकी स्थल-सीमा १५ १६८ कि० मी० है। भारत का समुद्र तट ५ ६८६ कि० मी० लम्बा है।

प्राकृतिक रचना भारत की उत्तरीय सीमा हिमालय बनाता है। पश्चिम म सिन्धु सागर या अरब सागर और पूर्व म बगाल की खाडी है। दक्षिण म हिन्द महासागर लहरा रहा है। देश हिमालय के दक्षिण म फैला हुआ है।

नक्शे म भारत त्रिभुजाकार दिखाई देता है। इसका आधार उत्तर म हिमालय है और शीर्ष दक्षिण म हिन्द महासागर म है। दक्षिणी छोर पर त्रिभुज नाशपाती की शक्ल ले लेता है और यह अन्तरीप कन्याकुमारी के नाम स प्रसिद्ध है।

उत्तर मे स्थित हिमालय साधारणत भारत को एशिया के शेष भू भाग से अलग करता है। यह विश्व की सर्वोच्च पवतमाला है। भारत के पश्चिम व पश्चिमोत्तर मे पाकिस्तान व अफगानिस्तान, उत्तर मे पूव से पश्चिम चीनी तुर्किस्तान (सिकियाग), तिब्बत व नेपाल हैं। पश्चिम म वर्मा है। बगला देश, पश्चिमी बगाल व असम के दक्षिणी अचल के बीच स्थित है। उत्तर म सिक्किम व भूटान विशेष सधियो के अतगत भारत स सम्बद्ध हैं। दक्षिण म श्रीलका द्वीप है जिसे मन्नार की खाडी भारत से अलग करती है। बगाल की खाडी मे स्थित अडमान तथा निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर के लक्ष्यद्वीप मिनीकॉय तथा अमीन दीवी द्वीप-समूह भारत सघ के अतगत हैं।

भारत लघु विश्व है। इस कारण राष्ट्रीय 'औसत तापमान और 'औसत वर्षा' इन शब्दो का भारत के लिए कोई अथ नहो है। राजस्थान की मरुभूमि म औसत वार्षिक वर्षा ४ इच होती ह, पर चेरापूजी मे ४२५ इच होती हैं। इसी प्रकार कश्मीर के कुछ स्थानो मे न्यनतम तापमान ४०° फारनहाईट रहता है और राजस्थान के कुछ स्थानो म अधिकतम तापमान १२०° एफ० रहता है। इसलिए स्थानीय औसत की बात की जा सकती है भारतीय या राष्ट्रीय औसत की नहो।

देश के विस्तार के अनुपात मे समुद्र तट कम है क्योकि खाडिया और उप खाडिया की सख्या कम है। भारत का पश्चिमी समुद्र तट चट्टानी है। पूव म समुद्र उथला है, अत महासागर गामी बडे जहाज दूर से लगर डालने को बाध्य होते हैं।

प्राकृतिक सरचना

तीन प्राकृतिक भाग प्राकृतिक दृष्टि से भारत तीन क्षेत्रो म विभक्त है—(१) हिमालय का पवतीय क्षेत्र। (२) गगा सिधु का मदान और (३) दक्षिणी पठार।

हिमालय भारत के उत्तर म हिमालय पवत श्रेणी २५०० किलोमीटर की लम्बाई मे पूव से पश्चिम तक फैली हुई है। इसकी चोडाई २४० से ३२० कि० मी० है। इस पवत श्रेणी के पहाडो घाटियो पठारो आदि का कुल क्षेत्रफल ५ लाख किलोमीटर है। पूव मे बर्मा और भारत के मध्य की पवतीय दीवार को 'पतकोई' कहते है। असम म जयतिया खासी और गारो शाखाए हैं। हिमालय की पूर्वी शाखाए असम से नीचे उतरकर बगाल की खाडी तक जा पहुचती हैं। उत्तर पश्चिम शाखाए अफगानिस्तान की सीमा को स्पश करती हुई अरब सागर तक जा पहुचती हैं। उत्तर पश्चिम शाखाओ मे सुलेमान, कान्धार हिन्दुकुश आदि पवत प्रसिद्ध हैं। अफगानिस्तान की सीमा पर सुलेमान पवत मे खैबर खुरम गोमल बोलन, टोची आदि सकीर्ण माग (दर्रे) हैं। भारत पर प्रारम्भिक आक्रमण इन्ही दर्रों से हुए।

हिमालय पवत को तीन भागो म विभाजित किया जा सकता है महान हिमालय, लघु या मध्य हिमालय एव शिवालिक पहाडिया।

महान हिमालय यह भाग बर्फीला है। इस भाग की ऊचाई साधारणत ६ ००० से ७ ००० मीटर तक है। विश्व के उच्चतम पवत शिखर इसी भाग म है। एवरेस्ट (गौरीशकर) ८ ८४८ मीटर, कचनजघा ८ ५८६ मीटर, धौलागिरि ८,०७५ मीटर, नन्दा देवी ७ ८१६ मीटर कामत ७ ७५५ मीटर तथा अन्नपूर्णा ७ ६५० मीटर ऊचे हैं।

लघु या मध्य हिमालय ये महान हिमालय के निचली ढलान मे ३,५०० से ५ ०००

मीटर की ऊचाई के हैं तथा ८० कि० मीटर चौडाई मे फले हुए है। इनम शिमला, ननीताल, दार्जिलिंग जसे प्रसिद्ध पवतीय केन्द्र हैं।

शिवालिक पहाडियां इनकी ऊचाई १००० से १,५०० मीटर तथा चौडाई १० से ५० कि० मी० तक है। पश्चिम क्षेत्र म कटीले जगल तथा उथले झरने हैं जबकि पूर्वी भाग नेपाल और बगाल म यह तराई का रूप धारण कर लेती है। ऊपरी हिस्सो म घने जगल है जहा वन्यपशु काफी है।

हिमालय की घाटियां कश्मीर, चम्बा कागडा, कुल्लू आदि हिमालय की अनेक घाटिया हैं। ये प्राकृतिक सौंदय स पूण हैं। इन घाटिया म नदिया ऊचे ऊचे जलप्रपात बनाती हैं जिनम विद्युत उत्पादन की बडी क्षमता है।

मदान भूगभशास्त्र की दृष्टि से गगा का मदान उत्तरीय सीमा के पहाडा का अगला गहरा भाग है। इस भाग का निमाण पहाडो से आयी मिट्टी-बालू आदि के जमाव से हुआ है। यह निक्षेप से भरा गडढा है। पूव म इस निक्षेप म पवता से आई कछारी सामग्री है। पश्चिम म मदान हवा से उडाई गई सामग्री से पूण हैं। यह सारा निम्न पक और बालू से बना हुआ है।

गगा सिन्धु का मदान २,००० कि० मी० से २४०० कि० मी० लम्बा तथा २५० से ३२० कि० मी० चौडा है। इसका क्षेत्रफल ७७७००० वग कि० मी० है। यह पथक पृथक तीन नदी प्रणालिया—सिन्धु गगा और ब्रह्मपुत्र के बसिन या सिंचित क्षेत्र से बना है। इस सारे मदान के बीच कहीं कोई पहाडी नही है। पहाड से समुद्र तक ढलान इतना क्रमिक रूप स हुआ है कि गगा के मुहाने से १६० कि० मि० ऊपर का भाग समुद्री सतह से १५० मी० से अधिक ऊचा नही है। दुनिया भर मे इससे बडा और इससे अधिक सघन बसा हुआ दूसरा मदान नही है। सुरक्षा की दृष्टि से यह मदान असुरक्षित है। चढाई करने वाले आक्रामक को रोकने वाला कोई प्राकृतिक अवरोध इसम नही है। इसी कारण इस देश का मुख्य इतिहास इसी मदान म बना। सिन्धु पश्चिम मे सतलुज और व्यास नदियाँ सिन्धु नदी की शाखा-नदियां हैं। रावी भी सिन्धु नदी की शाखा है। सिन्धु नदी अरब सागर म गिरती है। भारत की राजधानी सिन्धु और गगा के मध्य-जलद्वार (वाटर शेड) पर अवस्थित है। ब्रह्मपुत्र इन तीना नदी प्रणालिया म से तीसरी ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर की ओर से निकल कर पूव की ओर मुड जाती है और भारत मे पूर्वी सीमा के छोर पर प्रवेश करती है। यह बगाल की खाडी तक पहुचन स पहल गगा म मिल जाती है। गगा की शाखा-नदिया के समान ब्रह्मपुत्र की शाखा-नदियाँ नहीं हैं।

भारत के मैदान की नदियों की तीन विशेषताएं हैं—१ बारहो मास इनम पानी प्रवाहित होता है। गर्मिया म ये सूखती नहीं। २ ये सपाट मदान म बहती हैं। यह मदान बहुत उपजाऊ है। यह भू भाग सिंचाई के उपयुक्त है। ३ बारह मास पानी रहता है अत वर्षा के अधिकांश समय म इनम नौकायन सम्भव है।

पश्चिम से पूव की ओर हम जितना आगे बढत जाते हैं उसी के परिमाण म वर्षा का परिमाण भी बढता जाता है।

भारतीय पठार

देश का तीसरा प्राकृतिक भाग भारतीय पठार या प्रायद्वीपी पठार के नाम से प्रसिद्ध है। यह तीन ओर से उच्च समतल भूमि म घिरा हुआ है और समुद्र तक चला गया है।

भारत के मदान से इस पठार को अलग करने वाली अनेक पहाडियो का समूह है जा पूव से पश्चिम की ओर चली गई है। इसके पूव और पश्चिम मे, दोनो ओर सकीण समुद्र-तट हैं।

हिन्दुस्यान के मदान से पठार को विभक्त करने वाली मुख्य पवत-श्रेणिया के नाम हैं अरावली, विन्ध्य, सतपुडा, मैकल और अजता। इनकी ऊचाई ५५५ से १२०० मीटर तक है। पूर्वी घाट की औसत ऊचाई ६१० मीटर है। पश्चिमी घाट ६१५ से १२२० मीटर तक ऊचा है। पश्चिमी घाट की ऊचाई कही-कही २४४० मीटर तक भी हो जाती है। इस समय इसम सडकें बन गई है तथा रेलगाडिया चलने लगी है। देश के उत्तरी और दक्षिणी भाग के मध्य जगल और पहाडिया का अवरोध है।

पूर्वीघाट और पश्चिमी घाट का आरम्भ विन्ध्य पवत की ढाल से हा जाता है। ये दोना दूर दक्षिण मे जाकर नीलगिरि पवत मे मिल जाते हैं। जहा इनका मेल होता है वहा एक ऊचा उठा हुआ शेर है जा दश का दक्षिणी कोण बनाता है। पश्चिमी घाट महाराष्ट्र और मैसूर से होकर जाता है। इसके पवत शिखरा की ऊचाई १६०० से २७३५ मी० के मध्य है। घाट की औसतन ऊचाई ६१५ मी० है। पूर्वी घाट आन्ध्र प्रदेश से होकर मद्रास तक पहुचता है। इसकी औसतन ऊचाई ४६० मीटर है। दोनो घाटा के बीच के त्रिभुजाकार पठार के दक्षिण म नीलगिरि पवत है, जिसम प्रसिद्ध दशनीय तीथ-स्थल ऊटकमड है।

नदी प्रणालियां

भारत की नदिया या नदी प्रणालिया (जल निकासी प्रणाली) तीन प्रकार की है (१) उत्तर की ओर बहने वाली, (२) पश्चिम की ओर बहने वाली और (३) पूव की ओर बहने वाली। भारतीय पठार के उत्तरीय किनारे या विन्ध्य से निकली नदिया उत्तर की ओर बहती है। जैसे—सोन, चम्बल आदि। दूसरे वग म नमदा और ताप्ती नदिया हैं। य क्रमश विन्ध्य और सतपुडा से निकलकर लगभग समानातर बहती हैं और अरब सागर मे गिरती हैं। इसस और दक्षिण म पश्चिम घाट से निकली नदिया पूव मे बगाल की खाडी मे गिरती हैं। इनम महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी मुख्य हैं। मदानी नदिया से इनम अन्तर है (१) इनकी जल-पूर्ति एकमात्र वषा से होती है। अत इनसे निरन्तर पानी नही मिलता। (२) इनकी घाटिया सिंचाई के कम उपयुक्त हैं। (३) साल के कुछ मासा मे जब नदिया सूख जाती हैं, तब ये नौकायन के योग्य नही रहती।

भारत की नदियो का एक दृष्टि से चार भागा मे वर्गीकरण किया गया है (१) हिमालय की नदिया, (२) दक्षिण की नदिया (३) तटवर्ती नदिया तथा आन्तरिक जलक्षेत्र की नदिया। तटीय नदिया, विशेषत पश्चिमी तट की लम्बाई म छाती हैं। इनका प्रसवण क्षेत्र सीमित है। पश्चिमी राजस्थान के आन्तरिक जलक्षेत्र की नदिया अपने क्षेत्र से बाहर नही जाती और यदि गइ तो, साम्भर झील तक पहुचकर ही रह जाती हैं। एकमात्र लूनी नदी समुद्र के समीप कच्छ के रण तक ही पहुचती है। कहते है, सरस्वती भी इसी मरु-भूमि म विलीन हो गइ है।

गगा गगा का नदी क्षेत्र सबसे बडा है। भारत म कुल क्षेत्रफल के एक चौथाई भाग का गगा से पानी मिलता है। गगा के उत्तर म हिमालय और दक्षिण म विन्ध्य पवत है। इस क्षेत्र म नदिया भी पर्याप्त सख्या मे हैं। गगा गगोत्तरी मे गोमुख से निकलती है। पहाडा म इसका नाम भागीरथी, अलकनन्दा आदि है। यमुना, घाघरा, गण्डक और कोसी

हिमालय से निकलकर गंगा में मिलती हैं। बेतवा और सोन भी गंगा में मिलती हैं। हरिद्वार में पहाड़ों से निकलने के बाद यह सीधी दक्षिण की ओर न जाकर एक बड़ी कमान बनाते हुए पूर्व की ओर मुड़ जाती है तथा उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर गुजरती है। राजमहल पर्वत (बिहार) के पास गंगा दक्षिण-पूर्व की ओर घूमती है और प० बंगाल में जाती है। फिर यह बंगला देश (पूर्व बंगाल) में प्रवेश करती है तथा पदमा कहलाती है। एक धारा हुगली नाम से प० बंगाल में बहती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व यह कई धाराओं में विभक्त हो जाती है।

गोदावरी इसका क्षेत्र भारत में गंगा नदी-क्षेत्र के बाद सबसे बड़ा है। यह सम्पूर्ण भारत के दस प्रतिशत क्षेत्र में व्याप्त है। पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र और पश्चिम में सिन्धु नदी का क्षेत्र भी लगभग इतने ही हैं। कृष्णा नदी का क्षेत्र प्रायद्वीप में दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा है। महानदी क्षेत्र का स्थान इसके बाद है। दूर दक्षिण में कावेरी का नदी क्षेत्र भी इसके ही समान है।

उत्तर में ताप्ती और दक्षिण में पेनार के नदी-क्षेत्र छोटे हैं, लेकिन दोनों कृषि की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं।

ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर झील के पास है। यहां से निकलने पर पूर्व की ओर लगभग १२८० कि० मी० बहती है। तिब्बत में इस नदी का नाम त्सांग-पो है। भारत में प्रवेश करने पर यह दक्षिण की ओर बहती है। यहाँ इसमें दीवांग और लोहित नदियां मिलती हैं और इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। यहां से फिर असम घाटी में जाती हुई पश्चिम को मुड़ती है। असम घाटी ८०० कि० मी० लम्बी और ८० कि० मी० चौड़ा है। ब्रह्मपुत्र नदी गोआलुन्डो (बंगला देश) के पास दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ती है। यहां यह गंगा की सर्वाधिक पूर्वी शाखा पद्मा से मिलती है। इन दोनों का मिला प्रवाह बंगाल की खाड़ी में गिरता है लेकिन इसके गिरने से पहले इसमें अनेक नदियां आकर मिलती हैं। इन मिलने वाली नदियों में मेघना नदी (बंगला देश) मुख्य है।

पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों में गोदावरी, कृष्णा और कावेरी मुख्य हैं। ये पठार की ढाल पर बहती हैं और इसको गहरा काटती हुई जाती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में और दो महत्त्वपूर्ण नदियां हैं—महानदी और दामोदर। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में शरावती नेत्रवती चरियाल, पेन्नानी और पेरियार नदियां हैं। ये सब नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं और अरब सागर या सिन्धु सागर में गिरती हैं। उत्तर की ओर बहने वाली नदियां उत्तरी मैदान की ओर जाती हैं। इन नदियों में चम्बल सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। चम्बल यमुना नदी में मिलती है। दूसरी महत्त्वपूर्ण नदी सोन है जो दानापुर (पटना) के पास गंगा में मिलती है। परन्तु सबसे बड़ी दो नदियां नर्मदा और ताप्ती हैं जो पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर या सिन्धु सागर में गिरती हैं।

मरुस्थल

गंगा के मैदान के दक्षिण पश्चिम में विस्तृत मरुस्थल है। यह राजस्थान के पश्चिमी भाग में सतलुज से गुजरात के कच्छ के रन तक फैला हुआ है। इस रेगिस्तानी क्षेत्र की चौड़ाई १०० से ६४० कि० मी० तथा क्षेत्रफल १,३२,००० वर्ग कि० मी० है। पश्चिमी मरुस्थल

रेतीला तथा पूर्वी मरुस्थल पथरीला है। इस क्षेत्र म वर्षा बहुत कम होती ह तथा नदियाँ नहीं हैं। सरस्वती नदी का इसी क्षेत्र म अदृश्य होना माना गया है। इस समय इस क्षेत्र म एकमात्र नदी लूनी है जो अजमेर की अनासागर झील से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हुई कच्छ के रण म प्रवेश करती है। इस नदी का पानी भी बालोत्रा तक मीठा तथा उसके बाद खारा हो जाता ह। यहाँ गर्मी की ऋतु म पीने का पानी मुश्किल स मिलता है। राजस्थान का रेतीला भाग साधारणत अकालग्रस्त रहता ह तथा पीने का पानी मिलना भी कठिन हो जाता है।

जलवायु

भारत का मौसम विज्ञान विभाग चार ऋतुए मानता है—(१) शीत ऋतु (दिसम्बर-मार्च), (२) ग्रीष्म ऋतु (अप्रैल मई), (३), वर्षा ऋतु (जून सितम्बर) और (४) दक्षिण पश्चिम मधुवात (मानसून) की वापसी का काल (अक्तूबर-नवम्बर)।

भारतीय परम्परा से साधारणत ६ ऋतुए मानते हैं—वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त और शिशिर। यह वर्ष विभाग वैदिक है तथा सौर मण्डल के अनुसार है।

वर्षा की दृष्टि से देश के चार भाग किए गए हैं—(१) सम्पूर्ण असम और पश्चिमी घाट की तली का पश्चिमी तट तथा उत्तर म बम्बई और दक्षिण म त्रिवेंद्रम का सारा क्षेत्र भारी वर्षा का है। यहाँ वर्ष म २०५ स० मी० से अधिक वर्षा होती है, (२) १२७ स २०५ से० मी० तक की वर्षा के प्रदेश हैं—उत्तर-पूर्वी पठार तथा गगा घाटी का मध्य भाग, (३) कच्छ तक फली राजस्थान की मरुभमि, लद्दाख तथा गिलगित तक कश्मीर का पठार बहुत कम वर्षा का क्षेत्र है (४) मद्रास, दक्षिणी पठार का दक्षिणी और उत्तर पश्चिमी भाग तथा गगा के मैदान क उत्तरी क्षेत्र म ५० से १०० से० मी० इच ही वर्षा होती है।

भूगर्भीय ढाचा

भूगभ की दृष्टि स भी भारत के तीन पृथक् पृथक भाग हैं। पठार इनमे प्राचीनतम ह। हिमालय पवत और उसके साथ के पहाड और सिंधु गगा का मदान उसकी तुलना म पीछे के हैं।

प्रायद्वीप भूगर्भीय स्थिरता का एक महान प्रदेश है। विलक्षण बात यह है कि यह साधारणत भूकपीय जोरदार धक्का से मुक्त है। प्रायद्वीप काल द्वारा रूपान्तरित चट्टानो के आधारभूत मिश्रण से बना है।

भूगभ शास्त्र के इतिहास की दृष्टि स आज जहा हिमालय है वहाँ कुछ समय पहले तक समुद्र था। भूगभ शास्त्र की दृष्टि से आज भी इस क्षेत्र का बहुत सा भाग अज्ञात है। पूव के बारे म यह बात विशेष रूप से सत्य है। कुछ बातें अभी विवादास्पद हैं। शिवालिक पहाड का निर्माण हो पहाडा के क्षरण से हुआ है। हिमालय के ऊचा उठने के कारण बन अग्रगत को इसने भरा। ये निक्षेप आजकल बन रहे निक्षेपो से बहुत भिन्न नहीं हैं।

सिंधु गगा का मदान एक बडा कछारी प्रदेश है। कछारी निक्षेप की गहराई अलग है। इस गडढे की भराई एक समान रूप स नहीं हुई है। इसकी प्रकति भी अलग अलग है।

भूगभ शास्त्र की दृष्टि से पठार बिल्लौरी चट्टान का बना हुआ है। यह हिमालय म बहुत पुराना है। पठार के उत्तर-पूव किनार पर तलहटी चट्टानें हैं। दक्षिण का अधिकांश

कोयला इनसे मिलता है। देश का कुल कोयला उत्पादन का ९० प्रतिशत इसी पठारी भाग म स्थित झरिया (बिहार) और रानीगज (प० बगाल) से मिलता है, यद्यपि कोयला क्षेत्र अन्य भी हैं जसे—गोदावरी घाटी और विध्य पवत की उत्तरी ढाल।

पठार का उत्तर-पश्चिमी भाग लावा से पूर्ण है। इसका नाम दक्कन लावा है। यह विश्व भर म सबसे बडा लावा क्षेत्र है तथा ६४०००० वग कि० मी० म फला हुआ है। यह हजारा मीटर गहरा है। बडी मात्रा म लावा होने पर भी, विचित्र बात है कि इस प्रदेश म ज्वालामुखिया का कोई चिह्न नही पाया जाता या बहुत कम मिलता ह।

शेष पठार मे जहां तहा मूल्यवान खनिज द्रव्य मिलते हैं। पुरानी बिल्लौरी चट्टाना से मसूर मे सोना मिलता ह। मग्नीज आंध्र प्रदेश, मसूर और मध्य प्रदेश म तांबा और लोहा बिहार और उडीसा म अभ्रक आध्र और दक्षिण पूव म तथा हीरा पन्ना (मध्य प्रदेश) मे पाया जाता है। कुरनूल (आध्र) मे भी हीरे वाली एक चट्टान मिली है।

काठियावाड का कच्छ अध द्वीप ह। कच्छ सूखा चट्टानी, शिलामय और वक्षहीन क्षेत्र है। यहा भूतेल (पट्रोल) निकलने की सम्भावना है। तेल के अन्य प्रमुख क्षेत्र असम, त्रिपुरा मणिपुर और राजस्थान आदि हैं।



: २ :

काल गणना

वस्तु एव समय के 'सूक्ष्मतम' एव 'महत्तम' स्वरूप का ज्ञान भारतीय ऋषियो को अनादि काल से रहा है। पृथ्वी का जो भाग सूक्ष्मतम अंश है, जिसका और विभाग नही हो सकता उसको परमाणु कहते हैं। जिस समग्र का यह परमाणु अंश है उसे 'परम महान' कहते हैं। यह वस्तु का 'सूक्ष्मतम' और 'महत्तम' स्वरूप है। श्रीमदभागवत के अनुसार—

जो काल परमाणु मे व्याप्त है, वह परम सूक्ष्म है जो सृष्टि की उत्पत्ति से प्रलय पर्यन्त व्याप्त है वह परम महान् है।

कालमान का सूक्ष्मतम रूप मे प्राचीन भारतीय वैज्ञानिको ने निश्चित किया। सूक्ष्मतम मान त्रुटि और तत्परम हैं। एक दिन रात मे १७४९६ ०००,००० त्रुटिया या ४६,६५६,०००,००० तत्परम होते हैं। पाश्चात्य देश अणुयम के बनने से पहले तक सेकेंड तक ही पहुचे थे और भारतीय एक सेकेंड को २०२,५०० त्रुटिया और ५,१४० ००० तत्परमो मे विभक्त कर चुके थे। १९५५ ई० मे आणविक घडी बनी और पश्चिम ने भी सेकेंड को ९१,९३१ ७७० भागो मे बाट दिया है।

काल का सूक्ष्मतम विभाजन

२ परमाणुओ के सयोग से एक 'अणु' बनता है।

३ अणुओ के सयोग से एक त्रसरेणु' बनता है।

(झरोखे मे आयी सूर्यकिरणो मे त्रसरेणु उडा करते है ऐसे तीन त्रसरेणुओ को पार करने मे सूर्य जितना समय लेता है उसे त्रुटि कहते हैं)

त्रुटि मान पद्धति	तत्परम मान पद्धति	
१०० त्रुटि एक वेध	६० तत्परम	१ परम
३ वेध—लव	६० परम	५ विलिप्ता
३ लव—निमेष	६० विलिप्ता	१ लिप्ता (विपल)
३ निमेष—क्षण	६० लिप्ता	१ विघटिका (पल)
५ क्षण—काष्ठा	६० विघटिका	१ घटिका (घडी)
१५ काष्ठा—लघु	६० घटिका	१ दिन रात
१५ लघु—नाडिका		
६ नाडिका—प्रहर		
८ प्रहर—एक दिन रात		

१५ दिन रात—एक पक्ष

२ पक्ष—शुक्ल+कृष्ण—एक मास।

२ मास—एक ऋतु होती है।

६ मास—एक अयन (उत्तरायण दक्षिणायन। ये देवो के दिन रात हैं)।

२ अयन—एक वर्ष।

कालचक्र

समय का पुनरावर्तन ही कालचक्र है। गति बिना कालचक्र गतिशील नहीं हो सकता है। वास्तव में कालचक्र का दूसरा नाम 'कालगति' ही है। गति बिना संसार का कोई भी क्रिया सम्पन्न नहीं हो सकती है। यह गति ही सब पदार्थों जीवों तत्वों तथा लोकों-परलोकों से युक्त होकर उन सबको गतिशील बनाती है। सूर्य चन्द्रमा ग्रह तारे, पृथ्वी जल अग्नि, वायु—सब इस गति द्वारा ही गतिशील हैं।

सूर्य अथवा चन्द्र की गति के आधार पर ही विभिन्न देशों ने समय चक्र का यथाविधि विश्लेषण किया। फलस्वरूप देश विदेशों में भिन्न भिन्न प्रकार के पंचांगों का प्रचलन हुआ। भारत में ही अनेक पंचांग प्रचलित हैं। सरकार ने सन् १९५२ ई० में समस्त भारत के लिए देशी पंचांगों की गणित पद्धति में एकरूपता लाने तथा समान पंचांग का निर्धारण करने के लिए एक पंचांग सुधार समिति नियुक्त की थी। समिति के सुझाव पर भारत सरकार ने देश भर के लिए राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक सम्वत को निर्धारित करने की घोषणा की।

शक सम्वत पंचांग का पहला मास चैत्र है और यह ३६५ दिन का है। सरकार ने २२ मार्च १९५७ को जारी घोषणा में सरकारी कार्यों के लिए भी अंग्रेजी पंचांग के साथ साथ राष्ट्रीय पंचांग के व्यवहार को लागू कर दिया। सरकार ने यह भी सुझाव दिया कि राष्ट्रीय पंचांग में दिये गये राष्ट्रीय दिनों का सब लौकिक कार्यों में प्रचलित अंग्रेजी तारीखों के समान ही उपयोग किया जाय। इस राष्ट्रीय पंचांग में समस्त भारत के उपयोगों के लिए शालिवाहन शकाब्द स्वीकृत किया गया है एवं शकाब्द १८८६, १८९० १८९४ आदि वर्ष प्लुत वर्ष (लीप ईयर) होंगे। इस प्रकार ऋतुनिष्ठ वर्ष पर आधारित अंग्रेजी तिथिपत्र के साथ राष्ट्रीय पंचांग का सम्बन्ध स्थापित हो गया है।

पहले शक सम्वत का व्यवहार शाकद्वीपी ब्राह्मण (ज्योतिषी लोग) करते थे। शक सम्वत ईसा से ७८ साल पीछे है। चैत्र के बाद के पांच मास ३१ ३१ दिनों के होते हैं। इसमें ग्रेगेरियन कलंडर के अनुसार रूपान्तर किए गए हैं। तदनुसार मासों का प्रारम्भ इस प्रकार है

शक कलेंडर	ईस्वी कलेंडर	शक कलेंडर	ईस्वी कलेंडर
१ चैत्र	२२ मार्च लीप वर्ष में २१ मार्च	१ आश्विन	२३ सितम्बर
१ वैशाख	२१ अप्रैल	१ कार्तिक	२३ अक्तूबर
१ ज्येष्ठ	२२ मई	२ मार्गशीर्ष अग्रहायन	२३ नवम्बर
१ आषाढ़	२२ जून	१ पौष	२२ दिसम्बर
१ श्रावण	२३ जुलाई	१ माघ	२१ जनवरी
१ भाद्रपद	२३ अगस्त	१ फाल्गुन	२० फरवरी

पचागो म अब पुन परिवतन की स्थिति दिखाई देती है। अनुभव किया जा रहा है कि पथ्वी की गति क्रमश मन्द होती जा रही है। मत है कि पथ्वी की गति में १७०० ई० से अब तक ४७ सेकेंड की और १९०३ ई० से ३१ सेकेंड की कमी आ गई है। अत काल का नया माप ढूढा जायेगा। इस दिशा म पहला प्रयत्न 'एफिमेरिज टाइम' है। इस नये काल माप का निणय चद्रमा के आधार पर किया गया है।

अन्य पचाग

रोमन पचाग विश्व म रोमन पचाग म ही अधिकाश काय प्रचलित है। इस समय १९७४वा वष चालू है। इस पचाग के अग्रेजी मासो के नाम प्राय रोमन देवताओ के नामो पर है। उनका ग्रहो से कोई सम्बध नही है। जैसे जनवरी—जानुस, फरवरी—फ्रेब्रुअस, माच—युद्ध का देवता मार्स (मूलत माच रोमन कैलेंडर म पहला मास था), अप्रल—लटिन शब्द—एप्रीलिस मई—रोमन देवी मैया, जून—जूना (रोमन देव मण्डल का एक सदस्य), जुलाई—जुलियस सीजर, अगस्त—अगस्त सीजर। सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर मास क्रमश ७, ८, ९, १० म रोमन मास है तथा इनके नाम सख्या-सूचक लटिन शब्दो म बने हैं।

विक्रमी सम्वत विक्रमी सम्वत् इस देश म सर्वाधिक प्रचलित है। यह राष्ट्रीय सवत है, यद्यपि सरकार द्वारा माय नही है। इसका प्रारम्भ ईसा से ५७ ५८ वष पहले सम्राट विक्रमादित्य से माना जाता है। अनक शिलालखो म इसका उल्लख है। विक्रमादित्य की शको पर विजय की स्मति मे यह सम्वत है। इस समय विक्रमी सम्वत २०३० चालू है। अप्रल १९७४ से सम्वत २०३१ प्रारम्भ होगा।

बौद्ध पचाग भगवान बुद्ध के जन्म-काल ५६३ ई० पू० से इसका प्रारम्भ हुआ। पर अब बुद्ध का जन्म-समय ६८७ ई० पू० भी माना जाने लगा है। इसम कुछ विवाद है। इस कलेंडर म वष का प्रारम्भ वशाख पूर्णिमा से होता है। बुद्ध का जन्म और निर्वाण इसी तिथि को हुआ था।

जन पचाग २४वें तीथकर महावीर के जन्म-काल ५२७ ई० पू० से यह प्रारम्भ हुआ माना जाता है।

सृष्टि सम्वत भारत म सृष्टि सम्वत भी प्रचलित है। दान और सकल्प के समय आज भी इसका प्रयोग होता है।

फसली साल अकबर के समय १५५५ ५६ ई० म खेती और राजस्व की दृष्टि से फसली साल चलाया गया था। बगाल म इसी फसली साल को बगाली वष माना जाता है।

कलियुग सम्वत् सृष्टि सम्वत के बाद सबसे पुराना सम्वत् कलियुग सम्वत है। इसका प्रारम्भ १८ फरवरी ३१०२ ई० पू० का हुआ था। इस समय १९७४ ई० मे कलियुग सम्वत ५०७४ है। भारत मे आज भी दान और सकल्प मे इसका पाठ किया जाता है।

दयानन्द सम्वत आय समाज के सस्थापक महर्षि दयानन्द सरस्वती के नाम पर आय समाज ने यह चलाया है। इसका आरम्भ उनके निर्वाण से होता है। इस समय दयानन्द सम्वत् १४९ है।

मुस्लिम पचाग हिजरी सम्वत् का पहला दिन १६ जुलाई ६२२ ई० स होता है। यह विशुद्ध रूप से चन्द्र वष है।

विश्व मान्य समय (स्टडड टाइम) लन्दन (इग्लैंड) के समीपस्थ गाव ग्रीनविच

से स्टडर्ड टाइम माना जाता है। १८८४ ई० म एक अतर्राष्ट्रीय मरिडियन कान्फ्रेंस हुई थी। उसके निश्चय के अनुसार, ग्रीनविच से होकर जाने वाली मध्याह्न रेखा (मरिडियन लाइन) को ही प्रधान मध्याह्न रेखा माना गया और ससार के समय का हिसाब उसी से लगाया जाने लगा। ग्रीनविच के 'मरिडियन' को शून्य अश पर मानकर वहां से १८० अश तक पूर्वीय और पश्चिमी रेखाश की गणना की जाती है। ग्रीनविच के पूव म किसी स्थान का समय जानने के लिए ग्रीनविच के समय म प्रति १५ अश पर १ घटा और १ अश पर ४ मिनट का समय घटाना पडता है तथा पश्चिम के स्थाना के लिए जोडना पडता है।

भारतीय स्टडड टाइम भारत का समय ग्रीनविच मीनटाइम (ग्रीनविच मध्यकाल) स साढे पाच घटा आगे है। यह १ जनवरी १९०६ म स्वीकार किया गया था। भारत म अब भारतीय स्टडड टाइम (काल) चलता है। १९०६ का स्टडड काल ८२॥ अश पू० देशातर रेखा वाराणसी और काकीनाड होकर जाती है। भारत की रेलवे तार घरा आदि म यही समय प्रयोग म लाया जाता है।

कालमान

ब्रह्माण्ड इस काल का इन्द्रियगोचर विस्तार विशाल ब्रह्माण्ड है। ब्रह्माण्ड का दूसरा नाम नभोमण्डल भी है। सम्पूर्ण नभोमण्डल असख्य तारा स भरा है। ब्रह्माण्ड म अनेक सौर मण्डल हैं। तारे इन्हा सौर मण्डला म से किसी न किसी म हैं। मनुष्य को केवल एक ही सौर मण्डल का आशिक ज्ञान है जिसम हमारी पृथ्वी है। आकाश में स्थित ये असख्य तारे हमारे लोक पृथ्वी के ही समान लोक हैं और पृथ्वी से लाखा मील दूर हैं। पृथ्वी से तारो की दूरी प्रकाश वष द्वारा मापी जाती है। प्रकाश की गति प्रति सकण्ड २२७६०० कि० मी० है। इस गति से एक वष म प्रकाश जितनी दूर जाता है वह प्रकाश वष का मापदड है। वज्ञानिक इस प्राचीन भारतीय तथ्य को मानत हैं कि शूय आकाश म स्थित सभी ज्योतिर्पिण्ड किसी महान शक्ति को केन्द्र बनाकर उसके चारा ओर घूमत हैं। यह भी माना जाता है कि सभी पिण्ड अण्डाकार वत्त म घूमत हैं। इन तारा ग्रहा ज्योतिर्पिण्डा की सख्या पहले डेढ लाख मानी गयी। पर अब इस सम्बन्ध म नय नय तथ्य सामने आ रहे है। यह भी अनुमान है कि पथ्वी के अतिरिक्त कुछ अन्य ग्रहो म भी प्राणी रहते है। ब्रह्माण्ड म ऐसे तार भी हैं जो हमारे सौर-मण्डल क सूय स लाखो गुना बड और प्रकाशमान हैं। ऐसा एक तारा अगस्त्य है जो सूय से ८०००० गुणा प्रकाशमान है। सेण्ट डोरा समूह के तारो की ज्योति तीन लाख सूर्यों के बराबर बतायी जाती है। बहुत स तारा का भार भी बहुत होता है।

हमारा सौर परिवार हमारे जसे सौर परिवार और कितने हैं और इनकी कुल सख्या क्या है यह ज्ञात नही है। हमारे सौर परिवार का केन्द्र सूय है। सूय के चारो ओर ग्रह और उपग्रह चक्कर लगाते हैं। सूय के अपनी धुरी पर घूमने से इसके अश विकीर्ण हो जात हैं और वे सूय की परिक्रमा करने लगत हैं। हर सौर-परिवार म धूमकेतु है। पथ्वी अपनी गति के अनुसार अपनी धुरी पर पश्चिम स पूव की ओर चक्कर काटती है। सूय का निकटतम ग्रह बुध है। बाद का क्रम शुक्र पथ्वी मगल बहस्पति शनि यूरेनस नपच्यून और प्लूटो का है। आखिरी तीना ग्रह भारतीय नव ग्रहा म नही आते। न ग्रहा के उप ग्रह भी है जसे पथ्वी का चद्रमा। उपग्रह स्वप्रकाश स प्रकाशित नही है। य सूय के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सारे ग्रह अपनी कक्षाओ म चलते हुए सूय की परिक्रमा करते ह।

सूर्य हमारे सौर मण्डल का केन्द्र सूय है। यह एक स्व प्रकाशमान गसीय पिण्ड गोलाकार और अग्निमय है। यह एक तारा है, जो रोशनी और ताप देता है। पृथ्वी से इसकी दूरी १४८८ लाख कि० मी० है। इसका व्यास १३८४ हजार कि० मी० है तथा पृथ्वी की तुलना मे इसका गुरुत्व ३,३३,४३४ गुणा और आकार १० लाख गुणा से अधिक है। सूय की सतह पर तापमान ६,००० डिग्री सेन्टीग्रेड है और अन्तःतल का तापमान ८ करोड सेण्टीग्रेड है। सूय की भी अपनी धुरी है, जिस पर वह सतत् घूमता है। सूय विषुवत रेखा पर २५ दिनो मे और ध्रुवा पर ३३ दिना म एक चक्कर पूरा करता है। सूय म तीव्र गुरुत्वाकषण है। इसी कारण वह अपने ग्रहो को उनकी कक्षाओ म निश्चित रखता है। सूय द्वारा यह प्रति सेकेण्ड २० कि० मी० की गति से चलायमान है। सूय म काले-काल धब्बे भी हैं। सूय म आंधिया उठती हैं। ये धब्बे आंधियो के परिणाम है। सूय अपने कक्ष का २५ दिन ६ घंटे म पूरा चक्कर लगा लेता है।

पृथ्वी हमारी पथ्वी नारगी के आकार की गोल है। इसके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कुछ चपटे से हैं। यह भी एक चमकते तारे की भाति है। ग्रहा म यह पाचवा बडा ग्रह हैं। इसका क्षेत्रफल ५० करोड ४३ लाख १२ हजार ७२६ कि० मी० है। विषुवत रेखा पर इसकी परिधि ३६ लाख ८४ हजार ३८२ कि० मी० है। इसका व्यास १२ हजार ६७२ कि० मी० है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक इसकी परिधि ३८४०१३७७ कि० मी० है। यह एक ठोस पिंड है। इसके भीतर जाने पर हर १५ मिनट पर १० अश फोरनहाइट ताप बढता जाता है। भीतर के मध्य भाग का तापमान तप्त पिघली धातु के बराबर ह। पथ्वी पश्चिम से पूव की ओर २४ घटे मे अपनी धुरी पर घूम जाती है। सूय के चारा ओर जिस अडाकार माग से पृथ्वी चक्कर लगाती है, उस ग्रह पथ या 'कक्षा' (आरबिट) कहते हैं सूय की परिक्रमा मे पृथ्वी को ३६५ दिन ५ घटे ४८ मिनट ४६७।१० सेकेन्ड लगते हैं। इस कालावधि को ही वष कहते हैं। अडाकार कक्षा पर पथ्वी के घूमने और उस पर उसकी धुरी के ६६॥ अश झुके रहने से विभिन्न ऋतुए बनती ह।

चन्द्रमा यह पथ्वी का एक उपग्रह है तथा सूय के प्रकाश स प्रकाशित है। पथ्वी स यह ३ लाख ८२ हजार १७६ कि० मी० दूर है। कुछ यह दूरी ३ लाख ८२ हजार २४० कि० मी० मानते हैं। इसका व्यास ३,४५६ कि० मी० है। इसका पिंड ७४१ ०००,०००,०००,००० टन का है। चन्द्रमा पथ्वी की परिक्रमा २७ दिन ७ घटे ४३ मिनट १२ सेकेन्ड म पूरा करता है। पृथ्वी के साथ-साथ चन्द्रमा सूर्य के चारा ओर भी चक्कर लगाता है और यह परिक्रमा वह २६ दिन १२ घटे ४४ मिनट और ८ सेकेन्ड म पूरा करता है। इसको ही चन्द्र-मास कहते हैं। हमारे सामने इसका सदा आधा भाग ही आता है। समुद्र म ज्वार भाटे चन्द्रमा के कारण आते है। अत वहा कोई नहीं रह सकता। सूय की ओर इसका जो भाग रहता है उसका तापमान २०० डिग्री सेंटीग्रेड है। मानव ने चन्द्र पर अपने चरण रख दिये हैं तथा अब उसके विषय म अनेक तथ्य प्रकाश मे आ रहे हैं। रूस व अमेरिका दोना ने चन्द्र विजय मे सफलता प्राप्त कर ली है। अन्तरिक्ष यात्रिया ने चन्द्रलोक की मिटटी व पत्थर आदि लाने म सफलता प्राप्त कर नये अध्याय जोड दिये हैं।

आकाश गगा आकाश म उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई एक सफेद चौडी पटटी सी ह जो रात मे दीखती है यही आकाश गगा है। यह तारक पुजा का समूह ह। मध्य मे इसकी दो शाखाए भी हो गई हैं। अधेरी रात मे यह स्पष्ट दिखाई देती ह। अनुमान है कि

आकाश-गंगा में हमारे सौर परिवार सदृश अनेक परिवार हैं।

क्रांति-वृत्त नक्षत्रों की संख्या २७ है। सूर्य के समान ग्रह भी पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। सूर्य तारों के बीच से होकर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर एक वर्ष में चक्कर पूरा करता है। उसके इस पथ का नाम क्रांति-वृत्त है। चन्द्रमा भी इसके आस पास ही पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाता है। चन्द्रमा यह चक्कर २७ दिन १६ घड़ी १८ पल और १६ विपल में पूरा करता है। यह प्राचीन माप इस प्रकार का है—६० विपल १ पल, ६० पल १ घड़ी या दंड ६० घड़ी या दंड १ अहोरात्र दिन रात। चन्द्रमा २७ दिनों में चक्कर पूरा करता है। अतः गगन मंडल को भी २७ भागों में विभक्त करके प्रत्येक का उसके काल्पनिक आकार के अनुसार नाम दिया गया है। प्रत्येक नक्षत्र साढ़े १३ अंश का होता है। चन्द्रमा की गति सदा एक समान नहीं रहती। अतः एक नक्षत्र को पार करने में वह ५४ से लेकर ६५ दंड तक समय लेता है। अतः प्रत्येक नक्षत्र का मान एक नहीं है। नक्षत्र २७ हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर इनके नाम इस प्रकार हैं—अश्विनी भरणी कृत्तिका रोहिणी मृग आर्द्रा पुनर्वसु पुष्य अश्लेषा मघा पूर्वा उत्तरा हस्त चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूल पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा श्रवण धनिष्ठा शततारका पूर्वाभाद्रपदा उत्तराभाद्रपदा रेवति। प्रत्येक नक्षत्र को चार चरणों में बांटा गया है। उत्तराषाढ़ा के चौथे चरण और श्रवण के पहले १५वें भाग को अभिजित नक्षत्र कहते हैं।

राशि चन्द्रमा की दैनिक गति को नक्षत्र सूचित करते हैं। सूर्य की मासिक गति की सूचना राशियां देती है। सूर्य के मार्ग क्रांति-वृत्त के १२वें भाग का नाम राशि है। राशियां १२ हैं। एक राशि में ३० अंश होते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर चलने पर क्रमशः मेष, वृष, मिथुन कर्क, सिंह कन्या, तुला वृश्चिक धनु मकर कुम्भ और मीन राशियां हैं। इन राशियों के ये नाम इनकी आकृति के अनुसार हैं। प्रत्येक राशि सवा दो नक्षत्र की होती है। सूर्य जब राशि में प्रवेश करता है तो संक्रांति होती है। राशियों के अनुसार १२ संक्रांतियां हैं। मेष संक्रांति पर कभी दिन रात बराबर होते थे। परन्तु अब मेष-संक्रांति २३ दिन बाद होती है। आकाशस्थ अश्विनी नक्षत्र या मेष राशि आदि के निश्चित तारों से राशियों की गणना करने पर वह निरयन राशियां होती हैं। सायन राशियों की गणना क्रांति वृत्त और विषुवत वृत्त के पीछे खिसकते हुए सम्पात बिन्दु से होती है। यह सम्पात बिन्दु हर साल ५६ विकला की गति से पीछे हट रहा है। सायन और निरयन राशियों में दो वर्ष पूर्व २३ अंश, १८ कला और ४१ विकला का अन्तर है।

पृथ्वी दिन भर में राशि चक्र की परिक्रमा कर लेती है। फलतः विभिन्न समयों पर पूर्वी क्षितिज में विभिन्न राशियां दिखाई देती हैं। देश के अक्षांश के अनुसार इनका उदय काल भिन्न भिन्न होता है। लग्न का निश्चय इस बात से होता है कि पूर्वी क्षितिज पर कौन-सी राशि लगी।

गोलार्द्ध यदि आकाश के दो भाग इस प्रकार किए जाएं कि एक भाग के मध्य उत्तरी ध्रुव पड़े और दूसरे भाग के बीच दक्षिणी ध्रुव आये तो ये दोनों भाग क्रमशः उत्तरी गोलार्द्ध और दक्षिणी गोलार्द्ध होंगे। भूमध्य या विषुवत रेखा के ठीक ऊपर से आकाश विभक्त माना जाता है। उत्तरी गोलार्द्ध में मेष वृष मिथुन, कर्क सिंह तथा कन्या राशियां हैं। शेष ६ राशियां दक्षिणी गोलार्द्ध में पड़ती हैं।

चन्द्र की गति के अनुसार बारह मास चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष, पौष, माघ तथा फाल्गुन हैं। सौर मास का आरम्भ संक्रांति से होता है। वार का आरम्भ सूर्योदय से होता है। भारतीय वारों के नाम ग्रहों के नामों पर हैं जैसे—सूर्य रविवार चन्द्र-सोमवार, मंगल-मंगलवार, बुध बुधवार बृहस्पति-बृहस्पतिवार शुक्र-शुक्रवार शनि शनिवार।

दिनमान सूर्य भूमध्य रेखा के सामने सायन मेष पर आता है तब पृथ्वी पर दिन रात सर्वत्र समान होते हैं। इसके बाद सूर्य ज्यों-ज्यों उत्तर की ओर बढ़ता है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्द्ध में क्रमश दिन बड़ा और रात छोटी होती जाती है। ठीक इसके विपरीत दक्षिण गोलार्द्ध में होता है। सूर्य जब सायन कर्क पर पहुंचता है तब पृथ्वी के उत्तरी गोलार्द्ध में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। इसके बाद सूर्य दक्षिणायन होता है दक्षिण की ओर फिरता है। इससे उत्तर में क्रमश दिन छोटा और रात बड़ी होने लगती है।

सूर्य जब भूमध्य रेखा के सामने सायन तुला पर आता है तो पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। दक्षिणी गोलार्द्ध में सूर्य का प्रवेश होने पर जब वह सायन मकर पर पहुंचता है, तब दक्षिण में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। इसका ठीक उलटा उत्तरी गोलार्द्ध में होता है, वहां से सूर्य उत्तरायण होता है। इससे दक्षिण में क्रमश दिन छोटा और रात कुछ कुछ बड़ी होने लगती है। सूर्य चक्कर लगाता हुआ पुन भूमध्य रेखा के सामने सायन मेष में आता है।

भूमध्य रेखा से उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की दूरी ९० अंश है। भूमध्य रेखा पर दिन और रात १२ १२ घंटे के होते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण की ओर बढ़ने पर दिनमान या रात्रिमान बड़ा होने लगता है। साढ़े ६६ अंश पर सबसे बड़ा दिन या रात्रि २४ घण्टे की होती है। ७० अंश पर दो मास के साढ़े ७८ अंश पर ४ मास के और ९० अंश पर ६ मास के दिन मान होते हैं।

आकाश-गंगा में हमारे सौर परिवार सदृश अनेक परिवार हैं।

क्रांति-वृत्त नक्षत्रों की संख्या २७ है। सूर्य के समान ग्रह भी पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। सूर्य तारों के बीच से होकर पश्चिम से पूर्व की ओर चलकर वर्ष भर में चक्कर पूरा करता है। उसके इस पथ का नाम क्रांति-वृत्त है। चन्द्रमा भी इसके आस पास ही पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाता है। चन्द्रमा यह चक्कर २७ दिन १९ घड़ी १८ पल और १६ विपल में पूरा करता है। यह प्राचीन माप इस प्रकार का है—६० विपल १ पल, ६० पल १ घड़ी या दंड, ६० घड़ी या दंड १ अहोरात्र (दिन रात)। चन्द्रमा २७ दिनों में चक्कर पूरा करता है। अतः गगन मंडल को भी २७ भागों में विभक्त करके प्रत्येक का उसके काल्पनिक आकार के अनुसार नाम दिया गया है। प्रत्येक नक्षत्र साढ़े १३ अंश का होता है। चन्द्रमा की गति सदा एक समान नहीं रहती। अतः एक नक्षत्र को पार करने में वह ५४ से लेकर ६५ दंड तक समय लेता है। अतः प्रत्येक नक्षत्र का मान एक नहीं है। नक्षत्र २७ हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर इनके नाम इस प्रकार हैं—अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृग, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा, उत्तरा, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शततारका, पूर्वाभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा, रेवति। प्रत्येक नक्षत्र को चार चरणों में बांटा गया है। उत्तराषाढ़ा के चौथे चरण और श्रवण के पहले १५वें भाग को अभिजित नक्षत्र कहते हैं।

राशि चन्द्रमा की दैनिक गति को नक्षत्र सूचित करते हैं। सूर्य की मासिक गति की सूचना राशियां देती हैं। सूर्य के मार्ग क्रांति-वृत्त के १२वें भाग का नाम राशि है। राशियां १२ हैं। एक राशि में ३० अंश होते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर चलने पर क्रमशः मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ और मीन राशियां हैं। इन राशियों के ये नाम इनकी आकृति के अनुसार हैं। प्रत्येक राशि सवा दो नक्षत्र की होती है। सूर्य जब राशि में प्रवेश करता है तो संक्रांति होती है। राशियों के अनुसार १२ संक्रांतियां हैं। मेष संक्रांति पर कभी दिन रात बराबर होते थे। परन्तु अब मेष-संक्रांति २३ दिन बाद होती है। आकाशस्थ अश्विनी नक्षत्र या मेष राशि आदि के निश्चित तारों से राशियों की गणना करने पर वह निरयन राशियां होती हैं। सायन राशियों की गणना क्रांति वृत्त और विषुवत वृत्त के पीछे खिसकते हुए सम्पात बिन्दु से होती है। यह सम्पात बिन्दु हर साल ५९ विकला की गति से पीछे हट रहा है। सायन और निरयन राशियों में दो वर्ष पूर्व २३ अंश १८ कला और ४१ विकला का अंतर है।

पृथ्वी दिन भर में राशि चक्र की परिक्रमा कर लेती है। फलतः विभिन्न समयों पर पूर्वी क्षितिजों में विभिन्न राशियां दिखाई देती हैं। देश के अक्षांश के अनुसार इनका उदय काल भिन्न भिन्न होता है। लग्न का निश्चय इस बात से होता है कि पूर्वी क्षितिज पर कौन-सी राशि लगी।

गोलार्द्ध यदि आकाश के दो भाग इस प्रकार किए जाएं कि एक भाग के मध्य उत्तरी ध्रुव पड़े और दूसरे भाग के बीच दक्षिणी ध्रुव आये तो ये दोनों भाग क्रमशः उत्तरी गोलार्द्ध और दक्षिणी गोलार्द्ध होंगे। भूमध्य या विषुवत रेखा के ठीक ऊपर से आकाश विभक्त माना जाता है। उत्तरी गोलार्द्ध में मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह तथा कन्या राशियां हैं। शेष ६ राशियां दक्षिणी गोलार्द्ध में पड़ती हैं।

चन्द्र की गति के अनुसार बारह मास चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ, श्रावण, भाद्रपद आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ तथा फाल्गुन है। सौर मास का आरम्भ संक्रांति से होता है। वार का आरम्भ सूर्योदय से होता है। भारतीय वारों के नाम ग्रहों के नामों पर हैं जैसे—सूर्य रविवार, चन्द्र सोमवार, मंगल मंगलवार, बुध बुधवार, बृहस्पति-बृहस्पतिवार, शुक्र-शुक्रवार, शनि शनिवार।

दिनमान सूर्य भूमध्य रेखा के सामने सायन मेष पर आता है तब पृथ्वी पर दिन रात सर्वत्र समान होते है। इसके बाद सूर्य ज्यों-ज्यों उत्तर की ओर बढता है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्द्ध में क्रमश दिन बडा और रात छोटी होती जाती है। ठीक इसके विपरीत दक्षिण गोलार्द्ध मे होता है। सूर्य जब सायन कर्क पर पहुंचता है तब पृथ्वी के उत्तरी गोलार्द्ध में दिन सबसे बडा और रात सबसे छोटी होती है। इसके बाद सूर्य दक्षिणायन होता है, दक्षिण की ओर फिरता है। इससे उत्तर में क्रमश दिन छोटा और रात बडी होने लगती है।

सूर्य जब भूमध्य रेखा के सामने सायन तुला पर आता है तो पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। दक्षिणी गोलार्द्ध मे सूर्य का प्रवेश होने पर जब वह सायन मकर पर पहुंचता है, तब दक्षिण मे दिन सबसे बडा और रात सबसे छोटी होती है। इसका ठीक उल्टा उत्तरी गोलार्द्ध में होता है, वहां से सूर्य उत्तरायण होता है। इससे दक्षिण में क्रमश दिन छोटा और रात कुछ कुछ बडी होने लगती है। सूर्य चक्कर लगाता हुआ पुन भूमध्य रेखा के सामने सायन मेष मे आता है।

भूमध्य रेखा से उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की दूरी ९० अंश है। भूमध्य रेखा पर दिन और रात १२ १२ घंटे के होते है। भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण की ओर बढने पर दिनमान या रात्रिमान बडा होने लगता है। साढे ६६ अंश पर सबसे बडा दिन या रात्रि २४ घण्टे की होती है। ७० अंश पर दो मास के, साढे ७८ अंश पर ४ मास के और ९० अंश पर ६ मास के दिन रात होते हैं।

The Profile of a Pioneer—

BHARAT ELECTRONICS LTD.

SET UP IN 1954 in Jalahalli near Bangalore with an authorised capital of Rs 10 crores paid up capital Rs 5.96 crores. BEL went into production in 1956 with two items—HF Medium Power Communication Transmitter and associated Power. Production in 1956 was only Rs 6 lakhs. Total labour strength was 1,000.

TODAY BEL HAS GROWN INTO A MAJOR ELECTRONIC EQUIPMENT AND COMPONENT MANUFACTURER EMPLOYING OVER 13,000 PEOPLE AND CONSISTING OF SIX PRODUCTION DIVISIONS

RADAR DIVISION Manufactures Fire Control Radars, Field Artillery Radars, Surveillance Radars, Navigational Radars, Search & Weapon Control Radars, Secondary Surveillance Radars, Storm Warning Radars for the Army, Navy and Meteorological Department in L, S and X Bands. Gun Control Equipment for the Vijayanta tanks.

Also manufactures Computers and Digital equipment as a sub contractor for ICL, data processing equipment for radars, data display consoles.

HIGH POWER COMMUNICATION & BROADCAST EQUIPMENT DIVISION Manufactures 1 KW, 10 KW, 100 KW Medium Wave Broadcast Transmitters, TV Studio and Transmission Equipment, Professional Type Console Tape Recorders, Tape Decks, 100 W SSB Transreceivers, 400 W, 1 KW and 5 KW SSB Communication Transmitters, to cater to the Army and Civilian needs for static and mobile roles.

LOW POWER COMMUNICATION EQUIPMENT DIVISION Produces short distance communication equipment like Walkie Talkies, Ground to Air Communication sets, Ship to Ship and Ship to Shore Communication, Airborne Communication and Multichannel Radio Relay equipment—in HF, VHF, UHF ranges.

ELECTRON TUBE DIVISION Produces Receiving Valves for Radio sets, Television receivers, industrial applications, Black and White TV Picture Tubes, Transmitting Tubes for communication, broadcast, industrial applications, Ceramic Tubes, Vidicons, Thyratrons, Magnetrons and Vacuum Capacitors, X ray Tubes for the medical profession, CRTs for instruments and radars.

SEMICONDUCTORS DIVISION Produces Germanium Transistors and Diodes, Silicon Transistors and Diodes, Switching Transistors, Zener Diodes, Field Effect Transistors, Diode Gates, Darlington Pairs, Integrated Circuits and Hybrid Microcircuits.

PASSIVE COMPONENTS Piezo Electric Crystals for Oscillators, Clocks, Filters, Quartz elements for ultrasonic work and other industrial uses. Mica and Ceramic Capacitors in plaquettes and miniature discs.

BEL is setting up its second unit in Ghaziabad near Delhi to manufacture exclusively air defence radars.

BEL's exports reached Rs 1 crore during 1972-73 and these have gone to customers in United Kingdom, United States, Canada, West Germany, Japan, several South East Asian and Middle Eastern countries.

With the know how and the expertise garnered in the past 17 years, BEL has now reached the stage when it can go ahead on its own steam. Its Development and Engineering Division now has over 170 highly qualified engineers who are contributing more and more in the independent production of many types of communication equipment, radars and components. During 1972-73 out of a total production of Rs 39 crores, over Rs 9 crores worth of equipment and components were accounted for by items of BEL design—while another Rs 6 crores were by licensed items but in which BEL had carried out modifications. By 1976, nearly 70 per cent of BEL products would be of its own design.

BEL looks to the future with confidence

Pioneers in '56... Leaders Today,

BEL BHARAT ELECTRONICS LTD.
JALAHALLI, BANGALORE 560 013

AIYAPS-BEL 2 73

भारतीय इतिहास

वैदिक काल

—एक विहगम दृष्टि

भारत के इतिहास का प्रारम्भ वेदों से है। वेद सृष्टि के प्रारम्भ में प्रगटित ईश्वरीय ज्ञान माना जाता है। विश्व के इस आदि देश भारत का प्राचीनकाल आर्यों से सबधित है। वेद और भारत का आदिकाल के भूगोल इतिहास तथा सामाजिक जन जीवन का वर्णन है। वेद में ऋग्वेद सबसे प्राचीन माना जाता है। पश्चिमी इतिहासकार ईसा से ५० हजार वर्ष पूर्व तक ऋग्वेद का काल मानते है किन्तु भारतीय इतिहासकारो ने इसे लाखो वर्ष प्राचीन काल माना है।

महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने वेदों को सहिता का रूप दिया था। वेदों को हिन्दू ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं तथा उनका विश्वास है कि वेद अनादि अनन्त तथा अपौरुषेय हैं।

वैदिक साहित्य के अन्तर्गत—वेद, उपवेद ब्राह्मण आरण्यक तथा उपनिषदों का समावेश है। वेदों के छ अग भी हैं जो वेदाग कहलाते हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों में ऐतरेय तैत्तिरीय गोपथ शतपथ और पञ्चविंश मुख्य है। उपनिषदों की सख्या दो सौ से भी अधिक है। पर भारतीय आचार्यों ने ग्यारह को मुख्य माना है और इन्ही का भाष्य किया है।

आर्य-जन एक बड़े परिवार के समान रहते थे। सब सजात होने से एक समान थे। वर्णाश्रम व्यवस्था गुण-कर्म के आधार पर की गई। गृहस्थ को सबसे बड़ा आश्रम माना जाता था। साधारणत एक पत्नीव्रत का पालन किया जाता था। स्त्रिया पर्दे में नहीं रहती थीं। अनेक स्त्रिया ब्रह्मवादिनी थी। आर्यों का भोजन सादा था। चावल तिल जौ घी, दूध की इनमे प्रधानता थी। गाय को पूज्य और अघ्न्या माना जाता था।

आर्य लोग ऊन रेशम और रुई के वस्त्र पहनते थे। सिर पर पगडी धारण करते थे। नीचे अधो-वस्त्र (धोती या साड़ी) और उत्तरीय (चादर) धारण करते थे। स्त्री-पुरुष नाना स्वर्णादि आभूषण पहनते थे। कुण्डल केयूर निष्कग्रीव कण्ठहार आदि प्रचलित थे।

आर्य एक ईश्वर की पूजा करते थे। बहुदेवतावाद प्रचलित नहीं था। पर आर्य प्रकृतिदेव पूजक भी थे।

आर्यों का जीवन सरल और उच्च विचार का था। वे खेती करते थे और पशु पालते थे। भिषग (वैद्य) मित्र माना जाता था। जुआ खेलना मना था। पत्थर का काम

होता था। समुद्र में चलने वाले पोत और नौयान थे। दूर दूर तक ये व्यापार करने जाते थे। विमानों का भी ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है।

राज्य का संचालन सभा तथा समिति की सहायता से राजा या गण प्रमुख करते थे। राज्याभिषेक के समय की गई अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन न करने वाला राजा सिंहासन से उतार दिया जाता था।

रामायण काल

रामायणकाल में अयोध्या में सूर्यवंश कुल का राज्य स्थापित हुआ। सूर्यवंशी महाराजा रघु व अज के प्रतापी राजा श्री रामचन्द्र ने छोटे छोटे अनेक राक्षसों को पराजित किया। उन्होंने वनवासियों के सहयोग से लंका के कुमार्गी एवं अहंकारी राजा रावण से संघर्ष किया तथा इस धर्मयुद्ध में भगवान राम ने रावण की सत्ता को नष्ट कर लंका की गद्दी पर रावण के धार्मिक व न्यायप्रिय भाई विभीषण को अधिष्ठित कर दिया। श्री राम अपने आदर्श जीवन के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाये। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण काल का रामायण में विस्तार से वर्णन किया है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में राम के काल का सरल वर्णन किया है।

महाभारत काल

महाभारत का युद्ध कौरव पाडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ। इस भयंकर तम युद्ध में १८ अक्षौहिणी सेना मारी गई थी। महाभारत के युद्ध में पांडव मुट्ठी भर थे जबकि कौरवों के पास भारी सेना थी। श्रीकृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में युद्ध में भाग लिया था क्योंकि श्रीकृष्ण पांडवों के पक्ष को न्यायपूर्ण मानते थे।

इस भयंकर युद्ध की गाथा को महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में लिपिबद्ध किया। महाभारत भारतीय साहित्य का बहुमूल्य ग्रंथ है। भगवान श्रीकृष्ण ने मोहग्रस्त अर्जुन को धर्मयुद्ध में भाग लेने के लिए जो उपदेश दिया था वह गीता के रूप में विख्यात है।

मोहनजोदारो हड़प्पा यह ऐतिहासिक तथ्य है कि मोहन जो-दारो और हड़प्पा के प्रसिद्ध ग्रामों के ही नगरों के ध्वंसावशेष हैं क्योंकि ये ध्वंसावशेष हड़प्पा तक ही सीमित नहीं हैं। सिंधु घाटी से लेकर गुजरात के वर्द्धमान चौबीस परगना तक और लोथल से लेकर बिलासपुर तक ये मिले हैं। गांधारवन (कश्मीर) से ब्रह्मगिरि तक इनका प्रसार है।

सिन्धुघाटी सभ्यता मोहन-जो-दारो व हड़प्पा नाम नगरों की घाटी यूफ्रेटस और टिग्रिस (दजला फरात नदियों) की घाटी तथा नील की विभिन्न नदियों की घाटी और सिंधु घाटी ■ एक समय विश्व में सभ्यता के चार केन्द्र थे। परन्तु भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता नदी घाटी सभ्यता नहीं थी समकालीनों भी थी और ताम्रलिपि (कलकत्ता) से सामान गए थे मिला है था। सिन्धु-सभ्यता के लोग तांबा और कांसे का व्यवहार करते थे। यह सभ्यता काठियावाड़ से लेकर मकरान तक और उत्तर में हिमालय तक फैली हुई थी। यदि इसको त्रिभुजाकार एक त्रिभुज के रूप में माना जाय तो इसकी तीनों भुजाएं १२७० ६६० ८८० कि० मी० लम्बी होगी। यह सभ्यता आज मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। ४० से अधिक स्थानों की खुदाई हो चुकी है और आगे जारी है।

लोथल (गुजरात) की खुदाई १९५३ ई० में हुई। यहां भी सिंधु घाटी की सभ्यता के चिन्ह मिले हुए हैं। यह उस काल का बंदरगाह था। इसका काल २००० ई० पू० से १९०० ई० पू० माना जाता है। इस सभ्यता को द्रविड़ सभ्यता या प्राग्वैदिक सभ्यता की सभ्यता

बताई जाती है। यह अत्यन्त विकसित व उन्नत नगर-सभ्यता थी। यहा सुनहर आभूषण मिले हैं जिन पर चित्र अंकित है।

मध्य काल

जन धम का उदय जन धम के अनुयायियों की संख्या भारत म लगभग एक करोड है। जनी इसे प्राचीनतम धम मानते है। वद्धमान महावीर २४वें तीथकर थे। प्रथम तीथकर भगवान ऋषभदेव वदिक सूक्तो के व्याख्याता भी हैं। २३वें तीथकर पाश्र्वनाथ के नाम पर बिहार मे पारसनाथ पवत है और यह जैनियो का प्रमुख तीथक्षेत्र है। २४वें तीथकर वद्धमान महावीर का जन्म ज्ञातृक राजकुल म हुआ जो वज्जि गणराज्य क संघ म था। इसकी राजधानी कुडग्राम थी। ३० वष की आयु म वद्धमान ने घर बार छोड दिया तथा भिक्षु हो गये। बारह साल की घोर तपस्या के बाद उन्होने कवली पद प्राप्त किया। ससार के समग्र से सवथा मुक्त होकर तथा सुख दु ख की भावना से ऊपर उठ सब वस्तुओ से पथक केवल रूप की अनुभूति 'केवली' अवस्था है। धम प्रचार करत हुए ७२ वष की आयु म राजगह क समीप 'पावापुरी' (पटना) मे ५२० ई० पू० म उनकी मत्यु हुई।

जन मत म अहिंसा सत्य, ब्रह्मचय और परिग्रह-परिमाण ये पाच व्रत भिक्षु और गहस्थ दोनो को पालन चाहिए। जनो का अहिंसाव्रत बौद्धो से भी अधिक कठोर है।

जैन धम भारत से बाहर नही गया। जन धम के अन्तगत दिगम्बर और श्वेताम्बर दो सम्प्रदाय है। श्वेताम्बरो म अनक सम्प्रदाय हैं। तेरापथी इनम से ही हैं। दिगम्बर जनियो के मदिर म प्रतिमाए निवस्त्र होती हैं।

बौद्ध धम शाक्य क्षत्रियो का एक छोटा-सा राज्य हिमालय की तराई म था। इसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। इस गणराज्य का शासक शुद्धोदन था। इस शुद्धोधन के घर सिद्धाथ का जन्म हुआ। इनका गोत्र गौतम था अत ये गौतम ही कहलाये। इनका बालपन ऐश्वय और विलास मे बीता। सिद्धाथ को राजकुमारो के योग्य शिक्षा दी गई थी। सिद्धाथ का विवाह यशोधरा से हुआ। एक पुत्र भी हुआ। इसका नाम राहुल रखा गया। कपिलवस्तु क सौन्दर्य को दखत हुए उन्होने एक दिन मरणासन्न रोगी एक दिन बढा और श्मशान जा रही एक अर्थी को दखा। इन सबके बाद एक शात प्रसन्न सन्यासी को देखा। इन चारो दश्यो का सिद्धाथ पर गहरा प्रभाव पडा। वह घर-बार छोडकर भिक्षु होन का विचार करन लगे और एक रात पत्नी और पुत्र को छोडकर घर से निकल गये। गया पहुच कर उन्होने वट-वक्ष क नीचे बठकर घोर तपस्या की। यही उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होने अनुभव किया कि तपस्या व्यथ है, जस भोग विलास व्यथ है। दोनो के मध्य का माग ही सही है। यही बुद्ध का मध्य माग है।

३६ वष की आयु म भगवान बुद्ध न धम प्रचार किया। लुम्बिनी उद्यान म ४८७ ई० पू० बुद्ध का जन्म हुआ और ८० साल की आयु मे कुशीनगर (कसिया) म ४०७ ई० पू० मत्यु हुई। ४४ साल निरतर पयटन करत हुए उन्होने धम प्रचार किया। बुद्ध का अष्टाग माग है (१) सम्यक-दृष्टि (२) सम्यक प्रयत्न (३) सम्यक वचन (४) सम्यक सकल्प (५) सम्यक कम (६) सम्यक आजाविका (७) सम्यक विचार और (८) सम्यक ध्यान। बुद्ध भगवान हिंसा के विरोधी और ऊच-नीच की भावना स सवथा मुक्त थे। प्राणी मात्र को एक समान मानत थे। जन्म के कारण किसी को ऊच या नीच नही मानते थे। भगवान

बुद्ध की मृत्यु के कुछ वर्ष बाद उनके शिष्य राजगृह में एकत्र हुए। यहां बुद्ध की शिक्षाओं को लेखबद्ध किया गया। बुद्ध ने धर्म प्रचार के लिए संघ की स्थापना की। स्त्रियों को भी भिक्षु बनने का अधिकार दिया। जैन व बौद्ध दोनों धर्मों ने संस्कृत को अपने प्रचार का माध्यम नहीं बनाया। बौद्धों का साहित्य पाली में और जैनों के ग्रंथ मागधी प्राकृत में हैं। बाद में संस्कृत में भी इन धर्मों का साहित्य लिखा गया। दोनों धर्म कालांतर में भारत में अत्यंत सीमित होकर रह गए।

यूनानी आक्रमण

ईरान में गए आर्य अपने देश को आर्यान या एर्यान कहते थे। ईरान शब्द का मूल यही है। इनकी दो शाखाएं थी—पार्श (पर्शियन) और मीड। इनमें से पार्श ने साम्राज्य बनाया। हखमनी के समय लगभग सारा ईरान पार्श साम्राज्य में आ गया था। हखमनी के वंशजों में डेरियस या दारयवहु (५२१-४८६ ई० पू०) बड़ा प्रतापी राजा था। इसने भारत के तीन प्रदेश सिंध, कम्बोज और गांधार जीत लिये। डेरियस ने अपने विजय स्तंभों में अपने को ऐर्य एर्यपुत्र (आर्यपुत्र) कहा है। भारत के सिंधु नदी के भाग को उसने एक क्षत्रप के अधीन रखा था। इसके कारण भारत का संबंध पश्चिमी एशिया से दृढ़ हो गया तथा भारतीय व्यापारी एशिया माइनर और मिस्र पहुंचने लगे।

दारा के आक्रमण के समय उसका नौ सेनापति स्काईलेक्स (शलाक्ष) समुद्र मार्ग से सिंध के मुहाने तक आया था। इससे भारत के समुद्री व्यापार को बहुत सहायता मिली। ईरानी आक्रमण के कारण भारत में खरोष्ठी लिपि आयी। भारत की अपनी लिपि इस समय ब्राह्मी थी जिसका वर्तमान रूप नागरी है। खरोष्ठी दायीं ओर से बायीं ओर को लिखी जाती थी। ईरानी लिपि का नाम अरमिक था। सिंधु नदी के पश्चिम के भारतीय प्रदेश में अरमिक लिपि का प्रचार हुआ। खरोष्ठी की वर्णमाला ब्राह्मी के समान थी पर लिपि उसकी अरमिक से ली गई थी।

ग्रीस में भी आर्य बसे थे। ग्रीस पर मसीडोनिया ने हमला किया। मसीडोनिया के प्रतापी राजा का नाम अमिंटस था। उसका लड़का फिलिप हुआ। इसने अपने राज्य का विस्तार किया। फिलिप का लड़का सिकन्दर हुआ। सिकन्दर अरस्तू (अरिस्टाटल) का शिष्य था। वह विश्व विजय की महत्वाकांक्षा रखता था। सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण करने से पहले ईरानी साम्राज्य को नष्ट किया। इससे उसको अनायास हिंदुकुश तक का भू-भाग मिल गया। ईरान की राजधानी पर्सिपोलस को जीतकर सिकन्दर भारत की ओर बढ़ा। गांधार के राजा आम्भि ने सिकन्दर से मित्रता कर ली। आम्भि की सहायता पाकर सिकन्दर ने राजा पोरस (पुरु) पर आक्रमण किया। वह वीरता से लड़ा। इस युद्ध के परिणाम के संबंध में दो मत हैं सिकन्दर की हार सिकन्दर की विजय। विद्वानों की नयी पीढ़ी दूसरे मत को अधिक पुष्ट व सार्थक मानने लगी है। पुरु की मित्रता प्राप्त कर सिकन्दर आगे बढ़ा। उसको अनेक गणराज्यों से युद्ध करने पड़े। इनमें से क्षुद्रक-मालव, मद्र और कठ मुख्य थे। कठ की राजधानी साकल (स्यालकोट) नगरी थी। कठ-युद्ध से सिकन्दर की सेना घबड़ा गयी और उसने युद्ध करने से इंकार कर दिया। मगध सम्राट महापद्मनन्द की सेना के आतंक से भयभीत सिकन्दर व्यास तक पहुंचकर लौट पड़ा। वापसी में सिकन्दर की सेना को मालवा और क्षुद्रकों ने ललकारा। सिकन्दर इनसे संधि करने को बाध्य हुआ। वहां उसको रास्ते में बड़ी कठिनाई सहनी पड़ी। यह आशंका सिद्ध हुई। ३२३ ई० पू० सिकन्दर

बबीलोनिया पहुचा। यहा ३३ वष की आयु मे बर्छे के घाव से उसकी मत्यु हो गई। सिकन्दर के आक्रमण के कारण ग्रीकों का भारत की कला पर प्रभाव पडा। मदिर निर्माण मूर्तिकला और मुद्रा निर्माण तथा इसी प्रकार ज्योतिष भी प्रभावित हुए। व्यापार बढा। यवनानी लिपि भी आई। भारत का धम, दशन व ज्योतिष पश्चिम मे पहुचा।

मौर्य वश

चन्द्रगुप्त मौय आचाय चाणक्य और चन्द्रगुप्त ने भारत से ग्रीक विजय के प्रभाव को मिटा दिया तथा पुन भारत की सीमा हिन्दुकुश तक पहुचा दी। इस प्रकार भारत की राजनीतिक सीमा और प्राकृतिक सीमा एक हो गई। आचाय चाणक्य का मत था कि हिमालय से लेकर समुद्र तक फैली एक सहस्र योजन आय भूमि है और इसमे एक चक्रवर्ती राज्य स्थापित होना चाहिए। इस लक्ष्य को उन्होने अपने शिष्य चन्द्रगुप्त को मगध का सम्राट बनाकर पूरा किया। सेल्यूकस सिकन्दर का एक सेनापति था। सिकन्दर के पद चिन्हो पर चलते हुए उसने भारत पर ३०५ ई० पू० मे आक्रमण किया। चन्द्रगुप्त ने उसके मनोरथो को मिट्टी मे मिला दिया। पराजित सेल्यूकस ने चन्द्रगुप्त को परोपनिसडेई (काबुल) एरिया (हिरात), आर्कोशिया (कदहार) और जड्रोसिया (कलात खानबेला और मकरान) के प्रदेश दिये। उसने अपनी कन्या भी चन्द्रगुप्त से विवाही। चन्द्रगुप्त ने अपने यूनानी श्वसुर को ५०० हाथी दिये। मेगस्थनीज चन्द्रगुप्त के दरबार मे यूनान का राजदूत होकर आया। चन्द्रगुप्त की सेना मे ६ लाख पैदल ३० हजार घुडसवार और ६ हजार हाथी थे। ८ हजार से अधिक रथ थे। सेना का प्रबन्ध ६ उपसमितियो द्वारा होता था। खान राज्य की अपनी थी, इससे राज्य का बडी आमदनी थी। समुद्र से मोती निकालने का काम राज्य करता था। नमक का कारोबार भी राज्य के अधीन था। चन्द्रगुप्त ने ३२२ ई० पू० से २६८ ई० पू० तक राज्य किया।

चन्द्रगुप्त के पुत्र बिदुसार के दरबार मे सैल्यूकस के उत्तराधिकारी राजा एण्टीयोकस का दूत रहता था। मिस्र का राजदूत डायोनीसियस भी दरबार मे था। बिंदुसार की २७२ ई० पू० मे मृत्यु हो गई।

सम्राट अशोक बिदुसार की मत्यु के बाद मगध के राजसिंहासन पर अशोक बठा। इसने सवप्रथम कलिंग (उडीसा) को जीता। अशोक ने इस विजय के बाद धम्म विजय (धम विजय)' की ओर ध्यान दिया। बौद्ध धम के प्रचार के लिये उसने देश विदेश मे अपने प्रचारक भेजे। अशोक के 'महामात्य का काय ही धम प्रचार का काय देखना था। अशोक ने चिकित्सालय खोले। शिलाओ पर अपने सदेश अकित करा उन्हे भिन्न भिन्न स्थानो पर प्रतिष्ठापित किया। ये शिला लेख अफगानिस्तान से लेकर मसूर तक मिले हैं। सारनाथ से प्राप्त स्तम्भ पर सिंह की चार मूर्तिया बनी हुई है। कहते हैं अशोक ने ८४ हजार इमारतें बनवाई। सारनाथ, राची और पाटलिपुत्र मे अशोक के भवनो के कुछ अवशेष मिले हैं। पाटलिपुत्र के राज प्रासाद को देखकर चीनी यात्री फाहियान चकित रह गया था। उसने उसको देवताओ का बनाया हुआ बताया। राज्य शक्ति का धम प्रचार और जन-कल्याण मे प्रयोग करने वाला विश्व का यह सभवत पहला सम्राट था।

मौय साम्राज्य प्राची मध्य, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर—इन पाच मडलो मे विभक्त था। जनपद और इनकी जनपद सभा को कायम रखा गया। ग्राम का शासक ग्रामिक कहलाता था। यह कर वसूल करने के अतिरिक्त मनोरजन के लिए प्रेक्षाओ (तमाशो) का

भी प्रबन्ध करता था। 'ग्रामिक' शासन का एक महत्वपूर्ण अंग था।

केन्द्रीय शासन अठारह विभागों में विभक्त था। प्रत्येक विभाग एक महामात्य के अधीन था। न्यायालय, धर्मस्थीय (दीवानी) और कंटक शोधन (फौजदारी) दो प्रकार के होते थे। न्यायालय के सामने कोई मुकदमा पेश होने पर निम्न बातें अवश्य लिपिबद्ध की जाती थीं (१) तिथि (२) अपराध का स्वरूप (३) घटनास्थल (४) [illegible] ऋण की मात्रा (५) वादी प्रतिवादी के देश गांव जाति गोत्र नाम धन्धा (६) दोनों पक्षों की युक्तियां प्रत्युक्तियों का पूर्ण विवरण। मैगस्थनीज ने माना है कि भारत के लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे। चोरियां अज्ञातप्राय थीं। लोग सत्यवादी व धर्मात्मा थे।

सारनाथ का स्तम्भ मौर्यकालीन कला का प्रतीक है। अशोक के समय की पाषाण वेष्टनियां (रेलिंग) भी दर्शनीय हैं। इन पर जातक की कथाएं उत्कीर्ण हैं। कन्दरायें पत्थर काटकर बनाई गई हैं। सांची का स्तूप महत्व का है। आधार में समान [illegible] लगभग १०० फुट है। यह लाल रंग के पत्थर से बनाया गया है। गुफा मन्दिर बनाने की परम्परा का प्रारम्भ इसी समय से हुआ। ऐसे मन्दिर बराबर (बिहार) की पहाड़ियों में बने हैं।

मैगस्थनीज के अनुसार भारत में तब सात वर्ग या जातियां थीं (१) दार्शनिक (२) किसान ( ) अहीर, गडरिये और चरवाहे (४) कारीगर (५) सैनिक (६) राज्य कर्मचारी और (७) निरीक्षक या गुप्तचर। लोग मितव्ययी थे तथा स्वच्छता व सभ्यता पूर्वक रहते थे। रत्नों को धारण करने की प्रथा थी। अत्यन्त सुन्दर मलमल के बने बूटेदार कपड़े लोग पहनते थे। तक्षशिला शिक्षा का महाकेन्द्र था। एक आचार्य के पास ५०० से लेकर दस सहस्र तक छात्र रहते थे। राज्य शिक्षा को सहायता देता था। अधिकांश भाग में सिंचाई होने से साल में दो फसलें होती थीं। अकाल कभी नहीं पड़ता था। अनाज सस्ता था।

मिनान्डर भारत के ग्रीक राजाओं में मिनान्डर का नाम प्रसिद्ध है। उसकी राजधानी साकल (सियालकोट) थी। यह बौद्ध था। मिलिन्दपाहो उसका लिखा पाली भाषा में एक ग्रंथ है। तक्षशिला के ग्रीक नरेश अंतलिखित का राजदूत हेलिओडोरस विदिशा में रहता था। यह वैष्णव हो गया था। वासुदेव (विष्णु) की पूजा के लिए उसका बनाया गरुड ध्वज, आज भी विद्यमान है। कलिंग नरेश खारवेल ने डेमेट्रियस (देमेत्रीय) को हरा कर भारत की यवनों से रक्षा की।

शुंग वंश

पुष्यमित्र मौर्यों का सेनापति था। इसने शुंग राजवंश चलाया। अश्वमेध यज्ञ भी किया। एक शिलालेख में इसे द्विरश्वमेध याजी बताया गया है। यवनों ने उसका छोड़ा अश्व पकड़ लिया था। इसके पौत्र वसुमित्र ने उसको छुड़ाया। महाभाष्यकर्त्ता पातंजलि ने इसका अश्वमेध यज्ञ कराया था। महाभाष्य में कहा गया है पुष्यमित्र यजामहे।

सातवाहन वंश

सिमुक मौर्यों के निर्बल होने पर दक्षिण में सिमुक ने २१० ई० पू० सातवाहन वंश की नींव डाली। गोदावरी नदी के किनारे प्रतिष्ठान नगरी इसकी राजधानी थी। इसके वंशज गौतमिपुत्र सातकर्णि ने पश्चिम में अवन्ति तक राज्य का विस्तार किया। इसने शक पल्हव (पार्थियन) और यवनों (ग्रीकों) को पराजित किया। इसका काल ९६ ४४ ई० पू० था। प्रसिद्ध भारतीय इतिहासज्ञ डा० काशीप्रसाद जायसवाल ने इसी को शकारि विक्रमा

दित्य बताया है। वासिष्ठीपुत्र श्री पुलमावि के समय सातवाहन राज्य चोल देश तक फैल गया। पुलमावि ने मगध के राजा सुशर्मा को मार कर मगध के कण्व वंश की समाप्ति कर दी। सातवाहन वंश का शासन २२५ ई० तक चला।

कुशाण साम्राज्य हूणों से भगाये और सीर नदी घाटी में बसने के बाद उसको छोड़कर बैक्ट्रिया पहुंचे यूइशि लोगों ने पांच राज्य स्थापित किए। इनमें एक कुशाण साम्राज्य था। इसका राजा कर्फिसस बौद्ध था। चीन के सम्राट को बौद्ध धर्म ग्रंथ भेजने वाला यह पहला भारतीय नरेश था। ८० साल की आयु में वह मर गया। इसका उत्तराधिकारी विम कथफिश शव था। इसने अपना राज्य मथुरा तक बढ़ाया। पाटलिपुत्र के राजा सातवाहन कुन्तल सातकर्णि ने कुशाणों को अनेक युद्धों में पराजय दी और 'शकारि' कहलाया। ७८ ई० में कनिष्क राजगद्दी पर बैठा। इसने सातवाहनों को हराकर अयोध्या पाटलिपुत्र तक राज्य का विस्तार किया। कनिष्क पाटलिपुत्र से बौद्ध विद्वान अश्वघोष और बुद्ध के एक कमण्डल को साथ ले गया। उत्तरी भारत से इसने सातवाहन वंश के राज्य को समाप्त कर दिया। कनिष्क ने उत्तर में वक्षु सीर नदियों तक के प्रदेशों को जीता। चीन से लड़कर काशगर खोतान और यारकन्द के प्रदेश इसने अपने साम्राज्य में मिला लिए। वक्षु और यारकन्द से पाटलिपुत्र तक फैले साम्राज्य के शासन के लिए इसने पुष्यपुर (पेशावर) को अपनी राजधानी बनाया। कनिष्क के सिक्कों पर देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं। कुण्डलवन (कश्मीर) विहार में कनिष्क के संरक्षण में बौद्धों की चौथी महासभा हुई। अश्वघोष वसुमित्र और पार्श्व इसमें ५०० विद्वानों के साथ सम्मिलित हुए थे। त्रिपिटिका का प्रामाणिक भाष्य संस्कृत में तैयार किया गया। मध्य एशिया और चीन में बौद्ध प्रचारक भेजे गए। महायान सम्प्रदाय का प्रवर्तन इसी समय हुआ। कनिष्क की एक सिरकटी मूर्ति मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित है। कनिष्क ने ४० वर्ष तक राज्य किया। कनिष्क के बाद हुविष्क और वासुदेव प्रसिद्ध राजा हुए।

११० ई० में सातवाहनों ने उज्जैन के शक क्षत्रप को हराया और उसके प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। पंजाब के कुणिंद, यौधेय और मालव गणराज्यों ने अपनी सत्ता पुनः स्थापित की। कुशाण साम्राज्य को इन सबने समाप्त कर दिया।

नागभारशिव वंश कुशाणों के साम्राज्य के भस्मावशेष से उत्पन्न राज्यों में नाग भारशिव वंश मुख्य है। इन्होंने ग्वालियर के पास पदमावती को अपनी राजधानी बनाया। कौशाम्बी से बढ़ते-बढ़ते ये मथुरा पहुंचे। इन्होंने गंगा–यमुना का प्रदेश कुशाणों से जीता था, अतः गंगा-यमुना को अपना राज्य चिन्ह बनाया। इस वंश के शासक वीरसेन ने बनारस में गंगा घाट पर अनेक अश्वमेध यज्ञ किए।

वाकाटक वंश भारशिव राजाओं का एक सामंत था विन्ध्य शक्ति (२७८ ई०)। इसने कुशाणों को हराया। इसके पुत्र प्रवरसेन ने गुजरात और काठियावाड़ के शकों को मार भगाया। प्रवरसेन के पुत्र का नाम गौतमीपुत्र था। इसका विवाह नाग भारशिव वंश के राजा भवनाग की कन्या से हुआ। इससे उत्पन्न पुत्र रुद्रसेन भारशिव और वकाटक दोनों वंशों के राज्यों का शासक हुआ। उत्तरी भारत इसके राज्य में आ गया।

गुप्त साम्राज्य (३१९ ई०—५१० ई०) वाकाटकों के निर्बल होने पर लिच्छिवियों ने गंगा के दक्षिण में पाटलिपुत्र को भी जीत लिया। कुशाण साम्राज्य के अंत में उत्पन्न वीरों में श्रीगुप्त एक था। इसने पूर्वी मगध में अपना राज्य स्थापित किया। श्रीगुप्त ने गुप्त

वंश की स्थापना की। इसका पौत्र चन्द्रगुप्त (३१६ ई०—३३५ ई०) महाराजभी हुआ। वह महाराजाधिराज हो गया। चन्द्रगुप्त ने लिच्छवीगण से मंत्री की तथा उनकी राजकन्या कुमार देवी के साथ विवाह किया। इस विवाह के कारण गुप्त राज्य और लिच्छवी राज्य एक हो गए। कुमार देवी का पुत्र समुद्रगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन माना जाता है। प्रयाग के एक पुराने स्तम्भ पर इसकी विजय प्रशस्ति अंकित है। प्रशस्ति हरिषेण की लिखी हुई है। समुद्रगुप्त ने वाकाटक वंश का राज्य समाप्त कर दिया। काञ्ची के राजा विष्णुगोप को हराया। समतट (गंगा-ब्रह्मपुत्र का मुहाना) दवाक (चटगाव त्रिपुरा) कामरूप (असम) नेपाल और कर्तृपुर (कुमायूं) के राज्यों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। कुशाण शाहानुशाही ने भी समुद्रगुप्त का प्रभाव स्वीकार किया। समुद्रगुप्त विद्या और कला प्रेमी सम्राट था। ३७८ ई० में समुद्रगुप्त का देहान्त हो गया।

चन्द्रगुप्त द्वितीय (३८०—४१३ ई०) रामगुप्त पर कुशाण-नरेश 'शाहानुशाही' ने हमला कर दिया। रामगुप्त ने सन्धि की जो शर्तें स्वीकार की थी वे उसके छोटे भाई चन्द्रगुप्त को स्वीकार नहीं थी। चन्द्रगुप्त ने स्त्री वेष धारण करके कुशाण राजा के अन्तःपुर में प्रवेश किया और उसको मार दिया। रामगुप्त के पराभव पर वह गुप्त राज्य का स्वामी हो गया। ध्रुवदेवी या ध्रुवस्वामिनी के साथ उसने विवाह कर लिया। चन्द्रगुप्त ने कुशाणों को हराया। चन्द्रगुप्त की सेना हिन्दुकुश पर्वतमाला को पार कर बाल्हीक (बल्ख) तक जा पहुंची। दिल्ली में महरौली के पास एक लाट खड़ी है। इस पर चन्द्रगुप्त की विजय की प्रशस्ति उत्कीर्ण है। वक्षु नदी से अरब सागर तक साम्राज्य स्थापित करने के बाद इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की।

कुमार गुप्त (४१४—४५५ ई०) इसका ४१ वर्ष का शासन शान्ति का शासन रहा। नालन्दा महाविहार की स्थापना इसी ने की। इसमें दूर दूर के विद्यार्थी शिक्षा पाने आते थे। इस समय हूणों के हमले पुनः प्रारम्भ हो गये इनके कारण गुप्त वंश की सत्ता डगमगाने लगी।

स्कन्द गुप्त (४५५—४६७ ई०) हूणों से यह वीरतापूर्वक लड़ा गुप्त राजवंश की लक्ष्मी का उद्धार किया शत्रु को हराया।

स्कन्द गुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य क्षीण होता गया। तोरमाण हूण ने ५०० ई० में पंजाब और मालवा जीता। इसका उत्तराधिकारी मिहिरकुल था। इसको गुप्त वंश के नरसिंह बालादित्य ने हराया। मिहिर कुल बुद्धधर्म से शत्रु था।

यशोवर्मा हूणों को विजयी करने वाले इस सेनानी का नाम शिलालेखों में जनेन्द्र यशोवर्मा कहा गया। मन्दसौर (मध्य प्रदेश) का विजय स्तम्भ इसकी यश-गाथा गा रहा है।

गुप्त वंश का साम्राज्य नष्ट होने पर भारत में सार्वभौम सम्राटों का भी अन्त हो गया। पाटलिपुत्र साम्राज्य का इसके बाद फिर उदय नहीं हुआ।

फाहियान चीनी यात्री फाहियान गुप्त सम्राटों के राज्यकाल में भारत आया था। यह त्रिपिटक की खोज में भारत आया तथा यहां १५ वर्ष रहकर एक भारतीय जहाज पर चीन लौटा। इसने अपने यात्रा विवरण में भारतीय शासन की बड़ी प्रशंसा की। इसने लिखा है कि राज्य के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कोई भी खाना उछालता चला जाय कोई उसे नहीं छेड़ता। लेन देन मौखिक ही होता था लिखा-पढ़ी और पंचायत की कोई जरूरत

नही होती । अपराधियों का अपराध के अनुसार अर्थ-दंड दिया जाता था । प्राण-दण्ड और शारीरिक दंड नही दिया जाता था । राज्य भर में जीव हिंसा नहीं होती । कोई मद्य भी नहीं पीता । चाडाल को छोडकर लहसुन प्याज भी कोई नहीं खाता । सुअर और मुर्गी नही पाले जाते । शराब की दुकानें नही थी । सूनागार (बूचडखाना) भी नहीं थे । केवल चाण्डाल मछली पकडते शिकार खेलते और मांस बेचते थे ।

हर्षवर्धन गुप्त साम्राज्य का अंत होने पर (१) कन्नौज में मौखरि वंश (२) थानेश्वर में वर्धन वंश और (३) वल्लभि में मैत्रिक वंश राज्य कर रहे थे । गुप्तों का राज्य मगध तक सीमित रहा । इनमें वर्धन वंश का हर्षवर्धन, गुप्त वंश के बाद भारत का सबसे विख्यात राजा हुआ ।

मौखरि राज-वंश ने गुप्तों की अधीनता त्यागकर ईसा की छठी सदी में कन्नौज में अपना राज्य स्थापित किया । ईश्वर वर्मा हूणों से लडा था । इसके बाद कन्नौज की गद्दी पर ईशवर्मा और सर्ववर्मा बैठे । सर्ववर्मा ने गुप्त वंशी राजा दामोदर गुप्त को एक युद्ध में मार दिया । सर्ववर्मा के बाद अवन्तिवर्मा और ग्रहवर्मा राजगद्दी पर बैठे । ग्रहवर्मा का विवाह थानेश्वर के राजा प्रभाकरवर्धन की पुत्री राज्यश्री के साथ हुआ । ग्रहवर्मा की मृत्यु के बाद राज्यश्री कन्नौज की स्वामिनी हुई । प्रभाकरवर्धन के राज्यवर्धन और हर्षवर्धन दो पुत्र थे । राज्यश्री के राजगद्दी पर आने पर गुप्तों के तथा मालव नरेन्द्र गुप्त शशांक ने कन्नौज पर आक्रमण किया और राज्यश्री को कैद कर लिया । इस पर राज्यवर्धन एक बडी सेना लेकर अपनी बहिन की सहायता के लिए कन्नौज पहुचा । शशांक ने युद्ध न करके, राज्यवर्धन को संधि-वार्ता के आमंत्रण का धोखा देकर उसकी हत्या कर दी । भाई की हत्या का समाचार सुनकर राज्यश्री घबडा गई । उसने सती होने का निश्चय किया और विन्ध्याचल के जंगल में चली गई । हर्षवर्धन अब भाई की मृत्यु का बदला लेने कन्नौज पहुचा । हर्षवर्धन स्वयं बहिन की खोज में निकला । शशांक का सामना उसके ममेरे भाई भंडी ने किया । राज्यश्री चिता में प्रवेश करने को जब उद्यत थी, तब हर्षवर्धन ढूंढता हुआ वहां पहुंच गया । राज्यश्री की रक्षा हो गई । भण्डी ने इधर शशांक को हराया । हर्षवर्धन थानेश्वर के साथ-साथ अपनी बहिन का प्रतिनिधि होकर कन्नौज का भी राज्य करने लगा । राज्यश्री निःसंतान थी । हर्षवर्धन ने ६ साल तक विजय-यात्रा की । गुप्त वंश का राजा माधवगुप्त हर्षवर्धन का बालसखा था । अतः गुप्तों की ओर से उसका विरोध नही हुआ । प्राग्ज्योतिष (असम) का राजा भास्कर वर्मा हर्षवर्धन का मित्र हो गया । हर्षवर्धन ने वल्लभि के शासक मैत्रकवंशीय ध्रुवसेन द्वितीय को हराया । फिर उसने मैत्री कर ली और अपनी पुत्री भी उसको विवाह दी ।

चालुक्य वंश पुलकेशी द्वितीय नर्मदा के दक्षिण में चालुक्यवंशी पुलकेशी द्वितीय का शासन था । इसकी राजधानी वातापी (बादामी बीजापुर) थी । पुलकेशी ने पल्लव वंशी महेन्द्रवर्मा को जीतकर कावेरी तक अपना राज्य विस्तार किया था । चोल पांड्य और केरल राज्य तक उसकी अधीनता स्वीकार करते थे । हर्षवर्धन और पुलकेशी द्वितीय के बीच अनेक युद्ध हुए । हर्षवर्धन उसमें सफल नही हुआ । हर्षवर्धन प्रयाग के संगम पर हर पांचवें साल एक बडा मेला लगवाता था जिसमें वह विपुल धन राशि दान करता था । हर्ष ने कन्नौज मे एक महासभा का आह्वान किया था । इसमें राजा महाराजाओं के अतिरिक्त चार हजार बौद्ध भिक्षु और तीन हजार पौराणिक पण्डित सम्मिलित हुए थे ।

ह्यूएन्त्सांग यह चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय में आया था। १४ साल बाद जब स्वदेश लौटा तब यह अपने साथ अनेक मूर्तियों तथा बुद्ध अस्थ्यावशेषों के अतिरिक्त ६५७ संस्कृत के ग्रंथ भी ले गया था। इसकी संग्रहीत सामग्री सिथान नगर के समीप तायेन (करुण-कल्याण) नामक विहार में आज भी विद्यमान है। ह्यूएन्त्सांग ने यहां रहकर भारत से लाये हुए ग्रंथों का २० साल तक चीनी में अनुवाद किया। उसकी समाधि इस विहार से कुछ मील दूर है। इस महायानी ने १२८ देशों की सीमाओं को पार किया और हजारों ग्रंथों का अनुवाद किया। ह्यूएन्त्सांग नालन्दा विश्वविद्यालय में ६ साल रहा था। उस समय वहां दस हजार से अधिक विद्यार्थी अध्ययन कर रहे थे। वहां की एक इमारत नौ मंजिली थी। विद्यार्थियों के छात्रावास थे। हरेक विद्यार्थी का कक्ष अलग अलग था। परन्तु ऐसे भी भवन थे जहां दस हजार छात्र एक साथ बैठकर अध्ययन करते थे। छात्रों को द्वार पण्डित की परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलता था। द्वार पंडित की परीक्षा बड़ी कड़ी थी। २०-३० प्रतिशत ही परीक्षा में उत्तीर्ण होते थे। शिक्षा, निवास, भोजन, वस्त्र सब निःशुल्क थे।

मुस्लिम आक्रमण

भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण ७१२ ई० में हुआ। मुहम्मद बिन कासिम ने ७१२ ई० में सिन्ध और मुलतान को जीता। परन्तु अरब भारत में स्थायी राज्य स्थापित नहीं कर सके। सिन्ध में बौद्धों ने शहर का दरवाजा खोल दिया था अतः महाराजा दाहर को अरबों के हाथों पराजय देखनी पड़ी।

महमूद गजनवी (९९७-१०३० ई०) पिता सुबुक्तगीन की मृत्यु पर यह गजनी की गद्दी पर ९९७ ई० में बैठा। १००० से १०२६ ई० के मध्य इसने भारत पर १७ हमले किए। भारत पर उसके आक्रमण साम्राज्य की स्थापना के लिए नहीं हुए वरन उसका उद्देश्य देश को लूटना था। उसने भारत पर बार बार हमला किया पर अपना राज्य स्थापित करने की उसने कभी कोशिश नहीं की। १०२५ ई० में उसने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कर उसे लूटा।

मोहम्मद गोरी (११८६-१२०६) ११८६ ई० में इसने लाहौर जीता। ११९१ ई० में इसको पृथ्वीराज चौहान ने पानीपत के समीप तरावड़ी में हराया। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज से १७ बार लड़ा और हमेशा हारा। १८वीं बार मोहम्मद गोरी ने धूर्तता से काम लिया और पृथ्वीराज को कैद कर लिया। पर पृथ्वीराज ने अपने सखा कविवर चन्दबरदाई के सहयोग से मोहम्मद गोरी से प्रतिशोध लिया और उसे बाण से मार डाला। पृथ्वीराज चौहान [illegible] धनुर्विद्या में निपुण था।

गुलाम वंश (१२०६-१२९० ई०)

कुतुबुद्दीन ऐबक (१२०६-१२१० ई०) यह मोहम्मद गोरी का एक सेनापति था। गोरी के मरने पर यह [illegible] का शासक हो गया। इसने गुलाम राजवंश की स्थापना की।

अल्तमश (१२१०-१२३६ ई०) यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। यह उत्तरी भारत का [illegible] हो [illegible]।

रजिया बेगम (१२[illegible]-१२४० ई०) यह अल्तमश की लड़की थी। यह [illegible] की मुस्लिम [illegible] शासिका थी।

रजिया के पश्चात ३० वर्ष तक दिल्ली के सिंहासन पर नसीरउद्दीन महमूद शासक रहा। किन्तु वास्तविक शक्ति बलवन के हाथ में थी। १२३६ ई० में बलवन स्वयं मुसलमान बन गया। बलवन को मवात दोआवा एवं आस-पास के क्षेत्रों में हिन्दू जनता के विद्रोह का कठोर दमन करने का श्रेय दिया जाता है। बलवन ने पहली बार दरबार में ईरानी वैभव एवं शिष्टाचार को लागू किया। वस्तुतः बलवन ने डगमगाती हुई दिल्ली सल्तनत को पुनः ठोस आधारों पर खड़ा कर दिया।

खिलजी वंश

अलाउद्दीन खिलजी (१२९६–१३१६ ई०) यह अपने चाचा और श्वसुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके गद्दी पर बैठा। इसके शासन के साथ इस्लामी साम्राज्य का प्रारम्भ हुआ। दक्षिण भारत को पहली बार इसके सेनापति मलिक काफूर ने विजय किया। दक्षिण भारत को लूटकर मलिक काफूर १३११ ई० में दिल्ली लौटा। अलाउद्दीन ने राजपूताना में रणथम्भौर को जीतने के बाद चित्तौड़ पर आक्रमण किया। वह मेवाड़ की महारानी पद्मिनी को चाहता था। १३१३ ई० में जब उसने चित्तौड़ जीता और किले में प्रवेश किया तो वहां उसको एक भी महिला नहीं मिली। रानी पद्मिनी ने एक हजार वीरांगनाओं के साथ जौहरव्रत किया था—चिता में कूदकर भस्म हो गई थी। यह चित्तौड़ का पहला साका के नाम से प्रसिद्ध है। अलाउद्दीन खिलजी हृदयहीन तथा धर्मांध था। अतः प्रजा का प्रेम नहीं प्राप्त कर सका। इसके मरते ही खिलजी साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया।

तुगलक वंश (१३२०-१४१४ ई०)

मोहम्मद तुगलक (१३२५–१३५१ ई०) ग्यासुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना मोहम्मद तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। उसको बुद्धिमान पागल बादशाह कहा जाता है। यह दक्षिण विजय के उद्देश्य से अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद (देवगिरि) ले गया। दिल्ली उजड़ गई। युद्धों का खर्च पूरा करने के लिए इसने ताम्बे के सिक्के चलाये। राजकोष खाली हो जाने पर इसने कर बढ़ाये। किसानों को कुचला। किसान खेत छोड़कर जंगलों में भाग गये। आर्थिक व्यवस्था बिगड़ गई। फलतः जगह जगह विद्रोह हो गये।

फिरोजशाह (१३५१–१३८८ ई०) मोहम्मद तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई फिरोजशाह तुगलक गद्दी पर बैठा। वह कट्टर मुसलमान था। धर्मांध होने से उसने गैर-मुस्लिमों को मुसलमान बनाने के लिए अनेक उपाय बरते। जजिया कर कठोरता से वसूल किया। ब्राह्मण भी इससे मुक्त नहीं रखे गये। तुगलक साम्राज्य में हो रहे विद्रोह को शांत करने में यह सर्वथा असमर्थ रहा। इसके बाद के शासक दुर्बल थे। १३९८ ई० में तैमूरलंग ने दिल्ली को लूटा और कत्लेआम किया। उसने राज्य न किया और लौट गया।

लोदी वंश (१४५१-१५२६)

इस वंश का पहला शासक बहलोल लोदी था। इसके बाद सिकन्दर लोदी (१४८९–१५१७ ई०) हुआ।

इब्राहीम लोदी (१५१७–१५२६ ई०) यह सिकन्दर लोदी का लड़का था। इसको बाबर ने पानीपत के पहले संग्राम में हराया। लोदी राज्य-वंश का १५२६ ई० में अन्त हो गया।

मुगल वंश

बाबर (१५२६–१५३० ई०) बाबर ने मुगल राजवंश की स्थापना की। पानीपत खानवा और घाघरा की लड़ाईयां जीती। पठानों और राजपूतों को हराया। तुर्की में इसने अपना आत्म चरित्र लिखा है।

हुमायूं (१५३०–१५५६ ई०) यह बाबर का बेटा था और शेरशाह सूरी से हारकर ईरान चला गया। शेरशाह की मृत्यु के बाद इसने फिर राज्य कायम किया। अकबर इसका बेटा था।

सूरी राजवंश (१५४०–१५५५ ई०) शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया और भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया। सहसराम (बिहार) में बना इसका मकबरा कला का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। इसकी मृत्यु १५४५ ई० में हुई।

अकबर (१५५६–१६०५ ई०) यह १३ साल की आयु में १४ फरवरी १५५६ ई० को गद्दी पर बैठा। सेनापति बैरमखां ने पानीपत में हिन्दू राजा हेमचन्द्र को १५५६ ई० में हराया। इसके उपरान्त अकबर का राज्य स्थिर हो गया। राजपूतों को अकबर ने पदों का लालच देकर मुगल-साम्राज्य में स्थान दिया किन्तु महाराणा प्रताप आजन्म अकबर से संघर्ष करते रहे। हल्दीघाटी के मैदान में उन्होंने अकबर की सेना से टक्कर लेकर लोहा लिया। वे अकबर के सम्मुख कभी नहीं झुके। अकबर ने दीन ए इलाही मजहब चलाया। वह बहुत ही चालाक शासक था तथा हिन्दुओं को प्रसन्न रखने के लिये उसने कुछ दिनों तक तिलक लगाने व सूर्य को जल देने का नाटक भी रचा। १६०५ ई० में उसकी मृत्यु हो गई।

जहांगीर (१६०५–१६२७ ई०) यह अकबर का पुत्र था। इसके शासन में चित्रकारी और आलेखन में उन्नति हुई। मेहरुन्निसा से विवाह कर उसने उसको नूरमहल और नूरजहां की उपाधि दी थी।

शाहजहां (१६२८–१६५८ ई०) शाहजहां का काल मुगल शासन का स्वर्ण-युग माना जाता है। इसके ही शासनकाल में दीवाने आम दीवाने खास जामा मस्जिद ताजमहल व लाल किला जैसी इमारतें बनीं तथा वास्तु या स्थापत्य-कला ने बहुत प्रगति की।

औरंगजेब (१६५८–१७०७ ई०) खून की नदियां बहाकर भाइयों की हत्या कर तथा अपने वृद्ध पिता शाहजहां को कैद में डालकर यह गद्दी पर बैठा। इसने धर्मांधता की नीति बरती। इसका सारा जीवन हिन्दुओं से लड़ते हुए बीता। शिवाजी ने औरंगजेब से डटकर संघर्ष किया तथा अनेक बार उसके शासन की जड़ें हिला दीं। गुरु गोविन्दसिंह ने भी औरंगजेब के अत्याचारों के विरुद्ध तलवार उठाई। औरंगजेब ने हिन्दुओं से जजिया वसूल किया व उनके धर्मस्थानों के प्रति संकीर्ण नीति अपनाई। सिक्खों के गुरु तेगबहादुर व बन्दा वैरागी की निर्मम हत्या उसकी धर्मांध नीति का ही परिचायक है।

सिक्खों का उत्थान

मध्यम काल में अनेक धार्मिक आन्दोलनों का उद्भव हुआ। इनमें सिक्ख मत का आन्दोलन विशेष महत्वपूर्ण है। इस मत के संस्थापक गुरु नानकदेव थे। उनका उद्देश्य हिन्दू धर्म में आई कुरीतियों को दूर करके उसकी रक्षा करना था। परन्तु राजनीतिक परिस्थितियों के कारण इस मत ने एक सैनिक संगठन का रूप धारण कर लिया। सिक्ख शब्द शिष्य शब्द का अपभ्रंश है। गुरु ग्रंथसाहब में भगवान राम-कृष्ण आदि अवतारों की

प्रशस्ति भरी पडी है। सभी सिख गुरु देवी-देवताओं के आराधक थे तथा हिन्दू धर्म की रक्षा ही उनका उद्देश्य था।

गुरु नानक (१४६६–१५३८ ई०) गुरु नानकदेव का जन्म १४६६ में पश्चिमी पंजाब में ननकाना साहब में हुआ। उनमें बाल्य अवस्था में ही वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई थी। पन्द्रह तीस वर्ष की आयु में उन्होंने ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रारम्भ कर दिया। गुरु नानक एक ईश्वर को मानते थे। उनका विचार था कि ईश्वर प्राप्ति के लिए निरन्तर नाम का जाप करना चाहिए। इसके लिए वे सच्चे गुरु की सहायता प्राप्त करना आवश्यक मानते थे। वे जाति पाँति के विरोधी थे। गुरु नानकदेव ने अपने युग में भक्ति की गंगा प्रवाहित करके आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न की।

गुरु अंगददेव (१५३८–१५५२ ई०) उनका वास्तविक नाम भाई लहना था। वे गुरु नानकदेव के प्रमुख शिष्य थे और उनके बाद गुरु की गद्दी पर आसीन हुए। उन्होंने गुरुमुखी लिपि बनाई और इसमें गुरु नानक की जीवनी गद्य में लिखी जिसे 'जन्म साखी' कहा जाता है।

गुरु अमरदास (१५५२–७४ ई०) यह गुरु अंगददेव के शिष्य थे। उन्होंने गुरु लंगर जारी किया। उन्होंने सिख मत के प्रचार के लिए विभिन्न स्थानों पर केन्द्र स्थापित किए।

गुरु रामदास (१५७४–८१ ई०) इनका वास्तविक नाम भाई जेठा था। इनका जन्म लाहौर में हुआ। इन्होंने सिखों के प्रसिद्ध तीर्थस्थान अमृतसर नगर की नींव रखी।

गुरु अर्जुनदेव (१५८१–१६०६ ई०) यह गुरु रामदास के सबसे छोटे पुत्र थे। इन्होंने अमृतसर को सिखों का तीर्थ स्थान बनाया। आपने 'गुरुग्रंथ-साहब' तैयार कराया जिसमें समस्त गुरुओं की वाणियाँ वर्णित हैं। इनके समय में सिखों ने राजनीति में भाग लेना आरम्भ कर दिया। गुरु अर्जुनदेव को हिन्दू धर्म त्याग कर मुसलमान बनने पर विवश किया गया तथा इंकार करने पर तेल के खौलते कड़ाह में उबाल कर मार डाला गया। गुरुजी शहीद हो गये किन्तु उन्होंने अपने धर्म की रक्षा की।

गुरु हरगोविन्दसिंह (१६०६–१६४५ ई०) गुरु अर्जुनदेव ने मृत्यु से पूर्व अपने उत्तराधिकारी को आदेश दिया कि सिख शस्त्र ग्रहण करें। इन्होंने गद्दी पर बैठते ही 'सच्चे बादशाह' का पद ग्रहण किया। इन्होंने सैनिक वस्त्र धारण किया और सिखों को भी ऐसा करने को प्रोत्साहन दिया। इनको मुगलों के साथ तीन बार युद्ध करना पड़ा जिसमें हमेशा इनकी विजय हुई।

गुरु हरराय (१६४५–१६६१ ई०) यह गुरु हरगोविन्दसिंह के पुत्र थे। इन्होंने औरंगजेब के भाई दाराशिकोह को शरण दी जिससे वह इनसे कुपित हो गया।

गुरु हरकिशन (१६६१–६४ ई०) जब यह गुरु की गद्दी पर बैठे तो इनकी आयु केवल पाँच वर्ष की थी।

गुरु तेगबहादुर (१६६४–७५ ई०) यह गुरु हरगोविन्दसिंह के छोटे पुत्र थे। इनके समय में सिख शक्तिशाली तथा संगठित बन गए। औरंगजेब ने इन्हें दिल्ली बुलाकर इस्लाम स्वीकार न करने पर ११ नवम्बर १६७५ ई० को इनकी निर्ममतापूर्वक हत्या करवा दी।

गुरु गोविन्दसिंह (१६७५–१७०८ ई०) इनका जन्म २६ दिसम्बर १६६६ ई० को पटना में हुआ। जब यह गद्दी पर बैठे तो इनकी आयु केवल ६ वर्ष की थी। इन्होंने मुगलों के अत्याचार के विरोध में सारी आयु धार्मिक युद्ध छेड़े रखा। इन्होंने सिखों का संगठन किया और उन्हें सैनिक शिक्षा दी। प्रत्येक सिख को केश, कंघा, कृपाण, कड़ा और कच्छा पहनने का आदेश दिया। १६९० ई० में मुगल सेनाओं को पराजित किया। १६९५ में उन्होंने राजकुमार

मुअज्जम से युद्ध में विजय प्राप्त की। १६९९ में उन्होंने सिक्खों की एक बड़ी सभा की तथा धर्म के लिए उत्सुक पाँच प्यारों को चुना। उनके दो पुत्रों को सरहिन्द के शासक ने सामान्य ने मुसलमान न बनने पर दीवार में जीवित चुनवा दिया। १७०८ ई० में उन पर एक पठान ने प्राणघातक आक्रमण कर दिया। अपने पुत्रों की मृत्यु के बाद गुरु गोविन्दसिंह स्वर्गवासी हो गए एवं गुरु प्रथा की समाप्ति हो गई।

बन्दा बैरागी — यह राजपूत डोगरा था। यह युवावस्था में ही सन्यासी बन गया। गुरु गोविन्दसिंह ने इसको सिक्खों का सैनिक नेता नियुक्त किया। इसने सरहिन्द को कई युद्ध में भारी पराजय दी। सरहिन्द के शासक से गुरु गोविन्दसिंह के पुत्रों की हत्या का बदला लिया। अन्त में उसे पकड़ने में सफल हुए तथा उसे सख्त यातनाएँ दी। अन्त में उसे मृत्युदण्ड की सजा भी दी। बन्दा बैरागी ने धर्म की रक्षा की किन्तु इस्लाम स्वीकार नहीं किया। बन्दा बैरागी के साथ ही सिक्खों ने एकता पर जोर दी। बाद में सिक्ख संगठन बिखर गया।

महाराजा रणजीतसिंह (१७८०-१८३९ ई०) — १७९९ में उन्होंने लाहौर पर और १८०२ में अमृतसर पर अधिकार कर लिया। १८०६ ई० तक वह पंजाब का एक प्रधान राज्य की सीमा विस्तृत करने में सफल हो गए। १८०९ में हुई अमृतसर की संधि के अनुसार अंग्रेजों से संधि की जिससे सतलुज नदी महाराजा के राज्य की पूर्वी सीमा निश्चित हुई। महाराजा रणजीतसिंह अत्यन्त धार्मिक वृत्ति के व्यक्ति थे। उनके राज्य में कोई गोहत्या नहीं कर सकता था। उनकी यह अभिलाषा थी कि वे पंढरपुर जाकर भगवान विट्ठलदेव की मूर्ति को भेंट करें। उन्होंने अटक (१८१३) मुल्तान (१८१८) कश्मीर (१८१९) और डेरा इस्माइल खां (१८२५) को विजय किया। उनका देहान्त १८३९ ई० में हो गया।

महाराजा रणजीतसिंह के पश्चात कोई ऐसा योग्य व्यक्ति न निकला जो राज्य को सम्भाल सकता। अंग्रेजों ने १८४९ ई० में सिक्खों को पराजित कर सिक्ख राज्य का अन्त कर दिया।

मराठा काल

मराठा शब्द महाराष्ट्र के निवासियों के लिए प्रयोग किया जाता है। मराठों का इतिहास वीरता, दूरदर्शिता तथा साहस का इतिहास है। मराठे सम्बन्ध में कई रणकुशल योद्धा हुए थे। वे स्वभावतः वीर, तेजस्वी तथा नीति कुशल माने जाते हैं। सत्रहवीं शताब्दी मराठों के इतिहास में विशेष महत्वपूर्ण है। इस काल में महाराष्ट्र में समर्थ गुरु रामदास, संत एकनाथ और संत तुकाराम आदि महापुरुषों ने धार्मिक जागृति का अभियान छेड़कर धार्मिक चेतना के साथ साथ स्वधर्म व स्वदेश पर मरने की भावना जागृत की। इन महापुरुषों ने मुगलों के अत्याचारों से त्रस्त जनता में संघर्ष की भावना उत्पन्न की।

शिवाजी का उदय — इसी काल में मराठों को वीर नीति निपुण एवं दूरदर्शी नेता शिवाजी का नेतृत्व प्राप्त हुआ। उनके तेजस्वी व्यक्तित्व ने सभी मराठों को एक सूत्र में संगठित कर दिया। शिवाजी का जन्म १० अप्रैल १६२७ ई० को पूना के निकट शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोंसले बीजापुर के सुलतान की सेना में उच्चाधिकारी थे। शिवाजी की माता जीजाबाई परम आस्तिक हिन्दुत्वाभिमानी नारी थी। वह शिवाजी को प्रतिदिन महाभारत, रामायण व पुराणों की वीर गाथाएं सुना कर उनमें वीरता का भाव भरती थी। जीजाबाई ने बालक शिवा को गो-ब्राह्मण की रक्षा की शपथ दिलाई। शिवाजी पर इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने बाल्यावस्था में ही एक गोहत्यारे कसाई का वध करके गाय की रक्षा की।

जीजाबाई शिवाजी को संघर्षशील नेता बनाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने शिवाजी की शिक्षा दीक्षा का भार कोणदेव नामक एक सुयोग्य ब्राह्मण के हाथों सौंपा। उन्हें शासन प्रणाली व युद्धकला की शिक्षा दी गई। उसी समय समर्थ गुरु रामदास नामक तेजस्वी सन्त धार्मिक प्रचार के साथ-साथ हिन्दुओं में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने में लगे हुए थे। उन्हें एक ऐसे वीर की आवश्यकता थी जो मराठों को संगठित करके विदेशी आक्रामक मुगलों के साम्राज्य से लोहा ले व उसे चकनाचूर करके 'हिन्दवी साम्राज्य' की स्थापना करे। शिवाजी के रूप में उन्हें एक महान शिष्य मिल गया और शिवाजी को समर्थ गुरु के रूप में तेजस्वी महापुरुष का नेतृत्व।

शिवाजी ने अपनी कुलदेवी तुलजा भवानी के सम्मुख प्रतिज्ञा की —"विदेशी आक्रामक म्लेच्छों के शासन को चकनाचूर करने के लिये सतत संघर्षशील रहूंगा तथा हिन्दू साम्राज्य' स्थापित करके ही चैन से बैठ पाऊंगा।' शिवाजी ने मराठों को एकत्र किया तथा छोटी छोटी टोलियां बनाकर नजदीकी दुर्गों पर आक्रमण करके युद्ध का पूर्वाभ्यास प्रारम्भ किया। उन्होंने अल्प समय में ही अपनी शक्ति बना ली। सन् १६४४ ई० में अचानक एक दिन उन्होंने तोरण के दुर्ग पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। शीघ्र ही उन्होंने बीजापुर के दुर्ग रायगढ़ सिंहगढ़-पुरंदर और कल्याण पर अपना अधिकार कर लिया। सन् १६५६ में बीजापुर के सेनापति अफजल खां ने संधि के बहाने शिवाजी की हत्या का षडयन्त्र रचा किन्तु शिवाजी ने गले मिलते समय सतर्क रहकर अफजल खां के वार को असफल कर दिया व उसकी हत्या कर डाली। सन् १६६३ ई० में शिवाजी ने औरंगजेब के सेनापति शाइस्तखां को पराजित किया। औरंगजेब ने जयसिंह के नेतृत्व में सेना भेजी। शिवाजी को उस विशाल सेना के सम्मुख घिर जाना पड़ा। उन्होंने चतुराई से काम लेकर संधि कर ली। जयसिंह के अनुरोध पर शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचे। किन्तु औरंगजेब ने उन्हें दरबार में धोखे से बन्दी बना लिया। शिवाजी चतुराई के साथ मिठाई के एक बड़े टोकरे में छिपकर जेल से बाहर निकल गये। मुक्त हो जाने पर उन्होंने पुनः अपने सभी किलों पर अधिकार कर लिया। १६७४ ई० में उनका राज्याभिषेक किया गया और उन्हें 'छत्रपति' की उपाधि से विभूषित किया गया।

शिवाजी अत्यन्त धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय तथा वीर शासक थे। छापामार युद्ध-नीति के कारण उन्होंने मुगलों को बड़ी-बड़ी सेनाओं को करारी मात दी। शिवाजी अपने धर्मशास्त्रों का निष्ठा के साथ पालन करते थे। इसलिए उन्होंने अपने सैनिकों को शत्रुओं की स्त्रियों में भी माता की भावना रखने का आदेश दिया था। निर्धनों व कृषकों के हित के लिए उन्होंने जागीरदारी प्रथा समाप्त कर दी थी। १३ अप्रैल १६८० ई० को शिवाजी का देहान्त हो गया।

शिवाजी के उत्तराधिकारी

सम्भाजी (१६८०–८९ ई०) शिवाजी का पुत्र सम्भाजी एक अयोग्य और विलासी व्यक्ति था। पिता की मृत्यु के पश्चात जब वह गद्दी पर बैठा तो मराठों का संगठन कमजोर पड़ गया। शिवाजी की मृत्यु के बाद औरंगजेब का ध्यान मराठों की ओर पुनः आकृष्ट हुआ। उसने सम्भाजी पर आक्रमण कर दिया। सम्भाजी और उसका पेशवा पकड़े गये। सम्भाजी में आखिर था तो शिवाजी का ही रक्त। अतः उसका स्वाभिमान जाग उठा और उसने मुगलों को मराठों का कोष बताने से इन्कार कर दिया। बादशाह की आज्ञा से सम्भाजी की निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई।

राजाराम (१६८६–१७०० ई०) सम्भाजी की हत्या के बाद उसके छोटे भाई राजाराम ने अपने को राजा घोषित किया। परन्तु वह भी कोई योग्य शासक नहीं था। मराठा सरदारों ने उसे जिंजी के किले में भेज दिया और मुगलों से युद्ध जारी रखा। सन् १७०० ई० में राजाराम की मृत्यु हो गई।

ताराबाई (१७००–१७०८ ई०) राजाराम के बाद उसकी विधवा रानी ताराबाई ने अपने चार वर्षीय पुत्र को गद्दी पर बैठाकर शासन भार अपने हाथों में ले लिया। उसके समय में मराठों ने बुरहानपुर, सूरत, भड़ौच पर आक्रमण किये।

शाहूजी (१७०८–१४ ई०) १७०८ ई० में सम्भाजी का पुत्र शाहूजी गद्दी पर बैठा। उस समय वह मुगलों की कैद में था। औरंगजेब की मृत्यु पर बहादुरशाह ने उसे रिहा कर दिया। उसने सतारा को अपनी राजधानी बनाया। शाहूजी भी एक अयोग्य शासक था। १७१४ ई० में राज्य पेशवाओं के हाथ आ गया।

पेशवाओं का उत्थान

शिवाजी के उत्तराधिकारियों के अयोग्य होने के कारण पेशवाओं की शक्ति बढ़ गई। शाहू ने सत्तारूढ़ होने के बाद बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा बना लिया और स्वयं निश्चिन्त होकर भोग विलास में मग्न रहने लगा। पेशवा बालाजी विश्वनाथ एक योग्य राजनीतिज्ञ था। उसने सैयद भाइयों की सहायता से मुगल बादशाह फर्रुखसियर को मरवा दिया। सैयद भाइयों ने जो प्रदेश शिवाजी के समय मराठों से जीते थे वे पुनः पेशवा को लौटा दिये।

बाजीराव प्रथम (१७२०–४० ई०) पेशवाओं के पैतृक अधिकार के कारण बालाजी बाजीराव की मृत्यु पर उसका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बना। उसकी यह हार्दिक आकांक्षा थी कि हिन्दू राज्य का झंडा अटक से कृष्णा नदी तक फहरा उठे। उसने १७२४ में मालवा पर अधिकार किया। १७२८ ई० में उसने निजाम को पराजित किया। उसने गुजरात और मालवा पर विजय प्राप्त की और बुन्देलखंड जीतकर बुन्देलों को दे दिया। उसने मुगलों और निजाम की संयुक्त सेना को १७३८ ई० में पराजित किया जिसमें उसे ५० लाख रुपया हर्जाना और मालवा तथा नर्मदा और चम्बल के मध्य की भूमि पर अधिकार प्राप्त हुआ। १७३६ ई० में उसने पुर्तगालियों पर हमला किया और उनसे कुछ क्षेत्र छीन लिये। उसने मराठा संघ की स्थापना की। १७४० ई० में उसका निधन हो गया।

बालाजी बाजीराव (१७४०–६१ ई०) बाजीराव की मृत्यु पर उसका पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा बना। उस समय उसकी आयु १९ वर्ष की थी। १७४९ में शाहूजी की मृत्यु पर वह स्वयं राजा बन बैठा और अपनी राजधानी पूना में बनाई। उसने उड़ीसा पर अधिकार कर लिया। बालाजी बाजीराव के चचेरे भाई सदाशिवराव ने १७५८ में हैदराबाद के निजाम को उदगीर में परास्त किया जिससे मराठों को बीजापुर का बहुत सा प्रदेश एवं बुरहानपुर व असीरगढ़ के किले प्राप्त हुए। मराठों ने अब लगभग सारे भारत से चौथ वसूल की। परन्तु उनकी १७६१ ई० में विदेशी आक्रमणकारी अब्दाली के हाथों भयंकर पराजय हुई। इस युद्ध ने मराठों का भारत में हिन्दू साम्राज्य स्थापित करने का स्वप्न सदा के लिए ध्वस्त कर दिया। इस पराजय से बालाजी बाजीराव के हृदय पर गहरा आघात लगा और १७६१ ई० में उनकी मृत्यु हो गई।

माधवराव (१७६१–७२ ई०) माधवराव पेशवा १६ वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। पानीपत की पराजय से हैदराबाद का निजाम, मैसूर का हैदरअली व अंग्रेज मराठों को तुरन्त

समय कर अपनी अपनी शक्ति बढाने में लगे थे। परन्तु माधवराव ने वही युद्ध और वही नीति से सबको अपने वश मे कर लिया। माधवराव ने वे सभी प्रदेश पुन हस्तगत कर लिये जो पानीपत के युद्ध से पूव मराठो के पास थे। माधवराव ने जाटो, राजपूता और रुहेलो से भी चौथ वसूल की। १७७१ म उसने मुगल गद्दी के उत्तराधिकारी शाह आलम को देहली मे सना भेजकर गद्दी पर बठाया। १७७२ ई० मे २८ वष की अल्पायु म माधवराव की मृत्यु हो गई।

मराठों का पतन

माधवराव के कोई पुत्र न था। अत उसकी मृत्यु के पश्चात उसके भाई नारायणराव को पेशवा बनाया गया। परन्तु उसके चाचा नारायण ने १७७३ म षडयन्त्र द्वारा उसकी हत्या करा दी। मराठा सरदारो ने नारायण को पेशवा मानने मे इनकार कर दिया और १२ व्यक्तियो की एक शासनकर्तृ समिति बनाई जिसने शासन की बागडोर सभाल ली।

बाजीराव द्वितीय (१७६६–१८१८ ई०) माधवराव द्वितीय भी नि सन्तान ही मर गया। इस कारण पेशवा पद के लिए फिर झगडा उत्पन्न हो गया। नाना फडनवीस न रघुनाथ राव क पुत्र बाजीराव को पेशवा बना दिया लेकिन वह स्वय सर्वेसर्वा बना रहा और टीपू सुल्तान को पराजित किया। १७६५ म उसने हैदराबाद के निजाम को पराजित किया। १७६४ ई० मे मराठा के प्रसिद्ध सरदार महादजी सिंधिया की मृत्यु हो गई। सन १८०० ई० मे नाना फडनवीस भी मृत्यु-ग्रस्त हो गये। नाना फडनवीस की मृत्यु के पश्चात छोटे छोटे सरदारो की फूट को कोई न रोक सका और मराठा की शक्ति भी समाप्त हो गई। अब पेशवा के पद के लिए झगडा उठ खडा हुआ। जसवन्तराव होल्कर ने अमृतराव को पेशवा घोषित किया। बाजीराव द्वितीय ने पूना से भागकर अग्रेजो की शरण ली। अग्रेजा न उसके साथ सन १८०२ ई० म बसीन की सधि की और उसे पुन पेशवा बना दिया। परन्तु उस पर अग्रेजो का प्रभुत्व छा गया। इस प्रभुत्व से मुक्त होने के लिए उसको अग्रेजो से १८१७ ई० म युद्ध करना पडा। युद्ध म उसकी हार हुई और अग्रेजा न मराठा राज्य छीन लिया। पेशवा को ८ लाख की वार्षिक पेंशन और छोटी सी जागीर दे दी गई। इस प्रकार मराठो के इतिहास का अन्त हो गया।

अग्रेजो का अधिकार

अग्रेजो ने भारत म व्यापार करने की आड लेकर ईस्ट इडिया कम्पनी की स्थापना करके पैर जमाये और धीरे धीरे उन्होंने देश पर अपना अधिकार जमा लिया।

ब्रिटेन ने भारत पर आधिपत्य करने के बाद क्लाइव को बगाल के शासन का प्रमुख बनाया। सन १७५७ ई० म क्लाइव न प्लासी के युद्ध म सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। इस विजय ने क्लाइव को भारत म ब्रिटिश राज्य के सस्थापक के रूप मे चर्चित कर दिया।

भारत के गवर्नर जनरल

ब्रिटेन ने भारत म अपना पहला गवनर जनरल वारेन हेस्टिंग्ज (१७७४–१७८५ ई०) को नियुक्त किया। उसने बगाल, अवध और निजाम को ब्रिटिश शासन मे मिलाया। वारेन हेस्टिंग्ज के बाद लार्ड डलहौजी (१८४८–१८५६ ई०) गवनर जनरल बना। उसने पजाब, दक्षिणी बर्मा को ब्रिटिश शासन म मिलाया। उसके समय म ही भारत म रेलवे लाइन बननी प्रारम्भ हुई, डाक-तार घर खोले गए।

लार्ड डलहौजी के बाद लार्ड केनिंग (१८५६–५८ ई०) गवनर जनरल बना। भारत की स्वाधीनता के लिए प्रथम सग्राम १८५७ म इसी के समय मे प्रारम्भ हुआ। १८५७ के

आन्दोलन के विफल हो जाने पर भारत का शासन महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया। बाद में गवर्नर जनरल को वायसराय का नाम दिया गया।

वायसराय

लार्ड कैनिंग (१८५८–१८६२ ई०) ने भारत में ब्रिटिश शासन का पुनर्गठन किया।

लार्ड रिपन (१८८०–१८८४ ई०) ने भारतीय समाचारपत्र कानून रद्द किया। स्थानीय शासन कानून बनाया। शिक्षा के प्रसार की ओर ध्यान दिया गया तथा कारखानों के मज़दूरों की रक्षा के लिए फैक्टरी कानून बनाया।

लार्ड कर्ज़न (१८९९–१९०५ ई०) ने तिब्बत को पराजित करके अंग्रेजों को उसकी परराष्ट्र नीति का भार सौंपा। उसने कबाइली इलाके की रक्षा के लिए कबाइली सेना गठित की। १९०५ ई० में उसने बंगाल को विभक्त किया। जब देश में बंग विभाजन के विरोध में जनरोष भड़का तो १९११ ई० में उसे रद्द कर दिया गया।

लार्ड मिंटो (१९०५–१९१० ई०) ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली मान्य करके मुसलमानों में पृथकता के बीज बोए जिसके कारण पाकिस्तान की योजना बनी।

लार्ड हार्डिंग (१९१०–१९१६ ई०) जार्ज पंचम के राज्याभिषेक के समय दिल्ली में जशन मनाया गया तथा लार्ड हार्डिंग की शोभा यात्रा निकाली गई। दिल्ली चांदनी चौक में शोभा यात्रा पर क्रान्तिकारियों ने बम फेंक दिया। लार्ड हार्डिंग सौभाग्य से बच गया।

लार्ड चेम्सफोर्ड (१९१६–१९२० ई०) ने इण्डिया एक्ट १९१९ बनाया। रौलट एक्ट, मार्शल ला और असहयोग आन्दोलन लार्ड चेम्सफोर्ड के समय की मुख्य घटनाएं हैं।

लार्ड रीडिंग (१९२१–२६ ई०) के समय में गांधीजी के नेतृत्व में प्रिंस आफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार किया गया। सविनय कानून भंग आंदोलन चला तथा विदेशी माल के बहिष्कार का आंदोलन भी उसी के समय में चला।

लार्ड इरविन (१९२६–१९३० ई०) गांधीजी के नेतृत्व में लाहौर कांग्रेस ने भारत के लिये पूर्ण स्वराज्य घोषित किया तो नमक कानून भंग के साथ-साथ सामूहिक कानून भंग आन्दोलन ने जोर पकड़ लिया। गांधी जी ने डांडी में नमक कानून भंग किया। मार्च १९३१ ई० में लार्ड इरविन ने आन्दोलन की व्यापकता देखकर गांधीजी से समझौता किया तब जाकर यह आन्दोलन समाप्त हुआ।

लार्ड विलिंगडन (१९३१–१९३६ ई०) के समय १९३१ ई० में दूसरा व तीसरी गोलमेज कान्फ्रेंस हुई। उसी के आदेश पर कांग्रेस का प्रबंध घोषित किया गया। रैम्जे मैकडानल्ड के साम्प्रदायिक निर्णय की घोषणा के विरोध में गांधीजी ने आमरण अनशन किया।

लार्ड लिनलिथगो (१९३६–४३ ई०) ने प्रान्तों में इण्डिया एक्ट १९३५ ई० लागू कराया तथा चुनाव होने पर देश के ८ प्रान्तों में कांग्रेसी मन्त्रिमंडल बने। लार्ड लिनलिथगो द्वारा अड़ंगे व असहयोग की नीति अपनाये जाने पर १९३९ ई० में कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों ने त्यागपत्र दे दिया। ८ अगस्त १९४२ ई० को कांग्रेस ने बम्बई में भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात किया तो लार्ड लिनलिथगो ने दमनचक्र प्रारम्भ करके भारतीय जनता पर अत्याचार कराये।

लार्ड वेवल (१९४३–४७ ई०) के समय में ९ दिसम्बर १९४६ ई० को संविधान परिषद् की पहली बैठक डा० राजेन्द्रप्रसाद की अध्यक्षता में हुई। मुस्लिम लीग ने बैठक का

बहिष्कार किया तथा भारत विभाजन की माग की। जिन्ना आदि ने स्पष्ट घोषणा की कि मुसलमान अलग राष्ट्र है तथा वह किसी भी कीमत पर हिंदुओं के साथ रहने को तैयार नहीं है। इसी काल म आजाद हिंद फौज के तीन जनरलो पर लालकिले म मुकदमा चला।

लार्ड माउण्टबेटन (१३ मार्च १९४७ ई० से १४ अगस्त १९४७ ई०) ३ जून १९४७ ई० को भारत विभाजन की घोषणा की गई। १८ जुलाई को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट पास कर दिया। १५ अगस्त १९४७ ई० को विधिवत भारत को विभक्त करके पाकिस्तान की घोषणा कर दी गई।

भारत संघ के वैधानिक गवर्नर जनरल

लार्ड माउण्टबेटन (१५ अगस्त ४७ से २० जून ४८ तक) **श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी** (२१ जून ४८ से २५ जनवरी ५० तक)।

भारत गणराज्य के राष्ट्रपति

भारत के प्रथम राष्ट्रपति **डा० राजेन्द्रप्रसाद** चुने गये। २६ जनवरी १९५० ई० से १९६२ ई० तक वे इस पद पर आसीन रहे। उनके बाद उपराष्ट्रपति **डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन** मई १९६२ में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। उन्होंने अप्रैल १९६७ तक इस पद को प्रतिष्ठित किया। अप्रैल १९६७ ई० म **डा० जाकिरहुसैन** राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। ३ मई १९६९ ई० को उनका अचानक निधन हो गया। भारत के चौथे राष्ट्रपति **डा० वी० वी० गिरि** निर्वाचित हुए।

: ४ :

स्वाधीनता संग्राम का संक्षिप्त इतिहास

भारत पर सबसे पहले मुसलमानो ने आक्रमण किया तथा उन आक्रमणो का भारतीय जनता ने डटकर प्रतिकार किया। किन्तु भारत के राजा-महाराजाओ की आपसी फूट का आक्रामको ने लाभ उठाया और उनका शासन देश पर स्थापित हो गया।

अकबर के शासनकाल म जहा महाराणा प्रताप देश की स्वाधीनता के लिए सघष करत रहे वहा औरगजेब आदि मुस्लिम बादशाहो के शासन के विरुद्ध एक ओर छत्रपति शिवाजी न तो दूसरी ओर सिख नेता गुरु गोविन्दसिंह, बन्दा बरागी आदि ने सघष किया। मुगल शासको से देश को स्वाधीन कराने के लिए देश म प्रतिक्षण स्वाधीनता सग्राम चलता ही रहा। भारतीय रणबाकुरो ने विदेशी आक्राता शासको को चन से कदापि नही बठने दिया।

मुगलो के शासनकाल म ही अग्रेजो न भारत में व्यापार की आड म अपने पाव जमाने प्रारम्भ किये। उन्होने व्यापारिक सुविधा के नाम पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना की। अग्रेज कम्पनी के नाम पर छोटे छोटे राजाओ म फूट डालकर उन्हें लडाते रहे व सम्पूण देश पर शासन करने का षडयत्र रचते रहे। अन्त म चालाक अग्रेज आपसी फूट का लाभ उठाने मे सफल हुए और उन्होने भारत पर कब्जा कर लिया।

१८५७ का स्वातन्त्र्य समर

देश की बागडोर छल-बल से अपने हाथो म लेते ही देश को सदव के लिए गुलाम बनाये रखने के लिए अग्रेजो ने शिक्षा पद्धति म परिवतन किया तथा 'फूट डालो और राज्य करो' का सूत्र अपनाकर देश की जनता को लडाने का षडयन्त्र रचा। स्थान-स्थान पर गोहत्या को प्रोत्साहन देकर हिंदू मुस्लिम झगडे प्रारम्भ करा दिये गये।

१८५१ ई० म जब बाजीराव पेशवा का देहात हुआ तो अग्रेजो ने उनके दत्तक पुत्र नाना को गद्दी पर बठाने से इनकार कर दिया। १८५६ ई० म झासी के महाराजा गगाधर-राव का देहात हुआ तो उनके दत्तक पुत्र दामोदर के राज्याभिषेक म भी अग्रेजो न बाधा डाली। फिर क्या था सुसुप्त चिनगारी भडक उठी। झासी की महारानी लक्ष्मीबाई न उद्घोष किया—'मेरी झासी, फिरगी को नही दूगी। महारानी लक्ष्मीबाई रणचडी का रूप धारण करके रणागण म कूद पडी और अग्रेजो से प्रबल सघष किया। उधर नाना साहब पेशवा आदि ने स्वाधीनता सग्राम की तयारिया प्रारम्भ कर दी। चारो ओर अग्रेज शासको के विरुद्ध वातावरण बनने लगा।

प्रथम आहुति

१८५७ के स्वातन्त्र्य समर के महान् यज्ञ म पहली आहुति दी युवा सनिक वीर मगल पाण्डे ने। अग्रेज हिंदू सनिको का धम भ्रष्ट करने की दष्टि स कारतूसा म गाय की चर्बी लगाते थे। जसे ही सनिको को यह पता चला कि अग्रेज उनका धम भ्रष्ट करने पर तुले हुए हैं कि उनके अदर रोष व क्षोभ की भावना व्याप्त हो गयी। एक दिन अचानक एक सनिक मगल पाण्डे ने सेना की परेड म खुला विद्रोह कर दिया और घोषणा की—गोमाता की चर्बी स बने कारतूस को मुह लगाकर अपना धम भ्रष्ट कदापि नही करेंगे। मगल पाण्ड स जब राइफल रख देने के लिए कहा गया तो उस तेजस्वी वीर सेनानी ने अग्रेज साजेंट पर आक्रमण करके उसे जान से मार डाला। मगल पाडे को गिरफ्तार कर लिया गया। सनिक अदालत ने उस मौत की सजा दी और इस प्रकार १८५७ ई० के स्वातन्त्र्य युद्ध के महान यज्ञ म पहली आहुति उस वीर ने दी।

वीर मगल पाड का बलिदान रग लाया और सना म विद्रोह की भावना फलती गयी। मगल पाडे के बलिदान के बाद ६ मई १८५७ ई० को मेरठ छावनी के ६० घुडसवार सनिको ने गाय की चर्बी लगे कारतूसा को छूने तक से इकार कर दिया। परिणामस्वरूप उन्हें बदी बना लिया गया। सनिक अदालत ने उन्हे दस दस वष की सजाए सुना दी।

भारतीय सिपाहिया न सगठित होकर क्राति का बिगुल बजा दिया। उन्होन १० मई को मेरठ के तोपखाने व शस्त्रागार पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। सनिको ने मरठ स दिल्ली की ओर कूच कर दिया और १५ मई को दिल्ली पहुच कर अग्रेजा स जमकर लोहा लिया व उनके पर उखाड दिये। एक बार पुन बहादुरशाह जफर को दिल्ली के तख्त पर बठा दिया गया।

मेरठ क बाद कानपुर इलाहाबाद झासी लखनऊ बरेली अलीगढ आदि म भी अग्रजो का कत्लेआम प्रारम्भ हो गया। ३१ मई तक समस्त उत्तर प्रदेश क्राति की ज्वाला मे धधकने लगा। कानपुर म नाना साहब ने अग्रजो का खदेडकर शासन पर अधिकार कर लिया। तात्या टोपे आदि ने उनके साथ कधे से कधा मिलाकर सघष किया। उधर झासी की महारानी लक्ष्मीबाई के अग्रेजा से युद्ध करते समय बलिदान हो जाने से समस्त देश म नई चेतना उत्पन्न हुई। दूसरी ओर बिहार के वीर राजा कुवरसिंह और नाना साहब तात्या टोप आदि ने फिरगिया के विरुद्ध नतत्व करके जनता म स्वाधीनता की भावनाए भरी। स्थान-स्थान पर अग्रेजा का कत्ल आम प्रारम्भ कर दिया। अग्रेजा न दमन व अत्याचार का सहारा लेकर स्वाधीनता की इस चिनगारी को बुझाने का भरसक प्रयास किया किन्तु देश के कोने-कोने से निकालो फिरगी को की आवाज और भी तेजी स गूज उठी। कुछ भारतीय सनिको द्वारा ही अग्रजो को सहयोग दिये जाने के परिणामस्वरूप समस्त भारत पर पुन अग्रेजा का साम्राज्य स्थापित हो गया। अग्रेज इस बार क्राति को दबाने म सफल हो गये। स्थान स्थान पर क्रान्तिकारिया को सामूहिक रूप से फासी पर लटकाया गया तापो के मुह से बाधकर उडाया गया।

कूकों का बलिदान

सन १८७२ ई० म नामधारी सिखा के नेता कूका सत्गुरु रामसिंह ने देश से अग्रेजी साम्राज्य को उखाडने के लिए अभियान प्रारम्भ किया। असहयोग आदोलन का सूत्रपात भी कूका न ही किया। स्वदेशी का प्रयोग करके उन्होने जनता म राष्ट्रीय भावनाए उत्पन्न

की। सरकार कूको के इस अभियान से बौखला उठी। उसने उन पर अनेक प्रतिबंध लगा दिये। मलेरकोटला में कुछ कसाइयों ने गोहत्या कर दी तो धर्माभिमानी कूका न यह सहन नहीं किया तथा उन्होंने कसाइयों का वध कर डाला। अंग्रेजों को मौका मिल गया और उन्होंने अनेक कूका वीरों को फांसी पर लटका दिया। ८८ कूका को तोपों के मुंह से बांधकर उडा दिया गया। सदगुरु रामसिंह को जेल में डालकर उन पर अमानवीय अत्याचार किये गये।

कांग्रेस की स्थापना

सन् १८८५ ई० में मि० ह्यूम नामक अंग्रेज ने कांग्रेस की स्थापना की। २७ दिसम्बर १८८५ ई० को बम्बई में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। कुछ ही समय में कांग्रेस में देश के अनेक प्रमुख नेता शामिल हो गये। पंडित मदनमोहन मालवीय, लाला लाजपतराय, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, विपिनचन्द्र पाल, महात्मा गांधी, अजमल खां आदि ने जैसे ही कांग्रेस में प्रवेश किया वैसे ही कांग्रेस ने राष्ट्रीय रूप धारण कर लिया। अंग्रेजों ने बंगाल का बंटवारा किया तो कांग्रेस ने उसका प्रबल विरोध किया। कुछ ही समय में कांग्रेस में दो दल बन गए एक का नाम था 'गरम दल' और दूसरे का 'नरम-दल'। गरम दल में लोकमान्य तिलक, विपिनचन्द्र पाल एवं लाला लाजपतराय आदि थे। नरम दल में मोतीलाल नेहरू, मदनमोहन मालवीय, दादाभाई नौरोजी, गोपालकृष्ण गोखले आदि थे। लोकमान्य तिलक ने 'केसरी' के माध्यम से जनता में स्वाधीनता की भावनाएं उत्पन्न करने का अभियान चलाया। दूसरी ओर पंजाब में लाला लाजपतराय ने अपने लेखों के माध्यम से जनता में स्वाधीनता की चिनगारी प्रज्जवलित की।

बंग भंग का विरोध करने के लिए बंगाल से स्वदेशी आन्दोलन का सूत्रपात हुआ। कांग्रेस के गरमदलीय नेताओं की अपील पर जनता ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार प्रारम्भ कर दिया। बंगाल में प्रारम्भ हुआ यह स्वदेशी आन्दोलन कुछ ही समय में समस्त देश में फैल गया। उधर दूसरी ओर पंजाब में अंग्रेजों ने दमनचक्र को और कडा कर दिया। लाला लाजपतराय ने दमनकारी प्रवृत्ति का खुलकर विरोध किया। लालाजी के ओजस्वी भाषणों व लेखों ने न केवल पंजाब में अपितु समस्त देश में खलबली मचा दी। अंत में सरकार ने उन्हें बंदी बना लिया। उधर महाराष्ट्र में श्री लोकमान्य तिलक को बंदी बना कर मांडले जेल में नजरबंद कर दिया गया।

गांधीजी का सत्याग्रह

दक्षिण अफ्रीका में गांधीजी ने गोरों द्वारा कालों पर विशेषकर भारतीयों के साथ, किये जाने वाले भेदभाव व अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई। गोरों ने उन पर आक्रमण भी किये किन्तु गांधीजी ने अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन जारी रखा। उन्हें बंदी बनाया गया। जेल से छूटते ही उन्होंने सत्याग्रह प्रारम्भ कर दिया। सत्याग्रह की व्यापकता से अंग्रेजों को झुकना पडा। सत्याग्रह की सफलता के बाद गांधीजी अफ्रीका से भारत वापस आ गये। श्री गोपालकृष्ण गोखले की प्रेरणा से वे कांग्रेस में शामिल हो गये। गांधीजी ने भारत की जनता को अफ्रीका में अंग्रेजों द्वारा की गई ज्यादतियों व भेदभाव की नीति से अवगत कराया।

प्रथम महायुद्ध

सन् १९१४ ई० में यूरोप में युद्ध प्रारम्भ हो गया। अंग्रेज भी उस युद्ध में कूद पडे। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं ने अंग्रेजों को युद्ध में सहायता देने की घोषणा की तो गरम दल

वे नेताओ ने इसका बडा विरोध किया। लाला लाजपतराय ने स्पष्ट घोषणा की कि 'अग्रेज हमारे शत्रु हैं, अत हमे उनकी किसी भी प्रकार की सहायता नहीं करनी चाहिये।' देश का अधिकाश जनता की यही आकाक्षा थी कि किसी भी प्रकार से अग्रेजा की पराजय होनी चाहिए जिससे उनकी शक्ति क्षीण हो और वे देश से भगाये जा सकें।

विदेशो मे क्रान्ति की ज्वाला

इधर लोकमान्य तिलक आदि देश म जनता को अग्रेजा के विरुद्ध विद्रोह के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे उधर श्री तिलक की प्रेरणा से महाराष्ट्रीय युवक विनायक दामोदर सावरकर लन्दन पहुचकर सशस्त्र क्राति की ज्वाला धधकाने म सलग्न थे।

इगलड म भारतीय देशभक्त श्री श्यामजीकृष्ण वर्मा ने 'इडिया हाउस' को भारतीय क्रातिकारियो का एक केन्द्र बनाया हुआ था। सावरकर भी इडिया हाउस म ही रहकर युवको का सगठन कर रहे थे। लन्दन म भाई परमानन्द सेनापति बापट मदनलाल ढीगरा श्री रास बिहारी बोस लाला हरदयाल आदि देश की स्वाधीनता के लिए प्रयत्नशील थे। उन्होने भी इण्डिया सोसायटी नामक सस्था खोल रखी थी।

सबसे पहले इगलड म वीर सावरकर लिखित '१८५७ का भारतीय स्वातन्त्र्य समर ग्रथ ने खलबली मचायी। अग्रजा ने इस ग्रथ को प्रकाशित होने से पूर्व ही जब्त कर लिया। सावरकर की प्रेरणा पर १ जुलाई १६०६ ई० को लन्दन म भारतीय युवक श्री मदनलाल ढीगरा ने सर कर्जन वायली को भरी सभा म गोली से उडा दिया तथा गुनहगार अपना ग्राम म बक्तव्य दिया तो समस्त विश्व का ध्यान भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन की ओर आकर्षित हुआ। अग्रेज सावरकर को बन्दी बनाने के लिये तत्पर हो गय।

इधर १६ अप्रल १६०६ ई० को नासिक के अग्रज जिलाधीश मि० जक्सन को १६ वर्षीय बालक कान्हेर ने गोली से भून डाला। इस काड के सम्बन्ध म सावरकर के बड भाई श्री गणेश दामोदर सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया। १३ मार्च १६१० ई० को लन्दन के रेलवे स्टेशन पर श्री सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया। बन्दी बनाकर भारत लाये जाते समय सावरकर जलयान से समुद्र म कूद पड़ किन्तु उन्हे फास के किनारे पर पुन पकड लिया गया और भारत लाकर दो आजन्म कारावासा का दण्ड देकर अण्डमान भेज दिया गया। वीर सावरकर ने पूरे १३ वर्षों तक अण्डमान म यातनाए सहन की। इसी काल म रासबिहारी बोस लाला हरदयाल राजा महेन्द्रप्रताप सरदार अजीतसिंह आदि ने विदेशो म गदरपार्टी के माध्यम से सशस्त्र क्राति द्वारा देश को स्वाधीन कराने का अभियान चलाया।

देश की अधिकाश जनताका यह विश्वास बन चुका था कि अत्याचारी व साम्राज्य वादी अग्रेजा को सशस्त्र क्राति से ही देश से खदेडा जा सकता है। इसलिए स्थान-स्थान पर पुन सशस्त्र क्रातिकारियो के सगठन बने तथा वहा खुदीराम बोस ने तो कही हेमू कालानी ने और कही बब्बर अकालिया ने अग्रजा की हत्या की। युवको म शहीद हाने की होड लग गई।

लार्ड हार्डिंग पर बम

राजधानी दिल्ली म लार्ड हार्डिग की शोभा यात्रा का आयोजन था। २३ दिसम्बर १६१२ ई० को जस ही लार्ड की शोभा-यात्रा चान्दनी चौक से गुजर रही थी कि उस पर एक बम फेंका गया। लार्ड तो बच गये किन्तु उनके पीछे बठा अगरक्षक मारा गया। इस घटना से समस्त विश्व का ध्यान भारतीय स्वाधीनता आदोलन की ओर आकर्षित हुआ। दिल्ली षडयन्त्र

केस के नाम से १३ क्रान्तिकारियों पर केस चलाया गया। अवधबिहारी, मास्टर अमीरचन्द भाई बालमुकुन्द और बसन्तकुमार को तो फांसी पर लटका दिया गया बाकी ६ को आजीवन कारावास का दण्ड दिया गया। श्री रासबिहारी बोस पर भी अभियोग था, किन्तु वे पुलिस के हाथ नहीं आये तथा विदेश चले गये। उधर लाला हरदयाल के नेतृत्व में विदेशों में अमेरिका में बसे भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की। भारत की स्वाधीनता के प्रचार के लिए अमेरिका से 'गदर' नामक एक पत्र भी निकाला गया। स्थान-स्थान पर प्रवासी भारतीयों ने चन्दा एकत्रित किया तथा क्रांतिकारी योजना के लिए भारी मात्रा में धन भेंट किया। गदर पार्टी ने जहां विदेशों से भारत को गुप्त रूप से शस्त्र भिजवाये वहां बम आदि बनाने का प्रशिक्षण देकर युवकों को भारत भेजा गया। भारत में क्रांति की पुनः योजना बनाई गई। काशी को केन्द्र बनाकर क्रान्तिकारियों ने अपनी गतिविधियां प्रारम्भ की। अनेक क्रांतिकारियों ने गुप्त रूप से सैनिक छावनियों में पहुंचकर सैनिकों से सम्पर्क स्थापित किया तथा उनमें देशभक्ति व स्वाधीनता की भावनाएं जागृत की। मराठा युवक श्री विष्णु गणेश पिंगले ने अमरीका से भारत आकर इस योजना में भाग लिया। इसी बीच कुछ सरकारी भेदिये क्रांतिकारियों में आ मिले और एक दिन उन्होंने श्री पिंगले को मेरठ छावनी में कुछ बमों के साथ रंगे हाथों पकड़वा दिया। पुलिस ने भेदिये के आधार पर अनेक स्थानों पर छापे मारे तथा अनेक क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकार से एक बार पुनः क्रांति की योजना विफल हो गई। सरकार ने पिंगले व अन्य क्रांति-वीरों को फांसी देकर आतंक फैलाने का पूरा प्रयास किया।

काले कानून का विरोध

क्रांतिकारी आन्दोलन को दबाने के बाद अंग्रेजों ने सन् १९१८ ई० में रौलट एक्ट बनाकर जनता को और भी अधिक बेड़ियों में जकड़ दिया। कांग्रेस के गरम दल के नेताओं ने इस काले कानून का डटकर विरोध किया। इसी बीच श्री लोकमान्य तिलक ने उद्घोष किया—स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है तथा उसे प्राप्त करके ही दम लेंगे। लोकमान्य तिलक के इस उद्घोष ने समस्त देश में नई चेतना व जागृति उत्पन्न कर दी। उधर गांधीजी ने सत्याग्रह आन्दोलन छेड़ दिया। जगह-जगह हड़तालें हुई विदेशी माल की होली जलाई गई।

जलियांवाला कांड

रौलट एक्ट का समस्त देश में भारी विरोध किया गया। १३ अप्रैल १९१९ ई० को अमृतसर में बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। सभा में काले कानून को एक कलंक बताया गया। इसी बीच अंग्रेज अधिकारी डायर ने जलियांवाला बाग को सशस्त्र सैनिकों द्वारा चारों ओर से घिरवा दिया। जलियांवाला बाग के द्वार पर मशीनगनें व राइफलें लगवा दी गयी। डायर ने सभा में शान्त बैठे श्रोताओं पर गोलियों की बौछार प्रारम्भ करा दी। छोटे छोटे बच्चों, वृद्धों व महिलाओं तक को बुरी तरह से गोलियों से भून डाला गया। जब निहत्थे लोगों ने बाग के पास की एक गली में शरण लेने का प्रयास किया तो गोरों ने उनका पीछा करके उनकी निर्ममतापूर्वक हत्या कर डाली। इस हत्याकांड में सैकड़ों जानें गयीं तथा सैकड़ों को घायल होना पड़ा। जलियांवाला बाग का समाचार फैलते ही समस्त देश में जगह जगह रोषपूर्ण सभाएं व प्रदर्शन किये गये।

काकोरी कांड

जलियांवाला कांड ने युवकों के हृदय को विद्रोह व विक्षोभ से भर दिया। सरदार

भगतसिंह, चन्द्रशेखर आजाद आदि ने सशस्त्र क्रांति द्वारा देश को स्वाधीन कराने की प्रतिज्ञा ली। क्रांति के लिए धन प्राप्त करने के उद्देश्य से सन् १९२५ ई० में सरकारी खजाना को लूटने की योजना बनाई गई। उत्तर प्रदेश के काकोरी (शाहजहांपुर) स्टेशन के पास ट्रेन में ले जाये जा रहे सरकारी खजाने को लूटा गया। इस संबंध में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, ठाकुर रोशनसिंह एवं राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी को फांसी पर लटका दिया गया तथा अन्य अनेक क्रांतिकारियों को कालापानी भेजा गया।

साइमन कमीशन का विरोध

भारतीय जनता के क्षोभ को शांत करने के लिए सन् १९२८ ई० में इंग्लैंड से सर जान साइमन के नेतृत्व में साइमन कमीशन भारत भेजा गया। यह घोषणा की गयी कि कमीशन भारतीय जनता के क्षोभ के कारणों का अध्ययन करके उनकी समस्याओं के हल के लिए सुझाव देगा। कांग्रेस ने कमीशन के बहिष्कार की घोषणा कर दी। कमीशन के सदस्य जहां भी गये उन्हें काले झंडे दिखाए गए तथा साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गये। ३० अक्तूबर १९२८ ई० को जैसे ही कमीशन लाहौर पहुंचा कि लाला लाजपतराय के नेतृत्व में जनता ने कमीशन को काले झंडे दिखाने के लिए एक जुलूस निकाला। अंग्रेज अधिकारियों ने पुलिस को जुलूस पर अंधाधुंध लाठियां बरसाने का आदेश दिया। पुलिस ने जनता पर तथा विशेषकर लाला लाजपतराय पर अमानुषिक ढंग से लाठियां बरसाई। लालाजी पर बुरी तरह से लाठियों के प्रहार किए गए जिससे वे घायल होकर गिर पड़े। लालाजी को भयंकर चोटें आई थीं जिसके कारण १७ नवम्बर को उनका निधन हो गया। निधन से पूर्व लालाजी ने कहा था मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक-एक कील बनेगी। लाला लाजपतराय के निधन का समाचार फैलते ही समस्त देश में हड़ताल हो गयी शोक सभाएं करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। सरदार भगतसिंह एवं उनके साथी क्रांतिकारियों ने लालाजी की निर्मम हत्या का प्रतिशोध लेने का निर्णय किया। राजगुरु ने १८ दिसम्बर १९२८ ई० के दिन सांडर्स को गोली मार कर हत्या कर दी। राजगुरु को गिरफ्तार कर लिया गया। सरदार भगतसिंह चन्द्रशेखर आजाद सुखदेव आदि की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयत्नशील थी। इसी बीच फरारी की अवस्था में भगतसिंह ने केन्द्रीय असेम्बली भवन में पहुंचकर दर्शकदीर्घा से एक बम फेंक दिया जिसके धड़ाके से समस्त अंग्रेजी साम्राज्य दहल उठा। मुकदमे का नाटक रचकर अंग्रेज सरकार ने भगतसिंह सुखदेव व राजगुरु को फांसी पर लटका कर शवों को सतलज नदी के किनारे जला दिया। फांसी पर लटकाये जाने के समाचार से देश में रोष की लहर दौड़ गई। अनेक नगरों में हड़तालें हुई। गांधी इरविन समझौते का भी जनता ने तीव्र विरोध किया।

गोलमेज सम्मेलन

भारतीय जनता में स्वाधीनता के प्रति उमंग व जागृति को देखकर ब्रिटिश शासन दहल उठा। उसने भारतीय जनता की समस्याओं पर विचार करने के नाम पर इंग्लैंड में गोल मेज सम्मेलन आमंत्रित किया। सम्मेलन में गांधीजी व अन्य भारतीय नेता सम्मिलित हुए किन्तु अंग्रेजों का झूठा 'नाटक' सफल नहीं हुआ। गांधीजी जैसे ही सम्मेलन से वापस भारत लौटे कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेज सरकार ने खीझकर कांग्रेस को गैर-कानूनी घोषित कर दिया। स्थान-स्थान पर कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्त्ताओं की अंधाधुंध गिरफ्तारियां प्रारम्भ कर दी गयीं। लाखों व्यक्तियों को जेल में बन्द कर दिया गया। सन १९३६ ई० में

समस्त देश में आम चुनावों का नाटक रचा गया। कांग्रेस भी चुनाव मैदान में उतरी और उसने ११ प्रदेशों में से सात प्रदेशों में बहुमत प्राप्त कर लिया। कांग्रेस ने यह शर्त रखी कि यदि गवर्नर मन्त्रिमण्डल के कार्यों में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन देंगे तभी कांग्रेस मन्त्रिमण्डल का गठन करेगी। पहले तो अंग्रेजों ने इस शर्त को स्वीकार नहीं किया, किन्तु जब अन्य कांग्रेसी मंत्रिमंडल विश्वास प्राप्त न कर सकने के कारण असफल हो गए तो यह शर्त माननी पड़ी और कांग्रेसी मंत्रिमंडल स्थापित हो गए।

सन १९३९ ई० के नवम्बर मास में जर्मनी व ब्रिटेन के बीच युद्ध की ज्वालायें धधक उठीं। ब्रिटिश सरकार ने बिना मंत्रिमंडलों से सहमति लिए यह घोषणा कर दी कि भारत भी ब्रिटेन की ओर से लड़ाई में शामिल है। इस घोषणा का कांग्रेस व गांधीजी ने खुला विरोध किया। देश के ६ प्रान्तों ने विरोध में प्रस्ताव पारित किये।

अंग्रेजो भारत छोड़ो

सन् १९४० ई० के प्रारम्भ में गांधीजी ने भारतीयों का आह्वान किया कि वे इस लड़ाई में किसी भी तरह सहयोग कदापि नहीं दें। उन्होंने सत्याग्रह प्रारम्भ कर दिया। हजारों व्यक्ति सत्याग्रह करते हुए गिरफ्तार कर लिए गए।

८ अगस्त १९४२ ई० को बम्बई कांग्रेस में गांधीजी ने 'अंग्रेजो भारत छोड़ो' आन्दोलन की घोषणा कर दी। ९ अगस्त को सरकार ने कांग्रेस कार्यसमिति के तमाम सदस्यों को बंदी बना लिया। देश के कोने-कोने में कांग्रेसी नेताओं की पकड़ धकड़ प्रारम्भ कर दी गयी। अनेक स्थानों पर पुलिस ने अहिंसक व शान्त जुलूसों व सत्याग्रहियों पर लाठियां व गोलियां चलाकर सैंकड़ों देशभक्तों को मार डाला। १९४२ ई० के इस जन आंदोलन में प्रत्येक स्थान पर 'अंग्रेजो भारत छोड़ो' के उद्घोष गूंज उठे। महिलाओं व बालकों ने भी अपनी आहुतियां दीं।

आजाद हिन्द सेना की स्थापना

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने सन १९४० ई० में बम्बई में वीर सावरकर से भेंट की और उनसे विचार विनिमय करके वे गुप्त रूप में भारत से निकल गये तथा विदेशों में जाकर प्रवासी भारतीयों से भारत की स्वाधीनता के सम्बन्ध में विचार विनिमय किया। नेताजी ने सन् १९४२ में आजाद हिन्द सेना की स्थापना की। जापान और ब्रिटेन में उन दिनों युद्ध छिड़ा हुआ था। नेताजी ने आजाद हिंद सेना के माध्यम से युद्ध में ब्रिटेन को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया। उन्होंने आजाद हिंद सेना का मुख्य केन्द्र सिंगापुर में बनाया। वहीं से 'आजाद हिंद' नामक एक पत्र भी निकाला। नेताजी के आह्वान पर प्रवासी भारतीयों ने धन का अम्बार उनके चरणों में लगा दिया। छोटे छोटे बच्चों ने भी उनकी सहायता की। नेताजी को सोने में तोलकर सोना भेंट किया गया। नेताजी ने आजाद हिंद सेना के अन्तर्गत महिलाओं की एक ब्रिगेड भी बनायी, जिसका नाम 'रानी झांसी ब्रिगेड' रखा गया। महिलाओं ने भी अंग्रेजों से डटकर युद्ध किया व उनके छक्के छुड़ाये। जापान में नेताजी को प्रसिद्ध भारतीय क्रान्तिकारी श्री रासबिहारी बोस का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। श्री बोस ने पहले ही अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र सेना का गठन कर लिया था। २१ अक्तूबर १९४३ ई० को सिंगापुर में आजाद भारत की एक अंतरिम सरकार की घोषणा की गई। नेताजी ने घोषणा की—तुम मुझे खून दो—मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने 'दिल्ली चलो' व 'जयहिंद' का नारा दिया। सन् १९४४ में आजाद हिंद सेना ने बर्मा और असम के मोर्चों पर अंग्रेजों से डटकर टक्कर ली। एक बार तो

आजाद हिंद सेना ने अंडमान द्वीप तक अंग्रेज के झण्डे को उतार कर उस पर भारतीय ध्वज फहरा दिया। नेताजी ने अंडमान पहुंच कर उस जेल कोठरी को देखा, जिसमें वीर सावरकर आदि क्रान्तिकारियों ने अनेक वर्षों तक यातनाएं सहन की थीं।

सन १९४५ ई० में अचानक जापान की पराजय हो गयी। अंग्रेजों ने जापानी सैनिकों के साथ-साथ आजाद हिंद सेना के जवानों पर भी अत्याचार प्रारम्भ किये। सैकड़ों भारतीय सैनिकों को निर्ममता के साथ मार डाला गया।

अंग्रेजों की जीत के बाद नेताजी सेगाव से जापान के लिए रवाना हुए। माना जाता है कि रास्ते में फारमोसा के पास विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से उनका देहान्त हो गया। उनकी मृत्यु के सम्बन्ध में अभी भी विवाद बना हुआ है।

देश स्वाधीन हुआ

देश में चारों ओर अंग्रेजों के विरुद्ध विषाक्त वातावरण बनता जा रहा था। एक ओर सशस्त्र क्रान्तिकारियों ने अंग्रेजों पर आतंक जमा रखा था दूसरी ओर कांग्रेस के जन आंदोलन ने। अन्त में लाचार होकर अंग्रेजों को भारत से अपना बिस्तर गोल करने का निर्णय लेना ही पड़ा। अंग्रेजों ने कांग्रेस प्रतिनिधि के नाते श्री जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने का निमन्त्रण दिया। २ सितम्बर १९४६ ई० को कांग्रेस मन्त्रिमंडल की घोषणा कर दी गई।

अंग्रेजों व मुस्लिम लीगियों ने भारत विभाजन का षड्यन्त्र रचा तथा इसकी भूमिका बनाने के लिए जगह जगह हिन्दू मुस्लिम दंगे भड़काये। मुस्लिमलीग के नेता जिन्ना ने द्विराष्ट्र के सिद्धान्त के आधार पर घोषणा की कि भारत में मुसलमान अलग राष्ट्र है तथा वे किसी भी स्थिति में हिन्दुओं के साथ नहीं रह सकते। जिन्ना के संकेत पर नोआखाली लाहौर मुलतान झंग तथा अन्य स्थानों पर वहां के अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर अमानवीय अत्याचार किये गये। उन्हें मार-काटकर भगाया जाने लगा। उनके घरों व सम्पत्ति को जला कर राख कर डाला गया। मुस्लिम लीग का षड्यन्त्र सफल हुआ और भारत विभाजन स्वीकार कर लिया गया। भारत को दो भागों में विभक्त कर दिया गया। मुसलमानों ने अपने देश का नाम पाकिस्तान रखा।

१५ अगस्त १९४७ ई० को जहां देश स्वाधीन हुआ वहां उसी दिन भारत मां के अंग खंड-खंड भी किये गये। स्वाधीनता की घोषणा के साथ ही मार-काट कर भगाये जाने वाले लाखों-लाखों लोगों की चीत्कार सुनाई दी। लाखों व्यक्तियों को बेघरबार होकर दर-दर की ठोकरें खानी पड़ीं। लाखों को गाजर-मूली की तरह काट डाला गया। स्वाधीनता-संग्राम के इतिहास में बलिदानियों की पंक्ति में भारत विभाजन के परिणामस्वरूप शहीद हुए लाखों नर नारियों को अलग करके नहीं किया जा सकता।

अंग्रेजों के देश से विदा होने के बाद भी देश की कुछ बस्तियों पर फ्रांस और पुर्तगालियों का आधिपत्य था। चन्दर और नगर हवेली, पांडिचेरी तथा गोआ पराधीन थे। जहां इन बस्तियों की जनता ने स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया वहां अन्त में भारत सरकार को सशस्त्र कार्यवाही करने को बाध्य होना पड़ा तथा इन बस्तियों को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई।

स्वाधीनता के पश्चात्

१५ अगस्त १९४७ ई० को स्वाधीनता प्राप्त होने के बाद श्री जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमन्त्रित्व में देश ने नई दिशा पकड़ी।

भारत में ५५० से अधिक रियासतें थीं। देश की स्वाधीनता व अखंडता की रक्षा के

लिए उनका एकीकरण आवश्यक था। सरदार पटेल स्वाधीन भारत के प्रथम गृहमंत्री बने। उन्होंने बड़ी कुशलता व दृढ़ता के साथ अधिकांश रियासतों के राजाओं से भारतीय केन्द्रीय शासन के अधीन होने की स्वीकृति प्राप्त कर ली। जूनागढ़ व हैदराबाद के नवाबों ने पाकिस्तान से मिलने की शरारत की किन्तु लौह पुरुष सरदार पटेल ने दृढ़ता के साथ काम लिया। जूनागढ़ रियासत की जनता ने नवाब की पाकिस्तान के साथ मिलने की घोषणा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अन्त में यह राज्य काठियावाड़ में मिला लिया गया। इसी प्रकार हैदराबाद के नवाब ने पाकिस्तान से साठगांठ करके रजाकारों की सेना गठित की किन्तु सरदार पटेल ने स्थिति पर काबू पाने के लिए १३ सितम्बर १९४८ ई० को भारतीय सेना हैदराबाद भेजकर निजाम की सेना व रजाकारों के छक्के छुड़ा दिये। अन्त में निजाम ने भारत में शामिल होना स्वीकार कर लिया।

कश्मीर पर पाक आक्रमण कश्मीर के महाराजा हरिसिंह अपनी रियासत को स्वाधीन रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने विलयपत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये। पाकिस्तान के कश्मीर पर दांत थे अतः पाकिस्तान ने १९४७ में ही सीमान्त कबाइलियों को उकसाकर व खुले रूप में उनकी सहायता कर कश्मीर पर आक्रमण करा दिया। जब पाकिस्तानी सैनिक कश्मीर से कुछ ही मील दूर रह गये तो महाराजा हरिसिंह ने भारत से मिलने की घोषणा कर, भारत सरकार से कश्मीर की रक्षा की मांग की। सेनाध्यक्ष महाराजा राजेन्द्रसिंह के नेतृत्व में सेना ने कश्मीर पहुंचकर पाकिस्तानी कबाइलियों के षडयन्त्र को असफल कर दिया। राष्ट्रसंघ ने 'युद्धविराम' का आदेश दिया। पाकिस्तान ने कश्मीर के एक भाग पर अधिकार कर लिया जिस पर वह आज भी बलात कब्जा किये हुए है।

गांधीजी की हत्या देश के विभाजन के परिणामस्वरूप हुए साम्प्रदायिक दंगों के विषाक्त वातावरण में ३० जनवरी १९४८ ई० को एक युवक ने गांधीजी को गोली मार कर हत्या कर दी। गांधीजी की हत्या से देश में शोक की लहर दौड़ गई।

प्रथम राष्ट्रपति भारत का संविधान बनाया गया तथा २६ जनवरी १९५० ई० को देश में प्रजातान्त्रिक शासन की घोषणा की गई। डा० राजेन्द्रप्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। भारतीय संविधान में देश के समस्त नागरिकों को समान अधिकार दिये गये तथा भारत को 'धर्मनिरपेक्ष' गणराज्य घोषित किया गया।

राज्य पुनर्गठन आयोग स्वाधीनता के बाद कुछ प्रांतों की जनता ने भाषायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने की मांग की। आंदोलनों के कारण सरकार को बाध्य होकर २९ दिसम्बर १९५३ ई० को 'राज्य पुनर्गठन आयोग' नियुक्त करना पड़ा। आयोग के सुझावों पर राज्यों में हेरफेर हुए। बम्बई को गुजरात व महाराष्ट्र दो राज्यों में विभक्त किया गया तथा अन्य अनेक राज्यों का पुनर्गठन हुआ।

गोआ की स्वाधीनता गोआ को पुर्तगालियों ने गुलाम बनाया हुआ था तथा उसकी मुक्ति के लिए १५ अगस्त १९५५ ई० को अनेक सत्याग्रहियों ने गोआ की सीमा पर पहुंचकर पुर्तगालियों की गोलियां खाईं। गोआ के अन्दर क्रान्तिवीर मोहन रानाडे, सुधीर फड़के तथा अन्य क्रान्तिकारियों ने पुर्तगालियों के विरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति का संघर्ष छेड़ दिया था। गोआ की जनता सालाजार के अत्याचारों से त्रस्त होकर स्वाधीनता के लिए संघर्षरत थी।

दिसम्बर १९६१ ई० में सरकार ने गोआ की मुक्ति के लिये सेना को आदेश दिया तथा भारतीय सेना ने पुर्तगाली साम्राज्यवादियों को कुछ ही घंटों में देश छोड़ने को बाध्य कर दिया। गोआ व दमन-दीव पर पुर्तगाली झंडे के स्थान पर तिरंगा फहरा उठा।

सन १९६२ ई० मे डा० राजेन्द्रप्रसाद राष्ट्रपति पद से निवृत्त हुए। उनके स्थान पर उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली डा० राधाकृष्णन ने मई १९६२ ई० मे राष्ट्रपति पद ग्रहण किया।

चीन का आक्रमण भारत स्वाधीनता के बाद तेजी के साथ विकास की ओर अग्रसर हो रहा था। देश के विकास के लिए नई-नई परियोजनाए चालू थी तथा कृषि औद्योगिक व अन्य क्षेत्रो मे वह आशातीत प्रगति कर रहा था। चीन से यह प्रगति सहन न हुई और उसने प्रगति को अवरुद्ध करने की दृष्टि से भारत को धमकिया देनी प्रारम्भ कर दी। २० अक्तूबर १९६२ ई० को चीन ने अचानक उत्तरी सीमान्त पर आक्रमण कर दिया। देश ने एक होकर चीनी आक्रमण का मुकाबला किया। भारतीय सैनिको ने चीनियो से चप्पे चप्पे की रक्षा के लिए सघर्ष किया। अन्त मे चीन को विश्व का जनमत देखकर युद्ध बन्द करना पडा।

नागालैंड नागाप्रदेश के विद्रोही नागाओ ने चीन व पाकिस्तान के सकेत पर विध्वसात्मक गतिविधिया जारी की। नागाओ को अधिक सुविधाए प्रदान करने की दृष्टि से सरकार ने सन १९६३ मे नागालैंड को भारत का १६वा राज्य घोषित कर दिया।

नेहरूजी का निधन २७ मई १९६४ ई० को अचानक प्रधानमत्री श्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। समस्त देश मे उनके निधन से शोक की लहर दौड गई। श्री लालबहादुर शास्त्री उनके स्थान पर प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुए। शास्त्रीजी ने बडी कुशलता के साथ देश को प्रगति की ओर अग्रसर करने मे योग दिया। उन्होने कृषि क्राति को मुख्य लक्ष्य बनाया तथा देश को खाद्यान्न के मामले मे आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा की।

लालबहादुर शास्त्री

पाकिस्तान का आक्रमण इसी बीच अगस्त १९६५ ई० मे पाकिस्तान ने कश्मीर मे घुसपैठिये भेजकर उस पर बलात अधिकार करने का षडयन्त्र रचा। भारतीय सैनिको ने पाक के षडयन्त्र को असफल कर दिया। पाक के नापाक इरादो को चकनाचूर करने के लिए प्रधान मत्री श्री लालबहादुर शास्त्री ने भारतीय सेना को लाहौर की ओर कूच करने का आदेश दिया। सेना ने हर मोर्चे पर पाकिस्तान की सेना को चूर किया तथा उसके काफी भू भाग पर अपना अधिकार कर लिया। शास्त्रीजी ने देश को जय-जवान—जय किसान का नारा दिया।

रूस ने मध्यस्थता करके ताशकन्द मे जनवरी १९६६ मे समझौता वार्ता का आयोजन किया। श्री लालबहादुर शास्त्री ने ताशकन्द समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये किन्तु अचानक १० जनवरी १९६६ ई० को ताशकन्द मे उनका निधन हो गया। उनके निधन से विश्वभर मे शोक की लहर दौड गई।

श्रीमती इन्दिरा गाधी

शास्त्रीजी के निधन के बाद सन् १९६६ ई० मे श्रीमती इन्दिरा गाधी स्वतन्त्र भारत की तीसरी प्रधानमत्री निर्वाचित हुई। श्री मोरारजी देसाई उपप्रधानमत्री चुने गये। श्रीमती गाधी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने व विकास की ओर अग्रसर करने की दृष्टि से पचवर्षीय योजना पर विशेष ध्यान दिया। कृषि उत्पादन के क्षेत्र मे गत कुछ वर्षों मे भारी सफलता मिल रही है। हरित क्राति की सफलता ने भारतीय जनसाधारण के हृदय मे आशा व उल्लास की भावना उत्पन्न की।

हरियाणा व पजाब के पहाडी प्रदेश पजाब मे १९६५ ई० मे अकाली नेता मास्टर तारासिह एव सन्त फतहसिह ने पृथक पजाबी भाषी प्रदेश की माग उठाई। मास्टर तारासिह

ने सिख राज्य' की माग की। सन्त फतहसिंह ने पजाबी सूबे के निर्माण के लिये ग्रामरण ग्रनशन किया। उनके विरोध म भी ग्रनशन होने रहे। प्रदेश की जनता की माग का देखते हुए सरकार न नवबर १९६६ई० म हिन्दी भाषी क्षेत्र को 'हरियाणा प्रदेश तथा पजाबी भाषी क्षेत्र को पजाब' प्रदेश म विभक्त कर दिया। ग्रसम की खासी, जयतियाँ, गारो, मिकिर ग्रादि पहाडियो की जनता न क्षेत्र के विकास के लिए ग्रधिक स्वशासन प्राप्त करने की माग की। जनवरी १९६७ ई० म भारत सरकार न ग्रसम को दो स्वशासित प्रदेशो का एक राज्य बना देने का निणय किया।

राजनीतिक ग्रस्थिरता सन १९६७ ई० के चतुथ महानिर्वाचन म काग्रेस पहली बार ६ प्रदेशो म बहुमत प्राप्त करने म ग्रसफल रही। इस निर्वाचन के बाद दलबदल की प्रवृत्ति इतनी तेजी से बढी कि समस्त देश म राजनीतिक ग्रस्थिरता का वातावरण व्याप्त हो गया। ग्रनेक विधानसभा सदस्यो ने एक एक दिन म दो-दो दल बदलकर कठिनाइया उत्पन्न कर दी। कई राज्यो म एक के बाद एक सरकार गिरी ग्रौर नई बनी, किन्तु वह भी स्थिर न रह सकी। ग्रन्त म पजाब, हरियाणा उत्तरप्रदेश, बिहार ग्रौर पश्चिमी बगाल म राष्ट्रपति शासन लागू हुग्रा। फरवरी १९६९ म बिहार उत्तरप्रदेश, पजाब व पश्चिमी बगाल मे मध्यावधि चुनाव हुए। इनम भी काग्रेस को किसी भी राज्य म स्पष्ट बहुमत न मिल सका तथा पजाब व बगाल म सयुक्त दलो की सरकारे बन गई व उत्तरप्रदेश व बिहार म काग्रेस मन्त्रिमडल बनाने म सफल हुई।

काग्रेस का विघटन सितम्बर ग्रक्तूबर १९६९ ई० म देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी ग्रखिल भारतीय काग्रेस कमेटी का विघटन हो गया। एक काग्रेस सत्तारूढ दल कहलाया ग्रौर दूसरा सगठन काग्रेस कहा जाने लगा। श्रीमती इन्दिरा गाधी के नेतृत्व म सत्तारूढ काग्रेस दल ने शासन सत्ता के सूत्र सभाले।

बैक राष्ट्रीयकरण नई काग्रेस ने १९६९ ई० म देश के प्रमुख १४ व्यवसायिक बैको का राष्ट्रीयकरण करके देश के ग्रार्थिक क्षेत्र को नया मोड दिया।

प्रिवीपर्स एव विशेषाधिकार उन्मूलन देशी रियासतो के भारत सघ म विलय हेतु राजाग्रो एव भारत सरकार के बीच पूव काल म हुए समझौतो के ग्रनुसार, उनको मिलने वाले प्रिवीपर्स एव विशेषाधिकार-समाप्ति सम्बन्धी विधेयक लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया। इस कदम के फलस्वरूप नयी काग्रेस एव वामपथी दलो का सहयोग ग्रधिक प्रगाढ हुग्रा। परन्तु राज्य सभा म यह विधेयक पारित न हो सका। तत्काल राष्ट्रपति के ग्रादेश के माध्यम से भूतपूव नरेशो की मान्यता समाप्त कर दी गई ग्रौर प्रिवीपर्स तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिये गये।

मध्यावधि चुनाव

प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाधी व उनके मन्त्रिमण्डल न लोकसभा के मध्यावधि चुनाव का निणय लिया तथा फरवरी १९७१ म चुनाव सम्पन्न हुये जिसम सत्ता काग्रेस को ग्राशातीत सफलता प्राप्त हुई तथा भारी बहुमत स श्रीमती गाधी पुन प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुई।

पाकिस्तान का ग्राक्रमण व बगला देश का निर्माण

३ दिसम्बर १९७१ को ग्रचानक पाकिस्तान ने भारत की पश्चिमी सीमा पर हवाई ग्राक्रमण कर दिया। भारत ने ग्राक्रमण का जारदार जवाब दिया तथा पूर्वी सीमा पर बगला देश की मुक्तिवाहिनी को सहयोग देते हुए भारतीय सेना बगला देश को पाकिस्तानी खूनी पजा से मुक्त कराने के लिये ग्रागे बढी।

भारतीय सेना ने दोना क्षेत्रो मे पाकिस्तानी आक्रमणकारी सेना के दात खट्टे किये। प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाधी के कुशल नेतृत्व मे समस्त देश एक होकर देश की सुरक्षा के लिये खडा हो गया।

१६ दिसम्बर को ढाका पर अधिकार होते ही भारत ने युद्धविराम की घोषणा कर दी। लगभग एक लाख पाकिस्तानी सैनिको ने ढाका मे भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया। पाकिस्तान की भारी पराजय ने राष्ट्रपति याह्या खा को सत्ता से हटने को बाध्य किया। नये राष्ट्रपति श्री भुट्टो ने भारत से समझौते की पेशकश की और २८ जून को श्री भुट्टो समझौते के लिए शिमला पहुचे। तीन जुलाई को एक समझौते पर प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाधी तथा श्री भुट्टो ने हस्ताक्षर किये। समझौते के बाद श्री भुट्टो व पाकिस्तान ने पुन अपना रवया बदलना प्रारम्भ कर दिया जिसमे समझौते के कार्यान्वयन मे बाधाए आई किन्तु भारत ने समझौते के प्रति रुचि ली। अत मे अजीज अहमद के नेतृत्व मे पाकिस्तानी प्रतिनिधिमडल १७ अगस्त १९७३ को दिल्ली आया तथा १० दिन की वार्ता के बाद २७ अगस्त को दोनो के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुये। भारत ने पाकिस्तानी युद्धबदी लौटाने प्रारम्भ कर सद्भावना का परिचय दिया।

भारतीय इतिहास का तिथिक्रम

ईसा पूर्व

३१०२	महाभारत युद्ध का अन्त एव कलियुग सम्वत का आरम्भ परीक्षित का राज्याभिषेक
२७००	लगभग मे पायी गयी सिन्धु घाटी मुद्राओ की तिथि
१३७५	वैदिक देवताओ का उल्लेख करने वाले बोगज कुई अभिलेख की तिथि
८१७	जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्मकाल
५४४	बुद्ध निर्वाण की तिथि लका की परम्परा के अनुसार
५२७	महावीर निर्वाण के सम्वत का आरम्भ जैन परम्परा के अनुसार
३२७ २६	सिकन्दर का आक्रमण
३२४	मौर्य साम्राज्य की स्थापना

ईसा पश्चात्

७८	शक सम्वत का आरम्भ
२४८	त्रैकूटक कलचुरि सम्वत का आरम्भ
३२०	गुप्त साम्राज्य का उदय एव गुप्त सम्वत का आरम्भ
३८८	शक शासन का भारत मे अन्त
६०६	हर्षवर्धन का राज्याभिषेक
६०९	पुलकेशिन का राज्याभिषेक
६२०	चीनी यात्री ह्वेनसाग की भारत यात्रा
७११	सिन्ध पर मुहम्मद-बिन कासिम का आक्रमण
७१२	दाहिर की पराजय एव मृत्यु सिन्ध पर अरबो का अधिकार
७५३	राष्ट्रकूट वश का उदय
८१५	नागभट्ट (प्रतिहार) द्वारा अरबो पर आक्रमण

८३८	भोज प्रतिहार का कन्नौज की गद्दी पर अभिषेक
८७५	पश्चिमी अफगानिस्तान पर मुस्लिम आधिपत्य
१००१	शाही राजा जयपाल महमूद गजनवी द्वारा पराजित
१०२६	सारनाथ के मंदिर पर महमूद का आक्रमण
११९१	तराइन का प्रथम युद्ध मुहम्मद गोरी की पराजय
११९२	तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान की पराजय, दिल्ली पर मुस्लिम अधिकार
११९४	कन्नौज के राजा जयचन्द्र की पराजय व मृत्यु
१२००	बख्तियार खिलजी द्वारा बंगाल पर अधिकार
१२९२	अलाउद्दीन खिलजी का भिलसा (विदिशा) पर अधिकार
१२९४	अलाउद्दीन द्वारा देवगिरि की लूट
१२९७	गुजरात पर मुस्लिम आधिपत्य
१३०१	रणथम्भौर पर खिलजी की विजय
१३०२ १३०३	चित्तौड़ की विजय
१३०६ १३१०	मलिक काफूर के दक्षिण भारत पर हमले
१३२१ २३	वारंगल पर मुहम्मद बिन तुगलक के धावे
१३२७	मुहम्मद बिन तुगलक की राजधानी दिल्ली से देवगिरि (दौलताबाद) को
१३३८	विजयनगर साम्राज्य की स्थापना
१४६९	गुरु नानक का जन्म
१४९८	वास्कोडिगामा भारतीय तट पर
१५१०	गोआ पर पुर्तगालियों का अधिकार
१५२६	पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर की लोदी पर विजय
१५२७	खनुआ का युद्ध, बाबर से राणा सांगा पराजित
१५२९ ३०	विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय की मृत्यु
१५३३	चित्तौड़ पर गुजरात के बहादुर शाह का अधिकार
१५३८	गुरु नानक की मृत्यु
१५४०	हुमायूं शेरशाह सूरी से हारा
१५५५	हुमायूं का दिल्ली पर पुन अधिकार
१५५६	पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमचन्द्र विक्रमादित्य अकबर से पराजित
१५६५	तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य ध्वस्त
१५६८	हल्दीघाटी की लड़ाई
१५६९	रणथम्भौर और कालिंजर का पतन
१५८२	उड़ीसा पर मुस्लिम अधिकार
१५९७	राणाप्रताप की मृत्यु
१६०६	गुरु अर्जुनदेव का बलिदान
१६०९	पहली डच फैक्टरी की पुलीकट में स्थापना
१६१२	पहली अंग्रेज फैक्टरी की सूरत में स्थापना
१६३४	अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार की अनुमति
१६४६	शिवाजी का तोरण दुर्ग पर अधिकार

१६५६ शिवाजी का जावली पर अधिकार
१६५८ औरंगजेब का राज्याभिषेक
१६५९ शिवाजी द्वारा अफजलखाँ का वध
१६६४ शिवाजी का सूरत पर पहला धावा
१६६६ शिवाजी की आगरा में गिरफ्तारी और पलायन
१६६८ औरंगजेब द्वारा मंदिरों के विध्वंस की आज्ञा
१६६९ मथुरा के निकट जाटों का विद्रोह
१६७० सूरत पर शिवाजी का दूसरा धावा
१६७२ सतनामी विद्रोह
१६७४ शिवाजी द्वारा हिंदू पदपादशाही की स्थापना
१६७५ गुरु तेगबहादुर का बलिदान
१६७९ जजिया पुनः लागू
१६८० शिवाजी की मृत्यु
१६८१ औरंगजेब का दक्षिण को प्रस्थान
१६८६ बीजापुर राज्य का पतन
१६८७ गोलकुण्डा राज्य का पतन
१६९० सम्भाजी की हत्या
१७०७ औरंगजेब की दक्षिण में मृत्यु
१७०७ औरंगजेब की दक्षिण में मृत्यु
१७०८ शाहू मराठों का राजा बना, गुरु गोविन्दसिंह की दक्षिण में मृत्यु
१७१६ बन्दा बैरागी की हत्या
१७१७ जजिया पुनः लागू
१७३५ मालवा पर मराठों का अधिकार
१७४४ अंग्रेज फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा भारत में
१७४७ अहमदशाह अब्दाली का पहला आक्रमण
१७५७ दिल्ली और मथुरा पर अब्दाली के हमले, प्लासी की लड़ाई, बंगाल में अंग्रेजों के पैर जमे
१७५८ पंजाब पर मराठों का कब्जा, अटक पर भगवा फहराया
१७६१ पानीपत का तृतीय युद्ध, अब्दाली से मराठों की हार, कर्नाटक में हैदरअली का उदय, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को खदेड़ा
१७६४ बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत
१७७० बंगाल में भीषण अकाल, संन्यासी विद्रोह
१७७२ मराठों ने मुगल सम्राट शाह आलम को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया
१७७५ राजा नन्दकुमार को अंग्रेजों द्वारा फाँसी
१७७५ ८ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध
१७८१ काशी के राजा चेतसिंह को गद्दी से उतारा गया
१७९२ महाराजा रणजीतसिंह गद्दी पर बैठे
१७९९ टीपू की पराजय और मृत्यु, मैसूर की स्वतन्त्रता का अन्त
१८१८ मराठा साम्राज्य का अन्त

१८२४-२६	प्रथम बर्मा युद्ध
१८३५	अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के पक्ष में निर्णय
१८३९	महाराजा रणजीतसिंह की मृत्यु
१८३९-४२	प्रथम अफगान युद्ध में अंग्रेजों की पराजय
१८४३	सिंध की स्वाधीनता का अपहरण
१८४९	पंजाब की स्वाधीनता का अन्त
१८५२	द्वितीय बर्मा युद्ध
१८५३	पहली रेलवे एवं टेलीग्राफ लाईन
१८५५	संथाल विद्रोह
१८५७-५९	प्रथम स्वातन्त्र्य समर
१८५८	ईस्ट इण्डिया कम्पनी की जगह सम्राट का सीधा शासन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान
१८६५	उड़ीसा में अकाल, यूरोप से टेलीग्राफ सम्बन्ध प्रारम्भ
१८७४	बिहार में अकाल, आर्यसमाज की स्थापना
१८७९	भारतीय जनता का निरस्त्रीकरण
१८७९-८०	वासुदेव बलवन्त फड़के का अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह
१८८३	आर्यसमाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वती का निधन
१८८५	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म
१८९१	मणिपुर विद्रोह
१८९३	विवेकानन्द का शिकागो-वक्तव्य, अरविन्द घोष का भारत को प्रस्थान
१९०५	प्रथम बंग भंग
१९०७	मुस्लिम लीग का जन्म, सूरत कांग्रेस भंग, तिलक माण्डले जेल को
१९०९	मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व मिला
१९११	बंग भंग वापस, वीर सावरकर को दो आजन्म कारावास की सजा
१९१२	राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को
१९१४-१८	प्रथम विश्वयुद्ध
१९१५	गांधीजी का भारत आगमन
१९१६	हिन्दू मुस्लिम लखनऊ-समझौता
१९१९	जलियांवाला बाग काण्ड, भारत सरकार एक्ट, प्रान्तों में शासन
१९२०	खिलाफत व असहयोग आन्दोलन, तिलक की मृत्यु, कांग्रेस का नेतृत्व गांधीजी के हाथों में
१९२१	मोपला विद्रोह
१९२५	राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना, स्वामी श्रद्धानन्द का बलिदान
१९२७	साइमन कमीशन, लाला लाजपतराय की लाठी प्रहारों से मृत्यु
१९२८	पण्डित मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, गांधीजी की एक वर्ष में स्वराज्य लाने की घोषणा
१९२९	भगतसिंह ने असेम्बली में बम फेंका, यतीन्द्रनाथ की भूख हड़ताल से जेल में मृत्यु, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य की घोषणा
१९३०	(२६ जनवरी) स्वाधीनता दिवस मनाया गया
१९३०-३४	गांधीजी का डांडी मार्च, नमक सत्याग्रह

१९३५ नया भारत सरकार एक्ट संघीय संविधान का जन्म, प्रान्तों में उत्तरदायी शासन

१९३७ ३९ सात प्रान्तों में कांग्रेस मन्त्रिमंडल

१९३९ द्वितीय विश्वयुद्ध आरम्भ त्रिपुरा कांग्रेस में सुभाषचन्द्र बोस का अध्यक्ष पद से त्यागपत्र

१९४० सुभाषचन्द्र बोस की गिरफ्तारी कांग्रेस का व्यक्तिगत सत्याग्रह

१९४१ सुभाषचन्द्र बोस का भारत से बाहर जाना जापान युद्ध में सम्मिलित, विश्वकवि श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर का निधन

१९४२ भारत छोड़ो आन्दोलन

१९४३ सुभाषचन्द्र बोस जापान में आजाद हिन्द सेना का निर्माण

१९४४ गांधीजी की रिहाई

१९४५ द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त शिमला सम्मेलन

१९४६ जलसेना में विद्रोह कैबिनेट मिशन का आगमन अन्तरिम सरकार मुस्लिम लीग का डायरेक्ट एक्शन भयंकर रक्तपात

१९४७ लार्ड माउण्टबेटन का आगमन भारत का विभाजन एवं स्वाधीनता प्राप्ति पाकिस्तानी कबाइलियों का कश्मीर पर आक्रमण

१९४८ महात्मा गांधी की हत्या

१९५० गणतन्त्रात्मक संविधान लागू अरविन्द घोष का निधन

१९५३ डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी का कश्मीर में निधन

१९६१ गोआ पुर्तगाली गुलामी से मुक्त

१९६२ चीन का भारत पर आक्रमण

१९६४ प्रधानमंत्री श्री नेहरू का निधन

१९६५ पाकिस्तान का आक्रमण

१९६६ प्रधानमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री का ताशकन्द में निधन

१९६९ राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसेन का निधन

१९६९ राष्ट्रपति श्री वराह गिरि व्यंकट गिरि निर्वाचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण

१९७० असम के अन्तर्गत मेघालय उपराज्य की स्थापना एवं केन्द्र शासित हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रिविपर्स एवं विशेषाधिकार उन्मूलन प्रस्ताव लोकसभा में पारित परन्तु राज्यसभा में पारित न हो सका

१९७१ लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में नई कांग्रेस को भारी बहुमत प्राप्त बंगला देश में पाकिस्तानी सेना के भीषण नरसंहार के परिणामस्वरूप एक करोड़ विस्थापित भारत में

१९७१ ३ दिसम्बर को पाकिस्तान का भारत पर खुला आक्रमण १४ दिनों के युद्ध में बंगलादेश पाक के चंगुल से मुक्त

१९७१ १६ दिसम्बर को ढाका में भारतीय सेना के समक्ष जनरल नियाजी के नेतृत्व में ९३ हजार पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा आत्मसमर्पण

१९७२ शिमला में भुट्टो इन्दिरा समझौता वार्ता सफल

१९७३ भारत द्वारा पाकिस्तानी युद्धबन्दियों की रिहाई प्रारम्भ

: ५ :

भारतीय प्राचीन साहित्य

—वैदिक संहिता

भारत का सबसे प्राचीन साहित्य वेद है। वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद मुख्यतया पद्य में है यद्यपि उनमें गद्य भाग भी विद्यमान है। वैदिक पद्य को 'ऋक्' या ऋचा कहते हैं, वैदिक गद्य को 'यजुष' कहा जाता है और वेदों में जो गीतात्मक (छन्दरूप) पद्य हैं उन्हें 'साम' कहते हैं। प्राचीन समय में वेदों को 'त्रयी' भी कहते थे। ऋचा, यजुष और साम इन तीन प्रकार के पदों में होने के कारण ही वेद की 'त्रयी' संज्ञा भी थी। पर वैदिक मंत्रों का संकलन जिस रूप में आजकल उपलब्ध होता है, उसे संहिता कहते हैं। विविध ऋषि-वंशों में जो मंत्र श्रुति द्वारा चले आते थे, बाद में उनका संकलन व संग्रह किया गया। इस कार्य का प्रधान श्रेय मुनि वेदव्यास को है। वेदव्यास ने वैदिक सूक्तों को संहिता रूप में संग्रह किया। उनके द्वारा संकलित वैदिक संहितायें चार हैं—ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।

ऋग्वेद में कुल मिलाकर १०१७ सूक्त है। यदि ११ बालखिल्य सूक्तों को भी इसमें अन्तर्गत कर लिया जाय तो ऋग्वेद के कुल सूक्तों की संख्या १०२८ हो जाती है। संभवतः ये बालखिल्य सूक्त परिशिष्ट रूप में हैं और बाद में जोड़े गये हैं। यही कारण है कि अनेक विद्वान् इन्हें ऋग्वेद का अंग नहीं मानते और इस वेद की कुल सूक्त संख्या १०१७ समझते हैं। ये १०१७ या १०२८ सूक्त १० मण्डलों में विभक्त हैं। वेद के प्रत्येक सूक्त व ऋचा (मन्त्र) के साथ उसके 'ऋषि' और 'देवता' का नाम दिया गया है। ऋषि का अर्थ है मन्त्रद्रष्टा या मन्त्र का दर्शन करने वाला। यजुर्वेद के दो प्रधान रूप इस समय मिलते हैं, शुक्ल-यजुर्वेद और कृष्ण-यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं जिसकी दो शाखायें उपलब्ध है कृण्व और माध्यन्दिनीय। कृष्ण यजुर्वेद की चार शाखायें प्राप्त होती हैं काठक संहिता, कपिष्ठल संहिता, मैत्रेयी संहिता और तैत्तरीय संहिता।

सामवेद की तीन शाखायें इस समय मिलती है कौथुम शाखा, राणायनीय शाखा और जैमिनीय शाखा। पुराणों में तो सामवेद की सहस्र शाखाओं का उल्लेख है। सामवेद के दो भाग हैं पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। दोनों भागों को मिलाकर मन्त्र-संख्या १८१० है। इसमें अनेक मन्त्र ऐसे भी हैं जो एक से अधिक बार आये हैं। यदि इन्हें अलग कर दिया जाय तो सामवेद मन्त्रों की कुल संख्या १५४९ रह जाती है। इनमें से भी १४७४ मन्त्र ऐसे हैं जो ऋग्वेद में भी पाये जाते हैं। इस प्रकार सामवेद के अपने मन्त्रों की संख्या केवल ७५ रह जाती है। सामरूप में ऋचाएं वैदिक ऋषियों द्वारा सगान के लिए प्रयुक्त होती

थी। अथर्ववेद की दो शाखायें इस समय मिलती हैं शौनक और पिप्पलाद। अथर्ववेद में कुल मिलाकर २० काण्ड और ७३२ सूक्त हैं। सूक्तों में मन्त्रों को यदि गिना जाय तो उनकी संख्या ६००० के लगभग पहुंच जाती है। इनमें से भी बहुत-से मन्त्र ऐसे हैं जो ऋग्वेद में भी पाये जाते हैं।

वैदिक साहित्य में चार वैदिक संहिताओं के अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रन्थों को भी सम्मिलित किया जाता है। इन ब्राह्मण ग्रन्थों में उन अनुष्ठानों का विशद रूप से वर्णन है जिनमें वैदिक मन्त्रों को प्रयुक्त किया जाता है। अनुष्ठानों के अतिरिक्त इनमें वेद मन्त्रों के अभिप्राय व विनियोग की विधि का भी वर्णन है। प्रत्येक ब्राह्मण-ग्रन्थ का किसी वेद के साथ सम्बन्ध है और उसे उसी वेद का ब्राह्मण माना जाता है। ऋग्वेद का प्रधान ब्राह्मण ग्रन्थ ऐतरेय है। ऋग्वेद का दूसरा ब्राह्मण ग्रन्थ कौशीतकी या सांख्यायन है। कृष्ण-यजुर्वेद का ब्राह्मण तैत्तिरीय है। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण शतपथ है जो अत्यन्त विशाल ग्रन्थ है। इसमें कुल मिलाकर सौ अध्याय हैं जिन्हें चौदह काण्डों में विभक्त किया गया है। सामवेद के तीन ब्राह्मण हैं ताण्ड्य महाब्राह्मण षड्विंश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। अनेक विद्वानों के अनुसार ये तीनों ब्राह्मण ग्रन्थ अन्य ब्राह्मण ग्रन्थों की अपेक्षा प्राचीन हैं। अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपथ है।

वैदिक ऋषि आध्यात्मिक दार्शनिक व पारलौकिक विषयों का भी चिन्तन किया करते थे। आत्मा क्या है सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है सृष्टि किन तत्वों से बनी है इस सृष्टि का कर्ता व नियामक कौन है जड़ प्रकृति से भिन्न जो चेतन सत्ता है उसका क्या स्वरूप है—इस प्रकार के प्रश्नों पर भी वे विचार किया करते थे। इन गूढ़ विषयों का चिन्तन करने वाले ऋषि व विचारक प्रायः जंगलों व अरण्यों में निवास करते थे जहां वे आश्रम बनाकर रहते थे। यहीं उस साहित्य की सृष्टि हुई जिसे आरण्यक व उपनिषद् कहते हैं। अनेक आरण्यक ब्राह्मण ग्रन्थों के ही भाग हैं। इन ऋषियों ने अरण्य में स्थापित आश्रमों में जिन आरण्यकों व उपनिषदों का विकास किया उनकी संख्या दो सौ से भी ऊपर है।

ऐतरेय उपनिषद—यह ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण का एक भाग है। ऋग्वेद के दूसरे ब्राह्मण ग्रन्थ कौशीतकी ब्राह्मण के अन्त में भी आरण्यक भाग है जिसे कौशितकी उपनिषद कहते हैं।

यजुर्वेद का अन्तिम अध्याय ईशोपनिषद् के रूप में है। शुक्ल-यजुर्वेद के ब्राह्मण-ग्रन्थ शतपथ ब्राह्मण का अन्तिम भाग आरण्यक रूप में है जिसे बृहदारण्यकोपनिषद कहते हैं। कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण-ग्रन्थों के अन्तर्गत कठोपनिषद् श्वेताश्वतरोपनिषद तैत्तरीय उपनिषद और मैत्रायणीय-उपनिषद् हैं। सामवेद के ब्राह्मण ग्रन्थों के साथ सम्बन्ध रखने वाले उपनिषद केन और छान्दोग्य हैं। अथर्ववेद के साथ मुण्डकोपनिषद् प्रश्नोपनिषद और माण्डूक्य-उपनिषद का सम्बन्ध है।

वेदांग

वैदिक-साहित्य के महत्वपूर्ण भाग वे ग्रन्थ भी हैं जिन्हें वेदांग नाम से जाना जाता है। वेदांग संख्या में छः हैं—शिक्षा छन्द व्याकरण निरुक्त ज्योतिष और कल्प।

शिक्षा का अभिप्राय उस शास्त्र से है जिसमें वर्णों व शब्दों का सही उच्चारण प्रतिपादित किया जाता है। इस शास्त्र के प्राचीन ग्रन्थ प्रातिशाख्य कहाते हैं। विभिन्न वैदिक संहिताओं के प्रातिशाख्य निम्नलिखित हैं—(१) शौनक द्वारा रचित ऋग्वेद प्रातिशाख्य

(२) तैतिरीय प्रातिशाख्य-सूत्र, (३) कात्यायन द्वारा विरचित वाजसनेयी प्रातिशाख्य-सूत्र और (४) अथर्ववेद प्रातिशाख्य-सूत्र। इन चार मुख्य प्रातिशाख्यों के अतिरिक्त भारद्वाज, वसिष्ठ, व्यास, याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों द्वारा रचित अन्य प्रातिशाख्य ग्रन्थ भी हैं। इन सब में वेद मन्त्रों के शुद्ध उच्चारण के ढंग का प्रतिपादन किया गया है। प्रातिशाख्यों से पूर्व भी शिक्षा शास्त्र की सत्ता थी। प्राचीन अनुश्रुति के अनुसार इस शास्त्र का प्रारम्भ बाभ्रव्य ऋषि द्वारा हुआ था।

वेदों को भली प्रकार से समझने के लिये व्याकरण शास्त्र बहुत उपयोगी है। संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध व्याकरण ग्रन्थ पाणिनीय अष्टाध्यायी है जिसे पाणिनि मुनि ने बनाया था। किन्तु पाणिनि की अष्टाध्यायी वेदांग के अन्तर्गत नहीं है क्योंकि उसमें प्रधान तया लौकिक संस्कृत भाषा का व्याकरण दिया गया है। वेद या छन्दस भाषा के नियम उसमें अपवाद रूप में ही दिये गये हैं। अष्टाध्यायी में रूप में संस्कृत-व्याकरण अपने विकास व पूर्णता की चरम सीमा को पहुँच गया था। चन्द्र, इन्द्र आदि अनेक प्राचीन वैयाकरणों के ग्रन्थों की सत्ता के प्रमाण प्राचीन साहित्य में मिलते हैं। यास्क के निरुक्त में शाकपूणि नामक एक आचार्य का उल्लेख आता है जो व्याकरण शास्त्र का बड़ा आचार्य था।

निरुक्त शास्त्र भी एक वेदांग है, जिसमें शब्दों की व्युत्पत्ति या निरुक्ति का प्रतिपादन किया गया है। यास्काचार्य का निरुक्त इस शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रन्थ है। ज्योतिष शास्त्र भी छः वेदांगों में से एक है। बाद में इस शास्त्र का भारत में बहुत विकास हुआ और आर्यभट्ट वराहमिहिर आदि अनेक ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने इस विद्या को बहुत उन्नत किया, पर प्राचीन युग का केवल एक ग्रन्थ इस समय मिलता है जिसका नाम 'ज्योतिषवेदांग' है।

वैदिक साहित्य के पश्चात् सूत्र साहित्य प्रारम्भ होता है। सूत्रों के तीन विभाग हैं—(१) कल्पसूत्र (२) गृह्यसूत्र और (३) धर्मसूत्र। कल्पसूत्रों में वैदिक यज्ञों का शास्त्रीय ढंग से वर्गीकरण और वर्णन किया गया है। गृह्यसूत्र में गृहस्थ से सम्बन्ध रखने वाले संस्कारों, कर्मकाण्ड और मौसमी यज्ञों का विधान है।

वर्तमान समय में जो सूत्र ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं उनमें अधिक महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं—गौतम धर्मसूत्र, बौधायनसूत्र, आपस्तम्बसूत्र, मानवसूत्र, काठकसूत्र, कात्यायन श्रौत सूत्र, पारस्कर गृह्यसूत्र, आश्वलायन श्रौतसूत्र, आश्वलायन गृह्यसूत्र, साख्यायन श्रौत सूत्र, साख्यायन गृह्यसूत्र, लाट्यायन श्रौतसूत्र, गोभिल गृह्यसूत्र, कौशिकसूत्र और वैतान श्रौतसूत्र। इन विविध सूत्र ग्रन्थों के नाम से ही यह बात सूचित होती है कि इनका निर्माण विविध प्रदेशों में और विविध सम्प्रदायों में हुआ है।

सूत्रों के पश्चात् अपने वर्तमान रूप में रामायण और महाभारत जो भारतीय महाकाव्य आते हैं। रामायण के रचयिता वाल्मीकि ने अपने नायक राम के चरित्र के आधार से तत्कालीन राजनीति, समाजनीति, धर्म और दूसरे अन्य विषयों का चित्रण किया है। मूल महाभारत के रचयिता व्यासजी थे। इन दोनों ग्रन्थों के साथ ही पुराणों का उल्लेख करना आवश्यक है। शायद रचनाक्रम में ये अपने मुख्य भागों में महाकाव्यों के ही समकालीन है, परन्तु विषय की दृष्टि से भारतीय इतिहास के आदिमकाल से लेकर गुप्तकाल तक की सामग्री इनमें संगृहीत है। परम्परानुसार पुराणों की संख्या अट्ठारह बतायी जाती है। वाराह पुराण में पुराणों की नामावली इस क्रम से दी हुई है—ब्रह्मपुराण, पद्मपुराण, विष्णुपुराण, भागवतपुराण, नारदपुराण, मार्कण्डेयपुराण, अग्निपुराण, भविष्यपुराण, ब्रह्मवैवर्तपुराण, लिंगपुराण, वाराहपुराण, स्कन्द

पुराण, पद्मपुराण, वामनपुराण, स्कन्दपुराण तथा ब्रह्माण्डपुराण। जैसे सभी पुराणों का उपयोग किसी न किसी रूप में भारतीय इतिहास रचना के निमित्त होता ही है किन्तु मत्स्यपुराण, वायुपुराण, विष्णुपुराण, ब्रह्माण्डपुराण, भागवतपुराण और भविष्यपुराण और इन पुराणों का बहुत अधिक महत्त्व है। पौराणिक परिभाषा के अनुसार इसके पांच विषय हैं—(१) सर्ग (सृष्टि) (२) प्रतिसर्ग (३) वंश (वंशावली का) (४) मन्वन्तर और (५) वंशानुचरित (राजवंशों का चरित इतिहास)।

छः वेदांगों के अतिरिक्त इस युग में चार उपवेदों का भी विकास हुआ। ये उपवेद निम्नलिखित हैं—आयुर्वेद, धनुर्वेद, गन्धर्ववेद और स्थापत्यवेद। चिकित्साशास्त्र आयुर्वेद के अन्तर्गत है। चरक, सुश्रुत आदि आचार्यों ने चिकित्साशास्त्र सम्बन्धी जो ग्रन्थ लिखे थे वे आजकल उपलब्ध हैं। इन विद्याओं का उदय समझा जाता है। इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि प्राचीन आर्य केवल धार्मिक अनुष्ठान और ब्रह्मविद्या का ही चिन्तन नहीं करते थे, अपितु चिकित्सा, युद्ध विद्या, शिल्प और संगीत आदि लौकिक विषयों का भी अनुशीलन करते थे।

छान्दोग्य

इस उपनिषद् के सप्तम प्रपाठक में महर्षि सनत्कुमार और नारद का संवाद आता है जिसमें सनत्कुमार के यह पूछने पर कि उन्होंने किन किन विषयों का अध्ययन किया है, नारद ने इस प्रकार उत्तर दिया—हे भगवन्! मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का अध्ययन किया है, मैंने पंचम वेद इतिहास पुराण को पढ़ा है, मैंने पितृविद्या, राशिविद्या (गणित), दैवविद्या, निधि विद्या (खान सम्बन्धी विद्या), वाकोवाक्य (तर्कशास्त्र), एकायन (नीति शास्त्र), ब्रह्मविद्या (अध्यात्म शास्त्र), भूतविद्या, क्षत्रविद्या (युद्ध शास्त्र), नक्षत्र विद्या (ज्योतिष), सर्प विद्या और देवजन विद्या को पढ़ा है।

अन्य अनेक लौकिक विद्याओं के समान इस युग में दण्डनीति या अर्थशास्त्र का भी भलीभांति विकास हुआ। महाभारत का शान्तिपर्व राजधर्मशास्त्र का अत्यन्त उत्कृष्ट व विशद ग्रन्थ है। उसमें इस युग की राजनीति व सामाजिक विचारों पर अच्छा सुन्दर प्रकाश पड़ता है। कौटिल्यीय अर्थशास्त्र की रचना मौर्यकाल के आरम्भ में हुई पर उसमें अनेक प्राचीन आचार्यों का उल्लेख मिलता है जिनकी सम्मति को बार-बार आचार्य चाणक्य ने उद्धृत किया है। इनमें से कतिपय के नाम निम्नलिखित हैं—भारद्वाज, विशालाक्ष, पाराशर, पिशुन, कौणपदन्त, वातव्याधि और बाहुदन्तीपुत्र। इन आचार्यों के अतिरिक्त चाणक्य ने मानव, बार्हस्पत्य, औशनस आदि अनेक सम्प्रदायों का उल्लेख किया है जिनसे स्पष्ट है कि राजनीतिशास्त्र-सम्बन्धी विविध विचारधाराओं का विकास हुआ था।

भारत की प्राचीन परम्परा के अनुसार छः आस्तिक दर्शन हैं। इनके नाम निम्नलिखित हैं—सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदान्त। ये छः दर्शन आस्तिक व वेदसम्मत माने जाते हैं। इनके अतिरिक्त कतिपय अन्य दर्शनों का विकास भी प्राचीन समय में हुआ था जिन्हें नास्तिक व चार्वाक कहा जाता है।

जैन साहित्य

जैन आगमों के धार्मिक साहित्य को हम प्रधानतया छः भागों में विभक्त कर सकते हैं—(१) द्वादश अंग (२) द्वादश उपांग (३) दस प्रकीर्ण (४) षट् छेद सूत्र (५) चार मूल सूत्र (६) विविध।

द्वादश अंग—(१) आयारंग सुत्त (२) सूयगडंग (३) ठाणांग (४) समवायांग,

(५) भगवती सूत्र (६) नानधर्म कथा, (७) उवासगन्माओ, (८) अन्त कृद्दशा, (९) अनुत्तरोपपातिक दशा, (१०) प्रश्न व्याकरण, (११) विपाकश्रुतम, (१२) दृष्टिवाद।

द्वादश उपांग प्रत्येक अग का एक एक उपाग है—इनके नाम निम्नलिखित हैं— (१) औपपातिक, (२) राजप्रश्नीय, (३) जीवाभिगम (४) प्रज्ञापना, (५) जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, (६) चन्द्रप्रज्ञप्ति (७) सूर्यप्रज्ञप्ति (८) निरयावली (९) कल्पावतंसिका (१०) पुष्पिका, (११) पुष्पचूलिका (१२) वण्हिदशा।

दस प्रकीर्ण इनमे जैन धर्म सम्बन्धी विविध विषयो का वर्णन है। इनके नाम निम्नलिखित है—(१) चतुःशरण (२) संस्तारक (३) आतुरप्रत्याख्यानम भक्तपरिज्ञा (४) तन्दुल वैचारिका (५) चन्द्रवध्यक, (६) गणिविद्या, (७) देवेन्द्रस्तव (८) वीरस्तव (९) महाप्रत्याख्यान।

षट् छेदसूत्र—इन सूत्रो मे जैन भिक्षु और भिक्षुणियो के लिए विविध नियमो का वर्णन कर उन्हें दृष्टान्तो द्वारा प्रदर्शित किया गया है। छेदसूत्रो के नाम निम्नलिखित हैं— (१) व्यवसाय सूत्र (२) बृहत्कल्प सूत्र (३) दशाश्रुतस्कन्ध सूत्र (४) निशीथ सूत्र (५) महानिशीथ सूत्र (६) जितकल्प सूत्र।

चार मूलसूत्र—इनके नाम निम्नलिखित हैं—(१) उत्तराध्ययन सूत्र (२) दशवैकालिक सूत्र (३) आवश्यक सूत्र (४) ओघनिर्युक्ति सूत्र।

विविध

इस श्रेणी मे बहुत से ग्रन्थ आते है परन्तु उनमे सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण नन्दिसूत्र और अनुयोगद्वार हैं। इनमे बहुत प्रकार के विषयो का समावेश है। जैन भिक्षुओ को जिन विषयो का भी परिज्ञान था, वे प्राय सभी इनमे आ गए हैं।

बौद्ध साहित्य

विनय पिटक के तीन भाग है—(१) सुत विभग (२) खन्धक और (३) परिवार। सुतविभग दो भागो मे विभक्त है भिक्खुविभग और भिक्खुनीविभग। खन्धक के अन्तर्गत दो ग्रन्थ हैं—महावग्ग और चुल्लवग्ग। विनय पिटक का सार परिवार है और उसमे प्रश्नोत्तर रूप मे बौद्ध भिक्खुओ के नियम व कर्त्तव्य दिए गए हैं। सुत पिटक—इस पिटक के अन्तर्गत पाच निकाय है—(१) दीघ निकाय (२) मज्झिम निकाय (३) अगुत्तर निकाय (४) सयुक्त निकाय और (५) खुद्दकनिकाय। दीघनिकाय के तीन खण्ड हैं और उनमे कुल मिलाकर ३४ दीर्घाकार सुत या सूक्त हैं। इनमे सबसे अधिक प्रसिद्ध महापरिनिब्बानसुत है। मज्झिम निकाय मे कुल मिलाकर मध्य आकार के १२५ सुत है। अगुत्तरनिकाय के कुल सुतो की सख्या २३०० है जिन्हें ११ खण्डो मे विभक्त किया गया है। सयुक्तनिकाय मे ५६ सुत हैं जिन्हें पाच वग्गो (वर्गो) मे बाटा गया है। खुद्दकनिकाय के अन्तर्गत १५ विविध पुस्तक है जिनके नाम निम्नलिखित हैं—खुद्दक पाठ, धम्मपद उदान इतिवुतक सुतनिपात विमानवत्थु थेरगाथा थेरीगाथा जातक निद्देस पटिसम्भिदा, अपदान बुद्धवस और चरियापिटक। इनमे ५५० के लगभग कथायें दी गई है जिन्हे महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मो की कथाओ के रूप मे लिखा गया है। अभिधम्म पिटक—इस पिटक मे बौद्ध धर्म का दार्शनिक विवेचन और आध्यात्मचिन्तन सम्मिलित है। इसके अन्तर्गत सात ग्रन्थ हैं—(१) धम्मसगनि (२) विभग, (३) धातु कथा (४) पुग्गलपञ्ञत्ति (५) कथावत्थु (६) यमक और (७) पट्ठान। बौद्ध धर्म के जिस साहित्य का हमने ऊपर परिचय दिया है वह पालि भाषा मे है।

: ६ :

भारतीय विचारक

महापुरुष एवं समाज-सुधारक

भारत ऋषि-मुनियों एवं महापुरुषों का धर्मप्राण देश है। विभिन्न कालों में अनेक ऋषि महात्माओं, महापुरुषों एवं समाज-सुधारकों ने नास्तिकता एवं समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करके आध्यात्मिकता एवं नैतिकता का प्रचार प्रसार किया। इन महान पुरुषों के कारण ही भारत ने जगतगुरु पद प्राप्त किया।

महर्षि वेदव्यास ये महर्षि पाराशर के पुत्र थे। उन्होंने वेद ज्ञान को संकलित किया इसलिए वेदव्यास कहलाये। बाद में उन्होंने पुराणों का संकलन किया। महाभारत के रचयिता भी वेदव्यास ही थे। 'वेदांत दर्शन' की भी उन्होंने रचना की।

मनु मनु ने ही 'मनुस्मृति' के रूप में मानव (व्यक्ति एवं समाज) के लिए प्रथम आचार विचार संहिता की रचना की। मनु ने महर्षि भृगु से ज्ञान प्राप्त किया था। मनुस्मृति धर्मशास्त्र एवं समाजशास्त्र का मुख्य आधार है।

महर्षि याज्ञवल्क्य मिथिला में महाराजा विदेह की सभा में गार्गी से उनका शास्त्रार्थ हुआ। उन्होंने शतपथ ब्राह्मण 'प्रतिज्ञासूत्र' एवं 'याज्ञवल्क्य स्मृति' की रचना की। उन्होंने व्याकरण, धनुर्वेद तथा आयुर्वेद पर भी कुछ ग्रंथ लिखे।

आदि कवि वाल्मीकि 'मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः
यत् क्रौञ्चमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्।

आदि कवि के मुख से प्रथम उपर्युक्त श्लोक व्याध द्वारा क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को मारे जाने पर निकला। वाल्मीकि प्रारम्भ में लूटमार व हिंसा करके परिवार का पालन करते थे। एक बार घर वालों के इस उत्तर से कि 'लूट आप करते हैं अतः फल भी आप ही भोगें हम क्यों?" उनका जीवन बदल गया। वाल्मीकि ने पापों के प्रायश्चित के लिए तपस्या की। वे महर्षि बन गये। तमसा तट पर उनके आश्रम में श्री राम द्वारा निर्वासिता सीता रही, वहीं लव-कुश हुए। उन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की।

महर्षि पतंजलि पाणिनी के व्याकरण पर महाभाष्य के अतिरिक्त उन्होंने वैद्यक शास्त्र, व्याकरण शास्त्र एवं योग शास्त्र की रचना की। आयुर्वेद शास्त्र के क्षेत्र में वही चरक कहलाये। योग व तपस्या के बल पर उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अथाह ज्ञान प्राप्त किया।

महावीर जैनधर्म के २४वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म वज्जि गणराज्य के ज्ञातृ राजकुल में हुआ था। ३० वर्ष की आयु में भिक्षु होकर उन्होंने केवलि पद प्राप्त

किया तथा धर्म का प्रचार किया। पावापुरी (बिहार) में धर्मप्रचार करते हुए ५२० ई० पूर्व में उनका निधन हो गया।

गौतम बुद्ध लुम्बिनी उद्यान में ५६७ ई० पूर्व महाराजा शुद्धोदन के घर सिद्धार्थ का जन्म हुआ। अचानक सांसारिक माया के कुछ दृश्य देखकर वे गृहस्थी से विरक्त हो भाग निकले। गया में वट वृक्ष के नीचे तपस्या करने के बाद उन्होंने बौद्ध मत की स्थापना की। वे हिंसा व उच्च नीच की भावना के प्रबल विरोधी थे तथा समानता के पोषक।

आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य जिस समय भारत पर बौद्धों का प्रभाव बढ़ रहा था उस समय केरल के एक नम्बूद्रीपाद ब्राह्मण के घर में शंकर ने जन्म लिया। शंकर ने अल्पायु में ही वेद शास्त्रों का गहन अध्ययन करके सनातनधर्म की रक्षा के लिए नास्तिकों को शास्त्रार्थ की चुनौती दी। उन्होंने समस्त देश की यात्रा की तथा सनातनधर्म की पुनः स्थापना की। आचार्य शंकर ने पुरी, द्वारका, शृंगेरी एवं बद्रीनाथ में अपने पीठ स्थापित करके एक एक शिष्य पर देश के चारों कोनों में धर्म प्रचार का भार सौंपा। उन्होंने अनेक शास्त्रों का भाष्य किया। उनके शास्त्रार्थों से पराजित होकर अनेक बौद्ध विद्वानों ने सनातनधर्म की शरण ग्रहण की। उनके अद्वैतवाद का न केवल भारत अपितु विदेशों में भी भारी प्रभाव पड़ा। आज भी उनके द्वारा स्थापित चारों पीठों पर उनके उत्तराधिकारी के रूप में आचार्य अधिष्ठित हैं।

श्री रामानुजाचार्य श्री रामानुजाचार्य का जन्म दक्षिण भारत के तिरकुनूर ग्राम में हुआ। उन्होंने काञ्ची में विद्या व शास्त्रों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण भारत की यात्रा करके धर्म प्रचार किया। विशिष्टाद्वैत मत का प्रचार किया तथा प्रस्थानत्रयी का भाष्य किया। श्रीरंगम में श्री रंगनाथ मंदिर का विस्तार कराया। आचार्य रामानुज की परम्परा में अब तक अनेक उच्चकोटि के विद्वान आचार्य होते आये हैं।

श्री माधवाचार्य श्री माधवाचार्य का जन्म विक्रम सम्वत १२६५ में मद्रास के बेलालि ग्राम में हुआ था। उनका बचपन का नाम वासुदेव था। ११ वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने संन्यास लेकर धर्मशास्त्रों का अध्ययन कर लिया तथा गीता का भाष्य किया। देश का भ्रमण करके उन्होंने भक्ति की धारा प्रवाहित की। उन्होंने द्वैत मत का प्रचार किया।

श्री निम्बार्काचार्य गोदावरी के तट पर वैदूर्यपत्तन के निकट श्री अरुणमुनि के घर नियमानन्द का जन्म हुआ। वे ही आगे चलकर निम्बार्काचार्य के नाम से विख्यात हुए। उन्होंने वेदान्त सूत्रों पर वेदान्त पारिजात सौरभ के नाम से भाष्य लिखा। श्रीमद्भागवत को प्रमुख धर्मग्रंथ मानकर उन्होंने देश में द्वैताद्वैत सिद्धान्त का प्रचार किया।

श्री वल्लभाचार्य श्री वल्लभाचार्य का जन्म दक्षिण भारत के एक विद्वान तैलंग ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने ग्यारह वर्ष की आयु में ही काशी में श्री माधवेन्द्रपुरी नामक शास्त्रज्ञ विद्वान से शास्त्राध्ययन किया। देश की धर्मप्रचार यात्रा की तथा पंडितों से शास्त्रार्थ किये। उन्होंने शुद्धाद्वैत सिद्धान्त की प्रतिष्ठापना की। वे पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे।

श्री रामानन्दाचार्य मुसलमानों के समय में पीड़ित हिन्दू जनता में भक्ति की भावना के द्वारा आत्मविश्वास उत्पन्न करने वालों में आचार्य रामानन्द का नाम प्रमुख है। संत कबीर दास ने आचार्य रामानन्द से ही रामनाम की दीक्षा ली थी। उन्होंने शैव और वैष्णवों के द्वेष को दूर किया तथा हिन्दू जनता में मुसलमान शासकों के अत्याचारों का धैर्यपूर्वक सामना करने की भावना जाग्रत की। उन्होंने उच्च-नीच की भावना को अधर्म बताया तथा एकता व समानता का प्रचार किया।

चतन्य महाप्रभु जन्म बंगाल के नदिया ग्राम में हुआ था। जन्म का नाम निमाई था। अल्पायु में ही पांडित्य प्राप्त कर लिया तथा तत्पश्चात भक्ति की ओर अग्रसर हुए। उन्होंने श्रीमद्भागवत को ही गीता एवं ब्रह्मसूत्र का भाष्य माना। भगवन्नाम संकीर्तन को वे मुक्ति का साधन मानते थे।

समर्थगुरु रामदास औरंगजेब के अत्याचारों से त्रस्त हिन्दू जनता में नवचेतना उत्पन्न करने के लिए महाराष्ट्र में समर्थगुरु रामदास का जन्म हुआ था। बारह वर्ष की घोर तपस्या के पश्चात श्री समर्थ ने बद्रीनाथ से रामेश्वरम तक की तीर्थ यात्रा की तथा अनेक स्थानों पर भगवान राम व महावीर हनुमान के मंदिर स्थापित कराये। उन्होंने 'श्री राम जयराम-जय-जय राम' का महामंत्र हिन्दू जनता को दिया तथा शिवाजी को मुगल साम्राज्य ध्वस्त करके हिन्दूराज्य स्थापित करने की प्रेरणा दी। 'दासबोध' समर्थगुरु रामदास का प्रसिद्ध ग्रंथ है।

संत तुकाराम उनका जन्म सम्वत् १६६५ में महाराष्ट्र में हुआ था। अल्पायु में ही वे भजन कीर्तन एवं स्वाध्याय में लीन रहने लगे। उन्होंने प्रभु भक्ति के अनेक पद रचे। संत तुकाराम भगवान विट्ठलनाथ के उपासक थे। कुछ कट्टरपंथी ब्राह्मणों ने उन्हें शूद्र बता कर उनके विरुद्ध प्रचार किया किन्तु उन्होंने यह सिद्ध कर दिखाया कि भगवान के मंदिर में कोई ऊंच-नीच नहीं है, सब बराबर हैं। छत्रपति शिवाजी को समर्थगुरु रामदास से साक्षात्कार कराने वाले संत तुकाराम ही थे। उनके अभंग महाराष्ट्र में बहुत लोकप्रिय हैं।

संत ज्ञानेश्वर उनका जन्म भी महाराष्ट्र में ही हुआ था। उनको भी कट्टरपंथी ब्राह्मणों ने अस्पृश्य बताकर घृणा प्रकट की किन्तु उन्होंने चमत्कार दिखाकर कट्टरपंथियों को लज्जित कर दिया। १५ वर्ष की आयु में ही 'ज्ञानेश्वरी' गीताभाष्य कर लिया। संत ज्ञानेश्वर ऊंच-नीच की भावना के प्रबल विरोधी थे।

संत एकनाथ पैठण (महाराष्ट्र) में जन्म लेने के बाद केवल सात वर्ष की आयु में ही उन्होंने शूलभंजन पर्वत पर भगवान श्रीकृष्ण की उपासना की। चतुःश्लोकी भागवत पर ओवी छन्द में एक ग्रंथ लिखा। वे प्राणीमात्र में भगवान के दर्शन करते थे। गंगोत्री से गंगाजल की कांवर लेकर रामेश्वरम् जाते समय रास्ते में प्यास से तड़पते गधे को उन्होंने गंगाजल पिला दिया साक्षात रामेश्वरम् ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिये। इसी प्रकार पितृ श्राद्ध के समय पांच भूखे चमारों को उन्होंने भोजन कराया। इस पर ब्राह्मणों ने भोजन करने से इन्कार कर दिया, किन्तु पितरों ने साक्षात प्रकट होकर श्राद्ध भोजन ग्रहण किया। उन्होंने भागवत एवं एकादश स्कंध का भाष्य किया। रुक्मिणी स्वयंवर एवं रामायण भी लिखा।

संत नामदेव छीपी परिवार में जन्मे संत नामदेव की भक्ति से प्रभावित होकर अनेक ब्राह्मणों को भी उनका शिष्यत्व स्वीकार करना पड़ा। पंढरपुर में विट्ठल भगवान की उपासना की तथा घमंडी ब्राह्मणों के मद को चूर करके भगवद्-साक्षात्कार किया। संत ज्ञानेश्वर जी के साथ तीर्थयात्रा करके भगवन्नाम संकीर्तन का प्रचार किया। पंजाब जाकर वहां भी भक्ति की धारा प्रवाहित की। गुरुमुखी में 'नामदेव की जनमसाखी' लिखी गई। गुरु ग्रंथ-साहब में उनके पद मिलते हैं।

गुरु गोरखनाथ वे नेपाल के सिद्ध संत मत्स्येंद्रनाथ के प्रमुख शिष्य थे। उन्होंने तप एवं हठयोग का उद्धार किया तथा सिद्धि प्राप्त की। उन्होंने आलस्य, प्रमाद,

भोग तथा भेदभाव की भावना का प्रबल विरोध करके तप, त्याग एवं योग की साधना का मार्ग बताया। उनके नाथ सम्प्रदाय का भारत के अतिरिक्त नेपाल में भी प्रमुख स्थान है।

संत कबीरदास : छुआछूत, पाखंड एवं कुरीतियों पर तीव्र प्रहार करने वाले संत कबीरदास ने स्वामी रामानन्द से राम-नाम की दीक्षा प्राप्त करके कपड़ा बुनने के साथ-साथ दोहे लिखने प्रारम्भ किये। ढोंग एवं पाखंड पर उन्होंने अपनी साखियों में तीव्र व्यंग्य किया तथा आडम्बररहित भक्ति का प्रचार किया। वे राम के उपासक थे। उनके दोहों में वेद, रामायण व पुराणों का सार है।

गुरु नानकदेव : सिख पंथ के संस्थापक संत नानकदेव का जन्म १४६९ ई० में पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था। भेदभाव एवं घृणा को त्यागकर एक ईश्वर की आराधना का उन्होंने संदेश दिया। तीर्थयात्रा के बाद वे बलोचिस्तान होते हुए बगदाद, ईरान, कंधार तथा मक्का तक गये तथा ईश्वर भक्ति का प्रचार किया। ईश्वर की सर्वव्यापकता को उन्होंने अपने चमत्कारों से सिद्ध कर दिखाया। गुरु ग्रंथसाहब में नानकदेव की अमर वाणियों का संग्रह है।

संत तुलसीदास : मुगलों के अत्याचारों से क्षुब्ध हिन्दू जनता में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के तेजस्वी जीवन चरित्र से आशा का संचार करने वाले गोस्वामी तुलसीदास का भारत के जनजीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने रामचरितमानस लिखकर जनता में धार्मिक चेतना जागृत की तथा अत्याचारों से प्रबल संघर्ष करने का साहस उत्पन्न किया। संवत् १६३१ में गोस्वामीजी ने अयोध्या में रामचरितमानस लिखना प्रारम्भ किया। तत्पश्चात् काशी के असीघाट पर उनकी भक्ति एवं साधना दोनों चलती रही। गोस्वामीजी ने कवितावली, दोहावली, विनयपत्रिका, जानकीमंगल, पार्वतीमंगल आदि की भी रचना की। उन्होंने ब्रज भाषा व अवधी में काव्य लिखे।

राजा राममोहनराय : बंगाल के राधानगर में सन् १७७२ ई० में उनका जन्म हुआ। फारसी पढ़ने के बाद वे संस्कृत पढ़ने के लिए काशी भेजे गये। उपनिषदों से एक ही ब्रह्म की प्रेरणा प्राप्त करके उन्होंने बहुदेववाद का विरोध किया। वर्णाश्रम में व्याप्त कुरीतियों का उन्होंने खण्डन किया। हिन्दू समाज में कुछ समय में स्त्रियों के साथ होने वाले अत्याचारों का उन्होंने विरोध किया। सन् १८२८ ई० में ब्रह्मसमाज की स्थापना की तथा सती प्रथा, बाल विवाह, कन्या विक्रय आदि का विरोध किया। वे स्त्री शिक्षा तथा स्त्री-पुरुषों के समानाधिकार के प्रबल समर्थक थे। उनके प्रयास से स्त्री शिक्षा का भारी प्रसार हुआ। अपने विचारों के प्रचारार्थ वे इंग्लैंड गये। २७ सितम्बर १८३३ ई० को वहां उनका निधन हो गया।

स्वामी दयानन्द सरस्वती : सन् १८२४ ई० में काठियावाड़ के टंकारा गांव में उन्होंने जन्म लिया। मथुरा में स्वामी विरजानन्द से शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त उन्होंने हिन्दू समाज में व्याप्त कुरीतियों पर प्रहार करने का बीड़ा उठाया व आर्यसमाज की स्थापना की। उन्होंने मूर्तिपूजा, अवतारवाद, मृतक श्राद्ध, अस्पृश्यता आदि का विरोध किया तथा काशी के कट्टरपंथी सनातनी पंडितों से शास्त्रार्थ किया। वेदों का शुद्ध भाष्य किया तथा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। सत्यार्थप्रकाश में उन्होंने प्रचलित मतों का तर्कपूर्ण खण्डन किया तथा अस्पृश्यता व आडम्बरों को धर्म विरोधी सिद्ध किया। स्वामीजी ने बाल विवाह का विरोध किया व विधवा विवाह का समर्थन। उन्होंने सबसे पहले हिन्दी को राष्ट्र

भाषा का नाम दिया, गोहत्याबन्दी की मांग की तथा भारत की स्वाधीनता की ज्योति प्रज्ज्वलित की। उन्हें कई बार जान से मार डालने का प्रयास किया गया। जोधपुर मे धोखे से भोजन म विष दिये जाने से १६ अक्तूबर १८८३ ई० को ६० वष की आयु म इनका निधन हो गया।

स्वामी रामकृष्ण परमहस हुगली जिले के कामारपुर ग्राम म १८ फरवरी १८३६ ई० को श्री खुदीराम चट्टोपाध्याय के घर म बालक गदाधर का जन्म हुआ। इसी बालक ने आगे चलकर मा काली के मंदिर के पुजारी के रूप मे धम साधना प्रारम्भ की। काली उपासना के अतिरिक्त उन्होंने राम व कृष्ण के नाम का सकीतन किया। काली मा ने उन्हें साक्षात दशन देकर सिद्ध सत बना दिया। वे अत्यन्त त्यागी व विरक्त सत थे। नरेन्द्र जसे नास्तिक युवक को स्वामी विवेकानन्द बनाने वाले परमहस ही थे। १५ अगस्त १८८६ ई० को वे ब्रह्मलीन हो गये।

सत नारायण गुरु केरल के एक गाव म १८५४ ई० म एडवार (पिछडी) जाति मे जन्म हुआ। उस समय पिछडी जाति के लोगो को अछूत मानकर उनस दुर्व्यवहार किया जाता था तथा मन्दिरो म नही जाने दिया जाता था जिसके कारण पिछडी जाति के लोग धम परिवर्तन करने को बाध्य हो रहे थे। सत जी ने एडवा जाति के २० लाख व्यक्तियो म हिन्दू धम के प्रति गौरव की भावना जागत की तथा उनके लिये स्थान-स्थान पर नए मन्दिर व विद्यालय बनवाए। उन्होंने अपने अनुयायियो को स्वधम पर मर मिटने तथा 'एक जाति, एक धम व एक भगवान की प्रेरणा दी तथा धर्मान्तरित होने से रोका। रूढियो के विरुद्ध विद्रोह करके उन्होंने हिन्दू धम शास्त्रो की महत्ता का प्रचार किया।

लोकमान्य तिलक 'स्वतत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है' के उदघोषक बाल गंगाधर तिलक का जन्म २३ जुलाई १८५६ ई० को रत्नागिरि म हुआ था। केसरी व मराठा के सम्पादक के रूप म उन्होंने जहा देश की स्वाधीनता की ज्योति जलाई वहा हिन्दू धम की महत्ता, गोरक्षा एव युवको म नतिकता उत्पन्न करने म भारी योगदान दिया। १९०२ ई० म जब अग्रेजो ने उन्हें गिरफ्तार करके माडले जेल भेज दिया तो जेल म ही उन्होंने गीता रहस्य लिखा। ३१ जुलाई १९२० ई० को उनका निधन हो गया।

स्वामी श्रद्धानन्द जालधर जिले के तलवन गाव म १८५६ ई० म जन्म हुआ। काशी म शिक्षा-दीक्षा हुई। बरेली म स्वामी दयानन्द जी के सत्सग से प्रभावित होकर आयसमाज को जीवन समर्पित कर दिया। सस्कृत एव वदिक धम के प्रचार के लिए जालधर व अन्य स्थानो पर कन्या महाविद्यालयो की स्थापना कराई। गुरुकुल की स्थापना की। अतिम समय तक गुरुकुल के प्रचार व प्रसार म लगे रहे। विधर्मी बनाये गये हिन्दुओ को शुद्ध करके पुन वदिक धम म लाने के लिए शुद्धि आदोलन चलाया। २३ दिसम्बर १९२६ ई० को अब्दुल रशीद नामक एक मतान्ध व्यक्ति ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी।

महामना प० मदनमोहन मालवीय मालवीयजी का जन्म २५ दिसम्बर १८६१ ई० को तीथराज प्रयाग म हुआ था। वे दृढ सनातनधर्मी थे। हिन्दू सस्कृति का प्रचार एव गोरक्षा उनके मुख्य लक्ष्य थे। पुराणो पर उनकी दृढ आस्था थी। महामना ने भारतीय शिक्षा पद्धति के प्रसार के लिए काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना की। अस्पृश्यता को वे अधम मानते थे। स्त्री व अछूतो को उन्होंने मन्त्र व यज्ञोपवीत का अधिकार दिया तथा हरिजन मंदिर प्रवेश का खुला समर्थन किया। समाज सुधार व शिक्षा प्रसार के साथ-साथ राष्ट्रीय आदोलन म उन्होंने भाग लिया। अभ्युदय का सम्पादन किया। नोआखाली के हत्याकांड के समाचारो से उन्हें

आघात लगा व १२ नवम्बर १९४६ ई० को उनका निधन हो गया।

स्वामी विवेकानन्द १२ जनवरी १८६३ ई० को बंगाली परिवार में नरेन्द्र का जन्म हुआ। कालेज में अध्ययन करते समय नास्तिकता व भौतिकवाद ने घर कर लिया। जब एक दिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस से भेंट के समय नरेन्द्र ने कहा— यदि ईश्वर है तो क्या आप उसे दिखा सकते हैं? परमहंस ने हंसते हुए कहा देखो यह रहा ईश्वर बस फिर क्या था नरेन्द्र परम आस्तिक बन गया व आगे चलकर स्वामी विवेकानन्द के नाम से विख्यात हुआ। सन् १८९३ ई० में शिकागो की विश्वधर्म परिषद में भारत के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। तीन वर्षों तक उन्होंने अमेरिका में हिन्दू दर्शन व भारत की महत्ता का प्रचार किया। स्वामी विवेकानन्द ने घोषणा की— आध्यात्मविद्या हिन्दूधर्म तथा दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जायगा। स्वामी विवेकानन्द ने अस्पृश्यता शोषण तथा आडम्बर पर प्रहार किये। दरिद्रनारायण की सेवा को उन्होंने सबसे बड़ा धर्म बताया। अमेरिका व ग्रेट ब्रिटेन स्विटजरलैंड आदि देशों में पहुंचकर हिन्दू दर्शन का प्रचार किया। उन्होंने भौतिकता वादियों से कहा कि धर्म अनुभूति की वस्तु है तर्क की नहीं।

योगीराज अरविन्द उनका जन्म १८७१ ई० में बंगाल में हुआ था। उन्होंने अपने ओजस्वी लेखों व भाषणों द्वारा शिक्षित समुदाय में राष्ट्रीयता के अंकुर उत्पन्न किये। उन्होंने आह्वान किया कि राष्ट्र माता है जगत्जननी का स्वरूप है वन्देमातरम् गानमात्र न होकर एक मंत्र है। क्रान्तिकारियों से भी उनका सम्पर्क रहा। राष्ट्रभक्ति के आरोप में उन्हें जेल की यातनाएं सहन करनी पड़ी। जेल में उन्होंने आध्यात्म साधना की व भगवान् श्रीकृष्ण का साक्षात्कार किया। पाण्डीचेरी में एक आश्रम की स्थापना की। १९५० में निधन हो गया।

स्वामी रामतीर्थ उनका जन्म २२ अक्तूबर १८७३ ई० को दीपावली के दूसरे दिन पंजाब के मुरालीवाला गांव में हुआ था। प्रारम्भिक नाम तीर्थराम था। अल्पायु में ही धार्मिक रुचि उत्पन्न हो गयी किंतु साथ ही पढ़ाई में भी भारी रुचि रही तथा मैट्रिक से एम० ए० तक की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। गणित में विशेष योग्यता प्राप्त की। रामतीर्थ भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति में तल्लीन रहते थे। उन्होंने भारत में धर्म प्रचार के बाद जापान व अमेरिका में हिन्दू संस्कृति का प्रचार किया। पाश्चात्य विद्वान उनकी विद्वत्ता एवं वक्तृत्व शक्ति से भारी प्रभावित हुए। सन १९०६ ई० में ३३ वर्ष की आयु में दीपावली के दिन उनका देहान्त हो गया।

महात्मा गांधी अंग्रेजो भारत छोड़ो के उदघोषक—महात्माजी उन समाज सुधारक महापुरुषों में से थे जिन्होंने हरिजनोद्धार को प्राथमिकता देकर अस्पश्यतारूपी दानव के नाश का कदम उठाया। उनका जन्म २ अक्तूबर १८६९ ई० को पोरबंदर में हुआ था। उन्होंने ऊंच-नीच व भेदभाव के विरुद्ध जन आन्दोलन प्रारम्भ किया तथा स्वदेशी का प्रचार किया। स्वाधीनता आन्दोलन के साथ-साथ उन्होंने समाज सुधार आन्दोलन प्रारम्भ किये तथा सफलता प्राप्त की। गांधी जी रामभक्त थे तथा गीता रामायण के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा थी। रामनाम में वे अपूर्व शक्ति मानते थे। धार्मिक सहिष्णुता के लिए वे आजन्म कार्यरत रहे। उनके मन में राम रहीम में कोई भेद नहीं था। जाति-पांति के वे बड़े विरोधी थे तथा उन्होंने अपने आश्रम में अनेक हरिजन-ब्राह्मण विवाह कराकर जन्मगत जाति प्रथा का उन्मूलन किया। सत्य अहिंसा को वे सबसे बड़ा अस्त्र मानते थे इसीलिए अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने

हिंसा का कभी समर्थन नहीं किया तथा अहिंसात्मक 'सत्याग्रह' को साधन बनाया। ३० जनवरी १९४८ ई० को उनकी हत्या कर दी गई।

डा० हेडगेवार संवत १९४६ में वर्ष प्रतिपदा के दिन नागपुर में श्री बलीराम पन्त के घर जन्म हुआ। बचपन में ही स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। सन १९२८ ई० में विजया दशमी के दिन हिन्दू संगठन के लक्ष्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। हिन्दू समाज में व्याप्त ऊँच-नीच व अस्पृश्यता की भावना को समाप्त करके सभी को एक संगठन-सूत्र में बांधने की दिशा में प्रयत्न प्रारम्भ किया। हिन्दू समाज में स्वराज्य के लिए जागृति उत्पन्न की। अनुशासित जीवन को सफलता का प्रमुख साधन प्रतिपादित किया। उनका मूलमन्त्र था—'आपसी भेदभावों को समाप्त करके पूर्णरूपेण संगठित एवं अनुशासित होकर राष्ट्र व समाज की सेवा में संलग्न रहना।' सन १९४० ई० में उनका स्वर्गवास हो गया।

: ७ :

भारतीय पर्व और त्यौहार

भारत म विभिन्न मतावलम्बियो द्वारा जो पव व त्यौहार मनाये जाते हैं उनका देश की ऋतु, सस्कृति व इतिहास से अटूट सम्बन्ध है। ये पव और त्यौहार जन जीवन म नया उल्लास व उत्साह भरन के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता को सुदृढ करने म सहायक सिद्ध होते है। भारतीय पर्वों के पीछे धार्मिक पृष्ठभूमि के साथ-साथ वज्ञानिक पृष्ठभूमि भी विद्यमान है।

राष्ट्रीय त्यौहारा म दीपावली, होली, विजयादशमी एव रक्षाबधन चार प्रमुख हैं। धार्मिक दृष्टि से शिवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी रामनवमी, दुर्गापूजा आदि प्रमुख पव हैं। जन समाज महावीर-जयन्ती, बौद्ध समाज बुद्ध जयन्ती एव सिख समाज गुरु नानक-जयन्ती पव विशेष उत्साह से मनाता है। मुसलमानो के त्यौहारा म बकरीद, मुहरम, इदुलफित्तर एव रमजान प्रमुख हैं। ईसाई क्रिसमस, इस्टर-डे, गुडफ्राइडे आदि त्यौहार मनाते है।

दीपावली भारत का यह विजयोत्सव कहा जाता है। यह पव कार्तिक अमावस्या (अक्तूबर-नवम्बर) को पडता है। सास्कृतिक व ऐतिहासिक दृष्टि से यह त्यौहार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की राक्षसराज रावण पर विजय के बाद लका से अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस राष्ट्रीय पव के पीछे वज्ञानिक पुट यह है कि वर्षा मे मकानो म जो सील व कीडे मकोडे मच्छर आदि पदा हो जाते हैं उन्हें दूर करने के लिए दीपावली पव पर मकानो व दुकानो की सफाई सफेदी एव रोशनी की जाती है। पौराणिक दृष्टि से यह पव लक्ष्मी-पूजन का पव है। इस दिन विशेष रूप से व्यापारी समाज नया बहीखाता बदल कर लक्ष्मी पूजन करता है।

छठ (सूय पूजन) यह पव दीपावली के बाद कार्तिक (अक्तूबर-नवम्बर) मास के शुक्ल पक्ष म षष्ठी एव सप्तमी दो दिनो तक मनाया जाता है इसलिए इसे 'षष्ठी-व्रत' भी कहते हैं। यह वास्तव म सूयपूजन का पव है। इसम षष्ठी की सध्या एव सप्तमी की प्रात क्रमश डूबते और उगते सूय को, किसी तालाब, झील या नदी के किनारे नारियल, फल एव पकवानो (गहूं और गुड से बने) का अर्घ्य दिया जाता है। छठ, बिहार का सवप्रमुख पव है तथा यह उत्तर प्रदेश, नपाल, बगाल आदि म भी मनाया जाता है।

विजयादशमी विजयादशमी पव आश्विन शुक्ल १० (सितम्बर अक्तूबर) को होता है। इस त्यौहार को दशहरा के नाम से भी पुकारते है। इतिहास एव सास्कृतिक दृष्टि से यह दिन भगवान श्रीराम द्वारा अधम पर धम की व असत्य पर सत्य की विजय के पव के रूप म देश के कोने-कोने म मनाया जाता है। विजयादशमी से कुछ दिन पूव समस्त देश के

ग्राम ग्राम नगर-नगर में रामलीलाएं प्रारम्भ हो जाती हैं। विजयादशमी के दिन रामलीलाओं में रावण के बड़े-बड़े पुतलों को जलाया जाता है। इस दिन शस्त्रास्त्रों का पूजन किया जाता है। दशहरे के दिनों में ही आसुरी प्रवृत्तियों पर दैविक प्रवृत्तियों की विजय के प्रतीकस्वरूप देश में शक्ति-पूजा के रूप में दुर्गापूजा महोत्सव मनाया जाता है। इस दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, असम, नेपाल, बंगला देश आदि में दुर्गापूजा पर विशेष उत्सव आयोजित किये जाते हैं। मसूर का दशहरा समस्त देश में प्रसिद्ध है। भारत के अतिरिक्त नेपाल, इंडोनेशिया, मारीशस व अन्य देशों में भी विजयादशमी उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है।

रक्षाबंधन यह भाई बहन के पवित्र प्रेम का पर्व है। यह श्रावण मास की पूर्णमासी (अगस्त) के दिन मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन समस्त हिन्दू समाज में बहनें अपने भाइयों की कलाई में रक्षासूत्र (राखी) बांधती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार महाराजा इन्द्र के काल में राक्षस साधु-सन्तों व ब्राह्मणों पर अमानवीय अत्याचार करते थे। ब्राह्मणों ने इन्द्र के पास जाकर उनको राक्षसों के उन्मूलन की प्रेरणा दी और स्मरण रखने के लिए इन्द्र के हाथ में धागा बांधा। इन्द्र ने प्रतिज्ञा का पालन करते हुए राक्षसों का वध कर डाला। उसी उपलक्ष्य में यह प्रारम्भ हुआ तथा ब्राह्मण आज भी क्षत्रियों को राखी बांधते हैं।

सरस्वती पूजा (बसंत पंचमी) माघ मास (फरवरी मार्च) के शुक्ल पक्ष में पंचमी के दिन यह पर्व मनाया जाता है। इस अवसर पर विद्या की अधिष्ठात्री देवी 'सरस्वती' की पूजा की जाती है। समस्त भारत में छात्र छात्राएं इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस अवसर पर सरस्वती की प्रतिमाएँ बनायी जाती हैं तथा पूजन के दूसरे दिन विसर्जित होकर जल में प्रवाहित कर दी जाती हैं। इस तिथि को बसन्त का आगमन दिन भी मानते हैं। इस दिन अनेक स्थानों पर हकीकतराय बलिदान दिवस भी मनाते हैं।

होली यह उल्लास व आमोद प्रमोद का प्रमुख पर्व है। यह फाल्गुनी पूर्णिमा (मार्च) को होता है। होली पर बिना भेदभाव के समस्त हिन्दू जन आपस में गले मिलते हैं। एक दूसरे पर रंग व गुलाल डालकर आमोद प्रमोद करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार होली का प्रारम्भ हिरण्यकश्यप के समय में हुआ। अनीश्वरवादी हिरण्यकश्यप पर उसके ही ईश्वर विश्वासी पुत्र भक्त प्रह्लाद की विजय का यह पर्व है। पुत्र की हत्या के अनेक प्रयत्नों में असफल होकर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की गोद में बैठाकर प्रह्लाद को आग में जलाना चाहा। होलिका को आग में न जलने का वरदान था। ईश्वर की विचित्र लीला कि होलिका तो जलकर राख हो गई किन्तु प्रह्लाद का बाल बांका न हुआ। होली की रात लकड़ियां व गोबर उपलों के एक बड़े ढेर में आग लगाकर उस आग में गेहूं की बालियां भूनने की प्रथा है। इसे नवान्नेष्टि यज्ञ के नाम से पुकारते हैं। यह हिन्दुओं के पुराने वर्ष की समाप्ति एवं नव वर्ष के प्रारम्भ का पर्व है।

महावीर जयन्ती भारत में जैन मतावलम्बियों की काफी संख्या है। वे जैनधर्म के संस्थापक भगवान महावीर का जन्मदिन प्रतिवर्ष धूमधाम से मनाते हैं। महावीर जयन्ती के दिन समस्त देश के जैन मन्दिरों को सजाया जाता है। मन्दिरों में जैन धर्म से संबंधित उपदेश होते हैं तथा भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य आदि के सिद्धान्तों पर विशद प्रकाश डालते हैं।

बुद्ध जयन्ती पर्व बुद्ध जयन्ती समारोह प्रतिवर्ष वैशाखी पूर्णिमा (मई) को मनाया जाता है। यह गौतम बुद्ध (राजकुमार सिद्धार्थ) का जन्म, ज्ञान प्राप्ति एवं महानिर्वाण दिवस है। बुद्ध विहारों में लामा भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर प्रकाश डालते हैं। बुद्ध मतावलम्बी व्रतादि धार्मिक कार्य करते हैं तथा बुद्ध भगवान की शिक्षाओं पर चलने का व्रत लेते हैं।

नानक जयन्ती सिख मत के संस्थापक गुरु नानकदेव की जयन्ती प्रतिवर्ष समस्त देश में धूमधाम से मनाई जाती है। नानक जयन्ती पर गुरुद्वारों को सजाया जाता है उन पर रोशनी की जाती है तथा 'गुरु ग्रन्थ साहब' का स्थान-स्थान पर पाठ किया जाता है। नानक जयन्ती के अतिरिक्त सिख समाज गुरु गोविन्दसिंह जयन्ती गुरु अर्जुनदेव बलिदान दिवस, गुरु तेगबहादुर बलिदान दिवस आदि समारोह भी मनाता है। गुरु गोविन्दसिंह के जन्मदिन पर पटना स्थित हर-मंदिर में एक विशाल समारोह आयोजित किया जाता है।

पोंगल जनवरी के महीने में किसान वर्ग तमिलनाडु, मैसूर एवं आन्ध्र में पोंगल त्यौहार मनाता है। पोंगल सूर्य, वरुण और वायु को फसल की सफलता के लिये धन्यवाद देने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन बैलों व गायों को सजाकर उनकी पूजा की जाती है। इन प्रदेशों में पोंगल त्यौहार तीन दिन तक मनाया जाता है।

ओणम यह त्यौहार केरल में सितम्बर में वर्षा समाप्त होते ही असुर राजा महाबली की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन बसंती रंग के कपड़े पहनकर लोग उल्लास मनाते हैं।

गणेश चतुर्थी बुद्धि के देवता गणेश की पूजा का यह पर्व है। यह चतुर्थी (अगस्त सितम्बर) के दिन मनाया जाता है। महाराष्ट्र में गणेश पूजा का भारी महत्व है। इस दिन के एक माह पूर्व से गणेश पूजन प्रारम्भ होकर मूर्ति विसर्जन किया जाता है। महाराष्ट्र में श्री लोकमान्य तिलक ने राष्ट्रीय दिवस के रूप में गणेश चतुर्थी पर्व मनाना प्रारम्भ किया था। इस पर्व के माध्यम से स्वाधीनता के प्रचार में भारी योगदान मिला। प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी के दिन युवक देश को स्वाधीन कराने की प्रतिज्ञा लेते थे।

कृष्ण जन्माष्टमी यह पर्व भगवान श्रीकृष्ण के जन्मदिन के रूप में भाद्रपद के कृष्णपक्ष की अष्टमी (जुलाई अगस्त) को सम्पूर्ण देश में मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी पर ब्रज विशेषकर गोकुल, मथुरा व वृन्दावन में विशेष उत्सव आयोजित किये जाते हैं।

रामनवमी चैत्र शुक्ला ९ को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मदिवस के उपलक्ष में रामनवमी पर्व भी समस्त देश में मनाया जाता है।

शिवरात्रि फाल्गुन कृष्णपक्ष चतुर्दशी (मार्च) को समस्त देश में शिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। शिवालयों (मन्दिरों) को सजाया जाता है व धार्मिक श्रद्धालु रात्रि जागरण कर भगवान शिव की आराधना करते हैं। आर्यसमाजी शिवरात्रि पर्व को बोध दिवस के रूप में मनाते हैं। आर्यसमाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वती को इसी दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था। शिवरात्रि पर्व पर काशी में विशेष दर्शनीय आयोजन किये जाते हैं। भारत के अतिरिक्त नेपाल में शिवरात्रि महान पर्व के रूप में मनाया जाता है। वहां भगवान पशुपतिनाथ की पूजा के लिये अनेक देशों के हिन्दू पहुंचते हैं। मारीशस में भी शिवरात्रि पर्व विशेष समारोह के साथ मनाया जाता है।

द्वारा स्थापित पीठ है। वहा शकराचार्य जी ने तपस्या की थी। बद्रीनाथपुरी अलकनन्दा के पवित्र तट पर बसी हुई है। मन्दिर का पुजारी रावल कहलाता है तथा वह केरल का नम्बूद्रीपाद ब्राह्मण ही होता है। उत्तर भारत के मंदिर में दक्षिण का पुजारी रखा जाना राष्ट्रीय धार्मिक व सांस्कृतिक एकता का जीता जागता उदाहरण है।

हस्तिनापुर (मेरठ) कुरुवश की प्राचीन राजधानी था।

कुशीनगर (देवरिया) भगवान बुद्ध का निर्वाणस्थल।

हरिद्वार हरिद्वार उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख तीर्थस्थल है। गगा गोमुख से निकलने के बाद मन्दानी क्षेत्र में आई तथा उसी मदानी क्षेत्र में हरिद्वार बसा हुआ है।

हरिद्वार में पहाड़ियों की तलहटी के किनारे गगा बहती है तथा उसी पर हर की पौडी बना हुई है। हर की पौडी के बिल्कुल पास ही ब्रह्मकुड है। पौराणिक कथा के अनुसार अमृत मथन के समय देवताओं व असुरों के बीच छीना-झपटी में अमृत की एक बूद ब्रह्मकुड में गिरी थी। ब्रह्मकुड में स्नान करना मुक्ति का साधन कहा गया है। सप्तऋषि आश्रम भीमगोड़ा तथा अन्य अनेक दर्शनीय स्थल हैं। हरिद्वार की पहाड़ियों में मनसा देवी व चडी के मन्दिर हैं। हरिद्वार में कुम्भ का मेला भी लगता है। शिक्षा की दृष्टि से भी हरिद्वार का अपना विशेष महत्व है। गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय तथा ज्वालापुर महाविद्यालय के माध्यम से संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। हरिद्वार के पास ही ऋषिकेश एव लक्ष्मण झूला तीर्थ हैं। ऋषिकेश में गगा तट पर स्वर्गाश्रम, गीता आश्रम तथा अन्य अनेक मठ मन्दिर व सत्सग भवन बने हुए हैं।

काशी (वाराणसी) वाराणसी को प्राचीन शास्त्रों में काशी के नाम से सम्बोधित किया गया है। काशी आशुतोष भगवान शिव की नगरी मानी जाती है। पुराणों में काशी तीन लोक से न्यारी कहकर इसकी महत्ता प्रदर्शित की गयी है। काशी में भगवान श्री विश्वनाथ का अत्यन्त प्राचीन व विशाल मंदिर है। विश्वनाथ मन्दिर के एक भाग को धर्मांध बादशाह औरंगजेब ने ध्वस्त करके उस पर मस्जिद का निर्माण कराया था वह मस्जिद आज भी विद्यमान है। काशी शिक्षा का प्रमुख केन्द्र है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय संसार के प्रमुख विश्वविद्यालयों में गिना जाता है।

प्रयाग प्रयाग पुराणों व प्राचीन ग्रन्थों में 'तीर्थराज' के नाम से पुकारा गया है। अग्नि पुराण में इसे प्रजापति की वेदी तथा प्रजापति का क्षेत्र कहा गया है। प्रयाग में गगा यमुना व सरस्वती का सगम है। महाराजा हर्षवर्धन हर पाचवें वर्ष प्रयाग पहुचकर अपने राजकोष का एक बहुत बडा भाग दान करते थे। प्रयाग में त्रिवेणी बिंदु माधव सोमेश्वर भारद्वाज आश्रम नाग वासुकी अक्षयवट शिवजी एव दशाश्वमेध घाट दर्शनीय स्थल हैं। राजनीतिक दृष्टि से भी प्रयाग का भारी महत्व है। प० मोतीलाल नेहरू का निवास स्थान 'आनन्द भवन' स्वाधीनता आन्दोलन का एक केन्द्र रहा। आज वह राष्ट्रीय सम्पत्ति के रूप में दर्शनीय स्थल है।

राजापुर गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्मस्थान।

श्रावस्ती हिमालय की उपत्यका में गौतमबुद्ध की जन्मस्थली।

चित्रकूट उत्तर प्रदेश में जिला बांदा में स्थित चित्रकूट एक पवित्र तीर्थस्थान है।

मदाकिनी नदी के तट पर बसी इस नगरी मे भगवान श्रीराम लक्ष्मण व सीता ने बनवास के समय काफी दिना तक विश्राम किया था। कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने भी चित्रकूट म ही तपस्या की थी तथा उन्हें भगवान श्रीराम का साक्षात्कार हुआ था। चित्रकूट मे तुलसी मदिर भी दशनीय है। मदाकिनी के पास ही कामदगिरी नामक एक चोटी है जिस पर भगवान राम ने तपस्या की थी। इस स्थल की परिक्रमा की जाती है। पास ही हनुमान गढी, सीता रसोयी आदि पवित्र स्थल हैं।

अयोध्या जिला फैजाबाद स्थित श्री अयोध्याजी भगवान श्रीराम की जमस्थली के रूप म दशनीय स्थल है। अयोध्या म श्री राम का ऐतिहासिक व प्राचीन मदिर है। सरयू नदी के घाट दशनीय हैं। अयोध्या नगरी कभी अपने वैभव के लिए बडी प्रसिद्ध थी किन्तु अब वहा पर प्राचीन खण्डहर ही विद्यमान हैं। अयोध्या सप्त पुरिया म से प्रथम पुरी मानी गयी है। भगवान श्री राम से पूव के भी सूयवशी राजाओ की यह राजधानी रही। अयोध्या नगरी पर अनेक बार मुसलमान बादशाहों ने आक्रमण कर उसे ध्वस्त करने के प्रयास किये। श्रीराम के जन्म-स्थल को तोडकर उस पर मस्जिद बनाई गई।

मथुरा-वृदावन भगवान श्रीकृष्ण की जमस्थली व लीला भूमि होने के कारण ब्रज क्षेत्र का तीर्थों म अग्रणी स्थान है। मथुरा, वृदावन, गोकुल गोवधन बरसाना आदि भगवान श्रीकृष्ण के कारण प्रसिद्ध तीथस्थल हैं। मथुरा यमुना के किनारे बसा हुआ प्राचीन नगर है। यहा द्वारिकाधीश जी की मूर्ति म कामती हीरा जडा हुआ है। वृदावन मदिरा का नगर है। रगजी के मदिर म एक विशाल सोने का खम्भा है जिस पर कला का सुदर चित्रण है। बाकेबिहारी जी का मदिर भी विशेष दशनीय है। वृदावन के पास ही श्रीकृष्ण की जमस्थली गोकुल ग्राम है। तीथयात्री वृन्दावन के बाद गोकुल व बरसाना की यात्रा करते हैं। देश के अनेक श्रद्धालु नर-नारी ब्रज के साढे ८४ कोस क्षेत्र की परिक्रमा करते हैं।

आगरा मुगल बादशाह द्वारा निर्मित 'ताजमहल' के कारण यह विश्वभर के पयटका का आकषण केन्द्र है। ताजमहल के अतिरिक्त आगरा किला सिकदरा, आसफजहा का मकबरा आदि मुगल शैली के उत्कृष्ट नमूने हैं।

फतेहपुर सीकरी आगरा से ३२ कि० मी० दूर यह एतिहासिक स्थल है। अकबर द्वारा निर्मित शेख सलीम चिश्ती का मकबरा दशनीय है।

लखनऊ उत्तरप्रदेश की राजधानी के साथ-साथ यह नगर मुस्लिम सभ्यता का प्रतीक है। इमामबाडा मुस्लिम शैली का अद्भुत नमूना है। यहा के नवाबा की शान शौकत के सम्बध म अनेक किस्से प्रचलित हैं। लक्ष्मण टीला नामक स्थान के कारण इस नगर का नामकरण हुआ होगा ऐसा माना जाता है। गोमती नदी शहर के बीच से बहती है।

मसूरी यह देश के प्रमुख पवतीय स्थला मे से एक है। इसे पवता की 'रानी' के नाम से पुकारते हैं। यह लगभग दो हजार मीटर की ऊचाई पर स्थित अत्यन्त रमणीक स्थल है। गमिया के दिनों म पयटका के लिए यह स्वग समान है। पास ही चकरौता नामक सुदर पयटन स्थल है।

नैनीताल यह एक सुदर व आकषक झील के किनारे बसा हुआ पवतीय स्थल है। यह समुद्र तल से २२०० मीटर ऊचा है। इसके पास ही रानीखेत एव भीमताल नामक

सुन्दर नगरी है। अल्मोडा भी नैनीताल के पास ही है। उत्तरप्रदेश मे मसूरी, नैनीताल एव अल्मोडा पर्वतीय स्थल है।

बिहार

पटना यह चन्द्रगुप्त मौर्य एव अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र के ध्वसावशेषो पर स्थापित अत्यन्त प्राचीन नगर है। एक हजार वर्ष तक भारत की राजधानी रहा है। सिखो के अन्तिम गुरू गोविन्दसिंह के जन्मस्थल के कारण यह सिखो का तीर्थस्थल भी है। हर मन्दिर के दर्शनार्थ सिख यात्री आते है। यह बिहार की राजधानी है।

नालन्दा गुप्त सम्राटो द्वारा स्थापित नालन्दा विश्वविद्यालय कभी ससार का सर्वाधिक विशाल व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। १० हजार छात्र एक साथ अध्ययन करते थे। चीनी विद्वान ह्यूएनसाग ने उसमे सात वर्ष रहकर अध्ययन किया था। १३वी शताब्दी मे मुस्लिम आक्रान्ताओ ने उसे ध्वस्त कर डाला। आज भी विश्वविद्यालय के ध्वसावशेषो के दर्शनार्थ देश विदेश के पर्यटक आते है।

बुद्ध गया यह गया से १० कि० मी० की दूरी पर है। इसी नगरी मे भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर आत्मज्ञान प्राप्त किया था। अशोक द्वारा निर्मित ५५ मीटर ऊचा बुद्ध का मन्दिर दर्शनीय है। श्राद्ध सस्कार के लिये गया प्रसिद्ध है।

वैशाली यह लिच्छवी राजवश की राजधानी थी। इसे वैभव की नगरी माना जाता था। गौतम बुद्ध ने भी कुछ समय वैशाली मे व्यतीत किया था अत अशोक ने उनकी स्मृति मे एक स्मृतिचिह्न बनवाया। गुप्त सम्राटो के समय वैशाली सभ्यता का एक महान केन्द्र थी।

पावापुरी जैनमत के सस्थापक भगवान तीर्थकर महावीर की निर्वाण स्थली के रूप मे पावापुरी जैनियो का प्रमुख तीर्थस्थल है। जलमदिर तथा अन्य जैन मन्दिर दर्शनीय हैं।

पारसनाथ पर्वत २४वें जैनतीर्थकर पारसनाथ का निर्वाणस्थल होने के कारण यह जैनियो का तीर्थस्थल है। अत्यन्त रमणीक होने के कारण पर्यटक भारी सख्या मे आते है। पहाड़ पर पारसनाथजी के चरण चिह्न तथा मन्दिर हैं। यह हजारीबाग से लगभग ८० कि० मी० की दूरी पर स्थित है।

रांची यह बिहार का पर्वतीय स्थल है। इस नगरी की प्राकृतिक रमणीयता सुन्दर पहाड़िया वन तथा झरने पर्यटको को आकर्षित करते है। हिरनी झरना मोराबादी पहाड़ी आदि रमणीक स्थल हैं। हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन एव अन्य औद्योगिक सस्थानो के कारण इस नगरी ने भारी प्रगति की है।

राजगृह कभी यहा मगध सम्राट बिम्बिसार का शासन था। गौतम बुद्ध भी इसी नगरी मे रहे। जैनाचार्य वर्धमान महावीर ने भी १४ वर्ष राजगृह व नालन्दा मे व्यतीत किये थे। यह बौद्ध जैनियो तथा सनातनधर्मियो सभी का तीर्थस्थल है। मनियार मठ सप्तपर्णी गुफा गर्म झरने का गर्म धाराए करण्डा तालाब बिम्बसार जेल गृद्धकूट पर्वत आदि दर्शनीय स्थल हैं। यह पटना मे १०४ कि० मी० दूर है। जरासध और कृष्ण का मल्लयुद्ध यहा हुआ था। हिन्दू मान्यताओ के अनुसार हर चौथे वर्ष पड़ने वाले अधिक मास (मलिमास) मे सभी देवी-देवता यहीं वास करते हैं जिसके उपलक्ष मे एक मास तक महा

लाखो तीथयात्रियो का जमाव रहता है। यहा इस अवसर पर उष्ण जल के कुडो मे स्नान का महत्व है।

हजारीबाग-नेशनल पार्क घने जगलो से घिरा राष्ट्रीय उद्यान (नेशनल पार्क) पर्यटको के लिए भारी मनोरजन का केन्द्र है। १८१ वग कि० मी० क्षेत्र के इस विशाल उद्यान मे विभिन्न नस्लो के शेर, चीते, गडे, हिरन जगली जानवर, चिडिया, तीतर, मोर आदि की बहुतायत है।

शेरशाह का मकबरा (सहसराम) बिहार के मुगल बादशाह शेरशाह का विशाल मकबरा मुस्लिम शिल्प का महान नमूना है। सोन नदी के किनारे बना यह मकबरा अत्यन्त विशाल व कलात्मक है।

सीतामढी यह वही स्थान है जहा सीता जी का जन्म हुआ था। यह बिहार के मुजफ्फरपुर जिले म है। अकाल पडने की स्थिति म राजा जनक न यहा हल चलाया था जहा पथ्वी से एक कुम्भ निकला जिसम सीता थी। राजा जनक की राजधानी यहा से २८ मील दूर जनकपुर म थी जो अब नेपाल म है। यहा जानकी नवमी का विशाल मेला लगता है।

मध्यप्रदेश

साची (विदिशा) यहा दो हजार वष से भी अधिक प्राचीन स्तूप हैं। य सम्राट अशोक के समय के हैं। स्तूपो के द्वारो पर जातक कथाओ के दृश्य अकित हैं। स्तूपो के आस-पास प्राचीन विहार व मदिरो के भग्नावशेष बिखर पडे हैं। यह भोपाल से ६५ कि० मी० दूर है।

खजुराहो यहा के विश्वविख्यात मदिर हिदू स्थापत्यकला के अदभुत नमून हैं। मदिरो की ऊचाई को देखकर बडे-बडे विदेशी वैज्ञानिक भी आश्चयचकित रह जाते हैं। खजुराहो की पत्थर की मूर्तिया बिल्कुल प्राणवान जैसी दीखती हैं। देश विदेश के कलाकार इस भारतीय कला को देखकर मुग्ध हो जाते है।

भोपाल मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है।

पचमढी यह मध्य प्रदेश का पवतीय स्थल है। रजत प्रपात जलावतरण, सुदर-कुड, पाण्डव गुफायें छोटा महादेव, धूपगढ और चौरागढ के पवत शिखर अत्यन्त दशनीय हैं। मध्य प्रदेश सरकार के कार्यालय गर्मियो मे पचमढी म ही पहुच जाते हैं। पचमढी बम्बई-कलकत्ता मुख्य रलवे लाइन के पिपरिया रेलवे स्टेशन से ४८ कि० मी० दूर है।

उज्जन उज्जन को प्राचीन शास्त्रो म उज्जयिनी या अवतिका के नाम से सम्बोधित किया गया है। महाराजा विक्रमादित्य क समय मे उज्जयिनी भारत की राजधानी थी। द्वादश ज्योतिर्लिंगो म से एक लिंग तथा ५१ शक्तिपीठो मे से एक पीठ यहा प्रतिष्ठित है। उज्जन म पवित्र क्षिप्रा नदी बहती है। क्षिप्रा को भगवान विष्णु के शरीर से प्रगट नदी माना जाता है। क्षिप्रा तट पर पक्के व आकषक घाट बने हुए हैं। उज्जन म १२ वष म एक बार कुम्भ भी लगता है। महाकालेश्वर मदिर यहा का सबस प्रमुख व दशनीय मदिर है।

सगमरमर की चट्टानें जबलपुर से लगभग २४ कि० मी० दूर सगमरमर की चट्टानें प्रारम्भ हो जाती हैं। सगमरमर की पहाडियों क मध्य नमदा की किलकिल करती धारा

मनोरम दृश्य उपस्थित कर देती है। यह घाटी अत्यन्त मनोरम है। नर्मदा के तट से कुछ दूरी पर स्थित पहाड़ी पर कलचुरिवंश के समय का एक भव्य चौसठ योगिनी मंदिर है।

माण्डू यह प्रदेश का अत्यन्त रमणीय स्थल है। मालवा के सुलतान बाजबहादुर और रूपमती के प्रणय के प्रतीक एक भवन के खंडहर से इसकी विशालता का संकेत मिलता है। यह इन्दौर से ९६ कि० मी० की दूरी पर स्थित है।

शिवपुरी नैसर्गिक जलप्रपातों एवं तालाबों की नगरी शिवपुरी कभी ग्वालियर राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। राष्ट्रीय उद्यान के पास सख्या सागर तथा माधव सागर झीलें सौन्दर्य को और बढ़ाती हैं। १५६ वर्ग कि० मी० क्षेत्र के विशाल राष्ट्रीय उद्यान में शेर, चीता, रीछ, नीलगाय, हिरन एवं लकड़बग्घे भारी संख्या में पाये जाते हैं।

ग्वालियर यहां का भव्य किला, अकबर द्वारा सम्मानित फकीर गौस का मकबरा, महान संगीतज्ञ तानसेन की समाधि, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि आदि दर्शनीय हैं।

इन्दौर महारानी अहिल्याबाई होल्कर की राजधानी थी।

राजस्थान

जयपुर इस नगर की स्थापना महाराजा सवाई जयसिंह ने १७२८ में की थी। गुलाबी रंग के पत्थरों से बनाया गया यह नगर हिन्दू वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। महाराजा का म्यूजियम, हवामहल, बाग एवं वेधशाला दर्शनीय है। यहां से १० कि० मी० दूर स्थित आमेर भी एतिहासिक व दर्शनीय स्थल है। यह राजस्थान की राजधानी है।

उदयपुर यह राजस्थान के अत्यंत रमणीक स्थलों में से एक है। इसकी स्थापना महाराजा उदयसिंह ने की था। इसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है। पहाड़ियों के नीचे पिछोला झील है जिसमें पर्यटक नौका विहार करके आनन्द प्राप्त करते हैं। महाराणा पैलेस एवं महाराणा द्वारा निर्मित मन्दिर दर्शनीय हैं।

चित्तौड़गढ़ उदयपुर के निकट ही चित्तौड़ नामक ऐतिहासिक स्थल है। चित्तौड़ में एक विशाल किला है। चित्तौड़ सिसौदिया राजपूतों की राजधानी था तथा अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय इसी गढ़ में महारानी पद्मनी आदि क्षत्राणियों ने पतिव्रत धर्म की रक्षा के लिए जौहर (जौहर) किया था। किले में पद्मनी पैलेस, मीरा मन्दिर, विजय स्तम्भ आदि दर्शनीय हैं। महाराणा कुंभा ने मुगल आक्रान्ताओं को पराजित करने के उपलक्ष में विजय स्तम्भ निर्मित कराया था। हल्दीघाटी के एतिहासिक स्थान के पास महाराणा प्रताप के चेतक घोड़े की समाधि बनी हुई है। उदयपुर के पास ही महाराणा प्रताप के आराध्यदेव भगवान श्री एकलिंग का एतिहासिक मन्दिर भी दर्शनीय है।

नाथद्वारा यह राजस्थान का प्रमुख तीर्थस्थल है। पुष्टीमार्गीय वैष्णवों के आराध्य भगवान श्रीनाथजी की अत्यन्त प्राचीन व एतिहासिक प्रतिमा है। विशाल मन्दिर कला का अद्भुत नमूना है।

श्री महावीर जी जैन सम्प्रदाय का पवित्र तीर्थ स्थान है।

माउन्ट आबू पर्वत मालाओं और पर्यटकों के लिए अत्यन्त रमणीक स्थान है। ग्रीष्म के समय इसकी छटा देखते ही बनती है। यहां के दिलवाड़ा मन्दिर जैन मन्दिरों में प्रमुख स्थान रखते हैं। ये संगमरमर से निर्मित कराए गए हैं।

पुष्कर यह देश के प्रमुख तीर्थों में से है। यह अहमदाबाद दिल्ली मार्ग के बीच अजमेर के पास पड़ता है। पुष्कर में एक विशाल तालाब है जिसमें यात्री स्नान करने के बाद अपने पुरखों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ब्रह्माजी एवं वाराह भगवान के अद्भुत मंदिर हैं। ब्रह्माजी की चार मुखवाली प्रतिमा कलात्मक व दर्शनीय है। पुष्कर में वृंदावन के रंगजी के मंदिर की आकृति का रंगजी का मंदिर भी है। विशाल तालाब के अतिरिक्त ज्येष्ठ सरोवर, कनिष्ठ सरोवर व बूढ़ा सरोवर भी हैं। इन सरोवरों में यात्री स्नान करते हैं।

अजमेर अजमेर स्थित दरगाह ख्वाजा साहब, भारतीय मुस्लिमों का प्रमुख तीर्थ-स्थल है। मुस्लिम सन्त मुइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा भी यहीं है। अकबर द्वारा चितौड़ से लाये गये दीपदान भी दरगाह में हैं तथा एक असाधारण आकार का लान है। समस्त संसार के कोने कोने के मुस्लिम श्रद्धालु प्रतिवर्ष अजमेर की दरगाह की तीर्थयात्रा के लिए एकत्रित होते हैं।

गुजरात

द्वारिकापुरी द्वारिकापुरी को भगवान श्रीकृष्ण ने मथुरा वृंदावन से पश्चिम समुद्र तट पर जाकर बसाया था। पुराणों के अनुसार जब भगवान श्रीकृष्ण ने राक्षस कंस का वध कर दिया तो उनके श्वसुर जरासन्ध ने बदले की भावना में श्रीकृष्ण पर आक्रमण प्रारम्भ कर दिये। युद्ध व संघर्ष से बचने के लिए एक बार श्रीकृष्ण के हृदय में ब्रज क्षेत्र छोड़कर दूर जाकर बसने की इच्छा उत्पन्न हुई और उन्होंने समुद्रतट पर जाकर एक नगरी बसाई। इसी नगरी का नाम आगे चलकर द्वारिकापुरी पड़ा। द्वारिकापुरी में समुद्र में गोमती नदी आकर मिलती है। यहां द्वारिकाधीश का विशाल मंदिर है जिसे रणछोड़जी का मंदिर भी कहा जाता है। द्वारिका में अब भी बड़े बड़े विशाल व प्राचीन महल हैं। महल के दक्षिण में सत्यभामा और जामवन्ती के महल हैं तथा उत्तर की तरफ राधा और रुक्मणी के महल हैं। ऐसी किंवदन्ती है कि यह महल श्रीकृष्ण ने निर्मित कराये थे। द्वारिका से ९६ कि० मी० दूर स्थित भगवान श्रीकृष्ण के मित्र सुदामा जी के नाम पर सुदामापुरी बसी हुई है। सुदामापुरी में सुदामाजी व श्रीकृष्ण के मंदिर हैं। द्वारिका में प्रद्युम्न, द्वारिकाधीश, बलराम, देवकी आदि के भव्य व आकर्षक मंदिर हैं। मंदिर के किवाड़ों की चौखटें चांदी के पत्तरों से जड़ित हैं तथा आकर्षक हैं। आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य ने चार पीठों में से एक पीठ शारदापीठ के नाम से द्वारिका में स्थापित किया था।

सोमनाथ मंदिर समुद्रतट पर वेरावल में ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर स्थित है। इस मन्दिर को महमूद गजनवी ने लूटा व तोड़ा। देश के स्वाधीन होने पर सरदार पटेल ने मन्दिर का पुनरोद्धार कराया।

सूर्य मंदिर मोधेरा यह मंदिर हिन्दू स्थापत्यकला का उत्कृष्ट नमूना है। मंदिर के खम्भे तथा छत आदि पर सुन्दर कलाकारी की गई है। इसमें सूर्य देवता की प्रतिमा है।

पालिताना के जैन मंदिर यह जैनियों का प्रमुख तीर्थ है। इसे मंदिरों का नगर कहा जाता है। इसमें ८६३ भव्य व विशाल जैन मन्दिर हैं। जैनियों के अतिरिक्त पर्यटक भी भारी संख्या में इस नगर में आते हैं। प्रायः सभी मंदिर संगमरमर के बने हुए हैं। गिरनार के जैन मंदिर भी दर्शनीय हैं।

गिर वन एशिया भर मे एकमात्र ऐसा वन है जहा शेरो के झुण्ड मुक्त विचरण करते देखे जा सकते हैं। १२८० वर्ग कि० मी० क्षेत्र के इस वन में लगभग ३०० शेर है। पर्यटक कारो व बसो में वन के बीच खड़े हो जाते है तथा चारो ओर शेरो के झुण्ड उन्हें घेर लेते हैं।

साबरमती आश्रम महात्मा गाधी के कार्यस्थल के रूप में साबरमती आश्रम भी एक तीर्थस्थल व पर्यटन स्थल के रूप में आकर्षण का केन्द्र है।

टंकारा आर्यसमाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वती के जन्म स्थान के रूप में यह ऐतिहासिक स्थल है। प्रतिवर्ष यहा विशाल मेला लगता है।

अहमदाबाद अहमदाबाद की हिलती मीनारें पर्यटको के लिए आकर्षण का केन्द्र हैं। इन ऊंची व विशाल मीनारो पर उत्कृष्ट शैली की कारीगरी अंकित है। अहमदाबाद में ही शाहआलम का रोजा, सिद्दी सय्यद की जाली, सरखेज रोजा, राज भवन आदि दर्शनीय हैं। यह गुजरात की राजधानी है।

पंजाब, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर

अमृतसर यह सिखो के पवित्र स्थान स्वर्ण मन्दिर एवं तालाब तथा सनातनधर्मियो के दुर्ग्याना मन्दिर के लिए प्रसिद्ध है। स्वर्ण मंदिर तालाब के किनारे है। तालाब व मंदिर दोनो ही भव्य व आकर्षक हैं। जलियावाला बाग, जहा अंग्रेजो ने नृशंस हत्याकांड किया था, पर्यटकों के लिए ऐतिहासिक स्थल है।

चंडीगढ़ पंजाब व हरियाणा की राजधानी है।

ज्वालाजी ज्वालाजी होशियारपुर से लगभग ८८ कि० मी० दूर एक पहाड़ी पर स्थित है। यह ५१ शक्तिपीठो में से एक पीठ है। यहा पर ज्वाला (ज्योति) के रूप में भगवती का दर्शन होता है। महाराजा रणजीतसिंह ने मन्दिर के ऊपरी भाग को स्वर्णपत्रो में मढ़वा कर अपनी श्रद्धा का परिचय दिया था। ज्वालाजी से ४० कि० मी० दूर कांगड़ा का प्रसिद्ध मन्दिर है। यहा पर बज्रेश्वरी देवी की पिण्डी है। कुछ ही दूरी पर चामुण्डादेवी तथा बैजनाथ महादेव के मन्दिर हैं।

नैनादेवी (होशियारपुर) पहाड़ी पर भगवती नैनादेवी का प्रसिद्ध मंदिर है। गुरु गोविन्दसिंह नैनादेवी के उपासक थे।

शिमला यह हिमाचल प्रदेश का पर्वतीय स्थल है। शिमला के पास ही कांगड़ा घाटी है। ग्रीष्मकाल में देश विदेश के पर्यटको की भारी भीड़ रहती है।

श्रीनगर *झेलम नदी के किनारे बसी हुई यह नगरी भारत का स्वर्ग मानी जाती* है। शालीमार बाग, निशात बाग, चश्मशाही आदि मुगल सम्राटो की स्मृति के केन्द्र है। पहलगाम, डल झील आदि रमणीक स्थल हैं। कश्मीर के सभी रमणीक स्थल देशी विदेशी पर्यटको के लिए महत्वपूर्ण है।

अमरनाथ श्रीनगर में ऊंचाई पर अमरनाथजी का प्रसिद्ध मन्दिर है। पौराणिक कथानुसार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भस्म हुई सती के वियोग में पार्वती को यहा अमर कथा सुनाई गई थी। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रीनगर से मार्तण्डनीय चन्दनवाड़ी, पहलगाव आदि होते हुए जाना पड़ता है। चन्दनवाड़ी में ही भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया था। ४१०० मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमर गुफा में पहुंचकर यात्री अपना जीवन

सफल मानते हैं। गुफा के पास ही अमरगगा है। अमरगगा म बर्फ का प्राकृतिक शिवलिंग भी है जिसे देखकर दर्शकों को आश्चर्यचकित होना पडता है।

वैष्णवदेवी जम्मू प्रांत म ऊधमपुर जिले म त्रिकूट पर्वत के नीचे वैष्णवदेवी का पीठ विद्यमान है। वैष्णवदेवी के दर्शनों के लिए प्रतिवर्ष आश्विन नवरात्र से दिसम्बर के अत तक कई लाख यात्री भारत के कोने-कोने से आते हैं। १६ कि० मी० की कठिन चढाई को भी श्रद्धालु जन 'जयमाता की'—'जयमाता की' उद्घोषो के साथ य ही पूरा कर लेते हैं। यात्रा के बीच बाणगंगा पडती है। पुराणों के अनुसार भगवती न बाण द्वारा पृथ्वी स जल निकाला था।

उडीसा

जगन्नाथपुरी पूर्वी समुद्र तट पर स्थित जगन्नाथपुरी भारत की अत्यन्त प्राचीन नगरी व तीर्थस्थल है। पुराणों के अनुसार इस नगरी व मंदिर को स्वयं भगवान विश्वकर्मा न अपने हाथों से बनाया था। पुरी म भगवान जगन्नाथजी का एक विशाल मंदिर है। मंदिर म भगवान श्रीकृष्ण बलराम एव उनकी बहन सुभद्रा की लकडी की मूर्तिया हैं। यह भारत म पहला मंदिर है जिसमे श्रीकृष्ण के भाई बहिन की प्रतिमायें हैं। विशाल मंदिर के चारो ओर श्रेष्ठ वास्तुकला की परिचायक झांकियां, मूर्तियां व रूप म चित्रित हैं। मंदिर मे गणेशजी, वटेश्वर महादेव, पट मगलादेवी, नृसिंह, विमलाक्षी देवी और सरस्वती देवी की आकर्षक प्रतिमाए हैं। मंदिर म देश की प्राय सभी पवित्र नदियों के नाम पर कुए भी हैं। प्रतिवर्ष जगन्नाथ जी की रथयात्रा निकाली जाती है जिसम देश के कोने कोने से लाखो व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। भगवान की मूर्तियों को एक विशाल रथ म सजाकर निकाला जाता है। पुरी समुद्र तट पर बसी हुई है। समुद्र तट अत्यन्त रमणीक है जिसम तीर्थयात्री स्नान करते हैं। पुरी म आद्य जगद्गुरु शकराचार्य द्वारा स्थापित चार पीठों म से एक गोवर्धन पीठ भी विद्यमान है।

भुवनेश्वर यहा लिंगराज, मुक्तेश्वर तथा परशुरामेश्वर मन्दिर हैं। भगवती पार्वती का भी दर्शनीय मंदिर है। पास की गुफाओं मे कभी जैन मुनियों ने तपस्या की थी। उडीसा की राजधानी है।

कोणार्क मंदिर पुरी के निकट ७०० वर्ष पुराना कोणार्क मंदिर है। पुराणों के अनुसार भुवन भास्कर स्वर्ण रथ पर समुद्र से निकलते दिखाई दिये थे, उनकी छाया पर ही मन्दिर का निर्माण किया गया।

कटक गत १३०० वर्षों स उत्कल की राजधानी रहा।

हरियाणा

कुरुक्षेत्र यह महाभारत युद्ध से सम्बन्धित एतिहासिक एव धार्मिक स्थल ह। यहा अनेक मंदिर तथा तालाब हैं। कुरुक्षेत्र तालाब विशाल तालाब है। ब्रह्मा, विष्णु महेश तथा भगवान कृष्ण के मंदिर हैं। इनके पास ज्योतिसर नामक स्थान है जहा श्रीकृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। तीन मील दूर बाण गगा है। इसके अतिरिक्त श्रवणनाथ मंदिर गीता भवन, आदि दर्शनीय स्थल हैं।

पानीपत पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के युद्ध के लिए यह प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। यहां मराठा व मुगलों के युद्ध हुए थे।

पिंजौर कालका से तीन मील पूर्व स्थित पिंजौर उत्तर भारत का अद्वितीय मनोरम स्थल है। इसका सम्बन्ध पांडवों के १२ वर्ष के वनवास काल से है। मुगल गार्डन अत्यन्त विशाल व मनोरम है।

सोहना के गर्म झरने दिल्ली से ५६ कि० मी० दूर स्थित सोहना के गर्म झरने भी दर्शनीय हैं। खाज-खुजली व एक्जीमा के रोगी झरने के पानी में स्नान करने आते हैं।

कलेसर यह हरियाणा का प्रमुख मनोरंजन व क्रीडास्थल है। यहां मछली के शिकार तथा सूअर, हिरन, चीतल तथा अन्य जंगली जानवरों के शिकार के लिए लोग आते हैं। इसमें मोर भी बहुतायत में हैं। यह यमुना नदी के किनारे है।

महाराष्ट्र

बम्बई : यह समुद्र तट पर स्थित भारत के प्रमुख व विशाल नगरों में है। गेटवे आफ इंडिया [illegible] विक्टोरिया गार्डन हैंगिंग गार्डन मरिन ड्राइव, चौपाटी आदि बम्बई के रमणीय व दर्शनीय स्थल हैं। प्रिंस आफ वेल्स म्यूजियम भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र है। इसका प्राचीन नाम मुम्बई है।

एलीफेंटा की गुफाएं ये विश्व प्रसिद्ध गुफायें बम्बई के अपोलो बन्दरगाह से ९ कि० मी० की दूरी पर हैं। गुफाओं में त्रिमूर्ति भगवान शिव की प्रतिमा अत्यन्त कलात्मक व शिल्प की दृष्टि से अद्भुत है।

अजन्ता-एलोरा की गुफाएं यह औरंगाबाद के पास ऐतिहासिक व दर्शनीय गुफायें हैं। अजन्ता की गुफाओं में १७ सनातनधर्मी मन्दिर १२ बौद्ध तथा ५ जैन मन्दिरों का समावेश है। एक सीधी ८४ मीटर ऊंची चट्टान को काटकर मन्दिर बनाये गये हैं। चट्टानों को खोदकर लम्बी गुफा बनाई गई है। ये भित्तिचित्र विश्व की कला के उत्कृष्ट नमूने माने जाते हैं। एलोरा की गुफायें भी सनातनी, बौद्ध व जैनियों की एकता की प्रतीक हैं। गुफायें ३१ हैं। कैलाशनाथ शिव का मन्दिर अत्यन्त दर्शनीय है। इसे ठोस चट्टान को काटकर बनाया गया है। गुफाओं की चारों ओर की मान कोठरियों में हिन्दू देवता प्रतिष्ठित हैं। इन गुफाओं को देखने देश विदेश के पर्यटक आते हैं।

पूना यह महाराष्ट्र का ऐतिहासिक नगर है। शनिवार वाड़ा जीजामाता उद्यान पर्वती बगरीवाड़ा आदि दर्शनीय स्थान हैं। पूना से २५ कि० मी० दूर शिवाजी का सिंहगढ़ ऐतिहासिक स्थल है। देश के प्रमुख शिक्षा केन्द्रों में इसकी गणना है।

प्रतापगढ़ यहां पर भी शिवाजी का विशाल किला है। इसी स्थान पर शिवाजी ने अफजलखां का वध किया था।

महाबलेश्वर यह महाराष्ट्र का पर्वतीय स्थल है। यहां ग्रीष्मकाल में देश विदेश के पर्यटक मनोरंजन के लिए आते हैं।

नासिक यह देश के प्रमुख धार्मिक तीर्थस्थलों में से है। यहां कुंभ मेला भी लगता है। यहां पंचवटी त्र्यम्बकेश्वर आदि स्थान हैं। भगवान श्री राम ने १४ वर्ष वनवास के समय इस क्षेत्र में निवास किया था। श्री राम के अनेक दर्शनीय मन्दिर हैं।

असम

गौहाटी (गुवाहाटी) यह असम का प्रधान व सुन्दर नगर है। यह प्राचीन राजाओं

की राजधानी थी तथा इसका नाम प्राग्ज्योतिषपुर था। यहा कामाख्या मन्दिर, नवग्रह मंदिर उमानन्दा मंदिर, भुवनेश्वरी मंदिर आदि प्रसिद्ध स्थल हैं। ब्रह्मपुत्र के किनारे बना हुआ शुक्रेश्वर जनार्दन मन्दिर अत्यन्त रमणीक है। गोहाटी से १२ किलोमीटर दूर महर्षि वशिष्ठ का आश्रम है।

अगरतला त्रिपुरा की राजधानी।

चन्दुबी झील गोहाटी से ६४ किलोमीटर दूर खासी एवं गारो पहाड़ियों में सुन्दर व आकर्षक चन्दुबी झील है। यहा मछली के शिकार की सुविधा है।

शिलांग यह असम की राजधानी तथा पर्वतीय स्थल है। यहा के झरनों झीलो तथा पार्कों की छटा अत्यन्त मनोरम है। हाथी झरना बहुत रमणीक है।

चेरापूंजी यह समस्त विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। ५०० इंच वर्षा प्रतिवर्ष होती है। यहा रामकृष्ण आश्रम दर्शनीय है।

जोरहट यह चाय की नगरी है। यहा अनेक तकनीकी शिक्षा केन्द्र हैं। असम में इस नगर का बहुत महत्त्व है।

शिवसागर यहा असम का सबसे विशाल शिव मंदिर है जो शिवसागर तालाब के किनारे बना हुआ है। इसका निर्माण अहोम राजाओं ने कराया था।

तेजपुर राजा बलि की राजधानी रहा।

दक्षिण भारत

मद्रास तमिलनाडु की राजधानी मद्रास अत्यन्त सुन्दर विशाल व आकर्षक नगर है। दक्षिण भारत की सभ्यता का यह प्रमुख केन्द्र है। जहा यहा हिन्दू शैली के अनेक विशाल मंदिर हैं वहा ईसाइयो के अनेक विशाल व भव्य चर्च भी हैं। यहा का सेंटमेरी चर्च भारत के सबसे पुराने चर्चों में से है जो सन् १६८० ई० में बनाया गया था। नेशनल आर्ट गैलरी में नटराज एवं राम परिवार की कलात्मक प्रतिमाएं दर्शनीय हैं। मल्लिकार्जुन चेन्नाकेशव भगवान कपलेश्वर पार्थसारथी आदि शैव एवं वैष्णव मन्दिर हैं।

रामेश्वरम दक्षिण भारत में स्थित एक प्राचीन व सुन्दर तीर्थस्थल है। इस तीर्थ का संबंध भगवान राम की लंका विजय से बताया जाता है। भगवान श्री राम ने यहा शिव मंदिर में पूजा की थी। रामेश्वरम दक्षिण में समुद्रतट पर स्थित है। रामेश्वरम में समुद्र तट पर एक विशाल पुल है। पहले यह ढाई मील लम्बा पुल पत्थरों का बना हुआ था किन्तु अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में कुशल इंजीनियरों से पत्थर के पुल पर ही रेलवे पुल तैयार कराया। रामेश्वरम् का विशाल व आकर्षक मंदिर भारत की प्राचीन निर्माण एवं स्थापत्यकला का अद्भुत नमूना है। मंदिर के बरामदे में और अन्य भागों में सैकड़ों ऊंचे-ऊंचे खम्भे लगे हुए हैं। खम्भों पर भारतीय कला कौशल का सुन्दर काम है। मंदिर का प्रवेश द्वार देखते ही बनता है। समुद्र तट पर अगस्त मुनि का एक आश्रम बना हुआ है। कहा जाता है कि इस स्थान पर अगस्त्य मुनि ने तपस्या की थी। रामेश्वरम् में अनेक पवित्र कुण्ड हैं।

कन्याकुमारी तपस्या करती हुई श्रीकुमारीदेवी का मंदिर। स्वामी विवेकानन्द की तपस्यास्थली। विवेकानन्द शिलास्मारक भव्य व दर्शनीय है।

रंगम मंदिर तिरुचिरापल्ली के निकट कावेरी के द्वीप को श्रीरंगम कहते हैं। वहा

विष्णु भगवान का एक विशाल व दर्शनीय मंदिर है जिसमे एक हजार खम्भा से बना विशाल हाल है।

महाबलीपुरम यह मद्रास से ८८ कि० मी० की दूरी पर बंगाल की खाड़ी के तट पर है। मन्दिरों की मूर्तियां ठोस चट्टानों को काटकर तराशकर बनाई गई हैं। 'पांच रथ' महिषासुर मण्डप, कृष्ण मण्डपम अर्जुन तपस्या आदि दर्शनीय व कलात्मक मूर्तियां हैं।

चिदम्बरम यहां विश्वविख्यात नटराज शिव का विशाल व ऐतिहासिक मंदिर है। मंदिर की दीवारों पर नाटयशाला में वर्णित १०८ मुद्राओं का चित्रांकन किया गया है। यह मद्रास से २४० कि० मी० दूर है।

पांडीचेरी योगी अरविंद का महान आश्रम।

मीनाक्षी मदुराई में मीनाक्षी का अत्यंत दर्शनीय मंदिर है। मंदिर चारों ओर गोपुरम से घिरा हुआ है। मंदिर का हाल सहस्र स्तम्भों का है। यह द्रविड़ शिल्प का उत्कृष्ट नमूना है।

तंजौर यहां श्री बृहदेश्वर का विख्यात विशाल मंदिर है। यह चोल नरेशों की राजधानी थी।

कांचीपुरम यह पल्लवों की राजधानी थी। यह मंदिरों की नगरी है। यहां के वरदराजा स्वामी मंदिर कैलाशनाथ मंदिर एकम्बरेश्वर मंदिर आदि दक्षिण भारतीय शिल्प के सुन्दर नमूने हैं। श्री शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित कामकोटी पीठ है।

कर्नाटक (मैसूर)

बंगलौर कर्नाटक की राजधानी बंगलौर देश के सुंदर नगरों में से है। यहां का लाल बाग एशिया भर में अपनी किस्म का एक है। इसे हैदरअली एवं टीपू सुल्तान ने बनवाया था। बंगलौर के पास ही नन्दी हिल्स कोलार सोने की खानें शिवगंगा, चामराजा सागर आदि आकर्षक स्थल हैं। मैसूर का दशहरा समस्त विश्व में प्रसिद्ध है। चामुण्डी पहाड़ी पर देवी चामुण्डा का दर्शनीय मंदिर है।

वृन्दावन गार्डन मैसूर से केवल १६ कि० मी० की दूरी पर कृष्णराजा सागर डेम के पास वृन्दावन गार्डन है। कावेरी नदी के तट पर नौका विहार में अपूर्व आनन्द आता है।

बांदीपुर का खेड़ा मैसूर जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। बांदीपुर के जंगलों में हाथियों को घेरकर पकड़ते हैं उसे खेड़ा कहते हैं। हाथियों के खेड़े को देखने के लिए पर्यटक आते हैं।

शिवसमुद्रम यहां के गगनचुक्की तथा बड़ा चुक्की झरने बहुत ही मनोरम दृश्य उपस्थित करते हैं। भगवान शिव का मन्दिर भी दर्शनीय है।

बेलूर होयसाल नरेशों द्वारा निर्मित चन्ना केशव मन्दिर शिल्पकला का बेजोड़ नमूना है। बेलूर से १४ कि० मी० दूर होयसलेश्वर शिव मन्दिर अत्यन्त दर्शनीय है।

श्रृंगेरी जगद्गुरु शंकराचार्य का आद्यपीठ श्री शारदा देवी का प्रख्यात मन्दिर।

हैम्पी के खण्डहर यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। अब भी तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर १६ कि० मी० के अन्दर प्राचीन नगर के खण्डहर बिखरे पड़े हैं। इन ध्वंसावशेषों को देखकर दक्षिण भारत के एक महान साम्राज्य की विशालता का पता चलता

ह । हम्पी में पट्टाभिरामा मंदिर विट्ठल मंदिर, नसिंह मंदिर आदि दर्शनीय हैं।

बीजापुर बंगलौर से ६६४ कि० मी० दूर बीजापुर आदिलशाह राजवंश का प्राचीन नगर है। यहां की जामा मस्जिद, इब्राहिम रोजा, मोहम्मद आदिलशाह का मकबरा, गोल गुम्बद आदि मुगल शैली के उत्कृष्ट नमूने हैं।

केरल

तिरुअनन्तपुरम (त्रिवेन्द्रम) यह रोम की तरह पहाडी पर बसा हुआ सुंदर शहर है। नगर म अनन्तनाग मन्दिर पद्मनाभस्वामी मंदिर चित्रालयम (आर्ट गैलरी) चिडियाघर एवं म्यूजियम दर्शनीय हैं।

कालडि (त्रिचूर) आद्य शंकराचार्य जी का जन्मस्थान।

क्विलोन त्रिवेन्द्रम से ७१ कि० मी० उत्तर में स्थित क्विलोन म ही सन् १३३० ई० मे रोमन कैथोलिक सम्प्रदाय के मुखिया पोप का पहला प्रतिनिधि पहुचा था। क्विलोन से त्रिवेन्द्रम तक नारियल के घन वृक्षों से घिरा जलमार्ग पयटकों को नया अनुभव देता है।

अलेप्पी इसे नहरो के जाल के कारण भारत का वेनिस कहते हैं। काली मिर्च की खेती और नारियल की जटाओं के सामान का निर्माण प्रमुख धंधे हैं।

पेरियर सरंक्षित वन भारत के वन्य जीवन की सर्वोत्तम झांकी इस वन मे देखने को मिलती है। हाथी, हिरण जंगली भैंसे और बाघ यहा स्वच्छन्द विचरण करते दिखाई देते हैं।

कोचीन अठारह शताब्दी पहले चीन के व्यापारी कोचीन आते थे। यहा यहूदियो का प्राचीन मन्दिर और डच शासको द्वारा बनाया गया महल दर्शनीय हैं।

त्रिचूर कोचीन से ७४ कि० मी० दूर स्थित त्रिचूर केरल का सबसे फैशनेबल नगर समझा जाता है। रेंगने वाले जीवो के कारण यहा का चिडियाघर प्रसिद्ध है।

आंध्र प्रदेश

तिरुपति यहा श्री बालाजी (श्री व्यंकटेश) का प्रख्यात मंदिर है। अत्यन्त विशाल व प्राचीन इस मंदिर की दक्षिण मे भारी मान्यता है।

श्री शैलम (कुर्नूल) यह ज्योतिर्लिंगो म से एक है।

लेपाक्षी विजयनगर साम्राज्य कालीन कलात्मक मंदिर हैं।

कालहस्ति (चित्तूर) यहा प्रख्यात शैव तीर्थ हैं।

हैदराबाद इसका प्राचीन नाम भाग्यनगर था। यह आंध्र प्रदेश की राजधानी है। यहा की चार मीनारें व सालारजंग म्यूजियम दर्शनीय हैं।

दिल्ली

भारत की राजधानी होने के कारण दिल्ली का विशेष महत्त्व है। यह सन् १९११ ई० से भारत की राजधानी है। यमुनातट पर बसा हुआ यह विशाल नगर पर्यटकों के लिए सर्वाधिक आकर्षण का केन्द्र है। लालकिला जामामस्जिद, हुमायूं का मकबरा, पांडवों का किला, कुतुबमीनार, बिरला मन्दिर, चिडियाघर नेहरू संग्रहालय गुडियाघर आदि दर्शनीय

स्थल हैं। कुतुबमीनार के पास पुष्करणवंशी चन्द्रवर्मा द्वारा निर्मित लोहस्तम्भ ऐतिहासिक स्तम्भ है।

५० बंगाल

कलकत्ता यह भारत के बड़े नगरों में से है। यहां भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलाजिकल गार्डन सबसे बड़ा संग्रहालय कलकत्ता म्यूजियम तथा सबसे बड़ा पुल हावड़ा ब्रिज है। काली का प्रसिद्ध मन्दिर रामकृष्ण परमहंस का दक्षिणेश्वर मन्दिर तथा स्वामी विवेकानन्द का बेलूर मठ दर्शनीय हैं।

नवद्वीप भागीरथी गंगा के तट पर चैतन्यमहाप्रभु की लीलाभूमि।

गंगासागर भागीरथी गंगा यहां समुद्र में मिली हैं। कपिल मुनि का आश्रम तथा मन्दिर हैं।

शांतिनिकेतन विश्वकवि श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय।



: ६ :

भारत की शासन व्यवस्था

सविधान

स्वाधीन भारत का सविधान तयार करने के लिए १९४६ मे सविधान सभा का निर्माण प्रख्यात विधिवेत्ता और स्वाधीनता सेनानी डा० सच्चिदानन्द सिंह की अध्यक्षता म किया गया था। उनके अस्वस्थ हो जाने के बाद देशरत्न डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद उसके अध्यक्ष निर्वाचित हुए।

१९४६ के चुनाव से बनी प्रान्तीय सभाओ द्वारा चुने गए सदस्यो और केन्द्रीय सभा (असम्बली) के सदस्यो को मिलाकर निर्मित 'सविधान सभा ने, २९ अगस्त, १९४७ को डा० भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता मे सात सदस्यो की एक समिति स्वाधीन भारत के सविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए बनायी गयी थी। सवश्री गोपालस्वामी आयगर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर कन्हैयालाल माणिकलाल मुशी, टी० टी० कृष्णमाचारी, मोहम्मद सादुल्ला, एन० माधव राव और डी० पी० खेतान उसम सम्मिलित थे। समिति को सविधान का प्रारूप तैयार करने म कुल १४१ दिन लगे। उस पर सारे देश म सूक्ष्म विचार के लिए आठ महीने का समय दिया गया।

सविधान सभा ने ४ नवम्बर १९४८ को इस पर विचार प्रारम्भ किया और ११४ दिनो की बहस के बाद २६ नवम्बर, १९४९ को सविधान स्वीकार कर लिया। उसमे ३९५ अनुच्छेद व ९ अनुसूचिया थी। २४ जनवरी, १९५० को प्रारम्भ हुए सविधान सभा के १२वें सत्र म डा० राजेन्द्र प्रसाद सवसम्मति स भारत सघ के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। एक विशाल समारोह म भारत के सविधान की अधिकृत प्रतिया पर सविधान सभा के सदस्यो ने हस्ताक्षर किए और २६ जनवरी, १९५० म यह सविधान लागू हुआ।

सविधान का उद्देश्य भारत म सावभौमसत्ता सम्पन्न लोकतात्रिक गणराज्य की स्थापना करना है। इसकी उद्देशिका म कहा गया है "हम भारत के लोग भारत को एक सम्पूण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिको को सामाजिक, आर्थिक और राजनतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास धम और उपासना की स्वतत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब म व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढाने के लिए दृढसकल्प होकर अपनी इस सविधान सभा म इस सविधान को अगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करत ह।

राज्य और प्रदेश भारत राज्यो का सघ है। भारत म निम्नलिखित २१ राज्य हैं

(१) असम, (२) आंध्र (३) उत्तर प्रदेश (४) उड़ीसा, (५) केरल (६) जम्मू-कश्मीर* (७) गुजरात (८) नागालैंड (९) पंजाब (१०) प० बंगाल (११) बिहार, (१२) महाराष्ट्र (१३) तमिलनाडु (१४) मध्यप्रदेश (१५) कर्नाटक*, (१६) राजस्थान (१७) हरियाणा (१८) हिमाचल प्रदेश (१९) मेघालय (२०) त्रिपुरा और (२१) मणिपुर।

संघ राज्य-क्षेत्र ९ हैं दिल्ली, लक्ष द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पांडीचेरी, गोआ-दमन-दीव, दादरा-नगर हवेली, चंडीगढ़, मिजोरम और अरुणांचल। १९५६ ई० से पूर्व राज्य ४ श्रेणी में (क, ख, ग, घ) विभक्त थे।

मेघालय राज्य और अरुणाचल एवं मिजोरम केन्द्र शासित क्षेत्र पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम १९७१ के द्वारा निर्मित किये गये।

संविधान की विशेषताएं

(१) भारत का संविधान लिखित है। यह विश्व का वृहदत्तर संविधान है। इसमें संघ तथा इकाइयों की सरकारों का संगठन, सरकार के विभिन्न अंगों की शक्ति और उनके आपसी सम्बन्ध, व्यक्ति के अधिकार आदि विषयों की विशद व सूक्ष्मतम व्याख्या की गई है। इसके २२ भागों में कुल ३९५ अनुच्छेद एवं ९ अनुसूचियां हैं।

(२) इसमें एक सम्पूर्ण प्रभुसत्ता सम्पन्न गणराज्य के स्थापना की व्यवस्था की गई है। संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित अंतिम पंक्तियों से स्पष्ट हो जाता है कि यह संविधान सर्वसाधारण द्वारा निर्मित है तथा सार्वभौम शक्ति जनता के ही हाथों में है। सरकार का उद्भव प्रत्यक्षतः जनता द्वारा होता है। यह जनता के नाम पर निर्दिष्ट तथा स्थापित है अतः इसमें लोकतान्त्रिक विशेषताएं हैं। राज्य का प्रधान (राष्ट्रपति) निर्वाचित होता है इस कारण भारतीय संविधान के अनुसार गणराज्य की भी स्थापना हुई है।

(३) संविधान भारत के लिए एक संघात्मक शासन की व्यवस्था करता है परन्तु आपात स्थिति में यह एकात्मक सरकार की उपबन्ध करता है। संविधान में केन्द्र व राज्य सरकारों की शक्ति का स्पष्टतः विभाजन किया गया है। इसमें शक्तियों की तीन सूचियां दी गई हैं। संघीय सूची में ९७ विषय हैं जिसके सम्बन्ध में केवल संसद विधि निर्माण कर सकती है। राज्य-सूची में ६६ विषय हैं जिनके अन्तर्गत केवल विधान मण्डल ही कानून बना सकते हैं। इनके अतिरिक्त समवर्ती सूची में ४७ विषय दिये गये हैं जिन पर दोनों ही कानून बना सकते हैं परन्तु केन्द्र व राज्य विधान मंडलों में गतिरोध उत्पन्न होने पर संसद के मत को ही मान्यता दी जायगी।

(४) संविधान द्वारा कार्यपालिका को विधान मण्डल के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। अतः संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। संविधान के अन्तर्गत केन्द्र में द्वि-सदनीय संसद की व्यवस्था निश्चित की गई। राज्यों के लिए दो सदन अनिवार्य नहीं। यह पूर्णतः उनकी इच्छा व आवश्यकता अनुभव करने पर निर्भर है। केन्द्र में दो सदन—लोकसभा व राज्यसभा हैं। राज्यों में प्रायः दो सदन हैं पर कुछ राज्यों में विधान परिषद को १९७०-७१ में समाप्त कर दिया गया।

---

* धारा ३७० के अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य को कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं।
* पहले इसका नाम मैसूर था।

(५) भारत के सभी नागरिकों को, बिना धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म-स्थान के भेद भाव के कुछ मूल अधिकार प्रदान किये गये हैं। संविधान में मूल अधिकारों को सात समूहों में रखा गया है। नागरिक अधिकारों का सरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को बनाया गया है। राज्यों पर यह पाबन्दी है कि वह ऐसा कोई कानून न बनायें जिसके कारण नागरिक अधिकारों में कटौती हो।

(६) संविधान के चौथे भाग में अनुच्छेद ३८ से ५१ तक राज्य को कुछ आदेश दिये गये हैं जिन्हें राज्य की नीति के निर्देशक तत्व कहा जाता है। ये निर्देश राष्ट्र के प्रशासन में बुनियादी महत्व के माने गये हैं। इन आदेशों का अनुपालन राज्य की नैतिक जिम्मेदारी है संवैधानिक नहीं क्योंकि न्यायालय के माध्यम से सरकार पर इन आदेशों के अनुपालन का दबाव नहीं डाला जा सकता। इन आदेशों में आर्थिक और प्रशासनिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण, नागरिकों को रोजी शिक्षा और कुछ मामलों में सरकारी सुरक्षा पाने का अधिकार दिये जाने समान नागरिक संहिता बनाने, न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक करने का आदेश प्रमुख है।

(७) संविधान की व्याख्या करने, नागरिकों को न्याय दिलाने तथा केन्द्र व राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों आदि को निपटाने के लिए संविधान ने एक स्वतंत्र व निष्पक्ष न्याय पालिका की व्यवस्था की है।

(८) भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया है।

(९) इस संविधान में लचीले व कठोर गुणों का अद्भुत सम्मिश्रण है। न तो यह इस मात्रा में लचीला है कि कार्यपालिका के हाथों का खिलौना ही बन जाये और न ही इतना कठोर कि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार इसमें परिवर्तन ही न किया जा सके।

(१०) संघीय शासन प्रणाली में दुहरी नागरिकता के गुण भी होते हैं—नागरिक सम्पूर्ण संघ के साथ-साथ अपने राज्य का भी नागरिक होता है। परन्तु भारत में एकल नागरिकता ही प्रदान की गई है। सभी भारतीय मात्र संघ के नागरिक हैं।

नागरिकता

भारतीय नागरिकता विषयक साफ प्रश्नों के बारे में संविधान के भाग २ में (अनुच्छेद ५ से ११ तक) उपबन्ध किया गया है। इसके अनुसार एकल तथा समान नागरिकता की व्यवस्था की गई है।

संविधान के अनुच्छेद ५ के अनुसार संविधान लागू होने के दिन २६ जनवरी, १९५०, को प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत राज्य क्षेत्र में अधिवास था तथा जिसका जन्म भारत राज्य क्षेत्र में हुआ था अथवा जिसके माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ था अथवा जो इसके लागू होने के ठीक पूर्व कम से कम ५ वर्ष तक भारत में सामान्यतः निवासी था, भारत का नागरिक होगा। उपरोक्त नियम के अतिरिक्त जो व्यक्ति १९ जुलाई, १९४८ से पूर्व पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन कर आया है वह भारत का नागरिक समझा जायेगा यदि वह अनुच्छेद की अन्य शर्तों को पूरा करता है। विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग भी भारत के नागरिक हो सकते हैं, यदि वे भारत के विदेश स्थित राजनयिक या वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के पास अपना नाम दर्ज करा दें। दिसम्बर, १९५५ में एक नागरिकता अधिनियम पारित किया गया जिसमें नागरिकता के अर्जन (प्राप्ति), हानि (छीनने), परित्याग आदि की शर्तें दी गई हैं।

मूल अधिकार

प्रत्यक लोकतन्त्रीय शासन प्रणाली मे कुछ ऐसे अधिकार होते है जिन्हें मौलिक समझा जाता है। इन अधिकारो का उद्देश्य समाज और व्यक्ति के हितो म सतुलन लाना होता है। सविधान के तीसरे अध्याय मे (अनुच्छद १२ स ३५ तक) ये अधिकार प्रदत्त किए गए हैं। हालांकि सविधान म जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं कुल उतने ही अधिकार नही है। उच्चतम न्यायालय ने यह अधिकथित किया है कि ससद मूल अधिकारो को समाप्त नही कर सकती है। किन्तु सविधान म यह प्रावधान भी है कि राष्ट्रीय आपात क समय मूल अधिकारो को विलम्बित किया जा सकता है।

सविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारो को ७ वर्गों म बाटा गया है —

समता का अधिकार इसके अनुसार राज्य किसी व्यक्ति को भारत राज्य क्षेत्र म समता के अथवा विधियो के समान सरक्षण से वचित नही करेगा। विधि के समक्ष धम मूलवश जाति लिंग, जन्मस्थान के आधार पर कोई भदभाव न बरतने की एव राज्याधीन पदो पर नियुक्ति के सबध म सबो के लिए समता की व्यवस्था है। साथ ही सावजनिक होटलो भोजनालयो तथा सावजनिक मनोरजन क स्थानो सावजनिक कुओ तालाबो स्नान घाटो एव सावजनिक समागम स्थान का सभी नागरिक उपयोग करने के अधिकारी हैं।

स्वातत्र्य अधिकार इसक अन्तगत नागरिको को वाक स्वातत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातत्र्य का शान्तिपूवक निरायुध सम्मेलन का सस्था या सघ बनान का देश भर म सवत्र अबाध भ्रमण-सचरण का किसी भी स्थान पर निवास का सम्पत्ति के अजन धारण और व्ययन का तथा कोई वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार करन का अधिकार प्राप्त है। अपराधो क लिए दोषसिद्धि क विषय मे कतिपय सरक्षण दिए गए हैं। प्राण और दहिक स्वाधीनता भी सरक्षित है। कुछ अवस्थाओ म बदीकरण और नजरबन्दी से भी सरक्षण दिया गया है। किन्तु इन सभी अधिकारो पर युक्तियुक्त बन्धन लगाए जा सकते हैं। युक्तियुक्तता का निणय विवाद उत्पन्न होने पर न्यायालय ही कर सकत हैं।

शोषण के विरुद्ध अधिकार इस अधिकार के द्वारा प्राणियो का व्यापार (जिसम अनतिक कार्यों क लिए स्त्रियो का व्यापार भी सम्मिलित है) एव बलपूवक काम कराना निषिद्ध कर दिया गया है। एसा करन वाल दडित हो सकत हैं परन्तु राज्य सावजनिक हित म अनिवाय सेवा करा सकता है। १४ वष स कम आयु क बच्चो को कारखाना खानो एव किसी अन्य सकटमय नौकरी पर नही लगाया जा सकता।

धम स्वातत्र्य का अधिकार इसक अन्तगत सावजनिक व्यवस्था स्वास्थ्य और नतिकता का उल्लघन न करत हुए व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानन पालन करन तथा उसका प्रचार करन का अधिकार प्राप्त है।

सस्कृति और शिक्षा सम्बधी अधिकार नागरिको क प्रत्यक वग को अपना भाषा लिपि अथवा सस्कृति बनाए रखन का अधिकार है। उस राज्य द्वारा पोषित एव राज्य निधि स सहायता पान वाली किसी भी शिक्षा सस्था म प्रवेश पान क लिए धम मूल वश, जाति अथवा भाषा क आधार पर वचित नहीं किया जा सकगा। भाषायी अल्पसख्यकों को अपनी शिक्षण सस्था स्थापित करन का भी अधिकार है।

सम्पत्ति सबधी अधिकार कोई भी व्यक्ति विधि क प्राधिकार क बिना अपनी सम्पति स वचित नहीं किया जा सकगा। किसी भी व्यक्ति की सम्पत्ति को बिना प्रतिकर (मुआवजा) दिए

अधिग्रहीत नहीं किया जा सकता। पर संविधान के २५वें संशोधन के द्वारा मुआवजा शब्द को हटाकर 'राशि' बना दिया गया है।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार डा० अम्बेडकर के शब्दों में यह अधिकार संविधान की आत्मा और हृदय है। इसके द्वारा नागरिकों को, मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए किसी सर्वोच्च न्यायालय या संसद द्वारा अधिकृत किसी अन्य न्यायालय में दावा करने का अधिकार प्राप्त होता है। ये न्यायालय निर्देश, आदेश तथा समादेश पत्र जारी कर नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं।

राज्य के निर्देशक तत्व

संविधान में कतिपय सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था के सिद्धान्तों को सम्मिलित किया गया है जिनके शक्ति भर पालन की आशा, राज्य की व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों से की गई है। इन सिद्धान्तों का उद्देश्य आर्थिक लोकतन्त्र की प्राप्ति है। उसका विवरण इस प्रकार है —

(१) राज्य, लोक कल्याण की उन्नति के हेतु एसी सामाजिक-व्यवस्था बनायेगा और उसका ऐसा संचालन करेगा, जिसमें समान रूप से सभी नर-नारी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने के अधिकार हों, समुदाय की भौतिक सम्पत्ति और साधनों का स्वामित्व और उस पर नियंत्रण इस प्रकार बटा हो कि वह सामूहिक हित का साधन हो, आर्थिक प्रणाली ऐसी हो जिसमें धन और उत्पादन के साधन आम लोगों के हित के विरुद्ध केन्द्रित न हों, श्रमिकों की शक्ति एवं बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और इन्हें विवश होकर ऐसा काम न करना पड़े जो उनकी शक्ति के अनुकूल न हो।

(२) राज्य ग्राम पंचायतों का गठन कर उन्हें ऐसी शक्तियाँ एवं अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्तशासन की ईकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों।

(३) राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार सब को काम और शिक्षा पाने का समान अधिकार दिलाए और बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी व अपाहिजपन की अवस्था में सबको वित्तीय सहायता दे।

(४) राज्य काम की यथोचित और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने तथा प्रसूति सहायता के लिए उपबन्ध करेगा।

(५) राज्य श्रमिकों को काम, निर्वाह योग्य मजूरी, शिष्ट और उन्नत जीवन स्तर बनाने की दृष्टि से उपयुक्त कानून और व्यवस्था बनाने का, विशेष रूप से ग्रामों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक अथवा सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। इसके साथ ही वह श्रमिकों को अवकाश के उपभोग की दृष्टि से सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर भी प्रदान करेगा।

(६) भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए राज्य एक समान व्यवहार संहिता (सिविल कोड) बनाने का प्रयास करेगा।

(७) राज्य, १४ वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए प्रबन्ध करने का प्रयास करेगा।

(८) राज्य, जनता के दुर्बलतर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के शिक्षा तथा अर्थ-संबंधी हितों की उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय एवं शोषण से उनकी रक्षा करेगा।

(९) राज्य नागरिकों को पौष्टिक आहार और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा

सावजनिक स्वास्थ्य के सुधार के लिये भरसक प्रयास करेगा।

(१०) राज्य, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियो से सगठित करने का प्रयास करेगा तथा विशेषत गायो, बछडा तथा अन्य दुधारू और वाहक ढोरो की नस्ल के परिरक्षण और सवधन के लिए तथा उनके वध का प्रतिशेध करने के लिए अग्रसर होगा।

(११) राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारको स्थानो एव सास्कृतिक सम्पत्ति की रक्षा करेगा।

(१२) राज्य की लोक सेवाओ म न्यायपालिका को कायपालिका स पृथक करने के लिए राज्य अग्रसर होगा।

(१३) राज्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की उन्नति का राष्ट्रो के बीच न्याय और सम्मानपूण सबधो को बनाए रखने का अतर्राष्ट्रीय विधि और सधि बन्धनो के प्रति आदर बढाने का तथा अन्तर्राष्ट्रीय विवादो को मध्यस्थता के द्वारा निबटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा।

केन्द्रीय कार्यपालिका

सावैधानिक सरचना म शीषस्थ व्यक्ति है—राष्ट्रपति। भारत सघ की कायपालिका शक्ति राष्ट्रपति म निहित है। राष्ट्रपति इसका प्रयोग सविधान के अनुसार स्वय या अधानस्थ पदाधिकारियो के द्वारा कर सकता है। राष्ट्रपति को इस सघ का प्रधान एव राज्यपालो को राज्यो क प्रधान क रूप म मान्यता दी गई है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमत्री और मन्त्रि मडल का सयुक्त रूप ही केन्द्रीय सरकार से अभिहित होता है। इसी को भारत सरकार या केन्द्र सरकार कहते है। भारत सरकार की राजधानी दिल्ली म है जहा से २१ राज्य सबद्ध हैं तथा सघीय क्षेत्रो पर सीधा केन्द्र का शासन है।

राष्ट्रपति

भारत सघ का एक राष्ट्रपति होता है जिसम सघ की कायपालिका शक्ति निहित है। सनाओ का सर्वोच्च समादेश भी राष्ट्रपति म निहित है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मण्डल द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल सक्रमणीय मत द्वारा होता है। इस निर्वाचक मडल म ससद क दोनो सदनो एव राज्य विधानसभाओ के निर्वाचित सदस्य होते हैं।

राष्ट्रपति पद क लिए निम्नलिखित अहताए अनिवाय है —(१) वह भारत का नागरिक हो (२) उसकी आयु पतीस वष हो चुकी हो (३) उसम लोकसभा क लिए सदस्य निर्वाचित होन की अहताए विद्यमान हो तथा (४) वह भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार क अधीन किसी लाभ क पद पर आसीन न हो (उपराष्ट्रपति राज्यो क राज्यपाल तथा मत्रि-पद लाभकारी नही मान जाते)।

राष्ट्रपति का निर्वाचन ५ वर्षों क लिए होता है। मृत्यु त्यागपत्र या पद-त्याग की अवस्था म राष्ट्रपति का पद ५ साल क लिए ही भरा जाता है, न कि शेष काल के लिए। राष्ट्रपति को प्रतिमाह १० ००० रु० वतन और नि शुल्क आवास प्राप्य है। वेतन के अतिरिक्त कई प्रकार क भत्त भी राष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं। १९६२ म पारित राष्ट्रपति पेंशन अधिनियम क अनुसार सवानिवृत्ति होन के बाद उनके जीवन काल के लिए उनकी पेंशन १५ ००० रु० और उनक निजी सचिवालय क लिए १२ ००० रु० प्रति वष नियत की गई है। उस नि शुल्क चिकित्सा

सुविधा भी प्राप्त होगी।

संविधान के ६१वें अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अपने पद से हटाये जाने की विधि का विवरण है। इसके अनुसार राष्ट्रपति पर 'महाभियोग' लाने के लिए संसद के किसी भी सदन में कोई भी सदस्य दोषारोपण कर सकता है, यदि (क) महाभियोग के प्रस्ताव पर सदन के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम चौथाई भाग ने हस्ताक्षर किए हों, (ख) प्रस्ताव के लिए कम से कम १४ दिन पूर्व लिखित सूचना दी गई हो, (ग) वह प्रस्ताव सदन के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित किया गया हो। इन सारी स्थितियों के बाद दूसरा सदन इन अभियोगों की जांच करेगा। जांच के समय राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने अथवा अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। अगर इस जांच करने वाले सदन में दो तिहाई सदस्यों द्वारा अभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति को पदच्युत किया जा सकता है। राष्ट्रपति किसी भी समय अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। त्यागपत्र की सूचना वह उपराष्ट्रपति को देगा, जिसकी सूचना वह लोकसभा को दे देगा।

राष्ट्रपति के अधिकार राष्ट्रपति के अधिकारों को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है (१) **कार्यपालिका अधिकार** (क) कार्यपालिका के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किये जाते हैं। सरकार के सभी अधिकारी उसके अधीनस्थ अधिकारी हैं और वह कार्य सुविधापूर्वक संचालन के लिए नियम बनाता है। (ख) **सैनिक अधिकार** भारत की सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति को सौंपी गई है। वह स्थल सेना, जल सेना एवं वायु सेना का प्रधान है। (ग) **विदेशी मामले तथा कूटनीतिक अधिकार** अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति करता है तथा राजदूतों एवं राजनयिक प्रतिनिधियों को नियुक्त करने का अधिकार उसे प्राप्त है। विदेशी राजनयिकों का स्वागत राष्ट्रपति करता है। सभी अन्तर्राष्ट्रीय संधियां राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं। (२) **संकटकालीन अधिकार** राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि (क) भारत की सुरक्षा बाह्य आक्रमण या आंतरिक गड़बड़ी के कारण खतरे में पड़ जाय, (ख) किसी राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलायी जा सकती हो, (ग) वित्तीय स्थायित्व का खतरा हो जाने की स्थिति उत्पन्न हो जाए। (३) **विधायन के अधिकार** राष्ट्रपति केन्द्रीय विधानमण्डल का एक भाग है। वह संसद को आहूत और सत्रावसान करता है। वह लोकसभा को भंग कर सकता है। सत्र के पहले दिन संसद में अभिभाषण देता है नये राज्यों को मान्यता देने की अथवा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन संबंधी सिफारिश करता है वित्तीय विधेयकों आदि की स्वीकृति देता है। विधेयकों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करता है सत्रावसान की अवधि में किसी भी समय वह अध्यादेश की घोषणा कर सकता है। राज्यसभा में १२ सदस्यों को तथा लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में वित्तीय विधेयक पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष का अनुमानित आय-व्यय का विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वीकृति देता है। राष्ट्रपति को पूर्ण व निलम्बन निषेधाधिकार भी प्राप्त हैं। (४) **न्यायायिक अधिकार** राष्ट्रपति किसी भी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है तथा उसके दण्ड को स्थगित कर सकता है।

उपराष्ट्रपति

संविधान के अनुच्छेद ६३ में राष्ट्रपति के अलावा भारत के एक उपराष्ट्रपति का

उपबन्ध है। वह राष्ट्रपति के पश्चात् सर्वोच्च पदाधिकारी है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है। उपराष्ट्रपति पद की पात्रता हेतु भारत का नागरिक ३५ वर्ष की आयु एवं राज्य सभा की सदस्यता प्राप्त करने की योग्यता होना आवश्यक है। इसका कार्यकाल ५ वर्ष है किन्तु इसके पूर्व भी यह त्यागपत्र दे सकता है। राज्यसभा का बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं लोकसभा द्वारा उसकी स्वीकृति मिल जाने पर उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। ऐसे प्रस्ताव की सूचना १४ दिन पूर्व देनी पड़ती है। राष्ट्रपति के अस्वस्थ होने या अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में नये राष्ट्रपति चुने जाने तक वह राष्ट्रपति का कार्य करता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त होने पर भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्य करेंगे और उसके अभाव में वरिष्ठतम न्यायाधीश यह कार्य करेंगे।

मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को परामर्श और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश के अनुसार स्वयं राष्ट्रपति करते हैं। कार्यपालिका शक्ति वस्तुतः प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल में ही सन्निहित है। संघीय सरकार का सारा कार्य सम्भालने का उत्तरदायित्व मंत्रिपरिषद् पर ही है।

साधारणतः लोकसभा में जिस दल का बहुमत होता है उसके नेता को राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद बनाने के लिए आहूत करता है। दल का नेता ही प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री फिर अपने सहयोगी मंत्रियों को चुनता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति उनको मंत्री नियुक्त करता है और उनके विभाग निर्धारित करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। पर राज्यसभा को मंत्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव करने का कोई अधिकार नहीं है।

प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। सिद्धांततः जो अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त हैं उनको व्यवहार में प्रधानमंत्री ही लाता है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों में एकसूत्रता लाता है। सरकार के सब विभागों पर नियंत्रण और अधीक्षण रखता है। वह किसी भी मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है। प्रधानमंत्री के पद-त्याग पर सम्पूर्ण मंत्रिपरिषद् का पद-त्याग माना जाता है। लोक-सभा में वह सम्पूर्ण मंत्रिपरिषद् का प्रतिनिधित्व करता है। संसद के सम्मुख वह सरकारी नीति कार्य और निर्णयों का विश्लेषण करता है।

संसद

भारत में शासन की संसदीय पद्धति अपनाई गई है। कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद करता है जो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन परोक्ष होता है। संघीय संसद राष्ट्रपति राज्य सभा और लोकसभा को मिलाकर बनी है।

संसद की शक्ति और अधिकार संघीय सूची में दिए गए ९६ और समवर्ती सूची के ४७ विषयों पर कानून बना सकती है। जो विषय राज्यों को नहीं दिए गए हैं और समवर्ती सूची में नहीं हैं वे भी संसद में निहित मान जाते हैं। साधारणतः राज्यों के विषय संसद के विचार क्षेत्र में नहीं आते। राज्यों के लिए निर्धारित ६६ विषयों पर संसद तभी विधि बना सकता है

जब राज्य विधानमंडल इस आशय का प्रस्ताव स्वीकार कर केन्द्रीय सरकार को दे। राष्ट्रीय या सार्वजनिक वित्त पर संसद का पूर्ण नियंत्रण है। संसद की अनुमति के बिना सरकार एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकती। भारत संघ के सुशासन के लिए केन्द्रीय मंत्रिपरिषद लोक सभा के प्रति उत्तरदायी है। संसद राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती है। संसद न्याय-व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करती, लेकिन न्याय की विशुद्धता और न्याय-दान के कार्य को सतत जारी रखने पर ध्यान रखती है। लोकसभा मंत्रिपरिषद् पर अविश्वास का प्रस्ताव उपस्थित कर सकती है और उसके पारित होने की दशा में मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। संसद को संविधान में संशोधन करने का भी अधिकार है। यह न्यायाधीशों पर भी महाभियोग लगा सकती है। राष्ट्रपति शासनकाल में, यह राज्यों के कानून बना सकती है। उनका बजट भी पास कर सकती है।

राज्यसभा संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या २५० नियत की गयी है। राष्ट्रपति द्वारा १२ सदस्य मनोनीत होते हैं। मनोनयन साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त लोगों में से होता है। शेष राज्य के प्रतिनिधि होते हैं। इनका चुनाव राज्य की विधानसभाओं के प्रतिनिधियों द्वारा एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा सानुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार किया जाता है। ३० वर्ष या इससे अधिक आयु का भारत का प्रत्येक नागरिक इसका उम्मीदवार हो सकता है। इसके सदस्य ६ वर्षों के लिए चुने जाते हैं जिसमें से एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसलिए यह सदन कभी भंग नहीं होता। उपराष्ट्रपति इस सदन का पदेन अध्यक्ष होता है।

लोकसभा इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा जनता के चुने प्रतिनिधि रहते हैं। इसकी सदस्यता के लिए भारत के नागरिक का २५ वर्ष या इससे अधिक आयु का होना आवश्यक। संविधान की धारा ८१ के अनुसार इसकी अधिकतम सदस्य संख्या ५२५ है। इसमें ५०० से अधिक मतदाताओं द्वारा सीधे निर्वाचित होते हैं। अधिकतम २ एंग्लोइंडियन राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में स्वविवेकानुसार मनोनीत किये जा सकते हैं। केन्द्रशासित प्रदेशों से अधिकतम २५ प्रतिनिधि होते हैं। साधारणतः लोकसभा का कार्यकाल ५ वर्ष का होता है परन्तु राष्ट्रपति इसे इस अवधि के बीच में भी भंग कर सकता है।

इसका अध्यक्ष सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है जो परम्परानुसार निर्दलीय बन जाता है।

लोकसभा और राज्यसभा के मध्य संबंध दोनों सदनों का कार्य, विधि का निर्माण करना है। विधेयक दोनों सदनों से पारित होकर ही अधिनियम बन सकते हैं। दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। अर्थ विधेयकों के संबंध में राज्य सभा का अधिकार केवल विचार करना भर है। मुख्य कार्यपालिका केन्द्रीय मंत्रिपरिषद है जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।

विषयों का वर्गीकरण

संविधान की सप्तम अनुसूची में विधियों के विषयों को तीन सूचियों में विभक्त किया गया है। प्रथम सूची में संघीय विषय हैं, दूसरी में राज्य के विषय हैं। तीसरी सूची में शामिल विषयों पर, संविधान के उपबंधों के अधीन विधि बनाने के लिए केन्द्र व राज्य दोनों सशक्त हैं। इसे समवर्ती सूची कहते हैं।

संघीय सूची सुरक्षा, परराष्ट्र, संचार, डाक-तार, मुद्रा चलन, आयकर आदि मिलाकर

कुल ९७ संघीय विषय हैं। राज्य सूची में इसके अन्तर्गत शिक्षा, स्थानीय स्वायत्तशासन, सार्वजनिक कल्याण, कानून और व्यवस्था, भूराजस्व कर, न्याय व्यवस्था, पुलिस, जेल, कृषि, पंचायत राज और मत्स्य पालन आदि हैं। इन विषयों की कुल संख्या ६६ है। समवर्ती सूची में ऐसे विषय हैं जिनमें केन्द्र और राज्य दोनों को विधि निर्माण का अधिकार है। इसमें मुख्य हैं विवाह, तलाक, श्रम-कल्याण, दिवालियापन, श्रम-संगठन, सामाजिक सुरक्षा, बेकारी और फौजदारी संहिता, व्यापार और उद्योग, समाचारपत्र, छापाखाना, आर्थिक नियोजन आदि। इन विषयों की संख्या कुल ४७ है।

उपरोक्त वर्गीकरण से छूटे अनुल्लिखित या नए विषय अवशिष्ट विषय होंगे और वे संघ सरकार के अन्तर्गत होंगे। संसद ही इन विषयों में निर्णय कर सकती है।

संघ-राज्य क्षेत्र

संविधान में जिन क्षेत्रों को पहले 'ग' राज्यों की सूची में रखा था वे अब संविधान में किए गए सातवें संशोधन (१९५६) के बाद से संघ द्वारा शासित क्षेत्र कहे जाते हैं। इनकी कुल संख्या अब ९ है। संविधान के १४वें संशोधन के द्वारा अधिकांश संघीय क्षेत्रों में विधानसभा की स्थापना की व्यवस्था १९६३ से की गई है। दिल्ली में उसे महानगर परिषद कहते हैं। लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व अधिकतम २५ है। दिल्ली के लोकसभा में सात और राज्यसभा में तीन प्रतिनिधि होते हैं। राज्य सभा में पांडिचेरी, मिजोरम और अरुणाचल को एक-एक स्थान दिया गया है। अन्य संघ-क्षेत्रों का स्थान नहीं है।

अल्पसंख्यकों के संबंधों में विशेष उपबन्ध: परिगणित वर्ग और जनजातीय के लिए संसद और राज्यों के विधान-मंडलों में कुछ स्थान सुरक्षित हैं। लोकसभा में एंग्लो-इंडियन समाज के दो प्रतिनिधि हैं। यदि राष्ट्रपति अनुभव करें कि उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो मनोनीत कर सकते हैं। विधान सभाओं के लिए राज्यपालों को भी यही अधिकार प्राप्त है।

संविधान के लागू होने के दस साल बाद पिछड़े वर्ग और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था समाप्त होनी थी। परन्तु १९६० में एक संशोधन कर यह अवधि १९८० तक बढ़ा दी गयी है।

भाषा

संविधान के अनुच्छेद ३४३ के अनुसार भारत संघ की भाषा नागरी लिपि में लिखी हिन्दी है (सरकारी कामों में रोमन अंक रहेंगे)। हिन्दी को प्रशासनिक कार्य के योग्य बनाने के लिए संविधान लागू होने से १५ साल तक अंग्रेजी जारी रहने देने का उपबन्ध किया गया है। तदनुसार २६ जनवरी १९६५ से संघ की भाषा हिन्दी घोषित की गई। १९६५ के बाद अंग्रेजी का व्यवहार समाप्त किया जाना था। परन्तु १९६३ में ही संविधान की धारा ३४३(३) के अधीन राज भाषा अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार १९६५ के बाद भी अंग्रेजी अनिश्चितकाल तक बनी रहेगी। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कारवाई अंग्रेजी में जारी रह सकती है। विधयक और अधिनियम पहले के समान अंग्रेजी में बन सकते हैं। कानूनी तौर पर अंग्रेजी सह राजभाषा है परन्तु व्यवहार में वही राजभाषा है।

हिन्दी के अतिरिक्त अन्य १४ क्षेत्रीय भाषाओं—असमिया, बंगला, उर्दू, मराठी, गुजराती, पंजाबी, संस्कृत, कश्मीरी, तेलगू, सिंधी, तमिल, मलयालम, कन्नड और उड़िया का उल्लेख राष्ट्रीय भाषाएं कहकर हुआ है।

निर्वाचन आयोग

यह एक स्थायी आयोग है। ससद, विधान-मडल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का नियत्रण निर्वाचन आयोग करता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसका प्रधान मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है जो अपने पद से उसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, जिस तरह उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश। आयोग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचना के लिए मतदाताओ की सूची तैयार कराता है। कोई भी व्यक्ति धम, वश जाति, लिंग आदि के कारण उसमे अपना नाम लिखाने के अधिकार मे वचित नही किया जा सकता। मतदाता सूची हर साल पुनरीक्षित की जाती है। चुनाव चिह्ना का आवटन और राजनीतिक दलो को मान्यता प्रदान करने का अधिकार भी निर्वाचन आयोग को है।

वित्त आयोग

सविधान म राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था है। यह आयोग हर पाचवें वष नियुक्त किया जाता है। आयोग कुछ करा (आयकर, उत्पादन, शुल्क व कुछ निर्यात-करा आदि) के विषयो मे केन्द्र और राज्या के मध्य वितरण के अनुपात के विषय मे सिफारिश करता है। पहला वित्त आयोग १९५१ मे, दूसरा १९५६ मे तीसरा १९६० म, चौथा १९६४ म और पाचवा १९६६ म नियुक्त किया गया था। छठा वित्त आयोग श्री ब्रह्मान द रेड्डी की अध्यक्षता मे १९७२ म नियुक्त हुआ।

भारत की सचित निधि

केन्द्र और राज्य क्रमश 'भारत की सचित निधि' और राज्य की सचित निधि का निर्माण करने के लिए बाध्य हैं। ससद और विधानसभाए जब तक विनियोग विधेयक पारित न करें और राष्ट्रपति उसकी स्वीकृति न दें तब तक सरकार इसम से एक पसा भी व्यय करने की अधिकारी नही है। भारत और राज्या के लिए आकस्मिक निधि की स्थापना की गई है। विनियोग विधेयक पारित न होने तक इस निधि से सरकारें खच कर सकती हैं।

लोक सेवा आयोग

सविधान म एक सघ लोक सेवा आयोग और राज्य के आयोगा की स्थापना का उपबध है। दो या अधिक राज्य एक ही आयोग रखने के लिए सहमत हो सकते हैं। सदस्यो की नियुक्ति यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा होती है। आयोग सेवाओ म नियुक्ति के लिए परीक्षाए सचालित करता है। सेवाओ म नियुक्ति, पदोन्नति पदावनति आदि के मामलो म आयोग से परामश करना आवश्यक है। सघ लोक सेवा आयोग वार्षिक प्रतिवदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है जो ससद के समक्ष रख दिया जाता है।

बजट

प्रत्येक वित्तीय वष म राष्ट्रपति ससद के दोना सदना के समक्ष उस वष के लिए प्राक्कलित प्राप्तिया और व्यय का विवरण रखवाना है। इस वार्षिक वित्त विवरण कहा गया है। इसे ही बजट कहा जाता है। वार्षिक बजट मे अनुमान होने पर भी वष मे अकल्पित आवश्यकताए उत्पन्न हो सकती हैं जसे युद्ध बाढ अकाल आदि के कारण। इसके लिए पूरक अनुमान का उपबध किया गया है। बजट साल भर की आवश्यकता का

न पूरा करें तब ही पूरक अनुमान केन्द्रीय सरकार संसद में तथा राज्य सरकारें विधान सभाओं में पेश करती हैं।

व्यापार और व्यवसाय संविधान भारत भर में नागरिकों को व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता देता है। किन्तु संसद और राज्यों के विधानमण्डलों को इसको मर्यादित और प्रतिबंधित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ये कानून किसी वस्तु की दुर्लभता होने की अवस्था में या राष्ट्रीय हित में आवश्यकता होने पर बनाए जा सकते हैं। सार्वजनिक हित में व्यापार वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। संसद उपर्युक्त उपबन्धों को लागू करने के लिए एक परिषद् भी स्थापित कर सकती है।

क्षेत्रीय परिषदें ये संविधान के भाग नहीं हैं पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम १९५६ के अन्तर्गत हैं। दो या दो से अधिक राज्यों के प्रशासन में एकसूत्रता लाने के लिए पांच क्षेत्रीय परिषदें स्थापित की गई हैं। राज्यों के पारस्परिक मतभेदों को दूर करने का काम भी ये करती हैं। साथ ही विघटनकारी शक्तियों के प्रभाव को मिटाना और भारत की एकता को दृढ़ करना भी इनका कार्य है। यह एक विशुद्ध परामर्शदात्री व दो या दो से अधिक राज्यों से संबंधित एक-सी समस्याओं पर विचार करने वाली संस्था है। परिषदें ये हैं —(१) उत्तरी क्षेत्र—पंजाब, राजस्थान हिमाचल प्रदेश दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ और जम्मू-कश्मीर (२) मध्य क्षेत्र —उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। (३) पूर्वी क्षेत्र—बिहार पश्चिमी बंगाल उड़ीसा असम मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड। (४) पश्चिमी क्षेत्र—गुजरात महाराष्ट्र गोवा दमन-दीव दादर और नगर हवेली। (५) दक्षिणी क्षेत्र—तमिलनाडु आन्ध्र कर्नाटक और पांडिचेरी। पूर्वी क्षेत्र को गत वर्ष पुनर्गठित कर पूर्वोत्तर क्षेत्र नामक एक नया क्षेत्र बनाया गया है।

क्षेत्रीय परिषद की रचना (१) राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केन्द्रीय मंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। (२) प्रत्येक सम्बन्धित प्रदेश का मुख्यमंत्री और दो-दो मंत्री भी परिषद में होते हैं। मंत्री राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। (३) जहां संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित होगा वहां राष्ट्रपति दो से अधिक व्यक्तियों को परिषद् में मनोनीत न करेंगे।

क्षेत्रीय परिषद् में निम्नलिखित भी परामर्शदाता नियुक्त किए जाते हैं (क) राज्यों के मुख्य सचिव। (ख) योजना आयोग द्वारा मनोनीत व्यक्ति। (ग) राज्यों के विकास आयुक्त परिषद् के परामर्शदाता इसके विचार विमर्श में भाग लेने के अधिकारी हैं मत देने के नहीं।

क्षेत्रीय परिषद का कार्य प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद एक परामर्शदातृ संस्था होती है और राज्यों के पारस्परिक हितों के प्रश्नों पर विचार करती है। यह निम्न विषयों पर विचार और सिफारिश कर सकती है (क) आर्थिक और सामाजिक नियोजन सम्बन्धी सामान्य हित के विषय। (ख) सीमा विवाद भाषायी अल्पसंख्यक और अन्तर्राज्य परिवहन से सम्बद्ध विषय। (ग) राज्यों के पुनर्गठन से उत्पन्न कोई विषय।

क्षेत्रीय परिषद का उद्देश्य (१) देश में भावात्मक एकता का निर्माण करना। (२) उग्र प्रादेशिकता, आंचलिकता भाषावाद और अन्य इसी प्रकार की प्रवृत्तियों पर रोक लगाना। (३) सामाजिक और आर्थिक मामलों में अधिक अच्छा सहयोग उत्पन्न करना। इस प्रकार समाज के कल्याण के लिए समरूप नीतियों को विकसित करना। (४) विकास की

मुख्य परिकल्पनाओं को सफल बनाने में परस्पर सहयोग करना। तदनुसार (क) मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और राजस्थान मिल कर चम्बल घाटी के डाकुओं का सफाया कर रहे हैं। (ख) उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र में एक सामान्य पुलिस रिजर्व फोर्स बनाई गई है। (ग) रिहन्द परियोजना से उत्पन्न बिजली का मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच वितरण के प्रश्न का निपटारा क्षेत्रीय परिषद की जून १९६२ की बैठक में किया गया।

असम के आदिमजातीय क्षेत्र असम के आदिमजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए एक विशेष व्यवस्था है। इसके द्वारा कुछ स्वायत्तशासी जिलों तथा प्रदेशों की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति की ओर से असम के राज्यपाल को इन क्षेत्रों का भार सौंपा गया है और इन जिलों तथा प्रदेशों के लिए परिषदें बनाने का अधिकार दिया गया है। इन परिषदों को अपने अपने क्षेत्र के लिए नियम बनाने, कुछ विषयों में कानून बनाने, विवादों और मुख्य मुकदमों को सुनने और निपटाने के लिए ग्राम-न्यायालय गठित करने, जिला व प्रादेशिक कोष का प्रशासन करने और विद्यालय, औषधालय व बाजार आदि स्थापित करने आदि के अधिकार हैं। असम के राज्यपाल को स्वायत्तशासी जिलों व प्रदेशों के प्रशासन का निरीक्षण करने और इस विषय में प्रतिवेदन देने के लिए आयोग नियुक्त करने का भी अधिकार है।

विशेष अधिकारी राष्ट्रपति अनुसूचित भाषायी अल्पसंख्यकों की शिकायतें दूर करने में मदद देने के लिए भी एक विशेष अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं।

आंचलिक समितियां १९५६ में राज्यों के भाषावार पुनर्गठन के समय से ये समितियां पंजाब और आंध्र प्रदेश की भाषायी और सांस्कृतिक समस्याओं को हल करने के लिए बनाई गई।

अन्तर्राज्य परिषद राष्ट्रपति निम्न बातों के लिए अन्तर्राज्य परिषद स्थापित कर सकते हैं, (१) राज्यों में उत्पन्न विवादों के कारणों की जांच करने और उनके विषय में राय देने के लिए। जैसे—कृष्णा-गोदावरी नदियों के पानी वितरण के बारे में उठे विवाद के हल के लिए गुलाटी समिति नियुक्त की गई थी। (२) राज्यों और संघ के मध्य के सामान्य विषयों की जांच करने और उनको निपटाने के लिए। (३) संघीय ढांचे को दृढ़ करने और इसकी इकाइयों के साथ इसका सम्बन्ध घनिष्ठ करने के लिए।

लोक लेखा समितियां संविधान में निहित है कि लेखा नियंत्रक महापरीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति उसको संसद के सदनों के सामने उपस्थित करेंगे। सदनों की सदस्य संख्या चूंकि विशाल है अतः उनके सदस्यों की एक समिति इस प्रतिवेदन की परीक्षा करती है। यही लोक लेखा समिति है।

भाषायी अल्पसंख्यकों को संरक्षण की व्यवस्था

(१) राज्य एकभाषी माना जायगा यदि जनसंख्या का ७० प्रतिशत से अधिक एक भाषा बोलने वाला हो। (२) यदि जनसंख्या का ३० प्रतिशत या इससे अधिक भाग एक भिन्न भाषा बोलने वाला हो तो वह द्विभाषी राज्य माना जायगा। (३) राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की थी कि अखिल भारतीय सेवाओं में भविष्य में ५० प्रतिशत लोग राज्य से बाहर के भरती किए जायें। इस पर ध्यान रखा जाता है। (४) भाषिक अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को प्राथमिकता स्तर पर उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था की गयी है।

यदि एक विद्यालय में ऐसे ४० और एक वर्ग में ऐसे १० छात्र हों, तो उन्हें उनकी भाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। (५) राष्ट्रपति अल्पसंख्यक आयुक्त नियुक्त करेगा जो उन्हें वार्षिक रिपोर्ट देगा। (६) अल्पसंख्यकों के विद्यालय को राज्य मान्यता देगा। राज्य में नौकरी के लिए अधिवास की शर्त हटा दी गयी है।

संघ की न्यायपालिका

भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक एवं स्वतन्त्र रखा गया है। इसकी विस्तृत व्याख्या न्याय व्यवस्था अध्याय में है।

संविधान में संशोधन प्रक्रिया

संविधान के २०वें भाग के अनुच्छेद ३६८ में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बतायी गयी है। यदि संसद के दोनों सदन बहुमत से और उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई मत से संशोधन विधेयक पारित कर दें तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद, वह संशोधन विधान का अंग हो जायेगा। परन्तु यदि कोई संशोधन (क) अनुच्छेद ५४ ५५, ७३ १६२ २४१ (ख) भाग ५ के अध्याय ४ भाग ६ के अध्याय ५ या भाग ११ के अध्याय १ में अथवा (ग) सातवीं अनुसूची की सूचियों में से किसी में (घ) संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व अथवा (ङ) इस अनुच्छेद (३६८) के उपबन्धों में कोई परिवर्तन करना चाहता है तो ऐसे उपबन्ध करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित किये जाने से पूर्व राज्यों में से कम से कम आधों के विधान-मण्डलों से पारित संकल्पों द्वारा अनुसमर्थन भी अपेक्षित होगा।

यहां यह उल्लेखनीय होगा कि उपरोक्त विषयों का साधारणतया राज्यों के अधिकारों शक्तियों एवं संविधान के संघात्मक रूप पर प्रभाव पड़ता है। संविधान के २४वें संशोधन के द्वारा संसद एवं आधे राज्यों के विधान मंडलों द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति व्यक्त करने का राष्ट्रपति का अधिकार समाप्त कर दिया गया है। इस संशोधन के द्वारा, संविधान के संशोधन का अधिकार देने वाला अनुच्छेद ३६८ का ही संशोधन किया गया है।

इस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों में कटौती किये जाने पर अनुच्छेद १३ द्वारा लगायी गयी पाबन्दी को भी समाप्त कर दिया था।

जम्मू-काश्मीर राज्य के लिए संविधान में संशोधन की प्रक्रिया इस प्रकार है :— ऐसा संशोधन जम्मू-कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि वह अनुच्छेद ३७० की धारा (१) के अधीन राष्ट्रपति के आदेश द्वारा लागू न किया जाए।

संविधान में संशोधन

२६ जनवरी १९५० को भारतीय संविधान लागू हुआ। तब से अब तक ३१ संशोधन किए गए हैं।

प्रथम संशोधन (१९५१ ई०) इसके द्वारा अनुच्छेद १५ १९ ८५ ८७, १७४ १७६ ३४१ ३४२ और ३७२ में छोटे-मोटे परिवर्तन के अतिरिक्त दो नये अनुच्छेद ३१क

और ३१ ख जोड़े गये और आठवी अनुसूची के बाद नवी अनुसूची जोडी गयी। इसकी मुख्य बातें हैं —भेदभाव का निषेध, विदेशों से मत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने के हित मे और बदनामी फैलाने या किसी अपराध के लिये भड़काने के सम्बन्ध मे नागरिकों के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पर उचित प्रतिबन्ध लगाने की राज्य शक्ति को विस्तृत कर दिया गया। नवी अनुसूची म जमीदारी उन्मूलन सम्बन्धी विभिन्न राज्यों के १३ अधिनियमो को शामिल किया गया और कहा गया कि इनको किसी न्यायालय म मौलिक अधिकारों के हनन के नाम पर चुनौती नही दी जा सकती।

द्वितीय सशोधन (१९५२ ई०) इस सशोधन के द्वारा अनुच्छेद ८१(१)(ख) को सशोधित कर लोकसभा मे प्रतिनिधित्व का नया मान नियत किया गया। मूल अनुच्छेद म यह उपबन्ध था कि लोकसभा मे अधिक से अधिक ७ ५०,००० व्यक्तियों के लिए कम से कम एक सदस्य होगा और कम से कम ५ लाख व्यक्तियों के लिये १ से अधिक सदस्य नही होगा। इस सशोधन के द्वारा जनसख्या की ऊपरी सीमा हटा दी गई।

ततीय सशोधन (१९५३ ई०) सातवी अनुसूची म समवर्ती सूची की ततीसवी मद के स्थान पर एक नई मद रख दी गयी जिसमे खाद्य सामग्रिया, पशुओं के चारें कपास और जूट को ऐसा अतिरिक्त मदों के रूप मे सम्मिलित किया गया, जिनका उत्पादन-सभरण यदि लोकहित म उपयोगी हो तो केन्द्र द्वारा नियन्त्रित किया जा सकता है। इसम आयातित वस्तुओं का नाम भी जोड़ दिया गया।

चतुर्थ सशोधन (१९५५ ई०) इसका सम्बन्ध केवल जमीन्दारी उन्मूलन कानूनो से था जो समाज कल्याण के उद्देश्य से बनाए गए कानूनों की श्रृंखला मे सवप्रथम थे। ससद को या राज्य विधान मण्डलो को यह अधिकार दिया गया कि वे व्यापार या वाणिज्य के किसी विशेष क्षेत्र म राज्य का एकाधिकार शुरू करने के लिए कानून बना सकते हैं। नवी अनुसूची म ७ नये अधिनियम शामिल किये गये। यह भी प्रावधान किया गया कि मुआवजे की राशि की अनुपयुक्तता के आधार पर सरकार द्वारा अर्जित किसी सम्पत्ति की वधता को न्यायालय म चुनौती नही दी जा सकती।

पचम सशोधन (१९५५ ई०) इसके द्वारा राष्ट्रपति को समय सीमा नियत करने की शक्ति प्रदान की गई कि उस सीमा के अन्दर राज्य विधान मडल किसी ऐसे प्रस्तावित केन्द्रीय कानूनों पर विचार प्रकट कर सकते हैं जिनका उन राज्यों के क्षेत्र और सीमाओं आदि पर प्रभाव पड़ता है।

षष्ठ सशोधन (१९५६ ई०) अतर्राज्यीय लेन-देन के सिलसिले मे वस्तुओं की बिक्री और खरीद पर करों से सबधित है। इसके द्वारा केन्द्र को अतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के सिलसिले म समाचारपत्रों से भिन्न कुछ अन्य वस्तुओं की बिक्री और खरीद पर कर लगाने तथा उनका नियन्त्रण करने का अधिकार प्राप्त हो गया।

सप्तम सशोधन (१९५६ ई०) इस अधिनियम के द्वारा राज्य की तीन श्रेणिया (क, ख, ग) समाप्त कर सारे देश को १४ राज्यों और ६ केन्द्रशासित क्षेत्रों में पुनर्गठित कर दिया गया। राज्य पुनर्गठन के कारण भी यह सशोधन किया गया। इसी सशोधन के द्वारा विधान सभाओं की क्षेत्रीय समितिया तथा विदर्भ मराठवाडा वाले महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ और शेष गुजरात के लिए पृथक विकास बोर्डों की स्थापना की गई। उच्च न्यायालयों

यदि एक विद्यालय में ऐसे ४० और एक कक्षा में ऐसे १० छात्र हों, तो उन्हें उनकी भाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। (५) राष्ट्रपति अल्पसंख्यक आयुक्त नियुक्त करेगा जो उन्हें वार्षिक रिपोर्ट देगा। (६) अल्पसंख्यकों के विद्यालय को राज्य मान्यता देगा। राज्य में नौकरी के लिए अधिवास की शर्त हटा दी गयी है।

संघ की न्यायपालिका

भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक एवं स्वतंत्र रखा गया है। इसकी विस्तृत व्याख्या न्याय व्यवस्था अध्याय में है।

संविधान में संशोधन प्रक्रिया

संविधान के २०वें भाग के अनुच्छेद ३६८ में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बतायी गयी है। यदि संसद के दोनों सदन बहुमत से और उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई मत से संशोधन विधेयक पारित कर दें तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह संशोधन विधान का अंग हो जायेगा। परन्तु यदि कोई संशोधन (क) अनुच्छेद ५४, ५५, ७३, १६२, २४१ (ख) भाग ५ के अध्याय ४ भाग ६ के अध्याय ५ या भाग ११ के अध्याय १ में अथवा (ग) सातवीं अनुसूची की सूचियों में से किसी में (घ) संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व अथवा (ङ) इस अनुच्छेद (३६८) के उपबन्धों में कोई परिवर्तन करना चाहता है तो ऐसे उपबन्ध करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित किये जाने के पूर्व राज्यों में से कम से कम आधा के विधान मण्डलों से पारित संकल्पों द्वारा अनुसमर्थन भी अपेक्षित होगा।

यहां यह उल्लेखनीय होगा कि उपरोक्त विषयों का साधारणतया राज्यों के अधिकारों शक्तियों एवं संविधान के संघात्मक रूप पर प्रभाव पड़ता है। संविधान के २४वें संशोधन के द्वारा संसद एवं आधे राज्यों के विधान मंडलों द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति व्यक्त करने का राष्ट्रपति का अधिकार समाप्त कर दिया गया है। इस संशोधन के द्वारा संविधान के संशोधन का अधिकार देने वाला अनुच्छेद ३६८ का ही संशोधन किया गया है।

इस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों में कटौती किये जाने पर अनुच्छेद १३ द्वारा लगायी गयी पाबन्दी को भी समाप्त कर दिया था।

जम्मू-काश्मीर राज्य के लिए संविधान में संशोधन की प्रक्रिया इस प्रकार है —— ऐसा संशोधन जम्मू-कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि वह अनुच्छेद ३७० की धारा (१) के अधीन राष्ट्रपति के आदेश द्वारा लागू न किया जाए।

संविधान में संशोधन

२६ जनवरी १९५० को भारतीय संविधान लागू हुआ। तब से अब तक ३१ संशोधन किए गए हैं।

प्रथम संशोधन (१९५१ ई०) इसके द्वारा अनुच्छेद १५, १९, ८५, ८७, १७४, १७६, ३४१, ३४२ और ३७२ में छोटे-मोटे परिवर्तन के अतिरिक्त दो नये अनुच्छेद ३१क

और ३१ ख जोडे गये और आठवी अनुसूची के बाद नवी अनुसूची जोडी गयी । इसकी मुख्य बातें हैं —भेदभाव का निषेध विदेशो से मत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने के हित म और बदनामी फलाने या किसी अपराध के लिये भडकाने के सम्बन्ध मे नागरिको के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतत्रता पर उचित प्रतिबन्ध लगाने की राज्य शक्ति को विस्तृत कर दिया गया । नवी अनुसूची मे जमीदारी उन्मूलन सम्बन्धी विभिन्न राज्यो के १३ अधिनियमो को शामिल किया गया और कहा गया कि इनको किसी न्यायालय मे, मौलिक अधिकारो के हनन के नाम पर चुनौती नही दी जा सकती ।

द्वितीय सशोधन (१९५२ ई०) इस सशोधन के द्वारा अनुच्छेद ८१(१)(ख) को सशोधित कर लोकसभा मे प्रतिनिधित्व का नया मान नियत किया गया । मूल अनुच्छेद म यह उपबन्ध था कि लोकसभा म अधिक से अधिक ७ ५० ००० व्यक्तियो के लिए कम से कम एक सदस्य होगा और कम से कम ५ लाख व्यक्तियो के लिये १ से अधिक सदस्य नही होगा । इस सशोधन के द्वारा जनसख्या की ऊपरी सीमा हटा दी गई ।

ततीय सशोधन (१९५३ ई०) सातवी अनुसूची म समवर्ती सूची की तेतीसवी मद के स्थान पर एक नई मद रख दी गयी जिसम खाद्य सामग्रियो पशुओ के चारे कपास और जूट को ऐसी अतिरिक्त मदो के रूप मे सम्मिलित किया गया जिनका उत्पादन-सभरण यदि लोकहित म उपयोगी हो तो केन्द्र द्वारा नियत्रित किया जा सकता है । इसम आयातित वस्तुओ का नाम भी जोड दिया गया ।

चतुथ सशोधन (१९५५ ई०) इसका सम्बन्ध केवल जमीदारी उन्मूलन कानूनो से था जो समाज कल्याण के उद्देश्य से बनाए गए कानूनो की शृखला म सवप्रथम थे । ससद को ा राज्य विधान मण्डलो को यह अधिकार दिया गया कि वे व्यापार या वाणिज्य के किसी शेष क्षेत्र मे राज्य का एकाधिकार शुरू करने के लिए कानून बना सकते है । नवी अनु वी म ७ नय अधिनियम शामिल किये गये । यह भी प्रावधान किया गया कि मुआवजे की राशि अनुपयुक्तता के आधार पर सरकार द्वारा अर्जित किसी सम्पत्ति की वैधता को न्यायालय नौती नही दी जा सकती ।

सशोधन (१९५५ ई०) इसके द्वारा राष्ट्रपति को समय सीमा नियत करने की गई कि उस सीमा के अदर राज्य विधान मडल किसी ऐस प्रस्तावित र सकते है जिनका उन राज्यो के क्षेत्र और सीमाओ

तर्राज्यीय लेन-देन के सिलसिले म वस्तुओ की बिक्री द्वारा केन्द्र को अतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य वस्तुओ की बिक्री और खरीद पर कर लगाने हो गया ।

के द्वारा राज्य की तीन श्रेणिया १६ केन्द्रशासित क्षत्रो म पुनगठित कर किया गया । इसी सशोधन के द्वारा वाली महाराष्ट्र सौराष्ट्र, स्थापना की गई । उच्च न्यायालयो

यदि एक विद्यालय म ऐसे ४० और एक कक्षा म ऐसे १० छात्र हो तो उन्हे उनकी भाषा म शिक्षा देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। (५) राष्ट्रपति अल्पसख्यक आयुक्त नियुक्त करेगा जो उन्हें वार्षिक रिपोर्ट देगा। (६) अल्पसख्यको के विद्यालय को राज्य मान्यता देगा। राज्य म नौकरी के लिए अधिवास की शर्त हटा दी गयी है।

सघ की न्यायपालिका

भारतीय सविधान की सबसे बडी विशेषता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक एव स्वतत्र रखा गया है। इसकी विस्तृत व्याख्या न्याय व्यवस्था अध्याय म है।

सविधान मे सशोधन प्रक्रिया

सविधान के २०वें भाग के अनुच्छेद ३६८ म सविधान म सशोधन की प्रक्रिया बतायी गयी है। यदि ससद के दोनो सदन बहुमत से और उपस्थित सदस्यो के दो तिहाई मत से सशोधन विधेयक पारित कर दें तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह सशोधन विधान का अग हो जायेगा। परन्तु यदि कोई सशोधन (क) अनुच्छेद ५४ ५५ ७३ १६२ २४१ (ख) भाग ५ के अध्याय ४ भाग ६ के अध्याय ५ या भाग ११ के अध्याय १ म अथवा (ग) सातवी अनुसूची की सूचियो म से किसी म (घ) ससद म राज्यो के प्रतिनिधित्व अथवा (ङ) इस अनुच्छेद (३६८) के उपबन्धो म कोई परिवर्तन करना चाहता है तो ऐसे उपबन्ध करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित किये जाने के पूर्व राज्यो म से कम से कम आधो के विधान-मण्डलो से पारित सकल्पो द्वारा अनुसमर्थन भी अपेक्षित होगा।

यहा यह उल्लेखनीय होगा कि उपरोक्त विषयो का साधारणतया राज्यो के अधिकारो शक्तियो एव सविधान के सघात्मक रूप पर प्रभाव पडता है। सविधान के २४वें सशोधन के द्वारा ससद एव आधे राज्यो के विधान मडलो द्वारा पारित किसी सविधान सशोधन विधेयक पर सहमति व्यक्त करने का राष्ट्रपति का अधिकार समाप्त कर दिया गया है। इस सशोधन के द्वारा सविधान के सशोधन का अधिकार देने वाला अनुच्छेद ३६८ का ही सशोधन किया गया है।

इस सशोधन के द्वारा नागरिको के मौलिक अधिकारो मे कटौती किये जाने पर अनुच्छेद १३ द्वारा लगायी गयी पाबन्दी को भी समाप्त कर दिया था।

जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए सविधान मे सशोधन की प्रक्रिया इस प्रकार है —
'ऐसा सशोधन जम्मू-कश्मीर राज्य के सम्बन्ध मे तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि वह अनुच्छेद ३७० की धारा (१) के अधीन राष्ट्रपति के आदेश द्वारा लागू न किया जाए।

सविधान में सशोधन

२६ जनवरी १६५० को भारतीय सविधान लागू हुआ। तब से अब तक ३१ सशोधन किए गए हैं।

प्रथम सशोधन (१६५१ ई०) इसके द्वारा अनुच्छेद १५ १६ ८५ ८७ १७४ १७६, ३४१ ३४२ और ३७२ म छोटे-मोटे परिवर्तन के अतिरिक्त दो नये अनुच्छेद ३१क

ग्रौर ३१ ख जोडे गये ग्रौर ग्राठवी ग्रनुसूची के बाद नवी ग्रनुसूची जोडी गयी। इसकी मुख्य बातें हैं —भेदभाव का निषेध विदेशो से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने के हित म ग्रौर बदनामी फलाने या किसी ग्रपराध के लिये भडकाने के सम्बन्ध मे नागरिको के भाषण ग्रौर ग्रभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पर उचित प्रतिबन्ध लगाने की राज्य शक्ति को विस्तृत कर दिया गया। नवी ग्रनुसूची मे जमीदारी उन्मूलन सम्बन्धी विभिन्न राज्या के १३ अधिनियमो का शामिल किया गया ग्रौर कहा गया कि इनको किसी न्यायालय म मौलिक ग्रधिकारो के हनन के नाम पर चुनौती नही दी जा सकती।

द्वितीय सशोधन (१६५२ ई०) इस सशोधन क द्वारा ग्रनुच्छेद ८१(१)(ख) को सशोधित कर लोकसभा मे प्रतिनिधित्व का नया मान नियत किया गया। मूल ग्रनुच्छेद मे यह उपबन्ध था कि लोकसभा मे ग्रधिक से ग्रधिक ७ ५० ००० व्यक्तिया के लिए कम से कम एक सदस्य होगा ग्रौर कम से कम ५ लाख व्यक्तिया के लिये १ से ग्रधिक सदस्य नही होगा। इस सशोधन के द्वारा जनसख्या की ऊपरी सीमा हटा दी गई।

ततीय सशोधन (१६५३ ई०) सातवी ग्रनुसूची मे समवर्ती सूची की तेतीसवी मद के स्थान पर एक नई मद रख दी गयी, जिसमे खाद्य सामग्रियो पशुग्रो के चारे, कपास ग्रौर जूट को ऐसी ग्रतिरिक्त मदो क रूप मे सम्मिलित किया गया, जिनका उत्पादन-सभरण यदि लोकहित म उपयोगी हो तो केन्द्र द्वारा नियत्रित किया जा सकता है। इसम ग्रायातित वस्तुग्रो का नाम भी जोड दिया गया।

चतुर्थ सशोधन (१६५५ ई०) इसका सम्बन्ध केवल जमीदारी उन्मूलन कानूनो से था, जो समाज कल्याण के उद्देश्य से बनाए गए कानूनो की शृखला म सर्वप्रथम थे। ससद को या राज्य विधान मण्डलो को यह ग्रधिकार दिया गया कि वे व्यापार या वाणिज्य के किसी विशेष क्षेत्र म राज्य का एकाधिकार शुरू करने के लिए कानून बना सकते हैं। नवी ग्रनुसूची मे ७ नये ग्रधिनियम शामिल किये गये। यह भी प्रावधान किया गया कि मुग्रावजे की राशि की ग्रनुपयुक्तता के ग्राधार पर सरकार द्वारा ग्रर्जित किसी सम्पत्ति की वैधता को न्यायालय म चुनौती नही दी जा सकती।

पचम सशोधन (१६५५ ई०) इसके द्वारा राष्ट्रपति को समय सीमा नियत करने की शक्ति प्रदान की गई कि उस सीमा के ग्रन्दर राज्य विधान मडल किसी ऐसे प्रस्तावित केन्द्रीय कानूनो पर विचार प्रकट कर सकते हैं जिनका उन राज्यो के क्षेत्र ग्रौर सीमाग्रो ग्रादि पर प्रभाव पडता है।

षष्ठ सशोधन (१६५६ ई०) ग्रतर्राज्यीय लेन-देन के सिलसिले मे वस्तुग्रो की बिक्री ग्रौर खरीद पर करो से सबधित है। इसके द्वारा केन्द्र को ग्रतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के सिलसिले म समाचारपत्रो से भिन्न कुछ ग्रन्य वस्तुग्रो की बिक्री ग्रौर खरीद पर कर लगाने तथा उनका नियत्रण करने का ग्रधिकार प्राप्त हो गया।

सप्तम सशोधन (१६५६ ई०) इस ग्रधिनियम के द्वारा राज्य की तीन श्रेणिया (क ख, ग) समाप्त कर सारे देश को १४ राज्यो ग्रौर ६ केन्द्रशासित क्षेत्रो म पुनर्गठित कर दिया गया। राज्य पुनर्गठन के कारण भी यह सशोधन किया गया। इसी सशोधन के द्वारा विधान सभाग्रो की क्षेत्रीय समितिया तथा विदर्भ मराठवाडा बाकी महाराष्ट्र सौराष्ट्र, कच्छ ग्रौर शेष गुजरात के लिए पृथक विकास बोर्डों की स्थापना की गई। उच्च न्यायालयो

की अधिकारिता का विस्तार इसी सशोधन के द्वारा किया गया।

अष्टम सशोधन (१६५६ ई०) इसके द्वारा अनुसूचित जातियो एव अनुसूचित जन-जातियो के लिए सीटो का आरक्षण और लोक सभा तथा राज्यो की विधान सभाओ म एग्लो इडियनो का प्रतिनिधित्व २६ जनवरी १९६० से १० वर्षो के लिए बढा दिया गया।

नवम सशोधन (१९६० ई०) इस अधिनियम द्वारा सविधान की पहली अनुसूची म इस प्रकार सशोधन किया गया ताकि १९५८ और १९५९ म भारत और पाकिस्तान की सरकारो के मध्य समझौते के अनुसार कुछ भ भाग को पाकिस्तान को हस्तान्तरित किया जा सके।

दशम सशोधन (१९६१ ई०) इस अधिनियम द्वारा दादर और नागर हवेली के स्वतत्र क्षेत्रो को भारतीय सघ म मिला लिया गया और राष्ट्रपति को विनियम बनाने की शक्ति के अधीन उनके प्रशासन की व्यवस्था की गई।

ग्यारहवा सशोधन (१९६१ ई०) इसम यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को इस आधार पर चुनौती नही दी जा सकती कि उचित निर्वाचक मण्डल म कोइ स्थान रिक्त था। इसके द्वारा यह भी व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मण्डल द्वारा किया जायगा जिसम ससद के दोनो सदनो के सदस्य होगे।

बारहवा सशोधन (१९६२ ई०) इस सशोधन के द्वारा पुर्तगाल से मुक्त कराये गये गोवा दमन दीव को भारत के केन्द्रशासित प्रदेशो म सम्मिलित कर लिया गया। यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

तेरहवा सशोधन (१९६२ ई०) यह सशोधन इसलिए किया गया जिसम कि भारत सरकार और नागा पिपुल्स कन्वेंशन के मध्य हुए एक समझौते के अनुसार एक पृथक (नागालैंड) राज्य के निर्माण के लिए माग प्रशस्त हो जाये।

चौदहवा सशोधन (१९६२ ई०) इसके द्वारा व्यवस्था की गई (क) केन्द्रशासित प्रदेशो के लिए विधान मण्डल और मत्रिपरिषदें बनाई जाए (ख) फ्रास के अधिकार से मुक्त पाडिचेरी कारीकरम माही और यमन को केन्द्रशासित प्रदेश बना दिया जाय (ग) गोवा दमन और दीव को एक अलग केन्द्रशासित प्रदेश बना दिया जाये जिसका एक पृथक विधान मण्डल हो।

पन्द्रहवा सशोधन (१९६३ ई०) (क) इस सशोधन द्वारा सरकारी कर्मचारियो की वैधानिक कार्यवाही के विषय मे अधिकार केवल एक जाच तक ही सीमित कर दिया गया (ख) राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई कि सन्देह की स्थिति म वह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयो के न्यायाधीशो की सही आयु का निश्चय भारत के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से कर सकता है (ग) उच्च न्यायालयो के न्यायाधीशो की सेवा निवृत्ति की आयु ६० से बढाकर ६२ वर्ष कर दी गई।

सोलहवा सशोधन (१९६३ ई०) इसके द्वारा राज्य सरकारो को देश के विघटनकारी तत्वो पर प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार दिया गया। साथ ही राजनीतिक दलो द्वारा देश से अलग होने की माग को निर्वाचन का प्रश्न बनाने से रोका गया। इसके अतिरिक्त ससद एव राज्य विधान मण्डलो के उम्मीदवारो केन्द्र तथा राज्यो के मत्रियो ससत्सदस्यो एव विधायको

सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को 'भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता को बनाये रखने' की शपथ लेना आवश्यक बना दिया गया।

सत्रहवां संशोधन (१९६४ ६५ ई०) इस संशोधन द्वारा सरकार को बिना बाजार भाव से मुआवजा दिए उस भूमि का अधिग्रहण करने से रोक दिया गया है जिस पर कोई व्यक्ति स्वयं खेती कर रहा है या जो (उस समय लागू) भूमि रखने की अधिकतम सीमा के अन्दर जमीन रखता हो। इसके द्वारा संविधान की नवम सूची में ४३ नये अधिनियम जोड़ दिये गये।

अठारहवां संशोधन (१९६६ ई०) यह संशोधन पंजाब का भाषा के आधार पर पुनर्गठन करने में सुविधा लाने की दृष्टि से किया गया। इसी संशोधन के द्वारा पंजाब का कुछ क्षेत्र हिमाचल में मिलाने तथा चंडीगढ़ को केन्द्रशासित प्रदेश बना देने का अधिकार सरकार को प्रदान किया गया।

उन्नीसवां संशोधन (१९६६ ई०) इस संशोधन के द्वारा निर्वाचन याचिकाओं की सुनवाई सीधे उच्च न्यायालयों में और उसकी अपील उच्चतम न्यायालय में करने की व्यवस्था की गयी।

बीसवां संशोधन (१९६६ ई०) यह संशोधन उच्च न्यायायिक पदाधिकारियों द्वारा जिनकी नियुक्तियां उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रभावहीन घोषित कर दी गई थी की गई नियुक्तियां तैनातियों स्थानान्तरणों निर्णयों डिक्रियों सजाओं तथा आदेशों को वैध बनाने के लिए किया गया था।

इक्कीसवां संशोधन (१९६६ ई०) इसके द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की आठवीं सूची में शामिल कर उसे १४ राजभाषाओं में स्थान दिया गया।

बाईसवां संशोधन (१९६६ ई०) इसके द्वारा असम राज्य के अन्तर्गत जनजातीय क्षेत्रों का एक स्वायत्त राज्य और इस राज्य के लिए एक स्थानीय विधान मण्डल या मन्त्रिपरिषद या दोनों बनाने का उपबन्ध अनुच्छेद २४४ का अन्त स्थापित करके किया गया।

तेईसवां संशोधन (१९६९ ई०) इससे अनुच्छेद ३३० ३३२ या ३३३ का संशोधन किया गया और अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के प्रतिनिधित्व के लिए नाम निर्देशित करने की मर्यादा और दस वर्ष बढ़ाई गयी।

चौबीसवां संशोधन (१९७१ ई०) इसके द्वारा संसद को संविधान की समस्त धाराओं को संशोधित करने का अधिकार मिला है। उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने १९६८ में एक निर्णय यह दिया था कि संसद को नागरिकों के मौलिक अधिकारों में कटौती करने का अधिकार नहीं है। यह संशोधन उसी अधिकार की प्राप्ति के लिए किया गया है। इसके द्वारा किसी विधेयक पर सहमति व्यक्त करना राष्ट्रपति के लिये अनिवार्य कर दिया गया है।

पच्चीसवां संशोधन (१९७१ ई०) इसके द्वारा संसद को विधि द्वारा जनहित में निजी सम्पत्ति के अधिग्रहण का असीम अधिकार दिया गया है। इसमें मुआवजे देना अनिवार्य नहीं रह गया। जो भी राशि दी जायेगी, उसके विरोध में न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस संशोधन में यह प्रावधान भी है कि राज्य निजी सम्पत्ति के अधिग्रहण सम्बन्धी विधि निर्माण से पूर्व इस विषय में राष्ट्रपति की सम्मति ले।

छब्बीसवां संशोधन (१६७१) इस संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेदों २६१ व ३६२ को लुप्त कर नये अनुच्छेद ३६३(क) का प्रवेश किया गया। इसके द्वारा भूतपूर्व राजाओं के प्रिविपर्सों व विशेषाधिकारों को तत्काल समाप्त कर दिया गया।

सत्ताईसवां संशोधन (१६७१ ई०) इसके द्वारा अनुच्छेद २३६ (क) और २४० मे संशोधन किया गया तथा दो नये अनुच्छेद २३६ (ख) और ३७१(ग) का समावेश किया गया। इसके द्वारा संसद और राष्ट्रपति को मिजोराम और अरुणाचल समेत उन सभी केन्द्र शासित क्षेत्रों मे विधान मंडल बनने तक नियम-कानून बनाने या वहां के प्रशासक को इसके लिए अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है।

अट्ठाइसवां संशोधन (१६७२ ई०) इसके द्वारा एक नये अनुच्छेद ३१२ (क) का संविधान में प्रवेश हुआ। अनुच्छेद ३१४ लुप्त कर दिया गया। इसके अंतर्गत संसद को कुछ प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों की सेवा शर्तों में परिवर्तन तथा सेवा समाप्ति का अधिकार दिया गया। इसी संशोधन के अनुसार भारतीय नागरिक सेवा अधिकारियों (आई० सी० एस०) के विशेषाधिकार समाप्त कर दिये गये।

उनतीसवां संशोधन (१६७२ ई०) इसके द्वारा संविधान की नवम अनुसूची मे केरल के भूमि सुधार सम्बन्धी दो और अधिनियम शामिल करके सरक्षित भूमि सुधार कानूनों की संख्या ६६ कर दी गयी।

तीसवां संशोधन (१६७२ ई०) इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद १३३ में परिवर्तन किया गया है। इस संशोधन से पूर्व २०,००० रुपये अथवा इससे अधिक राशि के दीवानी विवादों पर ही उच्चतम न्यायालय मे अपील की जा सकती थी। परन्तु अब सम्पत्ति के मूल्य पर दृष्टिपात न करते हुए मामले के संवैधानिक महत्व के आधार पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हो सकती है।

राज्य

राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति साधारणतः पांच वर्ष के लिए करता है। इनको ५,५०० रु० मासिक वेतन मिलता है। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। भारत का नागरिक और ३५ वर्ष या इससे अधिक आयु का व्यक्ति ही राज्यपाल होने का पात्र हो सकता है। राज्यपाल संसद या किसी विधान मंडल का सदस्य नहीं हो सकता। वह अन्य कोई सरकारी पद भी नहीं ले सकता। राज्यपाल को हटाने के लिए किसी महाभियोग का नियम नहीं है। पद पर उसका बना रहना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। राज्यपाल राज्य में केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधि होता है। वह राज्य के मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करता है। राज्य में राज्यपाल का वही स्थान है जो केन्द्र में राष्ट्रपति का।

राज्यपाल के कर्तव्य और अधिकार कोई अर्थ विधेयक (बिल) राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना विधान सभा में उपस्थित नहीं हो सकता। राज्यपाल विधानसभा और विधान-परिषद (जिन राज्यों में हैं) की संयुक्त बैठक का प्रतिवर्ष उद्घाटन करता है। विधान मंडल द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक पर राज्यपाल की सहमति आवश्यक है। इसके बिना विधेयक अधिनियम नहीं हो सकता। विधानमंडल के अवसानकाल में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। विधानसभा का अधिवेशन बुलाना और उसका विसर्जित करना उसका

कत्तव्य है। सविधान का राज्य म ठीक-ठीक पालन होता है यह देखना भी राज्यपाल का कत्तव्य है। राज्य का शासन सविधान के अनुरूप नही चल रहा है या नही चलाया जा सकता, राज्य-पाल स इस आशय की रिपोट प्राप्त होने पर ही राष्ट्रपति किसी राज्य म राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं।

मत्रिमडल सविधान के १६३ अनुच्छेद म राज्यपाल को सहायता और परामश दने के लिए एक मत्रिमडल को व्यवस्था की गइ है। इसका नेता मुख्यमत्री कहलाता है। विधान-सभा मे जिस दल का बहुमत होता है, उसी के नेता को राज्यपाल साधारणत मुख्यमन्त्री पद पर नियुक्त करता है। अय मत्रिया की नियुक्ति मुख्यमत्री के परामश स राज्य-पाल करता है। मन्त्रिमडल सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मन्त्रिमडल के सदस्या की सख्या मुख्यमत्री की इच्छा पर निभर है। इस विषय म कोई नियम नहा है। मुख्यमत्री प्राय अपनी सरकार का स्थिर रखन की दृष्टि से मत्रिया की सख्या निश्चित करता है। विधान सभा और विधान परिपद के सदस्या की सख्या ही इसका कुछ-कुछ नियत्रण करती है। राज्य की आय भी एक सीमा तक इस पर प्रतिबध लगाती है। प्रशासन आयोग ने सिफारिश की है कि मत्रिया की सख्या विधायका की सख्या से ११ प्रतिशत स अधिक नही होनी चाहिए।

राज्य विधान मडल प्रत्येक राज्य मे विधानमडल है। विधानमडल म दो सदन होते हैं। प्रत्यक्ष रूप स निर्वाचित सदन विधानसभा है और अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन विधान परिपद है। कई राज्या मे केवल विधानसभा है।

विधान सभा विधानसभा के सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित होते हैं। प्रत्येक सदस्य साधारणतया ७५ ००० लोगा का प्रतिनिधित्व करता है। **सदस्यो की सख्या ५०० से अधिक और ६० से कम नहीं हो सकती।** इसम हरिजनो और आदिवासिया के लिए कुछ स्थान सुरक्षित रहते हैं। विधानसभा अपने सदस्या मे से किसी सदस्य को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। इसका कायकाल साधारणत पाच साल है। विधानसभा का सदस्य वही व्यक्ति हो सकता है जो (१) भारत का नागरिक हो, (२) २५ साल से कम आयु का न हो, और (३) उन सब अहताओ से युक्त हो जो ससद निर्धारित करे। आवश्यक होने पर राज्यपाल विधानसभा म एग्लो इडियन समाज के प्रतिनिधि का नामजद कर सकता है।

विधान परिपद इसके सदस्या की सख्या विधानसभा के सदस्या की कुल सख्या की एक तिहाई से अधिक नही होनी चाहिए लेकिन ४० से कम भी न होनी चाहिए। परिपद् के एक तिहाई सदस्य स्थानीय सस्थाओ द्वारा तथा एक तिहाई विधानसभा के सदस्या द्वारा चुन जात हैं। १/१२ सदस्य विश्वविद्यालय के स्नातको द्वारा चुने जात हैं। चुनने का अधिकार उसी को है जो तीन साल पुराना स्नातक हो। १/१२ सदस्य शिक्षक प्रतिनिधि हात हैं। इनका कम से कम माध्यमिक विद्यालय या उससे ऊपर की शिक्षण-सस्थाओ मे तीन साल शिक्षक रहना आवश्यक होता है। १।१२ सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत हाते हैं। साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा के लिए विख्यात लोगा म से इनका मनोनयन होता है। अय विधेयक सीधे विधान-परिपद मे उपस्थित नही किया जा सकता। विधानसभा द्वारा पारित अय विधेयका पर १४ दिना के भीतर उसमे सशोधन व परिवतन का सुझाव देन भर का अधिकार विधान परिपद को है। आध्र, बिहार महाराष्ट्र तमिलनाडु, मसूर, पजाब, उत्तर

प्रदेश और पश्चिम बंगाल में अब तक दो सदन थे किन्तु अब पंजाब में परिषद समाप्त हो गई है। उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में परिषदें समाप्त करने का प्रस्ताव पारित हो चुका है।

राज्य की न्यायपालिका संविधान के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय का प्रावधान है। इस संबंध में विस्तृत वर्णन न्याय-व्यवस्था में है।

संघ और राज्यों का परस्पर सम्बन्ध

संविधान के अनुच्छेद २४५ से २६३ तक केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों की विस्तृत व्याख्या की गई है। इन संबंधों को तीन वर्गों में बांटा जा सकता है।

विधायी विधि बनाने की तीन सूचियां बनाई गई हैं। संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। संसद संघ सूची में दिए गए ९७ विषयों पर अनन्यत विधि बना सकती है। ४७ विषयों में संघ और राज्य दोनों विधियां बना सकते हैं। राज्य कोई विधि संघविधि के प्रतिकूल या विपरीत या विरोधी नहीं बना सकते। राज्यों के विधानमंडल ६६ विषयों में विधि बना सकते हैं। राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में अंकित विषयों पर भी संसद को विधि बनाने का अधिकार है—जबकि राज्य सभा के दो तिहाई सदस्य इसकी स्वीकृति दे दें। आपात काल में भी यह अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। संसद सारे देश के लिए कानून बनाती है, राज्य विधानमंडल केवल अपने क्षेत्र के लिए। केन्द्र का बनाया कोई कानून इस आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता कि उससे प्रादेशिक सीमा का अतिक्रमण होता है। केन्द्र को तीनों सूचियों के अतिरिक्त कुछ विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को संचार साधनों के निर्माण और उनकी सार संभाल का आदेश दे सकती है। वह किसी भी राजपथ को राष्ट्रीय पथ और जल मार्ग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित कर सकती है। केन्द्रीय सरकार सेना के आवागमन के साधनों का निर्माण कर सकती है। राष्ट्रपति राज्य सरकार को उसकी सहमति से केन्द्रीय सरकार का कुछ कार्य भार वहन करने के लिए कह सकते हैं। युद्ध और आन्तरिक अशांति के समय राष्ट्रपति राज्यों को विशेष आदेश दे सकते हैं।

प्रशासनिक केन्द्रीय और राज्यों की कार्यपालिका का अधिकार-क्षेत्र उन सब विषयों तक विस्तृत है जो समवर्ती सूची में दर्ज है। कुछ बातों में राज्यों को केन्द्र के निर्देश का पालन करना होता है। अनुच्छेद २६१ के अनुसार भारत में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के सार्वजनिक अधिनियमों, अभिलेखों तथा न्यायिक कार्यवाहियों के प्रति पूरा विश्वास प्रगट किया जाता है।

वित्तीय आर्थिक और वित्तीय दृष्टि से राज्य बहुत कुछ केन्द्र पर निर्भर करते हैं। राज्य केन्द्र से अनुदान की आशा करते हैं। आयकर और उत्पादन शुल्क की आय में से अधिकाधिक भाग पाने की इच्छा करते हैं। केन्द्र से राज्यों को किस मात्रा में वित्तीय और आर्थिक सहायता प्राप्त हो इसका निश्चय हर पांच साल बाद वित्त आयोग द्वारा किया जाता है। यह आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है।

स्वायत्त शासन

स्थानीय कार्य चलाने के लिए जो व्यवस्था की गई है उसे स्वायत्त शासन कहते हैं। इन्हें दो वर्गों में बांटा गया है—नगर और ग्रामीण। बड़े नगरों की स्थानीय

व्यवस्था नगर निगम और मध्यम तथा छाटे नगरा वा व्यवस्था नगरपालिकाम्रा क मात्यम स की जाता है। ग्रामीण क्षेत्रा का स्वायत्त शामन पचायता क माध्यम स हान लगा है। निगम नगरनिगम के अध्यक्ष को महापौर कहत है। नगरनिगम का प्रशासन काय (क) निगम की सामा य परिपद (ख) परिपद की स्थायी ममिति तथा (ग) आयुक्त अथवा कायकारी अधिकारी द्वारा सचालित हाना है। इसकी कायपालिका शक्ति आयुक्त म निहित हाती है। नगरपालिकाए जिन नगरपालिकाम्रा क अध्यक्ष का निर्वाचन होना है उनका काय भी समितिया द्वारा ही सचालित हाता ह। इसका सचालन कायकारी अधिकारी द्वारा हाना ह। जिला स्वायत्त शासन िल भर की व्यवस्था क लिए जिला को कइ प्रखण्डा म बाटा गया है। जिमक अन्तगत कई ग्राम हात ह। इन प्रखण्डा का कुछ अधिकार और कत्तव्य भी सौंप गए हैं। दा एक राज्या का छाडकर शेप प्रदशा म पचायतीराज लागू किए गए है।

ग्राम पचायतें ग्रामवासा स्वय पचायत का चुनाव करत हैं। इन पचायता पर कृपि उत्पादन ग्रामीण उद्योगा सडका गलिया तालावा तथा कुम्रा का देखभाल मफाई जलनिकासी म्रादि का दायित्व है। कहीं-कहीं शिक्षा तथा राजस्व वसूली की व्यवस्था भा ग्राम पचायता के अधीन ह। इस समय दश म २,१७ ००० ग्राम पचायत ३५०० प्रखड पचायत और २४० जिला पचायत काम कर रही है। कइ राज्या म पचायता का छ माह तक दड दन का भी अधिकार सौंपा गया है। इन पचायता द्वारा किय गय अनक निणया की मर्वोच्च यायालय क मुख्य यायाधीश श्री भुवनश्वरप्रमाद मि हा और श्री एम० म्रार० दास न प्रशसा की ह।



: १० :

भारत की न्याय व्यवस्था

भारत की आधुनिक न्याय व्यवस्था सोपान क्रम में बनी है। उच्चतम न्यायालय इसके शिखर पर है। इसके नीचे प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय है जो राज्य में सिविल और दाण्डिक मामलों में अपील और पुनरीक्षण का सर्वोच्च न्यायालय है। सबसे नीचे अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। उच्च न्यायालय के नीचे के न्यायालयों की विधि मान्यता और अधिकारिता सम्बधित राज्य के अधिनियमों पर आधारित है। यह होते हुए भी सम्पूर्ण देश में न्यायालयों के गठन के बारे में आधारभूत एकरूपता है। प्रत्येक राज्य जिलों में विभाजित है। प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायालय है, जो मूल अधिकारिता वाला मुख्य सिविल न्यायालय है। जिला न्यायालय के अधीन कुछ निचले न्यायालय कार्य करते हैं जिनका नाम और अधिकारिता प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न हैं। जिला न्यायालय जिले के निचले न्यायालयों से उन सभी वादों में अपील सुनते हैं जिनका मूल्य पांच हजार रुपये तक है। कुछ राज्यों में यह सीमा दस हजार रुपये तक बढा दी गई है। इस राशि से अधिक की अपीलें जिला न्यायालय को न जाकर सीधे उच्च न्यायालय को जाती हैं। उच्च न्यायालय का मुख्य कार्य अधीनस्थ न्यायालयों की अपीलें सुनना और कुछ विशेष कानूनों के अधीन मूल मामलों का संज्ञान करना होता है। ये विशेष कानून हैं जैसे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम भूमि अर्जन अधिनियम आदि। इनके अतिरिक्त लघुवाद न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता पांच सौ रुपये से लेकर एक हजार रुपये तक होती है। साधारणतया जिला न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन होता है और इसके नीचे का प्रत्येक सिविल न्यायालय उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के अधीन होता है। जिन के न्यायालयों के काम का नियंत्रण और अधीक्षण का भार जिला न्यायाधीशों के कंधों पर होता है।

दांडिक अधिकारिता के क्षेत्र में, जिला न्यायालय सत्र न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है। इसके अतिरिक्त बहुत से मजिस्ट्रेट के न्यायालय होते हैं। दांडिक न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अधीन कार्य करते हैं। भारत के संविधान ने उच्च न्यायालयों को राज्य में स्थित सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर अधीक्षण करने की शक्ति प्रदान की है। उच्च न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण के लिए समुचित प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं।

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायतें भारत की अति प्राचीन पारम्परिक संस्थाएं हैं। १९०७ में भारत में विकेन्द्रीकरण पर राय देने के लिए जो रायल कमीशन नियुक्त हुआ था उसने यह सिफारिश

न्यायाधीश तथा अधिक से अधिक ७ अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी, परन्तु १९५६ के सुप्रीम कोर्ट एक्ट ने अन्य न्यायाधीशों की सीमा १० कर दी। बढते हुए काम को देखकर अब संख्या मुख्य न्यायाधीश समेत १४ कर दी गई है। आवश्यकता होने पर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का उपबन्ध है जिसे मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी भी उच्च न्यायालय के विधिवत् अर्हता प्राप्त न्यायाधीशों में से एक निश्चित समय के लिए कर सकता है।

न्यायाधीशों की अर्हताएं, नियुक्ति एवं वेतन (क) भारत का नागरिक होना चाहिए (ख) कम से कम ५ वर्ष किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या कम से कम १० वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो या राष्ट्रपति की राय में वह एक पारंगत विधिवेत्ता हो। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश ६५ वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है। इससे पूर्व भी वह राष्ट्रपति को सम्बोधित कर त्यागपत्र दे सकता है। असमर्थता या सिद्ध अभियोगों के कारण वह पदच्युत भी किया जा सकता है। प्रधान न्यायाधीश का वेतन ५ ००० रु० मासिक तथा अन्य न्यायाधीशों का ४ ००० रु० मासिक संविधान द्वारा नियत है। इसमें परिवर्तन संविधान में संशोधन लाकर ही किया जा सकता है।

उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता संविधान के अनुच्छेद १२९ में इसे अभिलेख न्यायालय कहा गया है जिसे अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित न्यायालय की सब शक्तियां प्राप्त हैं। उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को तीन भागों में बांट सकते हैं—(१) प्रारम्भिक (२) अपीली तथा (३) परामर्शदातृ।

प्रारम्भिक अधिकारिता भारत सरकार तथा एक अथवा अधिक राज्यों के बीच के विवाद, राज्यों के बीच आपसी विवाद केन्द्र तथा राज्यों के बीच अथवा परस्पर राज्यों के बीच के विवाद चाहे तथ्य पर आधारित हों या कानून पर। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने का अधिकार भी इसे प्राप्त है परन्तु यह उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में भी आता है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के विरुद्ध किसी याचिका पर विचार केवल उच्चतम न्यायालय में ही हो सकता है।

अपीली अधिकारिता इसके कई रूप हैं—**संवैधानिक मामले**—किसी वाद में उच्च न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णय डिक्री अथवा अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है यदि विवाद किसी विधान या संविधान की व्याख्या से संबंधित है। **दीवानी मामले** यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करता हो कि वाद अपील के योग्य है। **दाण्डिक मामले** यदि उच्च न्यायालय ने निम्न न्यायालय से किसी मुकदमे को मंगाकर या निम्न न्यायालय द्वारा दिये गये किसी निर्णय को रद्द करके अभियुक्त को मृत्युदण्ड का आदेश दिया है या मामले को अपील-योग्य होने का प्रमाण पत्र दिया है। **विशेष इजाजत** उच्चतम न्यायालय अपने विवेक से किसी भी मामले पर अपील की विशेष इजाजत दे सकता है परन्तु सैनिक अधिकरण के निर्णय पर अपील की अनुमति नहीं दे सकता। संसद विधि द्वारा उसकी अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है। उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय अथवा निर्देश के पुनरीक्षण करने का भी अधिकार है।

परामर्शदात्री अधिकारिता यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि अथवा तथ्य संबंधी ऐसे प्रश्न पैदा हो गये हैं जिन पर उच्चतम न्यायालय का मत प्राप्त करना

वाछनीय है तो वह इसके समक्ष रख सकता है। उच्चतम न्यायालय उसकी उचित सुनवाई करके अपना अभिमत राष्ट्रपति को भेज देगा।

उच्च न्यायालय

संविधान के अनुच्छेद २१४ म प्रत्येक राज्य म एक उच्च न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना गया है जिसे अपने अवमान के लिए दण्ड देने के अधिकार सहित न्यायालय के सभी अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक राज्य के न्याय प्रशासन म सबसे ऊपर उच्च न्यायालय होते हैं। दो या अधिक राज्यो का मिलकर एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। इस समय पजाब और हरियाणा का तथा असम और नागालैंड का सयुक्त उच्च न्यायालय है। केन्द्र राज्य क्षेत्रो म उच्च न्यायालय केवल दिल्ली म ही है। उच्च न्यायालय का मुख्य स्थान एक स्थल पर होते हुए भी उसकी न्यायपीठ अन्य स्थान पर हो सकती है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की न्यायपीठ लखनऊ म भी है। महाराष्ट्र की न्यायपीठ बम्बई के अतिरिक्त नागपुर म भी है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर के अलावा ग्वालियर और इदौर मे न्यायपीठ हैं।

इस समय भारत मे १८ उच्च न्यायालय हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय की अधिकारिता अडमान और निकोबार को १९५३ म विस्तारित की गई है। केरल की अधिकारिता म लक्कादीव द्वीप सम्मिलित है। गोवा दमन, दीव, नागरा और नगर हवेली महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के अन्तर्गत आते हैं।

दिल्ली मे उच्च न्यायालय १९६६ म स्थापित किया गया।

उच्च न्यायालय का गठन प्रत्येक उच्च न्यायालय म एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार निर्धारित सख्या मे नियुक्त होते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश एव उस राज्य के राज्यपाल की सलाह से करता है। अन्य न्यायाधीशो की नियुक्ति म उक्त रीति से अतिरिक्त राज्य के मुख्य न्यायाधिपति से भी परामर्श लिया जाता है। इनके अतिरिक्त बचे हुए काम को निपटाने एव किसी न्यायाधीश की अनुपस्थिति मे अपर न्यायाधीशो एव कार्यवाहक न्यायाधीशो की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति सहित कोई भी न्यायाधीश ६२ साल की आयु तक ही अपने पद पर काय कर सकता है। इन्हें अपने पद से हटाये जाने की विधि भी वही है जो उच्चतम न्यायालयो के न्यायाधीशो के लिए है। इस पद के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना किसी राज्य के न्यायिक पद पर कम से कम दस वष तक काय का अनुभव या उच्च न्यायालयो म १० वष तक अधिवक्ता के रूप म काय का अनुभव होना अनिवाय है। मुख्य न्यायाधिपति को प्रतिमास ४,००० रु० तथा न्यायाधीशो को ३,५०० रु० वेतनस्वरूप देने की व्यवस्था है। साथ ही इन्हें भत्ते, पेंशन आदि पाने का अधिकार है। यह भत्ते तथा पेंशन ससद तय करती है। इनके पद स्थानान्तरणीय हैं।

राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता जहा ससद द्वारा दो राज्यो के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है या जहा उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बढाकर सघीय प्रदेश तक किया गया है उसे छोडकर किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र राज्य क्षेत्र तक सीमित होगा।

मूल अधिकारिता कलकत्ता बम्बई और मद्रास के उच्च न्यायालयो को छोडकर

अन्य उच्च यायालयों को केवल नौकाधिकरण प्रोबेट ववाहिक तथा यायालय के अवमान के मामलों से मूल अधिकारिता प्राप्त है। उक्त तीन प्रसीडेंसी नगरों के उच्च यायालयों को इन नगरों के अन्दर शुरू हुए मामलों में सिविल व दाण्डिक—दोनों प्रकार की मूल अधिकारिता प्राप्त है। इनमें से बम्बई और मद्रास के उच्च यायालयों की दाण्डिक अधिकारिता सत्र यायालयों को सौंपी गई है। सिविल मामलों के लिए नगर सिविल यायालय की स्थापना भी हुई है परन्तु अधिक मूल्य वाले मुकदमों की सुनवाई उच्च यायालयों के अधीन है।

अपीली अधिकारिता उच्च यायालय की अपीली अधिकारिता सिविल तथा दाण्डिक दोनों मामलों में है। दीवानी मामलों में दो अपीलें होती हैं। उच्च यायालय की अधिकारिता—(क) मूल दाण्डिक अधिकारिता का प्रयोग करते हुए इसी उच्च यायालय के (ख) किसी सत्र यायाधीश या अपर सत्र यायाधीश के (ग) जिन मामलों में किसी अभियुक्त को चार वर्षों की जेल की सजा दी गई है। उनमें किसी सहायक सत्र यायाधीश या विशेष रूप से शक्तिप्राप्त मजिस्ट्रेट के (घ) किसी प्रजीडेंसी मजिस्ट्रेट के या (च) भारतीय दण्ड संहिता की धारा १४४क की किसी सजा के मामले में किसी जिला मजिस्ट्रेट के निर्णयों की अपीलों के लिए है।

अधीक्षण की शक्ति उच्च यायालय का यह अधिकार यापक है। इस अधिकार में पुनरीक्षात्मक क्षेत्राधिकार घोर अन्याय या अधिकारिता का प्रयोग न करने या दुरुपयोग करने के मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार भी सम्मिलित है।

अनुच्छेद २२६ संविधान का अत्यन्त महत्व का अनुच्छेद है। इस रिट अधिकारिता कहते हैं। उच्च यायालय किसी भी यायिक यायिक कल्प या प्रशासनिक प्राधिकारी को उपयुक्त परिस्थिति में आवश्यक रिट जारी कर सकता है। यह रिट राज्य क्षेत्र में स्थित व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है। संशोधन से पूर्व केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध केवल पंजाब उच्च यायालय रिट जारी कर सकता था।

उच्च यायालयों का क्षेत्र

नाम	स्थापना	राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता	स्थान
१ कलकत्ता	१८६२	प० बंगाल अंडमान निकोबार द्वीप समूह	कलकत्ता
२ बम्बई	१८६२	महाराष्ट्र	बम्बई (नागपुर में न्यायपीठ)
३ इलाहाबाद	१८६६	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद (लखनऊ में यायपीठ)
४ मैसूर	१८८४	कर्नाटक	बंगलौर
५ पटना	१९१६	बिहार	पटना
६ जम्मू-कश्मीर	१९४३	जम्मू-कश्मीर	श्रीनगर जम्मू
७ पंजाब व हरियाणा	१९४७	पंजाब व हरियाणा	चंडीगढ़
८ असम व नागालैंड	१९४८	असम व नागालैंड	गोहाटी
९ उड़ीसा	१९४८	उड़ीसा	कटक
१० केरल	१९४८	केरल लक्कादीव मिनीकाय व अमीनदीव द्वीप समूह	एर्नाकुलम

११	राजस्थान	१९४९	राजस्थान	जाधपुर
१२	आंध्र प्रदेश	१९५४	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद
१३	मध्य प्रदेश	१९५६	मध्य प्रदेश	जबलपुर (इंदौर व ग्वालियर म यायपीठ)
१४	गुजरात	१९६०	गुजरात	अहमदाबाद
१५	दिल्ली	१९६६	दिल्ली, हिमाचल प्रदेश	दिल्ली
१६	मद्रास		तमिलनाडू, पाडिचेरी	मद्रास

उच्च यायालया का अपन यायक्षत्र म सभी यायालया का निरीक्षण करन का अधिकार ह।

विधि की भाषा

अभी तक सम्पूर्ण देश म यायालया का काय मुख्यत अग्रजी म ही चल रहा ह। इस कारण जनसाधारण क लिए विधि का समझना असम्भव है। हिन्दी और अय भारतीय भाषाओं को अग्रजी के स्थान पर प्रतिस्थापित करन की दृष्टि से राजभाषा (विधायी) आयोग गठित किया गया है। यह आयोग एक मानक विधि शब्दावली का निर्माण कर रहा है और विधियो का हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं म अनुवाद कर रहा है।

सन १९७२ म पहली बार पटना उच्च यायालय क दो यायाधीशो न हिन्दी म निणय देकर यायालयो म हिन्दी के प्रयोग का माग प्रशस्त किया है।



You can become great only when your nation is great! -And a nation's greatness rests on the achievements of its youth



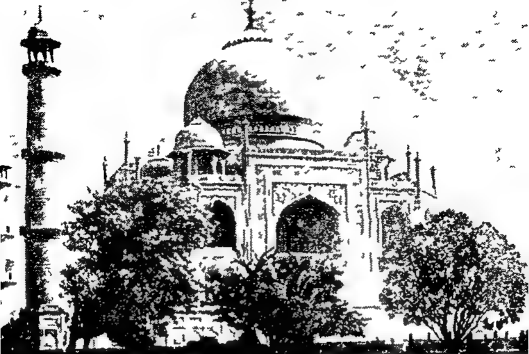
Much blood has been shed to make our country free. Today's youth must strive to make the country great.

The young generation must play its dynamic role in building up this great nation

Maharashtra's youth will always be in the forefront in the urgent task of national reconstruction

Let's pledge to achieve greater production in all the spheres—for a big leap towards progress and social justice.

Directorate General of Information and Public Relations Maharashtra.



.The flawless memory of a monarch's love .'

scarred and disfigured by sheer vandalism!

Its the same sad story of sheer alism all over the country Monuments re elegance and antiquity are scarred defaced with juvenile name scratching the Taj is not spared Its inlaid ole is gouged out its pure white surface ched and damaged Nature fares no er Lovely gardens are denuded of ers and left littered with garbage utiful beaches are turned into refuse ps

Yet these monuments and gardens and ches are part of our priceless heritage eritage that unites us as Indians heirs to agnificent tradition of beauty and art asset that draws thousands of visitors to country brings in valuable foreign hange and generates employment and sperity even in remote rural areas

Isn t it time we took pride in this heritage and did everything possible preserve it? The tourist and archeolog departments are doing what they can Government action alone is not enough must each one of us prevent the defa of monuments Discourage the littering misuse of gardens and beaches And i important instil in our young a sense pride in this heritage and the passion protect it For let us not forget unless we care enough our magnificent herit may be destroyed

You have a beautiful heritage
You must preserve it.

Released by
India Tourism Development Corporation fo
Department of Tourism
Government of India

You can become great only when your nation is great! -And a nation's greatness rests on the achievements of its youth

Much blood has been shed to make our country free. Today's youth must strive to make the country great.



The young generation must play its dynamic role in building up this great nation

Maharashtra's youth will always be in the forefront in the urgent task of national reconstruction

Let's pledge to achieve greater production in all the spheres—for a big leap towards progress and social justice.

Cam/71

Directorate General of Information and Public Relations Maharashtra.



\The flawless memory of a monarch's love ..

scarred and disfigured by sheer vandalism!

Its the same sad story of sheer dalism all over the country Monuments are elegance and antiquity are scarred l defaced with juvenile name scratching en the Taj is not spared Its inlaid rble is gouged out its pure white surface atched and damaged Nature fares no ter Lovely gardens are denuded of wers and left littered with garbage autiful beaches are turned into refuse mps

Yet these monuments and gardens and aches are part of our priceless heritage heritage that unites us as Indians heirs to nagnificent tradition of beauty and art asset that draws thousands of visitors to r country brings in valuable foreign change and generates employment and osperity even in remote rural areas

Isn t it time we took pride in thi heritage and did everything possible preserve it? The tourist and archeolc departments are doing what they car Government action alone is not enouc must each one of us prevent the dei of monuments Discourage the litteri misuse of gardens and beaches And important instil in our young a sense pride in this heritage and the passio protect it For let us not forget unles we care enough our magnificent her may be destroyed

You have a beautiful heritage
You must preserve it.

Released by
India Tourism Development Corporation
Department of Tourism
Government of India.

: ११ :

भारत की रक्षा व्यवस्था

स्वाधीनता के तुरन्त बाद से ही भारत की प्रभुसत्ता व अखडता क अपहरण का प्रयास प्रारम्भ कर दिया गया। सबसे पहले पाकिस्तान न कश्मीर के एक भाग पर निलज्जता पूण आक्रमण करके उसके एक हिस्स पर बलात कब्जा कर लिया। उसके बाद पाकिस्तान ने भारत को अपना शत्रु न० १ घोषित करके बराबर छुट पुट हमले जारी रखे।

पाकिस्तान क बाद पडोसी दश चीन न देश के विकास को अवरुद्ध करने के लिए शत्रुता की नीति अपनाई। भारत अपनी तटस्थता की नीति के अतगत सभी पडोसी देशा मे मित्रता का इच्छुक था। चीन का भी वह अपना मित्र मानता था किन्तु चीन ने अचानक सन् १९६२ म भारत पर खुला आक्रमण कर दिया। चीन के इस आक्रमण का हमने दृढता के साथ सामना किया, किन्तु इस आक्रमण के फलस्वरूप हमे अपनी रक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ करने का निणय लेना पडा।

पाकिस्तान न छुट पुट हमला के बाद सन १९६४ म फिर स शेष कश्मार पर बलात् कब्जा करने का षडयत्र रचा। उसने हजारा घुसपठिया को छिपे रूप से कश्मीर मे भेजकर तोड फोड की विध्वसात्मक गतिविधिया प्रारम्भ कर दी। कश्मीर की रक्षा के लिए सना क जवान सतक थ अत उन्होने सम्भावित खतरे का भाप लिया और पाकिस्तानी विध्वस-कारिया का षडयन्त्र असफल कर दिया। षडयत्र असफल हो जाने पर १९६५ म पाकिस्तान ने खुला आक्रमण कर दिया जिसका हमारी सना ने डटकर जवाब दिया। तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्री लालबहादुर शास्त्री के कुशल नेतत्व म भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से पराजित किया। पाकिस्तान ने इस युद्ध मे अमेरिका से लिये पटन टैको व अन्य आधुनिकतम शस्त्रास्त्रो का प्रयोग किया किंतु भारतीय सनिको ने पटन टैको को बुरी तरह से ध्वस्त करके लाहोर के बकी व इच्छोगिल नहर के किनारे तक के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। भारत की नीति शाति व मित्रता की नीति है अत रूस के बीच म पडने स उसने ताशकद म हुए समझौत को मान लिया और जीते हुए सभी स्थान पाकिस्तान को वापस कर दिये।

भारत द्वारा सदैव शाति व मित्रता क लिय भूमिका तैयार करने के प्रयास के बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा भारत क प्रति शत्रुतापूण व आक्रामक रवया ही बनाए रखा। ताशकद समझौते का उल्लघन कर उसन भारत की सीमा का अनक बार अतिक्रमण किया तथा युद्ध के समय जब्त भारतीय माल सामान वापस नही किया।

पूर्वी बगाल म पाकिस्तान ने २५ माच १९७१ को भीषण नरसहार प्रारभ कराकर

तथा वहां हिन्दुओं पर अत्याचार कर उनका नरसंहार कर उन्हें भारत की ओर भगा दिया। भारत में लगभग एक करोड़ शरणार्थी आ पहुंचे तथा उनसे भारत के समक्ष अनेक गम्भीर समस्याएं खड़ी हो गईं। पाकिस्तान ने इतना ही नहीं अपितु पूर्वी बंगाल की जनता की आड़ में न केवल भारत विरोधी अभियान चलाया अपितु अनेक स्थानों पर भारतीय सीमा में गोलाबारी भी प्रारम्भ कर दी।

पाक आक्रमण व बंगला देश की मुक्ति

बंगला देश की स्वतन्त्र सरकार ने बंगला देश को पाकिस्तान के पंजे से मुक्त कराने के लिए युद्ध आरम्भ कर दिया। मुक्तिवाहिनी बराबर पाकिस्तानी सेना से लोहा लेती रही।

३ दिसम्बर १९७१ को पाकिस्तान ने भारत पर अचानक हवाई हमला कर दिया। भारतीय सेना ने आक्रमण का डटकर उत्तर दिया। पूर्वी व पश्चिमी मोर्चा दोनों में भारतीय सेना के सभी अंगों ने पाकिस्तान को चारों ओर घेर लिया। पूर्वी क्षेत्र में मुक्तिवाहिनी के साथ भारतीय सेना पाकिस्तानियों को खदेड़ती हुई आगे बढ़ी। ६ दिसम्बर १९७१ को भारत ने बंगला देश को मान्यता दे दी। अन्त में १६ दिसम्बर को भारतीय सेना ने ढाका पर अधिकार कर लगभग एक लाख पाकिस्तानी सैनिकों व नागरिकों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया।

१७ दिसम्बर को प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने पश्चिमी क्षेत्र में भी युद्धविराम की घोषणा कर विश्व के समक्ष एक आदर्श उपस्थित किया। उनकी घोषणा थी—"भारत किसी भी देश की एक इंच भूमि भी हथियाने की आकांक्षा नहीं रखता।

इस युद्ध में भारतीय सेना ने बंगला देश को मुक्त कराने के अतिरिक्त पश्चिमी क्षेत्र में भी पाकिस्तान को भारी पराजय दी।

२ जुलाई १९७२ को सम्पन्न शिमला समझौते के उपरान्त यद्यपि पाकिस्तान ने पुनः भारत को धमकियां देनी प्रारम्भ कर दीं। उसका रुख समझौते के कार्यान्वयन में बाधक रहा तथा उसने अपने वचन को ठुकराकर बंगला देश को मान्यता देने से इनकार कर दिया।

पाकिस्तान के असहयोगपूर्ण व गलत रुख के बावजूद भारत समझौते के पालन के लिये बराबर प्रयत्नशील रहा। श्री भुट्टो बराबर धमकी देते रहे किन्तु भारत ने फिर भी मैत्रीपूर्ण रवैया अपनाये रखा। भारत का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल समझौते में आई बाधा को दूर करने के उद्देश्य से श्री पी० एन० हक्सर के नेतृत्व में अगस्त १९७३ में पाकिस्तान गया किन्तु पाकिस्तान के अड़ियल रुख के कारण उसे निराश वापस लौटना पड़ा। उसके बाद अगस्त के अन्तिम सप्ताह में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमण्डल दिल्ली आया और भारत ने सभी बाधाओं को दूर कर पाकिस्तानी युद्धबन्दी वापस करने की घोषणा कर समझौते का मार्ग प्रशस्त किया।

भारत ने तुरन्त पाकिस्तानी युद्धबन्दी वापस करने प्रारम्भ कर दिये किन्तु फिर भी पाकिस्तान का रुख अभी तक द्वेषपूर्ण व आक्रामक ही बना हुआ है। नवम्बर १९७३ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री भुट्टो ने पाक अधिकृत कश्मीर का दौरा कर पुनः कश्मीर पर आक्रमण की धमकी देकर हमारी आशाओं पर पानी फेर दिया।

भारत के १५ हजार किलोमीटर सीमान्त क्षेत्र में से काफी क्षेत्र चीन व पाकिस्तान के साथ लगता है। भारत के विरुद्ध चीन व पाकिस्तान के गठबंधन के कारण यह खतरा और भी गम्भीर है। चीन तिब्बत में डेढ़ लाख से अधिक सैनिक लगाए हुए है। ऐसी स्थिति में देश की सुरक्षा व अखण्डता के लिये रक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करना आवश्यक

व स्वाभाविक है। पाचवीं पंचवर्षीय योजना म नई रक्षा योजना की भी व्यवस्था इसी गभीरता को देखकर की गई है। भारत रक्षा सबधी साधना म आत्म निर्भर होने की दिशा म तेजी से बढ़ रहा है।

भारत के सर्वोच्च सेनाध्यक्ष

राष्ट्रपति	डा० राजेन्द्रप्रसाद	१९५०
राष्ट्रपति	डा० एस० राधाकृष्णन	१९६२
राष्ट्रपति	डा० जाकिरहुसैन	१९६७
राष्ट्रपति	डा० वी० वी० गिरि	१९६९ से

११७

भारत के थल सेनाध्यक्ष

जनरल सर आर० एम० लाकहर्ट	१९४८
जनरल एफ० आर० आर० बुचर	१९४८
जनरल के० एम० करियप्पा	१९४९
जनरल महाराज राजेन्द्रसिंह	१९५३
जनरल एस० एम० श्रीनागेश	१९५५
जनरल के० एस० थिमैया	१९५७
जनरल पी० एन० थापर	१९६१
जनरल जे० एन० चौधरी	१९६२
जनरल पी० कुमारमंगलम्	१९६६
जनरल एस० एच० एफ० जे० मानेकशा	१९६९
जनरल गोपाल गुरुनाथ बेवूर	१९७३ से

भारत के जल सेनाध्यक्ष

वाइस एडमिरल सर एडवर्ड पैरी	१९४८
वाइस एडमिरल सर सी० टी० एम० पिजे	१९५१
वाइस एडमिरल सर एस० एच० कार्लिल	१९५५
वाइस एडमिरल आर० डी० कटारी	१९५८
वाइस एडमिरल बी० एस० सोमन	१९६२
एडमिरल ए० के० चटर्जी	१९६६
एडमिरल एस० एम० नन्दा	१९७०
एडमिरल सुरेन्द्रनाथ कोहली	१९७३ से

भारत के वायु सेनाध्यक्ष

एयर मार्शल रोनाल्ड इवालो चपमन	१९४८
एयर मार्शल जी० ई० गिब्स	१९५१
एयर मार्शल एस० मुखर्जी	१९५४
एयर चीफ मार्शल अर्जनसिंह	१९६४
एयर चीफ मार्शल पी० सी० लाल	१९६९
एयर चीफ मार्शल ओ० पी० मेहरा	१९७३ से

रक्षा मन्त्रालय

देश की सुरक्षा का दायित्व रक्षा मंत्रालय पर है। सेनाओं के प्रशासन तथा कार्य संचालन पर नियंत्रण रखने का दायित्व सेनाओं की तीनों शाखाओं के मुख्यालय के अतिरिक्त प्रतिरक्षा मंत्रालय पर भी है। मंत्रालय ही सेना की तीनों शाखाओं की गतिविधियों तथा उनके विभागों में सामंजस्य रखने, सरकार द्वारा निर्धारित नीति विषयक मामलों से तीनों मुख्यालयों को अवगत कराने तथा उन्हें कार्यान्वित कराने का कार्य करता है। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही रक्षा उत्पादन विभाग और रक्षापूर्ति विभाग भी सम्मिलित हैं।

सेनाओं का संगठन

तीनों सेनाओं का दायित्व सुरक्षा मंत्रालय का है पर तीनों का कार्यसंचालन अपने अपने प्रधान या अध्यक्षों के आधीन होता है। चीफ आफ दी स्टाफ के मुख्यालय नई दिल्ली में हैं। अपनी अपनी सेनाओं की गतिविधि का नियंत्रण वही करते हैं। तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से बने मण्डल और उसके विस्तार का ही नाम चीफ आफ दी स्टाफ है।

स्थल सेना

इसका एक अध्यक्ष या प्रधान होता है जो स्थल सेनाध्यक्ष कहलाता है। इसकी सहायता के लिए उप सेनाध्यक्ष तथा चार प्रिंसिपल स्टाफ अफसर होते हैं। ये चारों क्रमशः डिप्टी चीफ आफ आर्मी स्टाफ, एडजुटेंट जनरल, क्वार्टर मास्टर जनरल और मास्टर जनरल आफ आर्डिनेंस कहे जाते हैं। इनके अतिरिक्त शाखा मुख्य होते हैं जो सैनिक सचिव तथा इन्जीनियर इन चीफ (मुख्य अभियन्ता) कहलाते हैं। स्थल सेना की विभिन्न निम्न शाखाएं हैं

जनरल स्टाफ ब्रांच इसके दो काम हैं (१) स्थल सेना का संगठन व कार्य निर्धारण, सैनिक कार्य, जासूसी प्रशिक्षण, युद्ध कौशल का विकास और सैनिक सर्वेक्षण व इंजीनियरिंग स्टाफ के मामले। इसका निपटारा उप सेनाध्यक्ष करते हैं। (२) अन्य सम्बन्धी काम हथियार व साज सामान चुनना तथा तत्सम्बन्धी नीति का समन्वय। ये कार्य डिप्टी चीफ आफ आर्मी स्टाफ करते हैं। इनके विभिन्न कार्यों के लिए ११ निदेशालय हैं।

एडजुटेंट जनरल ब्रांच यह जन शक्ति भर्ती छुट्टी वेतन, भत्ता व पेंशन तथा सेना की अन्य शर्तों व अनुशासनिक कार्य एवं कल्याण स्वास्थ्य तथा सैनिक कानून के कार्य देखती है।

क्वार्टर मास्टर जनरल ब्रांच कर्मचारियों भण्डार तथा साज सामानों का संचालन, भण्डार निर्माण खाद्य पदार्थ चारा तथा ईंधन का निरीक्षण व संग्रहण सैनिक फार्म रिमाउण्ट तथा पशु चिकित्सा सेवाएं सैनिक डाक-सेवा श्रम तथा कैंटीन सेवाएं (इनके निदेशालय) तथा निर्माण कार्यों के तकनीकी निरीक्षक इसके अंतर्गत आते हैं।

मास्टर जनरल आफ आर्डिनेंस ब्रांच इसके अधीन तीन निदेशालय हैं—आर्डिनेंस सेवा, रक्षा सामग्री का अर्जन विकास संगठन तथा बिजली व मकेनिकल इंजीनियर्स। इसका मुख्य कार्य सब सामग्रियों की आपूर्ति तथा सभी मकेनिकल तथा इलक्ट्रिकल सैनिक सामग्रियों की निगरानी मरम्मत और रख रखाव है। नौसेना तथा वायुसेना के काम के साधारण सामान भी इसमें शामिल हैं।

मिलिटरी सेक्रेटरी ब्रांच यह सैनिक अधिकारियों के व्यक्तिगत अभिलेख (रिकार्ड)

रखती है तथा उनके पदस्थापन, स्थानांतरण, पदोन्नति तथा कार्यनिवृत्ति आदि के लिए उत्तरदायी है।

इंजीनियर इन चीफ ब्रांच इंजीनियर इन चीफ 'कोर आफ इंजीनियर्स' का प्रधान होता है तथा तीनों सेनाध्यक्षों व आर्डिनेंस फैक्टरियों के महानिदेशक को इंजीनियरिंग संबंधी मामलों में राय देता है। इसके अधीन अनेक निदेशालय है।

नौसेना

इसका प्रधान नौसेनाध्यक्ष या चीफ आफ नेवल स्टाफ है। इसके नीचे पांच 'प्रिंसिपल स्टाफ अफसर' है—उनके कार्य विषय ये है

(१) **वाइस चीफ आफ नेवल स्टाफ** संक्रियाएं, योजनाएं, हथियार संबंधी नीति, नौसेना जासूसी, नौसंचार व्यवस्था सामुद्रिक सर्वेक्षण तथा नौसेना सचिवालय।

(२) **चीफ आफ पर्सोनेल** भर्ती सेवा के नियम व शर्तें प्रशिक्षण नौसेना के सैनिक व कार्मिकों के कल्याण, अनुशासन, शिक्षा, चिकित्सा नौसेना के वैधानिक मामले।

(३) **चीफ आफ मेटीरियल** जहाजों, हथियार और साज-सामान, नौसेना डाकयार्ड और हथियारों की व्यवस्था, शस्त्रों की देखभाल तथा नौसेना इंजीनियरिंग कार्य।

(४) **असिस्टेंट चीफ आफ नेवल स्टाफ** नौसेना की हवाई शाखा, पनडुब्बी शाखा तथा नौसैनिक शिक्षा।

(५) **चीफ आफ लाजिस्टिक** असैनिक कर्मचारी सिविल इंजीनियरिंग, रसद तथा आपूर्ति।

नौसेना का प्रशासन

प्रशासकीय सुविधाओं के लिए भारतीय नौसेना निम्नांकित तीन भागों में विभाजित है

वेस्टर्न नेवल कमांड यह कमांड वाइस एडमिरल की अधीनता में तथा जामनगर से लेकर गोआ तक के समुद्र तट और अरब सागर में स्थित हमारी भू सम्पदा की रक्षा के लिए उत्तरदायी है। इस तट पर स्थित नौसैनिक प्रशिक्षण तथा अन्य संस्थान भी इस कमांड के अंतर्गत हैं।

ईस्टर्न नेवल कमांड हमारे पूर्वी समुद्र तट तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित हमारी भू-सम्पदा की रक्षा का दायित्व इस कमांड पर है। रियर एडमिरल के अधीन काम करने वाले इस कमांड पर ही पूर्वी समुद्र तट स्थित प्रशिक्षण व अन्य संस्थानों के सुचारु संचालन की जिम्मेदारी है।

सदर्न नेवल एरिया यह एरिया कोमोडोर के मातहत है तथा गोवा के दक्षिण से लेकर देश के दक्षिणी छोर तक सारे पश्चिमी तट की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। कोचीन तथा अन्य स्थानों में स्थित दीक्षा संस्थाएं भी इसी एरिया के अधीन है।

वायु सेना

इसका प्रधान वायुसेनाध्यक्ष या चीफ आफ एयर स्टाफ है जिसकी सहायता के लिए चार प्रिंसिपल स्टाफ अफसर हैं—वाइस चीफ एयर-स्टाफ (उप वायुसेनाध्यक्ष) डिप्टी चीफ आफ एयर स्टाफ (प्रति वायुसेनाध्यक्ष), एयर अफसर मटनेंस (वायुसेना पदाधिकारी, सधारण) तथा एयर अफसर एडमिनिस्ट्रेशन (वायुसेना पदाधिकारी प्रशासन)। वायुसेना मुख्यालय की तीन मुख्य शाखाए है

(१) वायुसेना कमचारी वग शाखा (एयर स्टाफ ब्राच) नीति तथा योजना, प्रशिक्षण सकेतक शिक्षा सहायक और सुरक्षित तथा नियंत्रित शस्त्र उप वायुसेनाध्यक्ष के अतगत है। सक्रियाए उडान सुरक्षा जासूसी तथा मौसम विज्ञान के काय प्रतिवायु-सेनाध्यक्ष देखत है।

(२) वायु सेना प्रशासन के प्रभावी पदाधिकारी इसके अधीन प्रशासन शाखा है। काय भर्ती अनुशासन सेना के नियम व शत नियुक्ति पदोन्नति कल्याण काम चिकित्सा लेखा-बजट और निर्माण।

(३) सधारण शाखा यह वायुसेना सधारण के प्रभारी पदाधिकारी के अधीन है। काय—वायुयानो की देखभाल, हथियारो व अन्य साज सामानो का भडार रखना वायुयानो का सग्रह।

वायुसेना कमान इसकी ५ कमान है—पश्चिमी केन्द्रीय पूर्वी प्रशिक्षण तथा अनुरक्षण कमान। कुछ विरचनाए वायुसेना मुख्यालय के नीचे काम करती ह।

भारतीय सेना की परम्परा बहुत पुरानी और अत्यत उज्ज्वल है। देश रक्षा के साधारण काय के अतिरिक्त इसके कुछ अन्य काय भी है (१) देश म शाति और व्यवस्था को कायम रखने मे मदद देना। जब स्थिति पुलिस के वश म नही रहे तब आतरिक विद्रोहो का दमन करना भी इसका काम है। केन्द्रीय सरकार की देश म शाति और व्यवस्था रखने की जिम्मेदारी है इसको वह सेना के ही सहारे पूरी करती है। (२) इसके सिवाय यह प्राकृतिक विपत्ति जसे भूकम्प, बाढ, आधी अकाल मे मुल्की अधिकारियो की मदद करती है। असाधारण स्थिति म सेना नागरिक कार्यों म मदद करती है जबकि नागरिक प्रशासन असमथ हो जाता है। (३) यह आकाशीय फोटोग्राफी सर्वे करती है। इससे विकास योजनाओ जल और विद्युत परियोजनाओ के निर्माण मे और उनका स्थान चुनने मे सहायता मिलती है। (४) जगलो को साफ करने और भूमि को कृषि योग्य बनाने म मदद देती है। सेना ने अपनी छावनियो की जमीन म खेती करके अन्न-सकट को दूर करने म भारी मदद पहुचाई है। (५) विश्व शाति की रक्षा म यह अतर्राष्ट्रीय दायित्व को पूरा करती है।

देश से बाहर भारतीय सेना ब्रिटिश शासन के समय ब्रिटिश शासन के विस्तार और उसकी रक्षा के लिये भारत से बाहर जाती थी और इसका खच भी ब्रिटिश खजाने से नही अपितु भारतीय जनता से लिया जाता था। भारतीय सेना अब भी शाति स्थापना हेतु बाहर जाती है। इस दिशा में भारतीय सना के काय सर्वविदित हैं

(१) कोरिया-युद्ध विराम सधि को भारतीय सेना ने क्रियान्वित कराया (२) वियतनाम लाओस व कम्बोडिया म अतर्राष्ट्रीय अधीक्षण और नियत्रण का काम

भारतीय सेना ने किया। (३) १६ नवम्बर १९५५ को भारत की सेना संयुक्त राष्ट्र संघ की मदद के लिए बाहर भेजी गई। मिस्र में संयुक्त राष्ट्र की इमर्जेंसी फोर्स में भारतीय सेना का एक दस्ता भी था। (४) १९५८ में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यवेक्षण दल में भारतीय सेना के ७० अफसरों ने भाग लिया। (५) इससे पहले कांगो में शांति स्थापित करने के अंतर्राष्ट्रीय कार्य में संयुक्त राष्ट्र की सहायता में ७०० सैनिक गये। फिर कांगो में युद्ध के भयंकर होने पर तोपखाने के साथ एक ब्रिगेड मार्च १९६१ में गया। कांगो में ही भारतीय हवाई सैनिकों के साथ ६ इंटरमेक्टर केनबेरा जेट विमान भेजे गये। चीनी आक्रमण के बाद अप्रैल १९६३ में ब्रिगेड ग्रुप और कुछ प्रशासकीय वर्ग को वापस बुला लिया गया। इसके बाद शेष रहा भाग भी कांगो से वापस बुला लिया गया। (६) सेना के अफसरों का एक छोटा दस्ता यमन भेजा गया। (७) दिसम्बर १९७१ में बंगला देश की मुक्तिवाहिनी के साथ मिलकर भारतीय सेना ने बंगला देश को पाकिस्तान के खूनी शासन से मुक्त कराया।

शांति स्थापना पश्चिमी और दक्षिण-पूर्व एशिया में शांति बनाये रखने का काम भारतीय सेना ने समय-समय पर सफलतापूर्वक किया है। २५ वर्ष के जीवन में पांच बार उसको अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना के कार्य में योग देना पड़ा है।

तीनों प्रगति की ओर

थल सेना

दिसम्बर १९७१ के भारत-पाक युद्ध के बाद थल सेना की विविध यूनिटों तथा फार्मेशनों के संगठन का पुनरीक्षण किया गया। उसके फलस्वरूप यूनिटों तथा फार्मेशनों का पुनर्गठन करके उन्हें सुव्यवस्थित रूप दिया जा रहा है ताकि थल सेना की सामरिक क्षमता और अधिक बढ़ सके। किन्तु इसके सब रैंकों की कुल नफरी अधिकतम अधिकृत जनबल सीमा के भीतर ही है *अर्थात ८.२६ लाख।*

थल सेना के संगठनात्मक ढांचे में एक बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि पिछली पश्चिमी कमान को विभक्त करके दो कमान बनाई गई हैं—पश्चिमी कमान तथा उत्तरी कमान। पिछली पश्चिमी कमान जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों में तथा पाकिस्तान तथा चीन से लगने वाली १८०० मील लम्बी सीमा की रक्षा के लिए उत्तरदायी थी। विशाल रूप से फैले हुए इस कमान के अधीन ऐसे भूभाग थे जो एक-दूसरे से प्राकृतिक धरातल और जलवायु की दृष्टि से बिलकुल भिन्न थे और यही कारण था कि उसकी रक्षा के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की रक्षात्मक व्यवस्था करनी पड़ती थी। इससे कई प्रशासनिक कठिनाइयां पेश आती थीं। इस कमान में सम्मिलित सभी फार्मेशनों का ठीक प्रशिक्षण तथा प्रशासन एक सैनिक कमांडर और एक कमान मुख्यालय की सामर्थ्य से बाहर भी था। इसलिए इसे दो कमानों में विभक्त करने का निर्णय किया गया—उत्तरी *कमान तथा पश्चिमी कमान। जम्मू-कश्मीर राज्य* और उससे लगे हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब के कुछ भागों में पाकिस्तान तथा चीन से लगने वाली भारतीय सीमा की रक्षा का दायित्व उत्तरी कमान को सौंपा गया है। पिछली पश्चिमी कमान के शेष क्षेत्रों की रक्षा का दायित्व नई पश्चिमी कमान पर डाला गया है।

प्रशिक्षण

थल सेना में प्रशिक्षण व्यवस्था इस प्रकार बनाई गई है जिससे कि सभी यूनिट तथा फार्मेशन किसी भी प्रकार के क्षेत्र तथा जलवायु में दिन और रात में किसी भी समय युद्ध में भिड़ सकें। शस्त्रों तथा उपकरणों के अधिकाधिक परिष्कार के कारण प्रशिक्षण के सिद्धान्तों तथा संकल्पनाओं की लगातार समीक्षा आवश्यक है।

दिसम्बर १९७१ की सक्रियाओं का विश्लेषण किया गया ताकि थल सेना की युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण प्रक्रियाओं में फेर बदल किया जाए। थल सेना/वायु सेना के पारस्परिक सहयोग के सिलसिले में १९७१ की सक्रियाओं की समीक्षा के आधार पर थल सेना और वायु सेना की वर्तमान कार्य विधियों तथा संचार व्यवस्था में और भी अधिक सुधार लाने के लिए दोनों सेनाओं के संयुक्त अभ्यास हुए।

नौसेना

दिसम्बर १९७१ के भारत-पाक युद्ध से मिली शिक्षाओं और उस युद्ध के बाद हिन्द महासागर में उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए नौसेना के जहाजी बेड़े के आधुनिकीकरण और उसके आयुर्वण की पूर्व योजनाओं का १९७२-७३ में पुनरीक्षण किया गया। युद्ध में भारतीय नौसेना ने अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी—दोनों में ही जाकर संग्राम किया और जो जिम्मेदारी इसे सौंपी गई थी उसे इसने पूरा कर दिखाया। इससे हमें अपने नौसैनिक जहाजों की युद्ध-क्षमता और उनके उपकरणों तथा शस्त्रों की कार्य क्षमता का मूल्यांकन करने का भी अवसर मिला और उनमें जो कमियां थीं वे भी हमारे सामने आई। उस मूल्यांकन के आधार पर नौसेना की सतत् रूप से चलती रहने वाली १९७०-७५ की योजना में नौसेना की पुनसज्जा सम्बन्धी योजनाओं और प्राथमिकताओं में पुनः सामंजस्य स्थापित किया जा रहा है।

नौसेना मुख्यालय और नौसैनिक कमानों के गठन का भी पुनरीक्षण किया गया है। नौसेना मुख्यालय में उच्च स्तर पर अधिक महत्वपूर्ण निदेश दिए जाने की व्यवस्था के लिए और स्थानीय कमान स्तरों पर अपेक्षाकृत अधिक पहल शक्ति से काम करने के लिए सारे ढांचे में कुछ परिवर्तन के लिए प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। अपने समुद्री तटों की कारगर रूप से रक्षा करने की व्यवस्था में और सुधार करने के लिए स्थानीय नौसेना कमानों और स्थानीय सार्वजनिक अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय जनता के मध्य समुचित सहयोग की आवश्यकता को भी ध्यान में रखने की जरूरत है।

नौसैनिक सक्रियाओं की टक्नोलाजी में और वह भी विशेष कर संचार और शस्त्र प्रणालियों के क्षेत्र में तीव्रता से हो रही प्रगति का अपनी समुद्री सुरक्षा और अन्य राष्ट्रों के साथ अपने समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन किया जा रहा है। नौसेना के जहाजी बेड़े में पुराने जहाजों के स्थान पर नए जहाजों को एक सुव्यवस्थित कार्यक्रमानुसार लाने और अपनी नौसेना की सामरिक क्षमताएं बढ़ाने की सम्भावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है।

हिन्द महासागर

हिन्द महासागर का भारत की रक्षा से निकट का सम्बन्ध है अतः भारत हिन्द

महासागर क्षेत्र को बड़ी शक्तियों की प्रतिद्वंद्विता से दूर रखकर उसे शांति क्षेत्र बनाये रखने का समर्थक रहा है।

हिन्द महासागर के तटवर्ती सभी देश इस महासागर में शान्तिपूर्ण वातावरण बनाये रखने के पक्ष में हैं। आस्ट्रेलिया व चीन ने भी इसी पक्ष का समर्थन किया है किन्तु इस बारे में कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां भी पैदा हुई हैं। दिसम्बर १९७१ में भारत पाक संघर्ष के दौरान अमरीका के सातवें नौसैनिक बेड़े के हिंद महासागर में प्रवेश करने से कुछ आशंकाएं हो गई हैं। संसार की प्रमुख नौसेनाओं में पारस्परिक स्पर्धा और हिन्द महासागर के तटों से दूर के देशों के इस महासागर में नौसैनिक अड्डे स्थापित करने के प्रयास चिन्ता के विषय हैं।

अक्तूबर १९७३ में इस्राइल व अरब देशों के युद्ध के दौरान हिन्द महासागर में अमरीकी नौसैनिक बेड़े की उपस्थिति से भारत का चिंतित होना स्वाभाविक ही था। भारत सरकार ने इस पर प्रकट रूप से चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्री सरदार स्वर्णसिंह ने १२ नवम्बर १९७३ को संसद में स्पष्ट कहा ऐसी प्रतिद्वंद्विता तटवर्ती देशों के लिए जिनमें से अधिकांश हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र रखने के इच्छुक हैं समस्या पैदा करती है। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के १६ दिसम्बर १९७१ के प्रस्ताव का दृढ़ता के साथ समर्थन किया है। इस प्रस्ताव में हिन्द महासागर को भविष्य में शांति क्षेत्र घोषित किया है तथा बड़ी शक्तियों को हिन्द महासागर में अपनी सेनाओं की उपस्थिति में और विस्तार को रोकने के लिये कहा गया है। विभिन्न देशों की सरकारों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य स्थानों पर इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न आरम्भ कर दिये हैं। इस संदर्भ में हिन्द महासागर में किसी भी बड़ी नौसैनिक शक्ति की उपस्थिति में विस्तार पर हम चिंतित होते हैं।

वायु सेना

भारतीय वायु सेना में कुल ४५ स्क्वाड्रन हैं। यह अधिक रूप में आधुनिक पराध्वनिक विमानों से युक्त हैं और इसके पीछे एक वैमानिकी उद्योग कार्य कर रहा है जो मिग २१, नट-एच० एफ० २४ एच० एस० ७४८ विमान और अलूट हैलिकाप्टर तैयार करता है।

विमानों के ओवरहालिंग तथा अनुरक्षण की सुविधाएं और अच्छी बना दी गई है। एम०आई० ८ हैलिकाप्टर प्राप्त करके हैलिकाप्टर स्क्वैड्रन को सुदृढ़ किया गया है। पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में जो क्षति हुई उसकी पूर्ति करने के लिए उपकरणों की प्राप्ति एवं उत्पादन के लिए कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

भारतीय वायु सेना की आधुनिकीकरण प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहती है। अधिक दूर तक मार करने वाले और अधिक तीव्र प्रहार करने वाले विमान की आवश्यकता बहुत महसूस हो रही है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयुक्त प्रकार के विमान प्राप्त करने पर विचार किया जा रहा है। विकसित देशों के वैमानिक उद्योगों के सहयोग से उन्हें प्राप्त किए जाने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। रूस, ब्रिटेन तथा फ्रांस के वैमानिक उद्योगों से इस बारे में कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। भारत से भेजे गए विशेषज्ञ-दलों ने इन प्रस्तावों का अध्ययन किया है और अब उनका प्रारंभिक मूल्यांकन किया जा रहा है।

३१ दिसम्बर, १९७२ तक राष्ट्रीय कडेट कोर म भर्ती किए गए कडेटो की सख्या निम्नलिखित थी

यूनिट का प्रकार	सीनियर डिवीजन	जूनियर डिवीजन
१	२	३
सेना स्कध	४,७५,६१०	५,१८,८६२
नौ सेना स्कध	११,०२७	४६,८५४
वायु सेना स्कध	१०,१९४	५० ०६५
बालिका डिवीजन	५८ २२१	६५५,२४
योग	५,५५ ०५२	६ ८१,०६५

सम्मान और पुरस्कार

२७ जनवरी १९७२ से लेकर २६ जनवरी, १९७३ तक राष्ट्रपति ने निम्नलिखित शौर्य पुरस्कार और अन्य अलकरण प्रदान किए जिनम सनिक कारवाई क लिए १ फरवरी १९७२ के पश्चात प्रदान किए गए कुछ पुरस्कार भी शामिल है।

शौर्य पुरस्कार

कीर्ति चक्र	५
वीर चक्र	७०
शौर्य चक्र	४५

अन्य अलकरण (सशस्त्र सेना कार्मिको को प्रदत्त)

परम विशिष्ट सेवा मडल	१३
अति विशिष्ट सेवा मडल	७१
सेना मेडल	६६
नौसेना मडल	२२
नौसेना मेडल का बार	१
वायु सेना मडल	३७
वायु सेना मेडल का बार	३
विशिष्ट सेवा मडल	१२२

जनरल मानेकशा को फील्ड मार्शल रैंक मे पदोन्नति

भारतीय सेना के इतिहास म यह पहला अवसर है जबकि फील्ड मार्शल का रक चलाया गया है। जनरल मानेकशा एम०सी० को उनकी विशिष्ट सेवाओ के लिए पहली जनवरी १९७३ से भारतीय सेना म फील्ड मार्शल का रक दिया गया।

: १२ :

शिक्षा

भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा का मुख्य दायित्व राज्यों पर है किन्तु केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय को राज्यों के निर्देशार्थ व्यापक राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्धारित करने के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट दायित्वों को निभाना होता है—(१) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों (*अलीगढ़ मुस्लिम, बनारस हिन्दू, दिल्ली जवाहरलाल नेहरू एवं विश्वभारती*) तथा विश्व विद्यालय स्तरीय संस्थानों का संचालन, (२) शिक्षा के विभिन्न स्तरों तथा संस्थानों में तालमेल एवं मानक रक्षण (३) हिन्दी का संवर्धन, प्रचार एवं प्रसार, (४) शैक्षणिक योजना बनाना (५) राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन (६) सर्वेक्षण कार्य (अर्थात भारत सर्वेक्षण पुरातत्व सर्वेक्षण मानवविकाय सर्वेक्षण वनस्पतीय सर्वेक्षण एवं प्राणिकीय सर्वेक्षण आदि संस्थाओं का संचालन) (७) भारत इतर देशों के साथ शैक्षणिक समझौते करना आदि।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (१९६९ ७४) के लिए निर्धारित ८ अरब २३ करोड़ रु० में से शिक्षा पर सार्वजनिक क्षेत्र की निश्चित कुल राशि का ५ २ प्रतिशत व्यय किया जाएगा।

यद्यपि १९६९ ७४ की वार्षिक योजनाओं के दौरान शिक्षा के लिए निर्धारित ४ ८ प्रतिशत राशि से इस बार अधिक धन की व्यवस्था की गयी है। चौथी योजना के ८ अरब २३ करोड़ रु० में से ५ अरब ५२ करोड़ रु० राज्य क्षेत्र के लिए और शेष २ अरब ७१ करोड़ रु० केन्द्रीय व केन्द्र प्रायोजित क्षेत्र के लिए निर्धारित किये गए हैं।

शिक्षा विभाग का १९७२ ७३ और १९७३ ७४ के लिए कुल बजट व्यवस्था

रुपये लाखों में

ब्यौरा	बजट ७२ ७३	परिशोधित ७२ ७३	बजट ७३ ७४
शिक्षा विभाग का सचिवालय और अन्य राजस्व खर्चा	२४४ ०४	२३४ ३९	२६५ ७८
सामान्य शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए व्यवस्था (बेरोजगार शिक्षित कर्मचारियों के लिए रोजगार)	१२ ३८२ ३९	१३,५८० ९४	१२ २५८ ०३
कुल	१२ ६२६ ४३	१३ ८१६ ३३	१२ ५२३ ८१

प्रारम्भिक शिक्षा का विस्तार

१९७१-७२ के अन्तिम महीनों में आरम्भ की गई और १९७२-७३ में जारी रखी गई इस केन्द्रीय योजना के अधीन भारत सरकार ने प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकारों और संघीय प्रशासनों को शत प्रतिशत आधार पर सहायता दी। इसके अधीन केन्द्रीय सरकार ने १९७१-७२ और १९७२-७३ के दौरान ६० ००० अध्यापक और इतने ही निरीक्षक, कक्षाओं के कमरे, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों और मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की। १९७३-७४ के दौरान ३० ००० अतिरिक्त अध्यापक तथा इतनी ही अन्य सहायता दिए जाने की सम्भावना है।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी परियोजना

इस परियोजना के अन्तर्गत दिल्ली में एक शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना की जा रही है। पाठ्यचर्या के विकास, फिल्मों, रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रमों तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए मूल लिपियां तैयार करने के अलावा इसमें शामिल होंगे इन कार्यक्रमों तथा १६ मि०मी० अध्यापन फिल्मों के तैयार करने के लिए प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था होगी। विभिन्न राज्यों में क्रमिक तरीके से शैक्षिक प्रौद्योगिकी कक्षों की स्थापना की जा रही है।

उच्च शिक्षा

एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जिसका मुख्यालय शिलांग में होगा, की स्थापना शीघ्र किये जाने की आशा है। उत्तर विश्वविद्यालय उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की जनता की उच्च शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जिसका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) अधिनियम १९७२ के अनुसार पुनर्गठन किया गया है अपने कार्यकलापों की गति को जारी रखा और विश्वविद्यालयों के स्तरों में सुधार करने तथा अनुसंधान कार्यकलाप को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रारम्भ किये गये कार्यक्रमों का और विकास किया।

तकनीकी शिक्षा

तकनीकी शिक्षा के कार्यक्रम में सुधार करना मूल कार्यक्रम है। सेवारत अध्यापकों की व्यावसायी क्षमता में, विशेष रूप से उन अध्यापकों के लिए जो मास्टर अथवा डाक्टर की उपाधियों के लिए तैयारी कर रहे हैं सुधार लाने के लिए परिकल्पित कार्यक्रमों में पर्याप्त सन्तोषजनक प्रगति हुई है।

१९७३ में बहुत-सी संस्थाओं में डिग्री तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की व्यावहारिक विषय-सामग्री में सुधार करने के लिए रूपान्तरण पाठ्यक्रमों (सैण्डविच कोर्सेज) के कार्यक्रमों का विस्तार किया गया है। राज्य सरकारों के साथ चर्चाओं के निष्कर्षों के आधार पर शिक्षा के पुनर्गठन या पॉलिटेक्निक शिक्षा हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा स्थापित की गयी विशेषज्ञ समिति की प्रमुख सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए एक कारवाई योजना बनाई गई है।

मौजूदा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सहायता देने के अलावा, केन्द्रीय सरकार ने और अधिक संस्थानों को अनुदान की स्वीकृति दे दी है जिससे कि वे स्नातकोत्तर इंजीनियरी

शिक्षा तथा अनुसधान बोड की सिफारिशो के अनुसार स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमो को लागू कर सकें।

भाषाए

सरकार, हिन्दी तथा अय भारतीय भाषाओ के समन्वित विकास के लिए, जिसम सस्कृत भी शामिल है, राज्य सरकारो के सहयोग से एक कायक्रम चला रही है।

केन्द्रीय भारतीय भाषा-सस्थान, मसूर ने विभिन्न भाषायी प्रवाहो के सभी अनुसधान तथा उपलब्धि के सामायक्रम को एक साथ लाने के लिए अपने विभिन्न कायक्रमो को जारी रखा।

भाषाओ के क्षेत्र म उन सभी कायक्रमो को, जिन्हें प्रारम्भिक वर्षो म शुरू किया गया था, आलोच्य अवधि के दौरान जारी रखा गया।

सास्कृतिक कार्य

भारत-बगला देश सास्कृतिक करार पर ३० दिसम्बर, १९७२ को ढाका म हस्ताक्षर किए गए। इसम सस्कृति, कला और शिक्षा के क्षेत्र म दोनो देशो के बीच सहयोग की, जिसम विज्ञान तथा टक्नोलाजी के क्षेत्रो के शक्षिक कायकलाप भी शामिल हैं, व्यवस्था की गई है। वप के दौरान जमनी और मारीशस के साथ भी सास्कृतिक करारो पर हस्ताक्षर किए गए। २० देशो के साथ सास्कृतिक करार निष्पादित करने के प्रस्तावो के बारे म बातचीत चल रही है।

विभिन्न देशो के सास्कृतिक शिष्टमण्डल भारत के दौरे पर आते रहे और साथ ही भारत के शिष्टमण्डल भी बाहर के विभिन्न देशो म भेजे गए।

तीन राष्ट्रीय अकादमियो के काय की समीक्षा के लिए यायमूर्ति जी० डी० खोसला की अध्यक्षता म नियुक्त पुनरीक्षण समिति ने अपनी रिपोट इस वप प्रस्तुत कर दी।

आलोच्य अवधि के दौरान मत्रालय के प्रशासनिक नियत्रण म सग्रहालयो और पुस्तकालयो ने अपने सामाय कायक्रमो को जारी रखा।

स्कूल शिक्षा

सरकार पाचवी आयोजना क अन्त तक विशेष रूप से ६ से ११ वष की आयु के बच्चो की प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध म सवधानिक निर्देश को पूरा करने के लिए सबसे अधिक महत्व देती है। इस सम्बन्ध म शिक्षित बेरोजगारो और प्राथमिक शिक्षा के प्रसार की योजना के अतगत ४४ करोड रुपये के बजट विनिधान के साथ १९७१ ७२ वप के उत्तराध म ठोस प्रयास शुरू किए गए थे। राज्यो और सघशासित क्षेत्रो के लिए ३० ००० अतिरिक्त प्राथमिक स्कूल अध्यापक ७४० सहायक स्कूल निरीक्षक और १,००० काय अनुभव अध्यापक स्वीकृत किए गए थे। १९७२ ७३ वप म इतने ही अध्यापको और निरीक्षको की स्वीकृति की गई और ३० करोड रुपये की बजट-व्यवस्था भी की गई। आशा की जाती है कि १९७१ ७२ और १९७२ ७३ म निर्मित तथा भरे गए पदो को जारी रखने के अलावा १९७३ ७४ में इतने ही और अध्यापक नियत किए जायेंगे। इस प्रकार राज्य आयोजनाओ म शामिल किए गए अध्यापको की सख्या क अलावा प्राथमिक योजना के अन्तगत कुल अतिरिक्त ९०,००० स्कूल अध्यापक नियुक्त किए जाने की आशा है। राज्यो और

संघ शासित प्रदेशों में अतिरिक्त अध्यापक इस आधार पर बांट दिए गये कि २/३ अध्यापकों को उन राज्यों को दिया गया जो ६ से ११ वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के न्यूनतम दाखिले के संबंध में पिछड़े हुए माने जाते हैं और बाकी के १/३ को शेष राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को दिया गया।

इस बात के लिए दृढ़ प्रयत्न किए जा रहे हैं कि पंचवर्षीय योजना के अंत तक ६ से ११ वर्ष के आयु-वर्ग के बच्चों के शत प्रतिशत दाखिले करा दिए जायें। प्रारम्भिक शिक्षा के लिए मंत्रालय में एक अलग यूनिट खोला गया है।

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित महापुरुषों की शताब्दियां

भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण वर्ष		१९५६
श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर	जन्मशताब्दी	८ मई १९६१
मिर्जा गालिब	जन्मशताब्दी	फरवरी १९६९
महात्मा गांधी	जन्मशताब्दी	२ अक्तूबर १९६९
गुरु नानकदेव की पांचवीं	जन्मशताब्दी	२३ नवम्बर १९६९
देशबन्धु चित्तरंजनदास	जन्मशताब्दी	५ नवम्बर १९७०
दीनबन्धु एंड्रूज	जन्मशताब्दी	१२ फरवरी १९७१
राजा राममोहनराय	जन्मद्विशताब्दी	२२ मई १९७२
योगीराज अरविन्द घोष	जन्मशताब्दी	१५ अगस्त १९७२
निकोलोस कोपरनीकस	जन्मशताब्दी	१९ फरवरी १९७३

भारत के विश्वविद्यालय

१ आगरा विश्वविद्यालय आगरा। स्थापना १९२७ शिक्षा एवं परीक्षा का माध्यम हिन्दी अथवा अंग्रेजी अंगभूत महाविद्यालय ३ सम्बन्धित महाविद्यालय ६०।

२ आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (राजेन्द्रनगर) दिलकुशा सोमजीगुडा हैदराबाद स्था० १९६४ निवासीय।

३ आंध्र विश्वविद्यालय वालटेयर। स्था० १९२६ मा० इंगलिश महाविद्यालय ६ स० ५६ प्राच्य महाविद्यालय २२।

४ अन्नमलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाईनगर। स्था० १९२९ मा० इंगलिश, निवासीय, अध्यापन विभाग २६।

५ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, स्था० १९२२ निवासीय अध्यापन वि० ४४ अंग १।

६ अवधेशप्रतापसिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म० प्र०)। स्था० १९६८ मा० हिन्दी तथा इंगलिश अंग १० स० २८।

७ असम कृषि विश्वविद्यालय जोरहाट। स्था० १९७०।

८ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ (म० प्र०) स्था० १९५४ मा० इंगलिश हिन्दी मराठी अध्या० वि० ३ स० महाविद्यालय १८।

९ इंदौर विश्वविद्यालय इन्दौर स्था० १९६४ मा० हिन्दी इंगलिश अध्या० वि०

१, अगभूत महाविद्यालय ६, सबधित महाविद्यालय १५।

१० इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, स्था० १८८७, मान्यता १९२१, निवासीय, अध्या० वि० २३, अ० महा १, सरकारी महाविद्यालय ३।

११ उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पतनगर (नैनीताल), स्था० १९६०, निवासीय, मा० इगलिश, अ० महा० ५।

१२ उत्तर बग विश्वविद्यालय, राजाराममोहनपुर (दार्जिलिंग), स्था० १९६२, मा० बगला, इगलिश, अ० वि० ११, स० महा० १७।

१३ उदयपुर विश्वविद्यालय, प्रतापनगर, (उदयपुर), स्था० १९६२, मा० इगलिश हिन्दी, अध्या० वि० १, अ० महा० ६, सहकारी महाविद्यालय ७।

१४ उत्कल विश्वविद्यालय वाणीविहार, भुवनेश्वर स्था० १९४३, मा० इगलिश, अध्या० वि० १५, विश्व० महा० ३, स० महा० ४१।

१५ उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद, स्था० १९१८, मान्यता (१९४७ १९५०) मा० इगलिश, तैलगु हिन्दुस्तानी (देवनागरी अथवा अरबी लिपि दोना म), विश्वविद्यालय महाविद्यालय १५ स० महा० ५३।

१६ उड़ीसा कृषि एव तकनीकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, स्था० १९६२, मा० इगलिश निवासीय, अध्या० वि० २, अगभूत महाविद्यालय ५।

१७ कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड १, स्था० १९४९, मा० इगलिश, अ० महा०, ४, स० ७६।

१८ कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता, स्था० १८५७, मान्यता १९५६, मा० इगलिश वि० महा० ६, स० १९६।

१९ कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी (प० ब०), स्था० १९६०, निवासीय माध्यम इगलिश, सबद्ध ३।

२० कानपुर विश्वविद्यालय सर्वोदयनगर कानपुर स्था० १९६६, मा० हिन्दी, इगलिश, स० महा० ४८।

२१ कामेश्वरसिंह दरभगा सस्कृत विश्वविद्यालय दरभगा स्था० १९६१ मा० इगलिश, हिन्दी, सस्कृत मैथिली बगला, अ० वि० ६ अ० महा० ३ स० महा २०।

२२ कालीकट विश्वविद्यालय, कालीकट, स्थापना १९७०।

२३ कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर।

२४ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, स्था० १९५६ मा० इगलिश, हिन्दी पजाबी, अध्या० वि० १६, अ० महा० २, मान्यता दत्त महाविद्यालय २ निवासीय।

२५ केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम स्था० १९३७, मान्यता १९५७, मा० इगलिश, अध्या० वि० २१, स० महा०, ६

२६ गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, धनवन्तरी मन्दिर जामनगर, स्था० १९६६ मा० गुजराती, हिन्दी, अध्या० वि० ४ अ० महा० १ स० महा० १।

२७ गुजरात विश्वविद्यालय, नवरगपुर अहमदाबाद स्था० १९४९ मा० हिन्दी, गुजराती, इगलिश अध्या० वि० ४, स० महा० १०३।

२८ गुरु नानक विश्वविद्यालय, अमृतसर स्था० १९७०।

२६ गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, स्था० १९५७ मा० इगलिश हिन्दी अध्या० विभाग २२ अ० महा० १, स० महा० ४७।

३० गोहाटी विश्वविद्यालय, गोहाटी, स्था० १९४८, मा० इगलिश, अध्या० वि० २३ अ० महा० १, स० महा० ७३।

३१ जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर, स्था० १९५७ मा० हिन्दी, इगलिश, अध्या० वि० १० अ० महा० १ स० महा० २४।

३२ जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू (तवी) स्था० १९४८, मा० इगलिश, अध्या० वि० १६ स० महा० २६ प्राच्य विद्या सस्थान १०।

३३ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली स्था० १९६६ सम्बंधित सस्थान २।

३४ जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर स्था० १९६४, मा० इगलिश हिन्दी निवासीय।

३५ जादवपुर विश्वविद्यालय, जादवपुर (कलकत्ता) स्था० १९५५ मा० इगलिश, सकाय ३ स० महा० १।

३६ जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर स्था० १९६४। मा० इगलिश हिदी अध्या० वि० २ अ० महा० ८ स० महा २४।

३७ जोधपुर विश्वविद्यालय जोधपुर स्था० १९६२ निवासीय मा० हिन्दी इगलिश अध्यापन सकाय ६ वि० महा० २ स० महा० २।

३८ दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय सूरत स्था० १९६७, मा० गुजराती हिन्दी, इगलिश स० महा० २६।

३९ दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली स्था० १९२२ मान्यता १९५२ मा० इगलिश, अध्या० वि० ३० अ० महा० ३४ स० महा० ११।

४० डिबरूगढ़ विश्वविद्यालय डिबरूगढ़ स्था० १९६५ मा० इगलिश अध्या० वि० १ स० महा० ३४।

४१ नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर स्था० १९२३ मा० हिन्दी इगलिश मराठी अध्या० वि० २३ अ० महा० ३ स० महा० ६२।

४२ पटना विश्वविद्यालय पटना स्था० १९१७ मान्यता १९६२ मा० इगलिश हिन्दी निवासीय अध्या० वि० ४३ अग० महा० १०।

४३ पूना विश्वविद्यालय पूना स्था० १९४९ मा० मराठी इगलिश अध्या० वि० २० अग० महा० १४ स० महा० ३८।

४४ पजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना स्था० १९६२ निवासीय मा० इगलिश अग० महा० ८।

४५ पजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ़ स्था० १९४७ मा० इगलिश उर्दू पजाबी हिन्दी अध्या० वि० ३८ अ० महा० १०।

४६ पजाबी विश्वविद्यालय पटियाला स्था० १९६२ मा० पजाबी इगलिश हिन्दी अध्या० वि० १६ स० महा० वि० १०।

४७ बगलौर विश्वविद्यालय बगलौर स्था० १९६४ अध्या० विभाग १२, अग० महा० २८।

४८ बगलौर कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, मालेश्वरम बगलौर स्था० १९६४ निवासीय।

४९ बनारस हिंदू विश्वविदयालय वाराणसी, स्था० १९१६, निवासीय, मा० इगलिश, हिन्दी, अध्यापन सकाय १२ स० महावि० ४।

५० बरहामपुर विश्वविद्यालय, बरहामपुर स्था० १९६७, मा० इगलिश अध्या० विभाग ४ स० महावि० ४।

५१ बिहार विश्वविदयालय मुजफ्फरपुर, स्था० १९५२, मान्यता १९६० मा० इगलिश, हिन्दी अध्या० विभाग १६ अग० महावि० ५ स० महावि० ४६।

५२ बर्दवान विश्वविदयालय, बर्दवान (प० ब०), स्था० १९६० मा० इगलिश बगला अध्या० वि० ३, स० महा० वि० ४२।

५३ बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई स्था० १८५७ मान्यता (१९०४, २८) १९५३ मा० इगलिश।

५४ भोपाल विश्वविदयालय, भोपाल।

५५ भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर स्था० १९६० मा० इगलिश हिन्दी, अध्या० वि० १७ विश्वविद्यालय महावि० ३ स० महावि० ६६।

५६ मगध विश्वविदयालय, बोध गया (बिहार), स्था० १९६२ मा० हिन्दी, उर्दू बगला उडिया इगलिश अध्या० वि० १५ अ० महावि० २ महावि० ३७।

५७ मद्रास विश्वविदयालय, मद्रास स्था० १८५७ मान्यता (१९०४ २३ २९) १९६६, मा० इगलिश तमिल, अध्या० वि० ३८, स० महावि० ११४ प्राच्यविद्यालीय महावि० १८।

५८ मदुराई विश्वविद्यालय मदुराई स्था० १९६६ मा० तमिल इगलिश अध्या० वि० २४ स० महा० ३८।

५९ महात्मा फूले कृषि विदयापीठ, पूना।

६० मराठवाडा विश्वविदयालय, औरंगाबाद, स्था १९५८ मा० मराठी इगलिश, अध्या० वि० १ स० महा० ३८।

६१ महाराष्ट्र कृषि विदयापीठ, बुरली, बम्बई स्था० १९६८ मा० इगलिश अध्या० वि० २०, अग० महावि० ६, स० महावि० २।

६२ महाराजा सयाजीराव, विश्वविदयालय, बडौदा स्था० १९४९ निवासीय, मा० इगलिश, सकाय १० स० महावि० ५।

६३ मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ (उ० प्र०) स्था० १९६६ मा० हिन्दी, इगलिश, अ० महावि० १, स० महावि० ५४।

६४ मसूर विश्वविदयालय, मसूर स्था० १९१६ मा० इगलिश कन्नड अध्या० वि० १, विश्वविद्यालय महा० वि० ३ स० महावि० ४७।

६५ रविशकर विश्वविदयालय, रायपुर (म० प्र०) स्था० १९६४, मा० इगलिश हिन्दी अध्या० वि० ८ अ० महावि० १० स० महावि० ३५।

६६ रांची विश्वविदयालय, रांची (बिहार) स्था० १९६० मा० हिन्दी, इगलिश अध्या० वि० १६ महावि० ४ स० महावि० ३८।

६७ रवीन्द्र भारती, कलकत्ता, स्था० १९६२, मा० बंगला, इंगलिश, अध्या० वि० ५ सं० महावि० २३ ।

६८ राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, स्था० १९४७, मा० हिन्दी, इंगलिश, अध्या० वि० २७ विश्व महावि० ४, स० महावि० ६१ ।

६९ रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की उ० प्र०, स्था० १९४९, निवासीय, अध्या०, विभाग १२ ।

७० लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, स्था० १९२१, निवासीय मा० हिन्दी इंगलिश अध्या० विभाग ४४ स० महावि० २ सहकारी महावि० १५ ।

७१ वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, स्था० १९५८ मा० संस्कृत हिन्दी अध्या० वि० २४ स० महावि० ११६ ।

७२ विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन स्था० १९५७ मा० हिन्दी इंगलिश, अध्या० वि० १[illegible] संघ महावि० २८ स० महावि० २० ।

७३ विश्व भारती, शांति निकेतन, स्था० १९२१ मान्यता १९५१ निवासीय, मा० बंगला इंगलिश, सं० महा० ८ ।

७४ श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति, स्था० १९५४, मा० इंगलिश, विश्व० महावि० २ सं० महावि० ३० प्राच्यविद्या० महा० वि० ६ ।

७५ शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर स्था० १९६२ मा० मराठी इंगलिश अध्या० वि० ११ स्नातकोत्तर केन्द्र ५ सं० महावि० २३ ।

७६ जबलपुर विश्वविद्यालय, [illegible] जबलपुर स्था० १९५७ मा० हिन्दी इंगलिश अध्या० वि० २ सं० महावि० १ स० महावि० २३ ।

७७ सरदार वल्लभ विश्वविद्यालय वल्लभविद्यानगर (गुजरात) स्था० १९५५, मा० गुजराती हिन्दी इंगलिश अध्या० वि० १४ स० महावि० १३ ।

७८ सागर विश्वविद्यालय, सागर (म० प्र०) स्था० १९४६, मा० हिन्दी इंगलिश अध्या० वि० [illegible] सं० महावि० ६५ ।

७९ सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट स्था० १९६५ मा० गुजराती हिन्दी, इंगलिश सं० महावि० ८० ।

८० एस० एन० डी० टी० महिला विश्वविद्यालय, बम्बई स्था० १९५१ मा० हिन्दी गुजराती मराठी इंगलिश अध्या० वि० १ सं० महावि० ७ स० महावि० १० ।

८१ हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार स्था० १९७० निवासीय पंजाब कृषि विश्वविद्यालय से पृथक्-कृत ।

८२ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला ।

विश्वविद्यालय [illegible] निम्न [illegible] है —

(क) विश्वविद्यालय (सामान्य) [illegible]

(१) [illegible] ।

( ) [illegible] ।

(३) [illegible] विश्वविद्यालय [illegible] ।

(४) [illegible] नहीं [illegible] ।

(५) टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान बम्बई।
(६) बिरला तकनीकी एवं विज्ञान संस्थान, पिलानी।
(७) भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन विद्यालय, सप्रू हाउस नई दिल्ली।
(८) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली।
(९) भारतीय खान विद्यालय, धनबाद।
(१०) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर।
(ख) राष्ट्रीय महत्व के संस्थान
(१) अखिल भारतीय औषध विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।
(२) औषध शिक्षण एवं अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, चण्डीगढ़।
(३) भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता।
(४) भारतीय तकनीकी संस्थान कानपुर।
(५) भारतीय तकनीकी संस्थान, खड़गपुर।
(६) भारतीय तकनीकी संस्थान, हौजखास, नई दिल्ली।
(७) भारतीय तकनीकी संस्थान, बम्बई।
(८) भारतीय तकनीकी संस्थान, मद्रास।
(९) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग (इलाहाबाद)।

भारतीय भाषाएं

संविधान में १४ भाषाओं को 'राष्ट्रीय भाषाएं' स्वीकार किया गया है। ये हैं असमिया, बंगला, गुजराती, हिन्दी, उर्दू कन्नड, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, संस्कृत और सिन्धी।

भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी घोषित की गई संविधान ने इसे 'राजभाषा' कहा। अब यह राजभाषा भी नहीं, सम्पर्क भाषा (लिंकलेंग्वेज) कही जाती है। हिन्दी विश्व के अनेक स्थानों में बोली जाती है।

संविधान के अनुच्छेद ३४३ के अंतर्गत उपबन्ध है कि देवनागरी में लिखी हिन्दी भारत संघ की भाषा होगी किन्तु सरकारी व्यवहार में रोमन अंक होंगे।

हिन्दी भारत में गंगा-यमुना के बीच के क्षेत्र—मध्यप्रदेश में संस्कृत पाली तथा शौरसेनी प्राकृत भाषा विभिन्न युगों में थी। आगे चलकर इस प्रदेश में शौरसेनी अपभ्रंश का प्रचार हुआ। कालान्तर में बोलचाल की शौरसेनी का अपभ्रंश हिन्दी के रूप में परिणत हुआ। १४वीं सदी में उत्तरी भारत के मुसलमान विजेता दक्षिण भारत में जाने लगे और १६वीं सदी में गोलकुण्डा और बीजापुर तक दिल्ली की शाही भाषा की बोली के आधार पर एक स्वतंत्र साहित्यिक भाषा का विकास हुआ जो दक्खनी कही जाती है। बाद में यह भाषा लौटकर दिल्ली पहुंची। १७वीं सदी के अंत में इस नई भाषा से भिन्नता प्रकट करने के लिए दिल्ली की बोली को हिन्दुस्तानी नाम दिया गया। १९वीं सदी के प्रारम्भ में यह खड़ी बोली कहलाई। कालान्तर में यह हिन्दी के रूप में विकसित हुई। हिन्दी का मूल आधार मेरठ बिजनौर की बोली है। डा० उदयनारायण तिवारी ने हिन्दी की यह परिभाषा की है— ब्रज भाषा और हिन्दुई द्वारा प्रयुक्त दिल्ली की वह बोली जिसमें फारसी का प्रभाव नहीं था तथा जो नागरीलिपि में लिखी जाती थी। हिन्दी के छह प्रमुख रूप और बोलियां हैं—ब्रज, अवधी, ग्रामीण खड़ी बोली हिन्दुस्तानी, साहित्यिक हिन्दी तथा उर्दू। एक मत यह

भी है कि हिन्दी कम से कम १६६ विभिन्न बोलियों का मेल से बनी भाषा है।

गुजराती यह गुजरात प्रदेश की भाषा है। इसकी लिपि देवनागरी है तथा भाषा भी हिन्दी से काफी मिलती-जुलती है।

पंजाबी यह पंजाब क्षेत्र की भाषा है। इसका निर्माण सिख गुरुओं ने किया था। इसकी लिपि गुरुमुखी है।

कश्मीरी जम्मू कश्मीर में इसका प्रयोग होता है।

असमिया यह असम प्रदेश की भाषा है।

संस्कृत संस्कृत भारतीय भाषाओं की जननी मानी जाती है। भारत के सभी धर्म शास्त्र व प्राचीन ग्रंथ संस्कृत में ही हैं। वेद, उपनिषद गीता पुराण तथा अन्य ग्रंथ भी संस्कृत में ही है। संस्कृत साहित्य अत्यन्त समृद्ध व प्राचीन है।

मलयालम यह केरल प्रदेश की भाषा है, इसका केरल में ६५.४ प्रतिशत लोग प्रयोग करते हैं।

कन्नड यह कर्नाटक के ६५.१७ प्रतिशत लोगों की भाषा है।

उड़िया यह उड़ीसा राज्य की जनभाषा है। उसका प्रयोग उड़ीसा की ८२.३१ प्रतिशत जनता करती है।

तमिल यह तमिलनाडु (मद्रास) क्षेत्र की भाषा है। इसका साहित्य समृद्ध है।

उर्दू यह किसी वर्ग विशेष एवं क्षेत्र की भाषा नहीं है। वाक्य रचना और व्याकरण इसका हिन्दी के समान ही है। यह अरबी फारसी लिपि में लिखी जानेवाली हिन्दी है।

बंगला यह बंगला देश और प० बंगाल की भाषा है। बोलने वालों की संख्या ८ करोड़ ८० लाख बताई जाती है। आज का बंगला साहित्य काफी समृद्ध है।

तेलगू यह आंध्र प्रदेश की भाषा है। इसके दो रूप है प्राचीन व अर्वाचीन। प्राचीन तेलगू में संस्कृत शब्दों की बहुलता है।

मराठी यह महाराष्ट्र की भाषा है। इसका साहित्य काफी समृद्ध है।

अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी शिक्षा

शिक्षा मन्त्रालय पिछले कई वर्षों से हिन्दी के विकास और उन्नति से संबंधित विविध योजनाएं कार्यान्वित करता रहा है।

राज भाषा नीति के पूरी तरह से कार्यान्वयन तथा उससे संबंधित सविधिक आवश्यकताओं के बारे में गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए प्रशासकीय आदेशों को यह मन्त्रालय अपने संलग्न तथा अधीन कार्यालयों के साथ-साथ अपने अधीन अधिकारियों तथा विभिन्न अनुभागों को नियमित रूप से पालन किए जाने के लिए मंत्रालय नियमित रूप से निगरानी रखता है।

हिन्दी में पत्राचार

प्रशासकीय आदेशों के अधीन जनता से तथा राज्य सरकारों से हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिए जाते है।

द्विभाषिक नीति के अनुसार, केन्द्रीय सरकार का प्रत्येक कर्मचारी अपना अपना सरकारी काम हिन्दी अथवा अंग्रेजी में करने के लिए स्वतंत्र है। किन्तु मंत्रालय और उसके संलग्न तथा अधीन कार्यालयों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अपने अपने हिन्दी

जानने वाले कमचारियो को टिप्पणी और सरल मसौदा म हिंदी प्रयाग करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु समय समय पर अनुरोध किया जाता है। ऐसे अनुभागो की सख्या २५ है जहा पर हिंदी का काय साधक जानकारी रखने वाले कमचारियो की सख्या ८० प्रतिशत स अधिक है। ऐसे अनुभागो की सख्या १७ है जहा पर टिप्पणी तथा मसौदा लेखन म हिंदी का प्रयोग आशिक रूप से किया जाता है।

हिन्दी जानने वाले वरिष्ठ अधिकारियो से कम स कम अपनी छोटी छोटी टिप्पणिया और सरल मसौदा म हिंदी का प्रयोग करने के लिए समय-समय पर अनुरोध किया जाता है। हिंदी मे टिप्पणिया तथा मसौदे तयार करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियो की सहायता के लिए दो हिंदी आशुलिपिको की सवाओ का विशेष रूप से प्रबन्ध किया गया है।

अतिरिक्त हिन्दी टाइपराइटरो की व्यवस्था

इस समय, मत्रालय म ४३ हिंदी टाइपराइटर है। दिन प्रतिदिन हिंदी का काय बढ़ने के कारण और अधिक हिंदी टाइपराइटर प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे है।

मत्रालय के अब तक ११४ फार्मो तथा सहिताओ का हिंदी म अनुवाद किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त ७४ और फार्मों तथा नियमो के दो सेटो का अनुवाद हो रहा है।

अधिनियमो का अनुवाद

जहा तक इस मत्रालय के अधिनियमो का सबध है तीन अधिनियमो अथात प्राचीन स्मारको तथा पुरातत्वीय स्थानो तथा पुरावशेष अधिनियम, कापीराइट अधिनियम तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अधिनियम का हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया जा चुका है। अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम के हिंदी अनुवाद का मुद्रण किया जा रहा है। तीन और अधिनियम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अधिनियम तथा विश्व भारती अधिनियम का अनुवाद किया जा रहा है।

राज भाषा कार्यान्वयन समिति

मत्रालय और सलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयो म राज भाषा कार्यान्वयन समितिया स्थापित की गई हैं। इन समितियो की हर चौथे महीने बठकें होती है जिनमे सरकारी कामकाज म हिंदी की प्रगति का पुनरीक्षण किया जाता है। इन बठको के कायवत्त गह मत्रालय को सूचना के लिए भेज दिए जाते है।

इस बात पर विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा कि हिन्दी भाषी राज्यो से प्राप्त पत्रों के उत्तर अवश्य ही हिंदी म दिए जाते हैं तथा इसी तरह जो परिपत्र सामान्य सूचना के हो वे भी द्विभाषा म जारी किए जाते है।

कमचारियो को हिन्दी प्रशिक्षण

उच्चतर माध्यमिक परीक्षा म जिन कमचारियो ने हिंदी एक विषय के रूप म ली थी या गह मत्रालय द्वारा आयोजित प्राज्ञ परीक्षा उत्तीण की हो ऐसे अधिकारियो तथा स्टाफ के बारे म हाल ही म किए गए पुनरीक्षण के फलस्वरूप यह पता चला कि उपयुक्त दोनो श्रेणियो म आने वाले अधिकारियो तथा कमचारियो की सख्या ५५३ है तथा उन्हें हिंदी का कायसाधक ज्ञान है। जनवरी १९७३ म शुरू विभिन्न हिंदी अध्यापन कक्षाओ म ६३ व्यक्ति नियुक्त किए गए थे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान म रखा जाता है कि

जिन व्यक्तियो को नियुक्त किया गया है वे कक्षाओ म नियमित रूप से जाते रहे।

सरकारी कामकाज म हिन्दी के प्रयोग का पुनरीक्षण करने के लिए विभिन्न प्रभागो के शाखा अधिकारियो की समय समय पर बठकें होती है तथा हिन्दी काय के लिए अतिरिक्त कमचारियो के प्रस्ताव कमचारी निरीक्षण एकक (एम० आई० यू०) को भज दिए गए है।

संस्कृत का विकास

लगभग ६०० स्वच्छिक संस्कृत सगठनो को संस्कृत के प्रचार तथा विकास के लिये जिनम १७ गुरुकुल भी शामिल हैं १७.८० लाख रुपये के अनुदान दिए गए। इसके अतिरिक्त १४.५० लाख रुपये से अधिक केन्द्रीय सहायता, राज्य सरकारो तथा केन्द्र शासित प्रदेशो को संस्कृत की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओ के लिए दी गई। इसम विनिम्नारम्भा म रहने वाले ६०० अध्येताओ को दी गई सहायता हाई तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलो को दी गई २५०० छात्रवृत्तिया, माध्यमिक स्कूलो म संस्कृत अध्यापको की नियुक्तिया संस्कृत पाठशालाओ म आधुनिक विषयो के अध्यापको की नियुक्तिया और संस्कृत के प्रचार तथा विकास के लिए राज्य सरकार की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए दी गई सहायता भी शामिल है।

छात्रवृत्तिया

संस्कृत अध्ययन की प्रोन्नति के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाए इस वर्ष जारी रही। इस वष के दौरान २०० रुपय प्रतिमास की ८० नई अनुसधान छात्रवृत्तिया प्रदान की गई और जो छात्रवृत्तिया गत वर्षों म दी गई थी वे भी जारी रहा। इस तरह ५० नई छात्रवृत्तिया आचाय तथा ४० छात्रवृत्तिया शास्त्री परीक्षाओ के लिए दी गई थी। १६५ छात्रवृत्तिया बी० ए०/बी० एम० ए० और बी० पी० एच० डी० के लिए भी दी गई। इन सभी छात्रवृत्तिया पर एक वष का कुल खच ८ लाख रुपये होता है।

साहित्य अकादमी

भारतीय साहित्य के विकास की दृष्टि से सन १९५४ मे साहित्य अकादमी की स्थापना की गई थी। समस्त भारतीय साहित्य की प्रामाणिक ग्रथ सूची का सकलन करने की दिशा म अकादमी ने महत्वपूण काय किया है। विभिन्न भारतीय भाषाओ म अकादमी ने छ सौ से अधिक ग्रथ प्रकाशित किये हैं। कालिदास रचित कुमार सभव 'विक्रमोवशीय तथा 'मेघदूत पाठ के शुद्ध सस्करण तथा हिन्दी संस्कृत, तेलगु कन्नड मराठी, मलयालम सिन्धी आदि विभिन्न भाषाओ के विशिष्ट साहित्य का अनुवाद व प्रकाशन अकादमी की सफलता का परिचायक है। सन १९६१ मे अकादमी ने भारतीय लेखको का परिचय ग्रथ प्रकाशित किया जिसम हजारो भारतीय लेखको के सम्बन्ध म जानकारी दी गई। रूसी हिन्दी शब्द कोष ने भी काफी लोकप्रियता अर्जित की। अकादमी की ओर से कई भारतीय तथा विदेशी विशिष्ट साहित्यिक ग्रथो का भारतीय भाषाओ मे अनुवाद प्रकाशित हो चुका है। अकादमी की ओर से प्रतिवष भारतीय भाषाओ के ग्रथो पर पुरस्कार भी प्रदान किये जाते हैं। अकादमी की ओर स अग्रेजी त्रमासिक इंडियन लिटरेचर तथा संस्कृत म अद्धवार्षिक 'संस्कृत प्रतिभा पत्रिकाए भी प्रकाशित होती हैं। अकादमी ने आधुनिक भारतीय लेखको के व्यक्तित्व और कृतित्व पर भारतीय साहित्य के निर्माता' ग्रथमाला भी प्रकाशित करनी आरम्भ की है। श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर के साहित्य के भारतीय भाषाओ म सुन्दर ढग से

अनुवाद भी प्रकाशित हो चुके हैं। मौलाना आजाद की कुछ कृतियों को उर्दू में प्रकाशित करने की योजना पर काम प्रारम्भ हो चुका है।

अकादमी ने १९७३ में 'स्वाधीनता प्राप्ति के बाद अब तक का भारतीय साहित्य' पुस्तक प्रकाशित की।

साहित्य अकादमी वार्षिक पुरस्कार-१९७३

क्रमांक	भाषा	शीर्षक	लेखक	पुस्तक किस किस्म की है।
१	हिन्दी	आलोक पर्व	डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी	निबंध संग्रह
२	कन्नड	अरलू बरलू	वी० सीतारमैया	कविता संग्रह
३	गुजराती	कवि नी श्रद्धा	उमाशंकर जोशी	आलोचनात्मक लेख
४	मलयालम	बलि दर्शनम	एक्कयम	कविता
५	मराठी	काजल माया	जी० ए० कुलकर्णी	कहानी संग्रह
६	मणिपुरी	इम्फाल अमासुग मागी इसिंग नुमित्कपी फिभाम	पाछा	उपन्यास
७	मैथिली	नवा बजारा	ब्रजकिशोर वर्मा	उपन्यास
८	उड़िया	समुद्र स्नान	गुरुप्रसाद महान्ती	कविता
९	पंजाबी	कल, आज ते भलक	हरचरनसिंह	नाटक
१०	सिन्धी	प्यार जी प्यास	गोविंद मल्ही	उपन्यास
११	संस्कृत	श्री तिलक यशार्णव	एम०एम० अणे	महाकाव्य
१२	तमिल	वेरेक्कूतीर	राजम कृष्णन	उपन्यास
१३	तेलुगू	मंतालू मनावुडू	सी० नारायण रेड्डी	कविता संग्रह

ललित कला अकादमी

पेण्टिंग, स्थापत्य कला और चित्र कला के विकास की दृष्टि से ललितकला अकादमी का १९५४ में गठन किया गया। यह विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों की अकादेमियों के कार्यक्रमों में भी सहयोग देती है। यह प्रति वर्ष अखिल भारतीय स्तर पर एक प्रदर्शनी भी आयोजित करती है जिसमें विजेताओं को पुरस्कार दिये जाते हैं।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (नेशनल बुक ट्रस्ट)

सरकार ने उच्चकोटि के साहित्य को विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित करके उसे उचित मूल्य पर जनसाधारण तक पहुंचाने के लिये राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की १९५७ में स्थापना की थी। न्यास अब तक लगभग तीन सौ पुस्तकें प्रकाशित कर चुका है। एक प्रादेशिक भाषा से दूसरी प्रादेशिक भाषा में अनुवाद हुए ग्रंथों ने विशेष स्थान प्राप्त किया है।

ज्ञानपीठ पुरस्कार

भारतीय भाषाओं के उच्चकोटि के साहित्यकारों को पुरस्कृत करने की दृष्टि से भारतीय ज्ञानपीठ ने १९६६ से प्रतिवर्ष एक लाख रुपए का पुरस्कार प्रारम्भ कर सराहनीय

माय किया है ।

अब तक निम्न साहित्यकारो को यह पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है

१९६६	जि० शकर कुरुप 'ओटक्कुपल' (बासुरी काव्य)	मलयालम
१९६७	ताराशकर वद्यापाध्याय गणदेवता (उपन्यास)	बगला
१९६८	उमाशकर जोशी 'निशीथ' (कविता सग्रह)	गुजराती
	के०वी० पुट्टप्पा रामायणदर्शनम' (कविता सग्रह)	कन्नड
१९६९	सुमित्रानन्दन पत चिदवरा (कविता सग्रह)	हिन्दी
१९७०	रघुपतिसहाय 'फिराक' गोरखपुरी गुल-नग्मा (कविता-सग्रह)	उर्दू
१९७१	डा० विश्वनाथ सत्यनारायण रामायण कल्पवृक्षम' (महाकाव्य)	तेलुगु
१९७२	विष्णु दे स्मृति सत्ता भविष्यत (काव्य सग्रह)	बगला
१९७३	रामधारीसिंह दिनकर उर्वशी' (काव्य)	हिन्दी

स्वतत्र भारत मे शिक्षा

१ प्राथमिक विद्यालयो म अब १९४७ म १ करोड ४१ लाख विद्यार्थियो की अपेक्षा ६ करोड ३१ लाख विद्यार्थी पढते हैं (कक्षा १ से ५ तक) । इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा पाने वाल विद्यार्थियो की सख्या म ३५० प्रतिशत की वद्धि हुई है ।

२ कक्षा ६ स ८ तक के विद्यार्थियो की सख्या १९४७ म २० लाख से बढकर १९७२ म १ करोड ४९ लाख हो गई है । इस प्रकार से इस स्तर के विद्यार्थियो की सख्या म ६५० प्रतिशत की वद्धि हुई है ।

३ कक्षा ९ स ११ तक के विद्यार्थियो की सख्या १९४७ म साढे आठ लाख स बढकर १९७२ म ८४ लाख हो गई अर्थात ९०० प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

४ जब भारत आजाद हुआ तब विश्वविद्यालयो म शिक्षा पाने वाल छात्रो की सख्या २ लाख ५६ हजार थी । अब इनकी सख्या ९०० प्रतिशत बढकर २५ लाख ४० हजार हो गई है ।

५ लडको के अनुपात म लडकियो का प्रतिशत ६ से ११ वष म आयु वग म १९४७ म ३५ स बढकर १९७२ म ६० हो गया । ११ १४ वष आयु वग म १८ से बढकर ३७ हो गया । १४ १७ वष आयु वग म १२ से बढकर २८ हो गया और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा म यह प्रतिशत ८ स बढकर १८ हो गया ।

६ शिक्षा पर होने वाला व्यय भी १९५० म १ अरब १४ करोड ४० लाख से बढकर १९६८ ६९ म साढे आठ अरब हो गया अर्थात् इसम ६४० प्रतिशत की वद्धि हुई ।

शिक्षा सस्थाए एव अध्यापक

१९७३ म उपलब्ध आकडो के अनुसार भारत म शिक्षण सस्थाओ व अध्यापको की सख्या निम्न प्रकार है —

१	विश्वविद्यालय	८६
२	विश्वविद्यालय समान सस्थान	१०
३	विश्वविद्यालयो म सम्बद्ध कालेज	३ ६०४
४	माध्यमिक विद्यालय	३५ ७७३
५	उच्चतर प्राथमिक विद्यालय	८८,५६७

६ लोवर प्राथमिक विद्यालय	४,०४,४१८

अध्यापक

१ विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध कालेजा क	१ २८,६२४
२ माध्यमिक विद्यालय	५ ८७,४३३
३ उच्चतर प्राथमिक विद्यालया मे	६ २६,४६५
४ लावर प्राथमिक विद्यालया के	११ ११,८१९




सागर
घी




SAGAR

: १३ :

जन-स्वास्थ्य

एक एक करके जसे ही योजनाए बनती गई, वसे ही उनके स्वास्थ्य कायक्रमो पर किये जाने वाले खर्चे म लगातार बढोतरी होती गई। स्वास्थ्य कायक्रमो के लिये पहली योजना म ६० करोड ३० लाख रुपये, दूसरी योजना म १४६ करोड रुपये, तीसरी योजना म २०६ करोड ५० लाख रुपये और वार्षिक योजनाओ म तीन वर्षों मे (१९६६ ६९) मे १४० करोड ११ लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी। चौथी पचवर्षीय योजना म स्वास्थ्य कायक्रमो के लए ४३५ करोड ३ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। यह सब होते हुए भी, चौथी योजना म स्वास्थ्य कायक्रमो के लिये जो परिव्यय रखा गया है वह सरकारी क्षेत्र के १५,९०,२३४ करोड रुपये के कुल परिव्यय का केवल २ ७३ प्रतिशत है।

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

यह कायक्रम १९५८ मे प्रारम्भ हुआ तथा इसके १९७५ तक पूण होने की सम्भावना है।

इस कायक्रम के चार अग हैं। प्रारम्भिक—जिसमे इस रोग से लडने के लिये अनुमान एव सर्वेक्षण तयार किये गये हैं। आक्रामक—दो तीन वर्षों तक कीटनाशक दवाइयो का छिडकाव होता है तथा बचे खुचे सक्रमण के उपचार की व्यवस्था की जाती है। समेकन—इसम यदि कही सक्रमण की अवस्था हो ता उसका पता लगाकर उस दूर करन की व्यवस्था की जाती है। अनुरक्षण—इस चरण म मलेरिया की पुनरावृत्ति रोकने की सतकता बरती जाती है।

१९६३ ६५ म बीमारी के पुन जोर पकडने के कारण कइ क्षेत्रो म समेकन चरण स आक्रामक चरण म वापिस आना पडा।

मलेरिया उन्मूलन कायक्रम के अतगत देश की सारी जनसख्या के लिए ३९३ २५ एकक काय कर रहे हैं तथा प्रत्येक एकक के अतगत १३ लाख तक आबादी है।

राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम

इस कायक्रम के अतगत १४ वष तक की अवस्था वाले इस रोग के लिये विशेष सवेदनशील बच्चो को टीका लगाने पर विशेष बल दिया जाता है। त्रिवर्षीय कायक्रम की समाप्ति तक श्रमिक घुमतु एव अनेक बच्चे टीका लगाने से छूट गये। अब चौथी योजना म विशेष रूप स टीका लगाने के प्रयास किये जा रहे है। १९७२ मे ४ करोड २२ लाख प्राथमिक टीके तथा ६ करोड़ टीके दोबारा लगाये गये।

चौथी योजना म खड तथा जिला स्तर पर कमचारियो की सख्या बढ़ाने का विचार है ताकि प्रत्येक नवजात शिशु एव सवदनशील वग के लोगो को प्रति तीन वष बाद टीका लगाया जा सके।

चौथी योजना मे राष्ट्रीय चचक उन्मूलन कायक्रम, जो कि शतप्रतिशत केद्रीय सहायता की योजना है के लिए १५ २० करोड रुपया का प्रावधान किया गया है।

वेक्सीन का उत्पादन

भारत सरकार ने वेक्सीन की ग्रावश्यकता म ग्रात्मनिभर बनने के लिय हैदराबाद, पटुवा डागर बलगाम ग्रौर गिंडी म वक्सीन उत्पादन के केन्द्र खाले हैं। इनकी उत्पादन क्षमता बढाने पर विचार किया जा रहा है ताकि चौथी योजना के ग्रत तक ग्रात्मनिभरता का लक्ष्य पूरा हो सके। १९७२ म (जनवरी स दिसम्बर) ३ करोड ६८ लाख १२ हजार मात्राग्रो का उत्पादन किया गया।

राष्ट्रीय कुष्ठ नियन्त्रण कायक्रम

ग्राज देश मे ३२ करोड व्यक्ति कुष्ठ रोग की छूत के खतरे के क्षत्रो म बस हुए है। दश म प्रति हजार ४० व्यक्तियो पर कुष्ठ का प्रभाव हो जाता है। २५ लाख व्यक्ति कुष्ठ स पीडित है जिनम से ५ स ६ लाख व्यक्ति रोग छूट की श्रेणी म ग्राते हैं। कुष्ठ पीडितो म से लगभग ग्राधे व्यक्ति तमिलनाडु एव ग्राध्र प्रदेश म हैं। महाराष्ट्र बिहार उडीसा, पश्चिम बगाल पर्वी उत्तर प्रदेश ग्रौर मसूर के कुछ हिस्सो म भी यह रोग थोडी बहुत मात्रा म है।

कुष्ठ रोग नियन्त्रण कायक्रम १९५५ म केन्द्रीय सहायता कायक्रम के ग्रतगत प्रारम्भ किया गया। इस समय २० राज्यो तथा समीप क्षेत्रो म चलाया जा रहा है। इस कायक्रम के ग्रतगत २३८ नियन्त्रक एकक ग्रौर १४७६ सर्वेक्षण, परीक्षा ग्रौर उपचार केन्द्र चल रहे है। केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण एव ग्रनुसधान सस्थान चिगलपेठ तथा चिकित्सा कालेज नागपुर म चिकित्सा ग्रधिकारी तथा कमचारियो को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

क्षय रोग

१९७१ म पूण हुए सर्वेक्षण के ग्रनुसार देश मे प्रति हजार १७ व्यक्ति क्षय रोग स पीडित है। यह रोग विशेषकर शहरी समस्या है।

बी० सी० जी० का टीका ग्रभियान ग्रन्तर्राष्ट्रीय क्षय निरोधक ग्रभियान क ग्रतगत १९४६ म टीका ग्रभियान प्रारम्भ हुग्रा। बाद मे इस काम म ग्रतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सस्था ग्रौर यूनीसफ से मदद मिली। १९४६ से १९७३ तक ३४ करोड १२ लाख लोगो की परीक्षा की गई ग्रौर १५ करोड २० लाख लोगो को टीका लगाया गया। २० वष तक की ग्रायु के ६ २० करोड व्यक्तियो को बिना जाच किये टीके लगाये गये इसम १४१७ लाख नवजात शिशु भी सम्मिलित हैं।

बगलौर म स्थापित राष्ट्रीय क्षय रोग सस्थान म ग्रनुसधान काय हो रहा है। मद्रास तथा मदनापल्ली म भी ग्रनुसधान सस्थान स्थापित किये गये है। देश म ५३२ टी० बी० क्लिनिक हैं।

यौन रोग नियन्त्रण कार्यक्रम

पन्द्रह साल पहल ग्रनुमान लगाया गया था कि भारत म सिफलिस (उपदश) से

पाच प्रतिशत लोग पीडित हैं। इसी प्रतिशत म गनारिया (सुजाक) स ग्रस्त लोग हैं। आध्र, उडीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ जिला म 'घाव (फफाना) रोग फैला हुआ है। विश्व स्वास्थ्य सगठन ने १६४६ म हिमाचल प्रदेश म एक प्रदशन मण्डली की स्थापना की थी। इसने विस्तत सर्वेक्षण और सामूहिक उपचार कायक्रम चलाया तथा राज्या द्वारा भेजी गई मडलिया को प्रशिक्षण दिया। अनुमान किया जाता है कि यह बीमारी प्राप्त आकडा स भी अधिक व्यापक है। देश म ३०५ से अधिक यौन रोग उपचारालय है।

यौन रोग प्रशिक्षण केन्द्र, सफदरजग अस्पताल नई दिल्ली म रति रोग की आधुनिकतम चिकित्सा या महामारी विज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाता है। १६७३ के दौरान केन्द्रीय सहायता से स्थापित १८६ रति रोग क्लिनिका म १,६७,४२६ रोगिया को देखा गया और उनका उपचार किया गया।

अन्तर्राष्ट्रीय सगरोधन

यह केन्द्रीय विषय है। कलकत्ता, विशाखापत्तनम मद्रास कोचीन बम्बई और काडला के ६ प्रमुख बन्दरगाहा तथा बम्बई (सान्ताक्रुज), कलकत्ता (दमदम) मद्रास (मीनाम्बक्कम) तिरुचिरापल्ली व दिल्ली (पालम) के ५ अतराष्ट्रीय हवाई अड्डो का सगरोधन—प्रशासन केन्द्रीय सरकार के नियत्रण म है। अन्तर्राष्ट्रीय यातायात वाले छोटे बन्दरगाहा पर भी भारतीय पत्तन स्वास्थ्य नियम १६६५ लागू होते हैं। प्रशासन के अतगत विमान अड्डा और बदरगाहा पर पर्यावरणिक सफाई व मच्छर व कुतरु प्राणी विरोधी उपाय की व्यवस्था है। नागरिका की चिकित्सा सुविधाए भी हैं। नाविका की प्रवेशपूर्व सामयिक परीक्षा की एक योजना चल रही है। बन्दरगाहा और अन्तर्राष्ट्रीय वायुयान अड्डा पर पत्तन स्वास्थ्य समितिया हैं। हज यात्रा व गगासागर मेले के अवसर पर सगरोधन की व्यवस्था का भार भी प्रशासन पर है।

मानसिक स्वास्थ्य

अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य सस्थान, बगलौर यह सस्थान शिक्षण और अनुसधान का स्नातकोत्तर सस्थान है। यह मनोवैज्ञानिक चिकित्सा डिप्लोमा (डी० पी० एम०) चिकित्सा एव सामाजिक मनोविज्ञान डिप्लोमा (डी० एम० एड एस० पी०) मनोविज्ञान उपचर्या डिप्लोमा (डी० पी० एन०) के अतिरिक्त मनोविज्ञान चिकित्सा म एम० डी० तथा मानसिक मनोविज्ञान म पी० एच० डी० पाठ्यक्रमो का सचालन कर रहा है। इस सस्थान म अब तक १३६ मनोविकार चिकित्सका १८४ नैदानिक मनोवैज्ञानिका तथा २५७ मनोविकारी नर्सों को प्रशिक्षण दिया गया।

मानसिक रोग चिकित्सालय राची इस अस्पताल म चिकित्सा के आधुनिकतम साधन है। इसकी स्थापना ५० वष पूव हुई थी। इस चिकित्सा के अतगत डी० पी० एम० तथा डी० एम० एण्ड एस० पी० पाठ्यक्रम चालू हैं। १६६८ ६६ म मनोविज्ञान म पी० एच० डी० तथा मनोविकार सामाजिक काय मे डिप्लोमा कोर्स के प्रशिक्षण कोर्सों को राची विश्वविद्यालय के सरक्षण म प्रारम्भ करने की स्वीकृति दे दी गई है। अनुसधान के क्षेत्र म केन्द्र ने कतिपय मानसिक स्वास्थ्य पहलुओ तथा औषधिया सम्बन्धी अनुसधान काय किये।

केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना का चिकित्सा विभाग इस योजना के अधीन सफदरजग अस्पताल तथा विलिंगडन अस्पताल नई दिल्ली म मनोविकार विज्ञान योजनाए चल रही हैं।

कैंसर अनुसंधान

असाध्य रोग कैंसर की चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार अनुसंधान किया जाता है। कैंसर चिकित्सा के तीन प्रमुख अनुसंधान केन्द्र हैं—चित्तरंजन राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र कलकत्ता, कैंसर अनुसंधान संस्थान मद्रास तथा एम० पी० शाह कैंसर अस्पताल अहमदाबाद।

हृदय रोग कक्ष

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री डा० कर्णसिंह ने ११ सितम्बर १९७५ को दिल्ली के अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान में चार शय्याओं वाले अत्याधुनिक हृदय रोगी परिचर्या कक्ष का उद्घाटन किया।

इससे दिल का दौरा पड़ने वाले रोगियों की देखभाल अच्छी तरह की जा सकेगी। ठीक समय पर रोग का निदान करने और हृदय की धड़कन में गड़बड़ी पर बराबर निगाह रखने से बहुत से लोगों की जान बचाना संभव हुआ है।

इस परिचर्या का नाम ब्रिटेन के निजी चिकित्सक स्वर्गीय डा० [illegible] नाथ नन्दा के नाम पर रखा गया है। इसकी स्थापना उनकी विधवा पत्नी से प्राप्त चार लाख रुपए के दान की रकम से की गयी है।

दान की राशि में से तीस हजार रुपये की राशि अलग रखा गया है जिसका उपयोग देश विदेश के प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ को अभ्यागत चिकित्सा या शोध कार्य के लिए बुलाने में किया जायगा।

औषध नियन्त्रण

केन्द्रीय औषध नियंत्रण संगठन पर देश में आयातित औषधियों के गुण, परिमाण, सुरक्षा तथा प्रभावोत्पादकता की दृष्टि से नई दवाइयों की जांच करने तथा उनका अनुमोदन करने, औषधियों के लिये मानकों का निर्धारण करने तथा औषध अधिनियम के उपबंधों की क्रियान्विति के लिए नियम बनाने और अन्ततः राज्य औषधि नियंत्रण संगठनों की गतिविधियों में ताल मेल बिठाने का दायित्व है। केन्द्रीय औषध नियंत्रण संगठन औषध अधिनियम के प्रशासन से सम्बन्धित मामलों में राज्यों को तकनीकी सलाह भी देता है। केन्द्रीय औषध नियंत्रण संगठन के बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और गाजियाबाद में क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

आयातित औषधियों पर नियन्त्रण बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और कोचीन में सीमा शुल्क भवनों में केन्द्रीय औषध नियंत्रण कार्यालय स्थापित किये गये हैं। नियंत्रण अधिकारी आयातित औषधियों के लेबलों पर अंकित विवरण की जांच करते हैं और जब कभी आवश्यकता हो नमूने भी भरते हैं जिन्हें परीक्षण के लिये केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला कलकत्ता को भेज दिया जाता है। जो औषधियां विहित मानकों के अनुकूल नहीं पाई जातीं अथवा जिनमें कोई और ऐसा दोष होता है जिन्हें दूर न किया जा सके उनको या तो उत्पादक देश को पुनः निर्यात कर दिया जाता है या नष्ट कर दिया जाता है।

भारतीय भेषज संहिता भारतीय भेषज संहिता का दूसरा संस्करण जून १९६८ से प्रयोग में लाया जाने लगा है जिसमें मेडिकल प्रैक्टिस में आजकल काम आने वाली औषधियों के ८८४ मोनोग्राफ हैं। इनमें जो औषधियां अंकित हैं औषध और प्रसाधन कानून के अन्तर्गत उनके लिए यही एकमात्र मानक पुस्तक है।

अनिवार्य औषधि समिति अनिवार्य औषधियों की तथा समय-समय पर औषधियों के निर्माण और आयात के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी इसकी सूचना तैयार करने में भारत सरकार को सलाह देने के लिए मार्च १९६६ में अनिवार्य औषधि समिति का गठन किया गया था। इसमें चिकित्सा की विभिन्न शाखाओं से लिए गये विशेषज्ञ हैं और स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक इसके अध्यक्ष हैं।

केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली इसकी स्थापना १९०५ में हुई। यह मानव (पागल कुत्ते के काटने से उत्पन्न रोग), टी० वी० हैजा विपराध, टिटनिस, टोक्साइड डिप्थेरिया, एंटीटोक्सिन और इन्फ्लुएंजा के टीके तैयार करता है। संस्थान में पीत ज्वर वैक्सीन भी बनती है। संस्थान के अंतर्गत राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशाला है जो टिटनस व डिप्थेरिया के राष्ट्रीय मानक तैयार करती है। संस्थान के अंतर्गत राष्ट्रीय केन्द्र टाइप कलचर का राष्ट्रीय संग्रहण केन्द्र, राष्ट्रीय अनपविषाणु केन्द्र रुधिर छाया चित्र व बाह्य प्रतिपरीक्षण का क्षत्रीय व केन्द्रीय इन्फ्लुएंजा केन्द्र हैं। संस्थान द्वारा शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया जाता है।

बी० सी० जी० वैक्सीन प्रयोगशाला गिण्डी मद्रास इसकी स्थापना १९४८ में हुई। यह इस समय भारत का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादन केन्द्र है। यह सभी राज्यों बी० सी० जी० अभियान में लगी अन्य भारतीय संस्थाओं तथा अफगानिस्तान और लंका की सरकारों को बी० सी० जी० वैक्सीन तथा ट्यूबरकुलीन और बर्मा तथा मलयेशिया में चल रही यूनीसफ समर्थित संस्थाओं को वैक्सीन देती है।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान

१९७० में भारत सरकार ने भारतीय भेषज तथा होम्योपैथी में अन्वेषण के लिए एक स्वायत्तशासी केन्द्रीय परिषद का गठन किया। इसका गठन का उद्देश्य आयुर्वेद यूनानी एवं होम्योपैथी भेषज प्रणाली तथा योग में वैज्ञानिक अनुसंधान प्रारम्भ करना तथा उनका समन्वय करना है। इस समिति में २५ सदस्य हैं जिनमें ६ सरकारी १३ गैरसरकारी तथा ३ समद सदस्य हैं।

आयुर्वेदिक अध्ययन तथा अनुसंधान संस्थान जामनगर इसका प्रशासन एक शासी निकाय के हाथ में है जिसमें भारत सरकार गुजरात सरकार तथा गुलाब कुवर आयुर्वेदिक सोसाइटी के प्रतिनिधि हैं।

संस्थान का शिक्षण विभाग स्नातकोत्तर, प्रशिक्षण (एच० पी० ए०) डिग्री काम बी० ए० एम० एस० शुद्ध आयुर्वेदिक डिग्री काम (डी० एस० ए० बी०) आदि का प्रशिक्षण देता है। संस्थान का २३० पलगों का अस्पताल है जिसमें प्रतिमास औसतन २११४ अंतरंग तथा २८५८ बहिरंग रोगियों का इलाज किया जाता है। संस्थान की अपनी औषध निर्माण शाला भी है। संस्थान आयुर्वेदलोक नामक एक त्रमासिक भी प्रकाशित करता है।

केन्द्रीय आयुर्वेद, अनुसंधान परिषद आयुर्वेद के विकास विशेषकर उनके विभिन्न पहलुओं पर वैज्ञानिक खोज के सम्बन्ध में भारत सरकार को मंत्रणा देता है। इसके अंतर्गत मिश्रित औषधालय अनुसंधान योजना चल रही है। १९६७-६८ में इसका पुनर्गठन किया गया। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में भारतीय चिकित्सा शास्त्र का स्नातकोत्तर प्रशिक्षण व अनुसंधान केन्द्र है। हरिद्वार स्थित आयुर्वेद वनौषधि सर्वेक्षण यूनिट वनौषधि सर्वेक्षण करता है। रानीखेत में भी ऐसी यूनिटें खोली गई हैं। पूना के निकट जवाहरलाल नेहरू

आयुर्वेदिक वनौषधि उद्यान तथा औषधि सग्रहालय औषधीय पौधे लगाता है। केन्द्रीय शुद्धायुर्वेदिक परिषद शुद्ध आयुर्वेदिक योजना आदि का प्रस्ताता है। आयुर्वेदिक भेषज संहिता समिति भी काय कर रही है। कवल्यधाम ए० एम० वाई० एस० समिति लानावाला बम्बई म जीए श्वास नली शोध और श्वसनी अस्थमा (श्वास) के यौगिक उपचार पर परीक्षण चल रहा है।

होमियोपथी होमियोपथी सलाहकार समिति होमियोपथी के विकास और अनुसंधान के सम्बन्ध म भारत सरकार को सलाह देती है। होमियोपथी की एकरूप पढाई के लिए अनुसंधान उप समिति व प्रविधि उप समिति बनी है। ग्रामो म होमियोपथी के प्रसार के लिए भी उप-समिति है। एक होमियोपथिक भेषज समिति है।

चौथी योजना

स्वास्थ्य कायक्रमो के लिए चौथी पचवर्षीय आयोजन में ४३३ ५३ लाख रुपये का परिव्यय रखा गया है। इसमें जन पूर्ति और सफाई तथा परिवार नियोजन का परिव्यय सम्मिलित नहीं है। केन्द्रीय राज्य और सघ शासित क्षेत्रो के बीच इस परिव्यय का वितरण इस प्रकार है —

रुपये लाख में

विशुद्ध केन्द्रीय क्षेत्र	५३ ५० ००
केन्द्रीय पुरोनिधानित क्षेत्र	१७६ ५० ००
राज्य क्षेत्र	१८४ २५ ००
सघ शासित क्षेत्र	१६ २८ ००
योग	४३३ ५३ ००

वार्षिक योजना १९७२-७३

१९७२ ७३ म स्वास्थ्य कायक्रमो के लिए ८७८३ ०० लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय राज्यो और सघ शासित क्षेत्रो के बीच इस परिव्यय का वितरण इस प्रकार है।

रुपये लाख में

	१९७२ ७३ आयोजन परिव्यय
विशुद्ध केन्द्रीय	१०२१ ०८
केन्द्रीय पुरोनिधानित	३०२४ ३२
राज्य एवं सघ शासित क्षे०	४७३७ ६०
योग	८७८३ ००

3879

कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की १९७१ ७२ के अंत तक भौतिक उपलब्धियों का ब्यौरा इस प्रकार है —

मद	१९७१ ७२
पलग	२६६,८२५
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	५ १८३
मेडिकल कालेज	६८
वार्षिक प्रवेश	१२ ०००
दन्त कालेज	१५
वार्षिक प्रवेश	६८०

बजट

१९७२ ७३ के लिए स्वास्थ्य विभाग का बजट इस प्रकार है —

राजस्व	६२ १८ ७५ ००० रु०
पूजी	३२ ७८ ११,००० रु०

एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली की शिक्षा देने वाले मेडिकल कालेज

प्रदेश	स्थान (मेडिकल)	स्थान (दन्त)
आन्ध्र	विशाखापत्तनम गुण्टूर कुरनूल काकीनाड हैदराबाद २ (गाधी व उस्मानिया)	वारंगल तिरुपति हैदराबाद
असम	डिब्रूगढ़ गोहाटी, सिलचर	
बिहार	पटना, दरभगा रांची जमशेदपुर	पटना
गुजरात	अहमदाबाद २ (बी० जी० व म्युनिसिपल) बड़ौदा जामनगर, सूरत	अहमदाबाद
जम्मू-कश्मीर	श्रीनगर	
केरल	त्रिवेन्द्रम, कोट्टयम, अलेप्पी कालीकट	त्रिवेन्द्रम
मध्य प्रदेश	ग्वालियर भोपाल, रीवा इन्दौर रायपुर जबलपुर	
तमिलनाडु	मद्रास २ (मेडिकल स्टेनल मेडिकल) वेल्लोर, मदुराई चिन्गलपाक	मद्रास
महाराष्ट्र	बम्बई ३ (ग्राण्ट जी० एम० टी० एन०) पूना २ (बी० जे० आर्मड फोर्सेज) नागर हास्पिटल औरंगाबाद मिरज शोलापुर, नागपुर २	बम्बई २
कर्नाटक	मणिपाल, (मगलौर) बगलौर हुबली गुलबर्ग, बेलगाव	बंगलौर, मणिपाल मगलौर
उड़ीसा	कटक बुढ़िया (सम्बलपुर) बरहामपुर	
पंजाब	अमृतसर पटियाला लुधियाना २ (क्रिश्चियन दयानन्द)	अमृतसर

हरियाणा	रोहतक	
राजस्थान	जयपुर, उदयपुर	
उत्तर प्रदेश	लखनऊ आगरा कानपुर, वाराणसी २ (कालेज आफ मेडिकल साइंस व हिंदू विश्वविद्यालय) इलाहाबाद अलीगढ़, मेरठ २	लखनऊ
प० बंगाल	कलकत्ता ४ (मेडिकल आर० जी० कार कलकत्ता इंस्टीच्यूट नीलरतन सरकार) बाकुड़ा	
दिल्ली	नई दिल्ली ३ (लेडी हार्डिंग ए० आई० आई० एम० एम० सी० मौलाना आजाद)	
गोवा	पंजिम	
पाण्डिचेरी	पाण्डिचेरी	

हिमाचल प्रदेश—शिमला

आयुर्वेदिक महाविद्यालय

आयुर्वेद (भारतीय भेषज) की शिक्षा देने वाले विद्यालय देश भर में फैले हुए हैं। यहां उन आयुर्वेदिक महाविद्यालयों के स्थान दिये जा रहे हैं जिनको सरकारी मान्यता किसी न किसी रूप में प्राप्त है —

आन्ध्र	हैदराबाद विजयवाडा गण्टूर वारंगल।
असम	जालकुवाड़ी (गोहाटी)।
बिहार	पटना मधुबनी बेगुसराय भागलपुर मोतिहारी (चम्पारन)।
गुजरात	सूरत बड़ोदा नडियाद जामनगर भावनगर उत्तराखड अहमदाबाद।
जम्मू कश्मीर	श्रीनगर।
केरल	त्रिवन्द्रम त्रिपुनीट्टा शोरनपुर २ कोट्टकल माधव कन्नूर।
मध्य प्रदेश	रायपुर २ ग्वालियर इन्दौर २ उज्जैन बरहानपुर रीवा जबलपुर।
तमिलनाडु	मलयपुर (मद्रास)।
महाराष्ट्र	बम्बई नांदेड पूना अहमदनगर नागपुर नासिक अमरावती अकोला जालना सातारा सांगली।
कर्नाटक	मैसूर बीजापुर हुबली बेलगाव बल्लारी उडुपी कुशलनगर बंगलौर वडकेट्टल गडग नारगा।
उड़ीसा	पुरी।
पंजाब	पटियाला जालंधर बरनाला।
हरियाणा	रोहतक।
राजस्थान	जयपुर उदयपुर बीकानेर सरदारशहर पिलानी सीकर।
उत्तरप्रदेश	लखनऊ २ वाराणसी ३ पीलीभीत हरिद्वार झांसी मेरठ देहरादून बांदा मथुरा २ चमोला (उत्तराखण्ड) कानपुर बरेली।
पश्चिमी बंगाल	कलकत्ता ३।
दिल्ली	दिल्ली २।

तिब्बिया कालेज

हैदराबाद, पटना, दिल्ली, श्रीनगर, लखनऊ, इलाहाबाद, अलीगढ, सहारनपुर, वाराणसी।

खाद्य पोषक तत्व

भारतीय चिकित्सा शोध परिषद की पोषण परामर्श समिति भोजन की पौष्टिकता बढाने के लिए अनुसंधान की योजनाए तयार करती है। गर्भवती स्त्रियां छात्रा तथा मजदूरा जसे वर्गों के लिए पौष्टिक खाद्य-पदार्थ उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ के बालकोष तथा अन्य संगठनों से प्राप्त दुग्ध चूर्ण विभिन्न राज्यों म स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से १४ वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु आन्ध्र पश्चिम बंगाल म अपोषण के रोगों के उपचारार्थ १२ आहार पर कार्यरत हैं।

खाद्य पदार्थों मे मिलावट

खाद्य पदार्थों म मिलावट एक जघन्य अपराध है। दूध से बने पदार्थों घी तेल तथा मसालों म मिलावट तेजी से बढ़ रही है। मिलावट को रोकने के लिए बनाये गये खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम का सख्ती से पालन किया जाता है। मानकों की केन्द्रीय समिति की मसूर म हुई बठक म खाद्यान्नों तथा गेहूं म तैयार अन्य वस्तुओं आईसक्रीम चीनी को उबालकर बनाई हुई मिठाइयां और चाकलेट के मानकों तथा दूध और दूध से बने पदार्थों के नमूने लेने के तरीकों पर विचार विमर्श हुआ।

वर्ष १९७० म स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक कार्यालय म एक केन्द्रीय खाद्यान्न म मिलावट की रोकथाम नामक एकक स्थापित किया गया है। यह एकक दिल्ली म मिलावट का सर्वेक्षण कर रही है।

परिवार-नियोजन

परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए चौथी योजना का मध्यम वर्ष १९७२-७३, समेकन पुनर्मूल्यांकन और नए फील्ड तकनीकों के प्रयोग करने का वर्ष रहा है। अब तक की सफलताओं को देखने से पता चलता है कि इस वर्ष मे नसबन्दी कराने वाला या प्रचलित गर्भ निरोधकों खासतौर से निरोध के उपभोक्ताओं की संख्या के साथ साथ परिवार नियोजन के विभिन्न तरीकों के अपनाने वालों की कुल संख्या अब तक के किसी भी वर्ष की संख्या से सर्वाधिक रहेगी। निम्नलिखित आंकडे उल्लेखनीय है—

तरीका	१९७२ ७३	१९७१ ७२	
	अप्रल-नवम्बर १९७२	वही अवधि (अप्रल दिसम्बर) १९७१	पूर्ण वर्ष १९७२
१	२	३	४
नसबंदी	११४, १५७	१,०९६ ६२१	२१७२,९९१
गर्भाशयी गर्भनिरोधक	२३१ ९५७	२७७ ०२०	४८१,१९३
प्रचलित गर्भनिरोधक उपयोगकर्ता	२,०८० ७५३	२ २८२ ८५२	२ ३१८ ५२३

परिवार नियोजन के कार्यक्रम प्रारम्भ होने से २८ फरवरी १९७३ तक कुल आबादी में लगभग एक करोड़ की वृद्धि रोकने में सफलता मिली है।

अप्रैल १९७२ से नवम्बर १९७२ तक देश भर मे परिवार नियोजन के विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करने वालो की संख्या ४९,७२,६७७ हो गई। इस वर्ष परिवार नियोजन सम्बन्धी २१.७३ लाख आपरेशन किए गए जबकि पिछले वर्ष ११,८२,०३८ आपरेशन किये गए थे और इस प्रकार आपरेशन कराने वालो में ६८.४ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आपरेशन कराने वालो में एक चौथाई संख्या महिलाओं की है।

इस कार्यक्रम के चालू होने से नवम्बर १९७२ तक देश भर में परिवार नियोजन संबंधी १,०१,४६,१५५ आपरेशन किये जा चुके हैं।

अप्रैल १९७२ में गर्भपात को छूट देने सम्बन्धी विधेयक पारित कर गर्भ से मुक्ति पाने की इच्छुक महिलाओं को नई सुविधा प्रदान की गई। इसका भी परिवार नियोजन के क्षेत्र में प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।

पांचवीं योजना

१९५१ में हमारे देश में जहां मनुष्य की औसत उम्र केवल ३२ वर्ष थी वहां १९७३ में वह ५० वर्ष हो गई। इसी तरह १९५०-५१ में अस्पतालों में पलंगों की संख्या जहां १,१३,००० थी वहां १९७२-७३ में वह २,८१,६०० हो गई है। तेजी से बढ़ रही आबादी के बावजूद अस्पतालों पलंगों और आबादी का अनुपात भी ०.३२ से बढ़कर ०.४६ प्रति हजार हो गया है। इसी दौरान में मेडिकल कालेजों की संख्या ३० से बढ़कर सौ से ऊपर हो गई है और आज उनमें हर साल लगभग १२ हजार छात्रों को दाखिला दिया जा रहा है। मलेरिया पर जो अभी दस साल पहले तक एक खतरनाक बीमारी थी अब देश के ५६ फीसदी इलाके में काबू पा लिया गया है। चेचक और हैजा अब पहले जैसे घातक रोग नहीं रहे हैं अब हां कुछ-कुछ इलाकों में ये अभी भी मौजूद है। हालांकि यह काफी शानदार सफलता है फिर भी हर एक हजार आबादी के पीछे अस्पतालों में एक पलंग और हर तीन हजार आबादी के पीछे एक डाक्टर का जो लक्ष्य रखा गया था उस तक पहुंचने के लिए और सभी लोगों का स्वास्थ्य सही मानो में अच्छा बनाने के लिए अभी हम बहुत लम्बा रास्ता तय करना है।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में गांवों में स्वास्थ्य सुविधाएं जुटाने पर अधिक जोर दिया गया है ताकि गांवों और शहरों में इस असन्तुलन को कम किया जा सके। चौथी योजना में स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर लगभग ३६३.६१ करोड़ रुपए खर्च होंगे। पांचवीं योजना में स्वास्थ्य योजना पर ६६० करोड़ रुपए की रकम खर्च करने का विचार है। पांचवीं योजना की विशेषता यह है कि इसमें हैल्थ सेक्टर में मिनिमम नीड्स प्रोग्राम रखा गया है जो इस प्रकार होगा —

(क) लगभग ८० हजार से १ लाख तक की आबादी वाले हर ब्लाक में एक प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र।

(ख) हर १० हजार आबादी के पीछे एक उपकेन्द्र।

(ग) हर पांच प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से एक का दर्जा बढ़ा कर उसे तीस पलंगों वाला अस्पताल बनाना।

(घ) हर प्राइमरी हैल्थ सेंटरों में १२ हजार रुपये तथा हर सब सेंटर में २ हजार रुपये की कीमत की दवाइयों का इंतजाम करना और

(ङ) प्राइमरी हैल्थ सेंटरों, सब सेंटरों और उनमें स्टाफ क्वार्टर बनाने में जो कमी रह गई है उसे पूरा करना।

हमारे पास गांवों में लगभग ५,२०० प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और २८,४४० उप केन्द्र हैं। पांचवीं योजना में हम यह देखना है कि इन प्राइमरी हैल्थ सेंटरों में २ २ डाक्टर और उनके साथ दूसरा पूरा स्टाफ तैनात कर दिया जाए। इस समय इन सब-सेंटरों में केवल १ १ सहायक नर्स मिडवाइफ है। पांचवीं योजना के लिए सरकार यह विचार कर रही है कि हर सब सेंटर को २ मल्टी-परपज वर्करों का एक सेट जिसमें एक स्त्री और एक पुरुष हों, दे दिया जाए।

इस समय मलेरिया चेचक, टी बी बी डी फाइलेरिया कुष्ठ ट्रेकोमा, हैजा और परिवार नियोजन जैसे अधिकतर केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम अलग अलग स्वतन्त्र कार्यक्रमों के रूप में बने हुए हैं और इन कार्यक्रमों में हर एक में अलग अलग स्टाफ है। पांचवीं योजना के दौरान मलेरिया ट्रेकोमा, चेचक और परिवार नियोजन कार्यक्रमों में काम कर रहे स्टाफ को एक साथ मिला देने का विचार है। फील्ड लेवल पर मल्टी पर्पज वर्कर होगा जो लोगों को मिली-जुली स्वास्थ्य सेवाएं देगा।

चुने हुए लगभग १२५३ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के तीस पलंगों वाले देहाती अस्पताल बन जाने से गांवों के लोगों को उनके दरवाजे पर ही अस्पताल की सुविधाएं मिल जाएंगी। इन अस्पतालों के पास सर्जरी और दूसरे महत्वपूर्ण विभागों के लिए खास-खास किस्म का अधिकांश डाक्टरी साज सामान रहेगा।

: १४ :

परिवहन तथा पर्यटन

वायु परिवहन

पिछले २५ वर्षों म विनान और टेक्नालाजी के क्षेत्र म बहुत अधिक प्रगति हुई है। लेकिन वायु परिवहन के क्षेत्र म जो असाधारण विकास हुआ है वह कहीं बढ चढ कर है। अनुमान है १९७२ म ३ ११६ २४५ लोगो न हवाई जहाज स यात्रा की। यह विश्व की कुल जनसंख्या का १०वा भाग है।

भारत म १९५३ मे विमान परिवहन सेवाओ के राष्ट्रीयकरण से नवर उडान के किलोमीटर दुगने से भी अधिक हो गय ह और वहन किय गये यात्रियो म छ गुना से भी अधिक वृद्धि हुई है। इण्डियन एयर लाइन्स और एयर इण्डिया इन दोनो कारपोरेशनो द्वारा प्रस्तुत की गयी वहन क्षमता पिछले १२ वर्षों म तिगुने से भी अधिक हो गयी है अर्थात १९५९ म १ ९७ ७५८ हजार टन किलोमीटर से बढकर १९७२ म अनुमानत ८ ३८ ०८८ हजार टन किलोमीटर हो गयी।

एअर इंडिया और इंडियन एअर लाइन्स का विमान बेडा

३१ दिसम्बर १९७२ के अंत म एअर इण्डिया के विमान बेडे म ९ बोइंग ७०७ जेट विमान तथा चार बोइंग ७४७ जम्बो जेट विमान थ। यह भारत इंगलैंड अमरीका माग पर दो जम्बो जेट चला रही है। अब अन्तर्राष्ट्रीय एअर लाइनो से एअर इण्डिया पूणरूप से बराबरी कर सकती है।

दिसम्बर १९७२ के अंत म इण्डियन एअर लाइन्स क विमान बेडे म ७ डकोटा ६ वाइकाउंट ९ फोकर फ्रेंडशिप ७ कारवेल १० एच० एम० ७४८ विमान तथा ७ बोइंग ७३७ विमान थे। अन्तर्देशीय यात्रियो की संख्या २२ लाख से भी अधिक हो जाने के कारण इण्डियन एअर लाइन्स न आरक्षण के लिए कम्प्यूटर प्रणाली अपनाई है।

अनुसूचित विमान परिवहन

इन दोनो कारपोरेशनो के अतिरिक्त १९ फ्लाइंग क्लबो १० विमान परिचालको के पास, ३१ दिसम्बर १९७२ तक अनुसूचित विमान सेवाओ के परिचालन के लिए परमिट थे।

वर्ष १९७२ के दौरान अनुसूचित परिचालनो पर पिछले वष क उडान क मुकाबले लगभग १३७ ७७२ घटा और ६३ ६८१ हजार किलोमीटरो की उडान की गई।

फ्लाइंग क्लब

३१ दिसम्बर १९७२ को भारत म २५ उपादान प्राप्त फ्लाइंग क्लब थ। इस वर्ष इन फ्लाइंग क्लबों न कुल ३४ १७१ घटा की उडान की तथा फ्लाइंग क्लबो को उपादान एव

अनुसूचित विमान सेवाओं के विकास का रुख

वर्ष	उड़ान के घंटे	उड़ान किलोमीटरों में	वाहित यात्री	वाहित माल (टनों में)	वाहित डाक (टनों में)	उपलब्ध क्षमता (टन किलोमीटर)	उड़ान राजस्व (टन किलोमीटर)
१९५९	१११ ३६७	६ ८१७	७३६ १६०	३३ ५०४	६ ८२५	१६७ ७५८	१२५ २७७
१९६०	१३३ ६४८	४१ ४२८	८५५,२०३	३८ २०६	[illegible] ८१७	२४२ ८६६	१४६ ०६७
१९६१	१२८ ४५०	४४ ३८०	९७३ ६४१	४० ०७०	[illegible] ५३४	३१३ ६६४	१७० २४६
१९६२	१३१ ७०५	४८ २०८	१ ०३२ ६०७	३७ ७०८	८ १५८	३५८ १२७	१६१ ७३७
१९६३	१२६ ३०५	४६ ६०४	१ १०६ ३३०	३७ ७४६	६ १०१	३६६ ६३३	२२० २६०
१९६४	१२६ ५५२	४६ ०२४	१ ३८८ ७५३	३२ ५१६	६ ६७७	४४६ ७२५	२५४,६०७
१९६५	१२० ६४२	४७ ६८६	१ ४१४ ७८४	२६ ३३४	१० ५२४	४६५ ५८५	२६२ ०६५
१९६६	१२८ २५७	४६ ७८२	१ ५४८ ६१६	२१ २५६	१० ५१२	४७६ ५६६	२७२ २०५
१९६७	१३१ १४८	४६ ०८७	१ ८२६ ४८६	२३ ६६३	११,१८५	५६०,६०६	३१६ ५०७
१९६८	१३८ ४२५	६० ०४७	२ १०८ २२६	२५ ३६४	११ ६६१	६३६ ३४६	३५३ २६३
१९६९	१५० ४८३	६६ ५५६	२ ४६० ४०६	३१ ६१५	१२ १६२	७०२,२१६	४०८,०८७
१९७०	१४७ ७२८	६५ ६६१	२ ६७१ ६००	३२ ६३७	११ ८६६	७०६ २३०	४३८ ६८८
१९७१	१२६ ६१४	५६ ३४८	२ ५४६,८६४	३३ ५३३	११ ६६२	७६७ ४१०	४५० ८८३
*१९७२	१३७ ७७२	६३ ६८१	३ १५६ २६५	३६ ४४५	१४,६३१	८३८ ०८८	४८४,६७१

*प्राक्कलित

आर्थिक सहायता क रूप मे १६,३४ ५४७ रुपये प्रदान किय गये।

ग्लाइडिंग क्लब

सरकारी ग्लाइडिंग केन्द्र के भारत म १३ उपादान प्राप्त ग्लाइडिंग क्लब है। इस वर्ष (७२ ७३) इन क्लबो ने २५०३६ उडान की और इन्हें उपादान एव आर्थिक सहायता के रूप म ८,०१ ३०० रु० प्रदान किए गए।

असैनिक हवाई अड्डे

असैनिक उड्डयन विभाग के आधीन ८५ हवाई अड्डे है। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता एव मद्रास म अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं।

अतराष्ट्रीय हवाई अड्डा के प्रबन्ध के लिए ७० करोड रुपये की व्यवस्था की गई है। बम्बइ, कलकत्ता दिल्ली और मद्रास क हवाई अड्डा पर आवश्यक प्रबन्ध कार्यों के लिए भारतीय अन्तराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण' स्थापित करने का प्रस्ताव लाक सभा न पारित कर दिया है। सरकार की अनुमति से यह प्राधिकरण अन्य ऐसे हवाई अड्डा का प्रबध भी कर सकेगा जहा से अतर्राष्टीय विमान सेवाए गुजरती हो। अन्य हवाई अड्डा के सुधार क लिए ११५ करोड रुपये की राशि निश्चित की गयी है। यह राशि १९५१ से १९६९ तक के १८ वर्षो म खर्च की गई राशि के बराबर है।

महत्वपूर्ण विकास

वायुयानो के क्षेत्र म आत्मनिभर बनने की दिशा मे तेजी स काय हो रहा है। महत्वपूण शिल्पीय परिवतन किए जा रहे है। इण्डियन एयर लाइन्स न देश के भीतर विमान यात्रा के लिये बोइग ७३७ विमाना का बेडा बनाया है।

अतर्राष्टीय हवाई अड्डा पर राडार यन्त्र लगाए गए और यान उतारने के लिए केटेगरी ११ यत्र लगाए गए।

दुर्घटनाए

वर्ष १९७२ के दौरान ४६ बडी दुघटनाए हुइ जिनमे भारत म पजीकृत ४४ विमान और विदेशा म पजीकृत २ विमान ग्रस्त हुये जिनके परिणामस्वरूप ६ विमानकर्मी दल के सदस्या की तथा १८ यात्रिया की मत्यु हुई।

मोहन कुमारमगलम की मृत्यु

वर्ष १९७३ के अन्तगत चार बडी विमान दुघटनाए हुइ। एक जापानी विमान क दिल्ली म दुघटनाग्रस्त हो जाने मे काफी व्यक्तियो की जान गइ।

३१ मइ १९७३ का दिल्ली म हुई एक भीषण विमान दुघटना म केन्द्रीय इस्पात मन्त्री श्री मोहन कुमारमगलम मजदूर नेता श्री सतीश लुम्बा तथा अन्य ४६ व्यक्तियो की मत्यु हो गयी।

१९ सितम्बर १९७३ को रात को पश्चिमी जमनी का बोइग ७०७ दिल्ली म दुघटना-ग्रस्त होकर नष्ट हो गया किन्तु सभी यात्री बच गये।

रेल

भारतीय रेलवे का विस्तार की दृष्टि से ससार म दूसरा स्थान है। रेलगाडिया से

प्रतिदिन ६० लाख व्यक्ति यात्रा करते हैं तथा माड़े पांच लाख मीट्रिक टन से अधिक माल ढोया जाता है। देश में ८ हजार से भी अधिक रेलवे स्टेशन हैं जिन पर प्रतिदिन लगभग १० हजार रेलगाड़ियां चल रही हैं। रेलवे को प्रतिवर्ष ८ अरब करोड़ रुपए की आय होती है।

भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी १६ अप्रैल १८५३ को बम्बई से थाना तक ३२ किलोमीटर चली। इसके बाद तेजी से देश में लाइनों का जाल बिछाया गया। भारत में तीन किस्म की रेलवे है—ब्राड गेज मीटर गेज एवं नैरो गेज। अधिकांश रेलवे ब्रॉड गेज ५ फुट ६ इंच चौड़ी हैं।

रेल क्षेत्र भारत की ३७ रेल प्रणालियाँ ९ रेल क्षेत्रों में विभक्त हैं (१) उत्तर क्षेत्र सीमान्त (मुख्यालय—दिल्ली), (२) उत्तर पूर्व क्षेत्र (मुख्यालय—गोरखपुर) (३) उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र (मुख्यालय—मालीगांव—गोहाटी) (४) पश्चिम क्षेत्र (मुख्यालय—बम्बई) (५) पूर्वी क्षेत्र (मुख्यालय—कलकत्ता) (६) मध्य क्षेत्र (मुख्यालय—बम्बई) (७) दक्षिण क्षेत्र (मुख्यालय—मद्रास) (८) दक्षिण-पूर्व क्षेत्र (मुख्यालय—कलकत्ता) तथा (९) दक्षिण मध्य क्षेत्र (मुख्यालय—सिकन्दराबाद आंध्र)।

चौथी योजना (१९६९ ७० से १९७२ ७३) रेलवे की चौथी योजना के बुनियादी उद्देश्य इस प्रकार हैं

१ योजना अवधि में प्रत्याशित माल और सवारी यातायात के लिए पूरी व्यवस्था करना और

२ धन की उपलब्धता को देखते हुए उपस्कर और काम करने की परिपाटी के सम्बन्ध में रेल प्रणाली को अधिकाधिक आधुनिक बनाना ताकि परिवहन तन्त्र की कार्य कुशलता बढ़ाई जा सके और लागत को कम किया जा सके।

चौथी योजना में रेलवे का परिव्यय

(करोड़ रुपये)

	योजना परिव्यय	मूल्य ह्रास निधि से	कुल
रेल डिब्बे	३९७	२२३	६२०
कार्यशालाएं	२८	२	३०
मशीनरी तथा सयन्त्र	७	८	१५
पथ नवीकरण	—	२००	२००
पुल का काम	८	२०	२८
लाइन क्षमता काम	२७५	४०	३१५
सङ्केत-व्यवस्था तथा सुरक्षा	२७	१३	४०
बिजलीकरण	८१	१	८२
अन्य बिजली काम	४	८	१२
नई लाइनें	८३	—	८३
कर्मचारियों का कल्याण	१३	२	१५
कर्मचारियों के लिए क्वाटर	२७	३	३०
उपयोगकर्त्ताओं की सुविधाएं	२०	—	२०

अन्य निर्दिष्ट काय	५	५	१०
सडक काय	१०	—	१०
तालिका	१५	—	१५
महानगरीय परिवहन	५०	—	५०
	१०५०	५२५	१५७५

१९७३ ७४ म प्रारम्भिक माल यातायात लगभग २६४७ लाख मीटरिक टन होगा जबकि १९७२ ७३ म २ लाख ५५ हजार मीटरिक टन था। अन अधिक विकास वाल क्षेत्र तथा अधिक यानायात क्षमता वाले क्षेत्रा म मीटर लाइन का वडी लाइन म बदलन के काय क्रम म तजी की जायेगी।

उपयुक्त कायक्रम म गर उप नगरीय सेवाओ के निय सवारी गाडी किलामीटर म लगभग २० प्रतिशत वद्धि करने का लक्ष्य है। उप-नगरीय तथा अन्य कार्चिग यातायात म प्रत्याशित वद्धि क लिए भी व्यवस्था की गई है। बम्बई कलकत्ता, मद्रास तथा दिल्ली इन महानगरो म पर्याप्त परिवहन सुविधाओ की व्यवस्था करन के लिए ५० करोड रुपये की व्यवस्था की गई है। चौथी योजना म रलवे विकास कायक्रम क १०५० करोड रुपये क परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इसम रेलवे के मूल्य ह्रास आरक्षित निधि स व्यय हाने वाला ५२५ करोड रुपये की राशि सम्मिलित नही है।

विद्युत चालित रेलें

अब तक ३९२८ किलोमीटर माग के लिए बिजली की रेल चलाई गई है। इसके अलावा १७०० किलामीटर माग के लिए स्वीकृति मिल चुकी है। इस समय टूडला स दिल्ली विरार म साबरमती पासकुरा से हल्दिया किरणबूल से वाल्टेयर और मद्रास से विजयवाडा क माग पर काय चल रहा है।

रेल मत्रालय की यह नीति है कि कलकत्ता दिल्ली बम्बई और मद्रास जसे महा नगरो को जोडने वाले सभी प्रमुख मार्गों पर विद्युत चालित रेलें चलाई जाए क्योकि इन मार्गों पर काफी यातायात रहता है।

बम्बई कलकत्ता और मद्रास के उपनगरा म यातायात क लिए बिजली की गाडिया चलाई जा रही हैं। इनकी गति काफी तज हाती है और दोना दिशाओ म चालक कोष्ठ हाते हैं। बिजली की गाडी म इजन वाले डिब्बे म भी यात्रिया के लिए स्थान होता है। इस *प्रकार ये गाडिया काफी सवारिया ढोती हैं।*

बिजली के इजिन और यात्री तथा माल डिब्बे अब देश म ही तैयार किये जात है। नाना प्रकार के इजिन डी सी और ए सी —दोनो प्रकार की बिजली वाले क्षेत्रो मे चलाये जा सकत है। दाना प्रकार की बिजली मे चलने वाला एक इजिन चित्तरजन के इजिन बनान क कारखान म बनाया जा रहा है।

ए सी बिजली वाले इजिन पहले शुरू म बाहर से मगाए गए थ। परन्तु अब चित्तरजन कारखान म य बनन लग गए है। इस समय चल रहे ५२९ ए-सी और १०६ डी-सी बिजली वाल इजिना म से २३९ इजिन बाहर से मगाए गए हैं। इनमे से पाच इजिन पुर्जे जोडकर भारत म ही तयार किये गय हैं। शष २९० ए सी इजिन देश मे ही तयार किये गये हैं।

चौथी योजना के अन्तर्गत डीजलीकरण कार्यक्रम १६,२०० मार्ग किलोमीटर से लगभग २२,००० मार्ग किलोमीटर तक फैलाने का विचार है। विद्युतीकरण कार्यक्रम २,६०० मार्ग किलोमीटर से लगभग ४,००० मार्ग किलोमीटर तक फैलाने का लक्ष्य है। अधिक घने व्यस्त मार्गों का विद्युतीकरण या डीजलीकरण किये जाने का प्रस्ताव है। चौथी योजना में दीर्घकालीन कार्यक्रम के रूप में १,५०० किलोमीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्यक्रम भी है। १,[illegible]०० किलोमीटर तक दुहरी लाइन बिछाने का भी लक्ष्य है।

तेज चलने वाली गाड़ियाँ १९६९ से दिल्ली हावड़ा के बीच राजधानी एक्सप्रेस चालू की गई है। यह भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी है जिसकी रफ्तार १२० किलोमीटर प्रति घण्टा है। आगामी वर्ष १६० किलोमीटर प्रति घण्टा की रफ्तार से गाड़ी चलाने का है। दिल्ली बम्बई के बीच राजधानी एक्सप्रेस चलाई गई है। भारत की तेज चलने वाली प्रसिद्ध रेलगाड़ियों में दक्कन क्वीन, फ्लाइंग क्वीन, दिल्ली मद्रास ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस, फ्रन्टियर मेल, ताज एक्सप्रेस आदि प्रमुख है।

सन १९७३ के दौरान १०० किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक तेज रफ्तार से चलने वाली रेलगाड़ियों के लिए प्रमुख रेल मार्गों पर १५ हजार किलोमीटर रेल पटरियों में सुधार किया गया है। इससे दिल्ली हावड़ा तथा नई दिल्ली बम्बई राजधानी गाड़ियाँ क्रमशः १३० तथा १२० किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगी। कुछ मेल तथा एक्सप्रेस गाड़ियाँ भी १०० से ११० किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है।

छोटी लाइन पर चलने वाली गाड़ियों की वर्तमान ७५ किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को १०० किलोमीटर तक बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे है।

तेज गति की रेलगाड़ियों के लिए प्रमुख रेल पथों में सुधार ट्रैक रिकार्डिंग कार की सहायता से किया जा रहा है। इन कारों का निर्माण भारतीय रेल द्वारा स्वयं किया जा रहा है।

१६० किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार वाली गाड़ियों तथा पटरियों में गड़बड़ी तथा कमियों का पता लगाने के लिए उपकरण मंगाए जा रहे हैं।

पूना स्थित ट्रैक टेक्नालाजी उच्च संस्थान में रेल इंजीनियरों को तेज गति से रेल गाड़ियाँ चलाने तथा रेलमार्गों का आधुनिकीकरण करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। रेल इंजीनियरों को रेल मार्ग टेक्नालाजी की नवीनतम गतिविधियों के अनुसार ६० हजार किलोमीटर से अधिक लम्बे रेल मार्गों का रख रखाव करना होता है।

खतरे की जंजीर [illegible] की सवारी गाड़ियों में खतरे की जंजीर का दुरुपयोग रोकने के लिए [illegible] उपकरण बनाया जाएगा।

इस उपकरण से ड्राइवर को पता चल जाएगा कि खतरे की जंजीर खींची गई है। [illegible] ४० से ५० सेकण्ड के बाद ब्रेक पर इसका असर [illegible] हो जाएगा। [illegible] गाड़ी चला सकता है।

भारत [illegible] अनुसंधान [illegible] और मानक संगठन ने यह उपकरण बनाया है। [illegible] इस समय [illegible] इसका [illegible] पर इसका [illegible] बिजली [illegible] में चलने वाली रेलगाड़ियों पर इसका [illegible]।

[illegible] और [illegible] कारखानों के [illegible]

द्वारा खतरे की जजीर का दुरुपयोग किए जाने से रेलगाडियो के आन जाने म असाधारण विलम्ब होता है।

१९७३ वर्ष के पहले छह महीना म खतरे की जजीर खीचे जाने की १,४१,००० घटनाए हुई थी, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि म ऐसी ६६१६३ घटनाए हुई थी।

मृतको को मुआवजा

नवम्बर १९७३ म ससद द्वारा एक विधेयक पारित किया गया है जिसके अनुसार रेल दुर्घटना का शिकार होनेवाले व्यक्तियो को देय क्षतिपूर्ति की राशि २०,००० रुपये से बढाकर ५०,००० रुपये कर देने के लिए भारतीय रेल अधिनियम म सशोधन कर दिया गया है।

हडतालो से भारी क्षति

पिछले एक वर्ष के दौरान हडतालो और दुर्घटनाओ के कारण रेलो को लगभग १३०० करोड रुपये की हानि होने का अनुमान है। इसम से ८७५ करोड रुपये की हानि अगस्त, १९७३ को लोको रनिंग कर्मचारियो की हडताल के कारण हुई।

रेल इजन तथा सवारी डिब्बे रेल इजनो तथा डिब्बो के निर्माण म चितरजन का रेल इजन कारखाना, वाराणसी का डीजल रेल इजन कारखाना तथा पेरम्बूर (मद्रास) का जोडहीन सवारी डिब्बा कारखाना निरतर प्रगति कर रहे हैं। चितरजन के कारखाने म प्रतिवर्ष भाप से चलने वाले २०० इजन तैयार होते हैं। इसी कारखाने म सन १९६१ से बिजली से चलने वाले इजनो का निर्माण प्रारम्भ हुआ। अब तक लगभग २०० इजन बन चुके हैं। वाराणसी के डीजल इजन कारखाने म आयात किये गये पुर्जों को जोडकर इजन बनाये जाते हैं। इस कारखाने का लक्ष्य २५० इजन प्रति वर्ष बनाने का है। सरकारी सहायता प्राप्त टाटा इजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव वर्क्स म मीटर लाइन के ६५ इजन प्रति वर्ष बनाये जाते है। रेलो की माल डिब्बो सम्बन्धी आवश्यकता अधिकाशत गैर-सरकारी क्षेत्र के उत्पादन से पूरी होती है जिसकी वर्तमान वार्षिक क्षमता लगभग २ हजार माल डिब्बो की है।

रेल यान

रेल इजन वाष्प १०,०४६ डीजल ६६६ विद्युत ५१३ कुल ११,५५४।

रेल डिब्बे सवारी ३२७०७ विद्युत चालित १,८६३ माल (चार पहिया वाले) ३,८४,१८६।

शाहदरा सहारनपुर के बीच बडी लाइन प्रधानमत्री श्रीमती इदिरा गाधी ने २ अक्तूबर १९७३ को शाहदरा और सहारनपुर के बीच नई रेल लाइन के निर्माण काय का उदघाटन किया।

उत्तर प्रदेश म उत्तरी रेलवे की १६१ किलोमीटर की इस बडी लाइन पर १७ करोड ४२ लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। इस परियोजना के १९७८-७९ तक पूरी होने की आशा है। इस मार्ग पर कुल ३० स्टेशन होगे तथा प्रतिदिन १५ यात्री व मालगाडिया चलाई जायेंगी।

पांचवीं योजना में रेल

भारतीय रेलो का १९७८-७९ म भी अपना उत्तरदायित्व निभाने म समर्थ बनाये

रखने के उद्देश्य से पाचवा योजना म रेलो के लिए २३५० करोड रुपय की व्यवस्था की गई है। आशा है कि योजना के अन्तिम वर्षों म रेलो को ३० करोड टन भार वहन करना होगा।

पाचवी योजनावधि म रेलो म यात्रियो की सख्या म प्रतिवर्ष ४ प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान है। इसके अतिरिक्त चार महानगरो म महानगरीय रेल यातायात व्यवस्था के लिए २०० करोड रुपये की व्यवस्था की गई है।

प्रस्तावित वित्तीय व्यवस्था म से ६८ प्रतिशत राशि रेल लाइनें डालने और नई रेल लाइन बिछाने तथा पहिये आदि खरीदने पर व्यय की जायगी। पहिये रेल डिब्बे आदि खरीदने के लिये ६०० करोड रुपये और रेल लाइनो के विस्तार के लिए ५०० करोड रुपए की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

पाचवी योजनावधि म माल तथा यात्री यातायात वहन म रेलो को समर्थ बनाने के लिए १३०० रेल इजन १ लाख माल डिब्बे लगभग ७५०० यात्री डिब्बे १०५० बिजली यूनिटें तथा पचास रेल कार और प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

पाचवी योजना के दौरान १८०० किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है। रेल लाइन और पुल मजबूत किये जाएगे जिससे कि भारी सामान ढोने वाली मालगाडिया उनसे होकर गुजर सके। पाचवी योजना म पुलो के लिए ६० करोड रुपए की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। मशीनो आदि के लिए ८० करोड रुपये और सिगनल तथा सुरक्षा सबधी प्रबन्ध के लिए ११० करोड रुपये की व्यवस्था है।

रेल कर्मचारियो के लिए मकान बनाने के लिए ४० करोड रुपए तथा कर्मचारी कल्याण के लिए २० करोड रुपए की व्यवस्था की गई है।

कलकत्ता बम्बई दिल्ली और मद्रास म महानगरीय रेल परियोजना के लिए तथा अहमदाबाद बगलौर हैदराबाद सिकन्दराबाद कानपुर तथा पूना म द्रुतगामी परिवहन व्यवस्था के अध्ययन के लिए २०० करोड रुपए की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। रेलो के लिए ३३० करोड रुपये की विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा यात्रियो की सुविधाओ पर खर्च के लिए २० करोड रुपये की व्यवस्था की गई है।

सडक परिवहन

देश के आर्थिक विकास और प्रगति के लिए सडको का अच्छा होना अत्यावश्यक है। देश म इस समय ८ ३१ लाख किलोमीटर सडकें है। इसके अलावा सामुदायिक विकास आदि द्वारा निर्मित लगभग ५ लाख किलोमीटर कच्ची सडक भी है। स्वतत्रता के बाद गत २५ वर्षों म सडक विकास म हुई भारी प्रगति के बावजूद भी सडक व्यवस्था अभी अपूर्ण है।

केन्द्रीय क्षेत्र की सडको पर पाचवी योजना म सडक विकास पर १ ५३७ करोड ६० व्यय किए जायगे। इसम १२०० करोड रुपये की वह राशि भी शामिल है जो उच्च प्राथमिकता वाली योजनाओ पर व्यय की जायगी।

पाचवी योजना म ७८०० कि० मी० सडको को चार हिस्सो म बाटा जाएगा। साथ ही समस्त २८००० किलोमीटर लम्बे राजमार्गों को इतना चौडा किया जाएगा कि उनमे दो-दो गाडिया एक साथ आ जा सके।

मोटर गाडिया भारत के स्वाधीन होने के समय देश म कुल २ ११ ६८६ मोटर

गाडिया, जिनमे मोटर साइकिलें ग्राटो रिक्शा, प्राइवेट कारें, जीपें, सार्वजनिक मोटर गाडिया ट्रक ग्रादि शामिल थी। जबकि इस समय देश मे लगभग १४ लाख मोटर गाडिया है। इनमे से बस और ट्रक लगभग ४ लाख है। देश मे मोटर गाडिया बनाने के उद्योग ने तेजी से प्रगति की है।

सडक निर्माण कार्य पाचवी योजना अवधि मे सडक विकास कार्यक्रम पर १७ अरब ६८ करोड रुपये व्यय किए जाएगे। इसमे से ७ अरब १८ करोड रुपये केन्द्रीय क्षेत्र मे और शेष राज्यो तथा सघशासित क्षेत्र मे व्यय किए जाएगे।

केन्द्रीय क्षेत्र की राशि से दिल्ली परिवहन निगम २००० बसें खरीद सकेगा। इनमे से ७५० बस पुरानी बसो की बदली के लिए आवश्यक होगी।

राज्यो को प्रावटित राशि मे से यह सभव होगा कि १९७३ ७४ के अन्त तक साढे चार लाख किलोमीटर सडको के स्थान पर पाचवी योजना के अन्त तक ५ लाख किलोमीटर सडक बनाई जा सके। नई बनने वाली सडको मे से अधिकाश ग्रामीण क्षेत्रो मे बनाई जाएगी।

नई सडकें १९७२ ७३ के दौरान देश मे ७७ हजार किलोमीटर लम्बी नई सडके बनाई गइ। इन्हें मिलाकर सडको की कुल लम्बाई १३ ३१ लाख किलोमीटर हो गई है। इसमे राज्य लोक निर्माण विभागो, स्थानीय सगठनो तथा सामुदायिक विकास खडो के अन्तर्गत बनाई गई सडक भी शामिल है।

जलमार्ग परिवहन

जलमार्गो मे गगा ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदिया गोदावरी, कृष्णा तथा उनकी सहायक नहरें आन्ध्र केरल उडीसा आदि की नहरें उल्लेखनीय हैं। देश भर मे नौका परिवहन योग्य जलमार्गो की लम्बाई लगभग १५ हजार किलोमीटर है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो के सहयोग से गगा ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियो के जल परिवहन के विकास के लिए १९५२ मे गगा-ब्रह्मपुत्र जल परिवहन मडल की स्थापना की गई थी। मडल को १९६७ मे अन्तर्देशीय जल परिवहन के निदेशालय मे मिला दिया गया है। लगभग ढाई हजार किलोमीटर लम्बी नदियो मे यत्रचालित छोटी नौकाए तथा ८७०० किलोमीटर लम्बे नदी मार्गो मे बडी नौकाए चल सकती है।

अन्तर्देशीय जल परिवहन का विकास सविधान के अनुसार जल परिवहन राज्यो का विषय है अत इसका विकास इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य सरकारें इनमे कितनी रुचि लेती है।

भारत मे अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास की पर्याप्त सम्भावनाए है। आवागमन का यह सबसे प्राचीन सस्ता और उपयोगी साधन है। मूल्यो को स्थिर रखने के लिए और माल भाडे को कम करने के लिए सरकार की परिवहन नीति मे जल परिवहन पर भी उचित ध्यान दिया गया है। इसके विकास से इसके द्वारा ढोए जाने वाले माल के भाडे की दर कम की जा सकेगी।

गोग्रा केरल और आन्ध्र प्रदेश मे कई ऐसे क्षेत्र है जहा अन्तर्देशीय जल परिवहन का पर्याप्त विकास किया जा सकता है और यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। गोग्रा मे प्रतिवर्ष लगभग ८० लाख टन लोह अयस्क खानो से मुरगाव बन्दरगाह तक जल मार्ग से

ढोया जाता है। केरल म जलमार्गों से लगभग १५ लाख यात्री प्रतिवर्ष यात्रा करते हैं और २० लाख टन माल ढोना जाता है। आंध्र प्रदेश म कृष्णा और गोदावरी की नहरा तथा तमिलनाडु म बकिंघम नहर म जल परिवहन की सुविधायें मौजूद ह। गगा नदी म भी अतर्देशीय जल परिवहन क विकास की पर्याप्त सम्भावनाए ह।

जहाजो का आधुनिकीकरण

अन्तर्देशीय जल परिवहन का परा फायदा उठाने क लिए जहाजा का आधुनिकीकरण आवश्यक है। हमारे अधिकाश जलमार्ग उथले ह और उनसे जहाज नही चलाए जा सकते। इसक लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न जलमार्गों का चरणबद्ध विकास करने के लिए काय क्रम प्रारम्भ किए जाए। नौकामा और नौकाओ म नये मान की क्षतिपूर्ति के लिए काम की व्यवस्था स जल परिवहन का बढ़ावा मिलगा। राज्य सरकारा को तकनीकी सलाह देने और विभिन्न राज्या क इस सगठना म समन्वय बनाए रखने के लिए केन्द्र ने केन्द्रीय अतर्देशीय परिवहन सगठन का स्थापना की ह।

बन्दरगाह भारत म जहा मुख्य ८ बन्दरगाह हैं वहा समुद्र तट पर लगभग २२५ छोटे बन्दरगाह हैं। बड बन्दरगाह कलकत्ता काण्डला बम्बई मद्रास मारमागो तथा विशाखापट्टनम म है।

१९७१ ७२ म बडे बन्दरगाहा म परिवहन ५६२ लाख मीट्रिक टन था जिसक १९७३ ७४ म ६०० लाख मीट्रिक टन हो जान का आशा है।

चौथी योजना म जलयाना क अजन क लिए १२५ करोड रुपए की व्यवस्था की गई है। चौथी योजना क अत तक नौ परिवहन टन भार लगभग ३५ लाख कुल पजीकृत टन भार तक पहुचने का अनुमान है।

जहाजरानी निगम निगम क पास विभिन्न प्रकार क ५२ जहाज हैं। निगम की सहायक कम्पनी मुगल लाइन लि० क पास हज यात्रियो क लिए ३ सवारी मान जहाज तथा एक टकर है। सरकारी क्षेत्र की कम्पनिया क अतिरिक्त ३० अन्य जहाजरानी कम्पनिया देश म कायरत हैं।

पाचवीं योजना मे जहाजरानी

पाचवी पचवर्षीय योजना म १९७८ ७९ तक भारतीय जहाजरानी की कुल टनार्ज क्षमता ८९ लाख टन तक हो जान का आशा है। पाचवी योजना म जहाज खरीदने क लिए जहाजरानी विकास निगम समिति को २ अरब ४३ करोड रुपए दिए जाएग। इसक अलावा प्रशिक्षण सुविधाओ क विस्तार और नाविका क कल्याण कायक्रमा क लिए ८ करोड रु० की व्यवस्था है।

प्रमुख बन्दरगाहो क विकास क लिए अरब ८ करोड रुपय का व्यवस्था का गयी है। छोट बन्दरगाहा क विकास क लिए ४४ करोड रुपय व्यय किए जाएग।

पयटन

पयटन विदेशी मुद्रा अर्जित करन तथा अन्तर्राष्ट्रीय सौहार्द उत्पन्न करन का एक प्रमुख साधन माना गया है। पयटन भारत का एक लाभदायक उद्योग है। स्वाधीनता क

बाद से भारत के पर्यटन में भारी अभिवृद्धि हुई है। पर्यटन उद्योग के विकास के लिए टूरिस्ट ट्रैफिक ब्रांच की स्थापना की गई। दिल्ली बम्बई कलकत्ता व मद्रास में प्रादेशिक पर्यटन कार्यालय हैं तथा जयपुर आगरा जम्मू कोचीन, औरंगाबाद एवं वाराणसी में पर्यटन उप-कार्यालय है।

पर्यटन व्यवसाय पर्यटन संगठन का मुख्य उद्देश्य भारत में विदेशी पर्यटकों को अधिक मात्रा में आकर्षित करना है।

भारत में आने वाले पर्यटकों की संख्या में इस वर्ष वृद्धि हुई। गत वर्ष के २००६६५ पर्यटकों की तुलना में वर्ष १९७२ में ३४२ ६१० पर्यटक भारत आये और इस प्रकार १३ ६ प्रतिशत की वृद्धि रही।

देश तथा विदेशों में सफल प्रचार तथा जनसंपर्क कार्यक्रमों के कारण पर्यटकों की देश में पर्यटन सुविधाएं संबंधी मांग बढ़ी है।

१९७२ में पर्यटन विभाग तथा भारत पर्यटन विकास निगम ने देश में पर्यटन उद्योग के ढांचे को मजबूत बनाने के लिए अनेक प्रयास किये हैं।

केन्द्रीय क्षेत्र में पर्यटन के लिए २५ करोड़ रुपये की मूल योजना परिव्यय था—जिसमें १४ २२ करोड़ रुपये पर्यटन विभाग के लिए और १० ७७ करोड़ रुपये (योजना बनाने के पश्चात अशोक तथा जनपथ होटलों के लिए आवंटित २ करोड़ रुपये को छोड़कर) भारत पर्यटन विकास निगम के लिए रखे गए थे। योजना पर किए गए मध्यावधि विचार के अन्तर्गत १९७१ में विविध स्कीमों के लिए निधियों का पुनः आवंटन करना आवश्यक हो गया। कुछ स्कीमों को या तो स्थगित कर दिया गया या छोड़ दिया गया और इस प्रकार जिन निधियों से बचत हुई उन्हें अन्य योजनाओं तथा युवा होस्टलों वन्य-पशुशरण-स्थलों विविध स्थानों पर पर्यटक परिवहन की व्यवस्था और गुलमर्ग प्रायोजना के लिए स्थानांतरित कर दिया गया क्योंकि इन परियोजनाओं का पर्यटक आकर्षण से अधिक संबंधित पाया गया। योजना आयोग ने पर्यटन विभाग की योजनाओं के लिए ७८ करोड़ रुपए की अतिरिक्त निधियों की व्यवस्था के लिए स्वीकृति दे दी। इस प्रकार चौथी योजना के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में पर्यटन के लिए कुल योजनागत परिव्यय बढ़ा कर ३४८ करोड़ रुपए कर दिया गया।

विकास योजनाएं

समेकित विकास प्रायोजनाएं—भारत को लक्ष्य बना कर आने वाले पर्यटकों को अधिक संख्या में आकर्षित करने के उद्देश्य से तैयार की गई हैं क्योंकि हिमालय पर स्कीइंग करना एक बहुत बड़ा आकर्षण है और गुलमर्ग पहले ही एक लोकप्रिय ग्रीष्मकालीन विहार-स्थल है अतः इसे ग्रीष्म एवं शीत दोनों ही ऋतुओं के लिए उपयोगी विहार-स्थल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण समेकित विकास प्रायोजना हाथ में ले ली गयी है। परियोजना के अंग के रूप में यहां एक २००० मीटर लम्बे व्योमगामी रज्जुमार्ग लगाने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया है। स्कीइंग प्रशिक्षक स्कूल ने जिसने जनवरी १९६६ में कार्य प्रारंभ किया था स्कीइंग और पर्वतारोहण में १६ प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।

कोवालम का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समुद्रतटीय विहार-स्थल के रूप में विकास किया जा रहा है। ४० कुटीरें पूरी एवं चालू हो चुकी हैं तथा एक १०० कमरों वाला होटल, एक समुद्रतटीय सेवा केन्द्र एवं योग व मालिश केन्द्र और एक ओपन एयर थियेटर का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत एक समुद्रतटीय विहार स्थल विकास सर्वेक्षण दल और आगे विकास के लिए कोवालम का तथा गोवा और महाबलिपुरम के समुद्रतटों का सर्वेक्षण कर रहा है।

होटल

सरकार द्वारा दिए गये विभिन्न प्रोत्साहनों के परिणामस्वरूप होटल निवेश के क्षेत्र में जो रुचि उत्पन्न हुई है वह बराबर बनी रही और कई गैर-सरकारी संस्थाओं ने जो होटल क्षेत्र में पहली बार प्रविष्ट हो रही हैं होटल स्थापना करने के संबंध में विभाग से बराबर सम्पर्क बनाया हुआ है। विदेशी पर्यटकों के लिए उपयोगिता की दृष्टि से १९७२ में कुल ३६ नई होटल प्रायोजनाएं अनुमोदित की गईं। इनमें बहुत सी प्रायोजनाएं निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

पूर्व अनुमोदित योजनाएं प्रगतिशीलता के साथ पूरी की जा चुकी हैं और वर्तमान स्थिति यह है कि १०८ स्वीकृत होटल चल रहे हैं जिनमें १० ६७५ कक्षों की व्यवस्था है। ७५ नई प्रायोजनाओं के पूरा होते ही वर्तमान होटल आवास व्यवस्था में ६ ०७३ कक्षों की और वृद्धि हो जाएगी। ये नई प्रायोजनाएं बम्बई कलकत्ता दिल्ली मद्रास आगरा औरंगाबाद बंगलौर कोचीन चण्डीगढ़ हैदराबाद जयपुर खजुराहो लखनऊ पूना पटना श्रीनगर वाराणसी मंगलौर विजयवाड़ा भावनगर गोहाटी रामपुर जोरहाट राजामुन्द्री बड़ौदा मेरठ तिरुपति सिलीगुड़ी भरतपुर भुवनेश्वर गोवा इन्दौर खामम कर्नूल कुल्लू मनाली और ऋषिकेश में स्थित हैं।

इन प्रायोजनाओं में से कुछ निजी क्षेत्र में और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र में (भारत पर्यटन विकास निगम और एयर इंडिया की प्रायोजनाएं) पूरा हो जाने के बाद भी चौथी पंचवर्षीय योजना के अंत तक ५७१२ कक्षों की कमी रहेगी जबकि उस वर्ष ८०० ००० पर्यटकों के आगमन की आशा है।

विदेशी पर्यटकों की बढ़ती संख्या तथा उनसे अर्जित विदेशी मुद्रा

	आगमन	प्रतिशत वृद्धि	रु० करोड़ में
१९६७	१७९ ५६५	१२ ५	२५ २
१९६८	१८८ ८२०	५ २	२६ ४
१९६९	२४४ ७२४	२९ ६	३३ १
१९७०	२८० ८२१	१४ ८	३८ ०
१९७१	३०० ९९५	७ २	४० ४
१९७२	३४२ ९५०	१३ ९	४८ ३
१९७३*	४०० ०००	१६ ६	५७ ०

* अनुमानित

डाक-तार, संचार

डाक-तार विभाग भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी संस्थान है। डाक तार टेलीफोन तथा बेतार संचार सेवाओं के विकास अनुरक्षण तथा विस्तार का दायित्व डाक तार बोर्ड पर है।

डाक सेवाएं

डाकघर दिसम्बर १९७२ के अन्त तक १७३८ नए डाकघर खोले गए परिणामत देश भर में डाकघरों की कुल संख्या १ १३ ७३२ हो गई। अन्त सीमा क्षेत्रों में रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए प्रति डाकघर २६०० रुपये तक का वार्षिक घाटा होने पर भी डाकघर खोले जा रहे हैं। छ रात्रि डाकघर भी खोले गये।

अन्य मुख्य कार्यक्रम

पत्रबम पत्र बमों द्वारा उत्पन्न भय से विभाग पूर्णतया सचेत रहा। बम्बई और पटियाला डाकघरों में इस प्रकार के दो पत्र बमों का विस्फोट हुआ। पत्र बमों का पता लगाने और उनका निपटान करने के लिए अट्ठाईस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है तथा सभी मंडलों में अन्य डाक-तार अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए उनकी सेवाओं का प्रयोग किया जा रहा है।

तृतीय एशियाई अंतर्राष्ट्रीय मेला, १९७२ विभाग ने तृतीय एशियाई अन्तर्राष्ट्रीय मेला १९७२ में भाग लिया। संचार स्टाल पर काफी भीड़ रही। इस अवसर पर दो स्मारक डाक टिकट निकाले गए।

पिनकोड १५ अगस्त १९७२ को डाक सूचक संख्या कोड चालू किया गया। यह छ अंकों का कोड है जिससे प्रत्येक विभागीय वितरण डाकघर का पता चलता है। इससे डाक छंटाई के लिए यह तैयार सूचना मिल जाती है कि डाक-वस्तु किस भाग पर जानी है। प्रथम अंक क्षेत्र को सूचित करता है दूसरा अंक उप-क्षेत्र को और प्रथम तीन अंकों को एक साथ लेने पर वे छंटाई जिले की सूचना मिलती है। अंतिम तीन अंक इस जिले द्वारा सेवा किए जाने वाले क्षेत्र में खास वितरण डाकघर को सूचित करते हैं।

एजेंसी कार्य दिसम्बर १९७२ के अन्त तक २१४०७ पालिसियों से ६.३ करोड़ रुपये की आय हुई। १ जून ७२ में गैर चिकित्सा बीमा की एक नई योजना डाक जीवन बीमा में चालू की गई।

बचत बैंक जमाकर्ता अब एक से अधिक बचत-बैंक खाते खोल सकते हैं। एक समिति

व्यवहार से क्षमता को २००० टन से ४००० टन करने के प्रस्ताव की भी आशा की जा चुकी है। कारखानों को आधुनिक बनाने के लिए कलकत्ता के लिए कुल ३६ करोड़ रुपये और जबलपुर के लिए २६ करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बना ली गई है।

नवम्बर १९७२ तक तीन कारखानों का उत्पादन ४७१ ४५ लाख रुपये था। जबकि वर्ष ७२ ७३ के लिए ८१० ०० लाख रुपये का लक्ष्य था।

निजी शाखा एक्सचेंजों की बढ़ी हुई माग को पूरा करने के लिए अगले वर्ष के दौरान निजी शाखा एक्सचेंजों की बड़ी संख्या में निर्माण करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। १३ सूक्ष्मतरंग बुर्जों का जो कार्यक्रम बनाया गया था उसके अतिरिक्त ७२ ७३ में अतिरिक्त ४ सूक्ष्मतरंग बुर्ज बनाने की भी कारवाई शुरू कर दी है।

वित्तीय परिणाम

वर्ष १९७२ ७३ के लिए बजट और संशोधित प्राक्कलन तथा १९७३ ७४ के लिए बजट स्थिति निम्न प्रकार है —

(करोड़ रुपयों में)

ब्यौरे	बजट प्राक्कलन १९७२ ७३	संशोधित प्राक्कलन १९७२ ७३	बजट प्राक्कलन १९७३ ७४
१	२	३	४
राजस्व प्राप्तियां	३१० ००	३२२ ७५	३६२ ००
कार्यकारी व्यय (शुद्ध)	६४ ८८	२६५ ५४	२६३ ०१
शुद्ध प्राप्तियां	४५ १२	५७ २१	६८ ९९
सामान्य राजस्व को लाभांश	१६ ०८	१७ २२	१७ ७०
बचत	२९ ०४	३९ ९९	५१ २९
निम्नलिखित को विनियोजन			
राजस्व आरक्षण निधि	४ ०४	० ४९	५ २९
पूंजी आरक्षण निधि	२५ ००	३९ ५०	४६ ००

१ अप्रैल १९७२ को डाक-तार संचार विभाग का पूंजीगत परिव्यय ५५० १३ करोड़ रुपये था राजस्व आरक्षण निधि ६ ४५ करोड़ रु० और पूंजी आरक्षण निधि ३५ ९२ करोड़ रुपये थी। वर्ष के अन्त में अनुरूपी आंकड़े ६७८ ०६ करोड़ रु० ७ २५ करोड़ रु० और ८८ २९ करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

पांचवीं योजना में डाक-तार-संचार

पांचवीं योजना के दौरान दूर-संचार व डाक-तार सेवाओं के विकास के लिए १० अरब ८३ करोड़ रु० की व्यवस्था का प्रस्ताव है जिसमें से १० अरब ३० करोड़ रु० दूर-संचार सेवाओं के विकास के लिए तथा ५७ करोड़ रु० डाक-तार सेवाओं के विकास के लिए होगा। प्रस्तावित व्यवस्था का अधिकांश लगभग ६ अरब रु० योजना के दौरान विकसित होने वाले आंतरिक साधनों से प्राप्त किया जाएगा।

इडियन टेलीफान इडस्टीज और विदेश सचार सेवा समेत सचार सेवाओ के लिए कुल मिलाकर ११ अरब ७६ करोड रु० की व्यवस्था होगी।

व्यापक विराम कायक्रम के बावजूद भी, अनुमान है पाचवी योजना म ५५ करोड रु० की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पडेगी जो चौथी योजना से ३ करोड रु० कम है।

लगभग ३०० स्टेशनो के साथ सीधी टेलीफोन सेवा आरभ किए जाने का लक्ष्य है। टेलीफोन लगने के लिए पाचवी योजना के अत मे प्रतीक्षा अवधि १ ३ वर्ष रह जाएगी। योजना के आरभ म यह अवधि २ ७ वर्ष आकी गई है। लगभग ७००० नए तारघर और ३२ नए टेलेक्स केन्द्र भी खोले जाएगे। योजना के दौरान लगभग ३१००० नए डाकघर खोले जाएगे।

विभाग मे हिन्दी की प्रगति

राष्ट्रपति के २७ अप्रैल १९६० के आदेशानुसार जिन कर्मचारियो के लिए हिन्दी सीखना अनिवार्य है डाक-तार विभाग म उनकी सख्या ३१ मार्च १९७३ को २ ६४ लाख था। इनमे प्रशासनिक श्रेणी के कर्मचारियो की सख्या २५ हजार है और प्रचालन श्रेणी के कर्मचारियो की २ २९ लाख। प्रशासनिक कर्मचारियो म २३ ५०० हिन्दी का अपेक्षित ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं और बाकी को हिन्दी सिखाने का प्रबध किया जा रहा है। प्रचालन कर्मचारियो म १ ३० लाख हिन्दी सीख चुके है और बाकी ९९ हजार को हिन्दी पढाने की व्यवस्था की जा रही है।

प्रचालन कर्मचारियो को निजी प्रयत्नो से प्रबोध प्रवीण और प्राज्ञ की परीक्षाए पास करने पर अब दिसम्बर १९६८ से क्रमश २५० २८० रुपये और ३०० रुपये की राशि एकमुश्त म पुरस्कार-स्वरूप दी जाती है। इसके फलस्वरूप कर्मचारियो म हिन्दी सीखने का उत्साह बढा है विशेषकर महाराष्ट्र आध्र प्रदेश कर्नाटक, करल और तमिलनाडु सर्किलो मे। दक्षिण के सभी, खासकर तमिलनाडु सर्किल म स्थानीय हिन्दी सेवी सस्थाओ के सहयोग से यह योजना पर्याप्त सफल रही है।

हिन्दी वैकल्पिक माध्यम

डाक तार विभाग ने अपनी सभी विभागीय परीक्षाओ म अग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी को वैकल्पिक माध्यम स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार का आदेश जारी करने वाला डाक तार सभवत पहला केन्द्रीय विभाग है। इसके अतिरिक्त विभागीय परीक्षाओ के प्रश्न पत्र को द्विभाषिक रूप म जारी करने की व्यवस्था भी की जा रही है।

देवनागरी तार सेवा

डाक तार विभाग किसी भी भारतीय भाषा को देवनागरी लिपि म लिखा तार स्वीकार करता है। इस सेवा का प्रारम्भ १ जून १९४९ को सिर्फ पाच मार्गों पर हुआ था।

इस सेवा का विस्तार निरतर होता जा रहा है। अब यह सेवा प्राय सभी सर्किलो म उपलब्ध है। दिसम्बर १९७२ के अत तक कुल १२ ३५० तारघर हैं। इनम से लगभग ६००० तारघरो म देवनागरी तार भेजने और ग्रहण करने का प्रबन्ध है। १९४९ ५० म देवनागरी तारो का कुल २ ७३० तारें बुक हुई थी जबकि १९७२ ७३ म यह सख्या ११ १२ ९४९ तक पहुच चुकी थी।

डाक-तार विभाग सभी तारघरो म आम्र म शीघ्र देवनागरी तार सेवा उपलब्ध

कराना चाहता है । इस माग म सबसे बडी बाधा देवनागरी म शिक्षित टलीग्राफिस्टा की कमी रही है। विभागीय टेलीग्राफिस्ट शीघ्र स शीघ्र देवनागरी का प्रशिक्षण प्राप्त कर ल इसके लिए अनेक प्रोत्साहन दिए जा रहे है। देवनागरी मोस का प्रशिक्षण प्राप्त कर लने पर टेलीग्राफिस्टा को एक स्थायी वेतन वद्धि दी जाती है। इसी प्रकार, देवनागरी टेलीप्रिंटर की परीक्षा पास कर लेने पर एक स्थायी वतन-वद्धि दी जाती है। सन १९६३ ६४ म देवनागरी मोस म प्रशिक्षित टलीग्राफिस्टो की सख्या ४२४५ थी, १९७१ ७२ म यह सख्या ८८५५ हो गई।

हिन्दी सलाहकार समिति

विभाग म हिन्दी क प्रयोग को बढावा देने के लिए एक हिन्दी सलाहकार समिति गठित हुई है। समिति की पहली बठक ३० अक्तूबर १९७३ को तत्कालीन सचार मत्री श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा की अध्यक्षता मे हुई थी।

अन्तर्राष्ट्रीय डाक-टिकट प्रदर्शनी इडिपेक्स-७३

भारत म दूसरी अतर्राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदशनी अर्थात इडिपक्स १४ नवम्बर से २३ नवम्बर १९७३ तक नई दिल्ली म सम्पन्न हुई।

पहली अतर्राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदशनी १९५४ मे भारत के पहले डाक टिकट जारी करने की शताब्दी क अवसर पर हुई थी। उसके बाद स डाक टिकट सग्रह का शौक लगातार बढता रहा है और इस शौक न देश म एक गौरवपूर्ण स्थान बना लिया है।

इस रुचि को और प्रोत्साहित करने तथा देश विदेश म डाक टिकट सग्रहकर्त्ताओ को व्यापक अवसर प्रदान करने क उद्देश्य स इस अतर्राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदशनी का आयोजन किया गया।

प्रदशनी कला विज्ञान और उद्योग की कृतियो का सुनियोजित प्रदशन थी जिससे कि जनता कि रुचि बढाई जा सके व्यापार को प्रोत्साहन दिया जा सके और प्रगति या किन्ही अन्य गतिविधियो की व्यापक जानकारी प्रदान की जा सक।

शुरू की प्रदशनिया ललित कला की प्रदशनिया थी। १६६२ म परिस की रायल अकादमी आफ पटिंग एण्ड स्कल्पचर ने पहली कला प्रदशनी आयोजित की।

उसक बाद स बहुत-सी कला प्रदशनिया हुई हैं लेकिन पुरानी प्रदशनियो म स एक मई १८५१ को हाइड पार्क के क्रिस्टल पलेस म रायल सोसाइटी आफ आर्टस द्वारा आयोजित प्रदशनी स नय युग का सूत्रपात हुआ। इसक तुरत बाद १८५३ म न्यूयार्क सिटी म क्रिस्टल पलस म प्रदशनी हुई।

राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रदशनियो क बाद व्यापार बढान क उद्देश्य स व्यापार मेल आयोजित किय जान लगे। जबकि प्रदशनियो की कोई निश्चित अवधि नहीं होती आमतौर पर व्यापार मल एक निश्चित अवधि के बाद उसी स्थान पर और वष क उसी मौसम म लगाय जाते है। हाल ही म एक बहुत बडा व्यापार मेला तीसरा एशियाई अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली म हुआ था।

डाक टिकट क क्षेत्र म सग्रहकर्ताओ क क्लब और समुदाय बन जान स निजी सग्रहकर्ताओ क डाक टिकट सग्रह का प्रदर्शन करने की आवश्यकता अनुभव की गई और इस तरह डाक टिकट प्रदशनियो का सूत्रपात हुआ। शुरू म य प्रदशनिया सस्थाओ और

क्लबो के सदस्यो तक सीमित थी लेकिन जल्दी ही ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाने लगी।

पहली डाक टिकट जारी करने की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर पहली अन्तर्राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी लदन में १८६० में हुई। १८९७ में लदन में एक और डाक टिकट प्रदर्शनी हुई और इसके बाद जल्दी ही १९०० में पेरिस १९०१ में हेग १९०६ में लदन, १९०९ में एमस्टर्डम १९१० में बर्न १९११ में वियना और १९१२ में लदन में प्रदर्शनिया हुई। अमेरिका में पहली अन्तर्राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी १९१३ में हुई।

आजकल प्रतिवर्ष तीन चार अन्तर्राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनिया किसी न किसी देश में होती रहती हैं। इसी वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनिया म्युनिख और पोलैंड में हुई हैं और इडिपेक्स ७३ नई दिल्ली में।

इडिपेक्स ७३ के आयोजन का कार्य १९७१ में शुरू हुआ था। विख्यात डाक टिकट सग्रहकर्ताओ को विभिन्न देशो में इडिपेक्स ७३ के कमिश्नरो का काम सौंपा गया। उनके अमूल्य सहयोग के शानदार परिणाम निकले और प्रदर्शनी में १२८ देशो ने अपने सरकारी सग्रह प्रदर्शित किये। ऐसे बहुत से सग्रह इस प्रदर्शनी में रखे गये जिन्हे स्वर्ण पदक मिल चुके हैं। इनमें इतालवी सग्रहकर्ता मिलानी के डा० बी पास्ती का भारत का डाक टिकटो का सग्रह भी प्रदर्शित किया गया। ईरान के श्री समद खुर्शीद ने ईरान के डाक टिकट प्रदर्शनी में रखे। इगलैंड के डाक्टर रिडेल और उनकी पत्नी ने चीन की विदेशी डाक सेवा का इतिहास प्रस्तुत किया। स्पेन के श्री जी० रायन इगरी के डाक टिकटो का सग्रह इस प्रदर्शनी में देखने योग्य था।

इगलैण्ड की महारानी ने इडिपेक्स ७३ के अधिकारियो का यह आमत्रण सहर्ष स्वीकार कर लिया कि उनके डाक टिकटो के शाही सग्रह के विशाल भारत भाग की कुछ झलक इस प्रदर्शनी में पेश की जाए। यह एक मुख्य आकर्षण था। रायल फिलेटेलिक सोसायटी लदन, कलक्टर्स क्लब आफ न्यूयार्क और अन्य बहुत से सग्रहालयो ने भी अपने बहुमूल्य सग्रह इस प्रदर्शनी में भेजे।

भारत के डाक-तार विभाग ने भी इस प्रदर्शनी में अपने सग्रह की कुछ अमूल्य निधिया प्रदर्शन के लिए रखी इनमें से कुछ डाक टिकटें ऐसी थी जो इससे पहले कभी नहीं दिखाई गई थी। इन डाक टिकटो में स्वतत्रता से पहले और स्वतत्रता के बाद की डाक टिकटो की रूपरेखा उनके रगो का परीक्षण प्रूफ और जारी की गई टिकटें थी।

Punjab's March Towards Prosperity

The people of Punjab have taken long strides on road to progress in different fields Some of our achievements are —

* 640 Kms of Guru Gobind Singh Marg completed
* 6626 villages electrified
* All villages will be linked by road by March 1974
* Over 26 40 lakh tonnes wheat contributed in Central Pool so far
* Over 91 percent children of age group 6-11 enrolled for primary education
* 1 84 000 landless rural people given free house sites
* Over 2 000 ordinary tube wells and 714 deep tube wells sunk
* 1 000 medium and small industrial units registered
* Rural water supply schemes for 3 100 villages being pushed vigorously
* Ropar District covered by Medical Manthem Scheme Programme is being launched in other districts also

We pledge ourselves to serve the country with greater zeal and enthusiasm

Inserted by

Director, Information & Publicity
Punjab

: १६ :

समाज-कल्याण

भारत में अनवरत सैकड़ों वर्षों तक विदेशी शासन होने के कारण समाज के प्रत्येक वर्ग की समान उन्नति की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। पिछड़े वर्गों विशेषकर अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये ठोस कदम उठाने, गरीब विकलांग और असहाय व्यक्तियों के जीवन निर्वाह की व्यवस्था की योजना बनाने, समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर कर सामाजिक सुरक्षा के लिये जनता में जागृति उत्पन्न करने की दृष्टि से भारत सरकार ने समाज कल्याण विभाग का गठन किया। १९६४ में सामान्य समाज कल्याण पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा श्रमिक कल्याण आदि के लिए जिस सामाजिक सुरक्षा विभाग की स्थापना का निश्चय किया गया था उसका नाम बदलकर समाज कल्याण विभाग रखा गया और महिलाओं बालकों विकलांगों तथा गरीब व्यक्तियों सम्बन्धी जिम्मेदारियाँ भी उसे सौंपी गयी। १९६६ ई० में श्रमिक कल्याण को श्रम और रोजगार मन्त्रालय को स्थानान्तरित कर दिया गया। इस विभाग ने गत वर्षों में समाज कल्याण के लिए प्रशंसनीय कार्य किये हैं।

समाज कल्याण के स्वयंसेवी संगठन

समाज कल्याण के लिये काम करने वाली विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं को भी भारत सरकार अनुदान देकर प्रोत्साहित करती है। वर्ष १९७१ ७२ में भारत सरकार ने इन संस्थाओं को लगभग २४ ८० लाख रुपये अनुदान दिया। इनमें हरिजन सेवक संघ दिल्ली भारतीय दलित लीग ईश्वरशरण आश्रम इलाहाबाद भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, नई दिल्ली सर्वेन्ट्स आफ इण्डिया सोसाइटी पूना भारतीय रेडक्रास सोसाइटी नई दिल्ली अखिल भारतीय बैकवर्ड क्लासिस फेडरेशन दिल्ली आन्ध्र प्रदेश गिरिजन जाति सेवक संघ रामकृष्ण मिशन आश्रम के विभिन्न प्रदेशों में स्थित केन्द्र हिन्द स्वीपर्स सेवक समाज नई दिल्ली भारतीय घुमन्तु जन (खानाबदोश) सेवक संघ दिल्ली शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी राष्ट्रीय परिषद् नई दिल्ली आदि प्रमुख हैं।

पहला एशियाई सम्मेलन

अन्तर्राष्ट्रीय समाज कल्याण सम्मेलन तथा समाज कल्याण मन्त्रियों का प्रथम एशियाई सम्मेलन १९७० में फिलिपीन की राजधानी मनीला में हुआ। इसमें विश्व के प्राय सभी देशों के समाज कल्याण मन्त्रियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में विश्व के विभिन्न देशों में चल रहे समाज कल्याण के कार्यक्रमों तथा विभिन्न राष्ट्रीय अनुभवों

का विश्लेषण हुआ जिससे समाज कल्याण के भावी कार्यक्रमों का निर्धारण करने में सहायता मिली।

पिछडे वर्गों के लिए कल्याण कार्यक्रम

देश की कुल जनसंख्या में 1/5 से अधिक लोग अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के हैं। इनके अतिरिक्त खानाबदोश, अपराधी रूप से खानाबदोश तथा अनसूचित जातियां भी हैं। पिछडे वर्ग के सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक स्तर को बढाने के लिए विशेष योजनाएं चालू की गयी हैं। इनका उद्देश्य शिक्षा में सामान्य कार्यक्रमों की सहायता करना है। संविधान के अनुच्छेद ४६ में लिखा है कि राज्य जनता के दुर्बलतर विभागों विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकारों के शोषण से उनका संरक्षण करेगा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ तक केन्द्र और राज्यों ने पिछडा वर्ग कल्याण के लिए ३७५.०० करोड रुपये व्यय किए।

योजना आयोग ने पिछडा वर्ग कल्याण के लिये प्रथम पंचवर्षीय योजना में ३९.०० करोड रुपये, दूसरी योजना में ७८.०० करोड रुपये, तीसरी योजना में १०२.०० करोड रुपये खर्च किए। चतुर्थ योजना में इस कार्य के लिए १४२ करोड रुपये की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त गैर-योजना बजट में ३५ करोड रुपये की व्यवस्था थी। राज्य सरकारें अलग से पिछडा वर्ग कल्याण के लिए अपने गैर योजना बजटों में लगभग ३० करोड रुपये वार्षिक की व्यवस्था रखती है। चौथी पंचवर्षीय योजना में भी इसे जारी रखने का सुझाव है।

अनुसूचित जातियों के लोगों व कबीलों की संख्या

	अनुसूचित जातियों के लोग	अनुसूचित कबील
भारत	६ ४५ ११ ११४	२ ९८ ८३ ४७०
राज्य		
आंध्र प्रदेश	४९ ७३ ६१६	१३ २४ ३६८
असम	६ ३१ ७५६	२० ६८ ३६४
बिहार	६५ ३६ ४७५	४२ ०४ ७७०
गुजरात	१० ६७ २५५	२७ ५४ ४४६
जम्मू कश्मीर	२ ९८ ५३०	—
केरल	१४ २२ ०५७	२ ०७ ९९६
मध्य प्रदेश	४२ ५३ ०२४	६६ ७८ ४१०
तमिलनाडु	६० ७२ ५३६	२ ५३ ६४६
महाराष्ट्र	२२ २६ ९१४	२३ ९७ १५९
कर्नाटक	३१ १७ ३३२	१ ९२ ०९६
नागालैंड	१६२	३ ४३ ९९७
उडीसा	२७ ६३ ८५८	४२ २३ ७५७
पंजाब	४१ ३९ १०६	१४,१३२
राजस्थान	३३ ५९ ९४०	२३ ०९ ४४४

उत्तर प्रदेश	१५५१७२४५	—
प० बगाल	६६,५०,७२६	२०,६३८८३
सघीय प्रदेश व अन्य क्षेत्र		
अण्डमान व निकोबार द्वीप	—	१४११२
दादरा व नगर हवेली	६८५	५१२६१
दिल्ली	३,४१५५५	—
हिमाचल प्रदेश	३६६६१६	१०८१६४
लक्षद्वीप मिनीकाय व अमनदीवी द्वीपसमूह	—	७३३६१
मणिपुर	१३३७६	२४८०६४
नेफा	—	५०४२
पाडिचेरी	५६८६१	—
त्रिपुरा	११६७२५	३६००७०

यह वर्गीकरण जन्म और जाति के आधार पर किया गया है।

भंगियो की स्थिति में सुधार

इस परियोजना का उद्देश्य इन धधो का नगरपालिकाओ के अधीन लिया जाना है तथा यन्त्रीकरण जारी करना है ताकि विष्ठा को सिर पर ढाने की प्रथा का धीरे धीरे समाप्त किया जाए और भगियो के सामाजिक स्तर को ऊचा उठाया जाये। जिन नगर पालिकाओ की आबादी १ लाख से अधिक है उन्हें इस योजना पर हुए खर्च का ५० प्रतिशत तथा जिन नगरपालिकाओ की आबादी १ लाख से कम है उन्हें खर्च का ७५ प्रतिशत सहायता के रूप मे दिया जाता है। चतुर्थ योजना मे इस पर ३००.०० लाख रुपये व्यय करने की व्यवस्था की गई है। गाधी जयन्ती २ अक्तूबर १९७२ से अनेक स्थानो पर सिर पर मला ढाने की प्रथा समाप्त करने की घोषणा की गई।

अनुसूचित खानाबदोष आदिम जातियो का कल्याण

इन वर्गो के कल्याण की परियोजनाए अब भी केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम मे शामिल हैं। इन विमुक्त जातियो के पुनर्वास तथा उनके बच्चो का अपराधी सगति से दूर करने के लिए आश्रम स्कूल तथा सस्कार केन्द्र खोले गये हैं ताकि उन्हें परम्परागत समाज विरोधी प्रवृत्तियो से बचाया जा सके। शिक्षा के साथ कृषि लघु सिंचाई पशुपालन मुर्गीपालन कुटीर उद्योग आवास आदि की व्यवस्था के लिए समुचित सहयोग प्रदान करना भी इस योजना के अन्तर्गत है। चतुर्थ योजना मे इन जातियो के कल्याण हेतु ४५०.०० लाख रुपए का नियतन था। वर्ष १९७२-७३ के लिए ६८.०१ लाख रुपए की व्यवस्था है।

नौकरिया सरकारी नौकरियो मे भी अनुसूचित वर्ग के लिए कुछ स्थान सुरक्षित है। खुली प्रतियोगिता के आधार पर १२-१/२ प्रतिशत रिक्त स्थान पूरे किये जाते हैं। १६-२/३ प्रतिशत रिक्त स्थान अन्य रीति से भरे जाते हैं। अनुसूचित वर्ग के लिए सुरक्षित स्थानो के लिये ही उपर्युक्त विधियो का अनुसरण किया जाता है। यथा—इण्डियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की प्रतियोगिता परीक्षा मे इस वर्ग का सफल व्यक्ति ही सुरक्षित स्थान पायेगा। यदि परीक्षा मे कोई उत्तीर्ण न होगा तब ये रिक्त स्थान सामान्य वर्ग से पूरे किये जाएगे।

आदिवासी विकास खंड

इससे अंतर्गत उन क्षेत्रों का तीव्र विकास किया जाता है जिनका अन्य स्थानों से कुछ अलगाव रहा हो और परिस्थितिवश जिनकी कुछ अशक्तताएं हों। ये खण्ड उन क्षेत्रों में स्थापित किए गए जिनमें निम्नलिखित बातें थीं। कुल आबादी २५,००० आदिवासियों की कम-से-कम आबादी ६६-२/३ प्रतिशत क्षेत्रफल १५०-२०० वर्गमील तथा एक सामान्य प्रशासनिक एकक के रूप में चलाए जाने की क्षमता। तीसरी योजना में ४१५ खण्ड आरंभ किए गए। वर्ष १९७२-७३ के अन्त में ५२३ आदिवासी विकास खण्ड काम कर रहे थे। कर्नाटक पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश में आदिवासी विकास खण्ड नहीं हैं लेकिन इन क्षेत्रों की योजनाएं भी आदिवासी विकास खंडों जैसी हैं।

अस्पृश्यता निवारण

संविधान के अनुच्छेद १७ के अंतर्गत देश से अस्पृश्यता के निवारण की व्यवस्था है। अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम १ जून १९५५ से अमल में है। इस अधिनियम के अंतर्गत इसके उल्लंघनकर्ता को दण्ड देने की व्यवस्था है। अधिनियम के अनुसार किसी को सार्वजनिक स्थलों जैसे दुकान मन्दिर धर्मशालाओं होटल आदि में जाने एवं स्कूल कालेज या नौकरी में प्रवेश के लिए इस कारण इंकार नहीं किया जा सकता कि वह हरिजन वर्ग का है। इसका सामाजिक बहिष्कार दण्डनीय है।

केन्द्रीय सरकार १९५४ से अस्पृश्यता विरोधी आन्दोलनों को वित्तीय सहायता दे रही है। जनता का ध्यान इस ओर केन्द्रित करने के लिए हरिजन दिवस हरिजन सप्ताह मनाए जाते हैं। इनमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों संगठन काम कर रहे हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा अस्पृश्यता सम्बन्धी दण्ड विधान को और भी कठोर किया जा रहा है।

सामान्य समाज कल्याण

समाज कल्याण विभाग के सामान्य समाज कल्याण प्रभाग के कार्य इस प्रकार हैं— समन्वित परिवार और बाल कल्याण महिला कल्याण शारीरिक तथा मानसिक तौर पर विकलांग व्यक्तियों का कल्याण सामाजिक संरक्षण विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास अनुसंधान प्रशिक्षण तथा समाज कल्याण प्रशासन।

मद्य निषेध

तीसरी योजना में मद्य निषेध को स्वेच्छाप्रेरित समाज कल्याण आन्दोलन का रूप दिया गया। १९६७ में मद्य निषेध विषय को गृह मंत्रालय से समाज कल्याण विभाग को स्थानान्तरित किया गया। दूसरी और तीसरी योजनाओं में मद्य निषेध की राष्ट्रीय नीति घोषित किया गया। भारत सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा मद्य निषेध लागू करने पर होने वाले राजस्व घाटे का ५० प्रतिशत पूरा करने का प्रस्ताव काफी समय से रखा है। किसी भी राज्य ने इसका उपयोग नहीं किया। भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को पुनः दोहराया किन्तु अब भी राज्य सरकार शतप्रतिशत हानि पूर्ति चाहती हैं। चौथी योजना में मद्य निषेध प्रचार के लिए १० लाख रुपए रखे गए हैं।

मद्य निषेध में प्रगति महाराष्ट्र तथा गुजरात में पूर्ण मद्य निषेध लागू है। असम के कामरूप ग्वालपाड़ा तथा नौगांव जिलों में तथा आंध्र के करनूल कडप्पा अनन्तपुर चित्तूर

गुन्टूर कृष्णा, नलरू गोदावरी, श्रीकाकुलम तथा विशाखापतनम जिला में भी मद्यनिषेध लागू है। केरल और उडीसा में भी मद्यनिषेध लागू था किंतु समाप्त कर दिया गया। अनेक राज्यों में मद्यनिषेध सलाहकार मंडल गठित किए गए हैं।

अपंगों को शिक्षा तथा सेवा

नेत्रहीनों, बहरों, विकलांगों तथा मंदमति व्यक्तियों के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण तथा पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है। अनुमान है कि देश में इस प्रकार के एक करोड़ से अधिक अपंग व्यक्ति हैं। १९३१ की जनगणना के साथ ऐसे व्यक्तियों की भी गणना की गई थी। शिक्षा तथा स्वास्थ्य के केंद्रीय परिषदों की संयुक्त समिति की १९५८ की भारत में नेत्रहीनता रिपोर्ट के अनुसार देश में नेत्रहीनों की संख्या २० लाख थी। हाल के सर्वेक्षण के अनुसार यह ४० लाख से भी अधिक हो सकती है। बहरे व्यक्तियों की संख्या का अनुमान १२ और १६ लाख के बीच है। विकलांग व्यक्तियों की संख्या नेत्रहीनों से अधिक होने का अनुमान है। मंदमति बच्चों की संख्या १५ से १८ लाख तक होगी।

नेत्रहीन

नेत्रहीनों के लिए इस समय देश में १२६ स्कूल तथा प्रशिक्षण केंद्र हैं। इनमें व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा प्रारम्भिक शिक्षा दी जाती है। इनमें से अधिकतर संस्थाएं अभिकरणों द्वारा चलायी जाती हैं पर सम्बन्धित राज्य सरकारों से उन्हें सहायता मिलती है।

राष्ट्रीय अन्ध केंद्र, देहरादून नेत्रहीनों के लिए स्थापित परियोजनाओं में यह एक प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र है। इसका उद्देश्य नेत्रहीनों के लिए सेवाएं उपलब्ध कराना है।

वयस्क नेत्रहीनों के लिए प्रशिक्षण केंद्र केंद्र सरकार की ओर से इसकी स्थापना जनवरी १९५० में हुई। यह नेत्रहीनों के लिए देश की सबसे बड़ी संस्था है। इसमें १५० पुरुष तथा ५८ स्त्रियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। कुटीर उद्योग तथा सरल अभियान्त्रिक व्यवसायों में प्रशिक्षण की व्यवस्था है। इसके साथ ब्रेल लिपि, टंकण तथा मशीन में प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों के लिए भोजन, निवास तथा शिक्षा मुफ्त है। केंद्र ने प्रशिक्षित नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए रोजगार सम्बन्धी सर्वेक्षण करने के भी प्रयत्न किए। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स में नेत्रहीनों के लिए रोजगार की संभावनाएं हैं। गत कुछ वर्षों में केंद्र में हल्की अभियांत्रिकी प्रशिक्षण पर अधिक बल दिया जा रहा है।

केंद्रीय ब्रेल प्रेस देहरादून इसकी स्थापना १९५१ में हुई। इसमें सभी मुख्य भारतीय भाषाओं में विशेषकर हिंदी में ब्रेल लिपि में साहित्य तैयार किया जाता है। एक हिंदी त्रैमासिक पत्रिका भी यहां से प्रकाशित की जाती है। प्रेस में तैयार साहित्य नेत्रहीनों की संस्थाओं को रियायती मूल्य पर दिया जाता है।

ब्रेल साधनों की निर्माणशाला यह १९५८ में स्थापित हुई। यह नेत्रहीनों के लिए आवश्यक साधन तैयार करने के लिए है। संयुक्त राष्ट्र निजाय कार्यक्रम के अधीन आये एक विशेषज्ञ की सहायता से इसका विकास किया जाता रहा है। यहां पर निर्मित उपकरणों का एशिया तथा अफ्रीका के अनेक देशों में इस वर्ष निर्यात किया गया।

नेत्रहीन बालकों का आदर्श स्कूल यह १९५९ में खोला गया। यह माध्यमिक आवासीय स्कूल है। देश के सभी भागों से नेत्रहीन बालक इसमें लिए जाते हैं।

शिक्षा का माध्यम हिंदी है। बच्चों में मकैनिकल काम की रुचि बढ़ाने के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम शुरू किया गया है।

राष्ट्रीय पुस्तकालय यह १९५१ में दिल्ली में स्थापित हुआ। सारे देश में नेत्रहीनों को ब्रेल साहित्य मुफ्त पढ़ने को देता है। प्रतिमास औसतन १,३५० पुस्तकें पढ़ने को दी गई। १९७२-७३ में इसमें ३६ सौ पुस्तकों की वृद्धि हुई।

छात्रवृत्तियां यह योजना १९५२-५३ में शुरू हुई। इसके अधीन १६ से ३० साल तक के नेत्रहीन छात्रों को ऊंची शिक्षा या तकनीकी या व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। १९७२-७३ में १९२ नेत्रहीनों को छात्रवृत्तियां दी गई। विशेष काम दिलाऊ दफ्तरों द्वारा ५७ अंधे व्यक्तियों को काम दिलाया गया।

बहरे

देश में इस समय बहरों के लिए ७१ संस्थाएं हैं। इनमें से अधिकतर स्वैच्छिक अभिकरण चलाते हैं जिन्हें कुछ सरकारी सहायता मिलती है। अधिकतर स्कूलों में बहरों को प्रारम्भिक शिक्षा तथा कपड़ा सीने व बुनने, कालीन बनाने, लोहारगिरी, छपाई और जिल्दसाजी आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है।

वयस्क बहरों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र, हैदराबाद इस केन्द्र में ६० प्रशिक्षार्थियों के लिए स्थान है। १६ साल से २५ साल की आयु के बहरे लड़कों को इंजीनियरिंग व्यवसाय में प्रशिक्षण दिया जाता है। इस वर्ष ५१ प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा किया।

विकलांग

प्रत्येक विकलांग व्यक्तियों के लिए अभी देश में २५ विशेष संस्थाएं हैं। इनमें प्रारंभिक शिक्षा के साथ भौतिक चिकित्सा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। इनमें से अधिकतर संस्थाओं को राज्य सरकारों से सहायता मिलती है। विकलांगों के लिए छात्रवृत्तियां देने की भी व्यवस्था है। इसके अधीन १२ से ३० साल तक की आयु के विकलांग छात्रों को ७वीं कक्षा के बाद साधारण शिक्षा तथा तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। १९७२-७३ में १८१७ विकलांगों को छात्रवृत्ति दी गई। ७१३ विकलांगों को काम दिलाया गया।

वेश्यावृत्ति उन्मूलन

अल्पवयस्क महिलाओं को वेश्यावृत्ति आदि से बचाने के लिए महिला तथा बालिका अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम १९५६ समस्त राज्यों तथा संघ क्षेत्रों में लागू है। इस अधिनियम के अनुसार दलित महिलाओं के लिए रक्षा सदनों की व्यवस्था है।

भिक्षावृत्ति उन्मूलन

देश में बिना काम किए मांग कर खाने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति पर नियंत्रण के लिए विभिन्न अधिनियम बनाए गए हैं। बिहार, गुजरात, असम, आंध्र, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, जम्मू-कश्मीर में भिक्षावृत्ति उन्मूलन कानून लागू हैं। दिल्ली में भी भिक्षावृत्ति विरोधी उपाय लागू हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में इस संबंध में कदम उठाए गए हैं। भिक्षावृत्ति के लिए बच्चों के अपहरण की रोकथाम के लिए भारतीय दंड संहिता अधिनियम १९५९ के अनुसार कड़े दण्ड की व्यवस्था है।

बाल सुधार केन्द्र

दुमगति के कारण अपराधों की ओर प्रवृत्त बालकों के सुधार के लिए देश में लगभग १६० बाल अपराधी सुधारगृह कायरत है । बाल अधिनियमों के अन्तर्गत बालकों सबधी ८३ अन्वालयें ३ कल्याण बोड ११३ अवलोकन सदन १२८ बाल सदन तथा स्कूलों की व्यवस्था है ।

जेलो मे कल्याण कार्य

बन्दियो के पुनर्वास में सहायता करने तथा बन्दियो व उनके परिवारो के बीच सपर्क स्थापित करने के उद्देश्य से जेलो में कल्याण अधिकारी नियुक्त किये गये है । इस समय ५४ कल्याण अधिकारी नियुक्त हैं । ये बन्दियो की रिहाई के बाद उन्हें रोजगार पर लगाने के विषय मे योजनायें बनाते है तथा सुझाव देते हैं । बन्दियो के सुधार के लिए केरल महाराष्ट्र कर्नाटक एव दिल्ली मे राज्य सलाहकार मडल प्रस्थापित किये गये है ।

केन्द्रीय समाज कल्याण परिषद्

इसका मुख्य काम समाज कल्याण की गतिविधियो का विस्तार तथा विकास है । समाज-कल्याण की सस्थाओ की आवश्यकता का सर्वेक्षण सहायता अभिकरणो के कार्यक्रमो का मूल्याकन, केन्द्रीय सरकार तथा प्रदेश सरकारो और सहायता प्राप्त समाज कल्याण की गतिविधियो का समन्वय स्वैच्छिक सस्थाओ का प्रोत्साहन देना (विशेषकर जहा इनका अभाव हो) तथा अच्छा काय कर रही सस्थाओ व प्रतिष्ठानो का वित्तीय सहायता देना आदि अन्य काम हैं । वित्तीय सहायता के लिए परिषद ने कुछ शर्तें निर्धारित की हैं । परिषद भारत सरकार के एक विभाग की भाति काम करती है । राज्यो म प्रदेश समाज कल्याण परिषद हैं । मिनीकाय और अमीन दीव द्वीप समूह म ये नहीं है । प्रदेश परिषद के माध्यम स और सिफारिश के साथ स्वैच्छिक समाज-कल्याण सस्थाए केन्द्रीय परिषद को अनुदान के लिए आवेदन करती हैं । १९६१ म अनुदान देने का कार्यक्रम विकेन्द्रित किया गया और प्रदेश परिषदो को एक सीमा तक एक वर्षीय अनुदान देने का अधिकार दिया गया। स्वैच्छिक सस्थाओ को एक वर्षीय अनुदान प्रदेश सरकारो के माध्यम से तथा अन्य अनुदान सीधे दिये जाते है ।

सगठन केन्द्रीय समाज कल्याण परिषद म सरकार के सचिव के अतिरिक्त अन्य प्रशासनिक अधिकारी प्रशासन अनुदान परियोजनाए आदि देखते हैं । निरीक्षण अधिकारी अनुदान प्राप्त स्वैच्छिक सस्थाओ के काम व बहीखाता की जाच करते है । प्रदेश परिषद के प्रशासनिक व्यय का आधा राज्य सरकार तथा आधा केन्द्रीय परिषद वहन करती है ।

हर ग्रामीण परियोजना म २५ से ३० गाव तथा लगभग २० ००० की आबादी है । परियोजनाओ के अन्तर्गत बालवाडी मातृ व शिशु स्वास्थ्य सेवा महिलाओ को सामाजिक शिक्षा देना व साक्षर करना कला व शिल्प केन्द्र तथा मनोरंजन की गतिविधिया है ।

कल्याण प्रसार केन्द्र पहले वहा आरभ किया गया जहा सामुदायिक विकास केन्द्र नहीं थे । बाद म इन्हे केवल उन्ही क्षेत्रो म चलाने का निर्णय किया गया जहा सामुदायिक विकास प्रखड हो ।

सामुदायिक विकास प्रखडो म चल रही प्रत्यक परियोजना म १० खड है। प्रत्यक परियोजना क अतगत १०० गाव और ६० ००० स ७० ००० तक की आबादी ह ।

कल्याण विस्तार परियोजनाए (शहरी) इनका उद्देश्य शहर की गन्दी बस्ती म कल्याण योजनाओ का विस्तार करना है। इसक अतगत शिशु गृह व बालवाडी का निमाण, प्रसूति के बाद परामश सेवा देना तथा शिशु स्वास्थ्य केन्द्रो की स्थापना क काय ह। भारतीय बाल-कल्याण परिषद योजना का समन्वय करती है। बालको क लिए १५ दिन क अवकाश शिविर लगाये जाते ह। बाल कल्याण योजना क कायकर्ताओ क प्रशिक्षण की व्यवस्था है। कायकर्ताओ के लिए माग दशक साहित्य ह। परिषद की दो पत्रिकाए भी हैं—'चाइल्ड वल्फेयर' तथा 'समाज कल्याण'। इसके विशपाक सभी क्षत्रीय भाषाओ म अनुवाद कर प्रदश परिषद कायकर्ताओ तक पहुचाए जाते है।

भारतीय बाल कल्याण परिषद यह नई दिल्ली म है तथा स्वच्छासेवी सस्था है। इसकी शाखाए लगभग सभी प्रदेशो म ह जिन्ह राज्य बाल कल्याण परिषद कहा जाता है। यह सस्था जनेवा स्थित अतर्राष्ट्रीय बाल कल्याण सघ स सम्बद्ध है।

परिषद के मुख्य कायकलाप ये हैं बाल-सेविका प्रशिक्षण कायक्रम बालको क लिए अवकाश गह बच्चो के अतर्राष्ट्रीय शिविर म भारतीय बालको के भाग लेने की व्यवस्था बाल दिवस का आयोजन विशेष साहस का काय करने वाले बालको को राष्ट्रीय पुरस्कार मध्य प्रदेश म आदिवासी बालको के कल्याण हतु सस्थान विचार गोष्ठिया सम्मेलन। परिषद को इन कामों के लिय वित्तीय सहायता भी मिलती है।

बाल सेविका प्रशिक्षण योजना इस परिषद् कार्यान्वित करती ह। तीसरी योजना म बाल सेविकाओ के प्रशिक्षण हेतु २० प्रशिक्षण केन्द्रो के लिए ३० लाख रुपये का व्यवस्था थी।

रात्रि विश्रामगह (रैनबसेरा) विभिन्न केन्द्रो म २६ रात्रि विश्रामगह ह। यह उन मजदूरो के लिए है जो बिना आवास क है।

महिला समाज-कल्याण

पाठ्यक्रम इसके अतगत १८ वष से ३० वष की आयु तक की साक्षर महिलाओ को प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे माध्यमिक या मटिक स्तर तक शिक्षा पाकर नस या दाई बन सकें और अपनी रोजी रोटी कमा सकें।

सामाजिक आर्थिक कायक्रम इसका उद्देश्य स्त्रियो को काय और आजीविका की सुविधाए प्राप्त कराना है। इसक लिये केन्द्रीय समाज-कल्याण परिषद वाणिज्य और उद्योग मत्रालय तथा उनके अधीनस्थ सस्था और औद्योगिक परिषदो की तकनीकी सहायता स उत्पादन केन्द्रो की व्यवस्था करती है।

पौष्टिक आहार कायक्रम

समाज कल्याण विभाग वष १९७० ७१ से कमजोर वग क परिवारो क स्कूल-पूव क बच्चो को पूरक पौष्टिक आहार प्रदान करने के लिए दो योजनाए चला रहा है। इनम से एक विशष कायक्रम तो आदिवासी क्षत्रो तथा शहरो की गन्दी बस्तियो म राज्य सरकारो के माध्यम स चलाया जा रहा है और दूसरा कायक्रम स्वच्छिक समाज कल्याण सस्थाओ द्वारा चलाइ जान वाली बालवाडियो तथा दिवस दखरख केन्द्रो क माध्यम स।

भारत सरकार ने देश मे पौष्टिक ग्राहार की वद्धि की दिशा म अनेक लघु और दीघकालीन उपाय ग्रपनाये हैं। जहा तक पौष्टिक ग्राहार की कमी की बात है इसके सबसे ग्रधिक शिकार छोटे छोटे बच्चे और गभवती स्त्रिया होती है, ये देश की ग्राबादी का लगभग पाचवा भाग ग्रर्थात १२ करोड है। इनमे से लगभग ग्राधे तो ग्रत्यत गरीब परिवार के ह तथा इनकी पौष्टिक ग्रावश्यकताग्रो के लिए विशेष उपायो की ग्रावश्यकता है।

विशेष पौष्टिक ग्राहार कायक्रम हमारे देश के ससाधनो को ध्यान म रखते हुये यह सुगम नही कि पूरक तौर पर इतनी बडी सख्या म लोगो के लिए पौष्टिक ग्राहार की व्यवस्था की जाय। प्रधानमत्री ने ससद म बजट पेश करते हुये कहा कि ग्राबादी के कमजोर वर्गों के लिए नये कदम उठाये जायेंगे जिसके ग्रतगत ग्रादिवासी क्षेत्रो ग्रौर बडे शहरो की गदी बस्तिया म ३ वष से कम ग्रायु के छोटे बच्चो के लिए पूरक पौष्टिक ग्राहार की व्यवस्था की जायेगी। इस कायक्रम के लिये समाज कल्याण विभाग के बजट प्राक्कलन म केन्द्रीय क्षेत्र की गर योजना व्यवस्था म ४ करोड रु० रखे गय। यह योजना राज्य सरकारो ग्रौर सघ क्षेत्र प्रशासनो के द्वारा कार्यान्वित की जाती है ग्रौर सारा व्यय भारत सरकार से सहायक ग्रनुदान के रूप म मिलता है। ●

सिंचाई और बिजली

हमने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में जिस आर्थिक विकास की कल्पना की है, वह इस बात पर निर्भर है कि हम अपने कृषि उत्पादन में खाद्यान्न और वाणिज्यिक फसलों दोनों में निरन्तर वृद्धि करें। केवल यही महत्व की बात नहीं है कि खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जाये अपितु महत्व इस बात का भी है कि कृषि उपजों के निर्यात से अधिकाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जाये। सिंचाई परियोजनाएं ग्रामीण जनता और प्रशिक्षित तकनीकी व्यक्तियों को लाभदायक रोजगार देने के लिए भी अवसर प्रदान करती हैं।

जलस्रोत भारत का सतही जलस्रोत १६८० लाख हैक्टेयर है। इसमें से ५६० लाख हैक्टेयर पानी का उपयोग सिंचाई के लिए होता है। देश की १६२५ लाख हैक्टेयर कृषि भूमि में ६०० लाख हैक्टेयर भूमि को ही इस समय सिंचाई का लाभ प्राप्त है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से जिन ५७६ बृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को हाथ में ले लिया गया है उनमें से ३६३ परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। कुछ निर्माणाधीन परियोजनाओं से भी आंशिक लाभ प्राप्त होने लगे हैं। प्रथम योजना के प्रारम्भ से लेकर अब तक बृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से १०८ लाख हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता प्राप्त कर ली गई है। इस प्रकार पिछले २० वर्षों में बृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत यह क्षमता दो गुनी हो गई है। हाथ में ली गई परियोजनाओं के पूर्ण हो जाने से ८८ लाख हैक्टेयर सिंचाई क्षमता और प्राप्त हो जायेगी।

योजनाओं के अन्तर्गत मध्यम एवं बृहत सिंचाई योजनाओं पर व्यय प्राप्त सिंचाई क्षमता एवं उपयोगिता की प्रगति इस प्रकार है—

के अन्त तक	व्यय (करोड़ रुपयों में)	कुल क्षेत्र क्षमता	(१० लाख हैक्टेयर) समुपयोजना
प्रथम योजना	३००	२६	१३
द्वितीय योजना	३८०	४६	३४
तृतीय योजना	५७६	६६	५५
१९६६ ६७	१३४	७४	६१
१९६७ ६८	१३७	८०	६८
१९६८ ६९	१६३	८५	७१
१९६९ ७०	१८०	९०	७५
१९७० ७१	२००	९४	७९
१९७१ ७२	२४७	१००	८४
जोड़	२३१२		

१६७१ ८१ की दशाब्दी के समाप्त होने पर बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्न और अन्य कृषि उपजा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वृहत् तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाना पड़ेगा और सन्निहित इंजीनियरी पहलुओं और फलावधि के कारण एक दीर्घकालीन भविष्यप्रभावी योजना की आवश्यकता होगी ताकि विस्तृत अनुसंधानों के लिए और परियोजनाओं की सामयिक स्वीकृति के लिए अग्रिम कार्यवाही यह सुनिश्चित करने के लिये की जा सके कि वे आवश्यकतानुसार पूरी की जायें। तदनुसार १६७१ ८१ की अवधि के लिए एक दशाब्दी योजना तैयार की गई है। यह योजना इस आधार पर तैयार की गई कि जनसंख्या दशाब्दी के अन्त तक लगभग ६५० मिलियन हो जायगी और ५५ मिलियन मेट्रिक टन की अतिरिक्त खाद्यान्न आवश्यकताएं उत्पन्न हो जाएगी। इसमें से बीजों की सुधरी हुई किस्मों, समुन्नत कृषि पद्धतियों आदि से २६ मिलियन मेट्रिक टन की प्राप्ति होने की सम्भावना है। १६७१ ७४ की अवधि में सिंचित क्षेत्रों के लक्ष्यानुसार विस्तार से ६ मिलियन मेट्रिक टन की सम्भावना है। अनुमान है कि शेष २० मिलियन मेट्रिक टन में से १२ मिलियन मेट्रिक टन की उपज वृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत उत्पन्न अतिरिक्त सिंचाई सुविधाओं से प्राप्त हो जायगी। इसके लिए लगभग ८ मिलियन हैक्टयर (२० मिलियन एकड़) अतिरिक्त सिंचित क्षेत्र की आवश्यकता है। इतना क्षेत्र और बढ़ाने के लिए २२५० करोड़ रुपए व्यय करने पड़ेंगे। जिन स्कीमों को अनुसंधान करके इस उद्देश्य के लिये चुन लिया गया है उनकी सूची तैयार कर ली गई है।

बिजली खपत विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत किसी भी राष्ट्र की प्रगति और वहां के लोगों के रहन सहन के स्तर के लिये एक सामान्य मानदण्ड मानी जाती है। कृषि और उद्योग का द्रुत विकास पर्याप्त और विश्वसनीय विद्युत सम्भरण पर निर्भर होता है। इस लिये अर्थ-व्यवस्था के सभी सेक्टरों में विद्युत की मांगों को पूरा करने के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। गत दो दशाब्दियों में विद्युत विकास में बहुत तरक्की हुई है। देश में कुल प्रतिष्ठापित विद्युत जनन क्षमता १६५० ५१ के अन्त में केवल २ ३ मिलियन किलोवाट ही थी। दिसम्बर १६७३ तक यह बढ़कर १७ ५ मिलियन किलोवाट हो गई है। १६५० ५१ में विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत १८ यूनिट थी जो कि १६७२ ७३ में बढ़कर ६६ यूनिट हो गई। चतुर्थ योजना में २३ मिलियन किलोवाट के लक्ष्य को प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है। इसमें पुराने और अप्रचलित सयन्त्रों की ० ४ मिलियन किलोवाट बिजली को शामिल नहीं किया गया है।

चालू दशाब्दी के अन्त (अर्थात् १६८० ८१) तक कम से कम २५० यूनिट के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रति व्यक्ति खपत को बढ़ाने के लिये लगातार कोशिश करते रहने की आवश्यकता है। तदनुसार विद्युत विकास के लिए एक दशाब्दी योजना तैयार की गई है जिसमें १६८० ८१ के अन्त तक ५२ मिलियन किलोवाट की प्रतिष्ठापित विद्युत जनन क्षमता का विकास परिकल्पित है। इस योजना को तैयार करते समय देश के विभिन्न क्षेत्रों के समुचित विकास को दृष्टि में रखा गया है।

बिजली की मांगों को समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त उत्पादन सुविधाओं के प्रबन्ध के लिये कार्य पहले ही आरम्भ करना पड़ता है। अतः १६७२ ७७ की अवधि के पांच वर्षों के दौरान अतिरिक्त विद्युत जनन क्षमता के प्रतिष्ठापन के सम्बन्ध में अध्ययन

किये गये हैं। इससे यह पता चलता है कि १९७६-७७ के अंत तक १७७ मिलियन किलोवाट की अतिरिक्त विद्युत-जनन क्षमता की आवश्यकता होगी। इसमें से ८५ मिलियन किलोवाट उन स्कीमों से आनी है जिन पर इस समय काम हो रहा है और जो १९७२-७३ से १९७६-७७ के दौरान ५ वर्षों में चालू होने वाली परियोजनाओं से प्रत्याशित हैं। विकसित स्थलों पर विस्तारों के रूप में आरम्भ की जा सकने वाली स्कीमों से ५५ मिलियन किलोवाट और परिकल्पित है। शेष ३७ मिलियन किलोवाट नई उत्पादन स्कीमों से पूरा करने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम के लिए चतुर्थ योजना के शेष दो वर्षों के दौरान ५६० करोड़ रुपये और १९७४-७५—१९७६-७७ की अवधि के लिये १५४० करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

बिजली का भीषण संकट

१९७२-७३ का वर्ष बिजली की दृष्टि से संकट का वर्ष रहा। बिजली की कमी के कारण देश के अनेक उद्योग तो ठप्प रहे ही साथ ही हरित क्रांति के मार्ग में भी भीषण बाधा आ खड़ी हुई।

प० बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं गुजरात भारत के कुल औद्योगिक उत्पादन का ६० प्रतिशत उत्पन्न करते है। बिजली की कमी से ये चार राज्य ही मुख्य रूप से प्रभावित रहे।

महाराष्ट्र में १६ प्रतिशत कमी की गई है। गुजरात को ९३६ मेगावाट की जरूरत होती है मगर उसे सप्लाई ७२५ मेगावाट की थी। इस प्रकार वहां के औद्योगिक क्षेत्र का लगभग १.५० करोड़ रुपए प्रति सप्ताह का घाटा हो रहा है। प० बंगाल में १५ प्रतिशत कटौती की गई है। इस प्रकार औद्योगिक उत्पादन में लगभग १५.८ प्रतिशत की गिरावट आ गई है।

पाण्डिचेरी में अगर कटौती ७० प्रतिशत की गई है तो हरियाणा में ५५ प्रतिशत है। हरियाणा के नव निर्मित औद्योगिक क्षेत्र (फरीदाबाद) को इस कटौती से भारी धक्का लगा है। उड़ीसा को ६० मेगावाट की कमी का तब सामना करना पड़ा जब ६२.५ मेगावाट शक्ति का तलचर बिजलीघर एकदम टूट गया। अमेरिकी सहयोग से बने इस स्टेशन को ३० करोड़ रुपए की हानि का भी सामना करना पड़ा।

पंजाब में बिजली की ४० प्रतिशत कटौती से चावल का उत्पादन ४५० लाख टन एवं गेहूं का ६०० लाख टन गिर गया। इससे किसानों का लगभग १०५ करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ा।

जिन राज्यों में खपत कम एवं बिजली ज्यादा थी वे भी कमी महसूस कर रहे हैं। कर्नाटक के पास १९७०-७१ में २६.७ करोड़ किलोवाट बिजली ज्यादा थी मगर १९७२-७३ में २५ प्रतिशत की कमी कर दी गई। उसे २७ करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ा। बिहार के पास १९७०-७१ में ११७.४० करोड़ किलोवाट फालतू बिजली थी, मगर वहां भी कटौती ने भारी असंताप पैदा किया है। स्वयं तमिलनाडू के पास १५६.८० करोड़ कि० वा० ज्यादा बिजली थी मगर आज वह सबसे ज्यादा बिजली के अभाव से ग्रस्त राज्य है। मध्य प्रदेश, दिल्ली, केरल एवं हिमाचल प्रदेश के पास बिजली की कमी नहीं है मगर ये राज्य अन्य राज्यों को बिजली की सप्लाई कर रहे हैं फलतः कुछ कटौती का सामना जनता को करना पड़ रहा है। राज्यों में बिजली में हुई कटौती की हानि मार्च, १९७३ तक लगभग

१,००० करोड रुपए आकी गई थी। जून १६७३ तक यह क्षति बढकर १,३०० करोड रुपए हो गई है। जानकार क्षेत्रो का अनुमान है कि बिजली कटौती के प्रभावो का गहराई से अध्ययन किया जाए तो यह राशि २००० करोड रुपए से कम नही हो सकती।

फडरेशन ग्राफ इण्डियन चम्बर ग्राफ कामस एण्ड इण्डस्ट्री के अनुसार बिजली कटौती से केवल उद्योगो को २० करोड रुपए प्रति माह घाटा हो रहा है। जूट उद्योग को १० करोड की हानि हो चुकी है। हिंदुस्तान स्टील्स म अब तक ८० हजार टन का उत्पादन कम हुआ है। बिजली सकट ने भारत के निर्यात व्यापार को भी प्रभावित किया है। अन्न आयात के निणय के पीछे बिजली की कमी भी एक कारण है।

सकट जल्दी दूर नहीं होगा योजना मत्रालय के अनुसार भारत से बिजली सकट जल्दी दूर होने वाला नही है। लगभग पाच वर्षो तक बिजली की कमी रहेगी। १६७८ ७६ तक ४१० लाख किलोवाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसका अथ हुआ कि पाच वर्षो मे उत्पादन क्षमता २१८ लाख किलोवाट बढानी होगी क्योकि इस समय उत्पादन क्षमता १६७ लाख मेगावाट ही है जबकि लक्ष्य २३० लाख किलोवाट था। इस प्रकार १६७३ तक ही ३३ लाख किलोवाट की कमी थी।

वास्तव म बिजली का सकट तो प्रथम पचवर्षीय योजना से ही है। प्रथम योजना का लक्ष्य १४ लाख किलोवाट था जबकि उत्पादन सिफ ११ लाख किलोवाट ही हो पाया। इस प्रकार २० प्रतिशत कमी रही। दूसरी योजना म यह कमी बढकर ३६ प्रतिशत हो गई। तीसरी योजना म हम लक्ष्य का सिफ ६५ प्रतिशत ही प्राप्त कर पाए।

१६६६ ७२ की तीन वार्षिक योजनाओ म यह कमी सबसे ज्यादा ३८ प्रतिशत रही। १६५० म प्रति व्यक्ति माग जहां १८ कि वा थी १६७२ म यह बढकर ६३ कि वा हो गई मगर १६७२ मे बिजली उत्पादन मे वद्धि केवल ७ २ प्रतिशत ही हुई जबकि माग २७ प्रतिशत थी। इस प्रकार देश म बिजली की कमी तो प्रारम्भ से ही थी।

विद्युत उत्पादन के विभिन्न साधन भारत म बिजली का उत्पादन पानी कोयले एव परमाणु शक्ति साधनो से होता है। पानी से उत्पादित होने वाली बिजली के लिए जल विद्युत केन्द्र स्थापित किए जाते हैं उनकी सख्या देश मे ७६ है। उनकी ८,७८ ८२० कि वा बिजली उत्पादन की क्षमता है। मगर यह साधन पूणत प्रकृति पर निभर है। यही कारण है कि जिस वष भी मानसून न आए या कम अथवा देर से आए सारी बिजली व्यवस्था ग्रस्त व्यस्त हो जाती है। हमारी बाध परियोजनाओ म कमी है। वे वर्षा का पानी ज्यादा समय तक नहा रोक सकती। भाखडा एव रिहन्द बाध म खराबी क समाचार मिलते ही रहते हैं। इस प्रकार पानी द्वारा बिजली उत्पादन योजनाए उचित सुधार किए बिना निभर योग्य नही।

बिजली उत्पादन का दूसरा साधन कोयला है तापविद्युत केन्द्रो म वह प्रयुक्त होता है। भारत म ६■ थमल स्टेशन या तापविद्युत केन्द्र हैं। इस समय कोयले का स्टाक १ ३० करोड टन है जो कि बहुत पर्याप्त है। मगर तापविद्युत केन्द्रो (थमल स्टेशनो) को ज्यादा प्रोत्साहन नही दिया गया।

परमाणु उपयोग की महत्ता

बिजली उत्पादन का एकमात्र सामन्यक एव शक्तिशाली उपाय परमाणु उपयोग है। हालांकि परमाणु स्टेशन के निर्माण म १० वष लगते हैं दूसरे इस पर खच भी ज्यादा

होता है मगर भारत के लिए यही लाभदायक है। भारत के पास ४० हजार टन यूरेनियम एव ५० हजार टन थिरेटिन का विशाल भण्डार है जो विश्व म सर्वाधिक है।

डा० भाभा ने १६५६ म बिजली उत्पादन के लिए परमाणु उपयोग की बात कही थी। डा विक्रम साराभाई ने भी परमाणु उपयोग पर बल दिया था।

पाचवीं योजना के दौरान निर्माणाधीन प्रोजेक्ट

राज्य	निर्माणाधीन प्रोजेक्ट म बिजली उत्पादन मेगावाट	अनुमानित खच करोड रुपए	स्वीकृत पूजी करोड रुपए	स्वीकृत प्रोजेक्ट जिन पर निर्माण होना है	अनुमानित खच करोड रुपए
पजाब	४८७	१६५ ४३	२२ ८५	—	—
हरियाणा	३६१	१०० ६७	२३ ४३	—	—
राजस्थान	२७२	७१ ५१	११ ७२	—	—
जम्मू-कश्मीर	६६	४८ २८	२१ ८७	—	—
हिमाचल	६०	१५ ००	२ ६२	—	—
उत्तर प्रदेश	१२६५	१२४ ६०	१२१ ३७	—	—
गुजरात	५८५	१०० ६४	४२ १८	२४० मगावाट	२३ ३८
मध्य प्रदेश	३६०	५५ १६	५४ ७६	१०७	१७ ३६
महाराष्ट्र	७००	११५ ५८	३५ ३०	१२५ ,	१७ ८४
आन्ध्र प्रदेश	४००	७७ ५०	४२ ०६	१००	८ ३८
केरल	३६०	८० ००	५ ४०	४७०	३१ ६६
कर्नाटक	३५६	४६ २४	१६ ५८	५५ ,	८ ८६
तमिलनाडु	१४५	२३ ४४	४ ६२	२१०	३३ १७
बिहार	३५०	६४ ५०	१० ६४	११० ,	१४ ५६
उडीसा	२४०	३२ ३७	१ ७७	२२०	३६ ४०
प बगाल	२४०	३८ ८६	२२ ७२	२०० ,	३० ३५
असम	६०	६ २४	५ ०२	— ,	—
त्रिपुरा	१०	११ ५०	२ ६३	— ,,	—
केन्द्रीय क्षेत्र	१२१५	३५३ ४०	१८६ ६१	२३५	२६ ८७
पूण भारत	७६२५	१४४४ १५	६१४ ७८	२१६२	२७० ०६

कुल यूनिट शक्ति वद्धि एव प्रोजेक्ट = ३६

ग्राम विद्युतीकरण ग्राम विद्युतीकरण को उच्च प्राथमिकता दी गई है। पप सेटो के ऊजन स कृषि के लिय धरातल गत जल ससाधनो के समुपयोजना म तेजी लाने के काय को भी प्राथमिकता दी गई है। ग्राम विद्युतीकरण की प्रगति म जिसमे १६६६-६७ के दौरान बडी तजी ला दी गई थी चतुथ योजना अवधि के दौरान और भी तेजी ला दी गई है। चतुथ योजना के आरम्भ मे विद्युतीकरण ७४००० ग्रामो और १० ८८ लाख पम्पो के प्रति दिसम्बर १६७२ के अत तक कुल १ १८ लाख ग्राम विद्युतीकृत और १८ ०२ लाख पम्प-नलकूप ऊर्जित किय गये जिसम देश की लगभग ४० प्रतिशत ग्रामीण जनता को लाभ

हुआ । हरियाणा, पांडिचेरी और दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्रों ने यह श्रेय प्राप्त किया है कि उन्होंने अपने सभी ग्रामों में बिजली पहुंचा दी है । ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए १९६९ में स्थापित रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन ने दिसम्बर १९७२ के अंत तक १०० करोड़ रुपये लागत की १७० स्कीमें स्वीकार करके इस दिशा में अत्युत्तम शुरुआत की है । इन स्कीमों में १५८८४ ग्रामों का विद्युतीकरण, १.७ लाख पंपसेटों का ऊर्जन और ३८००० लघु उद्योगों और कृषि उद्योगों को बिजली के कनेक्शन देना परिकल्पित है । इनमें से ७६ स्कीमें पिछड़े इलाकों के लिए हैं जिनके लिए रियायती शर्तों पर ऋण दिये गये हैं । इसके अतिरिक्त निगम ने चार ग्राम विद्युत सहकारी संस्थाओं की स्कीमें स्वीकार की हैं जिनमें ७२९ ग्रामों के विद्युतीकरण, २०६०० पंपों के ऊर्जन और १५५० लघु उद्योगों और कृषि उद्योगों के लिए कनेक्शन देने के लिए १.०० करोड़ रुपये की ऋण सहायता की परिकल्पना की गई है ।

पहले से विद्युतीकृत ग्रामों के अन्दर और उनके आसपास की हरिजन बस्तियों में बिजली देने में राज्य विद्युत बोर्डों की सहायता करने के लिए दिसम्बर १९७१ से एक स्कीम चालू की गई है । यह देखा गया है कि विद्युतीकृत ग्रामों में तो घरों और गलियों की रोशनी की सुविधा है लेकिन धन की कमी के कारण हरिजन बस्तियों में यह सुविधा नहीं दी गई है । इस स्कीम के अनुसार, जो कि रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन द्वारा चलाई जायगी, राज्य बिजली बोर्डों को पूंजीगत कार्यों के लिए ऋण सहायता दी जाएगी । राज्य सरकारें स्थानीय पंचायतों अथवा अन्य प्राधिकरणों द्वारा ऊर्जा संबंधी बिलों की अदायगी की व्यवस्था करेंगी । चतुर्थ योजना की शेष अवधि में ८ करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर २०००० हरिजन बस्तियों में बिजली लगाने का प्रस्ताव है ।

यद्यपि ग्राम विद्युतीकरण के क्षेत्र में काफी उपलब्धियां हुई हैं फिर भी अभी काफी कुछ करना है । ग्रामीण जनता में आशा आकांक्षा जागी है और इस समय अर्थव्यवस्था उन्नति की ओर उन्मुख हो रही है । यह आवश्यक है कि गति में तेजी लाई जाय और एक भारी कार्यक्रम हाथ में लिया जाय । यह वांछनीय समझा गया है कि १९७१-८१ की अवधि के लिये एक दशाब्दी योजना तैयार की जाय और लक्ष्य निर्धारित किये जायें । तदनुसार, एक योजना तैयार की गई है जिसमें ४८.७ लाख पंपों के ऊर्जन की परिकल्पना की गई है ताकि मार्च १९८१ तक कुल मिलाकर ६५ लाख पंपों को ऊर्जित किया जा सके । इसी प्रकार ग्रामों के विद्युतीकरण के लिये २.३३ लाख ग्रामों के लक्ष्य की परिकल्पना की गई है जिससे ३.४ लाख ग्राम विद्युतीकृत हो जायेंगे । यह संख्या देश के कुल ग्रामों का ६० प्रतिशत है । अनुमान लगाया गया है कि १९७१-७४ की अवधि के दौरान ८३० करोड़ रुपये और १९७४-८१ अवधि में १८४० करोड़ रुपये के परिव्यय की आवश्यकता होगी ।

१९७२-७३ की उपलब्धियां : इस वर्ष के दौरान सिंचाई और विद्युत के विकास में प्रत्याशित लक्ष्य तथा उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :

	लक्ष्य	प्रत्याशित उपलब्धियां
सिंचाई क्षमता	१.१२ मिलियन हैक्टेयर	०.०९ मिलियन हैक्टेयर
विद्युत	१.५ मिलियन किलोवाट	१.० मिलियन किलोवाट

परिव्यय

चौथी याजना म सरकारी क्षेत्र व परिव्यय का विवरण निम्न प्रकार है—

(कराड रुपए म)	राज्य	सघराज्य क्षेत्र	कद्र	केद्र सचालित	याग
(१) उत्पादन जारी स्कीम	७९७ ७३	२३ ४०	२१० १०	—	१०३१ २२
नइ स्कीम	१६५ ८६	—	४५ ००	—	२१० ८६
(२) पारेषण ग्रार वितरण	६७७ ८६	३८ ७१	९ ००	२२	७४८ ३७
(३) ग्राम विद्युतीकरण	२७८ ३४	७ ४८	१५० ००	—	४३५ ९२
(४) ग्रनुसधान ग्रौर विविध	१२ ८४	५ ९८	२९ ८२	—	२८ ६४
याग	१९३२ ५८	७४ ६	४२४ ७२	२२	२४५४ ९७



: १८ :

भारतीय कृषि

भारत के राष्ट्रीय जीवन म खेती का अत्यधिक महत्व है। कृषि प्रधान देशा म भारत का स्थान अनन्यतम है। भारत की राष्ट्रीय आय म खेती का भाग सब से बड़ा है। यह ५० प्रतिशत राष्ट्रीय आय देती है। ७० प्रतिशत भारतीय आजीविका के लिए भूमि पर निर्भर हैं। भारत खाद्यान्न के मामले म आत्मनिर्भर नहीं है किन्तु इस ओर तेजी से बढ रहा है।

मूगफली और चाय के उत्पादन म भारत का स्थान पहला है। लाख के उत्पादन म भारत का एकाधिकार है। चावल जूट गन्ना राई तिल और रैंडी-बीज के उत्पादन म भारत का स्थान दूसरा है।

भूमि का उपयोग भारत की कुल भूमि ३२ ६८ करोड हेक्टर है। इसम स ३० ५६ करोड हेक्टर अर्थात ९३ ५ प्रतिशत भूमि की जानकारी सकलित हो सकी है। कृषि योग्य भूमि १६ ४२ करोड हेक्टर है। इस समय १५ ८० करोड हेक्टर भूमि म खेती होती है।

कृषि योग्य भूमि म स कुल ३ ६५ करोड हेक्टर भूमि म सिंचाई होती है। भूमि की साधारण जोत ५ हेक्टर की है।

मिट्टी कृषि-योग्य भूमि की मिट्टी चार किस्म की है (१) कछारी व बलूही व जलोढ (२) लाल (३) काली और (४) ककरीली या मखयारी।

ककरीली या मखयारी जमीन म ह्यूमस की मात्रा तो बहुत अधिक होती है किन्तु इसम अन्य रासायनिक तत्वो का अभाव होता है। ककरीली या पथरीली जमीन मध्य भारत असम और पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के साथ-साथ पाई जाती है। कछारी या बलूही भूमि अत्यधिक उपजाऊ होती है। गगा के सम्पूर्ण मैदान म इसी किस्म की मिट्टी पाई जाती है। *यह प्रायद्वीप के किनारे की पट्टी पर पाई जाती है। दक्षिण पठार के पश्चिमी भाग म* शोलापुर नागपुर और बम्बई काली मिट्टी के क्षेत्र म है।

प्रमुख फसलें भारत म फसलो की दो मौसम मुख्य हैं। एक खरीफ की फसल और दूसरी रबी की। खरीफ की फसल साधारणत दशहरे के बाद दिवाली तक कट कर घर म आ जाती है। रबी की फसल बसाख के एक पखवारे के बाद कट कर बाजार म पहुच जाती है। खरीफ की फसलें धान ज्वार बाजरा मक्का कपास गन्ना तिल और मूगफली। दाल भी इसी समय होती हैं। रबी की मुख्य फसल हैं गेहूं चना जौ राई और सरसो।

उपज भारत म प्रति एकड उपज कम है। साधारणत चावल प्रति एकड ६००

विनाग्राम पैदा होता है। गेहूं की उपज ३३० कि० ग्रा० है। समस्त अन्न धान्यों की उपज को लिया जाय तो औसत २५० कि० ग्रा० ही आती है। कृषि उपज चार प्रकार की हैं (१) अनाज धान या चावल गेहूं जौ बाजरा दालें चना गन्ना और मसाले। जोत की कुल जमीन में से तीन चौथाई में अनाज की खेती होती है (२) तिलहन तीसी राई सरसों और तिल रेंडी के बीज मूंगफली और नारियल (३) रेशे कपास जूट सन और फ्लैक्स है। (४) औषध व पेय जैसे पोस्त सिनकोना तम्बाकू चाय और कॉफी।

विभिन्न फसलों की स्थिति

(लाख हेक्टर में)

फसल	आधार स्तर १९६८ ६९	१९७३ ७४ के लिए चौथी योजना का लक्ष्य	१९७० ७१ (वास्तविक)	क्षेत्र व्याप्ति १९७१ ७२	१९७२ ७३
धान	४६ ०	१०१ ०	८५ ६	७८ १	६० ०
मक्का	४ ०	१२ ०	८ ६	८ ४	५ ०
ज्वार	३ ०	२० ०	८ ०	६ ६	११ [illegible]
बाजरा	३ ०	४८ ०	४० ८	१३ ८	३० ०
गेहूं	८८ ०	३३ ०	६८ ८	७६ २	८५ ०
कुल	९४ ०	५० ०	१५ ८	१३९ [illegible]	४४१ ०

खाद्यान्नों का उत्पादन (लाख मी० टन)

वर्ष	चावल	गेहूं	अन्य अनाज	कुल अनाज	कुल दालें	कुल खाद्यान्न
१९६७ ६८	३९	१६४	८६	८२०	९ १	६४१
१९६८ ६९	६८	१८३	८१	८	१०८	६८०
१९६९ ७०	८०८	०१	३३	८३८	११३	६६८
१९७० ७१	८	४ ८	३०६	६६८	११८	१०८८
१९७१ ७२	८ ३	४६४	८८	६३६	१११	१०८३

फसल उत्पादन में गिरावट

१९७१ ७२ में [illegible] फिर [illegible] [illegible] कृषि उत्पादन [illegible] १९६८ ६९ में ६८ [illegible] [illegible] १९७० ७१ में १०८८ [illegible]

था पर वह १६७१ ७२ म ३ ५ प्रतिशत कम होकर १० ८० करोड मीटरी टन के स्तर पर आ गया। मोटे अनाजो म जो मुख्यत वर्षा-पोषित हालतो म और अशत अर्ध रूप और रूक्ष जमीन पर उगाये जाते हैं पिछले साल की तुलना म ६ लाख मीटरी टन की कमी आयी। दूसरी ओर गेहू का उत्पादन जो पिछले साल म २ ३८ करोड मीटरी टन था और आगे बढकर २ ६५ करोड मीटरी टन के नये उल्लेखनीय स्तर पर पहुच गया। चावल का उत्पादन भी ५ लाख मीटरी टन घटकर ४ ७७ करोड मीटरी टन के स्तर पर पहुच गया।

वाणिज्यिक फसलो के मामले म कपास का उत्पादन बढकर ६५ ३० लाख गाठ के उल्लेखनीय स्तर पर पहुच गया और उसम पिछले साल की तुलना म ४५ प्रतिशत की वृद्धि हुई और पिछले सर्वोत्तम स्तर वाले वर्ष १६६४ ६५ की तुलना म १६ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

पटसन का उत्पादन ५७ १० लाख गाठ रहा और इस तरह उसम पिछले साल की तुलना म १५ ७ प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसकी तुलना म पाच प्रमुख तिलहनो (बादाम मूगफली तोरिया और सरसो, तिल अलसी और अरडी) का उत्पादन पिछले साल म ६३ लाख मीटरी टन के उल्लेखनीय उत्पादन से गिरकर ८३ लाख मीटरी टन रह गया। गन्ने का उत्पादन भी १६७० ७१ के १ ३ करोड मीटरी टन (गुड के अनुसार) के स्तर से बढकर १ १७ करोड मीटरी टन हो गया।

१६७२ ७३ के दौरान खरीफ के मौसम म हुए नुकसान को पूरा करने और रबी और गर्मी की फसलो का उत्पादन बढाने की दृष्टि से एक आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम हाथ म लिया गया। राज्यो को केन्द्रीय सहायता के रूप म इस कार्यक्रम के लिये १५२ करोड रु० के दीर्घकालीन ऋणो का अनुमोदन किया गया जो मुख्यत लघु सिंचाई के विकास के लिए था। इरादा यह था कि शीघ्र ही फल देने वाली योजनाओ का अमल म लाया जाये, जिनसे चालू फसल वाले साल म ही उत्पादन बढाने म मदद मिल सके। राज्यो द्वारा हाथ म लिये गये कार्यक्रम म ये चीजें शामिल थी लगभग १ ५ लाख नलकूपो पपसेटो को ऊर्जा-चालित करना, लगभग २००० गहरे राज्य नलकूपो का निर्माण लगभग ६५००० उथले नलकूपो का निर्माण और ५००० से ज्यादा उठाऊ सिंचाई परियोजनाओ का कार्यान्वयन और साथ ही नदियो धाराओ आदि पर बाध बाधना जैसी दूसरी सिंचाई योजनाए इनके अलावा थी जिनसे तत्काल लाभ प्राप्त किये जा सकें। बीजो उर्वरको और कीटनाशियो जैसे कृषि आदानो की खरीद और वितरण के लिए राज्यो को अल्पकालीन ऋण देने के लिये केन्द्रीय बजट म जो ६० करोड रु० की व्यवस्था थी उसे बढाकर १०० करोड रु० कर दिया गया।

ज्यादा उपज वाली किस्मे

खाद्यान्न का उत्पादन बढाने के लिए ज्यादा उपज वाली किस्मो की खेती एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। लक्ष्य था कि ज्यादा उपज वाली किस्मो की खेती २ ७१ करोड हैक्टर क्षेत्र म की जाये और आशा है कि हम इस लक्ष्य से आगे निकल जायगे। ज्यादा उपज वाला गेहू कम जोखिम वाली फसल सिद्ध हो रहा है क्योकि कीटो का भारी खतरा उसे नहीं होता और साथ ही कि डाक्टन जल प्रबन्ध पद्धति से काम चल जाता है। फलस्वरूप व्याप्ति और बढी हुई उत्पादिता दोनो ही बातो म काफी उल्लेखनीय प्रगति की गयी है। इसकी तुलना म चावल ज्वार बाजरा और मक्का की ज्यादा उपज वाली किस्मे कही ज्यादा जोखिम वाली फसलें मानी जाती हैं जिन पर पानी की कमी-बेशी से बडा असर पडता है और कुछ मामलो

म बीमारिया और कीट उनको ज्यादा घरते ह। साथ ही किस्म क आधार पर विपणन की भी दिक्कतें हाती है। उनके मामले म प्रगति अपक्षया कम रही है। अच्छी किस्म विकसित करने और ज्यादा अच्छी काय विधिया का लाकप्रिय बनाने के लिये अनुसधान और विकास के प्रयास बढाये जा रहे है।

दलहनो का उत्पादन पिछले कुछ सालो से दलहना का उत्पादन स्थिर रह गया था। राज्य सरकारा क दलहन उत्पादन बढाने सबधी प्रयासा म उनको मदद देन क लिये खरीफ १९७२ से एक केन्द्र प्रायोजित योजना हाथ म ली गयी है। इस याजना के अधीन अल्प अवधि वाल और सुधरी किस्मा वाले बीज के प्रदशन और वधन के लिये तथा दलहन की फसला म काम आने वाले वनस्पति रक्षक रसायना और राइझोबियम के उपयाग क लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। दलहना की ज्यादा उपज वाली और अल्प अवधि वाली किस्मा का विकसित करने के लिये अनुसधान के काम को तेज किया जा रहा है।

वाणिज्यिक फसलें तिलहन कपास पटसन तम्बाकू और दूसरी वाणिज्यिक फसला क उत्पादन को बढाने के लिए इस वष अनेक उपाय किये गये। १९७२ ७३ के चालू वष म मूगफली पदा करन वाले कई महत्वपूण राज्या म व्यापक सूखा पड जाने के कारण उसके उत्पादन को कुछ क्षति पहुची है। मूगफली का उत्पादन बढाने के लिए लगभग ५ २ लाख हक्टर सिंचित क्षत्र गर्मी की मूगफली फसल क अधीन लाने के लिए उपाय किये गये है। तारिया और सरसा के अधीन आन वाल क्षेत्र का बढाने क लिए और २ ७५ लाख हैक्टर क सरसा की फसल वाल इलाका म वनस्पति रक्षण के उपाय करक उसका उत्पादन बढाने क लिए भी कदम उठाये गये है। आन्ध्र प्रदेश कर्नाटक और तमिलनाडु के १ ८० लाख हैक्टर क्षेत्र म सूरजमुखी के विकास और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात और उत्तर प्रदेश के ३६००० हैक्टर क्षेत्र म सोयाबीन के विकास का काम भी केन्द्र प्रायोजित योजनाओ क अधीन हाल म लिया गया है। बिनौले के तल और धान भूसी के तेल का ज्यादा उपयाग बढान क लिए राजकोषीय प्रोत्साहना की व्यवस्था की गयी है। वक्षमूलक तिलहना के सग्रह और उपयाग का भी बढाया जा रहा है।

वाणिज्यिक फसलो का उत्पादन

गत पाच वर्षो क दौरान प्रमुख वाणिज्यिक फसला के उत्पादन की स्थिति इस प्रकार है।

जिन्स	यूनिट	१९६७ ६८[१]	१९६८ ६९[१]	१९६९ ७०[१]	१९७० ७१	१९७१ ७२[२]
तिलहन[*]	लाख मीटरी टन	८३	६८	७७	९३	८३
गन्ना (गुड क रूप म)		९८	१२८	१३८	१३०	११७
कपास लाख गाठें (प्रत्येक १८० कि० ग्रा० का)		५५	५१	५३	४५	६५
पटसन		६३	२९	५७	४९	५७

१ आशिक रूप स सशाधित अनुमान।

२ अन्तिम अनुमान।

* इसम मूगफली तारिया सरसा तिल अलसी और अरण्डी शामिल हैं।

गन्ना क्षेत्र और उत्पादन के आरंभिक अनुमानों के अनुसार १९७२ ७३ में गन्ने वाले क्षेत्र पिछले साल की तुलना में ५ ३ प्रतिशत अधिक हैं। फिर भी देश के अनेक हिस्सों में सूखे के कारण गन्ने के उत्पादन में मामूली सी ही वृद्धि हो सकेगी। १९७३-७४ में देश के उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में उसका उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से एक आपात उत्पादन कार्यक्रम हाथ में लिया गया।

अन्य वाणिज्यिक फसलें कपास का उत्पादन ६५ ३ लाख गांठों के नये शिखर स्तर पर पहुंच गया और इसमें पिछले साल की तुलना में ४५ प्रतिशत की और पिछले शिखर वर्ष १९६४-६५ की तुलना में १४ प्रतिशत की वृद्धि हुई। चालू साल में इस फसल पर खास कर कपास उगाने वाले कई क्षेत्रों में सूखे की स्थिति के कारण उलटा असर पड़ा है। फिर भी सघन कपास जिला कार्यक्रम और कपास की ज्यादा उपज वाली किस्मों खासकर संकर-४ वाले इलाके को बढ़ाते हुए विभिन्न कार्यक्रमों के फलस्वरूप कपास उत्पादन की स्थिति कुल मिलाकर सन्तोषजनक है।

१९७१ ७२ में पटसन का उत्पादन ५७ १ लाख गांठ रहा जो पिछले साल की तुलना में १५ ७ प्रतिशत अधिक था। पर १९७२ ७३ में वह कम होकर ३८ ७ लाख गांठ रह गया है अर्थात १४ ३ प्रतिशत की कमी आयी है जिसका मुख्य कारण पटसन उगाने वाले अधिकांश क्षेत्र में सूखा या कम या अनिश्चित वर्षा का होना है। पटसन के लिये २ केन्द्र प्रायोजित योजनायें अर्थात (१) सघन पटसन जिला कार्यक्रम और (२) विभिन्न पटसन पैदा करने वाले क्षेत्रों में पटसन और मेस्ता दोनों के ऊपर यूरिया का हवाई छिड़काव चालू है।

तम्बाकू का उत्पादन १९७१ ७२ में ४ ०१ लाख मीटरी टन के शिखर स्तर पर पहुंच गया और इस तरह उसमें १३ १ प्रतिशत की वृद्धि पिछले साल की तुलना में हुई।

केला अखरोट नारियल काजू और लाख की विकास योजनायें भी अमल में लायी जा रही हैं।

लघु सिंचाई

अनुमान है कि १९७२ ७३ में लघु सिंचाई के विकास के लिये सार्वजनिक उद्योग क्षेत्र में रखे गये लगभग १०७ ८० करोड़ रुपये का परिव्यय और १३० करोड़ रु० के लगभग का संस्थागत वित्त काम में लाया गया। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अधीन १५२ करोड़ रु० की स्वीकृति दी जिसमें से अधिकांश विभिन्न लघु सिंचाई योजनाओं के विकास पर पहले ही खर्च किया गया है। फलस्वरूप अतिरिक्त सिंचाई सुविधायें लगभग १३ ८० लाख हैक्टर क्षेत्र में सामान्य लघु सिंचाई कार्यक्रमों के अधीन और अतिरिक्त १० लाख से ज्यादा हैक्टर क्षेत्र में आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अधीन उपलब्ध कर दी गई। ऐसी सभी भूजल योजनाओं की तकनीकी परिनिरीक्षा के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त बना लिये गये हैं जिन योजनाओं का वित्तपोषण सामान्य योजना की निधि और कृषि पुनर्वित्त निगम की निधि से किया जाना है। भारत में भूगर्भ सर्वेक्षण की भूजल शाखा को १ अगस्त १९७२ से केन्द्रीय भूजल बोर्ड के साथ मिला दिया गया है। इस तरह अब यह बोर्ड भूजल खोज, मूल्यांकन विकास और प्रबंध के सभी पहलुओं पर काम करने वाला राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र एकीकृत संगठन बन गया है।

सिंचाई साधनों की उपलब्धियां

(हजार म)

क्रम सख्या मद	निम्नलिखि वर्षों के अत म उपलब्धिया			
	१९६५ ६६	१९६८ ६९	१९७१ ७२	१९७२ ७३
१ खुले कुए	५ ११९	५ ६९५	६ १९०	६३४०
२ विद्युत पम्पसैट	५१३	१०८९	१९००	२०७९
३ निजी नलकूप	६३	२६६	५९८	७१८
४ राजकीय नलकूप	१२	१५	१७	१८

इन आकडा म आपात कृषि उत्पान्न कायक्रम के अतगत प्राप्त उपलब्धिया शामिल नही है। अद्यतन उपलब्ध रिपोर्टों क अनुसार इस कायक्रम क अतगत ५३ ००० स अधिक उथल नलकूप २६ ४०० पम्पसैट और १ ५७० गहरे नलकूप लगाये गये है तथा ४ ००० स अधिक उठाऊ सिंचाई याजनाय क्रियान्वित की गई हैं। इसके अतिरिक्त लगभग १ २६ ९०० नलकूपा व पम्पसटा को ऊर्जाचालित किया गया है।

उर्वरक

१९७२ ७३ म उवरक की खपत १९७१ ७२ के स्तर स ज्यादा नही हुई। इसका मुख्य कारण अशत घरेलू उत्पान्न म हुई कमी और अशत अतर्राष्ट्रीय बाजारा म पर्याप्त रूप स उवरक उपलब्ध न होने की वजह स पूर्ति क मामले म कुछ बाधायें पदा हो जाना है। उपलब्ध पूर्तिया स सर्वोत्तम प्रतिफल प्राप्त करने के लिये आयातित और स्थानीय रूप स उत्पादित उवरका की समन्वित पूर्ति के लिए राज्य सरकारा रेलव और उवरक निर्माताओ स परामश करन हुए व्यवस्था की गयी। उवरक की मात्रा डालने के समय और यथोचित मिश्रण क बार म किसाना का सलाह दी गई ताकि उपलब्ध पूर्तिया से व यथासम्भव सर्वोत्तम प्रतिफल प्राप्त कर सकें।

बीज

१९७२ ७३ म सूखा पीडित क्षेत्रा म आपात कृषि उत्पान्न कायक्रम का अमल म लान क लिय १ ३५ लाख मीटरी टन की मात्रा तक गेहू क बीज की अतिरिक्त जरूरत का पूरा करन क लिय विशष व्यवस्था की गयी। बीज अधिनियम १९६६ म य उपबन्ध करने क लिय सशाधन किया गया (क) एक केन्द्र बीज प्रमाणन बाड का स्थापना करना जा बीज प्रमाणन क मामला म केन्द्र और राज्य सरकारा को सलाह देगा (ख) प्रमाणन क लिये प्रस्तुत किय गय बीजा क उच्चतर मानक निहित करना और (ग) पटसन के बीजा का बीज अधिनियम क क्षत्र म शामिल करना।

वनस्पति रक्षण

१९७२-७३ म वनस्पति रक्षण उपाया म ५ करोड हैक्टर क कुल क्षत्र को लाभ पहुचा। राज्य सरकारें कीटनाशी अधिनियम १९६८ का लागू करने हेतु प्रशासनिक तन्त्र

स्थापित करने की दिशा में कदम उठा रही हैं। कीटनाशियों के निर्माण, आयात और बिक्री के लाइसेंसों के लिये आवेदन प्राप्त हो रहे हैं।

अन्य कार्यक्रम

५५ बहु फसल परियोजनाओं के अधीन १९७२-७३ में ३३७५० किसानों को ९५१ प्रशिक्षण शिविरों के जरिये प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही इन परियोजनाओं के अधीन १०५६ विज्ञान प्रदर्शनियों और ९६८ अनुकूलन अनुसंधान जांच आयोजित की गई।

बारानी भूमि कृषि विकास की अग्रगामी परियोजनाओं की प्रगति बढ़ाने के लिए कार्य विधि सम्बन्धी कई परिवर्तन किये गए हैं। अनुसंधान केन्द्रों और अग्रगामी परियोजनाओं के बीच अच्छा समन्वय करने के लिए ध्यान दिया जा रहा है।

रेगिस्तान विकास के बारे में सम्बन्धित राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि चालू परियोजनाओं के लिए शुरू किये जा रहे कामों के लिए धन की जरूरत का और साथ ही पांचवी पंचवर्षीय योजना काल में इस अभिगम के अनुसार नये कार्यक्रम लेने के लिए धन की जरूरत का निर्धारण करें।

संस्थागत वित्त प्रबन्ध

सरकारी संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण १९७२-७३ में बढ़कर ६६० करोड़ रुपयों के स्तर पर पहुंच गये जबकि १९७१-७२ के सहकारिता वर्ष में यह अनुमानित स्तर ६०१ करोड़ रुपये था। सहकारी भूमि विकास-बंधक बैंकों द्वारा दिये गये दीर्घकालीन नये ऋणों की रकम १९७१-७२ में १७८ करोड़ रुपये थी जबकि १९७२-७३ में १९० करोड़ रुपये हो गई। कृषि विकास के वित्त पोषण के क्षेत्र में कृषि पुनर्वित्त निगम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ३० जून, १९७१ तक कृषि पुनर्वित्त निगम से २४६ करोड़ रुपयों की आबद्धता वाली ४५८ योजनायें मंजूर की गई थीं। ३० जून, १९७२ तक यह स्तर आगे बढ़कर ७११ योजनायें हो गया। इनके लिए निगम की आबद्धता ३५१ करोड़ रुपये थी। १९७२-७३ में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (विश्व बैंक) की फार्म विकास सम्बन्धी ऋण परियोजनायें महाराष्ट्र (३४.९९ करोड़ रुपये) और कर्नाटक (५१.२८ करोड़ रुपये) के लिए मंजूर की गई थीं। लघु और सीमान्त कृषकों और खेतिहर मजदूरों को ऋण प्रदान करने की सेवाओं सम्बन्धी अन्तरिम प्रतिवेदन में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने अनेक सिफारिशें की हैं। कृषक सेवा संस्थायें बनाने की सिफारिश की गई है। कुछ चुने हुए क्षेत्रों में राज्य सरकारों से परामर्श करते हुए ऐसी संस्थायें प्रायोगिक आधार पर बनाने का विचार है। ऐसी दो संस्थायें कर्नाटक के दक्षिण कनारा में स्थापित की जा रही हैं।

कमजोर वर्ग के लिए विशेष कार्यक्रम और रोजगार

लघु कृषक विकास अभिकरण की समस्त ४६ परियोजनायें चल रही हैं। इन परियोजनाओं के अधीन लगभग २२.६ लाख लघु किसानों (जिसमें ६.२ लाख सीमान्त कृषक शामिल हैं) को लिया गया है और लगभग १० लाख किसानों को सहकारिता के अधीन लाया गया है। इन अभिकरणों ने ३३.६८ करोड़ रुपयों के अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋणों तथा १६.४६ करोड़ रुपयों के दीर्घकालीन ऋणों की सहकारी संस्थाओं से व्यवस्था करवाने में मदद की है। लगभग ४८.३ हजार खात कूप नल कूप १२.९ हजार पम्पसैट इन अभिकरण

परियोजनाओ के अधीन स्थापित किये गए हैं। सीमांत कृषक और खेतिहर मजदूरो की ४१ परियोजनाओं के अधीन लगभग १० ८ लाख लोगो को लिया गया है। सीमांत कृषक और खेतिहर मजदूर अभिकरणो ने ४ १२ करोड रुपया के अल्पकालीन और मध्य कालीन ऋणो और १ ५६ करोड रुपया के दीर्घकालीन ऋणो की व्यवस्था सहकारी सस्थाओ के जरिए इन लोगो के लिए कराई है। लगभग ५२५० खात कूप नल कूप और २४४२ पम्पसेट इस योजना के अधीन स्थापित किये गये है और लगभग १३ ३ हजार दुधारु पशुओ की व्यवस्था की गई है।

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अधीन मुख्य आग्रह कृषि मजदूरो के लिए रोजगार की व्यवस्था करने पर किया जा रहा है जिसके लिए मध्यम लघु सिंचाई मृदा सरक्षण वनीकरण सडको आदि की सफल और उत्पादक योजनाये सगठित की गई है।

अप्रल और दिसम्बर १९७२ के बीच १५५ कृषि यंत्र सर्विस केन्द्र स्थापित किये गये और इस तरह उनकी कुल सख्या २५० हो गई। ऐसे केन्द्रो की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए ट्रैक्टर परीक्षण और प्रशिक्षण केन्द्र बुदनी और हिसार इन उपक्रमियो के प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं।

आन्ध्र प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश और उडीसा के राज्यो मे वनजाति विकास के लिए ६ अग्रगामी परियोजनाए हाल म ली गई है। १९७२ ७३ म इस योजना के लिए बजट व्यवस्था २ करोड रुपये थी। इस योजना के अधीन ३० हजार जनजाति वालो को लिया गया और इनको कृषि और बागवानी विकास कार्यक्रमो मे शामिल किया जा रहा है।

कृषि अनुसन्धान

बाढ पीडित क्षेत्रो के लिए अनुकूल चावल की किस्मो का पहचानने म प्रगति की गई है। वर्षा पीडित कम उर्वर क्षेत्रो के लिए उपयुक्त गेहू की तीन नयी किस्मो और जौ सकर बाजरा ज्वार और रागी की कुछ सुधरी किस्मो का भी विकास किया गया है। अनुसन्धान के आधार पर कपास तिलहन तम्बाकू और कुछ सब्जियो और फलो की नयी किस्मो की खेती के लिय सिफारिश की गई है। उनको निमुक्त किया गया है। बारानी और अर्धबारानी क्षेत्रो के लिये उपयुक्त फसलो की किस्मो लवण और क्षार वाले क्षेत्रो के लिए उपयुक्त किस्मो और रगिस्तानी हालत के लिए उपयुक्त पेडो की जातियो की खोज की जा रही है। हैदराबाद म अर्ध शुष्क उष्ण कटिबन्ध का एक अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसन्धान सस्थान स्थापित किया गया है। यह ज्वार अरहर और चना के सुधार केन्द्र के रूप म काम करेगा और बारानी और अर्ध बारानी उष्ण कटिबन्धो म फसलो की खेती की पद्धतियो के सुधरे रूपो के विकास और प्रदर्शन का सवर्धन करेगा।

कृषि शिक्षा

महाराष्ट्र सरकार ने दो नए कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किये हैं। हिमाचल प्रदेश म वन अनुसन्धान और असम म चाय अनुसन्धान का काम कृषि विश्वविद्यालयो को सौपा गया है। स्नातक पाठ्यक्रमो म छोटी जोत की प्रौद्योगिकी पर काफी जोर दिया जा रहा है। दस कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का फैसला किया गया है ६ बहु फसली क्षेत्र और एक एक डेरी बागवानी बागानी खेती और कृषि इंजीनियरी म। ये केन्द्र १९७३ ७४ के

अंत तक स्थापित हो जायेंगे। अनुसंधान के लिए छात्रवृत्तियां और अधि छात्रवृत्तियां की संख्या बढ़ाई गई है।

कृषि विपणन और निर्यात संवर्द्धन

देश में विनियमित बाजारों की संख्या जून १९७२ में २७१६ तक पहुंच गयी थी जबकि सितम्बर १९७१ में इनकी संख्या २३४६ थी। विनियमित बाजारों की कमियों का पता लगाने और बाजार इलाकों का विकास करने और कुशल विपणन के लिए अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए अप्रैल और नवम्बर १९७२ के मध्य २८ विनियमित बाजारों का सर्वेक्षण किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (विश्व बैंक) ने बाजार विकास परियोजनाओं के लिए ऋण देना प्रारम्भ कर दिया है।

प्रमुख कृषि जिन्सों के निर्यात का मूल्य १९७१-७२ में ३४३ करोड़ रुपये तक बढ़ गया जबकि गत वर्ष यह राशि ३२६ करोड़ रुपये थी।

भूमि सुधार

जुलाई १९७३ में आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन ने भूमि की उच्चतम सीमा के स्तर, उच्चतम सीमा लागू करने की इकाई, नए कानूनों को बनाने की लक्ष्य अवधि, अधिशेष भूमि के वितरण आदि के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित कर दिए थे। संक्षेप में यह निश्चय किया गया है कि एक परिवार की जोत उन क्षेत्रों में जहां कि सिंचाई की निश्चित व्यवस्था हो और साल में दो फसलें प्राप्त की जा सकती हों, १० से १८ एकड़ के मध्य रखी जाये, उन क्षेत्रों में जहां कि सिंचाई की सुविधायें हों और वर्ष में एक फसल प्राप्त की जा सके वहां २७ एकड़ की उच्चतम सीमा रखी जाये और अन्य प्रकार की सभी श्रेणियों की भूमियों के लिए उच्चतम सीमा ५४ एकड़ रखी जाए। उच्चतम सीमा लागू करने की इकाई ५ सदस्यों का परिवार निश्चित किया गया है जिसमें पति, पत्नी और अवयस्क बच्चे सम्मिलित हैं।

केरल, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु और असम के उच्चतम सीमा कानून अब मोटे तौर पर राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार हो गये हैं। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब में आवश्यक कानून बना लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश में सम्बन्धित विधान मंडलों द्वारा उच्चतम सीमा कानून पास कर दिए गए हैं। जम्मू और कश्मीर में भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम १९७२ लागू कर दिया गया है। शेष राज्य अपने उच्चतम सीमा कानूनों में संशोधन के लिए कदम उठा रहे हैं।

आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य कुछ राज्यों/संघ क्षेत्रों में पट्टेदारों, भूमिहीन श्रमिकों के हितों के लिए अथवा भूमि सुधारों की गति में तेजी लाने के लिए भी कानून बनाये गये हैं।

पशुपालन

पालघाट (केरल), पुंछ (जम्मू तथा कश्मीर) और भिवानी (हरियाणा) में तीन नई सघन पशु विकास परियोजनायें प्रारम्भ की गई थीं। २० नए आदर्श ग्राम ब्लाक भी स्थापित किए गए थे। सूरतगढ़ (थारपारकर नस्ल के लिए), अलेश्वर (सुरती भैंसों के लिए) और चिपलिमा (लाल सिंधी नस्ल के लिए) में केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्मों की स्थापना

का निगम में काफी प्रगति हुई है। दो गौ-फार्मों की स्थापना के लिए स्वीकृति दी गई है, जिसमें एक गौ पशुओं के लिए कोरापुट (उड़ीसा) में और दूसरा मुर्रा भैंसों के लिए अलामाधी (तमिलनाडु) में स्थापित किया जायेगा। सुअर किस्मों मूल में ७८८ विदेशी पशुओं का आयात किया गया। सघन प्रजनन की गति में तेजी लाने के लिए पांच क्षेत्रीय केन्द्रों की भी स्थापना की जा रही है। इसके अतिरिक्त ... और पश्चिमी जमनापारी के क्षेत्र में पशु प्रजनन परियोजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं। चारा विकास कार्यक्रम को सहायता देने के लिए विभिन्न राज्यों में चारे के बीजों का उत्पादन करने के लिए फार्म स्थापित किए जा रहे हैं। आलोच्य वर्ष के दौरान हिसार स्थित केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म के लिए आस्ट्रेलिया से कॉरीडेल नस्ल की १०३३ भेड़ प्राप्त हुई हैं। आन्ध्र प्रदेश, कश्मीर और जम्मू और कर्नाटक में तीन और भेड़ प्रजनन फार्मों पर काम व्यापक स्तर पर तेजी से प्रगति कर रहा है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में एक-एक फार्मों की स्थापना के लिए अनुमान तैयार कर लिया गया है।

डेरी उद्योग

समस्त डेरी संयंत्रों की दूध संभालने की औसत दैनिक क्षमता जो गत वर्ष १८ लाख लिटर प्रति दिन थी, १९७३ में बढ़कर २१ लाख लिटर तक हो गई है। आलोच्य वर्ष के दौरान ७ अतिरिक्त तरल दुग्ध संयंत्रों और दो दुग्ध उत्पाद कारखानों की स्थापना की गई। वर्ष १९७२-७३ के अन्त तक ७७ तरल दुग्ध संयंत्र, ११ दुग्ध उत्पाद कारखानों और ८८ दुग्ध योजनाओं/ग्रामीण डेरी केन्द्रों को मिलाकर डेरी एककों की कुल संख्या १७६ हो गई है। ... जिलों में दूसरी डेरी की स्थापना के लिये आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने लघु और सीमान्त कृषकों और कृषि-श्रमिकों के माध्यम से दुग्ध उत्पादन विषयक अपने अंतरिम प्रतिवेदन में अनेक सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। इन प्रस्तावों पर योजना आयोग के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

चीनी

चीनी की सामान्य स्थिति – देश में लगातार दूसरे वर्ष १९७१-७२ में भी चीनी के उत्पादन में गिरावट आने के कारण चीनी की स्थिति कठिन बनी रही। इसके अलावा पिछले वर्ष का अपेक्षाकृत कम स्टाक बचने के कारण चीनी वर्ष १९७१-७२ (अक्तूबर १९७१-सितम्बर १९७२) के दौरान कुल उपलब्धता पिछले तीन वर्षों में सबसे कम थी। इसके परिणामस्वरूप खुले बाजार में चीनी के मूल्यों में पर्याप्त वृद्धि हुई। यह सुनिश्चित करने के लिए कि घरेलू उपभोक्ताओं को उनकी चीनी विषयक जरूरतों का उचित भाग उचित मूल्य पर मिलता रहे सरकार ने अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के उपबन्धों के अधीन पहली जुलाई १९७२ से चीनी (मूल्य निर्धारण) आदेश १९७२ जारी कर इन प्रबन्धों को सांविधिक आधार पर जारी रखा। इससे सांविधिक आंशिक नियन्त्रण प्रणाली लागू कर दी। १९७२-७३ के चीनी मौसम के प्रारम्भ से लेवी चीनी की मात्रा बढ़ाकर मासिक निर्मुक्ति का ७० प्रतिशत कर दी गई थी।

चीनी का उत्पादन, खपत तथा मूल्य – पिछले वर्ष का १४.१ लाख मी० टन चीनी के बच जाने और ३१.१ लाख मी० टन के उत्पादन से १९७१-७२ (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान कुल उपलब्धता ४५.२ लाख मी० टन थी जबकि १९७०-७१ में ५८.३ लाख मी० टन चीनी उपलब्ध था। १९७१-७२ के दौरान चीनी कारखानों में आंतरिक खपत के लिए

३७ ८० लाख मी० टन चीनी ली गई थी जबकि १९७० ७१ में ४० २५ लाख मी० टन चीनी ली गई थी। १९७१ ७२ के दौरान चीनी का निर्यात केवल १ ४४ लाख मी० टन हुआ जबकि १९७० ७१ में ३ ६५ लाख मी० टन चीनी निर्यात की गई थी।

(लाख मीटरी टन)

चीनी का उत्पादन, खपत और स्टाक

	१९७० ७१	१९७१ ७२
पिछले मौसम का शेष स्टाक	२० ९०	१९ १०
उत्पादन	३७ ४०	३१ १२
कुल उपलब्धता	५८ ३०	४५ २२
खपत	४० २५	३७ ८०
निर्यात	३ ६५	१ ४६
शेष स्टाक	१९ १०	५ ९८

चीनी की सप्लाई जटिल होने के कारण १९७२ ७३ में खुले बाजार में चीनी के मूल्यों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। छः महत्वपूर्ण केन्द्रों, अर्थात हापुड़, कानपुर, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई और दिल्ली में मूल्य अक्तूबर १९७१ में जो कि १९५ २०८ रुपये प्रति क्विटल के बीच चल रहे थे बढ़कर सितम्बर १९७२ तक ३५८ ४०५ रुपये प्रति क्विटल तक पहुंच गए। जनवरी १९७२ में स्वच्छिक वितरण की योजना लागू की गई। इस योजना के अधीन उद्योग मासिक निर्मुक्ति का ६० प्रतिशत १५० रुपये प्रति क्विटल (उत्पादन शुल्क रहित) के निर्धारित मूल्य पर सरकार को घरेलू उपभोक्ताओं में वितरण करने और तात्कालिक जरूरत पूरी करने के लिए देने के लिए सहमत हो गया था। स्वच्छिक योजना के ३० जून १९७२ को समाप्त होने से सरकार ने अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन पहली जुलाई, १९७२ से चीनी (मूल्य निर्धारण) आदेश १९७२ जारी कर सांविधिक आंशिक नियन्त्रण लागू कर इन प्रबन्धों को जारी रखा। चालू वर्ष के दौरान चीनी के उत्पादन में कुछ सुधार होने की प्रत्याशा से खुले बाजार में चीनी के मूल्यों में अक्तूबर दिसम्बर १९७२ के दौरान स्थिरता से नरमी की प्रवृत्ति देखी गई। दिसम्बर, १९७२ के अन्त में चीनी के मूल्य ३५४ ३९१ रुपये के बीच चल रहे थे।

चीनी उद्योग में विस्तार चीनी उद्योग की चीनी उत्पादन की वार्षिक स्थापित क्षमता १९७०–७१ में ३७ लाख मी० टन से बढ़कर १९७१ ७२ के पिराई मौसम के दौरान ३९ १९ लाख मी० टन हो गई।

चौथी पंचवर्षीय योजना में यह व्यवस्था की गई थी कि १९७३ ७४ तक चीनी का उत्पादन ४७ लाख मी० टन के स्तर तक पहुंच जाएगा। इस लक्ष्य को अंशत मौजूदा यूनिटों का विस्तार कर और अंशत नई चीनी फैक्ट्रियां मुख्यतया सरकारी क्षेत्र में स्थापित कर प्राप्त करना था। चौथी पंचवर्षीय योजना लक्ष्य के प्रति ५३ नई चीनी फैक्ट्रियां (४६ सहकारी सहित) स्थापित करने और २७ मौजूदा यूनिटों में विस्तार करने के लिए लाइसेंस जारी किए गए। इससे चीनी उत्पादन की वार्षिक लाइसेंसशुदा क्षमता बढ़कर ५३ १७ मी० टन हो गई। चीनी की आंतरिक खपत में वृद्धि होने के कारण लाइसेंस क्षमता को बढ़ाकर ५६ ०० लाख मी० टन कर दिया गया है।

नई चीनी फैक्ट्रियां लगाने में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाया गया है और

उन पर काबू पाने के लिए कार्यवाही शुरु कर दी गई है।

राष्ट्रीय कृषि आयोग

१९७१-७२ में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने उवरक वितरण अच्छे किस्म के बीजों का वधन और वितरण कृषि अनुसधान के कुछ पक्ष विस्तार और प्रशिक्षण लघु और सीमान्त किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए ऋण सेवायें लघु और सीमान्त किसानों और खेतिहर मजदूरों के जरिये दुग्ध उत्पादन और कृषि विश्वविद्यालयों में कृषि ऋतुविज्ञान के प्रभागों की स्थापना के सम्बन्ध में छः अतरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किये। इसके अलावा आयोग ने अगस्त १९७२ में मृदा सर्वेक्षण और भारत का मृदा मानचित्र, आलू के बीज भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिए मकानों के स्थान और उत्पादन मानव निर्मित वन विषयों पर अतरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किये। इन प्रतिवेदनों की जाच मन्त्रालय के सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारियों की अध्यक्षता में बनाये गये कार्यकारी दलों द्वारा की गई है। १३ मार्च १९७३ को आयोग ने नीचे लिखे विषयों पर चार और अतरिम प्रतिवेदन मन्त्रालय को प्रस्तुत किये (क) सिंचाई पद्धति का आधुनिकन और कमाण्ड क्षेत्रों का एकीकृत विकास (ख) अखिल भारतीय समन्वित अनुसन्धान परियोजनाओं के सगठनात्मक पहलू, (ग) जिंस विकास परिषदों और निदेशालयों का सगठन और उनके कृत्य, और (घ) समग्र ग्राम विकास कार्यक्रम। इन प्रतिवेदनों की जाच का काम भी शुरु कर दिया गया है।

राष्ट्रीय बीज निगम

राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना १९६३-६४ में की गई थी। अपने गत १० वर्षों के कार्यकाल में निगम ने अनेक रचनात्मक पग उठाये जिससे हरित क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ।

१९६३-६४ में निगम ने नदीकोटकुर जिला कर्नूल (आंध्र प्रदेश) में बीज फार्म कायम किया।

१९६४-६५—दूसरा फाउंडेशन बीज फार्म हेमपुर जिला नैनीताल (उ० प्र०) में कायम किया। अमरिकी सहायता कार्य जैसी अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों की मदद से सकर मक्का के बीजों को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रदर्शन अभियान चलाया। निगम के कार्यकर्ताओं राज्य सरकारों के कर्मचारियों और बीज उद्योग के प्रतिनिधियों में प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया।

१९६५-६६—भारत में बीज प्रोसेसिंग सफाई और ग्रेडिंग मशीन तैयार करने के लिए उनके प्रोटोटाइपों के विकास का काम शुरु किया। सकर ज्वार और बाजरा के फाउंडेशन व प्रमाणित बीजों का उत्पादन किया।

१९६६-६७—ताइचुंग नेटिव १ स धान की बौनी किस्मों के बीजों का बड़े पैमाने पर गुणन शुरु किया। अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों के फाउंडेशन बीज तैयार करने के लिए कदम उठाए।

१९६७-६८—निगम ने स्नोबाल फूलगोभी के बीज पैदा किए। बीज परीक्षण प्रयोगशाला कायम की जिसे अन्तर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण सघ से मान्यता मिली।

१९६८-६९ गेहूं की नवीनतम किस्मों के बीजों का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरु किया। 'राष्ट्र मद्य दान सहायता कार्य द्वारा चलाए पोषाहार कार्यक्रम के लिए सब्जियों के बीजों

का उत्पादन चालू किया ।

१६६६-७०—सीड एक्ट, १६६६ के अन्तर्गत बीज प्रमाणीकरण मानक तैयार करने में भारत सरकार की सहायता की । कई व्यापारिक फसलों के बीजों का उत्पादन शुरू किया । मैदानों में पहली बार आलू के बीजों का प्रमाणीकरण उनका गुणन, वितरण और एफिड की कमी वाले क्षेत्रों में आलू के बीजों का उत्पादन किया ।

१६७०-७१—हिमालय क्षेत्र में चुकंदर के बीजों का उत्पादन शुरू किया । बीज प्रोसेसिंग भंडारण और विपणन-संबंधी पुस्तकों का अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से प्रकाशन किया ।

१६७१-७२—देश में पहली बार चुकन्दर के बीजों का उत्पादन किया जो अब तक विदेशों से मंगाए जाते थे ।

१६७२-७३—१०० फीसदी देसी तकनीक से बना एशिया का सबसे बड़ा बीज प्रोसेसिंग प्लांट कायम किया जिससे बीज उत्पादकों यंत्र निर्माताओं और बीजों के ग्रेडिंग सफाई व प्रोसेसिंग में लगे लोगों को मदद मिलेगी । मैंज जिला कुल्लू (हिमाचल प्रदेश) में सब्जियों के फाउन्डेशन बीजों का फार्म कायम किया ।

पिछले १० साल में कई समस्याएं उठीं पर उनका समाधान कार्पोरेशन ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थाओं अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों कृषि विश्वविद्यालयों राज्यों के कृषि विभागों प्रगतिशील किसानों बीज उत्पादकों और यंत्र निर्माताओं की मदद से किया ।

इस समय १३० बीज प्रोसेसिंग प्लांट चालू हैं । स्वाबाल फूलगोभी चुकन्दर और सूरजमुखी के बीजों का देश में ही उत्पादन किया जाने लगा है जो पहले विदेशों से मंगाए जाते थे ।

निगम ने मक्का के संकर बीजों के उत्पादन से काम शुरू किया । बाद में अनुसंधानों से अन्य फसलों के संकर निकाले गए जिनका उत्पादन भी निगम ने किया । संकर ज्वार और संकर बाजरा के बीजों का उत्पादन प्रारम्भ हुआ । सब्जियों चारे और रेशे की फसलों के बीजों का भी उत्पादन हुआ । कार्पोरेशन इस समय ७० फसलों के २१० किस्मों के बीज तैयार कर रहा है । ८००० प्रमाणित बीज उत्पादक वैज्ञानिक ढंग से बीजों का उत्पादन कर रहे हैं । १६६३-६४ में कार्पोरेशन की आमदनी ५ लाख रु० थी जो १६७२-७३ में ६॥ करोड़ रु० हो गई ।

निगम और बीज उद्योग ने वैज्ञानिक अनुसंधान का फल किसानों के दरवाजे ला दिया है । न सिर्फ अच्छे बीजों के उत्पादन की जानकारी का प्रसार किया है उन्हें उपलब्ध करा कर उनका प्रयोग भी संभव बना दिया है । निगम के देश भर में ६०० बिक्री केन्द्र हैं ।

शीत भंडारण

शीत भंडारण आदेश के अन्तर्गत फल, दूध डेरी उत्पाद अण्डे मछली में मांस आलू आदि जैसी जिंसों का भंडारण करने वाले ८.५ घन मीटर का या इससे अधिक की क्षमता वाले समस्त शीत भंडारों को कृषि विपणन सलाहकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य है । अक्तूबर १६७२ में इनकी संख्या १,३६० तक बढ़ गई थी जबकि सन् १६७१ के अन्त में इनकी संख्या १,३१० थी । अक्तूबर, १६७२ में स्थापित शीत भंडारण क्षमता १६.७६ लाख मीटरी टन तक बढ़ गई थी जबकि १६७१ में स्थापित शीत भंडारण क्षमता १५.०६ लाख मीटरी टन थी । शीत भंडार के सम्बन्ध में सूचना पत्रक और तकनीकी साहित्य प्रकाशित करने के अतिरिक्त नए उद्यमियों को तकनीकी और वाणिज्यिक मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया है ।

(१९७० ७१ स १९७२ ७३) के दौरान विभिन्न कृषि विश्वविद्यालया को दिये गये अनुदान को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	१९७० ७१ रुपये	१९७१ ७२ रुपये	१९७२ ७३ रुपये
१	गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि तथा तकनीकी विश्वविद्यालय पन्तनगर	५६ ०० ०००	८९ २४ ०००	६७ ४२ ०००
२	पजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना	६२ ७५ २००	८८ ०६,०००	६० ९३ ६००
३	उदयपुर विश्वविद्यालय उदयपुर	२० २२ ३७२	२७ ११ ०००	३६ ९० ०००
४	उडीसा कृषि तथा तकनीकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	२५ ८३ ०००	३६ २५ ०००	३० ८८ ०००
५	आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय हैदराबाद	१२ ५० ०००	—	६६ ३९,१००
६	जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर	४४ ९६ ०००	५८ ०३ ०००	५४ ९० ०००
७	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय हेब्बल	३४ ३२ ०००	६६ ५७ ०००	६२ ९९ ०००
८	कल्यानी विश्वविद्यालय कल्यानी	—	१६ ०० ०००	९ ३२ ०००
९	महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ राहूरी	४२ ६५ ०००	२३ ०४ ०००	६४ ८३ ०००
१०	असम कृषि विश्वविद्यालय जारहट	२४ ८९ ७६२	४ ५० ०००	३२ ००,०००
११	हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार	३९ ८१ ०००	७५ १९,०००	९८ २३ ०००
१२	पजाबराव कृषि विद्यापीठ अकोला	२७ ५० ०००	२५ ३५,०००	२९ ९७ ०००
१३	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय पटना, बिहार	१० ०० ०००	२४ ८२ ०००	१६ ०० ०००
१४	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बेतूर	—	४ ३२,०००	१० २८ ०००
१५	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (कृषि कम्पलेक्स) सोलन (हिमाचल प्रदेश)	—	४ ०४ ०००	१२ ००,०००
१६	केरल कृषि विश्वविद्यालय मन्नूथी	—	—	९ ०० ०००
१७	गुजरात कृषि विश्वविद्यालय अहमदाबाद	—	—	२० ०० ०००
१८	चौथे सम्मेलन के लिये कृषि विश्वविद्यालयो की सस्था।	—	—	३० ०००
	कुल	३ ९९ ४४ ३३४	५ १५ ५२ ०००	६,६२ ३४ ७००

निर्यात सवर्द्धन

भारत के निर्यात व्यापार म कृषि पण्यो का महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। वर्ष १९७१ ७२ के दौरान ३४३ करोड रुपए तक के कृषि पण्यो का निर्यात किया गया था, जबकि १९७० ७१ म यह राशि ३२६ करोड रुपए थी। इस प्रकार निर्यात म ५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि मुख्यत मछली और मछली उत्पादो अनिर्मित तम्बाकू काजू की गिरी कच्ची पटसन कच्ची कपास चीनी गुलाब की लकडी और चमडा के कारण हुई है।

१९७२ के दौरान अनुमानत २३ ७९ करोड रुपये (लागत तथा भाडा) के मूल्य के कुल ४४५ ५ हजार मी० टन खाद्यान्नो का आयात हुआ था जबकि १९७१ म २०५४ हजार मी० टन और १९७० म ३६३० ५ हजार मी० टन खाद्यान्नो का आयात हुआ था। १९७२ के दौरान विभिन्न देशो म आयात किए गए खाद्यान्नो का अनाजवार ब्यौरा और १९७१ और १९७० म आयात की गई कुल मात्रा नीचे दी जाती है —

खाद्यान्नो का आयात

(हजार मी० टन)

वर्ष	देश	गेहू	चावल	जोड
१९७२	आस्ट्रेलिया	२३ २	—	२३ २
	कनाडा	२२० १	—	२२० १
	संयुक्त राज्य अमेरिका	७१ २	—	७१ २
	संयुक्त अरब गणराज्य	—	६९ ९	६९ ९
	थाईलण्ड	—	६१ १	६१ १
	कुल आयात	३१४ ५	१३१ ०	४४५ ५
१९७१	कुल आयात	१८१४ [illegible]	२४० [illegible]	२०५४ ०
१९७०	कुल आयात	३४२४ ३	२०५ ८	३६३० ५

भारतीय खाद्य निगम

भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नो की अधिप्राप्ति आयात वितरण सचयन सचलन और उनकी बिक्री करने के लिए केन्द्रीय सरकार की एकमात्र एजसी है। निगम अन्य विविध प्रकार के काय भी कर रहा है जस कि उवरको का सम्भारतन्त्र, धान कूटना, और पौष्टिक विधायित खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना। १९७१ ७२ के दौरान निगम की सेवाओ का उपयोग शरणार्थी सहायता के लिए पुनर्वास विभाग को गेहू की सप्लाई करने के अलावा चीनी नमक दालें खाने क तेल दियासलाई आदि जसी अन्य अत्यावश्यक वस्तुए सप्लाई करने के लिए भी किया गया। १९७२ ७३ के दौरान निगम को लवी चीनी के थोक वितरण का काय भी सौपा गया था। अत निगम देश म न केवल खाद्यान्नो के प्रबन्ध म महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है बल्कि अन्य बहुत से कार्यों को करने, जोकि उसे समय पर सौंपे गए हैं के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है।

निगम ने १९७१ ७२ की फसल मे लगभग ७७ ४५ लाख मी० टन खाद्यान्न खरीदे थ। अधिप्राप्ति का जिन्सवार ब्यौरा निम्न प्रकार है —

भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्ति

(हजार मी० टन में)

खरीफ अनाज	खरीफ विपणन मौसम (नव १९७१ से अक्तू० १९७२)	रबी अनाज	रबी विपणन मौसम (अप्रैल १९७२ से मार्च १९७३)
१	२	३	४
चावल तथा चावल के हिसाब से धान	२ ५१७ २	गेहूं	४९७७८
		जौ	७ ८
मक्का	१५० ४	चना	६५ ५
बाजरा	१ ६	दालें	५ ६
दालें तथा अन्य अनाज	१७ ६		
कुल	२ ६८६ ८	जोड़	५ ०५७ ८

चालू खरीफ मौसम में निगम ने फरवरी १९७३ के अन्त तक लगभग १५ २० लाख मी० टन चावल और लगभग १ ३१ लाख मी० टन मोटे अनाज दालें और अनाजों की अधिप्राप्ति की है।

१९७३ के दौरान केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों की कुल निकासी लगभग १०० लाख मी० टन से थोड़ी अधिक थी। जनवरी फरवरी १९७३ के दौरान वास्तविक निकासी लगभग १५ लाख मी० टन हुई थी। मार्च, १९७३ में प्रत्याशित निकासी ७ लाख मी० टन गई।

निगम ने १९७२ के दौरान ७ ३१ करोड़ रुपये के मूल्य के ८३ हजार मी० टन खाद्यान्न बेचे थे। इसी प्रकार निगम ने जनवरी फरवरी १९७३ के दौरान ५५ लाख रुपये के मूल्य के ६ हजार मी० टन खाद्यान्न बेचे।

१९७२ ७३ (मार्च १९७३ तक) के दौरान निगम ने कथर के दोपहर के भोजन कार्यक्रम के अधीन स्कूल के बच्चों में मुफ्त वितरण करने के लिए लगभग १२ ८१२ मी० टन बालाहार तैयार किया। ३१ मार्च, १९७३ के बीच लगभग ५०० मी० टन बालाहार तैयार हुआ।

निगम ने बम्बई और कलकत्ता में ५३ ५७६ मी० टन पौष्टिक आटा १६ मार्च १९७३ तक तैयार किया था।


तार पते में
पाँच शब्द
मुफ्त
आपके तार में पता लम्बा हो तो
चिन्ता न करें।
ऐसे मामलों में पहले पाँच
पसे लिये जाते हैं।
मुफ्त भेजे जाते हैं।
हों तो अतिरिक्त
के लिये पसे लिये जाते हैं।
कृपया पते में शहर के नाम के
पिनकोड संख्या अवश्य लिखिये।
इसके कोई पसे नहीं लिये जाते।
याद रखिये ठीक और पूरा पता
लिखने से तार जल्दी पहुँचता है।
davp 73/173

: १९ :

सहकारिता

देश के आर्थिक पुनरुत्थान के अन्य क्षेत्रों की भांति हमने स्वाधीनता के बाद सहकारिता आंदोलन के क्षेत्र में भी छब्बीस वर्ष पूरे कर लिये हैं। ये छब्बीस वर्ष सहकारिता आन्दोलन के लिए और अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। इस अवधि की सबसे अधिक उल्लेखनीय बात यह है कि देश ने यह निर्णय किया कि इस आन्दोलन को सशक्त बनाया जाए। इस अवधि में सहकारिता आंदोलन ने अपने आपको मजबूत बनाने और अपना विस्तार करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। १९०४ के सहकारी अधिनियम के बाद के लगभग पचास वर्षों में भारत में सहकारिता का स्वरूप बहुत ही सीमित और नगण्य-सा था। इसके प्रभाव और कार्य में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई थी। उस समय सहकारिता आंदोलन का एक बहुत सीमित ध्येय था और वह यह था कि गरीब खेतिहरों की मदद करना। लेकिन इस सीमित कार्य का देहात ग्रामीण समस्या को सुलझाने की दृष्टि से कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखाई दिया।

१९५० के बाद के वर्षों में यह आंदोलन खूब फला फूला और अब इसका कार्य मात्र ऋण देना ही नहीं रह गया है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा १९५१ में ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण के लिये नियुक्त की गई समिति एक ऐसा पहला प्रयत्न था जिसके द्वारा आर्थिक आयोजन के एक साधन के रूप में इस आन्दोलन की सम्भावनाओं का उपयोग किया गया। इस समिति ने ग्रामीण ऋण विभिन्न स्तरों पर राज्य की साझेदारी और हाट व्यवस्था तथा विधायन के साथ ऋण का सम्बन्ध जोड़ने की एक एकीकृत योजना का समर्थन किया और इसने इस बात पर भी जोर दिया कि सहकारिता आन्दोलन को सफल बनाने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी नियुक्त किए जाने चाहिए।

सहकारी विकास योजना का एक प्रमुख लक्ष्य है ऐसी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करना जिनके अन्तर्गत अधिक से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें तथा विशेष कर समाज के कमजोर वर्ग की आय के साधन मिल सकें। सहकारिता के अन्तर्गत कृषि ऋण की सुविधाएं और पूंजी निवेश विपणन कृषि उत्पाद की प्रक्रिया भंडारण तथा उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण आदि सम्मिलित हैं।

गत दो दशकों में सहकारी समितियों की वार्षिक बिक्री में २२ गुनी वृद्धि हुई है यानी कुल वार्षिक बिक्री २७६ करोड़ रु० से बढ़कर अब ६००० करोड़ रु० से भी अधिक हो चुकी है। इस तरह की आश्चर्यजनक वृद्धि का प्रमुख कारण संस्था की आन्तरिक क्षमता तथा सदस्यों की आर्थिक वृद्धि में योगदान देने का दृढ़ संकल्प रहा है। इस समय देश में लगभग तीन लाख

पच्चीस हजार सहकारी संस्थाएं हैं तथा उनमें लगभग ५ करोड़ २० हजार व्यक्ति काम में लगे हैं। उन्हें लगभग ७२५ करोड़ रु० वेतन दिया जाता है।

ऋणदात्री सहकारी समितियां

सहकारी समितियों की ऋण नीति तथा ऋण पद्धतियों की हमेशा समीक्षा की जाती रही है कि इनमें अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकें। इन सहकारी समितियों द्वारा छोटे और सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूरों और जनजाति के लोगों को कुछ सहायक धंधे दिए जायें ताकि वे अपनी खेती की आय के अलावा थोड़ी आय और कर सकें। नीतियों का निर्धारण इस प्रकार किया जाता है कि छोटे और सीमान्त किसानों को अधिक लाभ मिल सके। इसके लिए सहकारी विभाग ने सहकारी बैंक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, लघु कृषक विकास एजेंसी और सीमान्त किसान कृषि श्रमिक एजेंसियों की वित्तीय सहायता से दुग्ध उद्योग, मुर्गीपालन और मछली उद्योग आदि चालू किये हैं। राज्य और राष्ट्रीय स्तर के विपणन संघों ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की सहायता से तकनीकी और प्रोत्साहन कक्ष खोले हैं जो सहकारी समितियों को व्यापार और प्रसार सेवाओं के आधुनिक तरीकों की जानकारी कराते हैं।

विपणन कार्य

१९७१–७२ में ३००० कृषि विपणन सहकारी संस्थाओं ने लगभग ७४० करोड़ रु० मूल्य के कृषि उत्पादनों का विपणन किया। इसके अतिरिक्त इन सहकारी संस्थाओं ने लगभग ३०० करोड़ रु० मूल्य के खाद का वितरण किया है। यह कुल खाद वितरण का ६० प्रतिशत रहा। इसके अतिरिक्त ७५ करोड़ रु० मूल्य के अन्य कृषि निवेशों का भी वितरण किया। विपणन सहकारी समितियों ने लगभग ११५ करोड़ रु० मूल्य की उपभोक्ता वस्तुओं का ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण भी किया।

सहकारी संसाधन इकाइयों ने अपनी सामूहिक जिम्मेदारियों पर ध्यान देते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बहुमुखी प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। ३१ दिसम्बर १९७२ तक सहकारी क्षेत्र में १७६७ कृषि संसाधन इकाइयां थीं, इनमें से १४३६ अर्थात ८१ प्रतिशत चालू की जा चुकी है। इन इकाइयों का वार्षिक व्यवसाय अनुमानतः ६५० करोड़ रु० रहा है।

शहरी उपभोक्ता सहकारी समितियां

सहकारी आन्दोलन बड़ी तेजी से शहरी क्षेत्रों में भी फैलता जा रहा है। १९७१–७२ में उपभोक्ता सहकारी समितियों की २००० शाखाओं ने लगभग २५० करोड़ रु० मूल्य का माल बेचा। उन सहकारी समितियों ने उपभोक्ता उद्योग भी चालू किया। ऐसी ६० इकाइयों ने उत्पादन भी शुरू कर दिया है तथा अन्य ६० इकाइयां स्थापना की विभिन्न स्थितियों में हैं। इनमें से अधिकांश इकाइयों में मसाला पीसने, आटा पीसने, आटा–चक्की, कहवा बारीक करने, वस्त्र और टेलरिंग संबंधी काम होते हैं।

सहकारी क्षेत्र में सामूहिक उपभोग की सामानों का उत्पादन तथा वितरण भलीभांति हो सकता है। सहकारिता के आधार पर अनेक उद्योगों को चालू करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा सकता है इनमें मजदूरों, छोटे उद्योगपतियों और शिक्षित इंजीनियरों को विभिन्न औद्योगिक और उपभोक्ता सामानों को तैयार करने का उपयुक्त अवसर मिलेगा।

-स समय देश म लगभग ४८ हजार औद्योगिक सहकारी समितिया चल रही है तथा इनम कुल ३४ लाख व्यक्ति लगे हुए है। अब मध्यम और छोटे स्तर की अनेक औद्योगिक सहकारी समितिया चालू की जा रही है। केरल म एक स्कूटर कारखाना और बडौदा म एक पालीस्टर तन्तुओं की परियाजना का चालू किया जाना इस दिशा म उल्लेखनीय प्रगति का उत्तम उदाहरण है।

शहरी क्षेत्रा म सहकारी आवास सबधी कार्यकलाप सहकारी विभाग के उत्तम उदाहरण हैं। इस समय शहरी क्षेत्रा म लगभग ४७६ ८६ करो रु० मूल्य की सहकारी आवास याजनाए चालू ह। जून १६७३ तक देश म राज्य स्तर की १६ तथा १८ ०५० प्राथमिक सहकारी आवास सामितिया थी।

सहकारी विकास को विभिन्न स्तरा की विशेष और त्वरित आवश्यकताओं का देखत हुए एक विस्तृत और सुनियोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने की योजना बनाइ गई ताकि इसक विकास क लिए प्रशिक्षित कार्मिका का उपलब्ध कराया जा सक। दिसम्बर १६७२ तक देश क १४ प्रशिक्षण कालेजा तथा ६६ प्रशिक्षण केन्द्रा म लगभग १ लाख ७२ हजार विभिन्न स्तर क अधिकारियो तथा ५१ लाख २२ हजार गर अधिकारियो का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ।

सहकारिता द्वारा रोजगार

उपभोक्ता भण्डार सुपर बाजार तथा विभागीय उपभोक्ता भण्डारा म कुल मिलाकर २० हजार स ज्यादा लोगा का रोजगार मिला है। राज्या म उपभोक्ता सहकारी आन्दोलन क अतगत ३७ नई योजनाए चलाने का काम हो रहा ह। योजनाए आध्र हरियाणा बिहार, असम उडीसा महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात तमिलनाडु प० बगाल तथा उत्तरप्रदेश म चलाई जायेंगी। इनके अन्तगत ६ लाख स ऊपर की आबादी वाल शहरा म बडे बड सुपर बाजार तथा दो स चार लाख की आबादी वाले नगरा म छोटे छोटे उपभोक्ता बाजार बनाये जायेंगे। इनमें १०३६ पढे लिखे तथा १६५० साक्षरा का काम मिलगा। इनमें इजी नियरा का भी रोजगार मिलन क अवसर हैं।

औद्योगिक सहकारी समितिया म १० लाख ३२ हजार व्यक्तिया का रोजगार मिला हुआ है। इनम ८ लाख बुनकरा की तथा शेष अन्य उद्योगा की सहकारिया हैं। इसी प्रकार वन श्रमिक सहकारी समितिया म एक लाख ४५ हजार व्यक्ति लगे हुये है। इनम स अधि काश आदिवासी श्रमिक ह।

४४० लाख व्यक्ति सहकारी क्षेत्र के मछली पालन म उद्यमरत हैं। देश भर म २८२ श्रमिक सहकारी भवन सडक, पुल आदि के निर्माण काय म लगे हुये हैं। यातायात सह कारी समितिया म लगभग ५ हजार सेवा निवृत्ति फौजिया का रोजगार मिला हुआ है तथा ४७ हजार अन्य लोग भी लगे हुये हैं।

देश भर म ८ हजार कृषि सहकारी समितिया हैं तथा इनके ६० हजार विमाल सदस्य है। सहकारी क्षेत्र म १४६ दूध सप्लाई सघ हैं। सिंचाइ का काय भी सहकारी क्षेत्र म चलाया जा रहा ह। महाराष्ट्र म तीन हजार तथा आध्र म ४२१ सिंचाइ के सामूहिक ट्यूबवल तथा कुए हैं।

देश भर म एक लाख ६० हजार ७८० सहकारी समितिया हैं। इनम पूरे समय काम करने वाले ५५ ८८६ सचिव तथा अशकालीन ८३ ११३ सचिवो का काम मिला हुआ ह।

पाचवीं योजना मे सहकारी समितिया

१९७३ के प्रारम्भ मे नई दिल्ली मे राज्यो के सहकारिता मंत्रियो का एक सम्मेलन हुआ जिसमे पाचवी पंचवर्षीय योजना मे सहकारिता कार्यक्रमो के प्रति दृष्टिकोण पर विचार किया गया जिसका मुख्य लक्ष्य होगा सहकारिता आन्दोलन के विकास मे क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करना और यह सुनिश्चित करना कि सहकारी समितिया छोटे किसानो और समाज के निर्बल वर्गों को पर्याप्त और तात्कालिक सहायता प्रदान करें। इसके लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारो दोनो की ओर से ४५६ करोड़ रुपए के परिव्यय की सिफारिश की गई। पाचवी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यो मे १९७८–७९ तक प्रति वर्ष १,२०० करोड़ रु० के अल्पकालीन ऋण और ३५० करोड़ रु० और १,१०० करोड़ रु० के क्रमश मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण भी शामिल है। १९७८–७९ तक १,२०० करोड़ रु० मूल्य के कृषि आदानो का वितरण किया जाएगा जबकि चौथी योजना के अन्तिम वर्ष मे ५५० करोड़ रु० के आदानो का वितरण लक्ष्य था।

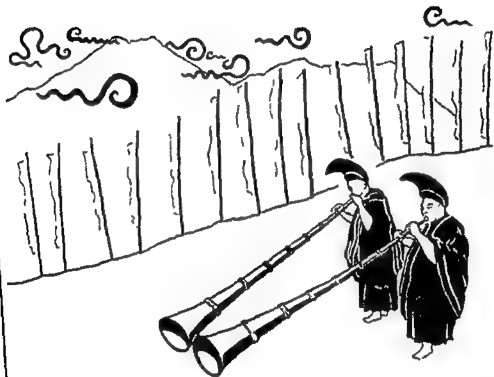
कृषि ऋण देने के लिए सहकारी समितियो और वाणिज्यिक बैंको के बीच प्रभावकारी समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया गया और कृषि ऋण प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक बैंको द्वारा किए गए प्रयासो की सराहना की गई। इस बात पर बल दिया गया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रो मे खाद्यान्न, दाल, खाद्य तेल, चीनी और मानक कपडे जैसी आवश्यक वस्तुओ का वितरण उपभोक्ता सहकारी समितियो के माध्यम से होना चाहिए। सम्मेलन मे इस बात का भी आग्रह किया कि नेवी थानी के थोक वितरण का काम भी उपभोक्ता सहकारी समितियो को सौप दिया जाए। यह भी सिफारिश की गई कि उर्वरक निर्माताओ को अपने उत्पादन का पर्याप्त अश सहकारी समितियो के माध्यम से वितरित करने के लिए नियत करना चाहिए।

देश मे कृषि निवेशो के उत्पादन, विपणन, संसाधन और भण्डारण के काम मे लगी हुई सहकारी समितियो की सहायता के लिए राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम ने १३ करोड रु० के परिव्यय की स्वीकृति प्रदान कर दी है और तदनुसार कार्यकलापो का कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है।

देश मे कृषि सहकारी समितियो के विकास के लिए बीस योजनाओ को कार्यान्वित करने के अतिरिक्त राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, जिसके ऊपर सहकारिता का सम्पूर्ण कार्यभार है, १९७३–७४ मे पाच नई परियोजनाओ को और कार्यान्वित करेगा। सहकारी क्षेत्र मे मध्यम आकार की चीनी फैक्टरियो की स्थापना करने और नाशिकीटमारो का दवाई छिडकाव करने, कृषि मशीनरी का निर्माण, उन्नत बीजो का बडे पैमाने पर उत्पादन, संसाधन और भण्डारण और पालिस्टर फिलामेंट धागे का उत्पादन करने के लिए निगम वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

इस कार्यक्रम मे जनजातीय क्षेत्रो मे सहकारी विपणन और संसाधन का विकास, पूर्वी क्षेत्र मे सहकारी विपणन व्यवस्था को सुदृढ करने, उत्तर प्रदेश मे सहकारी डेरी-उद्योग की पुनर्स्थापना करने, पर्वतीय क्षेत्रो मे फलो के सहकारी विपणन का विकास करने और दो सहकारी उर्वरक एककों की स्थापना करने जैसी कुछ महत्वपूर्ण योजनाए शामिल हैं।

कृषि मे सफलता प्राप्त करने की तकनीको मे बीज संसाधन उद्योग का भारी महत्व होने के कारण कार्यक्रम के अन्तर्गत सहकारी क्षेत्र मे उन्नत बीजो के उत्पादन, संसाधन, भण्डारण और विपणन पर अधिक बल दिया गया है।







: २० :

समाचारपत्र एवं प्रसारण

आधुनिक काल के सामूहिक जनपत्र जगत में भारत ने २६ जनवरी १७८० को प्रवेश किया। इस दिन बंगाल गजट प्रकाशित हुआ था। बंगाल गजट और कलकत्ता जनरल एडवरटाइजर की मूल प्रतियां भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता में सुरक्षित हैं। बंगाल गजट का बाद में औरों ने अनुसरण किया।

भारतीय भाषाओं के पत्रों का जन्म राजनीतिक आवश्यकता को लेकर हुआ। अंग्रेज इनके विरुद्ध थे। अतः भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों को जीवित रहने के लिए भयंकर संघर्ष करना पड़ा। उन्हें अपमान सहना पड़ा, दण्ड भोगना पड़ा और भारी बलिदान देने पड़े। पत्रों पर नियन्त्रण करने के लिए १८७८ में भाषाई समाचारपत्र अधिनियम (वरनाक्यूलर प्रेस एक्ट) बनाया गया। इंडियन स्टेट्स एक्ट १९२२, आफिशियल सिक्रेट्स एक्ट १९२३ इंडियन प्रेस (इमरजेंसी पावर्स) एक्ट १९३१ फोरेन रिलेशन्स एक्ट १९३२ इंडियन प्रोटेक्शन एक्ट १९३२ और इंडियन प्रोटेक्शन एक्ट १९३४ बनाये गए। दूसरे महायुद्ध के समय सरकार ने पत्रों के साथ सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्र में समाचारपत्र परामर्शदात्री समिति (प्रेस एडवाइजरी कमेटी) स्थापित की। पत्रों को इससे सलाह देने की सुविधा प्राप्त हो गई। सरकार ने इसकी शक्ति को माना। मार्च १९४७ में समाचारपत्र कानून जांच समिति (प्रेस लाज इन्क्वायरी कमेटी) की स्थापना की गई। प्रेस सम्बन्धी समस्त कानूनों की छानबीन करने का कार्य इसको सौंपा गया। इसको उचित सिफारिशें करने के लिए भी कहा गया। मई १९४८ में अनेक घृणित और अवांछनीय कानून रद्द हो गए।

कागज का संकट

वर्ष १९७३ के दौरान समाचारपत्रों को अखबारी कागज के भीषण अभाव के संकट से ग्रस्त होना पड़ा तथा समाचारपत्रों के इतिहास में पहली बार अनेक समाचार पत्र कागज के अभाव के कारण जहां बंद हो गये वहां सभी प्रमुख समाचारपत्रों को अपने पृष्ठ कम करने को बाध्य होना पड़ा। 'नवभारत टाइम्स' व 'हिंदुस्तान' जैसे दैनिक पत्रों को आठ के बजाय चार पृष्ठ कर देने पड़े। कुछ पत्रों को साप्ताहिक अवकाश तक रखने को बाध्य होना पड़ा।

सरकार ने कागज के निर्धारित कोटे में से ३० प्रतिशत की कटौती की जिसके कारण पत्रों के प्रसार पर भी प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था।

भारत में अखबारी कागज की कुल खपत इस समय लगभग २,५०,००० टन है। इसमें से ४०,००० टन कागज मध्य प्रदेश के नेपा की सरकारी मिल उत्पन्न करती है तथा शेष बाहर के देशों से आयात किया जाता है। पिछले इन वर्षों में भी अधिक समय से नेपा की मिल

में यह उत्पादन लगभग इसी मात्रा में हो रहा है। यद्यपि विदेशों से अखबारी कागज के आयात करने पर हर वर्ष करोड़ों रुपये की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च की जा रही है परन्तु देश में अखबारी कागज का उत्पादन बढ़ाने के प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक कोई ध्यान नहीं दिया गया।

जहां तक अखबारी कागज के आयात का सम्बन्ध है कुछ समय पहले तक कनाडा हमें सबसे अधिक अखबारी कागज सप्लाई करता था। परन्तु सोवियत संघ के साथ हमारे बढ़ते हुए सम्बन्धों के कारण उसका बड़ा भाग हमने उससे खरीदना प्रारम्भ कर दिया। १९७३–७४ के वर्ष में हम विदेशों से कागज का जो आयात करेंगे उसके अनुसार कनाडा से ६० ००० टन सोवियत रूस से ५० ००० टन स्कैंडिनेविया के देशों से १३ ००० टन, बंगला देश से २० ००० टन तथा ७ ००० टन के लगभग पूर्वी यूरोप के देशों से होगा। इस प्रकार सब मिलाकर (अगर वायदे के अनुसार कागज मिला) तो १५० ००० टन अखबारी कागज की व्यवस्था होगी। फिर भी ५० से लेकर ६० हजार टन की कमी रहेगी। इण्डियन एण्ड ईस्टर्न न्यूज पेपर सोसाइटी के एक प्रतिनिधिमंडल ने अगस्त १९७३ के दौरान कागज की उपलब्धि के उद्देश्य से श्री के० नरेन्द्र के नेतृत्व में सोवियत संघ कनाडा स्वीडन तथा अमरीका की यात्रा की तथा विदेशों से कागज प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। विदेशों से कागज आना प्रारम्भ हो गया।

संसद की सार्वजनिक उद्यम समिति ने २१ दिसम्बर १९७३ को अपनी ४५वीं रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करते हुये कहा कि वह लगातार इस बात पर जोर देती आयी है कि देश के भीतर खासी अच्छी किस्म का अखबारी कागज मुहैया करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाय जिससे इसकी मांग पूरी की जा सके और आयात पर निर्भर रहने से बचा जा सके।

रिपोर्ट में कहा गया है कि समिति निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में पेशगी योजना और उसकी तामील पर जोर देती रही है जिससे पर्याप्त मात्रा में और होड़ ले सकने वाली कीमतों पर कागज तैयार किया जा सके। मगर सरकार समिति को जो आश्वासन देती रही है उसे उसने पूरा नहीं किया।

समिति ने बताया है कि इस देश में कुल २ २० लाख मीट्रिक टन अखबारी कागज की मांग है और नेपा मिल इसका सिर्फ १८ प्रतिशत कागज तैयार करती है। बाकी का आयात करना पड़ता है। १९७१–७२ में २३ २० करोड़ रुपये का अखबारी कागज विदेशों से मंगाना पड़ा।

कुल मिलाकर इस समय ८ ५ लाख मीट्रिक टन कागज की मांग है और आशा की जाती है कि पांचवीं योजना के अन्त तक यह १३ ३ लाख मीट्रिक टन पहुंच जायगी। इस समय देश में सिर्फ लगभग ७ ४ लाख मीट्रिक टन कागज बनता है।

समिति ने यह आशा व्यक्त की है कि पांचवीं योजना के नियोजन और तेजी से कार्यान्वयन के जरिए मांग और उत्पादन के बीच की खाई काफी हद तक पाटी जा सकेगी।

अखबारी कागज की मांग और पूर्ति

(हजार टन)

सन्	कुल पूर्ति	अनुमानित माग
१९५१ ५२	५० ५	७५ ०
१९६० ६१	९७ ६	१२० ०
१९७३ ७४	१६३ १	२५० ०

कागज के मूल्य में वृद्धि

पिछले कुछ समय से कागज की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए १९६९ ७० में आयातित अखबारी कागज का मूल्य औसतन १३३६ रुपये प्रति टन था दिसम्बर १९७३ में वह २,३०० रुपये प्रति टन जा पहुंचा। नेपा कारखाने में बनने वाला देशी कागज इसी अवधि में १,२२८ रुपये प्रति टन से बढ़ कर १८०० रुपये प्रति टन हो गया। छपाई का सफेद कागज १९६९ ७० के दौरान २,००० रु० प्रति टन सरलता से मिल जाता था वह अब दुगने भाव पर यानी ४००० रुपये प्रति टन पर भी मुश्किल से मिल रहा था। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले वर्ष यानी १९७४ ७५ में आयातित अखबारी कागज २ ६०० रुपये प्रति टन और नेपा कागज २४०० रुपये टन हो जायेगा। छपाई का कागज ४५०० रुपये टन तक पहुंच सकता है। उल्लेखनीय बात यह है कि १९६६ में रुपये के अवमूल्यन से पूर्व आयात किया हुआ कागज लगभग ८०० रुपये टन मिलता था। इस प्रकार सात वर्षों के बीच इसकी कीमतें तिगुनी से भी ज्यादा हो गयी हैं।

भारतीय पत्रों की आयु इस समय देश में १८ समाचारपत्र ऐसे हैं जो अपनी आयु के १०० वर्ष पूरे कर चुके हैं। इनमें से ६ दैनिक हैं। इस समय चालू पत्रों में सबसे पुराना समाचारपत्र गुजराती का 'मुंबई समाचार' है जिसका प्रकाशन १८२२ में प्रारम्भ हुआ तथा १८५५ में यह दैनिक हो गया। अंग्रेजी के टाइम्स आफ इंडिया का प्रकाशन १८३८ में प्रारम्भ हुआ जो कि १८५० में दैनिक बन गया। अन्य दो प्रमुख दैनिक जाम ए जमशेद (गुजराती) बम्बई (१८३२) तथा पायनियर (अंग्रेजी) लखनऊ (१८६५) है।

दैनिक समाचारपत्रों के प्रकाशन के मामले में १९७१ में भी भारत का स्थान संसार में दूसरा रहा। १९७१ के अन्त में देश में १२,२१८ समाचारपत्र प्रकाशित हो रहे थे जबकि १९७० में इनकी संख्या ११ ०३६ थी। इस प्रकार १९७१ में ११८२ समाचारपत्र और प्रकाशित होने लगे तथा पिछले पांच वर्षों में समाचारपत्रों की संख्या ४३१२ बढ़ी।

हिन्दी के सबसे अधिक समाचारपत्र

देश में सबसे अधिक समाचारपत्र हिन्दी में प्रकाशित किए जा रहे हैं जिनकी संख्या ३११६ है। हिन्दी के बाद सबसे अधिक समाचारपत्र २३६० अंग्रेजी में और इसके बाद १ ००५ उर्दू में प्रकाशित हो रहे थे। दैनिक समाचारपत्रों की दृष्टि से भी हिन्दी में सबसे अधिक, अर्थात २२२ दैनिक समाचारपत्र प्रकाशित हो रहे थे। भारत में अंग्रेजी के ७८ मराठी के ७७ और उर्दू के १०२ दैनिक समाचारपत्र प्रकाशित हो रहे हैं।

साप्ताहिक पत्रिकाओं की दृष्टि से भी हिन्दी का स्थान सर्वोपरि है। हिन्दी में १३६४ साप्ताहिक पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थी।

संख्या की दृष्टि से भी हिन्दी समाचार पत्रों की संख्या सबसे अधिक बढ़ी। आलोच्य वर्ष में हिन्दी के ४२२ और समाचारपत्र प्रकाशित होने लगे, जबकि अंग्रेजी समाचारपत्रों की संख्या १४३ और उर्दू समाचारपत्रों की संख्या १०७ बढ़ी।

प्रसार संख्या १९७१ के दौरान समाचारपत्रों की प्रसार संख्या भी बढ़ी।

१९७१ में दैनिक समाचारपत्रों की अपेक्षा साप्ताहिक पत्रिकाओं की प्रसार संख्या अधिक थी। दैनिक समाचारपत्रों की प्रसार संख्या ९१ लाख थी और साप्ताहिक पत्रों की प्रसार संख्या ८० ७ लाख थी।

अग्रेजी, हिन्दी और तमिल समाचारपत्रों की प्रसार संख्या सबसे अधिक थी। इनकी प्रसार संख्या क्रमश ७० ०३ लाख, ६० ८३ लाख और ३५ ९१ लाख थी।

सबसे अधिक बिक्री वाले दैनिक देश में सबसे अधिक बिकने वाले पांच दैनिक समाचार पत्र है। इनके नाम है आनन्द बाजार पत्रिका–बंगला, मलयालम मनोरमा–मलयालम युगान्तर–बंगला, नवभारत टाइम्स–हिन्दी तथा लोकसत्ता–मराठी।

प्रांत के अनुसार पत्रों की संख्या-१९७१

राज्य	दैनिक	साप्ताहिक	अन्य	कुल १९७०	कुल १९७१
महाराष्ट्र	१२०	५१६	१,२०९	१,७०६	१,८४५
उत्तर प्रदेश	१२६	७७२	७८४	१ ४७३	१,६८२
दिल्ली	३१	२२४	१,०८६	१ २४२	१ ३४१
प० बंगाल	३१	२३९	१,०२३	१,२०४	१,२९३
तमिलनाडु	१०४	११९	७३४	८७०	९५७
आन्ध्र प्रदेश	३४	२०६	३९८	५८७	६३८
राजस्थान	३२	३०२	३३१	५७२	६६५
केरल	६३	९०	४८०	५६९	६३३
गुजरात	४३	१४४	३६०	५२७	५४७
मध्य प्रदेश	६९	२७०	१८९	४६७	५२८
पंजाब	३३	१६७	२६३	४२७	४६३
कर्नाटक	६२	१३५	२६५	३९८	४६२
बिहार	१०	१०८	१५०	२२५	२६८
हरियाणा	६	८३	१११	१६६	२००
उड़ीसा	७	२२	१०६	११९	१३५
असम	७	४१	७३	११०	१२१
जम्मू-कश्मीर	१८	७९	२६	१०२	१२३
चण्डीगढ़	५	३५	७०	९५	११०
हिमाचल प्रदेश	—	२७	४१	५४	६८
मणिपुर	९	२	३२	३७	४३
पांडिचेरी	—	४	३२	३२	३६
गोवा	६	९	२०	३२	३५
त्रिपुरा	४	९	२	१४	१५
नागालैंड	—	२	२	४	४
अंडमान	१	२	२	४	५
कुल	८२१	३ ६०८	७ ७२१	११ ०३६	१२ २१८

समाचारपत्रों की संख्या
(१९६६ से १९७१ तक)

वर्ष	दैनिक	अर्ध-साप्ताहिक तथा पाक्षिक	साप्ताहिक	अन्य	कुल
१९६६	५८९	५२	२४०३	५६३६	८६४०
१९६७	५८८	५८	२६९७	५९७२	९३१५
१९६८	६३६	५१	२८९२	६४४०	१००१९
१९६९	६५०	५२	२९७२	६६०६	१०२८१
१९७०	६९८	६०	२१६२	७११९	११०३६
१९७१	८२१	६८	३६०८	७७२१	१२२१८

दैनिक पत्रों में त्रिदिवसीय पत्र भी सम्मिलित हैं।

भाषा और अवधि के अनुसार समाचारपत्रों की संख्या (१९७१)

भाषा	दैनिक	साप्ताहिक	अन्य	कुल १९७१	कुल १९७०
१ अंग्रेजी	७८	३०५	२००७	२३९०	२२८७
२ हिन्दी	२२२	१३९८	१५८०	३११६	२६९४
३ असमी	२	१०	२९	४१	३८
४ बंगला	१५	१७०	५७५	७६०	७०७
५ गुजराती	४३	१८६	४०५	५९४	५७७
६ कन्नड	३९	९४	१५२	२८५	२४७
७ मलयालम	६०	७८	३४३	४८१	४३२
८ मराठी	७७	२७५	३८९	७४१	६८०
९ उड़िया	७	१७	९३	११७	१०३
१० पंजाबी	१८	१०३	१३८	२५९	२३६
११ संस्कृत	१	२	२५	२८	२७
१२ सिंधी	४	३१	४३	७८	७२
१३ तमिल	९७	८९	४२९	६१५	५७१
१४ तेलुगू	१७	१०२	२६७	३८६	३६१
१५ उर्दू	१०२	४६८	४३५	१००५	८९८
१६ द्विभाषी	२४	२४९	६८२	९५५	८६३
१७ बहुभाषी	४	४६	१६७	२१७	१९९
१८ अन्य	११	२९	११०	१५०	१३८

दैनिकों में द्विदिवसीय एवं त्रिदिवसीय शामिल हैं।

सर्वाधिक प्रसार सख्या वाले समाचारपत्र

		१९७१
दनिक—ग्रानद बाजार पत्रिका (बगला)		३,०८ ३१६
साप्ताहिक—कुमुदम (तमिल) मद्रास		३ ७४ ३७२

मासिक म सवप्रथम स्थान कल्याण (गोरखपुर) का रहा जिसकी प्रसार सख्या १६२ ३८९ रही ।

१९७१ म एक लाख से अधिक प्रसार सख्या वाले दनिक २२, साप्ताहिक १२ तथा अन्य नियतकालिक १० थ ।

देश के चार महानगरा से निकलने वाले समाचारपत्रा की प्रसार सख्या कुल पत्रा की प्रसार सख्या के ५५ ७ प्रतिशत है ।

भाषानुसार समाचारपत्र प्रसार सख्या-१९७१

(हजार म)

भाषा	दनिक	साप्ताहिक	अन्य	१९७०	१९७१ कुल
अग्रेजी	२२१९	१३ ०९	३४७५	७१ ७३	७० ०३
हिन्दी	१५ १६	१७ ९६	२७ ३१	५८,५२	६०,४३
असमी	—	४९	१९	१ ०६	६८
बगला	५९७	३१६	५८३	१३ ८८	१४ ९६
गुजराती	६८३	४४८	६५२	१९ २४	१७ ८३
कन्नड	३१४	२४७	२८१	८ ४४	८४२
मलयालम	११ ११	७६८	६३१	२२ ९८	२५ १०
मराठी	९ १०	४३४	६८६	१९ २०	२० ३०
उडिया	९०	१६	९२	२ २४	१ ९८
पजाबी	७३	१७५	१९७	३,६९	४४५
सस्कृत	१	—	१०	१३	११
सिन्धी	२१	४३	३१	१ २९	९५
तमिल	९ ०८	१४ ०९	१२ ७४	३३ ८३	३५ ९१
तलुगू	२ ३७	३५७	४३५	१० ५७	१० २९
उर्दू	३ ७६	४३१	५६०	१४ ५५	१३ ६७
द्विभाषी	३५	२०६	५९०	८ ९४	८३१
बहुभाषी	—	३७	१४९	१ ९०	१८६
अन्य	५	२४	६२	८७	९१
कुल	९० ९६	८०,६५	१,२३ ५४	२ ९३ ०३	२ ९६,१९

एक लाख से अधिक प्रसार सख्या वाले दैनिक पत्र

		१९७१	१९७०
१	(बगला) आनन्द बाजार पत्रिका (कलकत्ता)	३ ०८ ३१६	२,८८ ५४७
२	(मलयालम) मलयालम मनोरमा (कोट्टायम)	२ ११ ०५०	१,९३,१२२
३	(बगला) युगान्तर (कलकत्ता)	२ १० ८८९	१,८९ १४३
४	(अग्रेजी) हिन्दू (मद्रास)	१ ४१ ३७६	१ ३३ ७०१
५	(अग्रेजी) टाइम्स आफ इडिया (बम्बई)	१ ५६ ९०४	१ ५२ ५८२
६	(मराठी) लाकमत्ता (बम्बइ)	१,६० ०८४	१,५२ ८७०
७	(अग्रेजी) स्टेटसमैन (कलकत्ता)	१ ४८ १२३	१ ४० ५८८
८	(हिन्दी) नवभारत टाइम्स (दिल्ली)	१ ८२ ३००	१,५२ २६३
९	(अग्रेजी) हिन्दुस्तान टाइम्स (दिल्ली)	१ ४९ ५६६	१ ४० ९१८
१०	(मलयालम) केरल कौमुदी (त्रिवेन्द्रम)	१ ४२ ३१७	१ ३७ ०७१
११	(मलयालम) मातभूमि (एर्नाकुलम)	१ ४०,२७१	१,२२ ८४४
१२	(हिन्दी) हिन्दुस्तान (दिल्ली)	१,५५ १९१	१,२८,६२७
१३	(अग्रेजी) अमतबाजार पत्रिका (कलकत्ता)	१ १८ ११८	१ १२ ६८६
१४	(तमिल) थाथी (मद्रास)	१ ४५ १३६	१ ०३ ०४५
१५	(मलयालम) मातभूमि (कालीकट)	१ २५,५७१	१ २८ ६८२
१६	(तमिल) दिनमाण (मदुराई)	१ ११,११०	१ ०३,७९८
१७	(मराठी) सकाल (पूना)	१ ००,७८८	१ ०० ७००
१८	(मराठी) महाराष्ट्र टाइम्स (बम्बई)	१ १४ ७८९	१ १३ ३०३
१९	(अग्रेजी) इडियन एक्सप्रेस (बम्बई)	१ ०३ २००	१,०४ ४३०
२०	(गुजराती) सन्देश (अहमदाबाद)	१ ०२ ०४६	९८ ६९६
२१	(अग्रेजी) ट्रिब्यून (चडीगढ)	१,०५ १५३	९३ ८४९
२२	(मलयालम) मलयालम मनारमा (कालीकट)	१,०६ ९२४	९५ ३८२

एक लाख से अधिक प्रसार सख्या के एकाधिक सस्करण वाले दैनिक

१	(अग्रजी) इडियन एक्सप्रेस (अहमदाबाद बगलौर बम्बई दिल्ली मद्रास मदुरई तथा विजयवाडा)	४,६२ ००९	४,४८ ०१८
२	(तमिल) थाथी (मद्रास, मदुराई कोयम्बटूर, त्रिचुरापल्ली तिरुनवेली तथा वेल्लार)	३ ८९,५८१	२,९८,०१०
३	(मलयालम) मानभूमि (काचीन, कालीकट)	२,६५ ८४२	२,४४ ४८६
४	(मलयालम) मलयालम मनोरमा (कालीकट कोट्टायम)	३,१७,९७४	२ ८८ ८६८
५	(अग्रेजी) टाइम्स आफ इडिया (अहमदाबाद, बम्बई दिल्ली)	२ ६२ ३०२	२,४४,७८१
६	(हिन्दी) नवभारत टाइम्स (दिल्ली, बम्बई)	२५०,१५२	२,११,५५९

७	(अंग्रेजी) स्टेटसमन (दिल्ली कलकत्ता)	१६३,५२२	१८५ ६०२
८	(तमिल) दिनमणि (मद्रास मदुराई)	१६७,१६१	१५३ ३८६
९	(अंग्रेजी) हिन्दू (मद्रास कोयम्बटूर)	२०१ ३५७	१८८ ०८६
१०	(तेलगू) आन्ध्र प्रभा (बंगलौर विजयवाडा)	११७ ४६०	१०६ १४०
११	(गुजराती) सन्देश (अहमदाबाद बडौदा)	१०२ ४६	१२१ ३६१
१२	(मराठी) सकाल (बम्बई, पूना)	१०० ७८४	११५ २६८

समाचार समितियां

इस समय भारत म प्रमुख रूप स चार समाचार समितिया दनिक समाचार पत्रा को समाचार उपलब्ध करा रही है। ये है—पी० टी० आई० हिन्दुस्थान समाचार यू० एन० आई० और समाचार भारती। इनके अतिरिक्त देश म कुल २८ भारतीय एव १६ विदेशी समाचार समितिया की सवाए भी पत्रा को उपलब्ध है।

प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया (पी० टी० आई) यह अंग्रेजी म सवाद देने वाली सबस पुरानी अखिल भारतीय समाचार एजेंसी है। स्वामी के० सी० राय द्वारा स्थापित एसासियेटेड प्रेस के स्थान पर इसकी १९४७ मे स्थापना हुई। १९४८ म इसम कुछ सुधार किये गये। विदेशी समाचारपत्रा क लिए इसका सम्बध रायटर (ब्रिटिश) ए० एफ० पी० (फ्रास) तथा ए० पी० (अमरिका) से है।

पी० टी० आई० का स्वामित्व पत्र-मालिका तक सीमित है। एशिया म इस समय इसके मुकाबले की दूसरी समाचार एजेंसी नही है। समाचारपत्रा क अतिरिक्त आकाशवाणी भी इससे समाचार लेती है।

यूनाइटेड न्यूज आफ इंडिया (यू० एन० आई०) इसकी स्थापना १९५९ म हुई। इसका स्वामित्व भी पत्र मालिका तक सीमित है। आकाशवाणी भी इसकी सवा लेता ह। यह विदेशी समाचार सेवा जर्मनी की डी० पी० ए० अमरिका की यू० पी० आई० तथा रूस की तास स लेती है।

हिन्दुस्थान समाचार कार्यकर्त्ताओ के सहकारी स्वामित्व की यह बहुभाषी समाचार समिति ह। यह हिन्दी उर्दू अंग्रेजी उडिया मलयालम मराठी गुजराती बगला असमी कन्नड पजाबी आदि विभिन्न भाषाओ म सवाद भेजने का काय करती है। १९४८ म बम्बई म इसकी स्थापना हुई थी। हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि को टेलीप्रिंटर सयत्र पर स्थान दिलान का श्रेय इसी को प्राप्त है। १९५७ म यह सहकारी समिति म परिणित कर दी गई। यह सचार की आधुनिक सुविधाओ स सम्पन्न है। सारे देश म आज विभिन्न भाषाओ क लगभग एक सौ पचीस समाचार पत्र इसके ग्राहक है और देश म इसके एक हजार स भी अधिक सवाददाताओ का जाल बिछा हुआ ह। आकाशवाणी के राष्ट्रीय प्रसारण के अतिरिक्त क्षत्रीय प्रसारणा के लिए आकाशवाणी के विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रा को इसकी सेवाए उपलब्ध है। इसने प्रमुख लेख माला के अन्तर्गत विभिन्न पत्रा को लेख सेवाए देना प्रारम्भ किया ह जो युगवार्ता नाम से प्रसारित हो रही हैं। नेपाल की राष्ट्रीय सवाद समिति स समाचारो क आपसी आदान प्रदान की व्यवस्था है।

समाचार भारती एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी क रूप म इसकी स्थापना हुई। इसम लगभग ८६ प्रतिशत अशो (शेयरो) का स्वामित्व राज्य सरकारो का है। इसने

१९६७ मे काय प्रारम्भ किया। यह भी बहुभाषी समाचार समिति है तथा हिंदी मराठी गुजराती, तमिल म सवाए दे रही है। इसकी सेवाए आकाशवाणी का उपलब्ध हैं।

अन्य भारतीय समितिया है—इण्डिया प्रेस एजेंसी एसोसिएटेड न्यूज सर्विस (हैदराबाद), इंडिया न्यूज एण्ड फीचर इलायस (नई दिल्ली)।

प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसिया इस प्रकार है

(१) रायटर (२) एसोसिएटेड प्रेस आफ अमरिका, (३) एजसी फ्रास प्रेस (४) तास न्यूज एजेंसी। (५) यूनाइटेड प्रेस इटरनेशनल, (६) नियर एण्ड फार ईस्ट न्यूज (एशिया) लि० (७) डुट्शे एजेंगट्र प्रेस (वेस्ट जमन नेशनल न्यूज एजेन्सी) (८) टेलीग्राफ्शा एजेंसिजा नोवा (जनजूगा), (९) युगोस्लाविया इत्यादि। कुछ विदेशी एजसिया भारत को विश्व समाचार देती है और भारत के समाचार अपने देश के ग्राहक पत्रो को भेजती है।

प्रेस परिषद्

भारत सरकार न प्रेस परिषद अधिनियम (१९६५) के अन्तगत ४ जुलाई १९६६ का प्रेस परिषद की स्थापना की। इस परिषद का उद्देश्य भारत म पत्र स्वतन्त्रता की रक्षा करना एव समाचार-पत्रो क स्तर को सुधारना है। यह समाचारपत्रो और पत्रकारा के लिए समाचार सहिता तयार करन मे सहायता देगी।

जांच

माच स दिसम्बर १९७२ के दौरान समाचारपत्र परिषद को धारा १३ क अधीन समाचारपत्रो और नियतकालिक पत्रो के विरुद्ध ८६ शिकायत मिली जबकि २७ शिकायत १९७१ से भी पडी हुई थी। समाचारपत्र परिषद ४० मामला म जाच जारी नही रख सकी (ये मामले बद कर दिए गए) क्योकि या तो ये मामल परिषद के काय क्षेत्र क बाहर थ या उनके बारे म न्यायालय म मामला दर्ज चुका था या शिकायत करने वाला स पूरा विवरण नहा मिला था या कहने पर भी औपचारिक रूप स शिकायत दज नही कराई गई थी। अन्य मामलो पर कार्ड कायवाही नही की गई क्योकि मामले बहुत पुराने थ।

कुल मिलाकर परिषद ने १६ शिकायतो पर विचार किया। इन १६ शिकायतो म स ९ शिकायते रद्द कर दी गई थी। विचार के लिए अनुमोदित शिकायतो मे स एक उत्तरदायी सम्पादक की भत्सना की गई जबकि अन्य सम्पादको का चेतावनी दी गई। इनम से ४ शिकायतें साम्प्रदायिक लेखो के बारे म ९ अश्लीलता के बारे म तथा बाकी विभिन्न प्रकार की पत्रकारिता की गलतियो के बारे म थी।

समाचारपत्रो के लिए आचार सहिता

परिषद ने दिसम्बर १९७१ के पहले सप्ताह म आपातकालीन स्थिति के दौरान भारतीय समाचारपत्रो और सवाद समितियो के सम्पादको तथा सवाददाताओ के लिए आचार सहिता तयार की जिससे उनकी किसी गलती के कारण देश की सुरक्षा पर कोई आच न आ जाए।

समाचारपत्रो की आर्थिक स्थिति क बारे म तथ्य एकत्र करने के लिए गठित समिति ने सभी दैनिक समाचार पत्रो को एक प्रश्नावली भेजी जिसम उनस १९६७ स १९७२ तक की पाच साल की अवधि म अपनी आय और व्यय क बारे म जानकारी देने क लिए

कहा गया है। समाचार पत्रों से १९७२ से ७४ तक के अगले तीन वर्षों की उनकी अनुमानित आय और व्यय के बारे में भी जानकारी मांगी गई है।

दूर-दर्शन

चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में बम्बई (पूना में रिले की सुविधाएं), श्रीनगर मद्रास, कलकत्ता और लखनऊ (कानपुर में रिले की सुविधाएं) दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किए जायेंगे और साथ ही दिल्ली के वर्तमान दूरदर्शन केन्द्र की शक्ति बढ़ाई जायगी। अमृतसर में १९७३ में एक दूरदर्शन प्रेषण केन्द्र स्थापित हो गया है। कलकत्ता केन्द्र का क्षेत्र और बढ़ाने के लिए दुर्गापुर और आसनसोल में भी रिले प्रेषित्र लगाने का विचार है। दिल्ली में एक ऊंची मीनार बन जाने से अब दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र के कार्यक्रम ४० की बजाय ६० किलोमीटर की दूरी पर भी दिखाई देने लगे हैं। मसूरी में भी एक प्रेषण मीनार बनाकर दिल्ली के केन्द्र के प्रसारण को बढ़ाने की योजना है।

प्रचार

इस साल १६ क्षेत्रीय प्रचार यूनिटें बनाई गईं। अब इनकी कुल संख्या १९६ हो गई है। इन क्षेत्रीय यूनिटों ने मंत्रालय के अन्य प्रचार विभागों, राज्य सरकार एजेंसियां सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ मिलकर काफी प्रचार कार्य किया। महत्वपूर्ण मेलों और उत्सवों के अवसर पर प्रचार कार्यक्रम आयोजित किए गये।

फिल्म डिवीजन

फिल्म डिवीजन हर वर्ष २०० से अधिक फिल्म तैयार करता है। इनमें से ६८ वृत्तचित्र ५२ समाचार चित्र (राष्ट्रीय), ५२ क्षेत्रीय समाचार चित्र और ६ विशेष समाचार चित्र होते हैं।

१४ भाषाओं में तैयार फिल्म डिवीजन के समाचार चित्रों में देश विदेश के समाचार होते हैं। ये फिल्में देश के ७५०० से ज्यादा सिनेमाघरों और प्रदर्शनी-गाड़ियों द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। इस समय हर सप्ताह ४६६ प्रिंट प्रदर्शन के लिए जारी किए जाते हैं जबकि पिछले वर्ष के प्रारम्भ में इनकी संख्या ४३० थी।

१९७२-७३ के दौरान फिल्म डिवीजन ने ८१ फिल्मों का निर्माण किया।

प्रकाशन विभाग

विभाग द्वारा १९७२ वर्ष में कुल ९२ पुस्तकें और पुस्तिकाएं निकाली गईं जिनमें से ३७ अंग्रेजी में, २४ हिन्दी में और ३१ अन्य भारतीय भाषाओं में थीं।

अपने प्रकाशनों की विदेशों में बिक्री बढ़ाने के अभियान के भाग के रूप में प्रकाशन विभाग ने १९७० से सीधे ही अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले और प्रदर्शनियों में भाग लेना शुरू कर दिया।

: २१ :

भारतीय अर्थ-व्यवस्था

भारत म राष्ट्रीय वित्त तीन भागो मे विभक्त किया जा सकता है—(१) भारत सरकार का वित्त (२) रज्य सरकारा का वित्त, (३) स्थानीय सस्थाम्रा का वित्त। सविधान ने निधि जमा करने का अधिकार विभक्त कर रखा है। केन्द्रीय सरकार के समान राज्य सरकारो को भी कर लगाने का अधिकार है। जो धनराशि प्राप्त होती है चाहे वह निधि सग्रह से हो कर सग्रह से प्राप्त हो या बाजार स ऋण लेने म वह समेकित निधि म जमा होती है। इस समेकित निधि से कोई राशि ससद की स्वीकृति के बिना नही ली जा सक्ता। दूसरा धन 'सावजनिक लेखा' म जमा होता है। इस खच करन के लिए ससद की स्वीकृति आवश्यक नही है। आकस्मिक व्यय के लिए भारत की आकस्मिक निधि स्थापित की गई है। राज्या म भी इस प्रकार तीन धन विभाग है।

ससद एव विधान सभाम्रा के वित्तीय निणय ठीक ठीक व्यवहार म म्राते है या नही, इसे देखन का काम महालेखा परीक्षक का है। विनियोग की गई राशि बन्नी नही चाहिए। सरकार जो खच करे, उस पर उसको विधि मण्डल या ससद की स्वीकृति लेनी चाहिये। रलवे का बजट केन्द्रीय बजट से अलग रहता है। रेलवे केन्द्राय सरकार को अपनी आय म स कितना भाग दे, यह हर तीन वप बाद निश्चित किया जाता है। साधारणत रेलवे म लगी सरकार की पूजी का मामूली ब्याज ही रेलवे देती है यह ६ प्रतिशत से कम होता है। इसका नाम लाभाश (डिविडेन्ट) रखा गया है।

वित्त मन्त्रालय

भारत सरकार म वित्त प्रबध और सम्पूण वित्तीय व्यवहारा के लिए वित्त मत्रालय उत्तरदायी है। प्रबन्धक मत्रालया के सहयोग से एक यह मत्रालय भारत सरकार के सभी व्यय का नियन्त्रण करता है। सरकारी कर व ऋण-नीति का नियमन भी यही करता ह। बक-व्यवस्था और मुद्रा सम्बधी समस्याम्रा का निपटारा यही करता है तथा सम्बन्धित मत्रालया के सहयोग स देश की मुद्रा का नियमन और उचित उपयोग की व्यवस्था करता है। प्रतिभूमि सविदा (विनियमन) अधिनियम १९५६ के शासन तथा शेयर बाजारा के विनियमन स सम्बधित काय अथ विभाग को सौंप दिया गया। सरकारी उद्यम कार्यालय (ब्यूरा ग्राफ पब्लिक इण्टरप्राइजेज) जो पहले समन्वय के विभाग के अधीन था २४ जनवरी, १९६६ से वित्त मत्रिमडल सचिवालय (मत्रिमन्डल काय विभाग) के अधीन कर दिया गया।

व्यय, अथ और समन्वय विभाग अलग अलग मत्रिया के अधीन हैं। राजस्व और

बीमा तथा सरकारी उद्यम कार्यालय का एक ही सचिव है। हर विभाग के अधीन अनेक संगठन है।

वित्त मन्त्रालय के अन्तर्गत अभी तीन विभाग हैं—राजस्व और बीमा विभाग, व्यय विभाग, तथा अर्थ विभाग।

राजस्व व बीमा विभाग यह सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की व्यवस्था और बीमा के मामलों के लिए उत्तरदायी है। राजस्व-नीति के विषय में सरकार को सलाह देने का महत्वपूर्ण कार्य इसी का है। स्वर्ण नियन्त्रण विनियमों का प्रशासन भी इसी के अधीन है।

१६७२-७३ में ये प्रत्यक्ष कर रहे—आय-कर, सम्पत्ति-कर, अति-कर (अधिलाभ-कर), मृतक सम्पत्ति शुल्क और दान-कर। अप्रत्यक्ष कर हैं संघीय उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं अतिरिक्त सीमा शुल्क।

व्यय विभाग इसके अधीन ये प्रभाग हैं—प्रतिष्ठापन प्रभाग, असैनिक व्यय प्रभाग, रक्षा प्रभाग, कर्मचारी निरीक्षण एकक, लागत लेखा पक्ष, आयोजना वित्त प्रभाग तथा सरकारी उद्यम कार्यालय। जून १६६७ में वित्त मन्त्रालय के समन्वय विभाग को व्यय विभाग के साथ मिला दिया गया।

अर्थ विभाग बजट तैयार करता है। विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताओं और साधनों की जांच करता है। विभाग में ये प्रभाग हैं—बजट प्रभाग, बाह्य वित्त और विदेशी सहायता प्रभाग, आंतरिक वित्त प्रभाग, अर्थ प्रभाग तथा प्रशासन प्रभाग।

बजट

बजट प्रभाग रेलवे-बजट को छोड़कर भारत सरकार का वार्षिक बजट तैयार करता है। अधिक व्यय हो जाने पर अनुपूरक बजट व अतिरिक्त अनुमान भी यही तैयार करता है।

हर वित्तीय वर्ष में फरवरी मास के अंतिम दिनों में केन्द्रीय सरकार का बजट लोक सभा में वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। इसमें अगले वित्तीय वर्ष की आय-व्यय का अनुमान बताया जाता है और व्यय की स्वीकृति मांगी जाती है। घाटे को पूरा करने के लिए नये कर लगाये भी जाते हैं, हटाये भी जाते हैं या उनकी दर कम की जाती है। यह वार्षिक वित्तीय वक्तव्य कहा जाता है। बजट पर पहले साधारण बहस होती है। इसके बाद प्रत्येक मन्त्रालय की मांग पेश की जाती है। इस प्रकार समेकित निधि से व्यय करने के लिए राशि निकाली जाती है। इसके बाद विनियोग अधिनियम पेश किया जाता है। संसद यह हर वर्ष पारित करती है। कर-प्रस्ताव एक पृथक विधेयक पेश किये जाते हैं। यह वित्त विधेयक के नाम से प्रसिद्ध है।

आय-व्यय केन्द्रीय सरकार की आय के स्रोत हैं—उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, निगम-कर, आय-कर, मृत सम्पत्ति शुल्क और टकसाल की आय। रेलवे और डाक-तार से इसका अंशदान मिलता है। राष्ट्रीय निर्माण विभाग के कार्यों तथा सरकारी उद्योग से भी केन्द्रीय सरकार को कुछ आय होती है।

राज्यों की आय के मुख्य स्रोत हैं—(१) निजी तथा अन्य कर और शुल्क, (२) विभागों से आय, (३) राज्य के उद्योगों से आय, (४) केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋण भाग तथा (५) केन्द्र से मिला अनुदान।

स्थानीय संस्थाओं की आय के मुख्य स्रोत हैं—(१) चुंगी, सम्पत्ति कर, पशु-कर,

कृत सेवाओं का शुल्क लाइसेंस फीस, जल कर, बिजली कर साइकिल-कर तथा सरकार से प्राप्त अनुदान।

केन्द्रीय सरकार का व्यय तीन भागों में विभक्त है—सुरक्षा-व्यय नागरिक या मुल्की व्यय और पूंजीगत व्यय या निर्माण-व्यय।

मुल्की या नागरिक व्यय के अन्तर्गत व्यय की निम्न मदें आती है

नागरिक प्रशासन ऋण सेवाएं विस्थापित पुनर्वास खाद्य-सहायता आदि। पूंजीगत व्यय की मदें है—औद्योगिक विकास। इसके लिए पृथक पूंजीगत बजट तयार किया जाता है। पूंजीगत बजट के व्यय की मुख्य मदें हैं—रेलवे, डाक-तार नदी घाटी परिकल्पनाएं उन्नयन। यह व्यय स्थायी कर्ज अग्रिम (एडवांस) और राज्यों को कर्ज देकर किया जाता है।

केन्द्र से राज्यों के साधनों का हस्तान्तरण भारत के संघ शासन की एक नई विशेषता है कि केन्द्र सरकार अपने वित्तीय साधनों का कुछ भाग राज्य को देती है। राज्य केन्द्र को नही देते। वित्तीय साधनों का स्रोत केन्द्र है और आर्थिक दृष्टि से राज्य केन्द्र पर आश्रित हैं। राज्य केन्द्रीय सरकार की आय का कुछ अंश ही नही पाते बल्कि संविधिक और अन्य प्रकार के अनुदान विभिन्न योजनाओं के लिए कर्ज और पुनर्वास-व्यय भी पाते हैं।

कर जांच आयोग

हर साल सरकार का व्यय बढ़ रहा है। इसलिए राष्ट्र की कर देने की क्षमता का और अधिक उपयोग कर नियोजित व्यय को पूरा करने के लिए इसकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर जांच आयोग की नियुक्ति की गई। इसकी राय यह है कि विद्यमान साधनों के आधार पर निर्भर भारत की कर-पद्धति देश के कर योग्य साधनों का पूर्णत लाभ नही उठाती अत इसने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का आधार बढ़ाने की सिफारिश की और करों की दरों में पुन समायोजन करने की सलाह दी। १९५६ से कर-जांच कमीशन की सिफारिशें क्रियान्वित हो रही हैं।

वित्त आयोग

भारत के संविधान के अनुच्छेद २८० में कहा गया है कि राष्ट्रपति संविधान के लागू होने के दो वर्ष बाद और इसके अनन्तर हर पांच साल बाद या उससे पहले एक वित्त आयोग नियुक्त करे। इसका काय निम्न विषयों में सिफारिश करना होगा

(क) आय-कर से प्राप्त विशुद्ध आय के केन्द्र और राज्यों में वितरण का आधार

(ख) अन्य केन्द्रीय करों—जैसे संघीय उत्पादन शुल्क से प्राप्त विभाजनीय आय का वितरण

(ग) जूट और जूट से बने माल के निर्यात पर लगाए गये निर्यात कर के बदले असम बिहार, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल को दिया जाने वाला भाग (घ) भारत सरकार की समेकित निधि से राज्यों को अनुदान देने का आधारभूत सिद्धान्त (ड) कृषि भूमि व अतिरिक्त सम्पत्ति कर की आय के वितरण का सिद्धान्त।

वित्त आयोग की परम्परा का आरम्भ मांटफोर्ड सुधार योजना के आरम्भ के साथ हुआ क्योंकि इण्डियन एक्ट १९१९ प्रान्तों को स्वायत्त शासन देता था। अत प्रान्तों को शासन चलाने के लिए आय-साधन देने की आवश्यकता हुई। लगान आबकारी और स्टाम्प

ड्यूटी की आय पूरी नही मानी गई। भारत के स्वाधीन होने के बाद नया संविधान लागू होने से पहले श्री देशमुख और श्री गाडगिल ने आय वितरण के आधार बनाए। विधान लागू होने पर पहला वित्त आयोग श्री सतीशचन्द्र नियोगी की अध्यक्षता म दूसरा श्री के० सन्थानम तीसरा श्री ए० के० चन्द्र चौथा डा० पी० वी० राजमन्नार, ५वा श्री महावीर त्यागी तथा छठा श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी की अध्यक्षता म नियुक्त हुआ।

पहला आयोग यह नवम्बर, १९५१ म नियुक्त किया गया। इसने सिफारिश की कि (१) आयकर से प्राप्त विशुद्ध आय का ५० की जगह ५५ प्रतिशत भाग राज्या को दिया जाए। (२) उत्पादन शुल्क म स तम्बाकू (सिगरेट, सिगार आदि) दियासलाई और वनस्पति से तयार वस्तुए राज्यो मे वितरण के लिए सर्वोत्तम हैं (३) इन पर लगाए शुल्का स प्राप्त आय का ४० प्रतिशत भाग राज्या म वितरित किया जाये। (४) निर्यात कर के बदले एक निश्चित राशि अनुदान सहायता मे दी जाये (५) आय विभाग के अनुदान राज्या की आवश्यकता का विचार करके दिये जाय। अनुदान कायम रह। (६) राष्ट्रीय महत्व के विशेष भार जसे देश विभाजन के कारण राज्या पर आया बोझ अनुदान देने का उचित कारण माना जाना चाहिए। पिछडे राज्या को केन्द्र अनुदान सहायता दे।

दूसरा आयोग दूसरा वित्त आयोग जून १९५६ म नियुक्त हुआ और इसने अपनी रिपोर्ट सितम्बर १९५७ म दी। इसने विभाजनीय आय के वितरण के आधारभूत सिद्धात बताते और राज्या को अनुदान देने का आधारभूत सिद्धात निश्चित किया। इसने केन्द्रीय सरकार और राज्यो के बीच हुए करारा म परिवतन करने की भी सिफारिश की। आयोग की सिफारिशो के फलस्वरूप केन्द्र से ९५ करोड रुपये के बदले १४० करोड रुपया राज्या को मिलने लगा।

तीसरा आयोग यह २ दिसम्बर १९६० को नियुक्त हुआ और इसने अपनी रिपोट १४ दिसम्बर १९६१ का दी। करो और शुल्का म राज्य का जो भाग इसन निश्चित किया वह दिया गया। आय-कर राज्यो का अश बढाकर ६० प्रतिशत कर दिया गया और उत्पादन शुल्क की तीन वस्तुओ की जगह १२ वस्तुओ की आय म राज्या को हिस्सा दने की सिफारिश की। इसने मृत सम्पत्ति शुल्क मे भी राज्य को भागीदार बनाया। रलवे यात्री कर मे से अश के बदले राज्यो को निश्चित राशि दने की व्यवस्था की। ६ वस्तुओ पर से बिक्री कर हटाकर उन्हें उत्पादन शुल्क म सम्मिलित करने और उनसे प्राप्त आय राज्या को दने की सलाह दी। सहायता अनुदान देने के बारे म उसने कहा कि यह सविधान के अनुच्छेद २७३ के अधीन दिया जाये। एक को छोडकर सरकार ने आयोग की सब बात मान ली।

चौथा आयोग यह डा० पी० वी० राजमन्नार की अध्यक्षता म मई १९६४ म नियुक्त हुआ। इस आयोग को अनुच्छेद २८० म प्रदत्त कार्यो के अतिरिक्त और कुछ विषय भी परामर्श देने के लिए सौंपे गये। नये विषय थे (१) अनु० २७५ के अधीन राज्या को दिये जाने वाले सहायता अनुदान का नियामक सिद्धात और स्टेट ड्यूटी की आय के राज्या म वितरण का आधारभूत सिद्धान्त। (२) रेलवे यात्रा कर के बदले राज्यो को दी जाने वाली निश्चित धन राशि म परिवर्तन करने की आवश्यकता। (३) चीनी कपडा और तम्बाकू पर बिक्री-कर के अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने स प्राप्त आय के वितरण के नियामक नियमा म परिवतन की आवश्यकता (४) निर्यात की वस्तुओ पर राज्य बिक्री-कर और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क इन दोना म प्रभाव। इसके अतिरिक्त आयोग ने यह

भी विचार किया कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की आय म से राज्यो को जो अंश दिया जाना है उसम क्या कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है क्योकि राज्यो ने बिक्री-कर बना लिया है। आयोग ने १९६५ म सरकार को रिपोर्ट दे दी। १९६६ ६७ का बजट इसी के अनुसार बना। इसने आय-कर की आय ७० प्रतिशत राज्यो को दे देने की सिफारिश की। साथ ही अनुदान मे राज्यो को ७० करोड रुपये अधिक देने के लिए कहा। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की आय म से राज्यो को ६७ करोड रुपया और दिलाया।

पाचवां आयोग १५ मार्च, १९६८ से पाचवें वित्त आयोग का नियुक्ति श्री महावीर त्यागी की अध्यक्षता म की गई। आयोग ने १ अप्रल, १९६९ स आरम्भ होने वाले ५ वर्षो के लिए अपना प्रतिवेदन ३१ जुलाई, १९६९ को प्रस्तुत कर दिया। इसम राज्यो को अधिक आर्थिक सहायता देने के सुझाव दिये गए। आयोग के विचाराथ १० विषय रखे गए जिनम (१) संविधान के अनुच्छेद २६९ म उल्लिखित उन करो और शुल्को मे जिन्हें फिलहाल लागू नही किया गया राजस्व जुटाने की गुजाइश (२) राज्य सरकारो द्वारा उपलब्ध राजस्व स्रोतो से अतिरिक्त राजस्व जुटाने की गुंजाइश, (३) राज्य सरकारो द्वारा रिजर्व बैंक स जमा स अधिक रकम (ओवर-ड्राफ्ट) निकालने की समस्या का हल भी सम्मिलित है।

पाचवें आयोग की सिफारिशो के अनुसार राज्यो को मनरित की जाने वाली रकम कुल मिलाकर ४२६६ करोड रुपया बठेगी, जबकि चौथे आयोग द्वारा, २८८६ करोड रुपए की सिफारिश की गई थी। इसके अलावा राज्यो को उन करो म भी हिस्सा मिलेगा जो अगले चार वर्षो म केन्द्र द्वारा लगाए जा सकते हैं। इन सबा के अतिरिक्त भी कुछ करो स प्राप्त होने वाली रकम का पूरा हिसाब नही लगाया है। योजना आयोग, केन्द्र और राज्य सरकारो क प्रतिनिधि बातचीत कर निणय लेंगे।

आयोग ने सिफारिश की है कि विभाज्य धनराशि म अग्रिम कर को शामिल करने के बाद भी आय कर म राज्यो का हिस्सा ७५ प्रतिशत रहेगा। लेकिन अब राज्यो के हिस्से की रकम का वितरण ९० प्रतिशत जनसख्या के आधार पर और १० प्रतिशत कर निर्धारण के आकडो के आधार पर करने की सिफारिश के अनुसार केन्द्रीय उत्पादन शुल्को म राज्यो का हिस्सा २० प्रतिशत बना रहेगा लेकिन १९७२ ७३ और १९७३ ७४ म विशेष उत्पादन शुल्को की रकम को विभाज्य धनराशि मे सम्मिलित किया जाएगा।

१९६९ स १९७४ के दौरान राज्यो को सहायक अनुदानो के रूप म ६३८ करोड रुपये का अंतरण किया जायेगा। नागालैड जम्मू व कश्मीर जसे सीमावर्ती क्षेत्रो को सहायक अनुदानो के रूप म अधिक धन मिलेगा।

छठा आयोग १९७२ म श्री ब्रह्मानद रेड्डी की अध्यक्षता म गठित किया गया। १९७३ म उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी।

१९७२ ७३ म अर्थ-व्यवस्था पर जो दवाव पडे, वे काफी हद तक १९७१ ७२ म वस्तुओ म उत्पादन की अपेक्षाकृत असतोषजनक वृद्धि के सूचक हैं। कृषि उत्पादन म जिसम १९७०-७१ म ७ ३ प्रतिशत की वृद्धि हुई थी १९७१-७२ म १ ७ प्रतिशत की कमी हो गई, अनाज का उत्पादन जो १९७० ७१ म १० ८४ करोड मैट्रिक टन था १९७१ ७२ म कम हो कर १० ४७ करोड मैट्रिक टन हो गया। वर्ष म औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक मे केवल ४ ५ प्रतिशत की वृद्धि हुई। वस्तुओ के उत्पादन की मन्थर गति के

खाद्यान्न व्यवस्थाओं की अनुपलब्धता तथा उपभोग पर किए गए भारी दबाव के कारण मूल्य स्थिरता में भी भारी वृद्धि हुई। समूची माँग और पूर्ति के बीच बढ़ते असंतुलन के मामले में यह उल्लेखनीय है कि १९७१-७२ में उनके उत्पादन में गिरावट नहीं और इन वस्तुओं का मूल्य-स्तर पर कोई गम्भीर प्रभाव नहीं पड़ा। १९७१-७२ में थोक मूल्यों के सूचकांक में केवल ४.० प्रतिशत की वृद्धि हुई। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन वर्षों में सहज अनुकूल परिणाम का कारण मानसून था और १९७१-७२ में समूची माँग और पूर्ति के बीच उत्पन्न असंतुलन के कुछ प्रभाव उस वर्ष प्रकट न हो कर १९७२-७३ में प्रकट हुए और इस प्रकार चालू वर्ष में वास्तविक उत्पादन पर माँग का दबाव और बढ़ गया।

यदि वस्तुओं के उत्पादन में सामान्य वृद्धि की प्रवृत्ति बराबर बनी रहती तो सम्भव था कि अर्थ-व्यवस्था १९७२-७३ में मूल्यों में किसी उल्लेखनीय वृद्धि के बिना इस दबाव को आत्मसात् कर लेती। किन्तु १९७२-७३ में खरीफ के मौसम में कृषि उत्पादन को लगातार दूसरे वर्ष धक्का लगा। साथ ही सरकारी व्यय की प्रवृत्तियों और कुछ उत्पादन निर्णयों के अनुसार अर्थ-व्यवस्था के कुल व्यय में और वृद्धि हो गई। सरकारी व्यय में वृद्धि इस कारण सरकार द्वारा आयोजना परिव्यय में जानबूझ कर वृद्धि किए जाने के परिणामस्वरूप हुई ताकि चौथी आयोजना के लक्ष्यों में हुई बाकी कमियों को पूरा किया जा सके। युद्ध और दैवी विपत्तियों जैसी कुछ अप्रत्याशित घटनाओं से भी सरकारी व्यय में अनिवार्यतः और वृद्धि हो गई। इसके अतिरिक्त रबी के चालू मौसम में अनाज का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार किए गए द्रुतप्रभावी कार्यक्रम के लिए १९० करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। यद्यपि इस कार्यक्रम के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय व्यय में तुरन्त बढ़ोतरी हो गई किन्तु अनाज के अधिक उत्पादन के रूप में इसका लाभदायक प्रभाव अप्रैल १९७३ के अन्त में जाकर दिखाई दिया जब रबी की नई फसल कट कर आई। इस बीच विशेषकर अनाज, वनस्पति तेलों और चीनी जैसी वस्तुओं (बल्क गुड्स) के नाजुक क्षेत्रों में माँग और पूर्ति के बीच असन्तुलन बढ़ गया जिसके परिणामस्वरूप जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हो गई।

चालू वर्ष में मुद्रास्फीतिकारी दबावों को नियन्त्रण में रखने और बढ़ते हुए मूल्यों तथा सूखे से उत्पन्न मुसीबत में राहत पहुंचाने के प्रयोजन से बड़े-बड़े प्रयत्न किए गए। सरकारी वितरण व्यवस्था को काफी सुदृढ़ बना लिया गया। सरकारी भण्डारों से लिए जाने वाले अनाज की मात्रा काफी बढ़ा दी गई। ऋण सम्बन्धी नीतियों में उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता के अनुरूप नियन्त्रण पर बराबर बल दिया जा रहा है। देशी उत्पादन में हुई कमी को पूरा करने के लिए यथासम्भव अधिक आयात के प्रबन्ध किये गए हैं।

थोक मूल्यों के सूचकांक में सितम्बर के मध्य से दिसम्बर तक प्रायः मौसमी कमी होती है। किन्तु १९७३ में यह कमी नहीं हुई। सभी वस्तुओं का सूचकांक जो अक्तूबर १९७२ में २१०.१ था जनवरी १९७३ में यह और बढ़कर २१३.० हो गया। अतः मूल्य सम्बन्धी स्थिति बराबर चिन्ता तथा परेशानी का कारण बनी हुई है।

चुने हुए आर्थिक निदेशक

	१९६९–७०	१९७०–७१	१९७१–७२	१९७२–७३
	(पिछले वर्ष की तुलना म प्रतिशत परिवर्तन)			
१ स्थिर मूल्या पर राष्ट्रीय आय	७ ३	४ ६	१ ५ से २ ० तक+	१ ५ से २ ० तक+
२ कृषि उत्पादन	६ ७	७ ३	–१ ७	
३ अन्न उत्पादन	५ ८	९ ०	–३ ५	
४ औद्योगिक उत्पादन	६ ६	२ ५	४ ५	७ ०++
५ उत्पादित बिजली	१४ ३	८ ६	८ ८	११ २++
६ थोक मूल्य	३ ७	५ ५	४ ०	८ ८***
७ मुद्रा उपलब्धि	१० ८	११ १	१२ ९	१२ ३
८ आयात	–१७ १	३ ३	१० ९	–७ ८*
९ निर्यात	४ १	८ ६	४ ७**	२३ १*
१० रेलो द्वारा ढोया गया माल	२ ५	–०७	४ ६	५ ९*

+अनुमानित।

*अप्रैल-नवम्बर, १९७१ की तुलना म अप्रैल-नवम्बर १९७२ का अनुमान।

**इसम बगला देश को किये गये २९ करोड रुपये का निर्यात शामिल है।

***अप्रैल दिसम्बर, १९७१ की तुलना म अप्रैल दिसम्बर १९७२

++अप्रैल अगस्त, १९७१ की तुलना म अप्रैल अगस्त १९७२ का अनुमान।

१४ जनवरी, १९७२ की तुलना म १२ जनवरी, १९७३ का अनुमान।

राष्ट्रीय आय

१९७०–७१ म भारत की राष्ट्रीय आय म ४ ६ प्रतिशत की वृद्धि हुई। किन्तु वस्तुओं के उत्पादन म मन्थर गति से वृद्धि होने के परिणामस्वरूप १९७१–७२ म राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर म तेजी से कमी हो गई। जहा तक १९७२–७३ का सम्बन्ध है औद्योगिक उत्पादन मे वृद्धि की दर पिछले वर्ष की तुलना म ऊची रही लेकिन कृषि उत्पादन की प्रवृत्ति काफी अनिश्चित रही है। कुछ स्थूल अनुमानो से यह पता चलता है कि १९७२–७३ म अर्थ-व्यवस्था के विकास की दर लगभग १९७१–७२ की दर के बराबर थी।

इसमे सन्देह नही कि १६७१–७२ और १६७२–७३ म कुल मिलाकर आर्थिक विकास की दर असन्तोषजनक रही है। अत भारत जस देश म जहा देश की राष्ट्रीय आय का लगभग आधा भाग कृषि से प्राप्त होता है मौसमी हालात जस अनियन्त्रणीय तत्वो के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आय म होने वाले उतार चढाव कोई सामान्य बात नहा ह।

भारत म आयोजन का मुख्य काम देश के आर्थिक ढाचे म धीरे धीरे विविधता लाकर और वर्षा पर कृषि की निभरता को घटा कर इन उतार चढावो क विस्तार को कम करना है। विकास सम्बन्धी क्रियाकलापो की बढती हुई गति के परिणामस्वरूप हाल के वर्षों म कुछ कृषि जन्य वस्तुओ के उत्पादन म उतार चढाव कम हो गये ह। किन्तु चालू वष की घटनाए इस बात की बडी चेतावनी है कि मौसम के प्रतिकूल होने की स्थिति म अर्थ-व्यवस्था अब भी काफी कमजोर हो सकती है।

निवेश और बचतें

निवेश की दर जो चालू बाजार मूल्यो पर शुद्ध आन्तरिक उत्पाद की तुलना म शुद्ध निवेश का अनुपात होती है १६६५–६६ म १३ ४ प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर पहुच गई थी। बाद के चार वर्षों म निवेश की दर बराबर कम होती रही। किन्तु १६७०–७१ से इस दर म वद्धि होने लगी। रिजव बक क अनुमानो क अनुसार यह अनुपात १६६६–७० के ६ ३ प्रतिशत स बढ कर १६७०–७१ म १० ४ प्रतिशत और १६७१ ७२ म ११ ८ प्रतिशत हो गया।

इस समय १६७२–७३ म निवेश की दर क निश्चित अनुमानो क बार म कुछ कहना कठिन है। उपलब्ध अप्रत्यक्ष सकेतो स इस अनुमान का समथन होता है कि १६७२–७३ म निवेश की दर १६७१–७२ म प्राप्त ११ ८ प्रतिशत के स्तर स कुछ ऊची थी।

१६७२–७३ की वार्षिक आयोजना म सरकारी क्षेत्र क विकास परिव्यय म २६ प्रतिशत की वद्धि की परिकल्पना की गई है। सरकारी निवेश म बढोत्तरी स जिसका पता आयोजना परिव्यय म की जाने वाली वद्धि से चलता है अथव्यवस्था क विभिन्न क्षेत्रो म गर-सरकारी निवेशो का प्रोत्साहन मिलने की आशा है। पूजीगत वस्तु समिति द्वारा दी गई अनुमतियो की रकम म जो १६७०–७१ म ६६ ७ करोड रुपय की थी १६७१–७२ म थोडी वद्धि हुई और यह रकम ११३ २ करोड रुपय हो गई। चालू वित्तीय वष क पहले नौ महीनो म दी गई अनुमतियो की रकम भी पिछले वित्तीय वष की इसी अवधि की रकम की तुलना म अधिक प्रतीत होती ह। पूजीगत वस्तुओ क लिये आयात लाइसेंस जारी किय जाने और उनके वास्तविक आयात के समय म काफी अन्तर होता है। किन्तु १६७१–७२ और १६७२–७३ क पूजीगत वस्तु लाइसेसो की प्रवृत्ति क अनुसार ऐसा मान लेना युक्तिसगत प्रतीत होता ह कि चालू वष म गर-सरकारी निवेश का वह अश जो आयातित उपकरणो पर निभर करता ह १६७१–७२ क अश की तुलना म सम्भवत कम नहा होगा। पूजी निगमो सम्बन्धी आकडो स अपेक्षाकृत एक अधिक उत्साहवधक चित्र सामने आता है। गर-सरकारी कम्पनियो द्वारा जुटाई गई पूजी म १६७१–७२ म कमी हो जाने क बाद १६७२–७३ की पहली छमाही म नौ कम्पनियो द्वारा ५ २ करोड रुपय की पूजी जुटाई गई

जब कि १९७१–७२ में इसी अवधि में ३१ करोड़ रुपये की पूंजी जुटाई गई थी।

देश की विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं की तुलना में निवेश की चालू दर स्पष्टतः अपर्याप्त है। १९६० से शुरू होने वाले दशक के पहले वर्षों में प्राप्त निवेश की दर की तुलना में भी यह काफी कम है। १९७३–७४ में अर्थ-व्यवस्था का मुख्य काम उत्पादक निवेश में पर्याप्त वृद्धि करना है।

निवेश की किसी दर विशेष से सम्बद्ध उत्पादन क्षमता अनिवार्यतः साधनों के आवंटन की प्रक्रिया की कार्यकुशलता पर निर्भर करती है जिसमें क्षेत्रों, परियोजनाओं और प्रौद्योगिकी का कुशलतापूर्ण चयन शामिल है। सरकारी क्षेत्र में उद्यमों की मुख्य परियोजनाओं के सभी प्रस्तावों की जांच करने के लिए एक सरकारी बोर्ड (पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड) की स्थापना की गई है। इससे परियोजनाओं के मूल्यांकन की किस्म का सुधार और परियोजना प्रस्ताव को तैयार करने और सरकार द्वारा उसके अनुमोदन के बीच समयान्तर को कम करने में सहायता मिलेगी।

हाल के वर्षों में कई उद्योगों में क्षमता के लगातार अप्रयुक्त रहने के कारण उत्पादन के स्तर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। पर्याप्त मांग के अभाव में मशीनें बनाने वाले कई उद्योगों में फिलहाल उपलब्ध क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है। अन्य कई उद्योगों में संगठनात्मक प्रबन्धों में त्रुटियां होने, संयंत्र के अपर्याप्त अनुरक्षण और तनावपूर्ण श्रमिक प्रबन्ध सम्बन्धों के कारण उपलब्ध क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है। कुछ अन्य उद्योगों में उपयोगी लोहे इस्पात और बिजली जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं की कमी के कारण पर्याप्त मात्रा में क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो सका है। किन्तु कपास जैसे कच्चे माल की पूर्ति में सुधार होने और मांग की प्रवृत्ति के बढ़ने के परिणामस्वरूप कुल मिलाकर भारत के उद्योगों की क्षमता के उपयोग के स्तर में १९७३ में सुधार हुआ प्रतीत होता है।

आन्तरिक बचतों की दर जो चालू बाजार मूल्यों पर शुद्ध आन्तरिक उत्पादन की तुलना में शुद्ध आन्तरिक बचतों के अनुपात से मापी जाती है १९६५–६६ में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी जब इसके बारे में ११ १ प्रतिशत का अनुमान लगाया गया था। अगले दो वर्षों में बचत दर कम हो गई। किन्तु १९६८–६९ से यह फिर वृद्धि की ओर प्रवृत्त हो गई। रिजर्व बैंक के हाल के अनुमान के अनुसार बचत-दर जो १९६८–६९ में ८ २ प्रतिशत थी, वह बढ़कर १९६९–७० में ८ ६ प्रतिशत १९७०–७१ में ९ ४ प्रतिशत और १९७१–७२ में १० ० प्रतिशत हो गई। यद्यपि इस समय १९७२–७३ में बचत-दर के निश्चित अनुमानों के बारे में बताना सम्भव नहीं, किन्तु वित्तीय परिसम्पत्तियों में वृद्धि पर आधारित सूचना से ऐसा पता चलता है कि यह दर १९७१–७२ की दर से कुछ ऊंची हो जाएगी। किन्तु हाल के वर्षों में बचत की जो दर प्राप्त की गई है वह १९६० से शुरू होने वाले दशक के पहले वर्षों में प्राप्त की गई दर से कोई विशेष अधिक ऊंची नहीं है।

औद्योगिक उत्पादन

१९६९–७० में औद्योगिक उत्पादन में ६ ६ प्रतिशत की और १९७०–७१ में २ ५ प्रतिशत की वृद्धि हुई। १९७१–७२ में विकास की दर ४ ५ प्रतिशत थी। १९७२–७३ के पहले पांच महीनों में औद्योगिक उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई। जनवरी अगस्त १९७२ में औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में अप्रैल अगस्त १९७१ के तदनुरूप स्तर की तुलना में ७ ० प्रतिशत की वृद्धि हुई।

१६७२ में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि में कई उद्योगों का योगदान था। किन्तु यह वृद्धि मुख्यतः वस्त्रों के उत्पादन में हुई बहुत अधिक वृद्धि के कारण थी। औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में वस्त्रों के उत्पादन का अंश २७ प्रतिशत है। जनवरी अगस्त १६७२ में खनन और उत्खनन, रसायन धातु भिन्न खनिज पदार्थों, रबड़ की वस्तुओं बिजली की मशीनों से भिन्न मशीनों और परिवहन उपकरणों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इसके विपरीत खाद्य उद्योगों और धातु उत्पादों के उत्पादन में कमी हुई।

अनुमान है कि इस वर्ष औद्योगिक उत्पादन में ७ प्रतिशत की वृद्धि होगी जबकि १६७१ में २ ६ प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। १६७२–७३ के वित्तीय वर्ष के लिए वृद्धि की दर के ७ प्रतिशत से कुछ कम होने की सम्भावना है। १६७३ के शुरू के महीनों में बिजली की गम्भीर कमी की आशंका औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि के मार्ग में काले बादल की तरह छाई हुई है। इसके अतिरिक्त कृषि की असंतोषजनक प्रगति से कृषि पर आधारित उद्योगों की विकास दर पर कुछ बुरा प्रभाव पड़ सकता है। वनस्पति तिलहनों की कमी से पहले ही वनस्पति उद्योग की अतिरिक्त क्षमता में वृद्धि हो गई है। सौभाग्यवश भण्डार में से काफी मात्रा में कपास के इस वर्ष काम में लाये जाने के परिणामस्वरूप १६७२–७३ में कच्चे माल की उपलब्धि के कारण वस्त्रों के उत्पादन में कमी होने की आशंका नहीं है। किन्तु खरीफ की फसल के कुछ भाग की हानि हो जाने के कारण किसानों तथा मूल्यों में वृद्धि हो जाने के परिणामस्वरूप कुछ शहरी वर्गों की क्रय क्षमता कम हो जाने से वस्त्रों और टिकाऊ किस्म की अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की मांग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

मूल्यों की प्रवृत्ति

बंगला देश के सम्बन्ध में सरकारी खर्च के बढ़ते हुए दबाव के होते हुए भी दिसम्बर १६७२ तक थोक मूल्यों के सूचकांक में उल्लेखनीय स्थिरता बनी रही। जून, १६७२ और दिसम्बर १६७२ के बीच मूल्यों के सामान्य स्तर में केवल एक प्रतिशत की वृद्धि हुई। किन्तु १६७३ में मई के महीने से मूल्यों में असाधारण वृद्धि हुई है। दिसम्बर, १६७३ में थोक मूल्यों का सूचकांक दिसम्बर १६७२ के स्तर से १३ ७ प्रतिशत ऊंचा था। १६७३ में मूल्यों के सूचकांक में वृद्धि का औसत ७ ८ प्रतिशत था जबकि १६७२ में यह ६ प्रतिशत से कम था।

मई १६७२ से मूल्यों में जो तेजी से वृद्धि हुई है वह जनता के लिए अवश्य ही परेशानी का कारण है। ऐसा इसलिए भी है कि अनाज वनस्पति तेल और चीनी जैसी रोजमर्रा की महत्वपूर्ण बुनियादी आवश्यकताओं के मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई है। अनाजों में चावल और गेहूं के मूल्यों की अपेक्षा मोटे अनाजों के दाम बहुत अधिक बढ़ गए हैं।

१६७३ में मूल्यों की वृद्धि मुख्यतः अनाज वनस्पति तेल और चीनी के उत्पादन में कमी होने के कारण हुई। १६७१ में सरकार के बढ़े हुए परिव्यय के परिणामस्वरूप अतिरिक्त मांग के एक अंश का १६७२ में अन्तरित कर दिए जाने तथा १६७२ में सरकारी परिव्यय में और अनिवार्य वृद्धि होने से जिसका वित्त पोषण अंशतः रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त करके किया गया है, समग्र मांग और पूर्ति में असन्तुलन और बढ़ गया। पहले तो जुलाई १६७२ में मानसून के आने में देर होने और बाद में खरीफ के उत्पादन में हानि के बढ़ा चढ़ा कर किए गए वर्णनों से उत्पन्न सट्टेबाजी के वातावरण ने भी इस असन्तुलन को बढ़ाने

म अपनी भूमिका अदा की। आने वाली रबी की फसल की उत्साहजनक सम्भावनाओं से कमी की मनोवृत्ति में उत्पन्न दबाव घट जाना चाहिए। किन्तु इस बात का ध्यान में रखते हुए कि १९७३–७४ में अनाज का उत्पादन १९७२–७३ के उत्पादन की तुलना में कम होगा, मूल्यों के सम्बन्ध में किसी प्रकार के आत्मसंतोष की कोई गुंजाइश नहीं है।

राजस्व और मुद्रा सम्बन्धी नीतियां

शरणार्थियों के आगमन, पाकिस्तान के साथ युद्ध और देश के कई भागों में प्राकृतिक विपत्तियों के कारण १९७१–७२ में सरकारी वित्तव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ा। अतिरिक्त कराधान के माध्यम से अभूतपूर्व स्तर पर जुटाए गए साधनों के बावजूद केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बजट सम्बन्धी क्रियाकलापों में कुल मिलाकर ७३८ करोड़ रुपये का बजट सम्बन्धी घाटा हुआ जो किसी एक वर्ष में होने वाले घाटे की तुलना में सबसे अधिक है।

वर्तमान स्थिति की एक उत्साहवर्धक बात यह है कि राज्य सरकारें भारतीय रिज़र्व बैंक से अनधिकृत ओवरड्राफ्ट न लेने पर सहमत हो गई हैं। साथ ही भारत सरकार ने जमा ओवरड्राफ्टों को चुकाने में राज्यों को दी जाने वाली सहायता की सीमाएं भी बढ़ा दी हैं जिनके अन्तर्गत राज्य कुछ समय के लिए अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त कर सकते हैं। चालू वर्ष की राजस्व सम्बन्धी एक और उल्लेखनीय घटना छठे वित्त आयोग की नियुक्ति है जिसके विचारणीय विषय पहले के विषयों की अपेक्षा अधिक व्यापक हैं। आयोग को राज्यों के साधनों में सम्पूर्ण आयोजना भिन्न अन्तर (गैप) का मूल्यांकन करने और अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्र की आवश्यकताओं का ध्यान में रखते हुए राज्यों की ऋण सम्बन्धी स्थिति की समीक्षा करने के लिए कहा गया है।

१९७१–७२ और १९७२–७३ में बजट सम्बन्धी अतिरिक्त परिव्ययों का जनता के पास उपलब्ध मुद्रा पर गम्भीर स्फीतिकारी प्रभाव पड़ा। इसमें १९७१–७२ में १२.६ प्रतिशत की वृद्धि हो गई जबकि १९७०–७१ में ११.१ प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। १९७२ में जनता के पास उपलब्ध मुद्रा में ११.० प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इसकी तुलना में १९७१ में १३ प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। बैंकों में जमा रकमों और बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों से यह पता चलता है कि १९७१ और १९७२ के दोनों वर्षों में मुद्रा उपलब्धि में वृद्धि मुख्य रूप में सरकार के बजट सम्बन्धी क्रियाकलापों के परिणामस्वरूप हुई और अन्तर्वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए गए शुद्ध बैंक ऋण में कोई स्फीतिकारी शक्ति नहीं थी।

सामान्यतः किसी एक वर्ष में मुद्रा उपलब्धि में ७ से ८ प्रतिशत तक की वृद्धि से मूल्यों के स्तर पर कोई बड़ा दबाव नहीं पड़ना चाहिए यदि इस वृद्धि के साथ-साथ वास्तविक उत्पादन में लगभग ५ प्रतिशत की भी वृद्धि हो। किन्तु दुर्भाग्य से इस मामले में मुद्रा उपलब्धि में हुई अधिक वृद्धि के साथ-साथ अनाज का उत्पादन कम हो गया। चूंकि अनाज के मूल्य सामान्यतः हमारी अर्थ-व्यवस्था के मूल्य सम्बन्धी ढांचे की मुख्य धुरी होते हैं इसलिए मूल्य स्थिति और बिगड़ गई है। किन्तु यदि १९७१–७२ और १९७२–७३ की घटनाओं का मूल्यांकन किया जाय तो उसमें इस बात का अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए कि इन वर्षों में जो अतिरिक्त परिव्यय किए गए वे अधिकतर अनिवार्य थे। यदि विकास सम्बन्धी व्यय में कटौती कर दी जाती तो उससे बढ़ते हुए विकास और रोजगार के नए अवसरों के निर्माण के अत्यावश्यक कार्य में और कठिनाइयां पैदा हो जातीं।

इसी प्रकार सूखा राहत कार्यों पर किए जाने वाले व्यय में अनुचित कमी करने से परिहार्य मानवीय कष्ट बढ़ जाते और आय तथा उपभोग के विभाजन में विद्यमान असमानताएं और बढ़ जातीं। यद्यपि खर्च में वृद्धि करना अनिवार्य था लेकिन समस्त अतिरिक्त परिव्ययों की अतिरिक्त करों से व्यवस्था करना सम्भव नहीं था, खास तौर पर १९७१–७२ में बड़े पैमाने पर लगाए गए करों के बाद जब पूरे एक वर्ष में लगभग ५०० करोड़ रुपये की अनुमानित प्राप्ति के लिए अतिरिक्त कर लगाए गए थे। अतः १९७१–७२ और १९७२–७३ में जैसी अर्थ-व्यवस्था थी उसमें घाटे की वित्त व्यवस्था पर निर्भर रहने के सिवाय और कोई चारा नहीं था।

१९७१–७२ और १९७२–७३ दोनों वर्षों में ऋण-नीति का मुख्य काम बजट की ओर से काम करने वाली मुद्रा बाहुल्यकारी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करना था। अर्थ-व्यवस्था में विद्यमान नकदी या नकदी जैसी अतिरिक्त परिसम्पत्तियों को व्यवस्था से बाहर निकालने के लिए प्रयत्न किए गए। यदि ये अतिरिक्त परिसम्पत्तियां इस व्यवस्था में रहतीं तो इनसे अर्थ-व्यवस्था में मुद्रास्फीतिकारी दबाव और बढ़ जाता। सामान्य एवं चयनात्मक दोनों प्रकार के ऋण सम्बन्धी नियंत्रणों में उत्पादन की वास्तविक आवश्यकताओं को प्रभावित किए बिना, संयम पर बल दिया गया है।

१९७२–७३ के व्यस्त मौसम की ऋण सम्बन्धी नीति में नकदी या नकदी जैसी परिसम्पत्ति के सांविधिक अनुपात में (२९ से ३० प्रतिशत तक) और नकदी या नकदी जैसी परिसम्पत्ति के शुद्ध न्यूनतम अनुपात में (३४ से ३६ प्रतिशत तक) जो बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक से लिए गए पुनर्वित्त की लागत का द्योतक है वृद्धि किए जाने की व्यवस्था है। अनाज, तिलहन और वनस्पति तेलों के बदले बैंकों द्वारा दिए जाने वाले अग्रिमों पर लगाए गए प्रतिबन्ध और कड़े कर दिए गए हैं। किन्तु इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए कि उत्पादक और अब तक उपेक्षित क्षेत्रों की वास्तविक आवश्यकताएं पर्याप्त रूप से पूरी होती रहें रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में बैंक दर रियायती दर पर पुनर्वित्त व्यवस्था सम्बन्धी अपने ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

चालू व्यस्त मौसम में अब तक (२७ अक्तूबर १९७२ से १२ जनवरी १९७३ तक) बैंकों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए गए ऋणों में ३३१ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जबकि पिछले व्यस्त मौसम की इसी अवधि में १९२ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। यदि अन्न वसूली के लिए दिए गए बैंक ऋणों को हिसाब में न लिया जाए तो बैंकों द्वारा इन अवधियों में वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए गए ऋणों की रकम अधिक बढ़ती है इस अवधि में ४२१ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जबकि १९७१–७२ की इसी अवधि में १८८ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी।

चालू मौसम में अर्थात् २७ अक्तूबर १९७२ से १२ जनवरी १९७३ तक की अवधि में जमा रकम में भी अधिक वृद्धि हुई अर्थात् १९७१–७२ की इसी अवधि के २०० करोड़ रुपये की तुलना में ४७१ करोड़ रुपये जमा हुए। बैंकों की नकदी जैसी परिसम्पत्ति सम्बन्धी स्थिति पर अभी तक किसी प्रकार का दबाव पड़ने का कोई प्रमाण नहीं है। २१ जनवरी १९७३ को ऋण-जमा का अनुपात ६७.२ प्रतिशत था जो १९७२ की इसी अवधि के ७३.५ प्रतिशत के अनुपात से कम था।

मुद्रा सम्बन्धी घटनाएं और ऋण नीति

पिछले कुछ वर्षों के दौरान जनता के पास मुद्रा उपलब्धि में तेजी से वृद्धि हो रही है। वृद्धि की वार्षिक दर १९६९–७० में १० ८ प्रतिशत थी जो बढ़कर १९७०–७१ में ११ १ प्रतिशत और १९७१–७२ में १२ ६ प्रतिशत हो गई है। इसके साथ-साथ, वास्तविक राष्ट्रीय उत्पादन की वृद्धि की गति धीमी हो गई है। इस वृद्धि की वार्षिक दर जो १९६९–७० में ५ ३ प्रतिशत थी, घटकर १९७०–७१ में ४ ६ प्रतिशत हो गई और १९७१–७२ में यह दर ... प्रतिशत और घट गई। इसके परिणामस्वरूप अर्थ-व्यवस्था में कुल मांग और कुल उपलब्धि का असंतुलन और ज्यादा बढ़ गया है।

इन वर्षों के मुद्रा सबंधी आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि जहां १९६९–७० में मुद्रा विस्तार की मुख्य प्रवृत्ति देश के शोधन शेष सबंधी लेनदेनों और वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए गए शुद्ध बैंक ऋण में वृद्धि से उत्पन्न हुई थी, वहां १९७०–७१ में इस विस्तार का कारण सरकारी और वाणिज्यिक दोनों क्षेत्रों को दिए गए शुद्ध बैंक ऋण में वास्तविक वृद्धि होना था। बाह्य क्षेत्र से हुए लेनदेनों का संकोचकारी प्रभाव पड़ा। परन्तु १९७१–७२ में सरकार को दिया गया शुद्ध बैंक ऋण मुद्रा उपलब्धि में वृद्धि का मुख्य कारण था। वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए गए बैंक ऋण में शुद्ध वृद्धि पिछले वर्षों में हुई वृद्धि से अपेक्षाकृत काफी कम रही। इसके अलावा विदेशी मुद्रा की शुद्ध परिसम्पत्तियों में वृद्धि के परिणामस्वरूप भी मुद्रा उपलब्धि में कुछ वृद्धि हुई।

१९७२–७३ के वित्तीय वर्ष की अब तक की मुद्रा सबंधी स्थिति से पता चलता है कि सरकार को दिया गया शुद्ध बैंक ऋण विस्तार का मुख्य कारण है। ३१ मार्च १९७२ और १२ जनवरी, १९७३ के बीच सरकार को दिए गए शुद्ध बैंक ऋण में, पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुई ७८७ करोड रुपये की तुलना में ६८० करोड रुपये की वृद्धि हुई है। दूसरी ओर इसी अवधि में वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए गए शुद्ध बैंक ऋण में ४८७ करोड रुपये की कमी हो गई है जो १९७१–७२ में इसी अवधि में हुई १८० करोड रुपये की कमी से काफी अधिक थी। वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए गए शुद्ध बैंक ऋण में कमी और इसी अवधि में भारतीय रिजर्व बैंक की शुद्ध विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियों में ७६ करोड रुपये (इसके मुकाबले पिछले वर्ष ७३ करोड रुपये की वृद्धि हुई थी) की गिरावट से बैंकिंग प्रणाली के सरकारी क्षेत्र के साथ हुए लेनदेनों के विस्तारात्मक प्रभाव को कम करने में सहायता मिली है। इसके परिणामस्वरूप, ३१ मार्च १९७२ और १२ जनवरी १९७३ के बीच जनता के पास मुद्रा उपलब्धि में वृद्धि पिछले वर्ष की इसी अवधि (६११ करोड रुपये) के मुकाबले मामूली सी अधिक (६२५ करोड रुपये) थी और वृद्धि की यह दर इस अवधि में ७ ७ प्रतिशत बैठती है जबकि १९७१–७२ की तदनुसार अवधि में ८ ५ प्रतिशत वृद्धि हुई थी। फिर भी १४ जनवरी १९७२ के स्तर के मुकाबले १२ जनवरी, १९७३ को मुद्रा उपलब्धि का स्तर (८७५६ करोड रुपये) १२ ३ प्रतिशत अधिक था।

मौसमी घटबढ़

१९७१–७२ के व्यस्त मौसम में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए गए कुल ऋण में ३५५ करोड रुपये की वृद्धि हुई जबकि १९७०–७१ के व्यस्त मौसम में ४९४ करोड रुपये और १९६९–७० के व्यस्त मौसम में ५६३ करोड रुपये की वृद्धि हुई थी। १९७१–७२ के व्यस्त मौसम में ऋण में अपेक्षाकृत कम वृद्धि का कारण अंशतः अन्न

वसूली के लिए बक अग्रिमा म ७१ करोड रुपये की कमी होना है। इन अग्रिमा को निकाल कर १९७१–७२ के व्यस्त मौसम के दौरान वाणिज्यिक बक ऋण म विस्तार की रकम ४२६ करोड रुपये बठती है और यद्यपि यह रकम पिछले व्यस्त मौसम म तदनुरूप ऋण विस्तार की ३२४ करोड रुपये की रकम से अधिक है तथापि १९६९–७० के व्यस्त मौसम म ऋण विस्तार की ५६० करोड रुपये की रकम से फिर भी काफी कम है। दूसरी ओर बक की जमा रकमा म वद्धि होती रही। १९७१–७२ म सकल बक जमा म ६२४ करोड रुपय की वद्धि हुई जबकि इससे पहले वप म ४३५ करोड रुपये की वद्धि हुई थी। नकदी और नकदी जैसी परिसम्पत्ति की स्थिति म सुधार होने के परिणाम स्वरूप वाणिज्यिक बक सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतिया म २४० करोड रुपये (पिछले वप के ११६ करोड रुपये के मुकाबले) का निवेश कर सके थे और बका द्वारा भारतीय रिजव बक से लिए गए अग्रिमा का उच्चतम स्तर केवल २५२ करोड रुपये तक ही पहुच सका जबकि १९७०–७१ के व्यस्त मौसम मे उच्चतम स्तर ४४३ करोड रुपये तक पहुच गया था। १९७१–७२ के व्यस्त मौसम के अन्त म (अर्थात अप्रल १९७२ के अन्त म) ऋण-जमा का अनुपात ७२ ० प्रतिशत था और निवेश जमा का अनुपात ३१ ४७ प्रतिशत था इससे पिछले व्यस्त मौसम के अन्त म य अनुपात क्रमश ७८ ०१ प्रतिशत और २९ ६० प्रतिशत थे। वाणिज्यिक बका द्वारा भारतीय रिजव बक से १९७१–७२ के व्यस्त मौसम के अन्त तक २३ करोड रुपये के ऋण लिए गए थ जबकि एक वप पहल ऋणा की रकम १९१ करोड रुपये थी।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको के आकडो मे मौसमी घटबढ

(करोड रुपया मे)

	व्यस्त मौसम		मदा मौसम		
	१९७०–७१ (अक्तूबर स अप्रल तक)	१९७१–७२ (अक्तूबर स अप्रेल तक)*	१९७० (अप्रल से अक्तूबर तक)	१९७१ (अप्रल स अक्तूबर तक)	१९७२ (अप्रल स अक्तूबर तक)*
१ बका द्वारा दिया गया कुल ऋण जिसम से	३९४	३५५	२२६	१६३	३२
(क) अन्न वसूली अग्रिम	७०	–७१	३५	१५६	–१
(ख) अन्य अग्रिम	३२४	४२६	१९१	७	३३
२ कुल जमा	४३५	६२४	४४८	६५४	६५०
(क) माग दय जमा	१९०	३१०	१३४	२०२	२२८
(ग) सावधि जमा	२४५	३१४	२७४	४२२	४२२
३ सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतिया म निवश	११६	२४०	१८८	२५४	६२५
४ भारतीय रिजव बक स ऋण	४०	४	–८६	–१७२	–१६

*अनन्तिम

मुद्रा उपलब्धि मे घटबढ

(करोड रुपये म)

१	१९७०–७१ ३१ माच से ३१ माच तक	१९७१–७२ ३१ माच से ३१ माच तक	१९७१–७२ ३१ माच म १४ जनवरी तक	१९७२–७३ ३१ माच मे १२ जनवरी तक
		२		
अ जनता के पास मुद्रा उपलब्धि (क+ख)	७१९	८३०	६११	६२५
(क) जनता के पास मुद्रा (करेंसी)	३६२	४२३	३६७	२७२
(ख) जनता की जमा रकम	३५७	४०७	२४४	३५३
आ मुद्रा उपलब्धि म घटबढ पदा करने वाली मुख्य बातें				
१ बैंका द्वारा सरकार को दिया गया शुद्ध ऋण (क+ख)	५१५	९७३	७४७	९८०
(क) भारतीय रिजव बक द्वारा सरकार को ऋण	३३२	६७१**	४४८**	४८०
(ख) बको के पास सरकारी प्रतिभूतिया	१८३	३०२	२९९	५००
२ बका द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को दिया गया शुद्ध ऋण (क+ख)	३४६	७३	–१८०	–४८७
(क) भारतीय रिजव बक द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को दिया गया ऋण	५०	१००	६४	–२३
(ख) बका द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को दिया गया शुद्ध ऋण (1–11)	२९६	–२७	–२४४	–४६४
(1) बका द्वारा अग्रिम और उनके पास गर सरकारी प्रतिभूतिया	८१८	६८९	४४६	३५५
(11) बका के पास मावधि जमा	५२२	७१६	६९०	८१९
३ भारतीय रिजव बक की शुद्ध मुद्रा परिसम्पत्ति**	–४७	७८	७३	–१६

*इसम खिताबो म समायोजित की गई १७५ करोड रुपये की रकम शामिल है।

**भारतीय रिजव बक की शुद्ध विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तिया म घटबढ बक की विदेशी मुद्रा (अर्थात सोना और विदेशी मुद्रा) की धारिता की घटबढ ह जिस म से बक के मुद्रा भिन्न विदेशी मुद्रा की देनदारिया (अर्थात अतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि स लेनदेन) म घटबढ को घटा दिया गया है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की प्रगति

शाखा विस्तार के कार्य में जो वृद्धि हुई है वह विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बैंकों की शाखाओं की संख्या जो ३० जून १९६९ को ८२६२ थी बढ़कर ३० जून १९७२ को १२६०० हो गयी। इन तीन वर्षों में नयी खोली गयी ४३३८ शाखाओं में ४१०७ शाखाएँ (९४ १ प्रतिशत) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा खोली गयीं। शाखा विस्तार का रूप इस प्रकार रहा कि जून १९६९ के अन्त में भारत में औसतन ६५ ००० की आबादी के पीछे एक बैंक कार्यालय था, जून १९७२ में औसतन ४० ००० आबादी के पीछे एक बैंक कार्यालय हो गया। शाखा विस्तार का काम उन राज्यों में अधिक तेजी से हुआ जहाँ बैंकों का फैलाव अपेक्षाकृत कम था और इस प्रकार क्षेत्रीय असन्तुलन कम किये जाने में प्रारम्भिक असन्तुलन को दूर करने में सहायता मिली। उदाहरण के लिये जून १९६९ और जून १९७२ के बीच की अवधि में असम में प्रति बैंक-कार्यालय औसत जनसंख्या १९८००० से कम होकर ६८००० बिहार में २०३ ००० से १०४ ००० जम्मू और कश्मीर में ११४००० से ४० ००० मणिपुर में ४६७ ००० से १ ३८ ०००, नागालैण्ड में २०४ ००० से १०३ ००० उड़ीसा में २ १२ ००० से ११४ ००० और त्रिपुरा में २ ३६ ००० से १ ३० ००० हो गयी। इस पर ध्यान दिया गया कि शाखाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में और अब तक बैंक-रहित स्थानों में खोली जाएँ तथा शाखा विस्तार कार्य के लिये नीति में परिणामस्वरूप कुल शाखाओं के अनुपात में ग्रामीण क्षेत्रों की शाखाओं का प्रतिशत जो १९ जुलाई १९६९ में २२ ४ था बढ़कर मार्च १९७२ के अन्त में ३५ २ हो गया। इसी प्रकार जून १९६९ के अन्त से जून १९७२ के अन्त की अवधि में शाखा विस्तार का ६३ ८ प्रतिशत कार्य अब तक बैंक रहित स्थानों में हुआ। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ वित्त मंत्री की जनवरी १९७३ में हुई बैठक में शाखा विस्तार की प्रगति पर फिर से विचार किया गया। बैठक में यह फैसला किया गया कि सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक को त्रिवर्षीय योजना तैयार करनी चाहिए। विभिन्न प्रदेशों की बैंकिंग सम्बन्धी आवश्यकताओं और प्रत्येक बैंक की क्षमता का ध्यान में रखते हुए उनकी योजनाओं को समन्वित करना होगा। बैंकिंग प्रणाली के लिये व्यापक रूप से ऐसी किसी योजना के होने से विभिन्न राज्य सरकारें और संघीय राज्य क्षेत्र की सरकारें उन स्थानों में आवश्यक आधारभूत सुविधाएँ प्रस्तुत करने योग्य हो सकेंगी जहाँ शाखाएँ खोली जायेंगी।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद से बैंकों की जमा रकमों में वृद्धि की रफ्तार में जो विशेष तेजी आयी है वह अभी तक मन्द नहीं हुई है। सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की समूची जमा राशियों में वृद्धि की वार्षिक दर जो मध्य जुलाई से मध्य जुलाई तक जो १९६९–७० में १६ ५ प्रतिशत थी बढ़ कर १९७०–७१ में १७ ६ प्रतिशत और १९७१–७२ में और बढ़कर २१ ६ प्रतिशत तक पहुँच गयी। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जमा रकमों में इसी अवधि में क्रमश १५ ३ प्रतिशत, १७ ५ प्रतिशत और २२ ५ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

अब तक उपेक्षित क्षेत्रों (अर्थात् कृषि, लघु उद्योग, सड़क परिवहन चालक, खुदरा व्यापार और छोटे व्यापारी, व्यावसायिक और आत्मनियोजित व्यक्ति और शिक्षा) को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों में हाल के आँकड़ों से वृद्धि की दर में ह्रास होने का पता चलता है। इस प्रकार कृषि और अन्य उपेक्षित क्षेत्रों को उधार दिये जाने से

१९७२-७३ में विदेशी सहायता

(करोड़ रुपया में)

दश	अप्रैल दिसम्बर के दौरान किए गए महायता करार		
	परियोजना-भिन्न महायता जिसमे ऋण सबधी राहत शामिल है	परियाजना महायता	जाड
१	२	३	४
स्वीकृतिया			
१ आस्ट्रिया	१ ८०		१ ८०
२ बेल्जियम	३ ७५		३ ७५
३ कनाडा	३४ ८८	२ ८९	३७ ७७
४ फ्रास	१६ २०	१६ ५०	३२ ७०
५ पश्चिमी जमनी	४५ २०	१८ ०८	६३ २८
६ इटली	५ ६२		५ ६२
७ जापान			
८ नीदरलैंड	१५ ७५		१५ ७५
९ स्वीडन	४८ ६०	७ ५०	४६ ०६
१० ब्रिटेन	६४ ४०	३१ ५०	९५ ९०
११ सयुक्त राज्य अमरिका			१६ ५०
१२ अ तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण			
१३ अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ	५६ ००	८७ ४०	१४३ ४०
जोड	२९८ ६६	१६३ ८७	४६२ ५३

ख—उपयोग

महायता की किस्म	सवितरण
जोड	६२६
जिसमे—	३०३
(i) परियोजना भिन्न सहायता	३१४
(ii) परियोजनागत सहायता	
(iii) पी० एल० ४८० के अन्तगत अन्न महायता	
(iv) पी० एल० ४८० के अन्तगत अन्न मे भिन्न महायता	
(v) अन्य अन्न महायता	९

सम्बन्धित ऋण खाता की संख्या म काफी अधिक वृद्धि अर्थात जून, १९६९ की २,८२ २०३ से जून, १९७० म ६,२८ १६७ और जून १९७१ म बढ कर ११ ८८ ७१८ हो गयी और जून १९७२ म और बढ कर १४,२३,५३० हो गयी। अब तक उपेक्षित क्षेत्रो को बको द्वारा दिये जाने वाले अग्रिमो के सम्बन्ध मे भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति पायी गयी । इन बक अग्रिमो की राशि जून, १९६९ और जून १९७० के बीच की अवधि मे लगभग ७५ प्रतिशत—४३६ करोड रुपये से ७६१ करोड रुपये—बढ गयी और अगले दो वर्षों म क्रमश १७ ६ प्रतिशत और १६ ८ प्रतिशत बढ गयी और जून १९७२ म यह राशि १ ०४८ करोड रुपये थी।

विदेशी सहायता

१९६७–६८ से ही विदेशी सहायता पर हमारी निर्भरता धीरे धीरे कम होती जा रही है। अन्न के मामले म उत्तरोत्तर अधिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और कई प्रकार की निर्मित मध्यवर्ती वस्तुओ तथा उपकरणो के उत्पादन म वृद्धि होने के कारण विदेशी सहायता की राशि जो १९६७–६८ म ११९६ करोड रुपया थी घटकर १९७१–७२ म केवल ८३४ करोड रुपया रह गयी तथा इसी अवधि म प्राप्त सहायता के अतगत वित्तपोषित खाद्य आयात की राशि ३८७ करोड रुपये से घट कर १४४ करोड रुपया हो गयी। निस्सदेह १९७१–७२ म विदेशी सहायता के उपयोग मे उस समय वृद्धि हुई थी जब प्राप्त होने वाली सहायता की शुद्ध राशि म १४ करोड रुपये की वृद्धि होने के बाद वह ३५५ करोड रुपये हो गयी। लेकिन ऐसा होना विदेशी साधनो पर उत्तरोत्तर कम निर्भर रहने की प्रवृत्ति के थोडा सा प्रतिकूल अवश्य है। वास्तव म मुख्यत परियोजना सहायता का अपेक्षाकृत अधिक उपयोग किये जाने के कारण विदेशी सहायता सम्बन्धी साधनो का थोडा सा ज्यादा उपयोग हुआ किन्तु परियोजना भिन्न सहायता की राशि म सीमान्तिक वृद्धि हुई। अनुमान है कि अशत इस निर्णय के कारण कि विदेशो से खाद्य सहायता लेना बन्द कर दिया जाय चालू वित्तीय वर्ष मे विदेशी सहायता की राशि तजी से घट कर ६२६ करोड रुपये हो जायगी।

भारत की १९७२–७३ की सहायता सम्बन्धी आवश्यकताओ का अनुमान लगाने के लिए भारत सहायता सघ की जो बैठक हुई थी उसम यह निष्कर्ष निकाला गया था कि भारत के विकास कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त साधनो के रूप म कुल मिला कर १३ ५०० लाख डालर की आवश्यकता होगी जिसम परियोजना भिन्न सहायता की ७ ००० लाख डालर की राशि भी शामिल है। किन्तु इस वर्ष अब तक कुल मिलाकर केवल लगभग ६००० डालर की सहायता के लिए करार किये गये हैं।

चूंकि अपेक्षाकृत अधिक कडी शर्तों पर लिये गये पिछले ऋणो के परिशोधन तथा ब्याज की अदायगियो के कारण विदेशी मुद्रा सम्बन्धी साधनो की उत्तरोत्तर बडी हुई राशियां समाप्त हो गयी इसलिए विदेशी सहायता की राशि जो १९६७–६८ म ८६३ करोड रुपये थी घट कर १९७१–७२ म केवल ३५५ करोड रुपये रह गयी। अनुमान है कि १९७२–७३ म विदेशी सहायता का शुद्ध अन्तरण १२३ करोड रुपये से अधिक नहीं होगा।

विकास सम्बन्धी हमारे दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य यह रहा है कि आतरिक साधनो और कौशल पर अपेक्षाकृत अधिक निर्भर रहा जाए। एक ओर जहां विदेशी सहायता का स्वागत किया गया है वहां दूसरी ओर इस बात को सुनिश्चित व्यवस्था करने का हर प्रयास किया गया है कि विदेशी सहायता पर निर्भर रहना हमारे राष्ट्रीय आर्थिक जीवन का स्थायी अग न बने। विदेशी ऋणो और अनुदानो की राशियो म से ऋण शोधन सम्बन्धी अदायगियो की राशि घटा देने के बाद उन ऋणो और अनुदानो की शुद्ध राशि किसी वर्ष म निवेश सम्बन्धी

कुल परिव्यय के ३० प्रतिशत से ज्यादा नहीं हुई। इसके अतिरिक्त अभी हाल के वर्षों में विदेशी वित्त पर हमारी निभरता में तेजी से कमी हुई है। १९७१–७२ में, कुल निवेशित राशि में, शुद्ध विदेशी सहायता का अंश केवल १३ प्रतिशत था और १९७३–७४ में अथात चौथी आयोजना की अवधि के अन्त में यह प्रतिशत, और घट कर लगभग ८ प्रतिशत हो जायगा। यह परिकल्पना की गयी है कि पाचवी आयोजना की अवधि के अन्त में विदेशों से प्राप्त होने वाले शुद्ध साधनों पर हमारी निभरता बिल्कुल समाप्त हो जायगी और उसके बाद यदि कोई विदेशी सहायता प्राप्त होगी तो वह ऋण-परिशोधन और व्याज की अदायगियों के सम्बन्ध में विदेशों में भेजे जाने वाले साधनों से प्रतिसन्तुलित हो जायगी। विदेशी सहायता की प्राप्ति में अनिश्चितताएं बनी रहने के कारण आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का उद्देश्य जो स्वतः वांछनीय है, और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

विदेशी सहायता की प्राप्ति सकल और शुद्ध

(करोड़ रुपयों में)

	१९६८–६९	१९६९–७०	१९७०–७१	१९७१–७२	१९७२–७३ (अनुमानित)
सकल भुगतान जिसमे	९०३	८५६	७९१	८३४	६२६
(क) पी० एल० ४८० खाद्य	१३१	१२८	८७	११२	
(ख) पी० एल० ४८० खाद्य भिन्न	२७	८२	३२		
(ग) अन्य खाद्य सहायता	५५	१९	३६	३२	९
कुल ऋण परिशोधन	३७८	४१२	४५०	४७९	५०३
(क) ऋण परिशोधन	२३९	२६८	२९०	२९९	३१४
(ख) व्याज की अदायगियां	१३९	१४४	१६०	१८०	१८९
सहायता की शुद्ध राशि	५२८	४४४	३४१	३५५	१२३

विदेशी ऋण परिशोधन

(करोड़ रुपयों में)

	ऋण परिशोधन सम्बन्धी अदायगियां	व्याज सम्बन्धी अदायगियां	कुल ऋण परिशोधन
१	२	३	४
पहली योजना	१० ५	१३ ३	२३ ८
दूसरी योजना	५५ २	६४ २	११९ ४
तीसरी योजना	३०५ ६	२३७ ०	५४२ ६
१९६६ ६७	१५९ ७	११४ ८	२७४ ५
१९६७ ६८	२१० ७	१२२ ३	३३३ ०
१९६८ ६९	२३६ २	१३८ ८	३७५ ०
१९६९ ७०	२६८ ५	१४४ ०	४१२ ५
१९७० ७१	२८९ ५	१६० ५	४५० ०
१९७१ ७२	२९८ ३	१८० ०	४७८ ३
१९७२ ७३	३१४ २	१८८ ४	५०२ ६

शहरी और देहाती क्षेत्रों की आय

शहरी क्षेत्रों में [illegible] और [illegible] की [illegible] है। [illegible] (नेशनल कौंसिल ऑफ एप्लाइड इकनामिक रिसर्च) ने [illegible] की है।

शहरी भारत की [illegible] इस प्रकार था :

केवल ११ प्रतिशत स्वतन्त्र व्यावसायिक धन्धों में तथा [illegible] ३६ प्रतिशत मजदूरी, ७ प्रतिशत कृषि, ४ प्रतिशत [illegible]। [illegible] ८ प्रतिशत—गृह मकान का किराया आदि। शहरों की कुल आय ३६०० करोड़ थी। यह प्रति व्यक्ति ८८३ रु० आती है।

इसके विपरीत देहाती आय में कृषि से ६० प्रतिशत, मजदूरी से २२ प्रतिशत, घरेलू उद्योग से १[illegible] प्रतिशत तथा १७ प्रतिशत की आय किसी किस्म के धन्धे से है। शहरों में इसके विपरीत ४८ प्रतिशत परिवारों की आय का स्रोत नौकरी है। ६ प्रतिशत आय का स्रोत स्वतन्त्र व्यावसायिक धन्धा रोजगार व वाणिज्य-व्यापार है। ४ प्रतिशत की आय मजदूरी से है और केवल १४ प्रतिशत कृषि पर निर्भर है। १९५४ में हुए सर्वेक्षण से पता चलता है कि शहरी और देहाती सारे परिवारों की कुल आय १[illegible]०० करोड़ रु० थी। देहाती परिवार की आय १९५७ के सर्वेक्षण के अनुसार इस प्रकार थी :

६७ प्रतिशत देहाती परिवार की आय १००० रु० वार्षिक थी। अन्य २५ प्रतिशत की आय १००० से १९९९ रु० थी। देहाती परिवारों में ७.८ प्रतिशत की आय २००० रु० से २९९९ के मध्य था। इसी प्रकार देहाती परिवारों में कुल ५.६ प्रतिशत की वार्षिक आय ३००० रु० थी। १९५४ की सर्वेक्षण रिपोर्ट बताती है कि देहाती परिवारों में से ५२ प्रतिशत की आय १००० रु० से कम थी तथा ३३ प्रतिशत की आय १००० रु० से १९९९ रु० वार्षिक के मध्य थी। लगभग ८ प्रतिशत २००० रु० से २९९९ रु० तक वार्षिक कमाते थे। १०,००० रु० से अधिक आय के परिवार गिनती के थे। १९५५ में ग्रामीण परिवारों की औसत वार्षिक आय १२०९ रु० थी। १९६३ के सर्वेक्षण से पता चला कि देहाती परिवार की औसत वार्षिक आय इस साल में लगभग १४८० रु० थी। देहाती परिवारों में से ४८ प्रतिशत की आय १००० रु० थी। अन्य ४० प्रतिशत १००० रु० से १९९९ रु० के मध्य वार्षिक उपार्जन करते थे।

शहरी पारिवारिक आय: राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद ने १९६० से १९६१ तक शहरी परिवारों की आय और बचत की खोज की है। खोज का परिणाम इस प्रकार है :

आय वर्ग	१९६० में आय	सितम्बर १९६४ में आय
१००० रु० से कम	४२ प्रतिशत	२० प्रतिशत
१००० रु० से १९९९ तक	३३ प्रतिशत	३८ प्रतिशत
२००० रु० से २९९९ तक	११ प्रतिशत	१० प्रतिशत
१०,००० रु० से अधिक	१.५ प्रतिशत	५ प्रतिशत

शहरी परिवार औसतन वार्षिक २८५० रु० व्यय करता है। यह मोटे रूप में ३००० रु० माना जा सकता है। यह २५० रु० मासिक आता है। इससे औसतन नागरिक जीवन के प्रतिमान की कल्पना की जा सकती है।

भीषण महगाई

महगाई प्रतिवर्ष तेजी से बढ़ती जा रही है। १९६१ से लेकर सन १९७१ के दस वर्षों के दौरान सभी जीवनोपयोगी वस्तुओं के मूल्यों में लगभग शत प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। किन्तु १९७१ से १९७३ के दो वर्षों के दौरान तो बहुत सी वस्तुओं के मूल्य में दुगुनी से भी अधिक की वृद्धि हो गई है।

१९६१ से लेकर १९७१ तक राष्ट्रीय आय ४ ५ प्रतिशत की दर से बढ़ी और सन १९७२ ७३ तक राष्ट्रीय आय की औसत वृद्धि पिछले वर्षों से घट कर ३ ५ प्रतिशत हो गयी और महगाई की औसत वृद्धि पिछले वर्षों से बढ़ कर १२ प्रतिशत हो गयी। महगाई वृद्धि के पीछे भारत-पाक युद्ध अनेक कारणों में से एक कारण है लेकिन महगाई वृद्धि के वास्तविक कारण दूसरे हैं। सपूर्ण देश में कालाधन की एक समानान्तर व्यवस्था चल रही है। वाचू समिति के अनुसार इस समय देश में १५ अरब रुपये कालाधन के रूप में है मगर कुछ दूसरे अर्थशास्त्रियों के अनुसार इस समय देश में ७० ७२ अरब रुपये कालाधन के रूप में हैं। काला धन से सारी अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हुई है। सरकार ने कालाधन के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए जो कदम उठाया वह सफल नहीं हुआ क्योंकि हर वर्ष घाटे की अर्थव्यवस्था को पूरा करने के लिए सरकार ने बाहरी देशों से कर्ज लिया, असमान आय वालों के ऊपर समान कर लगाया और मुद्रा प्रसार किया। सन १९५०–५१ में १२३९ करोड रुपये का नोट प्रचलन में था और इस समय ६७०० करोड रुपया का नोट प्रचलन में है। मुद्रा प्रसार में सरकार ने कमी नहीं की। सन १९७२–७३ में अनुमान है कि सरकार को १२०० करोड के नये नोट छापने पड़े।

सरकार की मुद्रा प्रसार नीति से यह स्पष्ट है कि सरकारी योजनाये उत्पादन बढ़ाने में असफल हो रही हैं और सरकारी फिजूलखर्ची बढ़ रही है।

विभिन्न वर्षों मे जीवनोपयोगी चीजों का बाजार भाव

(प्रति किलो)

वस्तुएं	१९६१	१९७१	१९७२	जनवरी १९७४
गेहूं	० ४२	० ८५	० ९५	१ ४२
चावल	० ७८	१ ४०	१ ७५–४ ००	२ ०५ से ३ ६०
चीनी	१ २३	२ ४५	४ ००	४ ६५
देसी घी	८ ००	१४ ००	१६ ००	२२ ००
सरसों का तेल	२ २५	४ ५०	७ ००	१० ००
वनस्पति घी	१ ८०	४ ००	४ ४५	[illegible] ८०
अरहर की दाल	० ३५	१ ००	२ ८८	२ ८०
मिट्टी का तेल	० ४०	० ६०	० ३५	८१ लिटर

थोक मूल्यों के सूचक अंक
(आधार 　१९६१–६२=१००)

	खाद्य वस्तुएं									निर्मित वस्तुएं		
	कृषि वस्तुएं*	जोड़	अन्न	शराब और तम्बाकू	ईंधन शक्ति रोशनी और चिकनाने के पदार्थ	औद्योगिक कच्चा माल	रासायनिक पदार्थ	मशीनें और परिवहन उपकरण	जोड़	मध्यवर्ती वस्तुएं	तैयार वस्तुएं	सभी वस्तुएं
भार	३३ २	४१ ३	१४ ८	२ ८	६ १	१२ १	० ७	७ ६	२६ ४	५ ७	२३ ७	१०० ०
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
निम्नलिखित वर्षों के अंतिम सप्ताह												
१९६५–६६	१४८	१५०	१५६	१३३	१३१	१४४	१३३	१२०	१२८	१३०	१२२	१२७ ५
१९६६–६७	१८२	१८८	२०८	१३३	१३६	१६६	१५१	१३०	१३०	१४८	१२६	१५८ ८
१९६७–६८	१७३	१९४	२०७	१६७	१४७	१४१	१६२	१३२	१३०	१८८	१२७	१६० ३
१९६८–६९	१८२	१८६	१९३	२१६	१५३	१७२	१७७	१३३	१३९	१४९	१२६	१६५ १
१९६९–७०	२०१	२००	२१४	१८८	१६०	१८६	१६३	१४०	१४९	१३४	१४२	१७४ ७
१९७०–७१	१९५	२००	२००	१८४	१६३	१९१	१८९	१५१	१६०	१८५	१५५	१८० ६
१९७१–७२	१९८	२१६	२२३	२०९	१७८	१७९	१९९	१६३	१७३	२०८	१६५	१९२ ३

भारत में कर व्यवस्था

भारत म केन्द्रीय करो को दो विभागो मे बाटा जा सकता है

(१) प्रत्यक्ष कर आयकर सम्पत्ति कर अति कर, मन सम्पत्ति शुल्क और दान कर ।

(२) अप्रत्यक्ष कर सघीय उत्पादन शुल्क सीमा शुल्क केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एव अतिरिक्त सीमा शुल्क ।

इन करो के अतिरिक्त राज्य सरकारो तथा स्थानीय स्वायत्त सस्थाओ द्वारा भी कर लगाए जाते है ।

१९६१–६२ म भारत म राष्ट्रीय आय से करो का अनुपात १० ८ प्रतिशत था । १९६५–६६ म यह बढकर १३ ८ प्रतिशत हो गया तथा १९७२–७३ म यह १९ प्रतिशत तक बढ गया ।

केन्द्रीय सरकार को करो से आय १९६५– ६ म १०५१ करोड रुपये थी जो कि १९७१–७२ म २ ०५७ करोड हो गई । १९७२–७३ म करो से आय २ ८१३ करोड रुपये होने का अनुमान है । भारत म कृषि पर सबसे कम कर है । गत वष कई राज्यो म कृषि कर के अन्तगत छोटी जोतो को कर मुक्त किया गया । अब केन्द्र द्वारा कृषि सम्पत्ति कर लगाया गया है ।

करो म प्रमुख आयकर है जिसका नगर निवासियो से दैनन्दिन सीधा सम्बन्ध आता है । भारत म व्यक्तिगत आय पर कर की दरें विश्व भर म सबसे अधिक हैं । अधिक आय पर अधिकतम ८८ १२ प्रतिशत तक कर वसूल किया जाता है । १० हजार रु० वार्षिक तक की आय पर भारत म ६ ९ प्रतिशत तक कर वसूल किया जाता है । कम्पनियो को आय कर एव अधिकर देना पडता है । १९७०–७१ म आय कर के ढाचे म परिवतन कर दिया गया तथा एक से अधिक आश्रित सतान वाले अथवा विवाहित व्यक्ति को आय म दी जाने वाली आयकर की छूट, समाप्त कर दी गई ।

हर व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब या अरजिस्ट्रीकृत फम की या अन्य व्यक्तिसगम या व्यष्टि निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहो या आयकर अधिनियम की धारा २ के खड (३१) के उपखड (७) म निर्दिष्ट हर कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा म जो ऐसी दशा न हो जिसम इस भाग का कोई अन्य परा लागू होता है —

आय कर की दरें

(१) जहा कुल आय ५ ००० रु० से अधिक नही है ।	कुछ नहो,
(२) जहा कुल आय ५ ००० रु० से अधिक है किन्तु १०,००० रु० से अधिक नहीं है	उस रकम का १० प्रतिशत जितना कि कुल आय ५ ००० से अधिक है
(३) जहा कुल आय १० ००० रु० से अधिक है किन्तु १५ ००० रु० से अधिक नहा है	५०० रु० तथा उस रकम का १५ प्रतिशत जितना कि कुल आय १०,००० रु० से अधिक है

(४) जहां कुल आय १५,००० रु० से अधिक है किन्तु २०,००० रु० से अधिक नहीं है।	१,३५० रु० तथा उस रकम का ३३ प्रतिशत जितनी कि कुल आय १५,००० रु० से अधिक है।
(५) जहां कुल आय २०,००० रु० से अधिक है किन्तु २५,००० रु० से अधिक नहीं है।	२,५०० रु० तथा उस रकम का ३० प्रतिशत जितनी कि कुल आय २०,००० रु० से अधिक है।
(६) जहां कुल आय २५,००० रु० से अधिक है किन्तु ३०,००० रु० से अधिक नहीं है।	४,००० रु० तथा उस रकम का ४० प्रतिशत जितनी कि कुल आय २५,००० रु० से अधिक है।
(७) जहां कुल आय ३०,००० रु० से अधिक है किन्तु ४०,००० रु० से अधिक नहीं है।	६,००० रु० तथा उस रकम का ५० प्रतिशत जितनी कि कुल आय ३०,००० रु० से अधिक है।
(८) जहां कुल आय ४०,००० रु० से अधिक है किन्तु ६०,००० रु० से अधिक नहीं है।	११,००० रु० तथा उस रकम का ६० प्रतिशत जितनी कि कुल आय ४०,००० रु० से अधिक है।
(९) जहां कुल आय ६०,००० रु० से अधिक है किन्तु ८०,००० रु० से अधिक नहीं है।	२३,००० रु० तथा उस रकम का ७० प्रतिशत जितनी कि कुल आय ६०,००० से अधिक है।
(१०) जहां कुल आय ८०,००० रु० से अधिक है किन्तु १,००,००० रु० से अधिक नहीं है।	३७,००० रु० तथा उस रकम का ७५ प्रतिशत जितनी कि कुल आय ८०,००० रु० से अधिक है।
(११) जहां कुल आय १,००,००० रु० से अधिक है किन्तु २,००,००० रु० से अधिक नहीं है।	५२,००० तथा उस रकम का ८० प्रतिशत जितनी कि कुल आय १,००,००० रु० से अधिक है।
(१२) जहां कुल आय २,००,००० रु० से अधिक है।	१,३२,००० रु० तथा उस रकम का ८५ प्रतिशत जितनी कि कुल आय २,००,००० रु० से अधिक है।

परन्तु इस पैरा के प्रयोजनों के लिए ऐसे हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में जो १९७१ के अप्रैल के प्रथम दिन प्रारम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय निम्नलिखित दो शर्तों में से कोई भी पूरा कर दे, अर्थात् —

(क) उसके कम से कम दो सदस्य ऐसे हैं जो विभाजन का दावा करने के हकदार हैं और अठारह वर्ष से कम आयु के नहीं हैं, अथवा।

(ख) उसके कम से कम दो सदस्य ऐसे हैं जो विभाजन का दावा करने के हकदार हैं और जो एक दूसरे के पारम्परिक वंशज नहीं हैं और जो कुटुम्ब के किसी अन्य जीवित सदस्य के पारम्परिक वंशज नहीं हैं—

(१) ७,००० रु० से अधिक की कुल आय पर कोई आयकर संदेय नहीं होगा।

(२) जहां कुल आय ७,००० रु० से अधिक हो किन्तु ७,६६० रु० से अधिक न हो वहां उस पर संदेय आय-कर उस रकम के ४० प्रतिशत से अधिक नहीं होगा जितनी कि कुल आय ७,००० रु० से अधिक हो।

भारतीय रुपये का विदेशी विनिमय मूल्य

	देश	भारतीय रुपये	विदेशी मुद्रा
१	स० रा० अमरिका	१०० रु०	१३ ३३ डालर
२	कनाडा	१०० रु०	१४ ४४ कैनेडियन डालर
३	ब्रिटेन	१०० रु०	५ ५५ पौंड
४	पश्चिमी जर्मनी	१०० रु०	५६ ६६ मार्क
५	फ्रांस	१०० रु०	७३ ४३ फ्रैंक
६	बेल्जियम	१०० रु०	६५७ ८३ फ्रैंक
७	इटली	१०० रु०	८३०७ ३६ लीरा
८	नीदरलैंड	१०० रु०	४७ ११ गिल्डर
९	डेनमार्क	१०० रु०	९९ ७७ डेनमार्क क्रोनर
१०	नार्वे	१०० रु०	९४ ५१ क्रोनर
११	स्वीडन	१०० रु०	६८ ७० क्रोनर
१२	स्विट्जरलैंड	१०० रु०	५४ २१ फ्रैंक
१३	आस्ट्रेलिया	१०० रु०	११ ७० आस्ट्रेलियन डालर
१४	हांगकांग	१०० रु०	८० ३० हांगकांग डालर
१५	मलयेशिया	१०० रु०	४० ५० मलयेशियन डालर
१६	सिंगापुर	१०० रु०	४० ५० सिंगापुर डालर
१७	लंका	१०० रु०	७८ ७० लंका रु०
१८	जापान	१०० रु०	४७६१ ३० येन
१९	न्यूजीलैंड	१०० रु०	११ ७० न्यूजीलैंड डालर
२०	ईराक	१०० रु०	४ ७६ दीनार
२१	उगांडा	१०० रु०	९५ ६० शिलिंग
२२	कीनिया	१०० रु०	९४ ६० शिलिंग
२३	तनजानिया	१०० रु०	९४ ६० शिलिंग
२४	दक्षिणी अफ्रीका	१०० रु०	९ ५३ रैंड

उत्तर-प्रदेश

स्वतन्त्रता संग्राम का अग्रदूत—सांस्कृतिक पुनरुत्थान का अजस्र स्रोत
चिरन्तन हस्तशिल्प के लिये विख्यात भूमि सुधार में अग्रणी

हदबन्दी कानून बनाने में प्रथम (१९६०)
छोटी जोतों का लगान समाप्त करने में प्रथम (१९७०)
चकबन्दी आरम्भ करने में प्रथम (१९५२)
जमींदारी खत्म करने में प्रथम (१९५२)
पंचायत राज प्रथा स्थापित करने में प्रथम (१९४९)
क्रश प्रोग्राम में वरिष्ठता पाने में प्रथम (१९७१ ७२)

सामाजिक—सुरक्षा—कार्यों में अग्रणी

वृद्धावस्था पेंशन आरम्भ करने में अग्रणी (१९५७)
जेल-सुधार और बाल अपराधियों की देखभाल में अग्रणी (१९५७)
कुटीर एवं लघु उद्योगों व खेतिहर मजदूरों के लिये
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बनाने में अग्रणी (१९४८)

शिक्षा-सुधार में अग्रणी—

मातृभाषा को उच्चतर शिक्षा का माध्यम स्वीकार करने में प्रथम। सभी शिक्षकों को पेंशन, भविष्यनिधि और ग्रेचुटी का लाभ देने में प्रथम। समस्त विश्वविद्यालयों के लिये समान संविधि लागू करने में प्रथम। शिक्षित बेकारों के लिये औद्योगिक समूहों की स्थापना से स्वय सेवा योजित करने में प्रथम (१९७३)

अगले चरण

आधुनिकीकरण तथा औद्योगीकरण—

सन १९६० में रजिस्टर्ड फैक्टरियों की संख्या २६७ थी जो बढ़कर सन १९७२ में ४१४८ हो गयी।

सन् १९६० में कामरत फैक्टरियों की संख्या २५२८ थी, जो बढ़कर सन १९७२ में ३६७१ हो गयी।

सन १९६० में काम में लगे श्रमिकों की संख्या का अनुमानित दैनिक औसत २ ८० ००० था जो सन १९७२ में बढ़कर ३ ६५ ००० हो गया।

योजनावधि के आरम्भ में राजकीय सिंचन साधनों की क्षमता ३० लाख हैक्टयर सिंचाई करने की था जो बढ़कर ३१ मार्च १९७३ को ६२ लाख हैक्टयर तक पहुँचेगी।

अस्पतालों और दवाखानों की संख्या सन १९६० में १३६८ थी जो सन १९७१ में बढ़ कर २०८ हो गयी।

डिग्री कालेजों की संख्या जो सन १९६०-६१ में १२८ था बढ़कर सन १९७०-७१ में २६३ हो गया।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या जो १९६०-६१ में १०३१ थी सन १९७१-७२ में बढ़कर ३१९६ हो गया।

स्वतन्त्रता के प्रथम २५ वर्षों में हुई प्रगति के चरण चिह्न हैं—

तराई भूमि-सुधार रिहन्द चुर्क और डाला सीमेंट कारखाना शारदा-सागर माता टीला कामायनी नगर तथा विद्युत मिल-फैक्टरियों संस्कृत विश्वविद्यालय मंदिर और ग्रोमोदिय कानपुर गाजियाबाद और मिर्जापुर के औद्योगिक संस्थान।

सूचना विभाग द्वारा प्रसारित

: २२ :

आयोजन

१९४७ अगस्त म देश स्वतन्त्र होन के साथ ही जन जीवन के आर्थिक विकास हेतु एक सुनियोजित आर्थिक विकास की प्रणाली निर्धारित करने की आवश्यकता अनुभव की गई। रूस की पचवर्षीय योजनाओ स प्रेरित होकर भारत म भी आयोजन का युग प्रारम्भ हुआ। मार्च १९५० म भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया जिसका उद्देश्य 'जनता के जीवन स्तर को ऊचा उठाना तथा उसे समृद्ध एव अधिक विविधतापूर्ण जीवन के लिए नए अवसर प्रदान करने हेतु विकास की एक प्रक्रिया प्रारम्भ करना था।' इसका उद्देश्य ३० वर्ष की अवधि म प्रतिव्यक्ति आय को दुगना करना था।

स्वदेशी साधनो पर निर्भरता

१९७३ ७४ वर्ष के दौरान केन्द्र, राज्यो तथा केन्द्रशासित प्रदेशो के लिए ४३६८ करोड रुपए के कुल योजना-व्यय का अनुमान लगाया गया है जो १९७२ ७३ के लिए ३ ९७३ करोड रु० के कुल व्यय से लगभग १० प्रतिशत अधिक है।

वार्षिक योजना के इस बढ़ हुए व्यय की वित्त-व्यवस्था करने के लिए बजट म घरेलू साधनो पर अधिक निर्भरता पर जोर दिया गया है। इसके लिए केन्द्र तथा राज्य नए साधनो से पर्याप्त मात्रा म वित्त जुटाने का प्रयास करगे। सार्वजनिक क्षेत्र सम्बन्धी समूचे योजना व्यय का लगभग ८८ प्रतिशत इन साधनो से जुटाया जाएगा जबकि १९७३ ७४ के मूल अनुमानो मे इसका अनुपात ८६ प्रतिशत था। १९७३ ७४ म घाटे की बजट व्यवस्था का स्तर उचित रखा गया है।

१९७३ ७४ के अनुमानो म राजस्व प्राप्ति की सामान्य वृद्धि को भी ध्यान म रखा गया है तथा गर-योजना व्यय मे न्यूनतम वृद्धि का प्रयास किया गया है। रक्षा सम्बन्धी व्यय के लिए पिछले वर्ष क बराबर १९७३ ७४ म १ ६०० करोड रु० की व्यवस्था की गई है। राज्यो को प्राकृतिक आपदाओ से राहत देने के लिए ४० करोड रु० के अनुदान की व्यवस्था की गई है जबकि पिछले वर्ष यह राशि ८० करोड रु० थी। बगलादेश के लिए २५ करोड रु० के अनुदान की व्यवस्था की गयी है।

१९७३ ७४ के दौरान पिछले वर्ष से ६६ करोड रु० अधिक ब्याज दिए जान का अनुमान है। इसका मुख्य कारण कर्जो की बढती हुई मात्रा है। सरकारी एजेंसियो के माध्यम से खाद्यान्न के सग्रहण और वितरण की सम्भावनाओ को ध्यान म रखते हुए १३०

करने म योजना से प्राप्त अनुभवो को ध्यान म रखा गया है ।

पांचवीं योजना की नीति व लक्ष्य

पाचवी पचवर्षीय योजना क ठोस लक्ष्यो का निर्धारण भारतीय अर्थव्यवस्था क दीर्घ कालीन परिप्रेक्ष्य तथा गरीबी हटान और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के दो उद्देश्यो क आधार पर किया गया है । पाचवी पचवर्षीय योजना भारतीय अर्थव्यवस्था क लिए १९७४ ७५ से १९८५ ८६ तक की लम्बी अवधि की परिप्रेक्ष्य योजना क अग रूप म है ।

गरीबी हटान तथा आत्म निर्भर होने की बुनियादी उद्देश्यो की पूर्ति क लिए यह आवश्यक है कि पाचवी योजना क दौरान विकास दर बढे, आय का बहतर वितरण हो तथा देसी बचत की दर म तीव्र वद्धि हो । पाचवी योजना म ५ ५ प्रतिशत की विकास दर का लक्ष्य ह तथा इन लक्ष्यो की प्राप्ति के लिए अधिक कार्यकुशलता के साथ साथ पूजी भी अधिक लगानी होगी ।

नीति विषयक सिद्धान्त

(क) निजी क्षेत्र समेत विभिन्न क्षेत्रो के लिए निर्धारित पूजी व्यवस्था का उचित आवटन तथा उपयोग,

(ख) सामाजिक दृष्टि से तरजीह वाले क्षेत्रो म निजी पूजी लगान तथा सामाजिक दृष्टि स कम लाभकारी क्षेत्रो म निजी पूजी न लगान क उद्देश्य से किए गए उपाय,

(ग) ऐसे संस्थागत सुधार जिनसे उन उत्पादन शक्तियो को बल मिलेगा जो उत्पादन का स्तर बढाने और अतिरिक्त उत्पादन के लक्ष्यो के अपेक्षाकृत समान वितरण म सहायक होगी,

(घ) वित्तीय तथा मुद्रा सम्बन्धी उपाय जो मुद्रास्फीति हुए बगर विकास प्रक्रिया म सहायक होगे।

साधन जुटाने की नीति

पाचवी पचवर्षीय योजना के लिए वित्त व्यवस्था करन की नीति गर मुद्रास्फीतिकारी विकास पर आधारित है । अत वित्त व्यवस्था इस ढग से की जाएगी कि व्यापक उपभोग के लिए कृषि उत्पादनो जस मजूरी माल मे वाछित वद्धि हो सक तथा इस्पात कोयला तल सीमट, उवरक विद्युत जस प्रमुख क्षेत्रो का त्वरित विकास हो सक ।

साधन जुटान के प्रमुख स्रोत कराधान ऋण तथा सावजनिक प्रतिष्ठानो क सम्बन्ध म मूल नीति है । सक्षेप म सावजनिक बचत म वद्धि करना साधन जुटाने की नीति की आधार शिला है । इसका अथ होगा—अधिक प्रत्यक्ष कर लगाना विशेषकर शहरी सम्पत्ति पर । इनम भूमि का समाजीकरण गर आवश्यक एव विलास सामग्री पर उत्पादन शुल्क की विभदक पद्धति तथा कृषि पर प्रत्यक्ष कर प्रणाली से करो का आधार व्यापक करना शामिल है जो उत्पादकता म वद्धि तथा न्याय के आधार पर सगत है। इसी प्रकार गर निगमित प्रतिष्ठानो से कर वसूल करने तथा कर वसूली व्यवस्था व प्रणाली को सुधारने क लिए उपयुक्त उपाय ढूढन होगे ।

आय वितरण सम्बन्धी नीति

देश की जनसख्या के निम्नतम ३० प्रतिशत की खपत के स्तर म वद्धि करना पाचवी योजना का एक बुनियादी उद्देश्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति क लिए प्रमुख रूप से अतिरिक्त रोजगार अवसर उत्पन्न करने पर जोर दिया जाएगा, जो काफी हद तक पूजी निवेश परिव्यय की प्रति यूनिट के अनुसार अतिरिक्त उत्पादक रोजगार क अवसर का अधिकाधिक बढाने पर निभर करेगा।

कृषि योजना के अतगत कुछ विशेष कायक्रम तयार किए गए है जिनम इस बात को ध्यान म रखा गया है कि हमारी जनसख्या का निम्नतम ३० प्रतिशत या अधिकाश पिछडे वर्गो और पिछडे क्षेत्रो का है। छोटे व सीमित किसानो का उत्पादन आधार बढाने पर इन सभी कायक्रमो म विशेष जोर दिया गया है। भूमि सुधारो का लाग करने से भी आय म काफी वद्धि की जा सकती है। इसके लिए, कृषि सम्बन्धी आवश्यक सामग्री के वितरण के अग क रूप म हो भूमि सुधार किए जा सकते हैं। काश्तकारो सम्बन्धी परिस्थितियो म सुधार लाने तथा ऋण ग्रस्तता कम करने के उपायो स उत्पादन बढेगा तथा बटाईदारो और छोटे काश्तकारो म आय का वितरण बेहतर होगा।

कृषि म, डेरी मुर्गीपालन जस सम्बद्ध उद्योगो विभिन्न कायक्रमो स होने वाले लाभ के समुचित वितरण म महत्वपूण भूमिका निभाएगे।

सगठित क्षेत्र म आय वितरण को, उत्पादन और उसम मजदूरी का हिस्सा बढाकर सुधारा जा सकता है। इसके लिए आवश्यक होगा कि सम्पत्ति के स्वामी क उपभोग की कीमत पर से मजदूरी हिस्सा बढाया जाए। नौकरी पेशावग का उपभोग स्तर बनाए रखने क लिए सावजनिक वितरण प्रणाली से वाछित वस्तुओ की सप्लाई जरूरी है। यह भी आवश्यक है कि वितरण की लागत कम स कम रखी जाए। इस प्रकार सावजनिक वितरण प्रणाली व्यापार म सट्टेबाजी की प्रवत्ति को हतोत्साहित करने तथा उत्पादन की निरन्तर वद्धि म योगदान द सकेगी।

जनसख्या के निम्नतम ३० प्रतिशत के उपभोग क लिए वितरण व्यवस्था सुधारने म राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कायक्रम की महत्वपूण भूमिका होगी। इन कायक्रम से सामाजिक सेवाओ की स्थिति भी बेहतर होगी।

विकास परिव्यय का स्वरूप

पाचवी योजना के लिए ५३ ४११ करोड रु० की व्यवस्था की गई है। इस कुल व्यवस्था मे से ३७,२५० करोड रु० सावजनिक क्षेत्र के लिए तथा १६ १६१ करोड रु० निजी क्षेत्र क लिए हैं। सावजनिक क्षेत्र के लिए निर्धारित राशि म स ३१ ६७० करोड रु० पूजी निवेश क लिए हैं तथा ५ ५८० करोड रु० चालू परिव्यय के लिए। निम्न तालिका सावजनिक क्षेत्र की प्रस्तावित व्यवस्था के बारे म है

(करोड रुपये)

विकास मद	केन्द्र	राज्य	सघ शासित क्षेत्र	जोड
	१	२	३	४
१ कृषि	१९८६	२७१७	६७	४७३०
२ सिचाई	१६०	२५१८	२६	२६६१

३ बिजली	७३८	५३४३	१०६	६१९०
४ खान तथा उत्खनन	८१८०	७४२	१७	८६३६
५ निर्माण	२५	—	—	२५
६ परिवहन तथा सचार	५७२७	१२६७	६१	७११५
७ व्यापार तथा भडारण	१६४	११	—	२०५
८ आवास तथा स्थावर सपदा	२३७	३३८	२५	६००
९ बकिंग तथा बीमा	६०	—	—	६०
१० जन प्रशासन तथा रक्षा	६०	३०	८	६८
११ अन्य सेवाए	१६५३	३५८०	२५७	५७६०
अन्य सेवाए				
१ शिक्षा	४८४	११५५	८७	१७२६
२ स्वास्थ्य	२५३	५१७	२६	७६६
३ परिवार नियोजन	५१६	—	—	५१६
४ पोषाहार	७०	३३०	—	४००
५ शहरी विकास	२५२	२७२	१९	५४३
६ जलपूर्ति	१६	६२४	८२	१०२२
७ समाज कल्याण	२००	२६	३	२२९
८ पिछड़े वर्गों का कल्याण	५५	१६७	४	२२६
९ श्रम कल्याण	१५	३८	४	५७
१० विविध	९२	१५१	३२	२७५
११ विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी	४१९	—	—	४१९
१२ पर्वतीय तथा जनजातीय क्षेत्र	—	५००	—	५००
१३ विज्ञान तथा टैक्नोलाजी या अर्जित किए जाने वाले अतिरिक्त वकल्पिक ससाधनो के लिए निर्धारित धनराशि म अनुमानित कटौती कम करना	१३२	—	—	१३२
जोड	१६५७७	१७०७३	६००	३७२५०

पाचवीं योजना के लिए उत्पादक क्षेत्रो द्वारा अनुमानित वित्तीय साधन

(१९७२ ७३ के मूल्यो पर करोड रु० मे)

१	वर्तमान विकास परिव्ययो के लिए बजट म व्यवस्था	५८५०
२	घरलू बचत	४५१३०
	(क) सार्वजनिक क्षत्र	१४३३६
	(१) केन्द्रीय और राज्य बजट	८३४८

	(ख) वित्तीय सस्थाए	७३६
	(१) रिजव बैंक आफ इडिया	४६१
	(२) अन्य	२७८
	(ग) निजी क्षेत्र	३०,०५८
	(१) निजी निगमित गर वित्तीय क्षेत्र	४१३६
	(२) ऋण न देने वाली सहकारी सस्थाए	१६६
	(३) घरलू क्षेत्र	२५७४७
३	विदेशी वचत मवधी ड्राफ्ट	२ ४३१
	(क) चालू खाते के भुगतान सतुलन के घाटे का पूरा करने के लिए नयी विदियो का शुद्ध अन्तर्वाह	२२३१
	(ख) ब्याज स वापस मिलने वाली राशि तथा पी० एल-४८० ऋण एव जमा राशि पर रु० म ऋण परिशोधन भुगतान	२००
	कुल	५३ ४११

सावजनिक बचत सावजनिक निपटान योग्य आय और व्यय पर निभर करती है।

सावजनिक निपटान योग्य आय की वद्धि के लिए इनम वद्धि की जाएगी (१) सरकारी सम्पत्तियो और प्रतिष्ठाना स कुल आय (२) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर (३) निजी क्षेत्र को शुद्ध चालू हस्तातरण तथा अनुदान मे कमी स सरकार का गर वित्तीय और गर-याजना खच १९७३ ७४ के ६ ०२५ करोड रुपए मे बढकर १९७८ ७९ म ८ ३३१ करोड रुपए हो जाएगा।

औसत सरकारी बचत की दर जो १९७२ ७३ म सरकारी निपटान योग्य आय का ११ २ प्रतिशत थी, बढकर १९७८ ७९ म २२ ८ प्रतिशत हो जाएगी। सावजनिक निगमित बचत १९७३ ७४ की ६३४ करोड रुपए स बढकर १९७८ ७९ म १ ९३६ करोड रुपए हो जाने का अनुमान है।

इस समय सरकारी क्षेत्र काफी बढा है इसलिए सहकारी समितियो को कुशलता स चलाने की ओर ध्यान देना आवश्यक है ताकि दमी बचता म इनका समुचित योगदान मिल सके। सरकारी बचत १९७३ ७४ की ५० करोड रुपए से बढकर १९७८ ७९ म ६८ करोड रुपए हो जाने की सभावना है।

अतिरिक्त वित्तीय साधन

पाचवी योजना के लिए सावजनिक क्षेत्र द्वारा अतिरिक्त साधना स जुटाई जान वाली राशि ६ ८५० करोड रुपए है—४ ३०० करोड रुपए केन्द्र म और २ ५५० करोड रुपए राज्या म। केन्द्र के अतिरिक्त साधन होग—(१) रल डाक-तार और अन्य सावजनिक प्रतिष्ठाना की मूल्य नीति म सशोधन ताकि वे आय और पूजी निवेश की सतोषजनक दर प्राप्त कर सकें, (२) केन्द्रीय आय और सम्पत्ति कर के आधार को व्यापक बनाना (३) अनुदान राशि म कमी (४) शहरी सम्पत्ति कर म वद्धि, (५) वस्तुओ पर कर म वद्धि जिसम न केवल अतिरिक्त राजस्व मिलगा, बल्कि समाज के समृद्ध वग का उपभोग भी नियत्रित

होगा। राज्य (१) कृषि पर प्रत्यक्ष कर में वृद्धि (२) सिंचाई की दरों में वृद्धि और (३) बिजली शुल्क में वृद्धि करके अतिरिक्त साधन जुटाएंगे।

अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए जो नीति सुझायी गई है, उससे न केवल अधिक साधन उपलब्ध होंगे बल्कि आत्म निर्भरता, अन्य स्थायित्व तथा आय और उपभोग की असमानताओं में कमी लाने जैसे योजना के लक्ष्य भी पूरे होंगे।

निजी क्षेत्र में योजना के लिए १६,१६१ करोड़ रुपए के साधनों का अनुमान है जिसमें से १०,२१६ करोड़ रुपए भौतिक परिसम्पत्तियों में लगने वाली पूंजी है और ५,९४५ करोड़ रुपए निगमित और सहकारी क्षेत्र में निवेश के लिए हैं।

भुगतान सन्तुलन

भुगतान संतुलन के अनुमानों में हाल में इस्पात, पैट्रोलियम जन्य पदार्थों, अखबारी कागज और उर्वरकों आदि के आयात मूल्यों में तेजी से हुई वृद्धि और ऋण सेवा के बढ़ते हुए भार को ध्यान में रखा गया है। भुगतान संतुलन के लिए मुख्य मान्यताएं इस प्रकार हैं –

(१) देश में उपलब्धि के अनुसार अर्थ-व्यवस्था के लिए ऊर्जा के आधार को नया स्वरूप प्रदान करना।

(२) अनावश्यक उपभोग की वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध।

(३) खाद्य अर्थव्यवस्था का कुशल प्रबंध।

(४) गैर-परम्परागत वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए उचित और जोरदार प्रयास।

(५) विदेशी मुद्रा की कमी की कुल ४००० करोड़ रुपए की सहायता से आपूर्ति जो रियायती दरों पर उपलब्ध होगी। ऋण-सेवा का कुल भार २५५७ करोड़ रुपए होगा और इस प्रकार शुद्ध सहायता १,४५१ करोड़ रुपए की है।

निर्यात १९७३-७४ के २,००० करोड़ रुपए से बढ़कर १९७८-७९ में २,९८० करोड़ रुपए का हो जाने का अनुमान है। निर्यात की संयुक्त विकास दर ७.६ प्रतिशत होगी जो चौथी योजना में वास्तव में प्राप्त दर जितनी ही है। इंजीनियरिंग सामान, कपड़ा, समुद्री-उत्पादनों और चमड़े के सामान के निर्यात से होने वाली आय में बहुत अधिक आय होने का अनुमान है।

१९७८-७९ तक आयात के ३,१०० करोड़ रुपए तक हो जाने का अनुमान है। इसमें खाद्यान्न के आयात की व्यवस्था शामिल नहीं है। पांचवीं योजना के दौरान आयात की प्रमुख वस्तुएं होंगी—पैट्रोलियम जन्य पदार्थ, धातु के सामान, इस्पात, उर्वरक आदि। इन वस्तुओं के आयात प्रतिस्थापन के प्रयास चल रहे हैं। पैट्रोलियम जन्य पदार्थों का आयात प्रतिस्थापन करने के लिए (१) कोयले का अधिक उपयोग करना होगा और (२) पन बिजली के विकास की गति को तेज करना होगा।

राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

पांचवीं योजना में उल्लिखित राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में सभी क्षेत्रों के लिए सामाजिक उपभोग की अनुपर्याप्त साधनों की व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रारम्भिक शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, पोषाहार, पेयजल, मकानों के लिए भूखंड, गन्दी बस्तियों के सुधार, गांवों में सड़कें बनाने और गांवों में बिजली लगाने से

धिन कायक्रमा पर विशेष ध्यान दिया गया है। न्यूनतम आवश्यकता कायक्रम पिछडे ता के लिए विशेष महत्व का होगा।

भूमि सुधार

पाचवा योजना की भूमि सुधार सबधी नीति म ठोस कायक्रमा, कार्यान्वयन सबधी व्यवस्था के सुधार और जनता के सहयोग पर जोर दिया जाएगा।

यह जरूरी है कि निश्चित अवधि के कायक्रमा के अनुसार वतमान पट्टेदारी कानूनो और बटाईदारा का भूमि का स्वामित्व देने के कानूनो की त्रुटिया दूर करने के लिए तुरन्त कानून बनाने के उपाय किए जाए। कार्यान्वित किए जाने वाले कायक्रमा म पट्टेदारी सबधी रिकाड तैयार करने और रखने तथा भूमि चकबन्दी के व्यापक कायक्रम को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी प्रकार कायक्रमा के क्रियान्वयन की व्यवस्था म भी महत्वपूण परिवतन किए जाएगे।

सिचाई

सिचाई योजना के दो प्रमुख उद्देश्य होगे (१) सूखा वाले क्षेत्रा की आवश्यकता को ध्यान म रखते हुए सिचाई की सम्भाव्य क्षमता म काफी वृद्धि करना (२) सम्भावित पूण उपयोग म सुधार और अधिकतम उत्पादकता के लिए जल और भूमि का सक्षम प्रबध। पाचवीं योजना म बडी और मझोली सिचाई परियोजनाओ के लिये २४०१ करोड रुपए का परिव्यय है तथा ६२ लाख हक्टयर भूमि की सिचाई का लक्ष्य रखा गया है।

पाचवी योजना म लघु सिचाई परियोजनाओ द्वारा ६० लाख हक्टेयर भूमि का सिचित क्षेत्र बनाने की योजना है। इसका कुल परिव्यय ८१० करोड रुपए होगा। इसम भूमि जल विकास सर्विस सिचाई और लिफ्ट सिचाई भी सम्मिलित होंगे। भूमि जल के उचित नियमन नियत्रण और प्रबन्ध के लिए कई राज्या म आवश्यक अधिनियम भी जरूरी होगे।

बिजली

१९७८ ७९ म बिजली की सप्लाइ के लिए ३ करोड ३० लाख किलोवाट स्थापित क्षमता की जरूरत पडेगी। पाचवी योजना म १ करोड ६५ लाख ५० हजार किलोवाट का अतिरिक्त क्षमता का प्रस्ताव है। पाचवी योजना म १५ लाख पम्पिग सटा का बिजली दी जायेगी तथा १ लाख १० हजार गावा का विद्युतीकरण होगा। पाचवी पचवर्षीय योजना म कुल ६१६० करोड रु० का वित्तीय परिव्यय होगा।

उद्योग और खनिज

उद्योग और खनिजो के क्षेत्र म ८ २ प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया है। योजना म निम्नलिखित बाता पर जोर दिया गया है (१) प्रमुख क्षेत्र उद्योगो का तजी स विकास (२) जन-साधारण के उपभोग की वस्तुओ की सप्लाई (३) निर्यात म वृद्धि के लिए अतिरिक्त क्षमता बनाना (४) ग्रामीण और लघु उद्योगो का प्रोत्साहन तथा (५) औद्योगिक दृष्टि से पिछडे क्षेत्रा का विकास। आत्मनिर्भरता देन की नीति विदेशी पूजी निवेश और तकनीकी सहयोग नीति मूल्य और ऋण-नीति ऊर्जा विज्ञान और तकनीकी नीति आदि के लिए उपयुक्त नीतिया का निर्धारण किया गया है। पाचवी योजना म उद्योग और खनिज क्षेत्र के लिए ९ ५२६ करोड रु० का परिव्यय रखा गया है। इनम से गैर-सरकारी तथा सहकारी क्षेत्रा के लिए ५ २०० करोड रु० होग।

ग्रामीण और लघु उद्योग

पाचवी योजना मे एक व्यापक नीति यह रखी गई है कि ग्रामीण और लघु उद्योग के विकास कायक्रमो म अधिक से अधिक विस्तार के लिए इन्हे विभिन्न रूपो म सहायता और सुविधाए दी जाए। सावजनिक क्षेत्र म इन कायक्रमो क लिए लगभग ६११ करोड रु० परिव्यय की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त सस्थागत वित्त सहित गैर-सरकारी खातो स लगभग १०५० करोड रु० क पूजी निवेश का अनुमान है। पाचवी योजना म परामश सेवाओ, तकनीकी सुधार, सहकारी समितियो जसे अनेक कायक्रम भी चालू किए जायेंगे।

परिवहन

पाचवी योजना म परिवहन व्यवस्था के विभिन्न अगो क समन्वित और व्यवस्थित विकास पर मुख्य रूप से जोर दिया गया है ताकि परिवहन व्यवस्था सम्पूण परिप्रेक्ष्य म देखी जा सके और इसके विभिन्न अग यथासमय एक दूसरे पर निभर हो और एक दूसरे के पूरक बनें। सावजनिक क्षेत्र म कुल परिव्यय ५,६६१ करोड रु० का है। इसका विवरण निम्नलिखित तालिका म दिया गया है

(करोड रु० म)

विकास का मद	केन्द्र	केन्द्र प्रायोजित	राज्य	केन्द्र शासित प्रदेश	योग
१ रेल	२५५०	—	—	—	२५५०
२, सडक	६२०	६४	६६१	७३	१७६८
३ सडक परिवहन	२६	—	२५६	३	२८५
४ बन्दरगाह	३२०	१०	१६	३	३५२
५ जहाजरानी	२५८	—	—	२	२६०
६ अन्तर्देशीय जल परिवहन	४८	१४	६	२	७०
७ प्रकाश स्तम्भ	१२	—	—	—	१२
८ नागरिक विमान सेवा	३६१	—	२	१	३६४
कुल	४२२५	११८	१२६४	८४	५६६१

शिक्षा

योजना मे चार मुख्य बातो पर जोर दिया गया है (१) शिक्षा के अवसरो मे समानता, (२) शिक्षा पद्धति तथा विकास की आवश्यकता और रोजगार अवसरो मे अधिक निकट सबध (३) शिक्षा के स्तर म सुधार और (४) सामाजिक तथा आर्थिक विकास के कार्यों म छात्रो सहित शिक्षा-समुदाय को लगाना। तकनीकी शिक्षाओ को सुव्यवस्थित किया जायगा तथा योजनावधि मे उनके स्तर म भी सुधार लाया जायेगा। पाचवी योजना म शिक्षा क ऐसे अवसर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया है जिससे मुख्यतया समाज के पिछडे और कमजोर वग को लाभ पहुचे। पाचवी योजना म शिक्षा के लिए १ ७२६ करोड रु० परिव्यय की व्यवस्था है। प्रस्तावित परिव्यय का ६३ प्रतिशत प्रारभिक शिक्षा पर व्यय

होगा और यह पाचवी योजना की एक प्रमुख बात होगी। दोपहर के भोजन-कार्यक्रम के प्रस्तावित विस्तार होने पर प्रारम्भिक शिक्षा में महत्वपूर्ण विस्तार की सम्भावना है।

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और पोषाहार

पाचवी योजना का प्रमुख लक्ष्य समाज के कमजोर वर्ग शिशुओं, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए परिवार नियोजन तथा पोषाहार कार्यक्रमों के साथ-साथ स्वास्थ्य सम्बन्धी न्यूनतम सुविधाएं देना है। पाचवी योजनावधि में (१) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा उपलब्ध कराना, (२) क्षेत्रीय असमानताओं को ठीक करना, (३) संक्रामक रोगों के उन्मूलन और नियंत्रण तथा (४) शिक्षा के स्तरों में सुधार और स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण आदि पर जोर दिया जायेगा। यह समझा गया है कि समन्वित स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए बहु उद्देशीय स्वास्थ्य इकाइयों की आवश्यकता है और इस उद्देश्य की सफलता के लिए अध चिकित्सा कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना भी जरूरी होगा। पाचवी पंचवर्षीय योजना में ७९६ करोड रु० का परिव्यय रखा गया है। इसमें से ५४३ करोड रु० राज्य और केन्द्रशासित प्रदेशों की योजनाओं पर व्यय किया जायगा।

पाचवी योजनावधि में पोषाहार कार्यक्रमों के विस्तार का प्रस्ताव है। पाचवी योजना में १ करोड ६५ लाख व्यक्तियों को दोपहर का भोजन देने का तथा एक करोड व्यक्तियों को विशेष पोषाहार देने का कार्यक्रम रखा गया है। पाचवी योजना में पोषाहार के लिए ४०५ करोड रु० का परिव्यय रखा गया है।

शहरी विकास तथा आवास

पाचवी योजना में इस क्षेत्र के प्रमुख लक्ष्य होंगे (१) शहरी क्षेत्रों में नागरिक सेवाएं प्रारम्भ करना (२) महानगरों की समस्याओं का बड़े पैमाने पर सामना करने के लिए प्रयत्न करना (३) छोटे शहरों के विकास को प्रोत्साहन देना तथा शहरीकरण के बढ़ते हुए दबाव को रोकने के लिए नए शहरी केन्द्र स्थापित करना और महानगरों से सम्बद्ध परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता देना। शहरी नियोजन की सबसे गम्भीर समस्या है—शहरी भूमि के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि। इस सन्दर्भ में शहरी भूमि नीति का निर्धारण करना नितान्त आवश्यक है। पाचवी योजना में ५७८ करोड रुपये परिव्यय का प्रस्ताव है।

आवासों की बढ़ती हुई मांगों और भवन निर्माण-सामग्रियों के बढ़ते हुए मूल्यों के कारण उनकी अनुपलब्धि को ध्यान में रखते हुए पाचवी योजना में आवास क्षेत्र में निम्नलिखित लक्ष्यों को ध्यान में रखा गया है (१) वर्तमान आवासी सामग्रियों की स्थिति में सुधार (२) ४० लाख भूमिहीन मजदूरों के लिए आवास भूखंड (३) समाज के कुछ कमजोर वर्ग के लोगों को रियायती दर पर मकान देने की योजना को आगे भी चालू रखना और (४) संस्थागत संगठनों की सहायता में विस्तार।

आवास क्षेत्र के लिए कुल ५९० करोड रु० का परिव्यय है। इसमें से राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए ३४३ करोड रु० होगा।

पिछड़े वर्गों का विकास

पांचवीं योजना में पिछड़े वर्गों के विकास की योजना का लक्ष्य है—इन वर्ग के लोगों के जीवन-स्तर में सुधार लाना तथा पिछड़े और जन जाति के लोगों तथा अन्य क्षेत्रों के विकास स्तर के अन्तर को कम करना। पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए एक समन्वित विकास योजना शुरू की जाएगी। अनुसूचित जाति के लोगों की जमींदार वर्ग पर निर्भरता कम करने के लिए इस वर्ग के व्यवसायों विभिन्नता लाने और उनके आधुनिकीकरण का काम भी पूरा किया जाएगा। अस्पृश्यता का उन्मूलन करने और गन्दे कामधंधों के यंत्रीकरण के प्रयासों में तेजी लायी जायगी। पांचवीं योजना में पिछड़े वर्ग के लिए जो कार्यक्रम चालू किए जायेंगे उन पर राज्य क्षेत्र में १३० करोड़ रु० तथा केन्द्रीय क्षेत्र में ८५ करोड़ रु० की राशि निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त पहाड़ी और जन जातीय क्षेत्रों के विकास के लिए ४०० करोड़ रु० का प्रावधान है।

समाज कल्याण

पांचवीं योजना में समाज कल्याण की भावना का विस्तृत रूप दिया गया है और कल्याण तथा विकास सेवाओं का मिलान का लक्ष्य रखा गया है। समाज कल्याण के लिए निर्धारित २२६ करोड़ रुपए परिव्यय में से २०० करोड़ रुपए केन्द्रीय क्षेत्र में होगा।

विज्ञान और टेक्नोलाजी

विज्ञान और टेक्नोलाजी योजना का मुख्य लक्ष्य अर्थ-व्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाना है। विज्ञान और टेक्नोलाजी कार्यक्रम को पहली-पहल योजना में स्थान दिया गया है। योग्यता और सामर्थ्य वाले क्षेत्रों को गति प्रदान करना तथा डिजाइन परामर्श प्राकृतिक साधनों के मूल्यांकन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की त्रुटियां दूर करना इसका उद्देश्य है।

उपयोग प्रधान विज्ञान और टेक्नोलाजी योजना में उत्पादनकर्ता तथा टेक्नोलाजी के उपभोक्ता के बीच सम्पर्क कायम करने पर जोर दिया गया है। इसी प्रकार विस्तृत संगठन तथा प्रबंध संबंधी परिवर्तन करने का प्रस्ताव रखा गया है।

विज्ञान और टेक्नालाजी के लिए कुल १०३३ करोड़ रुपए वित्तीय परिव्यय रखा गया है।

: २३ :

उद्योग

औद्योगिक उत्पादन

औद्योगिक उत्पादन म वद्धि की दर जो १९६९ म ७ ५ प्रतिशत थी कम होकर १९७० म ३ १ प्रतिशत हो गयी और उसके बाद और कम होकर १९७१ म २ ९ प्रतिशत हो गयी। १९७२ मे इस निराशाजनक प्रवत्ति की दिशा कुछ बदल गयी। १९७२ म औद्योगिक उत्पादन के सूचकाक म १९७१ की इसी अवधि की तुलना म ७ ४ प्रतिशत की वद्धि हुई। किन्तु १९७३ मे औद्योगिक उत्पादन म पुन गिरावट आइ। दिसम्बर १९७२ की तुलना म जनवरी १९७३ म उत्पादन तेजी से गिरा और इसका सूचकाक २११ ९ से घटकर २०२ ८ हो गया।

औद्योगिक उत्पादन (स्थूल) के सामान्य सूचक अक
(आधार १९६० = १००)

महीना	१९७०	१९७१	१९७२
जनवरी	१८६ ६	१८८ ४	१९९ ९
फरवरी	१७५ २	१७८ ७	१९६ ७
माच	१८८ ५	१९२ ४	२०८ ०
अप्रैल	१८१ ७	१८३ ८	१९० ३
मई	१७६ ८	१७९ ०	१९४
जून	१७९ ०	१८२ ७	१९७ २
जुलाई	१८० ०	१८७ ३	१९८ १
अगस्त	१७५ १	१८३ १	२०० १
सितम्बर	१७८ ६	१८५ ०	
अक्तूबर	१७३ ०	१८२ ०	
नवम्बर	१८२ ५	१८९ ७	
दिसम्बर	१९२ ६	२०१ ६	
जनवरी दिसम्बर	१८० ८	१८६ १ (+२ ९)	
जनवरी गस्त	१८० ४	१८८ ८ (+२ २)	१९८ १ (+७ ८)

टिप्पणी कोष्ठको मे दिये गये आकडे पिछली अवधि की तुलना म हुए प्रतिशत परिवतन क द्योतक हैं।

विभिन्न क्षेत्रों का कार्य-निष्पादन

१९७२ म औद्योगिक उत्पादन की विशेषता यह थी कि १९७१ म कपडे और परिवहन उपकरणो के उत्पादन म कमी की जो प्रवृत्ति आयी थी, वह विपरीत दिशा की ओर मुड गयी। परिवहन उपकरणो के उत्पादन म सुधार होना विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योकि यह सुधार उत्पादन म पिछले छ वर्षों म कमी होते रहने के बाद हुआ है। फिर भी जनवरी से अगस्त १९७२ तक की अवधि का समूह सूचकाक ११३ १९६५ वष के अनुमानित सूचक अक से बहुत कम है जो २०५ था। जसाकि सुविदित है, इस दीर्घावधिक माग की कमी से प्रभावित होने वाली मुख्य वस्तु थी रेलवे वैगन लेकिन इस उद्योग को अब देश के अन्दर उपयोग के लिए और निर्यात के लिए भी भारी सख्या म आर्डर प्राप्त हुए हैं और इसम उत्पादन को और अधिक बढ़ाने म सहायता मिलगी।

१९७२ मे कपडे के उत्पादन म जो भारी सुधार हुआ, वह स्पष्टत कपास और कच्चे जूट की पूर्ति म वृद्धि होने के कारण हुआ है। सरकार द्वारा बहुत सी रुग्ण सूती कपडा मिलो को अपने हाथ मे ले लिया जाना और तद्पश्चात उनका फिर से खोला जाना तथा विदेशो मे पटसन की वस्तुओ की भारी माग होना भी इस सुधार के महत्वपूर्ण कारण थे।

१९७२ म खाद्य वस्तुओ, पेयो और तम्बाकू, लकडी और काक से बनी वस्तुओ और धातुओ से बनी वस्तुओ का उत्पादन १९७१ की इसी अवधि म हुए उत्पादन के स्तर की तुलना म कम हुआ। खाद्य उद्योगो के समूह म चाय के बाद चीनी का भारत्व सबसे अधिक (३ ५८ प्रतिशत) है और इस अवधि मे इसके उत्पादन म २० प्रतिशत की जो कमी हुई वह अन्य वस्तुओ के उत्पादन म हुई वृद्धि से प्रति-सतुलित नही हो सकी। धातु उत्पाद के समूह के उत्पादन मे हुई कमी चिन्ता का कारण है। १९७० मे इस समूह के उत्पादन मे कमी होने के बाद १९७१ मे इसके उत्पादन म सुधार हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि तार के रस्सो जैसी कुछ वस्तुओ की पर्याप्त माग न होने के कारण और मशीनो पेचो और लकडी के पेचो जसी कुछ अन्य वस्तुओ के मामलो मे उत्पादन क्षमता सम्बन्धी रुकावटो के कारण इस वस्तु समूह के उत्पादन म और वद्धि नही हो रही है।

१९७२ म रसायनो के क्षेत्र ने औद्योगिक उत्पादन मे प्रमुख भूमिका अदा की। इसके उत्पादन म १९७१ की इसी अवधि के उत्पादन की तुलना म २० प्रतिशत की वद्धि हुई। विद्युत और औद्योगिक एल्कोहल, केल्शियम कार्बाइड साबुन याद विरजक चूर्ण, तरल क्लोरीन आक्सीजन गस और उवरको (नाइट्रोजनी और फास्फटी दोनो) के उत्पादन म १० प्रतिशत की दर स वद्धि हुई। विद्युत और औद्योगिक एल्कोहल का उत्पादन लगभग दुगुना हो गया और उवरको के उत्पादन मे १५ प्रतिशत की वद्धि हुई। लेकिन रगो और मध्यवर्ती पदार्थों क उत्पादन मे कमी हुई जबकि गधक के तेजाब कास्टिक सोडा और सोडा ऐश जसे कुछ बुनियादी रसायनो के मामले मे मामूली-सी वद्धि हुई। कास्टिक सोडा और सोडा ऐश के मामल म मौजूदा क्षमता का पूरा उपयोग किया गया है और इस समय यह बात इन वस्तुओ का उपयोग करने वाले उद्योगो के उत्पादन मे वृद्धि का अवरुद्ध कर रही है। जिन अन्य मामलों म क्षमता के कारण उत्पादन मे वद्धि के माग म रुकावट पड रही है वे हैं कशियम कार्बाइड और सश्लिष्ट अपमार्जक (डीटर्जेंट)। सरकार ने सश्लिष्ट अपमार्जको

को उन उद्योगो की सूची म शामिल कर लिया जिनकी क्षमता को ग्रौद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने की सामान्य ग्रौपचारिकताग्रो का पूरा किये बिना ही दुगना किया जा सकता है।

यद्यपि बिजली की मशीनो के उत्पादन म १९७२ म वद्धि होती रही लेकिन वद्धि की दर १९७१ की अपेक्षा काफी कम थी। यद्यपि सूखे सेलो बिजली के लम्पो, बिजली के पखो, एल्यूमिनियम के केबलो ग्रादि की स्थिति म सुधार प्रतीत होता है लेकिन घरो म लगाये जान वाले मोटरो ग्रौर तांबे क खुले सवाहको का उत्पादन काफी कम हुग्रा। बिजली की मोटरो के उत्पादन म, जो १९७१ मे कम हो गया था कोई सुधार नही हुग्रा। बिजली की मोटरो का उत्पादन १९७१ मे जिम निम्न स्तर पर पहुच गया था, उसमे वद्धि नही हुई।

पेट्रोलियम उत्पादो ग्रौर कागज उत्पादो के मामलो म, १९७२ मे उत्पादन म वद्धि हुई, लेकिन सबसे हाल की प्रवत्तिया ग्रधिक ग्रनुकूल नही हैं ग्रौर हो सकता है कि समूचे वष का उत्पादन १९७१ की तुलना म कम रहे। उत्पादन को प्रभावित करने का मुख्य कारण पेट्रोलियम उद्योग के मामले मे कच्चे माल के ग्रायात से सम्बधित समस्याए ग्रौर कागज उद्योग के मामले मे क्षमता सम्बन्धी रुकावटें हैं।

क्षमता का उपयोग

१९७३ के पूर्वाद्ध म ग्रौद्योगिक उत्पादन मे सुधार होने का एक महत्वपूण कारण क्षमता का बेहतर उपयोग किया जाना था। लेकिन रेलवे वैगनो खनन मशीनो, इस्पात की ढली वस्तुग्रो ग्रौर भारी ढाचो जसे कई उद्योगो म ग्रभी भी क्षमता का बहुत कम उपयोग किया जा रहा है।

ग्रौद्योगिक लाइसेंस नीति

महत्वपूर्ण उद्योगो म उत्पादन क्षमता के पूण उपयोग व विस्तार के जरिये ग्रौद्योगिक उत्पादन को बढाने के लिए प्रोत्साहन देने क उद्देश्य स सरकार ने जनवरी, १९७२ म यह फसला किया कि मौजूदा क्षमता के १०० प्रतिशत तक की ग्रतिरिक्त निर्माण क्षमता की स्थापना के लिए ग्रौद्योगिक लाइसेंस की ग्रौपचारिकता के बिना स्वीकृति दे दी जाएगी बशर्ते कि यह वद्धि पूजीगत वस्तुग्रो के ग्रायात के बिना की जाए। जिन उद्योगो क बारे म यह फसला किया गया था उनकी सख्या शुरू म ५४ थी लेकिन बाद म इस सूची म ११ ग्रौर उद्योगो को शामिल किया गया। लेकिन, ग्रपेक्षाकृत बडे ग्रौद्योगिक गृहो से सम्बधित फर्मों ग्रौर विदेशी प्रभुत्व वाली कम्पनियो को, ग्रपनी क्षमता म स्वत वृद्धि करने का लाभ प्रदान नही किया गया था। उनके मामलो की जाच उनकी पात्रता के ग्राधार पर की जानी थी ग्रौर इस प्रयोजन के लिए 'विशेष काय दल' (टास्क फोर्स) स्थापित किया गया था।

यद्यपि उदारीकरण की इस नयी नीति के सम्बन्ध म उद्योगो की प्रारम्भिक प्रतिक्रिया बहुत उत्साहवद्धक नही थी ग्रौर इस सबध म बहुत थोडे ग्रनुरोध प्राप्त हुए थ लेकिन वष के उत्तरवर्ती भाग म स्थिति म सुधार हुग्रा, जब ग्रन्य उद्योगो के साथ साथ धातुकर्मिक उद्योगो, बायलरो ग्रौर भाप उत्पादक सयत्रो प्रान्म मूवरो बिजली क उपकरणो ग्रादि के लिए क्षमता म काफी विस्तार करने की स्वीकृति दी गयी।

काय दल को बडे ग्रौद्योगिक गृहो ग्रौर विदेशी प्रभुत्व वाली कम्पनियो से विस्तार

१९७२ के अंत तक २६७ आवेदनपत्र प्राप्त हुए। सरकार ने इनमें से ८६ को स्वीकृति दी और १०२ को अस्वीकार किया, शेष विभिन्न प्रक्रमों पर विचाराधीन हैं। कायन्ल ने जिन वस्तुओं के लिए अतिरिक्त क्षमता की स्थापना की स्वीकृति दी उनमें ये शामिल हैं कुछ प्रकार की मशीन, प्रक्रिया नियंत्रण उपकरण कपड़ा उद्योग संबंधी उपकरण इलक्ट्रानिक उपकरण बाल और रोलर बयरिंग स्विच गीयर रागन और अनमल, विभिन्न रसायन और मोटर गाड़ियों के हिस्से और सहायक उपकरण प्रशासकीय और प्रयोगशाला संबंधी काच आदि।

नई लाइसेंस नीति

चालू वर्ष की एक महत्वपूर्ण घटना थी सरकार द्वारा २ फरवरी १९७३ को संशोधित औद्योगिक लाइसेंस नीति की घोषणा का किया जाना। आवश्यक अनिश्चितता को दूर करने के लिए सरकार ने ऐसे उद्योगों की एक समेकित सूची प्रकाशित की है जिसमें आवेदन कर्ताओं के साथ-साथ अपेक्षाकृत बड़े औद्योगिक गृह और विदेशी कम्पनियों की शाखाएं और सहायक कम्पनियां भाग ले सकती हैं। इस सूची में ये उद्योग शामिल हैं वे अति महत्वपूर्ण उद्योग जो भविष्य में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं वे उद्योग जिनका इन अतिमहत्वपूर्ण उद्योगों के साथ सीधा सम्बन्ध है। दीर्घावधिक निर्यात क्षमता वाले उद्योग इस सूची में शामिल उन मदों को जो औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प १९५६ की अनुसूची क के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र में निर्माण के लिए अथवा समय समय पर अधिसूचित किये गए अनुसार लघु उद्योगों के क्षेत्र में उत्पादन के लिए आरक्षित हों इस सूची की प्रयोज्यता से बाहर रखा जायगा। इसके साथ साथ अपेक्षाकृत बड़े औद्योगिक गृहों की परिभाषा को जैसी कि वह १९७० की औद्योगिक लाइसेंस नीति में दी गयी है संशोधित किया गया है ताकि उसे एकाधिकार और प्रतिबन्धात्मक व्यापार पद्धति अधिनियम, १९६९ में दी गयी परिभाषा के अनुरूप बनाया जाय। इस प्रकार इसके बाद औद्योगिक लाइसेंस नीति के प्रयोजन के लिए अपेक्षाकृत बड़े औद्योगिक गृहों का अर्थ ऐसे उपक्रम होगा, जिनकी परिसम्पत्तियां उनसे सम्बद्ध उपक्रमों की परिसम्पत्तियों सहित २० करोड़ रु० से कम न हों। बड़े उपक्रमों को उन क्षेत्रों में दाखिल होने से रोकने के लिए जो मुख्यतः छोटे दरमियाने और नये उद्यमकर्ताओं के लिए रखे गये हैं यह निश्चय किया गया है कि लाइसेंस देने से सम्बन्धित उपबन्धों में छूट की सीमा जो अब स्थिर परिसम्पत्तियों के रूप में एक करोड़ रुपये तक के सारभूत विस्तार और नये उपक्रमों पर लागू होती है उन मौजूदा लाइसेंस प्राप्त और पंजीयत उपक्रमों पर लागू नहीं होगी जिनकी स्थिर परिसम्पत्तियां ५ करोड़ रु० से अधिक की हैं।

लघु उद्योगों के क्षेत्र के लिए आरक्षण की मौजूदा नीति जारी रखी जाएगी और इस प्रकार के आरक्षण के क्षेत्र का लघु उद्योगों के क्षेत्र के कार्य निष्पादन और निहित क्षमताओं के अनुरूप विस्तार करने का विचार है। प्रत्येक मामले में अलग से संयुक्त क्षेत्र के एककों की स्थापना करने का समर्थन करते हुए नई नीति में विशिष्ट रूप से यह घोषणा की गयी है कि अपेक्षाकृत बड़े औद्योगिक गृहों प्रभुत्व प्राप्त उपक्रमों और विदेशी कम्पनियों को संयुक्त क्षेत्र की आड़ लेकर उन क्षेत्रों में प्रवेश करने नहीं दिया जायगा जिनसे उनको अन्यथा बाहर रखा गया है। सरकार इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करेगी कि संयुक्त

क्षेत्र के सभी उपक्रमों में नीतियां, प्रबन्ध और कार्य-सचालन के मार्गदर्शन में उनकी भूमिका प्रभावपूर्ण हो।

सगठित क्षेत्र में रोजगार

सगठित क्षेत्र में १९७०-७१ के दौरान रोजगार में २.५ प्रतिशत और १९७१-७२ में ३.४ प्रतिशत की वृद्धि हुई जिससे रोजगार में लगे कुल व्यक्तियों की सख्या जो मार्च १९७१ के अन्त में १७४.९ लाख थी, बढ़कर मार्च १९७२ के अन्त में १८०.८ लाख पर पहुच गई। १९७१ में औद्योगिक गतिविधि में सुस्ती की प्रवृत्तियों के अनुसार गैर-सरकारी क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं हुई और इस क्षेत्र में १९७१-७२ में केवल ०.२ प्रतिशत अतिरिक्त रोजगार की व्यवस्था हुई जबकि इसकी तुलना में सरकारी क्षेत्र द्वारा ४.३ प्रतिशत अतिरिक्त रोजगार की व्यवस्था भी की गई।

सार्वजनिक क्षेत्र को लाभ

पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र परियोजनाओं ने १९७२-७३ के दौरान सामूहिक रूप से शुद्ध लाभ कमाया। अस्थायी आकड़ों के अनुसार १९७२-७३ में ९ करोड़ रु० का लाभ हुआ जबकि पिछले वर्ष १८ करोड़ ४२ लाख रु० की हानि हुई थी।

६० से भी अधिक सार्वजनिक परियोजनाओं ने १९७२-७३ के दौरान एक-एक करोड़ रु० से भी अधिक मुनाफा कमाया। उनका शुद्ध लाभ ९० करोड़ रु० से अधिक था।

सर्वाधिक लाभ इंडियन आयल कम्पनी ने, २० करोड़ रु० का कमाया। इसके बाद तेल एव प्राकृतिक गैस आयोग तथा खान एव धातु व्यापार निगम ने क्रमश ९ करोड़ १८ लाख रु० तथा ७ करोड़ ४९ लाख रु० का लाभ कमाया। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० और हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लि० ने सामूहिक रूप से १४ करोड़ ७० लाख रु० का लाभ कमाया।

अन्य कई प्रतिष्ठानों की हानि पहले से कम हुई है। हिन्दुस्तान स्टील की हानि १९७१-७२ की ४४ करोड़ ८४ लाख रु० से घटकर १९७२-७३ में २७ करोड़ ७६ लाख तथा माइनिंग एड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि० की हानि इसी अवधि में ५ करोड़ ३८ लाख रु० से घटकर २४ लाख रु० रह गई।

हानि की अधिकतम मात्रा के लिए १६ प्रतिष्ठान उत्तरदायी रहे। इनमें से प्रत्येक ने ५०.५० लाख रु० से अधिक की हानि उठायी। १९७२-७३ के दौरान इनकी कुल हानि ८१ करोड़ १८ लाख रु० रही। इनमें से तीन हिन्दुस्तान स्टील, हैवी इजीनियरिंग कारपोरेशन तथा नवेली लिग्नाइट का सामूहिक रूप से ५४ करोड़ ९४ लाख रु० की हानि हुई। इनमें से प्रत्येक की व्यक्तिगत हानि क्रमश २७ करोड़ ७६ लाख रु० १४ करोड़ ५४ लाख रु० तथा १२ करोड़ ६४ लाख रु० रही। बोकारो स्टील कारखाने को ५ करोड़ ४५ लाख रु० की हानि हुई लेकिन अभी भी यह कारखाना निर्माणाधीन है अत इसकी स्थिति का उचित रूप से पता १९७३-७४ वर्ष के परिणामों से लगेगा।

हिन्दुस्तान स्टील ने अब तक बिक्री के लिए १ अरब १० करोड़ टन कच्चे लोहे का उत्पादन किया है जिसका मूल्य २७ अरब रु० है।

हैवी इजीनियरी निगम ने ९५ करोड़ रु० मूल्य के सामान का उत्पादन किया है और हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने देश में ४० प्रतिशत मशीनों का उत्पादन किया। इन आकड़ों से

भारत के आधुनिक औद्योगिक शिपयार्ड और हिन्दुस्तान जहाजरानी निगम का योग तथा तेल साफ करने पट्रोलियम निकालने और रासायनिक खाद के उत्पादन में हुई प्रगति से पता चलता है कि भारत औद्योगिक क्रांति के दौर में पहुंच गया है। हिन्दुस्तान शिपयार्ड ने ५८ जहाजों का निर्माण किया है जिसमें से ४० जहाज ऐसे हैं जो समुद्र में पार करते हैं। हिन्दुस्तान जहाजरानी निगम ने कुल ढोये गए माल से लगभग आधा भार ढोया है।

विदेशी सहयोग

औद्योगिक प्रगति के लिए पर्याप्त आर्थिक व तकनीकी साधन जुटाने की समस्या से हर विकासोन्मुख देश को जूझना पड़ता है। योजनाबद्ध विकास के गत दो दशकों में भारत भी विभिन्न विकसित देशों व अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से लघुकालिक अथवा दीर्घकालिक ऋणों के रूप में आर्थिक सहायता और तकनीकी सहायता लेता रहा है। निश्चय ही अपनी औद्योगिक उन्नति की आवश्यक रफ्तार बनाये रखने के लिए हमारे देश की अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की सहायता का एक विशिष्ट भाग रहा है परन्तु इस सहायता को उत्तरोत्तर कम करने और अंततः समाप्त कर देने के उद्देश्य ने सदा हमारे नीति नियोजकों को प्रेरित किया है। वास्तव में यह विदेशी सहायता केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता के अपने लक्ष्य को शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त कर सकने, अथवा 'सहायता को समाप्त करने के लिए सहायता' के दृष्टिकोण से हमने ली है।

१९६७ ६८ में भारत को विभिन्न स्रोतों से कुल १ १९६ करोड़ रु० की विदेशी सहायता प्राप्त हुई, जबकि पिछले वर्ष (१९७२ ७३) में इससे लगभग आधी— ७६ करोड़ रु०–राशि के ऋण लिए गये। कुल विदेशी सहायता का एक बड़ा भाग पिछले ऋणों का भुगतान करने में चला जाता है अतः विकास के लिए इसका अंश मात्र ही उपलब्ध हो पाता है। १९६७ ६८ में विदेशी सहायता का लगभग एक तिहाई ३३३ करोड़ रु० पिछले ऋणों को चुकता करने के लिए किस्तों के रूप में दिया गया और इस प्रकार वास्तविक विदेशी सहायता केवल ८६३ करोड़ रु० की थी। १९७२ ७३ में यह घट कर १२३ करोड़ रु० रह गयी क्योंकि इस वर्ष प्राप्त सहायता में से ५०३ करोड़ रु० की राशि (अथवा ८० प्रतिशत से भी अधिक) पिछले ऋणों का मूल और ब्याज चुकता करने के काम में लायी गयी। देश के कुछ भागों में सूखा पड़ने भारत पाक युद्ध और बंगला देश से आये शरणार्थियों पर किए गये विशाल खर्चे के बावजूद पिछले पांच वर्षों में विदेशी सहायता पर वास्तविक निर्भरता में लगभग ८५ प्रतिशत कमी हुई है। मुद्रा की क्रय शक्ति में इन पांच वर्षों में हुए ह्रास को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि १९६७ के मुकाबले में विदेशी सहायता की मात्रा अब नगण्य है।

परिपेक्ष्य चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान २,६१४ करोड़ रु० की कुल विदेशी सहायता मिलने का अनुमान लगाया गया था परन्तु इस वर्ष लगभग ८१५ करोड़ रु० की सहायता मिलने की आशा है जिससे यह राशि बढ़कर ३ ९०० करोड़ रु० के लगभग हो जायगी। परन्तु इसका लगभग दो तिहाई पिछले ऋणों की कीमतें देने पर ही खर्च किया गया है और योजना के पांच वर्षों में वास्तविक सहायता १ ५०० करोड़ रु० से अधिक नहीं

भारत को इस प्रकार वित्तीय सहायता देने वाले देशों में अमरिका पश्चिमी जर्मनी जापान व इंगलैंड आदि प्रमुख रहे हैं। भारत सहायता संघ की १५ जून ७३ को हुई बैठक में

सहायता देने वाले देशों के आशाप्रद रवैये को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि जो थोड़ी बहुत विदेशी सहायता अपनी विकास योजनाओं की निर्बाध प्रगति के लिए हमें चाहिए उसके मिलने में कोई विशेष अड़चन नहीं होगी। पिछले दो वर्षों में अमेरिका से किसी प्रकार की वित्तीय अथवा अन्य सहायता नहीं ली गयी। परन्तु अब अमेरिका ने स्वयमेव लगभग ६४ करोड़ रु० का काफी पहले से स्वीकृत परन्तु रुका हुआ ऋण देने का निश्चय किया है और इस वर्ष में ८०० करोड़ रु० अधिक की कुल ऋण सहायता देने के बारे में कहा है। जापान से भी पिछले दशक में अपेक्षाकृत सुविधाजनक शर्तों पर कई बार ऋण लिया गया है जिसका अपना औद्योगिक विकास की गति बनाये रखने के लिए हमने भरपूर उपयोग किया है। अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लिए गये ऋणों की तरह ये जापानी ऋण भी दीर्घकालिक हैं और इस प्रकार इनमें प्राप्त धन आसानी से अधिक उन उद्योगों में लगाया जा सकता है जिनमें पूर्ण उत्पादन शुरू होने में काफी समय लगता है।

उत्पादन में रुकावट का कारण

देश की समृद्धि और प्रगति के लिए उत्पादन नितान्त आवश्यक होता है। उत्पादन के अभाव में बचत पूंजी निर्माण, निर्यात में गिरावट आ जाती है तथा अनेक प्रकार की हलचलें और आन्दोलन जोर पकड़ लेते हैं।

उत्पादन में रुकावट के कई कारण हैं, जैसे बिजली, कच्चा माल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी, कल पुर्जों का पुराना और बेकार हो जाना तथा औद्योगिक विवाद। पर उपरोक्त सभी कारणों में औद्योगिक विवाद यानी हड़ताल और तालाबन्दी से उत्पादन और मानव दिन को सर्वाधिक क्षति पहुंचती है।

प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि १९७० और १९७२ में २ करोड़ से अधिक मानव दिन बर्बाद गये थे। १९७१ में बर्बाद मानव दिनों की संख्या १६५ करोड़ थी और १९७३ में अगस्त मास तक की संख्या ११२ करोड़ रही। सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में यह हानि अत्यधिक रही जैसा कि नीचे दी गयी तालिका से मालूम होगा

मानव-दिन की बर्बादी

(दस लाख में)

वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
१९७०	१	१८५	२०६
१९७१	२३	१४२	१६५
१९७२	३३	१७२	२०५
१९७३*	१४	९८	११२

*(जनवरी से अगस्त तक)

ऊपर दी गई तालिका से पता चलता है कि निजी क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की अपेक्षा ५ से ९ गुना तक अधिक मानव दिन बर्बाद हुए हैं। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष मानव दिन की बर्बादी संबंधी जो आंकड़े प्राप्त हैं उनसे पता चलता है कि १९७० में जब सार्वजनिक क्षेत्र में ४३ मानव दिन नष्ट हुए थे। निजी क्षेत्र में बर्बाद हुए दिनों की संख्या ४० थी। उसी तरह जब १९७१ में सार्वजनिक क्षेत्र में बर्बाद हुए मानव दिन की संख्या २१ थी, निजी क्षेत्र में उसकी संख्या २९ थी। इससे स्पष्ट होता है कि प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष मानव दिन की बर्बादी

की सख्या निजी क्षेत्र म सावजनिक क्षेत्र की अपेक्षा दस गुना अधिक थी ।

इस सन्दभ मे सावजनिक और निजी क्षेत्र म काम कर रहे व्यक्तिया की सख्या सबधी जानकारी प्रासगिक प्रतीत होती है । नीचे दी गयी तालिका से इस पर अच्छा प्रकाश पडता है —

नियोजन

(दस लाख म)

वष	सावजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र
१९६२	७४	५२
१९६७	९६	६७
१९७०	१०४	६७
१९७१	१०७	६८
१९७२	११२	६८

ऊपर दी गई तालिका स यह भी पता चलता है कि हाल के वर्षों म निजी क्षेत्र की तुलना म सावजनिक क्षेत्र म लगे लोगो की सख्या म काफी वद्धि हुई है ।

औद्योगिक विवादा से मानव दिन की जो बर्बादी होती है उसस राष्ट्रीय उत्पादन और सम्पत्ति को काफी नुकसान होता है । १९७१ के १ ६५६ मामला की और १९७२ के १ ७१४ मामला की जो जानकारी प्राप्त है उनसे पता चलता है कि १९७१ और १९७२ म क्रमश ६०,५३ ९८ ५१० रुपये की और ९८,०१,०२ ००८ रुपये की क्षति हुई थी ।

औद्योगिक सबध तत्र

औद्योगिक विवादा का निपटान क लिए केन्द्र तथा राज्य म औद्योगिक सबध तत्र कायम है । केन्द्रीय तत्र जिसे मुख्य श्रमायुक्त सगठन कहते है औद्योगिक विवादा को रोकने उनकी छानबीन करने और निपटाने के लिए उत्तरदायी है । जो विवाद नही निपट पाते उनम कुछ पच फैसल क लिए और कुछ औद्योगिक एव श्रम न्यायालय को भेज दिए जाते हैं ।

१९७० म केन्द्रीय श्रम सगठन क समक्ष निणय के लिए ७६२० औद्योगिक विवाद आये । उनम ५५५६ अनौपचारिक तथा विधिवत निपटाये गये । इस प्रकार उठे और निपटाय गये विवादा की सख्या १९७१ में ६६२० और ५०५४ थी और १९७२ में ५९६२ तथा ४१२६ ।

राष्ट्रपति श्री वी० वी० गिरि प्रधानमत्री श्रीमती इदिरा गाधी तथा अन्य नेताओ ने अनेक अवसरा पर मजदूरा तथा प्रबधका से आग्रह किया है कि राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर वे हडताल और तालाबदी न कर ।

गत योजना सप्ताह के अवसर पर राष्ट्र के नाम अपने सदेश में प्रधानमत्री ने कहा था कि हडताल और तालाबन्दी से राष्ट्र को जो क्षति होती है उससे जनता के किसी भी वग को थोडे समय क लिए भी वास्तव में लाभ नही होता ।

सप्तसूत्री योजना

प्रमुख अथशास्त्रिया ने देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रधानमत्री श्रीमती इन्दिरा गाधी को दिए गए अपने नोट में औद्योगिक उत्पादन बढाने क लिए सात कायक्रम

तुरन्त लागू करने का सुझाव दिया है। यह नोट भूतपूर्व केन्द्रीय मन्त्री डा० वी० के० आर० वी० राव तथा अन्य प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने तैयार किया है तथा नवम्बर १९७३ में केन्द्रीय मन्त्रिमंडल ने इस नोट के आधार पर इन अर्थशास्त्रियों से विचार विमर्श किया था। काले धन और मुद्रास्फीति की समस्या को हल करने के लिए तात्कालिक कार्रवाई के रूप में बड़े नोटों का प्रचलन बन्द करने के उपाय का अर्थशास्त्रियों ने समर्थन किया है, परन्तु कहा है कि दीर्घकालीन हल के लिए करों के ढांचे में परिवर्तन करने होंगे। औद्योगिक उत्पादन में तेजी लाने के लिए अर्थशास्त्रियों द्वारा पेश किया गया सप्तसूत्रीय कार्यक्रम इस प्रकार है

(१) यह दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए कि एकाधिकार या आंशिक एकाधिकार व्यक्तियों का नहीं परन्तु उत्पादनों का है जिसे बनाने की क्षमता पर एकाधिकार स्थापित होता है।

(२) ऐसे एकाधिकारी फर्मों एवं कारखानों को सार्वजनिक अथवा संयुक्त क्षेत्र में लिया जाना चाहिए जहां ऐसे कारखाने आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं हो सकें।

(३) नयी फर्मों को उस सामान के उत्पादन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाये जिन पर अभी एकाधिकार या आंशिक एकाधिकार है। परन्तु इसके लिए लाइसेंस समयबद्ध हो तथा समय के अन्तर्गत काम शुरू न होने पर दंड की व्यवस्था होनी चाहिए।

(४) आंशिक एकाधिकार वाली फर्मों को संयुक्त क्षेत्र में लाने के प्रयास किये जायं ताकि जनता के प्रति उनकी जवाबदेही बढ़ायी जा सके।

(५) आंशिक एकाधिकार वाली कई फर्मों को सामूहिक रूप से ऐसे पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना के लिए लाइसेंस दिये जायें जो प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से सम्पन्न है।

(६) एक तकनीकी विभाग बनाया जाये जो एकाधिकारी एवं आंशिक एकाधिकारी फर्मों पर निरंतर निगाह रखे तथा उनके प्रसार को रोकने के लिए उदारतापूर्वक लाइसेंस जारी करे।

(७) कुछ वस्तुओं का उत्पादन केवल लघु उद्योग क्षेत्र के लिये सुरक्षित रखने की नीति जारी रखा जाये तथा इसका प्रसार किया जाय।

मूल्यवृद्धि की समस्या का उल्लेख करते हुए अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि केवल कृषि उत्पादन बढ़ने से यह समस्या हल नहीं होगी। इसके लिए ठोस वितरण नीति भी अपनानी होगी।

चुने हुए उद्योगों का उत्पादन

			१९७१–७२					१९७२–७३	
		१९७० ७१	१९७१ ७२	पहली तिमाही	दसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
(क) खनन									
१ कोयला (लिगनाइट सहित)	दस लाख मेट्रिक टन	७६ ३	७४ ०	१८ २	१८ १	१८ ४	१९ ४	१९ ५	१९ २
२ कच्चा लोहा	दस लाख मेटिक टन	२२ ५	२३ २	५ ८	८ ३	६ १	६ ०	५ ५	५ ७
(ख) धातुकमक उद्योग									
३ ढला लोहा	दस लाख मेट्रिक टन	६ ६६	६ ८०	१ ७०	१ ५३	१ ७५	१ ७२	१ ६१	१ ७८
४ इस्पात के डल	दस लाख मेट्रिक टन	६ १४	६ ४१	१ ५७	१ ४७	१ ६३	१ ७९	१ ५४	१ ७३
५ तयार इस्पात	दस लाख मेट्रिक टन	४ ४८	४ ७९	१ १८	१ ११	१ १३	१ ३७	१ ०८	१ २१
६ इस्पात की ढली हुई वस्तुए	हजार मेट्रिक टन	६२	५८	१२	१२	१४	१६	१८	१३
७ एल्युमिनियम (प्राकृतिक धातु)	हजार मेट्रिक टन	१६६ ८	१८१ ५	४३ ८	४४ ७	४६ ८	४६ ६	४७ २	४० ५
८ तावा (प्राकृतिक धातु)	हजार मेट्रिक टन	९ ३	८ ३	२ ५	२ ५	२ ३	१ ०	२ ५	३ ४
(ग) यांत्रिक इंजीनियरी उद्योग									
९ मशीनी औजार	दस लाख रुपये	४३०	५५०	१२७	१२८	१४१	१५३	१८०	१८७
१० सूती कपडा बनाने की मशीन	दस लाख रुपये	३०३	३३५	९५	८९	८१	७०	६१	५१
११ चीनी मिलों की मशीनें	दस लाख रुपये	१३९	१७७	३८	५२	४१	४९	४८	५३
१२ सीमेंट बनाने की मशीनें	दस लाख रुपये	४२	२२	८	५	४	५	५	४

१३	रेल के डिब्बे	हजार की संख्या मे	१११	८५	२२	१९	२०	२४	२७	२९
१४	मोटर गाडिया (कुल)	हजार की संख्या मे	८७६	९१३	२०१	२१९	२४२	२५१	१९३	२०८
	(i) वणिज्यिक गाडिया	हजार की संख्या में	४१२	३९५	९२	१०४	१००	९९	७२	९०
	(ii) कारें जीप और लंड रोवर	हजार की संख्या मे	४६७	५१८	१०९	११५	१४२	१५२	१२१	११८
१५	मोटर साइकिल और स्कूटर	हजार की संख्या मे	९७०	११२७	२७८	२८०	२८४	२८५	३०३	२३०
१६	शक्तिचालित पम्प	हजार की संख्या में	२५९	२०८	४४	३८	६६	६०	५३	५६
१७	डीजल इजन (स्थिर)	हजार की संख्या मे	६५७	६६६	२०८	१९९	१६६	१२६	१४४	१८६
१८	डीजल इजन (मोटरगाडियो के)	हजार की संख्या में	३२	१५	०७	०८	शून्य	शून्य	०८	०१
१९	बाइसिकिल	हजार की संख्या में	२०४२	१७६६	४१५	४१९	४५८	४७४	६०६	५८८
२०	सिलाई की मशीने	हजार की संख्या मे	२३५	३१२	८९	७२	३६	७५	८२	८२
(ड)	बिजली इजीनियरी उद्योग									
२१	बिजली के ट्रासफामर	हजार किलोवाट एम्पियर	८०८६	८८७१	२२२४	१९२३	२१९१	२५३३	२०७९	१८९६
२२	बिजली की मोटर	हजार अश्व शक्ति	२७२१	२३४८	६४३	५५३	५०७	६४५	६३९	६२७
२३	बिजली के पखे	हजार की संख्या मे	१७१६	२०६७	५०९	६४७	४७९	६३२	६६१	५४३
२४	बिजली की बत्तिया	दस लाख की संख्या मे	११९३	१२०६	२८९	२९१	२८६	३४०	३४५	३४६
२५	रेडियो रिसीवर	हजार की संख्या मे	१७९६	२००६	४६०	५२४	५४१	४७९	६८५	४९७
२६	बिजली के कवल									
	(i) एल्युमिनियम के सवाहक (कडक्टर)	हजार मेट्रिक टन	६४२	७९७	१७१	१८७	२००	२३९	१९९	१८६
	(ii) तांबे के खुले सवाहक	हजार मेट्रिक टन	०७	०७	०२	०२	०२	०१	०१	०२

चुने हुए उद्योगों का उत्पादन

				१९७१–७२*				१९७२–७३*	
		१९७०–७१	१९७१–७२*	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
(च) रासायनिक और सम्बद्ध उद्योग									
२७ नाइट्रोजनी उवरक	हजार मेट्रिक टन	८३०	९५२	१८४	२२५	२५५	२८८	२४८	२५२
२८ फास्फेटी उवरक	हजार मेट्रिक टन	२२९	२७८	६३	७०	६८	७७	७६	७७
२९ गंधक का तेजाब	हजार मेट्रिक टन	१०५३	९७५	२५९	२६७	१९०	२४९	२६५	३१५
३० सोडा एश	हजार मेट्रिक टन	४४९	४८९	११६	१२५	१२०	१२८	११८	११३
३१ कास्टिक सोडा	तदेव	३७१	३८५	९०	९५	१००	१००	९७	१००
३२ कागज और गत्ता	तदेव	७५५	८०३	१९०	२०२	२०४	२०७	१९४	१९६
३३ रबड़ के टायर और ट्यूब									
(i) मोटर गाड़ियों के टायर	दस लाख की संख्या मे	३ ७९	४ ३३	० ९३	१ १०	१ १७	१ १३	१ ०२	१ १९
(ii) मोटर गाड़ियों के ट्यूब	तदेव	३ ४५	४ २४	० ९१	१ ०७	१ १४	१ १२	१ ०४	१ १८
(iii) बाइसिकिलों के टायर	तदेव	१९ २०	२२ ३६	३ ९६	५ ५८	६ ६७	६ १९	५ ०९	५ ८४
(iv) बाइसिकिलों के ट्यूब	तदेव	१३ ८१	१४ ३५	२ ६३	३ ८५	४ ०७	३ ८०	३ ५६	४ ०२
३४ सीमेंट	दस लाख मेट्रिक टन	१४ ८	१५ ०	३ ६	३ ७	३ ७	४ ०	३ ९	३ ६
३५ उच्चतापसह वस्तुएं	हजार मेट्रिक टन	६८३	८०८	२०४	२०३	२०१	२००	२००	१९८
३६ परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद	दस लाख मेट्रिक टन	१७ १	१८ ६	४ ५	४ ८	४ ७	४ ६	४ ४	४ ५
(छ) वस्त्र उद्योग									
३७ जूट से बनी वस्तुएं	हजार मेट्रिक टन	९५८	११२९	२७३	२६७	२९१	२९८	२८२	२७१
३८ सूती धागा	हजार मेट्रिक टन	९२९	९०२	२१४	२२७	२३०	२३१	२४१	२५६

३९ सूती कपडा (कुल)	दस लाख किलोग्राम	७५९६	७५४७	१८५३	१८९४	१८७९	१९२१	२०३०	२०८४
(i) मिल क्षेत्र	तदेव	४०५५	४०३९	९७९	९९७	१०२७	१०३६	१०५९	१०९६
(ii) विकेन्द्रीकृत क्षेत्र	तदेव	३५४१	३५०८	८७४	८९७	८५२	८८५	९७१	९८८
४० रेयन का धागा	हजार मेट्रिक टन	९८१	१०२३	२७६	२७१	१९४	२८२	२९६	२९१
४१ नकली रेशम का कपडा	दस लाख मीटर	९४७	९६८	२५६	२५५	२२४	२३३	उपलब्ध नही	उपलब्ध नही
४२ ऊन से बनी वस्तुए									
(i) ऊनी वर्स्टेड धागा	दस लाख किलोग्राम	१९७							
(ii) ऊनी वर्स्टेड कपडा (पहनने योग्य)	दस लाख मीटर	१४३							
४३ चीनी	हजार मट्रिक टन	३७४०	३११०	६०१	५२	८६६	१९१९	२५९	६४
४४ चाय	दस लाख किलोग्राम	४२१	४२९	१०७	१८५	११६	२१	१२१	१९४
४५ काफी	हजार मट्रिक टन	७२७	९५६	३४४	१७२	१५१	२८८	२६९	१०४
४६ वनास्पती	हजार मट्रिक टन	५४८	५९४	१४०	१३६	१५८	१६०	१४१	१५४
(ञ) बिजली (उत्पादित)	अरब कि वा घ	५५८	६०७	१४६	१४७	१५३	१६१	१६२	१४९

: २४ :

वाणिज्य व्यापार

देश की बढ़ती हुई आर्थिक व्यवस्था के अनुसार भारत के विदेश व्यापार का ढांचा भी बदल गया है। एक के बाद दूसरी विगत योजनाओं में बहुत अधिक पूंजी लगाने के फल स्वरूप विदेश व्यापार की मात्रा, मूल्य और स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं और उसमें काफी वृद्धि हुई है।

इन पिछले २६ वर्षों में भारत का विदेश व्यापार तीन गुना हो गया है लेकिन इससे भी अधिक उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण परिवर्तन इसकी संरचना और दिशा में हुए हैं। आजादी के बाद इन २६ वर्षों में हमारे देश के विदेश व्यापार का 'उपनिवेशवादी' स्वरूप बदलकर स्वतंत्र एवं सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न राष्ट्र के व्यापार के अनुकूल हो गया है।

भारत के निर्यात व्यापार में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है और अब इसमें काफी विविधता है एवं यह विभिन्न दिशाओं में किया जाता है। पहले भारत के बारे में यह धारणा थी कि वह जूट, खालें, चमड़ा और काजू आदि जैसे परम्परागत कच्चे माल और कृषि पदार्थों जैसी सीमित वस्तुएं को ही पश्चिम के बाजारों में बेच सकता है, लेकिन अब यह स्थिति बदल गयी है। अब यह माना जाता है कि भारत विश्व के सभी देशों से खासकर पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों एवं एशिया, अफ्रीका एवं लेटिन अमेरिका के प्रगतिशील देशों से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने का यत्न कर रहा है।

आजादी के समय भारत के कुल निर्यात-व्यापार का ६० प्रतिशत माल चार वस्तुएं प्रधान चाय, कपास, जूट का सामान और सूती कपड़ा का होता था लेकिन आज हमारे कुल निर्यात में इन वस्तुओं का भाग ३० प्रतिशत से भी कम है। आज भारत का निर्यात कुछ थोड़ी-सी मुख्य वस्तुओं या कृषि पर आधारित उद्योगों की वस्तुओं पर ही निर्भर नहीं करता।

नये औद्योगिक उत्पादन

अब हमारे निर्यात व्यापार में तैयार किए हुए माल और नई औद्योगिक वस्तुओं का स्थान अधिक प्रमुख है। आज भारत के कुल निर्यात व्यापार में नयी औद्योगिक वस्तुओं की मात्रा ४० प्रतिशत से भी अधिक है जबकि १९४७-४८ में हमारे निर्यात में इन चीजों का भाग ५ प्रतिशत से कम होता था।

नयी वस्तुओं के निर्यात में केवल सामान्य प्रकार का बना हुआ माल ही शामिल नहीं है। भारत में बना विभिन्न प्रकार की टिकाऊ उपभोग की वस्तुएं, संयत्र और मशीनें, यातायात के उपकरण, भारी विद्युत सम्प्रेषण लाइनें और मीनारें, रेल की पटरी आदि

वस्तुए अब सिर्फ विकासशील देशो को ही नही भेजी जातीं बल्कि पश्चिमी औद्योगिक दृष्टि से उन्नत देशो के बढ़िया बाजारो म स्थान पाती हैं। इनम से कई वस्तुए विश्व के अनेक देशा से आमन्त्रित निविदाओं के आधार पर भेजी जाती हैं जिनम विकसित देशा के साथ कडी प्रतिस्पर्धा करनी पडती है और तब उनका आर्डर मिलता है। निर्यात क कुछ एसे ठेके भी होत ह जिनम मशीन और उपकरण निर्यात करन क साथ साथ तकनीकी ज्ञान और कायक्रम निर्धारित करने डिजाइन बनाने, निर्माणकाय करने जसी सेवाए भी उपलब्ध करानी होती हैं। भारत तेजी से पूजीगत उपकरणा, सयन्त्र एव मशीनो और तकनीकी ज्ञान का निर्यात करने वाल देश के रूप म उभर रहा है।

भारत का विदेश व्यापार अब काफी व्यापक और बहुमुखी हो गया है। अब यह सिर्फ ब्रिटेन या अमरीका जसे देशा तक ही सीमित नही है। दिनांदिन पूव यरोपीय देशा और अफ्रीका एशिया एव लातिनी अमरिका के देशो के साथ नये व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित होते जा रहे हैं।

खाद्यान्नो का आयात समाप्त

वस्तुओ की विविधता एव विभिन्नता की दृष्टि से हमारे आयात म भी महत्वपूण विकास हुआ है। आजादी स पहले भारत मुख्यतया तयार माल ही मगाया करता था लेकिन अब वह बिलकुल नही मगाया जाता है। भौगोलिक दृष्टि स भी हमार आयात म बडी विविधता आयी है। कुछ दिन पहले तक भारत के कुल आयात म खाद्यान्नो के आयात का प्रमुख स्थान था। अब वह प्राय समाप्त हो गया है जो इस महत्वपूण दिशा म आत्म निभरता का परिचायक है।

हाल के वर्षों म भारतीय उद्यमियो ने अफ्रीका और एशिया के देशो म सहयोग क आधार पर सौ से ऊपर उद्योग खाले हैं। इनम से इथोपिया, कीनिया, लीबिया मारीशस, नाइजीरिया, श्रीलका ईरान और मलयेशिया म स्थापित २७ उद्योगा म उत्पादन प्रारम्भ हो गया है। यहा यह बात ध्यान दने योग्य है कि कुछ भारतीय उद्यमियों ने तो ब्रिटेन कनाडा पश्चिमी जमनी और अमेरिका जस उन्नत दशा म भी सहयोग क आधार पर एस उद्योग खोले हैं।

आजादी के समय भारत स निर्यात की जानेवाली वस्तुओ के उद्योग म गुण नियत्रण की कोई भी सघटित व्यवस्था नही थी। आज भारत से निर्यात की जाने वाली ८५ प्रतिशत वस्तुओ का गुण नियन्त्रण और जहाज पर लादने से पहले जाच की कठिन परीक्षा स गुजरना पडता है। परिणामस्वरूप आज विश्व के बाजारा म भारतीय माल गुण एव बढ़िया बनावट क लिए काफी प्रतिष्ठा पा चुका है। अगल कुछ वर्षों म निर्यात की जानेवाली समस्त वस्तुओ का गुण नियत्रण की परिधि के अन्तगत लाने की योजनाए बना ली गयी हैं।

विभिन्न प्रकार की इजीनियरी वस्तुओ के निर्यात म अभूतपूव वृद्धि हुई है। छठे दशक क प्रारम्भ म जहा कुल ३ से ५ करोड रुपए का निर्यात होता था वहा अब भारत प्रत्यक वप १०० करोड रुपए स अधिक की विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। इससे पाच गुना अधिक विदेशी मुद्रा अर्जन करने के लिए एक योजना बना ली गयी है और उसको व्याव हारिक रूप दिया जा रहा है, जिसक अन्तगत ५०० करोड रुपए की इजीनियरी वस्तुए निर्यात का जायगी।

व्यापारिक क्रांति का आरम्भ

आजादी के बाद की एक प्रमुख बात यह है कि विदेश व्यापार के विभिन्न क्षेत्रों को सभालन के लिए कई सरकारी क्षेत्र के अभिकरण खोले गए है। धीरे धीरे आयात व्यापार का अपने हाथ मे लेने की सरकार की नीति के अन्तगत सरकारी क्षेत्र म कई अभिकरण स्थापित किए गए हैं। इनम (१) भारतीय राज्य व्यापार निगम (२) खनिज एव धातु व्यापार निगम, (३) हथकरघा एव हस्तकला निर्यात निगम (४) भारतीय चलचित्र निर्यात निगम और (५) रद्दी धातु व्यापार निगम शामिल हैं।

हाल के वर्षों मे आयात और निर्यात व्यापार के विशष क्षेत्रों को बढावा देने के लिए कई सरकारी एजेंसिया खोली गयी है। ये हैं—(१) प्रतिवष लगभग १०० करोड़ रुपए की कपास आयात करने के लिए कपास निगम और (२) प्रतिवष ३० करोड रुपए के कच्चे काजू के आयात के लिए काजू निगम।

विकासशील देशो को पूरी परियोजनाओं के निर्यात और बढिया उपकरणो के निर्यात की देखभाल के लिए परियोजना एव उपकरण निगम स्थापित किया गया ह। पकेटों म चाय की बिक्री को बढावा देने के लिए और चाय का निर्यात कर अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए चाय व्यापार निगम बनाया गया ह।

१९७२-७३ मे भारत के विदेश व्यापार की प्रवृत्तिया

वष १९७१ ७२ भारत के निर्यात व्यापार के लिए कठिनाई का वष था जबकि इसम ४ ६ प्रतिशत की वद्धि दर रही। १९७२ ७३ के दौरान इस स्थिति मे काफी सुधार हुआ और इस वष (अप्रैल से दिसम्बर) के पहले नौ महीनों म इससे पूववर्ती वर्ष की इसी अवधि की अपेक्षा निर्याता म लगभग २२ प्रतिशत की वद्धि हुई है और आयाता म लगभग ९ ७ प्रतिशत की कमी हुई है। स्वतन्त्रता के पश्चात पहली बार ही व्यापार सतुलन भारत के पक्ष में रहा है।

१९६७ ६८ से १९७२ ७३ तक के व्यापार सतुलन की स्थिति निम्नलिखित तालिका मे दर्शायी गई है —

(करोड रु० म)

वष	आयात (लागत, बीमा, भाडा)	निर्यात पुनर्निर्यात सहित (जहाज पर मूल्य)	व्यापार सतुलन
१९६७ ६८	२००७ ६	११९८ ७	—८०८ ९
१९६८ ६९	१९०८ ६	१३५७ ९	—५५० ७
१९६९ ७०	१५८२ ७	१४१३ ३	—१६९ ४
१९७० ७१	१६३४ २	१५३५ २	—९९ ०
१९७१ ७२	१८१२ ०	१६०६ ६	—२०५ ४
अप्रल दिसम्बर १९७१ ७२	१३६३ ६	११४० ०	—२२३ ६
*अप्रल दिसम्बर, १९७२ ७३	१२३० ९	१३९५ २	*१६४ ३

*अनंतिम।

निर्यात

चालू चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए १९६८-६९ को आधार वर्ष मानकर, निर्यातों में वृद्धि इस प्रकार रही : १९६९-७० में ४·१ प्रतिशत, १९७०-७१ में ८·६ प्रतिशत और १९७१-७२ में ४·६ प्रतिशत। इसका अर्थ यह है कि ५·८ प्रतिशत प्रतिवर्ष की औसत मिश्र दर से वृद्धि हुई। चौथी योजना के लिए वृद्धि की ७ प्रतिशत दर निर्धारित की गई थी। वर्ष १९७२-७३ के पहले नौ महीनों के दौरान निर्यात व्यापार में हुई २२ प्रतिशत की वृद्धि को यदि वर्ष के शेष तीन महीनों में नहीं बनाए रखा जाता है तब भी यह आशा है कि इस वर्ष के दौरान हुई वृद्धि की दर चौथी योजना के पहले तीन महीनों के दौरान हुई वृद्धि से तथा ७ प्रतिशत के लक्ष्य से भी काफी अधिक रहेगी।

१९७१-७२ में निर्यात निष्पादन : १९७१-७२ के दौरान शरणार्थियों के आने तथा भारत-पाक युद्ध के कारण भारत के साधनों पर असामान्य दबाव पड़ा। १९७१-७२ में प्राप्त ४·६ प्रतिशत की वृद्धि दर हालांकि स्वयं में प्रभावोत्पादक नहीं है फिर भी उस वर्ष के दौरान विद्यमान अनेकों प्रतिकूल कारणों के संदर्भ में यदि इसे देखा जाए तो यह कम महत्वपूर्ण नहीं है। ये कारण थे : (१) कतिपय आधारभूत कच्चे माल की घरेलू सप्लाई में लगातार कमी, (२) औद्योगिक उत्पादन में धीमी प्रवृत्ति, (३) भारत-पाक युद्ध के कारण परिवहन संबंधी गत्यावरोध तथा उसमें पड़ी बाधा, (४) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संकट जिसके कारण विदेश व्यापार में अनिश्चितता छाई रही, (५) विश्व के इस्पात उद्योग में मंदी जिसके कारण लौह अयस्क, लौह-मैंगनीज आदि के निर्यातों पर असर पड़ा, (६) कतिपय विकसित देशों द्वारा अपनायी गई प्रतिबंधात्मक नीतियां, (७) जहाजों में अपर्याप्त स्थान तथा भाड़े की बढ़ी हुई दर।

इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित वस्तुओं के निर्यात में प्रभावशाली वृद्धि हुई : (१) पटसन निर्मित वस्तुएं, (२) चमड़ा तथा चमड़ा निर्मित माल, (३) तम्बाकू, (४) मछली, (५) काजू की गिरियां, (६) हीरे तथा मूल्यवान तथा अर्ध मूल्यवान रत्न तथा (७) सूती परिधान। पटसन निर्मित वस्तुओं के निर्यात में हुई वृद्धि उल्लेखनीय थी अर्थात् १९७०-७१ में १९० करोड़ रु० के निर्यात हुए थे जो १९७१-७२ में बढ़कर २६५ करोड़ रु० के हो गए। इसी प्रकार चमड़ा तथा चमड़े की वस्तुओं के निर्यात जो १९७०-७१ में लगभग ७२·२ करोड़ रु० के थे बढ़कर १९७१-७२ में ६०·८ करोड़ रु० के हो गए।

१९७०-७१ के आंकड़ों की तुलना में इस वर्ष के दौरान निम्नोक्त वस्तुओं के *निर्यातों में उल्लेखनीय रूप से गिरावट आई : लोहा तथा इस्पात, लौह अयस्क, लौह-मैंगनीज,* खली तथा इंजीनियरी माल। लोहे तथा इस्पात के निर्यातों में तीव्र गिरावट के लिए देश में इस्पात की कमी उत्तरदायी थी। जिसके निर्यात १९७०-७१ में ६७ करोड़ रु० के हुए थे जो गिर कर १९७१-७२ में २५ करोड़ रु० के रह गए। इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यातों में गिरावट के लिए भी यही कारण उत्तरदायी थे। लौह अयस्क तथा लौह मैंगनीज के निर्यातों में गिरावट का मुख्य कारण था विश्व इस्पात उद्योग में मंदी। खलियों के निर्यातों में गिरावट के ये कारण थे : अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट, सोयाबीन से प्रतियोगिता, अधिक भाड़ा दरें तथा घरेलू बाजार की मांग में वृद्धि।

पूर्ववर्ती वर्ष की अपेक्षा १९७१-७२ के दौरान, अनेक निर्यात उत्पादों यथा चाय,

पटसन निर्मित वस्तुए, सूती थान, मछली तथा तम्बाकू निर्मित से प्राप्त इकाई मूल्य अधिक थ। तथापि लौह अयस्क के निर्याता से प्राप्त इकाई मूल्य म एकदम गिरावट आई।

१९७२ ७३ के दौरान निर्यातो की प्रवत्तिया १९७२ ७३ क दौरान निर्यात निष्पादन काफी प्रभावोत्पादक रहा है। इसका कारण यह है कि इस अवधि के दौरान देश की आर्थिक स्थिति म समग्ररूप से आम सुधार हुआ बगला देश के साथ व्यापार प्रारम्भ हो गया और विश्व की प्रमुख मुद्राओ के बीच विनिमय की नई दरा की व्यवस्था हो गई।

विदेशी मुद्रा की समता दरा के बराबर उतार चढाव से रुपये म निर्यात आय के मूल्य पर पडने वाले प्रभाव का ठीक ठीक अनुमान लगाना कठिन है।

निर्यात निष्पादन का मूल्यांकन करने म, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रक्रिया के अनुसार, देश से बाहर जाने वाली सभी वस्तुए निर्यात क रूप मे अभिलिखित की जाती है। भुगतान के शेष आकडा से वित्त व्यवस्था क तरीके का हिसाब लगाया जाता है। इस प्रकार भारत के समग्र निर्यात आकडा म बगला देश को किए गए निर्यात भी शामिल हैं जिनम अनुदाना के बदले किए गए कुछ ऐसी वस्तुआ के निर्यात शामिल है जिनकी पुनरावत्ति नही होगी और कुछ ऐसी वस्तुआ के हैं जिनके निर्यात जारी रहेंगे। ६१६ करोड रु० के कुल निर्याता म बगला देश का ३६ करोड रु० के निर्यात हुए। तथापि इस अवधि के दौरान पर्याप्त जानकारी के अभाव म बगला देश को किए गए निर्याता का अभिलेखन अपूर्ण था।

अप्रल सितम्बर, १९७१ की तुलना म अप्रैल सितम्बर, १९७२ के दौरान हुई १६२ करोड रु० की कुल वद्धि मे जिन मदा का मुख्य रूप से योगदान रहा था वे हैं चमडा तथा चमडा निर्मित माल, सूती वस्त्र हीरे मछली, तम्बाकू, खली, काजू की गिरी, अन्न तथा अन्न से निर्मित वस्तुए। निम्नलिखित तालिका म उन प्रमुख मदो को दिखाया गया है जिनक निर्याता म अप्रल सितम्बर १९७२ म पूववर्ती वष की तत्सम्बन्धी अवधि की तुलना म वद्धि हुई

(करोड रु० म)

क्रमाक	वस्तु	अप्रल सितम्बर १९७१	अप्रल सितम्बर १९७२	अप्रल सितम्बर १९७१ की तुलना म अप्रल सितम्बर १९७२ म हुई वद्धि
१	पटसन निर्मित माल	११७ २१	१३४ ९१	+१७ ७०
२	चाय	६६ ११	७५ ८९	+९ ७८
३	सूती वस्त्र			
	(क) सूती कपड क थान (मिल निर्मित)	२७ ७०	३६ ७३	+९ ०३
४	सूत	५ ३८	११ २९	+ ५ ९१
५	सूती परिधान	६ ०१	१३ २६	+७ २५

६	हथकरघा सूती कपड़े के थान	४ ४१	५ ८३	+१ ४२
७	परिष्कृत तम्बाकू	३१ ०४	४३ ८७	+१२ ८३
८	काजू गिरी	३४ ०६	३६ ६४	+४ ४४
९	मसाले	२० ७२	३७ ०१	+६ २६
१०	मछली	१४ ६७	२८ ४६	+१२ ६२
११	खाद्यान्न तथा खाद्यान्न उत्पाद	३ ४४	२३ ७४	+२० ३१
१२	कपास	७ ४६	११ ३७	+३ ८१
१३	कच्ची ऊन	१ ६३	२ १६	+० ४६
१४	कच्चा पटसन	० ५४	२ ४२	+१ ८८
१५	मूंगफली	१ ६५	२ ६३	+० ६८
१६	खनिज ईंधन, स्नेहक तथा सबद्ध सामग्री (कोयला तथा कोक शामिल है)	४ ५६	७ ८५	+३ २६
१७	चमड़ा तथा चमड़ा से निर्मित वस्तुए जूता आदि को छोड़कर	४१ ६७	७२ ०७	+३० १०
१८	इंजीनियरी माल	६२ ६३	६५ ६४	+३ ०१
१९	हस्तशिल्प की वस्तुए	३६ ६२	५६ ३८	+१६ ७६
	(क) मोती कीमती तथा कम कीमती	२४ ७१	३५ ११	+१० ४०
२०	रासायनिक पदार्थ तथा सबद्ध उत्पाद	१३ ८७	१६ ५८	+२ ७१
२१	काठ, काठ कबाड़ तथा कार्क निर्मित वस्तुए	४ ०३	५ ५४	+१ ५१
२२	अशोधित रबड़ सहित रबड़ निर्मित वस्तुए	३ ५४	४ ८७	+१ ३३
२३	लौह मैंगनीज तथा लौह मिश्रित वस्तुए	२ २३	४ ०६	+१ ८६
२४	कॉफी	१४ ७५	१६ ०२	+१ २७

दूसरी ओर चीनी लौह अयस्क तथा इस्पात आदि के निर्यातों में काफी गिरावट आई। देश मे चीनी के कम उत्पादन से निर्यातों के लिए इस मद की उपलब्धि कम हो गई। लौह अयस्क के सबध मे, बलाडिला मे कुछ उत्पादन कठिनाई तथा पारादीप पत्तन पर चक्रवात के कारण विस्थापन के अलावा बढ़ी हुई समुद्री भाड़ा दरों से इस मद के निर्यातों के विकास मे अवरोध उत्पन्न हुआ। लोहे तथा इस्पात के निर्यात मे आई गिरावट तब तक बनी रहेगी जब तक कि इस्पात के घरेलू उत्पादन मे सुधार नहीं हो जाता।

निम्नोक्त सारणी मे उन प्रमुख मदो को दिखाया गया है जिनके निर्यातो मे अप्रैल सितम्बर १९७२ म अप्रल सितम्बर १९७१ की उतनी ही अवधि की तुलना म कमी आई

(करोड रु० म)

क्रमाक	वस्तु	अप्रल सितम्बर १९७१	अप्रल सितम्बर १९७२	अप्रल सितम्बर १९७१ की तुलना म अप्रैल सितम्बर १९७२ मे आई गिरावट
१	लोह अयस्क	४३ २४	४१ ६५	१ ५९
२	लोहा तथा इस्पात (प्राइम) लौह मगनीज तथा लौह मिश्रित धातुओ आदि को छोडकर	१७ ३८	१२ ३५	५ ०३
३	मसाले (काली मिर्च सहित)	१६ ४८	११ ५०	४ ९८
४	चीनी	२३ ६०	९ ७८	१३ ८२
५	मगनीज अयस्क	५ ५६	४ ११	१ ४५
६	प्याज	० ९९	० ५३	० ४६
७	चावल	० ९८	० ९४	० ०४
८	लोहे तथा इस्पात की कतरन	१ १६	० ५२	० ६४

निर्यातों की दिशा अप्रैल सितम्बर १९७२ म गत वप की उसी अवधि की तुलना मे पश्चिम जमनी को निर्यात बढकर लगभग ६४ कराड रुपए पश्चिम यूरोप को ५७ करोड रुपए से भी अधिक एशिया तथा ओसीनिया को ३९ करोड रुपए तथा अमरीका का ७ करोड रुपए के हुए। अफ्रीका को निर्यात मामूली से कम हुए।

एशिया को निर्याता म वद्धि मुख्यत बगलादश के साथ बढे हुए व्यापार और जापान नपाल तथा ईरान का निर्याता म वृद्धि के परिणामस्वरूप हुई। इसके विपरीत श्रीलका को निर्याना मे अत्यधिक कमी आई और वे ८ ३ करोड रुपए तक (१२ ७ करोड रुपए) से ४ ४ करोड रुपए) गिर गए। आस्ट्रेलिया, बर्मा, मलयेशिया और कोरिया गणराज्य द्वारा माल कम मगाया गया।

आयात

गत छ वर्षो म, १९६९ ७० म आयाता का स्तर सबस कम था। तब स अब इसम उध्वमुखी प्रवत्ति दिखाई दी है। १९७१ ७२ म कुल आयात १८१२ करोड रुपए के हुए जिसका अभिप्राय १९७० ७१ की तुलना मे ११% की वद्धि हाना है। परन्तु १९७२ ७३ क पहले नौ महीना की प्रवत्ति स यह पता चलता है कि पूरे वप (१९७२ ७३) के लिए अक गत वप की तुलना म कम हो सकता है।

वप के लिए वस्तुवार ब्यौरे से प्रकट होता है कि नितान्त रूप स आयाता मे अधिक तम वद्धि लोहे तथा इस्पात के सबध म हुई जो १९७० ७१ म १४७ करोड रुपए से बढ़कर १९७१ ७२ म २३८ करोड रुपए होकर ९१ करोड रुपए को हुई। यह, स्वदेशी पूर्तिया की

कमी और बढ़ती हुई घरेलू मांग के कारण हुई थी। इसी अवधि में पैट्रोलियम उत्पादों के आयात ८८ करोड़ रुपए, मशीनों तथा परिवहन उपस्कर के ५८ करोड़ रुपये, उर्वरक निर्मित मात्र के २० करोड़ रु० तक बढ़े। परन्तु १९७१-७२ में सुस्थिर खाद्य स्थिति के कारण खाद्यान्न के आयात २१३ करोड़ रुपए से घटकर १३१ करोड़ रुपए के रह गए। अलौह धातुओं के आयातों में १७ करोड़ रुपए की कमी हुई।

१९७२-७३ में आयात की प्रवृत्तियां : वर्ष १९७२-७३ के पहले छः महीनों (अप्रैल-सितम्बर) में कुल आयात १२३१ करोड़ रुपए मूल्य के हुए। यह पिछले वर्ष १९७१-७२ की इसी अवधि में आयातों की तुलना में लगभग ९.७% की गिरावट होती है। वस्तुवार ब्योरा वर्ष के पहले पांच महीनों के लिए है जिससे पता चलता है कि मशीनरी को छोड़कर आयात प्रतिशत रूप में कम हुए। यह गिरावट विशेषतः खाद्यान्न तथा रुई के आयातों में दिखाई दी। लोहा तथा इस्पात के मामले में अप्रैल-सितम्बर, १९७२ में आयात लगभग गत वर्ष के स्तर के रहे जबकि पैट्रोलियम तथा उर्वरकों के मामले में कुछ गिरावट आई। परन्तु उर्वरकों प्राप्ति के लिए अपेक्षतया अधिक आवंटन की व्यवस्था की गई है इस वर्ष की शेष अवधि में इन वर्गों के आयातों में वृद्धि होने की संभावना है।

निम्नलिखित सारणी में मोटे तौर पर वस्तु-समूहों के अनुसार वर्ष १९७०-७१, १९७१-७२ तथा अप्रैल-अगस्त १९७२-७३ (१९७१-७२ के तुलनात्मक आंकड़ों के साथ) में किये गये आयात दिखाए गए हैं

आयात : मुख्य वस्तु-समूह

(मूल्य करोड़ रु० में)

वस्तु	१९७०-७१	१९७१-७२	अप्रैल-अगस्त १९७१	अप्रैल-अगस्त १९७२
खाद्यान्न	२१३.०	१३१.७	४३.३	१०.४
रुई	९८.८	११३.४	६५.७	५६.०
रासायनिक तत्व तथा यौगिक	६८.०	७१.८	३६.७	२५.०
उर्वरक निर्मित	६१.२	८१.२	२३.६	२१.६
अशोधित पैट्रोलियम तथा पैट्रोलियम उत्पाद	१३५.६	१६६.१	८०.८	७८.७
लोहा तथा इस्पात	१४७.०	१३७.६	६५.६	६५.०
अलौह धातुएं	११९.४	१०१.८	५१.४	४५.३
मशीन	३२८.२	३२९.९	१५५.२	१६६.५
परिवहन उपस्कर	६८.२	८४.६	३४.२	२८.६
आयातों का कुल योग	१६३४.२	१८१२.०	६७५.०	६९७.५

आयातों की दिशा : वर्ष १९७१-७२ के दौरान पश्चिम यूरोप तथा एशिया से

आयातो में पर्याप्त वृद्धि हुई है जबकि अमरिका अफ्रीका व पूर्व यूरोप से होने वाले निर्यातों में गिरावट आई है। पश्चिम यूरोप तथा इकाफे के देशों से (विशेषत जापान तथा ईरान से) अधिक आयात लोहे तथा इस्पात, मशीनो, पैट्रोलियम तथा पट्रोलियम उत्पादों और रासायनिक उत्पादो की हमारी आवश्यकताए पूरी करने के लिए करने पड़े।

अप्रल अगस्त १६७२ आयात व्यापार को स्रोत स्थिति के बारे में उपलब्ध अद्यतन जानकारी, अप्रैल अगस्त १६७२ की अवधि से सबधित है। इस अवधि के दौरान पश्चिम यूरोप से भारत के आयातो में ३८४ करोड रु० की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि में यूरोपीय साझा बाजार तथा एफ्टा के देशों का लगभग एक समान भाग था। अफ्रीका तथा एशिया से पिछले वर्षों की उसी अवधि की तुलना में इस अवधि में अपेक्षत अधिक आयात हुए। इस वर्ष में जाम्बिया सूडान तथा कांगो लोकतत्रीय गणराज्य से आयातो में वृद्धि और स० अरब गणराज्यों से आयातों में गिरावट दृष्टिगोचर हुई। गिरावट का कारण यह था कि भारत द्वारा रुई की खरीद में कमी आई।

पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना में अप्रल अगस्त १६७२ की अवधि के दौरान अमरिका तथा पूर्व यूरोप से आयातो में गिरावट आई। पिछले वर्ष की तुलना में इस अवधि में अमेरिका से काफी कम आयात हुए। इस गिरावट का सम्बन्ध अधिकाशत अमेरिका से तथा कुछ हद तक कनाडा से किए गए आयातो से है।

क्षेत्र-वार आयातो को दर्शाने वाला एक विवरण नीचे दिया जाता है

(करोड रुपये में)

क्षेत्र	१६७० ७१	१६७१ ७२	अप्रल अगस्त १६७१	अप्रल अगस्त १६७२
१ अफ्रीका	१६६ ८४	१४३ ३७	१६६ ३६	८६ ८६
२ अमेरिका	५८६ ०१	५३६ ००	२३० ४१	१०६ ६८
उत्तरी अमेरिका	५७० १८	५२६ ३३	२२८ १७	१०४ ३८
लैटिन अमरिका	१४ २६	५ ७४	१ ८२	२ २६
३ एशिया तथा महासागरीय देश	३०० १८	४३८ ०२	१७६ ०६	१८१ ४७
इकाफे	२६४ ३७	३६१ ३२	१५३ १२	१५३ ४७
एशियाई तथा महासागरीय अन्य देश	३५ ८१	६२ १७	२२ ६४	२८ ०१
४ पूर्व यूरोप	२२७ ६५	२०१ ७५	६२ ८२	८८ ८७
५ पश्चिम यूरोप	३५० ५१	५०० ११	१६६ २८	२३७ ६३
यूरोपीय साझा बाजार	१८८ ४०	२४६ ३२	१०१ ६४	११६ ८८
एफ्टा के देश	१५६ ०२	२४६ ७७	६५ ४१	११८ १५

निष्कर्ष

चालू वर्ष (१६७२ ७३) के दौरान भारत के विदेश व्यापार का रुख काफी आशा

प्रद रहा है और यह विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि इस वर्ष १७६० करोड़० रु० का निर्यात लक्ष्य न केवल प्राप्त कर लिया जायगा बल्कि निर्यात उससे भी आगे बढ़ जायेंगे। इन नौ महीनों में निर्यात आंकड़ों से पता चलता है कि वे पिछले वर्ष की उसी अवधि के आंकड़ों की तुलना में २२ प्रतिशत अधिक है। दूसरी तरफ, आयातों का रुख कमी की ओर रहा। पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना में इस अवधि में ६.७ प्रतिशत कम आयात हुए।

वर्ष १९७३ ७४ में निर्यातों का भविष्य ज्यादातर, देश में व्याप्त अर्थ व्यवस्था और विदेशी बाजारों में व्यापार स्थिति पर निर्भर करेगा। कुछ अनुमानों के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में अनिश्चितताओं के बावजूद १९७३ में विश्व व्यापार में ८ से १० प्रतिशत तक वृद्धि होने की आशा है। वृद्धि की इस दर के लिए हमें अपने निर्यातों को बढ़ाने के सन्दर्भ में निर्यात उत्पादन प्रतिस्पर्धात्मक कीमत पर पर्याप्त अतिरिक्त निर्यात माल रखने और नये बाजारों का पता लगाने के विषय में और अधिक गहन प्रयास करने की आवश्यकता होगी।

वाणिज्यिक सम्बन्ध तथा व्यापार करार

अन्य देशों के साथ घनिष्ठ आर्थिक सम्बन्ध बनाने और राष्ट्रों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं और आर्थिक तथा व्यापारिक प्रतिनिधि मण्डलों के आदान प्रदान पर उचित बल दिया जाता है जिससे वर्तमान व्यापार करारों अथवा प्रबन्धों का नवीकरण किया जा सके अथवा उनका क्षेत्र बढ़ाया जा सके तथा नये करार किये जा सकें।

व्यापार करार २८ मार्च १९७२ को नई दिल्ली में भारत तथा बंगलादेश के बीच एक व्यापार करार पर हस्ताक्षर किये गये जो कि आरम्भ में एक वर्ष की अवधि के लिए वैध है। इस करार में २५ करोड़ रु० तक दोनों तरफ दोनों देशों की विशेष रुचि की मदों में सन्तुलित व्यापार हेतु एक सीमित भुगतान प्रबन्ध की व्यवस्था की गई है।

दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों की संयुक्त पुनर्विलोकन समिति ने जुलाई १९७२ में काठमाण्डू में भारत नेपाल व्यापार तथा परिवहन संधि (१९७१) के कार्यकरण का पुनर्विलोकन किया। इसके फलस्वरूप तीसरे देशों के साथ नेपाल का व्यापार प्रवाह और अधिक सुप्रवाहित करने के लिए नेपाल सरकार को कलकत्ता पत्तन पर मालगोदाम के लिए अतिरिक्त स्थान उपलब्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त नक्सलबाड़ी/सत्तीघाट तथा सुरसंड/जलेश्वर से होकर भारत अतिरिक्त परिवहन मार्ग देने पर भी सहमत हो गया है ताकि नेपाल का तीसरे देशों के साथ व्यापार रक्सौल तथा टनकपुर से हो सके और साथ ही भारत के साथ व्यापार के लिए अतिरिक्त मार्ग भी मिल सकें जिससे नेपाल के गुलरिया जिले की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके।

दोनों देशों के बीच व्यापारिक तथा आर्थिक सहयोग से सम्बन्धित मामलों पर विचार विमर्श करने हेतु अप्रैल १९७२ में नई दिल्ली में भारत-श्रीलंका आर्थिक सहयोग की संयुक्त समिति की दूसरी बैठक हुई।

समीक्षाधीन अवधि में क्रमशः स्पेन इराक संयुक्त अरब गणराज्य सूडान तंजानिया जिम्बाब्वे नया देश के साथ नये व्यापार करार किये गये अथवा वर्तमान करारों की अवधि बढ़ाई गई।

इथोपिया, केन्या, घाना, जाइरा, जाम्बिया तथा मडगास्कर के साथ व्यापार करार अथवा समझौते करने के प्रयास जारी रखे गये ।

सोवियत संघ पोलंड, चेकोस्लोवाकिया, जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य, बल्गारिया, हंगरी, रूमानिया तथा कोरिया लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य के साथ वर्ष १९७३ के लिए वार्षिक व्यापार सलेखों को अन्तिम रूप दिया गया ।

भारत तथा विभिन्न पश्चिम यूरोपीय देशों के बीच व्यापार सम्बन्ध बढ़ाने विविधीकरण करने तथा सुदृढ़ बनाने के विचार से वाणिज्यिक विकास कार्यक्रम बनाये गये हैं। जर्मन संघीय गणराज्य, फ्रांस बेल्जियम इटली तथा डेनमार्क की सरकारें ऐसे कार्यक्रमों को द्विपक्षीय आधार पर कार्यान्वित करने के लिए सिद्धान्त रूप में सहमत हो गई हैं। इन कार्यक्रमों के ब्यौरे पर वार्ताएं जारी हैं।

भारत तथा सेनेगल की सरकारों ने पारस्परिक आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए एक संयुक्त समिति बनाने का विनिश्चय कर लिया है। दोनों सरकारों के बीच इस सम्बन्ध में पत्रों का शीघ्र ही आदान प्रदान किया जायेगा।

इस समय विदेशों में ५७ भारतीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठान हैं। इनमें जेनेवा में गाट तथा अंकटाड के भारत के रेजीडेंट प्रतिनिधि का कार्यालय शामिल नहीं है।

भारत-पोलैंड व्यापार को बढ़ाने की संभावनाओं का पुनर्विलोकन करने के विचार से, इस मन्त्रालय के एक प्रतिनिधि ने विदेश व्यापार मंत्री के नेतृत्व में एक सरकारी दल के सदस्य के रूप में पोलैंड का दौरा किया।

भारत तथा पोलैंड के बीच वर्ष १९७३, १९७४ तथा १९७५ के लिए दीर्घावधि व्यापार सलेख तथा रूमानिया के साथ वर्ष १९७३ के लिए वार्षिक व्यापार सलेख पर वार्ता करने के विचार से एक भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमण्डल ने इन देशों का दौरा किया। पोलैंड के साथ दीर्घावधि व्यापार सलेख हस्ताक्षरित किया गया।

भारत-सोवियत संयुक्त आयोग पर बातचीत करने हेतु जो कि मास्को में हुई, योजना मंत्री के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के एक सदस्य के रूप में इस मन्त्रालय के एक प्रतिनिधि ने सोवियत संघ का दौरा किया।

भारत फ्रांस संयुक्त आयोग की बैठक में जो मार्च १९७३ में हुई शामिल होने के लिए एक भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने फ्रांस का दौरा किया।

भारत मिस्र का अरब गणराज्य के व्यापार प्रबन्ध के कार्यकरण का मध्यावधि पुनर्विलोकन करने हेतु अप्रैल १९७३ में एक भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने मिस्र के अरब गणराज्य का दौरा किया।

परियोजना तथा उपस्कर निगम के अध्यक्ष के नेतृत्व में सरकारी क्षेत्र के संगठनों के एक दल ने फरवरी-मार्च १९७३ में कुछ लेटिन अमरीकी देशों (अर्थात ब्राजील अर्जेंटीना चिली पेरू, कोलम्बिया वेनेजुएला तथा मैक्सिको) का उन देशों में अन्य बातों के साथ-साथ विशिष्ट मदों के खरीदारों के साथ सीधे सम्पर्क स्थापित करने की दृष्टि से दौरा किया। इस दल ने कृषि उत्पाद औद्योगिक कच्चा माल उपभोक्ता माल इंजीनियरी तथा रेलवे उपस्कर धातु तथा खनिज सलाहकार सेवाएं टनकी परियोजनाएं जहाजरानी

तथा बकिग महित ग्रनेक विपया म बारे म विचार किया । उनकी रिपोट पर ग्रनुवर्ती काय वाही की जा रही है ।

वप १९७४ क व्यापार सलेखा को ग्रतिम रूप देने हेतु चकोस्लोवाकिया तथा जमन लोकतन्त्रीय गणराज्य से व्यापार प्रतिनिधिमण्डल भारत ग्राये ।

वप १९७४ के व्यापार सलेख को ग्रतिम रूप देने हेतु सोवियत सघ के विदेश व्यापार उपमन्त्री मि० ग्रार्० टी० ग्रिशिन के नेतत्व म एक सोवियत व्यापार प्रतिनिधि मण्डल भारत ग्राया ।

स्पेन सरकार के ग्रतराष्ट्रीय ग्रार्थिक सबधो क महानिदेशक नवम्बर, १९७३ म भारत ग्राये ग्रौर उन्हाने वाणिज्य मत्रालय मे वार्ताए की । इन वार्ताग्रा के दौरान, भारत-स्पेन व्यापार को ग्रतिम रूप दिया गया । भारत-स्पेन व्यापार सम्बन्धा का बढाने, सुदृढ करने तथा घनिष्ठ करने के उपाया पर भी विचार किया गया ।

स्पेन से एक व्यापार प्रतिनिधिमण्डल जिसमे प्रमुख वाणिज्य मण्डलो के प्रतिनिधि तथा निर्यात/ग्रायात दोना प्रकार के हिता का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि शामिल थ दिसम्बर १९७३ म भारत ग्राया ।

नवम्बर १९७३ म नई दिल्ली मे भारत-बल्जियम सयुक्त ग्रायोग की बैठक मे शामिल होने के वास्त सरकारी ग्रधिकारियो का एक बेल्जियाई प्रतिनिधिमण्डल भारत ग्राया । भारत बल्जियाई व्यापारिक ग्रार्थिक सबधा को ग्रौर ग्रागे बढाने तथा सुदढ करने के उपाया पर बातचीत की गई ।

नवम्बर १९७३ म विदेश व्यापार मन्त्रालय इटली के महानिदेशक भारत आये ग्रौर उन्हाने भारत इटली व्यापार तथा वाणिज्यिक सम्बन्धा के विविधीकरण पर वार्ताए की ।

इराक के विदश काय मत्री के नेतत्व म एक उच्चस्तरीय इराकी ग्रार्थिक प्रतिनिधि मण्डल भारत ग्राया ग्रौर उन्हाने भारत के साथ एक ग्रार्थिक तथा तक्नीकी सहयोग करार करन हेतु हमारे योजना मत्री के साथ बातचीत की ।

भारत-सूडान व्यापार प्रबन्ध के काय का मध्यावधि पुनर्विलोकन करन के वास्ते सूडान से एक व्यापार प्रतिनिधिमण्डल ने ग्रपने ग्रार्थिक तथा व्यापार मत्री के नेतत्व म भारत का दौरा किया ।

वप १९७२ ७३ क लिए भारत सयुक्त ग्ररब गणराज्य व्यापार प्रबध सम्पन्न करन हतु सयुक्त ग्ररब गणराज्य से एक व्यापार प्रतिनिधिमण्डल भारत ग्राया ।

१९७१-७२ तथा अप्रैल-नवम्बर, १९७२ के दौरान भारत का महीनेवार आयात तथा निर्यात

(मूल्य करोड रु० म)

महीना	आयात		निर्यात (पुर्निर्यात सहित)	
	१९७१-७२	१९७२ ७३	१९७१ ७२	१९७२ ७३
अप्रल	१३९ २६	१३७ ५३	१२१ ८४	१५६ ३७
मई	१५८ ८१	१३३ ६२	१२८ ७४	१५६ ६६
जून	१५६ ०६	१३० ०४	११९ ०९	१४५ ७२
जुलाई	१६६ ८५	१६८ ८२	१४८ ८९	१४३ ६४
अगस्त	१४३ ९८	१६८ २२	१२१ २६	१६३ ८९
सितम्बर	१४८ ७७	१५१ ६७	११६ ८४	१६१ २३
अक्तूबर	१३० ७३	१३८ ०७	१२० ६२	१६९ ८५
नवम्बर	१४६ ५८	१०९ ५२	१२९ १९	१६६ ७४
दिसम्बर	१७४ ११	१३१ ९२	१३३ ५९	१५९ ८३
जनवरी	१६७ ७५		१४० २७	
फरवरी	१४० २५		१२९ २०	
माच	१३९ ६१		१५९ ११	

प्रमुख देशों को किए गए निर्यात

(करोड रु० म)

क्रमांक	देश	१९७० ७१	अप्रल सितम्बर १९७१ ७२	अप्रल सितम्बर १९७२
१	परिचम यूरोप	२०० ३	३२८ ०	२१३ ३
	(१) यूरोपीय साझा बाजार के देश	९८ ६	१२३ ८	९८ ६
	(क) बेल्जियम	२० ३	२४ ०	११ ८
	(ख) फ्रांस	१८ ०	२४ १	१९ ३
	(ग) जर्मन संघीय गणराज्य	३२ ३	३६ ८	३० २
	(घ) इटली	१४ ०	४२ २	१९ ८
	(ङ) नीदरलण्ड	१८ ०	१४ ७	१३ २
	(२) ब्रिटेन	१७० ४	१६८ १	९१ ०
	(३) पश्चिम यूरोप के अन्य देश	३१ ३	३३ १	२७ ६
	(क) आस्ट्रिया	० ६	० ८	० ६
	(ख) डेनमार्क	४ १	३ ९	२ ८
	(ग) नार्वे	० ९	१ ७	१ २
	(घ) माल्टा	० ३	० २	० १

(ङ) फिनलैण्ड	०६	०८	०८
(च) ग्रीस	१६	१८	०६
(छ) आयरलैड	६८	८८	८१
(ज) स्पेन	२७	३१	१७
(झ) स्वीडन	६०	६०	७६
(ञ) स्वीट्जरलैड	७८	७५	३०
(ट) तुर्की	०३	०२	४५
२ एशिया तथा महासागर के देश	४८८५	६८१७	२५८२
(१) इकाफे	४०६६	३८३२	२११२
(क) अफगानिस्तान	१४२	२७६	१२८
(ख) आस्ट्रेलिया	२४५	२१६	१२,३
(ग) बर्मा	१०८	१ ८	३०
(घ) कोरिया लोकतन्त्रीय जनवादी गणराज्य	०३	१२	०७
(ङ) श्रीलंका	३१८	२१२	८४
(च) मलयेशिया	११३	११७	३६
(छ) फारमोसा (चीन गणराज्य)	२०	५१	०५
(ज) हांगकांग	१७२	१५५	८७
(झ) इंडोनेशिया	४१	३२	२५
(ञ) ईरान	२६७	१६८	१४४
(ट) जापान	२०३५	१८१३	६३७
(ठ) कोरिया गणराज्य	२१	६३	१०
(ड) नेपाल	२३५	२८४	१७६
(ढ) न्यूजीलैण्ड	६०	१०३	४३
(ण) बंगलादेश	०३	४१०	३६१
(त) फिलीपीन	१४	१४	०६
(थ) सिंगापुर	१७६	१७५	७७
(द) थाईलैण्ड	५७	४६	३१
(ध) वियतनाम गणराज्य	२७	३६	०१
२ एशिया तथा महासागर के अन्य देश	७७६	६२५	३८६
(क) दक्षिणी यमन जनवादी गणराज्य	५४	३६	१६
(ख) बहरीन द्वीपसमूह	८५	३६	१६
(ग) साइप्रस	१०	१६	०५
(घ) ईराक	६६	६७	५६
(ङ) जोर्डन	२४	२६	१६
(च) कुवैत	१५७	१०७	७२
(छ) लेबनान	१०	१५	१३
(ज) मस्कत तथा ओमान	२२	२६	११

(झ) सउदी अरब	१६५	१११	६१
(ञ) सीरिया	२०	१८	२३
(ट) क़तार	११२	२८	१८
(ठ) दुबाई	५७	५०	३६
३ अफ्रीका	१३६३	१३१६	५२६
(क) मलावी	०६	१३	०८
(ख) मिस्र (स०अ० गणराज्य)	५६४	२३१	१५६
(ग) इथोपिया	२६	२१	१०
(घ) घाना	१०	१२	०४
(ङ) कीनिया	७६	१७८	३१
(च) मारीशस तथा उसके आश्रित शासन	१५	१७	०६
(छ) मोरक्का	१६	०७	०३
(ज) पूर्वी अफ्रीका के अन्य देश	०७	४०	२८
(झ) नाइजीरिया	८६	६६	४७
(ञ) लीबिया	१७	१८	१२
(ट) सियरा लियोन	१३	१३	०८
(ठ) सूडान	३८३	५१७	७५
(ड) तजानिया	४४	४१	२३
(ढ) ट्यूनीशिया	०८	१६	११
(ण) सोमालिया	०८	१३	०७
(त) यूगांडा	३०	४५	१६
(थ) जाम्बिया	३०	५६	३७
(द) स्वाजीलण्ड	०२	२०	१५
४ अमरीका			
(क) कनाडा	२४५६	३१७६	१६५८
(ख) सं० रा० अमरीका	२८०	३६५	१६८
(ग) लातीन अमरीका	८३	१२६	२६
(घ) अर्जेंटाइना	३३	६०	०५
(ङ) ब्राज़ील	०८	०६	०२
(च) चिली	०२	२३	०३
(छ) डोमिनिकन गणराज्य	०२	०२	०४
(ज) इक्वेडर	०१	०१	०२
(झ) मैक्सिको	१०	०६	०४
(ञ) पेरू	०५	०६	०३
(ट) उरुग्वे	०६	०७	०१
अन्य अमरीकी देश	२०	२८	११
(क) गियाना	०२	०६	०२
(ख) जमाइका	०३	०३	०१

(ग) नीदरलैंड एंटीलस	० ०८	० १	० ०४
(घ) त्रिनिडाड तथा टोबागो	० ६	० ८	० ३
(ड) विंडवर्ड द्वीप	० ३	० ३	० २
५ पूर्व यूरोपीय देश	३६२ ४	३४३ ५	२२६ ६
(क) बुलगारिया	६ ६	१८ ८	१० ३
(ख) चेकोस्लोवाकिया	२६ ५	३० ५	२३ ३
(ग) जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य	२४ ६	१८ ०	६ ७
(घ) हंगरी	१३ ८	१५ ५	६ ५
(ड) पोलैंड	२२ १	१६ ६	१६ ७
(च) रूमानिया	१३ ७	११ १	४ १
(छ) सोवियत संघ	२०६ ६	२०८ ७	१४६ ०
(ज) यूगोस्लाविया	३६ ४	२४ ८	६ १
कुल निर्यात (पुनर्निर्यात को छोड़कर)	१५३५ २	१६०६ ६	६१८ ६

प्रमुख वस्तुओं का आयात-निर्यात

चाय वर्ष १९७२ के दौरान भारत में गत वर्ष की उसी अवधि के दौरान ४३ ३८ करोड़ कि० ग्रा० की तुलना में ४५ १६ करोड़ कि० ग्रा० चाय का उत्पादन हुआ। १९७१ में ४३ ३३ करोड़ कि० ग्रा० के वास्तविक उत्पादन की तुलना में १९७२ वर्ष के लिए चाय का उत्पादन लक्ष्य ४४ ६ करोड़ कि० ग्रा० निर्धारित किया गया था।

वर्ष १९७२ के दौरान २०७८ ८ लाख कि० ग्रा० चाय का निर्यात किया गया जबकि वर्ष १९७१ के दौरान २०६० ७ लाख कि० ग्रा० का निर्यात किया था। वर्ष १९७२ के दौरान निर्यातों के मूल्य के रूप में १५६ ५६ करोड़ रु० वसूल हुए जबकि वर्ष १९७१ के दौरान १५५ ३८ करोड़ रु० वसूल हुए थे। चाय का इकाई मूल्य वर्ष १९७१ में ७ ४८ रुपये प्रति कि० ग्रा० की तुलना में वर्ष १९७२ में ७ ५५ रु० प्रति कि० ग्रा० मामूली सा अधिक था। पूर्व यूरोपीय देशों जिनमें सोवियत संघ नीदरलैंड पश्चिम जर्मनी संयुक्त अरब गणराज्य सूडान ट्यूनीशिया सऊदी अरब तथा फारस की खाड़ी के देश शामिल हैं को हमारे निर्यातों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। तथापि सं० रा० अमरीका कनाडा ब्रिटेन मोरक्को तथा अफगानिस्तान में भारतीय चाय के आयात में गिरावट आई।

काफी वर्ष १९७१ ७२ के दौरान ६८ ००० मी० टन काफी का उत्पादन हुआ और वर्ष १९७२ ७३ के दौरान ८७ ००० मी० टन उत्पादन हुआ। काफी की फसल पर फूल खिलते समय जलवायु का भारी प्रभाव पड़ता है।

काफी के निर्यात एक करार के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय रूप में विनियमित किए जाते हैं। १९७१ ७२ (अक्तूबर १९७१ से सितम्बर १९७२) के काफी वर्ष के लिए भारत का आवंटित निर्यात कोटा ४८ ०१२ मी० टन था। इस सारे कोटे का निर्यात कर दिया गया। ये निर्यात १६ ०६२ मी० टन के हुए और इस प्रकार ६० १०४ मी० टन का कुल निर्यात किया गया जो कि एक रिकार्ड है।

इलायची इलायची की खेती मुख्य रूप से तीन राज्यों, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में होती है।

इलायची के उत्पादन में प्रत्येक वर्ष अत्यधिक उतार चढ़ाव होता है जो मौसम विशेषतः वर्षा और उसके वितरण के तरीके पर निर्भर करता है। १९७०-७१ में हुए ३१०० मे० टन उत्पादन की तुलना में १९७१-७२ के दौरान ३७८५ मे० टन इलायची का उत्पादन हुआ। १९७२-७३ (फसल वर्ष) में २६०० मे० टन इलायची का उत्पादन हुआ।

वित्तीय वर्ष १९७१-७२ के दौरान २१४७ मे० टन इलायची का निर्यात हुआ जो पिछले सभी रिकार्डों से अधिक था और इस प्रकार १९७०-७१ में हुए १७०५ मे० टन के निर्यात की तुलना में ४४२ मे० टन की वृद्धि हुई। तथापि निर्यात आय में ३.१९ करोड़ रु० की कमी हुई अर्थात् १९७०-७१ में हुई ११.२२ करोड़ रु० की आय की तुलना में ८.०३ करोड़ रुपये की आय हुई।

उपलब्ध अनंतिम आंकड़ों के अनुसार १ जनवरी से ३१ अक्तूबर १९७३ की अवधि में ५.७४ करोड़ रुपये मूल्य की १५६२ मे० टन इलायची का निर्यात हुआ जबकि इससे पहले वर्ष की इसी अवधि में ७.८३ करोड़ रुपये मूल्य की १५६४ मे० टन इलायची का निर्यात हुआ था।

भारतीय इलायची के प्रमुख बाजार ये बने रहे कुवैत (२२ प्रतिशत) सऊदी अरब (२० प्रतिशत) सोवियत संघ (४ प्रतिशत) बहरीन (८ प्रतिशत) जापान (४ प्रतिशत) एवं कतार (३ प्रतिशत)।

सूती वस्त्र सूती वस्त्रों के निर्यातों में जिनमें गत वर्ष गिरावट आ गई थी चालू वर्ष के दौरान ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति आई। सूती वस्त्रों की विभिन्न किस्मों के लिए जिनमें सूत शामिल है निर्यात लक्ष्य वर्ष १९७२-७३ के रुई सपरिवर्तन सौदे के अन्तर्गत सोवियत संघ को किये जाने वाले निर्यातों के अलावा १२४८.० लाख रु० रखा गया था जिससे १६५० लाख रु० की विदेशी आय होगी। जनवरी-नवम्बर १९७२ में सूती वस्त्रों के कुल निर्यात १९७१ की उतनी ही अवधि में केवल ९६५१ लाख रु० के निर्यातों की तुलना में १२८७२ लाख रु० के हुए। यह ३१२१ लाख रु० की उल्लेखनीय वृद्धि की द्योतक है। इससे गत वर्ष की उतनी ही अवधि के निर्यात आंकड़ों की तुलना में ३३ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

कपास गत रुई मौसम (सितम्बर, १९७१—अगस्त १९७२) में रुई की फसल ६९ लाख गांठों की थी। इतनी उपज पहले कभी नहीं हुई। रुई का यह बढ़ा हुआ उत्पादन मुख्यतः संतोषजनक मानसून वर्षा के कारण हुआ (८० प्रतिशत रुई की फसल वर्षा पोषित थी)। कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू की गई गहन रुई उत्पादन योजना का भी उत्पादन की वृद्धि में योगदान रहा। चालू रुई मौसम अर्थात् सितम्बर, ७२-अगस्त ७३ में रुई का उत्पादन उतना अधिक नहीं हुआ जितना कि गत रुई मौसम में हुआ था क्योंकि कई रुई उगाने वाले क्षेत्रों में सूखा पड़ गया। तथापि ६२ लाख गांठें होने का अनुमान है। इस मौसम की फसल की एक मुख्य विशेषता यह है कि लम्बे रेशे वाली रुई का उत्पादन गत मौसम के उत्पादन के मुकाबले ५ लाख गांठें अधिक होने की सम्भावना है। फिर भी मध्यम तथा छोटे रेशे की रुई के उत्पादन के उस हद तक कम होने की सम्भावना है।

वस्त्र मशीनें पूर्ण मशीनों का उत्पादन करने वाले वस्त्र मशीन उद्योग की वार्षिक संस्थापित क्षमता लगभग ४५ करोड़ रुपये है जबकि उसकी लाइसेंस प्राप्त क्षमता लगभग ६७ करोड़ रुपये है।

(ग) नीदरलड एटीलस	० ०८	० १	० ०४
(घ) त्रिनिडाड तथा टोबागो	० ५	० ८	० ३
(ङ) विडवड द्वीप	० ३	० ३	० २
५ पूव यूरोपीय देश	३६२४	३४३ ५	२२६ ६
(क) बुलगारिया	६ ६	१५ ५	१० ३
(ख) चैकोस्लोवाकिया	२६ ५	३० ५	२३ ३
(ग) जमन लोकतन्त्रीय गणराज्य	२४ ६	१८ ०	६ ७
(घ) हगरी	१३ ८	१५ ५	६ ५
(ङ) पोलड	२२ १	१६ ६	१६ ७
(च) रूमानिया	१३ ७	११ १	५ १
(छ) सोवियत सघ	२०६ ६	२०८ ७	१४६ ०
(ज) युगोस्लाविया	३६ ४	२४ ४	६ १
कुल निर्यात (पुनर्निर्यात को छोडकर)	१५३५ २	१६०६ ६	६१८ ६

प्रमुख वस्तुओ का आयात-निर्यात

चाय वप १६७२ के दौरान भारत म गत वप की उसी अवधि क दौरा ४३ ३३ करोड कि० ग्रा० की तुलना म ४५ १६ करोड कि० ग्रा० चाय का उत्पादन हुआ । १६७१ म ४३ ३३ करोड कि० ग्रा० क वास्तविक उत्पादन की तुलना म १६७२ वप क लिए चाय का उत्पादन लक्ष्य ४४ ६ करोड कि० ग्रा० निर्धारित किया गया था ।

वप १६७२ क दौरान २०७४ ८ लाख कि० ग्रा० चाय का निर्यात किया गया जबकि वप १६७१ के दौरान २०६० ■ लाख कि० ग्रा० का निर्यात किया था । वप १६७२ क दौरान निर्याता क मूल्य क रूप म १५६ ५६ करोड रु० वसूल हुए जबकि वप १६७१ क दौरान १५५ ३४ करोड रु० वसूल हुए थ । चाय का इकाई मूल्य वप १६७१ म ७ ४८ रुपय प्रति कि० ग्रा० की तुलना म वप १६७२ म ७ ५५ रु० प्रति कि० ग्रा० मामूली सा अधिक था । पूव यूरोपीय देशा जिनम सोवियत सघ नीदरलड पश्चिम जमनी सयुक्त अरब गणराज्य सूडान ट्यूनीशिया सऊदी अरब तथा फारस की खाडी क देश शामिल ह को हमार निर्याता म पर्याप्त वृद्धि हुई है । तथापि स० रा० अमरीका कनाडा ब्रिटन मोरक्को तथा अफगानिस्तान म भारतीय चाय क आयात म गिरावट आई ।

काफी वप १६७१ ७२ क दौरान ६८ ००० म० टन काफी का उत्पादन हुआ और वप १६७२ ७३ क दौरान ८७ ००० म० टन उत्पादन हुआ । काफी का फसल पर फूल खिलत समय जलवायु का काफी प्रभाव पडता है ।

काफी क निर्यात एक करार क अन्तगत अन्तर्राष्ट्रीय रूप म विनियमित किए जात हैं । १६७१ ७२ (अक्तूबर १६७१ स सितम्बर १६७२) क काफी वप क लिए भारत का आवण्टित निर्यात कोटा ४०१ म० टन था । इस सार कोट को निर्यात कर लिया गया । य निर्यात १६ ०६ म० टन क हुए और इस प्रकार ४० १०४ म० टन का कुल निर्यात किया गया जो रिकाड है ।

इलायची इलायची की खेती मुख्य रूप से तीन राज्यों केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में होती है।

इलायची के उत्पादन में प्रत्येक वर्ष अत्यधिक उतार चढ़ाव होता है जो मौसम, विशेषत वर्षा और उसके वितरण के तरीके पर निर्भर करता है। १९७० ७१ में हुए ३१०० मे० टन उत्पादन की तुलना में १९७१ ७२ के दौरान ३७८५ मे० टन इलायची का उत्पादन हुआ। १९७२ ७३ (फसल वर्ष) में २६०० मे० टन इलायची का उत्पादन हुआ।

वित्तीय वर्ष १९७१ ७२ के दौरान २१४७ मे० टन इलायची का निर्यात हुआ जो पिछले सभी रिकार्डों में अधिक था और इस प्रकार १९७० ७१ में हुए १७०५ मे० टन के निर्यात की तुलना में ४४२ मे० टन की वृद्धि हुई। तथापि निर्यात आय में ३ १९ करोड रु० की कमी हुई अर्थात १९७० ७१ में हुई ११ ७२ करोड रु० की आय की तुलना में ८ ०३ करोड रुपये की आय हुई।

उपलब्ध अनन्तिम आंकडों के अनुसार १ जनवरी से ३१ अक्तूबर १९७३ की अवधि में ५ ७४ करोड रुपये मूल्य की १५६२ मे० टन इलायची का निर्यात हुआ जबकि इससे पहले वर्ष की इसी अवधि में ७ ८३ करोड रुपये मूल्य की १५६८ मे० टन इलायची का निर्यात हुआ था।

भारतीय इलायची के प्रमुख बाजार ये बने रहे कुवैत (३२ प्रतिशत) सऊदी अरब (२० प्रतिशत) सोवियत संघ (८ प्रतिशत) बहरीन (८ प्रतिशत), जापान (४ प्रतिशत) एवं कतार (३ प्रतिशत)।

सूती वस्त्र सूती वस्त्रों के निर्यातों में जिनमें गत वर्ष गिरावट आ गई थी चालू वर्ष के दौरान ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति आई। सूती वस्त्रों की विभिन्न किस्मों के लिए, जिनमें सूत शामिल है निर्यात लक्ष्य वर्ष १९७२ ७३ के रुई सपरिवर्तन सौदे के अन्तर्गत सोवियत संघ को किये जाने वाले निर्यातों के अलावा १२५५० लाख रु० रखा गया था जिससे १०५० लाख रु० की निवल आय होगी। जनवरी-नवम्बर, १९७२ में सूती वस्त्रों के कुल निर्यात, १९७१ की उतनी ही अवधि में केवल ८६५१ लाख रु० के निर्यातों की तुलना में १२८७२ लाख रु० के हुए। यह ३१२१ लाख रु० की उल्लेखनीय वृद्धि की द्योतक है। इससे गत वर्ष की उतनी ही अवधि के निर्यात आंकडों की तुलना में ३६ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

कपास गत रुई मौसम (सितम्बर, १९७१—अगस्त १९७२) में रुई की फसल ६६ लाख गांठों की थी। इतनी उपज पहले कभी नहीं हुई। रुई का यह बढा हुआ उत्पादन मुख्यत सतोषजनक मानसून वर्षा के कारण हुआ (८० प्रतिशत रुई की फसल वर्षा पोषित थी)। कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू की गई गहन रुई उत्पादन योजना का भी उत्पादन की वृद्धि में योगदान रहा। चालू रुई मौसम अर्थात सितम्बर ७२ अगस्त ७३ में रुई का उत्पादन उतना अधिक नहीं हुआ जितना कि गत रुई मौसम में हुआ था क्योंकि कई रुई उगाने वाले क्षेत्रों में सूखा पड गया। तथापि ६२ लाख गांठ होने का अनुमान है। इस मौसम की फसल की एक मुख्य विशेषता यह है कि लम्बे रेशे वाली रुई का उत्पादन गत मौसम के उत्पादन के मुकाबले ६ लाख गांठें अधिक होने की सम्भावना है। फिर भी, मध्यम तथा छोटे रेशे की रुई के उत्पादन के उस हद तक कम होने की सम्भावना है।

वस्त्र मशीनें पूरी मशीनों का उत्पादन करने वाले वस्त्र मशीन उद्योग की वार्षिक संस्थापित क्षमता लगभग ४५ करोड रुपये है जबकि उसकी लाइसेंस प्राप्त क्षमता लगभग ६७ करोड रुपये है।

वर्ष १९७१ के दौरान प्रमुख यन्त्र मशीन विनिर्माताओं के पूर्ण मशीनों के उत्पादन का मूल्य लगभग ३६ ०८ करोड़ रु० था। जनवरी सितम्बर १९७२ के दौरान यह उत्पादन २० ८३ करोड़ रुपए का हुआ। वर्ष १९७२ के दौरान पूर्ण मशीनों के उत्पादन का पूर्वानुमानित मूल्य २७ २० करोड़ रुपए है। वर्ष १९७१ के दौरान फालतू पुर्जों तथा सहायक सामान का उत्पादन ३० ३८ करोड़ रुपए मूल्य का हुआ। जनवरी सितम्बर १९७२ के दौरान उत्पादन २४ ७६ करोड़ रुपए मूल्य का हुआ था।

वर्ष १९७० ७१ के दौरान बड़ी मशीनों फालतू पुर्जों तथा सहायक सामान का निर्यात ७११ ८५ लाख रु० मूल्य का हुआ था। वर्ष १९७१ ७२ के दौरान ६०४ ६८ लाख रुपए मूल्य के निर्यात हुए।

पटसन उद्योग १९७१ की तुलना में १९७२ का वर्ष भारतीय पटसन उद्योग के लिए एक कठिनाई का वर्ष साबित हुआ है। कम फसल तथा कच्चे पटसन की बढ़ती हुई कीमतों से कच्चे पटसन की सप्लाई करने में नई समस्याएं पैदा हो गई हैं। इसके साथ ही भारतीय पटसन निर्मित माल की संश्लिष्टों से तथा बंगलादेश के उत्पादों से कठोर प्रतियोगिता करनी पड़ रही है।

पटसन की वस्तुओं का उत्पादन जनवरी-नवम्बर १९७२ के दौरान ११ ८३ लाख टन था जो कि १९७१ की इसी अवधि के आंकड़ों से केवल कुछ ही अधिक था। जबकि हैसियन तथा सकिंग का उत्पादन बढ़ा कालीन अस्तर के उत्पादन में मुख्य रूप से निर्यात की कम मांग के कारण कमी आई। पटसन मिलों को बिजली की सप्लाई में बार-बार पड़ने वाली बाधाएं उत्पादन के मार्ग में एक मुख्य रुकावट सिद्ध होती रही है।

जनवरी नवम्बर, १९७२ की अवधि के दौरान पटसन की वस्तुओं के निर्यात ४ ६५ लाख रु० के थे जोकि १९७१ की इसी अवधि के दौरान किये गये निर्यातों से लगभग १७ प्रतिशत कम थे। प्रायः सभी वस्तुओं के निर्यातों में कमी आई लेकिन कालीन अस्तरों के निर्यातों में अधिकतम गिरावट (३१ ६ प्रतिशत) आई। पटसन की वस्तुओं के निर्यात में गिरावट के मुख्य कारण हैं बंगलादेश से प्रतियोगिता का फिर से पैदा होना भारतीय पटसन की वस्तुओं की ऊंची कीमत तथा संश्लिष्टों से बढ़ता हुआ खतरा।

लौह अयस्क विकास में बाधा डालने वाले अंतर्राष्ट्रीय कारणों तथा आंतरिक कठिनाइयों के बावजूद निगम वर्ष १९७१ ७२ के दौरान लौह अयस्क के निर्यात में ७२ करोड़ रुपए के स्तर को बनाये रख सका। १९७३ ७४ के दौरान लौह अयस्क के निर्यात बढ़ाने के लिए प्रथक प्रयत्न किये जा रहे हैं। अपने प्रयासों के फलस्वरूप निगम ने पहले ही ताईवान तथा दक्षिण कोरिया के नये उभरने वाले बाजारों में पांव जमा लिए हैं। मौके पर की गई संविदाओं के अतिरिक्त ताईवान को जनवरी १९७३ से ५ वर्षों के दौरान ११ ६ लाख मे० टन लौह अयस्क सप्लाई करने के लिए दीर्घकालीन करार किया गया है। इसी तरह १९७३ ७७ की ५ वर्षों की अवधि के दौरान दक्षिण कोरिया को ११ ४ लाख मे० टन लौह अयस्क सप्लाई करने के लिए भी एक संविदा की गई है।

मैंगनीज अयस्क स्वेज नहर के बराबर बंद पड़े रहने जापान इस्पात उद्योग द्वारा खरीद में कमी, आंतरिक रेल यातायात में कठिनाइयों तथा मैंगनीज अयस्क के उच्चतर ग्रेडों की देशी मांग बढ़ जाने के कारण इस ग्रेड की सप्लाई में कमी के कारण मैंगनीज अयस्क के निर्यात भी गत वर्ष १४ करोड़ रुपए के निर्यातों से घटकर १९७१ ७२ के दौरान ११ करोड़ रुपए के हुए। तथापि, निगम इस वर्ष के दौरान लौह अयस्क के निर्यातों में वृद्धि करने का भरसक प्रयत्न कर रहा

है। इस वष पहली बार निगम न चैकोस्लोवाकिया तथा दक्षिण कोरिया के बाजारो म फ रोजीनम ग्रेड का मगनीज अयस्क (जिसम मगनीज का अश कम है) और पूव यूरोपीय बाजार म उच्च ग्रेड मगनीज अयस्क (उच्च फासफोरस वाला) भेजा है उच्च फासफोरस वाले उच्च ग्रेड मैंगनीज अयस्क की देश म खपत नही होती।

कोयला भारतीय कोयले के परम्परागत बाजारो अर्थात श्रीलका तथा बर्मा म रेलो का डीजलीकरण हो जाने के कारण भारत से कोयला उठाना कम कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप निगम द्वारा कोयला का निर्यात गत वष के ४ करोड रुपये से घट कर १९७१ ७२ मे ० करोड रुपये रह गया। बगला देश के स्वतत्र होने से इस परम्परागत बाजार म कोयला के निर्यात काफी मात्रा मे फिर स होने लगे हैं। निगम न बगला देश को सहायता कायक्रम के अ तगत आरभ म ५० हजार मे० टन कोयला सप्लाई किया। भारत और बगलादेश के बीच सपन्न हुई व्यापार योजना म खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा २८ माच १९७२ से लेकर बारह महीने की अवधि मे अन्य चीजो के साथ-साथ ४ करोड रुपये मूल्य के कोयले के निर्यात करने की व्यवस्था है। इस व्यापार योजना के अनुसरण म निगम ने ३ ५ करोड रुपये मूल्य के ८६ ००० मे० टन कोयला सप्लाई करने के लिए एक सविदा की है।

अभ्रक हाल मे निगम ने अभ्रक के निर्यात के लिए जमन लोकतत्रीय गणराज्य के साथ एक तीन वर्षीय करार किया है। इस करार के अ तगत वष १९७३ के दौरान निर्यात किए जाने वाले अभ्रक का मूल्य लगभग १ करोड रुपये है। पहले की गई सविदाओ के आधार पर अप्रैल जून १९७२ के दौरान भूतपूव निर्यातको द्वारा किए गए ८ करोड रुपये के निर्यातो के अति रिक्त १९७२ ७३ के दौरान निगम के अभ्रक के निर्यात १० करोड रुपये के होने की सभावना है।

इस्पात इस्पात की वस्तुओ का व्यापार १९७१ ७२ म बढ कर २० २३ करोड रुपये का हुआ जबकि पिछले वष १६ ६३ करोड रुपये का ही व्यापार हुआ था। १९७२ ७३ म नई वस्तुओ के मार्गीकरण के फलस्वरूप इस्पात का व्यापार ३५ करोड रुपये का होने की सभावना है।

उवरक १९७१ ७२ म उवरक ग्रुप का वस्तुओ का व्यापार लगभग ५६ करोड रुपय का हुआ जबकि पिछले वष ५८ करोड रुपये का हुआ था। १९७३ ७४ म इस ग्रुप की वस्तुओ का व्यापार ८० करोड रुपये का होने की सभावना है।

पहली छमाही में घाटा

अधिकृत आकडो के अनुसार चालू वित्तीय वष के पूर्वाद्ध मे भारत के आयात निर्यात सन्तुलन म ४३ करोड रु का घाटा रहा है जबकि पिछले वष के पूर्वार्द्ध म व्यापार सन्तुलन म ६६ करोड रु० का लाभ रहा।

व्यापार सन्तुलन म यह घाटा अनाज खाद, पट्रोलियम तथा अलौह धातुओ के अधिक आयात से हुआ। १९७३ ७४ की पहली छमाही म भारत का कुल निर्यात व्यापार १०७५ करोड रु० का रहा। यह १९७२ ७३ के पूर्वार्द्ध म हुए निर्यात स १५९ करोड रु० अर्थात १७ प्रतिशत अधिक था। परन्तु इसके साथ ही चालू वित्तीय वष के पूर्वार्द्ध म गत वष के इसी काल म हुए आयात से ३१ प्रतिशत अधिक आयात हुआ और आयात निर्यात सन्तुलन मे ४३ करोड रु का उक्त घाटा हुआ।

१९७२ ७३ मे निर्यात व्यापार में हुई भारी वद्धि चमडा सूती कपडा दस्तकारी की

वस्तुओं तेल और खल तथा तम्बाकू की विदेशों में मांग बढ़ जाने के कारण हुई। इस के अलावा बंगलादेश से १२८ करोड़ रु० का व्यापार भी इसका कारण रहा।

१६७२-७३ में कुल १६६१ करोड़ रु० का निर्यात हुआ। १६७१-७२ में हुए निर्यात से यह २२ प्रतिशत अथवा ३५३ करोड़ रु० अधिक था। इसके विपरीत १६७२-७३ में हुआ कुल १७६६.२४ करोड़ रु० का आयात १६७१-७२ में हुए १८२४.५८ करोड़ रु० के आयात से १.५ प्रतिशत कम रहा। १६७२-७३ में गेहूं, कपास, तेल, चिकनाई, दवाइयां, लोहा, इस्पात आदि कम आयात हुए।

●

: २५ :

बजट १९७३-७४

वित्तमंत्री श्री चह्वाण ने २८ फरवरी १९७३ को संसद में १९७३-७४ का बजट पेश किया। बजट में देश की जनता पर २९७ करोड़ रुपया के नये कर लगाये गये। आयकर और निगमकर की दर बिल्कुल अछूती छोड़ दी गयी हैं लेकिन सिगरेट, पैट्रोल सूती कपड़े कृत्रिम रेशे के कपड़े, बिजली से चलने वाले घरेलू उपयोग के उपकरण लोहा अल्यूमिनियम आदि अनेक वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क बढ़ाकर ११८ करोड़ रुपये उगाहने की तजवीज की गयी और सीमाकरों से १५६ करोड़ रुपये की। प्रत्यक्ष करों से केवल १८.६ करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी।

२९२ करोड़ रुपये के अतिरिक्त करों में से ४२ करोड़ रुपये राज्यों को अपने हिस्से के रूप में मिलेंगे और शेष राशि ३३५ करोड़ रुपये के घाटे को घटा कर ८५ करोड़ रुपये पर बांध देगी। इस तरह यह बजट हाल के वर्षों में सबसे कम घाटे का बजट है। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि घाटे की राशि बढ़ेगी नहीं क्योंकि जैसा वित्त मंत्री ने स्वीकार किया सरकारी कर्मचारियों के वेतन आयोग की रपट कभी भी आ सकती है। जब यह रपट आ जायेगी तो सरकार या तो नोट छाप कर या नये कर लगा कर अधिकतर वेतन या सुविधाओं की व्यवस्था करेगी।

इस बजट में कई खूबियां हैं। खूबियां में आपातकालीन सिंचाई कार्यक्रमों के वास्ते राज्यों को देने के लिए १५० करोड़ रुपये बीज उर्वरक आदि के लिए कर्ज देने के वास्ते १०० करोड़ रुपये और प्राकृतिक विपदाओं के समय ७५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। शिक्षितों को रोजगार दिलाने के लिए १०० करोड़ रुपये रखे गये हैं। इसके अलावा ऐसे दो वर्गों को भी आयकर की लपेट में लिया गया है जो दूसरी आमदनी को खेती की आमदनी बता कर काला धन सफेद किया करते थे या अविभक्त हिंदू कुटुंब का सदस्य होने के कारण अतिरिक्त छूट प्राप्त कर लिया करते थे।

बजट की सब से बड़ी बात यह है कि इस दफा भी अप्रत्यक्ष करों पर वित्त मंत्री महोदय निर्भर रहे हैं। सिगरेट, टेरीकॉट के कपड़े और घरेलू उपयोग के बिजली के सामान पर कर लगाना तो समझ में आता है लेकिन १६५ लिटर तक के रेफ्रिजरेटरों को करवृद्धि से मुक्त रखना समझ में नहीं आता।

वित्त मंत्री की तमाम कोशिशों के बाद विकास कार्यों के लिए ३६५ करोड़ रुपये ही बचे हैं जब कि पिछले वर्ष इस से दूनी रकम निश्चित की गयी थी। इसके अलावा महगाई

के मामले में जो कर १०० रुपये से होता था उसके लिए अब ११५ १३० रुपये तक देने पड़ेंगे। विवाहित व्यक्तियों के लिए अधिक रकम में बचने का एक मुख्य कारण यह भी है कि ऐसे मामलों में व्यापक प्रभाव होगा और ... व्यय में भी बराबर वृद्धि होती जा रही है।

अविभक्त कुटुंब और कृषि आय

अन्य जिस बात की चर्चा १९७३-७४ के बजट में विशेष ध्यान दिया गया है—वह उन लोगों की ... है जिन को अन्य लोगों के मुकाबले ... में भी आमदनी होती है और जो हिंदू अविभक्त कुटुंब का सदस्य होने के नाते विभक्त कुटुंब वालों के मुकाबले कम कर देते थे।

प्रत्यक्ष कर जांच समिति की अंतिम रिपोर्ट में जो १९७१ में सरकार को मिल गया था प्रत्यक्ष करों के ... में मामूली परिवर्तन करने का सुझाव दिया था और साथ ही कर ढांचे को समानांतर अर्थव्यवस्था को काफी छोटा करने के उपाय सुझाये थे। भारत सरकार ने इस बीच में बुनियादी परिवर्तन और काले धन संबंधी सुझावों पर विचार करके ही स्वीकार नहीं किया। अविभक्त कुटुंब वालों की विशेष सुविधा समाप्त करने का सुझाव वांचू समिति का ही था और कृषि आय को गैर कृषि आय में शामिल करके कर लगाने का सुझाव राज समिति का था।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कर से बचने के लिए हिंदू अविभक्त कुटुंब संस्था का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है सरकार का प्रस्ताव है कि इस संस्था के माध्यम से प्राप्त होने वाले कर के फायदे को सीमित किया जाय।

ऐसे अविभक्त कुटुंब की दशा में जिसके एक या अधिक सदस्यों की स्वतंत्र रूप से कुल आय ५००० रुपये से अधिक हो उस के लिए अधिभार सहित एक अलग कर दर सूची बनायी गयी है। इस के अनुसार ५००० रु. पर कोई कर नहीं देना होगा। ६००० पर १६६ रुपये ७५०० पर ४८६ रु. १०००० पर ६७८ रु. और इसी तरह ५ लाख की आमदनी पर ४५८८४० रुपये कर लगेगा।

इसके विपरीत ऐसे हिंदू अविभक्त कुटुंबों के लिए जिन में स्वतंत्र रूप से ५००० रुपये से अधिक आय वाला कोई सदस्य नहीं है अधिभार सहित एक अलग दर सूची बनायी गयी है। ऐसे परिवारों को स्वभावतया कुछ कम कर देना होगा। ६००० रुपये की आमदनी पर ११० रु. ही कर लगेगा। उपरोक्त वर्ग के मुकाबले में कर की राशि ८६ रु. कम है। ७५०० पर ४८६ की जगह २७५ रु. १०००० की आमदनी पर ६७८ की जगह कुल ५५० रुपया कर लगाया जायगा। इस मामले में अंतर की राशि ४२८ रुपया बढ़ती है।

अविभक्त कुटुंबों के सदस्यों की अर्जन क्षमताओं को ध्यान में रखकर यह व्यवस्था की गयी है। यह नहीं कहा जा सकता कि बजट की व्यवस्थाएं अविभक्त कुटुंब पर चोट कर रही हैं।

कृषि धन और आय कराधान समिति की जो राज समिति के नाम से अधिक प्रसिद्ध है एक प्रमुख सिफारिश यह थी कि करदाता को होने वाली कृषि आय को इतर स्रोतों से होने वाली आय में जोड़ कर इस तरह कर लगाना चाहिए कि मानो कृष्येतर आय की राशि आय के उच्च स्तरों में रखी गयी हो। इन आमदनियों का एकीकरण तभी प्रभावी होगा जब किसी करदाता की कृषि से भिन्न कराधेय आय न्यूनतम छूट सीमा से अधिक हो। राज समिति के अनुसार आमदनियों को जोड़ने की यह रीति बतायी गयी थी (१) कृष्येतर आय में से अनुज्ञात प्रारंभिक छूट (२) कृषि आय और (३) कृष्येतर आय का अतिशेष। वित्त विधेयक ने यही रीति स्वीकार कर ली है। विधेयक में कहा गया है कि कृष्येतर आय के प्रथम ५००० रुपये पर कर नहीं लगेगा इसके बाद

कृषि आय रखी जायेगी, लेकिन उस पर कोई कर नही लगेगा और फिर कृषि से इतर आय का वह भाग जो ५००० से अधिक है, इस में जोड़ा जायेगा। आयकर इसी राशि पर लगेगा। जाहिर है कि बीच में कृषि आय जुड़ने से कृष्येतर आय का अतिशेष अधिक कर वाले सोपान में पहुँच जायेगा।

आयकरदाता पर इसका क्या असर पड़ेगा इसे स्पष्ट कर देना आवश्यक है। ५ हजार पर तो कर देय है ही नही, इसलिए ६ हजार रुपया वार्षिक आमदनी वाले व्यक्ति हिंदू अविभक्त कुटुम्ब अरजिस्टीकृत फर्म व्यक्तियों का संगम व्यक्ति निकाय को जो कर देना पड़ेगा उस का उदाहरण है। यदि किसी की आय ६ हजार रुपये है और उसकी कृषि आय शून्य है वहा उसे सामान्य रूप में ११० रुपये कर देना होगा। ऐसे व्यक्ति का यदि ४ हजार रुपये की आमदनी कृषि क्षेत्र में है तो उसे ११० के स्थान पर १८७ रुपये कर देना होगा। यदि खेती से उस की शुद्ध आय १० हजार तक हुई तो करमुक्त कृष्येतर आय का अतिशेष इतने ऊंचे सोपान में पहुँच जायेगा कि उस ३३२ रुपये कर अदा करना पड़ेगा।

कृषि आय पर केंद्र सरकार कर नही लगा सकती मगर इतना तो कर ही सकती है कि सामान्य करदाता यदि यथेष्ट कृषि आय से लाभान्वित हो कर अधिक कर दे सकता है—या कृष्येतर आय को कृषि आय बना कर करवंचना कर सकता है उस से अधिक राशि कर के रूप में वसूल करे। इससे कर असमता की एक विसंगति तो दूर होती ही है।

बजट एक नजर में

(करोड़ रु० में)	१९७२ ७३	१९७२ ७३	१९७३ ७४
राजस्व	बजट	संशोधित	बजट
प्राप्तिया	४४६७	४६२८	४८३१
			(+) २५०
व्यय	४१२४	४५९१	४७५२
	(+) ३४३	(+) ३७	(+) ७९
			(+) २५०
	पूंजी		
प्राप्तिया	२,०९५	२६५२	२४६०
व्यय	२६८९	३,२३९	२८७८
	(—) ५९४	(—) ५८७	(—) ४१८
कुल घाटा	(—) २५१	(—) ५५०	(—) ३३८
			(+) २५०
शुद्ध घाटा			८५

(+ बजट प्रस्तावो का असर (इसमें राज्यों का हिस्सा शामिल नही है।)

प्रतिरक्षा पर कमी

१९७३ ७४ के बजट में प्रतिरक्षा व्यय में लगातार कई वर्षों के बाद पहली बार कमी

(नाममात्र की ही सही) दिखायी गयी है। १९७२ ७३ म प्रतिरक्षा पर कुल व्यय १ ७३२ ०१ करोड रु हुआ था जो बजट म प्रावधान से १९२ करोड र अधिक था। १९७३ ७४ क बजट म प्रतिरक्षा तयारी पर खच करने के लिए १ ७२६ ६१ करोड र का प्रावधान किया गया है। पाकिस्तान की ओर से खतरे का साया वित्तमत्री के बजट भाषण म भी प्रतिबिंबित हुआ। उन्हाने कहा कि पाकिस्तान की सैनिक तयारी को देखते हुए प्रतिरक्षा व्यय म कटौती नही की जा सकती है। प्रतिरक्षा पर कुल बजट का लगभग एक चौथाई खच करने का दूसरा कारण यह भी है कि १९६९ ७४ के लिए जो प्रतिरक्षा योजना चल रही है उसके लक्ष्य की पुष्टि के लिए इतना खच करना अनिवाय है।

भारत के स्वाधीन होते ही यह विचार व्यक्त किया गया था कि शक्ति-सतुलन के कारण भारत पर विदेशी हमले की आशका नही है। १९४७ म देश के विभाजन के साथ ही यह धारणा निमूल होने लगी थी किंतु १९६२ के चीनी आक्रमण ने तो स्थिति को एकबारगी ही पलट दिया। देश को दिवास्वप्न से जग कर फिर अपनी प्रतिरक्षा की तैयारी म जुट जाना पडा। पिछले दस वष म देश ने पाकिस्तान से जो लडाइया लडी और जीती यह प्रतिरक्षा व्यवस्था को उत्तरोत्तर दढ बनाने से ही सभव हो सका। यह सच है कि आकार की दृष्टि से भारतीय सेना का विश्व म चौथा स्थान है (तीन अन्य है अमेरिका, सोवियत सघ और चीन) किंतु उस के ऊपर जिम्मेवारी भी बहुत बडी है। उस देश की १५००० कि मी थल सीमा और ५ ७०० कि मी जल सीमा की रक्षा का उत्तरदायित्व निभाना पड रहा है। इसक लिए पूव सक्षम वह तभी हो सकती है जब कि उसका सवतोमुखी विकास किया जाये। इस आवश्यकता को देखते हुए निकट भविष्य म प्रतिरक्षा व्यय मे कटौती की कोई गुजाइश नजर नही आती है।

बजट म इस आवश्यकता का दृष्टिगत रखत हुए ही प्रतिरक्षा व्यय का प्रावधान किया गया है। प्रतिरक्षा तयारी के लिए निर्धारित राशि का सेना क तीना अगा के विकास पर जिस अनुपात म व्यय किया जायेगा उस से भी इस का आभास मिल जाता है। व्यवस्था के अनुसार वायुसेना तथा नौसेना पर पिछले वष की तुलना म अधिक खच होगा जब कि थलसेना के लिए पूव वष स कम धनराशि का प्रावधान किया गया है।

वायुसेना पर १९७२ ७३ मे २९९ ६४ करोड र खच किये गय थे जबकि १९७३ ७४ म ३३० ८७ करोड र व्यय होगे। यानी चालू वष की तुलना मे अगले वष ३१ २३ करोड रु अतिरिक्त खच होगे। इसी प्रकार नौसेना की तयारी के लिए १५ २६ करोड र की अतिरिक्त व्यवस्था की गयी है। नौसेना पर १९७२ ७३ म ७२ १५ करोड रु खच किये गये जबकि १९७३ ७४ के लिए ८७ ४१ करोड रु का प्रावधान है। थलसेना के लिए निर्धारित राशि म ४६ ४२ करोड र की कमी की गयी है। १९७२ ७३ म थल सेना पर १ ०७५ करोड र खच किया गया था जबकि १९७३ ७४ के लिए १ ०२५ करोड र का ही प्रावधान है।

वायुसेना पर जो अतिरिक्त व्यय होगा उस का एक बडा हिस्सा अर्थात् १७ ५० करोड र भडार पर खच किया जायेगा। मिग २१ का उत्पादन हाल ही म आरभ हुआ है। निचाई पर उडने वाले विमाना क लिए भारत ब्रिटेन से प्रक्षेपास्त्र भी खरीदना चाहता है। इस प्रकार १९७३ ७४ म भडार पर कुल २१५ ६५ करोड रु व्यय का अनुमान है। आगामी वष 'विशेष परियोजनाओ' पर वायुसेना २३ ३४ करोड र खच करने वाली है जबकि चालू वित्त वष के लिए यह राशि कुल ८ ४७ करोड र और १९७१ ७२ म ८ ३९ करोड र ही थी। 'विशेष परियोजना' की मद १९७१ ७२ म ही अस्तित्व म आयी थी। इस मद पर दूसरे वष म लगभग

दुगना और तीसरे में लगभग छह गुने व्यय का प्रावधान योजना के महत्व को स्पष्ट कर देता है। ऐसा अनुमान है कि 'विशेष परियोजना' के अंतर्गत राडार व्यवस्था को, विशेषकर उत्तरी सीमा पर सुधारने की योजना है। १९६२ के आक्रमण के बाद उत्तरी सीमा पर जो सचल राडार इकाइयां स्थापित की गयी थीं उन के स्थान पर अब ऐसी राडार व्यवस्था करने की योजना है जिस से हिमालय पार की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके और निचाई पर उड़ने वाले विमानों का पता लगाया जा सके। पहले इस परियोजना में अमेरिका निर्मित उपकरणों के प्रयोग की योजना थी परंतु जब यह संभव नहीं हो पाया तो अब वैकल्पिक प्राविधि के प्रयोग का निर्णय किया गया है।

वायुसेना की तरह ही नौसेना के विकास के लिए भी अधिक धनराशि 'भंडार' पर ही खर्च की जायेगी। नौसेना के बेड़े का इधर काफी विस्तार हुआ है जिस का कारण जहाजों की खरीद और स्वदेश निर्मित जहाजों की उपलब्धि रहा है। बेड़े के विस्तार के साथ ही बजट राशि में वृद्धि होना स्वाभाविक ही है। नौसेना में 'भंडार' पर ४५.६६ करोड़ रु. खर्च किये जायेंगे।

जहां तक थलसेना का प्रश्न है उस के 'भंडार' पर होने वाले व्यय में चालू वित्त वर्ष की तुलना में ३२.३७ करोड़ रु. की कमी होगी। इस मद पर १९७३-७४ में कुल २७३.५१ करोड़ रु. ही खर्च होंगे। इस से यह संकेत मिलता है कि पाकिस्तान से युद्ध के दौरान थलसेना के भंडार को जो क्षति पहुंची थी वह लगभग पूरी हो गयी है। इसी प्रकार सेना के शोध तथा विकास संगठन पर भी १९७३-७४ में १९७२-७३ के मुकाबले ६.८५ रु. कम खर्च किये जायेंगे।

विज्ञान और प्राविधि पर अधिक

नये बजट में प्रतिरक्षा तैयारी के लिए किये गये कम प्रावधान के विपरीत विज्ञान तथा प्राविधि के विकास के लिए अधिक धन का प्रावधान किया गया है। भारत तथा विकसित देशों के बीच प्राविधि के क्षेत्र में जो अंतर विद्यमान है उसे कम करने की दृष्टि से कुछ ऐसे क्षेत्रों का चुनाव किया गया है जिन के विकास के लिए विशेष सहायता प्रदान की जायेगी। स्वदेशी प्राविधि को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से बजट में शोध और विकास कार्यों के लिए अधिक धन की व्यवस्था की गयी है। इसी उद्देश्य से मान्य प्रयोगशालाओं को शोध तथा विकास कार्यों के लिए उद्योगों से जो धन राशि प्राप्त होती है उस के एक तिहाई को करमुक्त भी रखा गया है। शोध कर्मचारियों पर होने वाले व्यय के बारे में भी नये उद्योगों को विशेष रियायतें दी गयी हैं।

विज्ञान तथा प्राविधि विभाग के सचिवालय पर होने वाले व्यय के लिए १९७३-७४ के बजट में जो प्रावधान किया गया है वह चालू वित्त वर्ष से ४ करोड़ रु. अधिक है किंतु वैज्ञानिक तथा औद्योगिक शोध परिषद (सी एस आई आर) के लिए निर्धारित राशि में कुछ कमी की गयी है। १९७२-७३ के २८.६६ करोड़ रु. के मुकाबले १९७३-७४ के लिए २४.२३ करोड़ रु. की व्यवस्था की गयी है। इस के विपरीत भारतीय सर्वेक्षण विभाग को चालू वित्त वर्ष से १.६ करोड़ रु. अधिक का प्रावधान किया गया है। सर्वेक्षण विभाग को ९.६ करोड़ रु. मिलेंगे। राष्ट्रीय शोध विकास निगम के लिए २० लाख रु. की ऋण राशि निर्धारित की गयी है। निगम अपनी विकास योजनाओं को चलाने के लिए उद्योगों का सहयोग भी प्राप्त करता है।

विज्ञान की प्रगति के लिए बजट में एक नयी व्यवस्था भी की गयी है। मूलभूत शोध को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार का इरादा एक विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना का है। इस के लिए बजट में ५० लाख रु. की अग्रिम राशि का प्रावधान किया गया है। बजट में अणु ऊर्जा

कार्यक्रम के लिए भी पहले से अधिक राशि निर्धारित की गया है। १९७२ ७३ में इस के लिए १०६ करोड़ रु का प्रावधान था जो १९७३ ७४ के लिए ११० करोड़ रु का हो गया है।

इलेक्ट्रानिक उद्योग के विकास के लिए भी बजट में पहले से अधिक धन राशि की व्यवस्था की गयी है। १९७३ ७४ में इलेक्ट्रानिक शोध तथा विकास परियोजनाओं पर २ ८५ करोड़ रु खर्च होंगे। इससे यह संकेत मिलता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सरकार न केवल आत्मनिर्भर होना चाहती है बल्कि भारत और विकसित देशों के उद्योगों के बीच जो प्राविधिक अन्तर है उसे भी कम करना चाहती है। इस मद में राज्य सरकारों को अनुदान देने के लिए १ २५ करोड़ रु की अलग व्यवस्था की गयी है। किंतु १९७३ ७४ के बजट में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए १९७२ ७३ के १८ करोड़ रु के प्रावधान के मुकाबले १५ करोड़ रु की राशि ही निर्धारित की गयी है।

इस बार बजट में शराब पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है। इसी प्रकार टेलिविजन पर भी कोई नया कर नहीं लगा है यद्यपि रेडियो सेटों पर कुछ कर लगे हैं।

भारत : जन-सांख्यिकी विवरण

सम्पूर्ण भारत की जनगणना १० मार्च १९७१ को प्रारम्भ होकर ३ अप्रैल १९७१ को समाप्त हुई। जनगणना कार्य में १२ लाख ५० हजार व्यक्तियों ने भाग लिया।

प्रश्न सूचियां

इस जनगणना में आंकड़े एकत्र करने के लिए चार प्रकार की प्रश्न सूचियां तैयार की गई। पहली थी मकान सूची जिसमें देश के समस्त मकानों का ब्यौरा एकत्र किया गया—जैसे मकान किस चीज के बने हैं, रिहायशी हैं या दुकान या कारखाने आदि के लिए इस्तेमाल होते हैं, कितने लोग उनमें रहते हैं और उनका क्षेत्रफल आदि कितना है। यह सूची १९६१ की जनगणना के समय भी प्रयुक्त हुई थी। दूसरी सूची में उन मकानों का विवरण देना था जिनमें कोई कारखाना या व्यवसाय होता हो। वास्तव में यह सूची पहली सूची की पूरक थी। यह सूची पहली बार १९७१ की जनगणना में ही प्रयुक्त हुई। तीसरी तथा सबसे महत्वपूर्ण सूची व्यक्तियों सम्बन्धी थी। इसमें देश के प्रत्येक व्यक्ति के बारे में जानकारी इकट्ठी की गई। यह सूची जनगणना का आधार ही है क्योंकि इसमें एकत्र आंकड़ों से ही यह स्पष्ट होता है कि देश में कितने पुरुष, स्त्रियां तथा बच्चे हैं, कितने विवाहित, अविवाहित या शिक्षित अथवा अशिक्षित हैं। इसी सूची से यह भी पता चलता है कि लोग क्या-क्या काम करते हैं, कितने बेरोजगार हैं, कितने किन धर्मों के अनुयायी हैं, किस भाषा वर्ग के हैं और कहां के रहने वाले हैं। यह सूची सदा से जनगणना का आधार रही या यह समझ लीजिए कि इसके बिना जनगणना की कल्पना ही नहीं की जा सकती। चौथी सूची में जनसंख्या का लेखा है जो विभिन्न परिवारों में रहने वाले व्यक्तियों के बारे में मुख्य-मुख्य बातें प्रस्तुत करती है। इस सूची में पहली तीनों सूचियों के आधार पर आंकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं।

भू-क्षेत्र और जनसंख्या

विश्व के भूक्षेत्र का भारत केवल २ ४ प्रतिशत है किन्तु भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का १५ प्रतिशत है। विश्व की जनसंख्या इस समय लगभग ३७१ करोड़ है। भारत से अधिक जनसंख्या केवल चीन की है। उसकी जनसंख्या लगभग ७५ करोड़ है। १९६१ में भारत की जनसंख्या ४३,९२ ३५,०८२ थी जबकि १९७१ की जनगणना के अनुसार यह बढ़कर ५४ ६६ ५५ ९४५ हो गई है। भारत का क्षेत्रफल ३२ ६८,०८० वर्ग किलोमीटर एवं आबादी का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर १४८ है।

पहली अप्रैल १९७१ तक भारत की जनसंख्या ५४ ७३ ६७ ९२६ थी जो पिछले दशाब्दी की जनसंख्या वृद्धि का २४ ६८ प्रतिशत प्रदर्शित करती है जबकि यह वृद्धि १९५१

६१ की दस वर्षों की अवधि म २१ ६४ प्रतिशत थी। बीसवी शताब्दी क प्रारम्भ म अब तक की जनसख्या उसकी प्रति दशाब्दी म वद्धि इस वद्धि क प्रतिशत और इस प्रतिशत म निरन्तर बढ़ते हुए आकडा पर एक नजर डाल लेन स ही स्थिति प्रकट हो जाती है। १६०१ म भारत की जनसख्या २३ ८३ ३७ ३१३ थी जो १६११ म २५ २० ०५ ४७० हो गई और इस प्रकार इस दस की अवधि म १३ ६६८ १५७ की व द्धि हुई जो ५ ७३ प्रतिशत बठती है। १६११ स १६२१ क बीच जनसख्या बढ़न क स्थान पर कम हो गई किन्तु १६२१ और १६३१ क बीच ११ प्रतिशत बढ़ कर २७ ८८ ६७ ४३० हो गई। १६३१ म १६६१ तक वद्धि १८ प्रतिशत होकर जनसख्या ३१,८५ ३६ ६६० तक पहुच गई और १६६१ ६२ म जनसख्या ११ ३१ प्रतिशत क हिसाब स ३६ ०६ ५० ३७५ पर जा टिकी। इन आकडो म स्पष्ट हो जाता है कि केवल पचास वर्षों म भारत की जनसख्या दुगुनी स भी अधिक हो गई है।

यदि यही हाल रहा तो वतमान शती समाप्त होते-होते भारत की जनसख्या शती क प्रारम्भ की जनसख्या की लगभग चार गुनी हो जाएगी। इस समय (१६७१) भारत की जनसख्या पूर यूरोप की जनसख्या (५१३ ६४२ ०००) स और दोनो अमरिका की जनसख्या (४६६ ३६८ ०००) स अधिक ह तथा यह अफीका महाद्वीप की जनसख्या स ५२ प्रतिशत अधिक ह एव रूस की जनसख्या (२३६ ४२० ०००) की लगभग दुगुनी ह।

पिछली दशाब्दियो म भारत की जनसख्या की वद्धि का विश्लषण सक्षप म कर लना उचित होगा। १६२१ का वष ग्रेट डिवाइड' कहा गया है क्योकि उसस पहल भारत की आबादी कुछ धीरे धीरे और अनियमित रूप स बढ़ी थी तथा उसक बाद स यह वद्धि लगातार और तजी स होन लगी। इससे पहल १८६१ स १६०१ तक का समय भयकर अकाल का समय था जिससे आबादी बिल्कुल बढ़ी ही नहीं थी और १६०१ से १६११ तक आबादी की वद्धि केवल ५ ७३ प्रतिशत हुई।

इसक पश्चात १६११ स १६२१ का समय आबादी म बढ़न का समय रहा क्योकि १६१८ १६ म इन्फ्लुएन्जा का व्यापक प्रकोप रहा और बाद के तीस वर्षों म (१६२१ ५१) वद्धि लगभग उत्तरोत्तर होती रही जो कुल मिलाकर ४४ प्रतिशत तक पहुच गई क्योकि इस दौरान किसी अकाल या महामारी का प्रकोप नहीं हुआ। फिर अगले दस वर्षों (१६५१ ६१) म यह प्रतिशत एक दम २१ ६४ हो गया जिसस जनसख्या म लगभग ८ करोड की वद्धि हो गई। यह वद्धि प्रतिशत और बढ़ा जिसके परिणामस्वरूप १६७१ म भारत की जनसख्या लगभग ५५ करोड पर पहुच गई।

जन्मदर व मृत्युदर

भारत म १६०१ १६११ म जन्मदर ४६ २ प्रति हजार एव मत्युदर ४२ ६ प्रति हजार १६११ २१ म ४८ १ प्रति हजार एव ४७ २ प्रति हजार १६२१ ३१ म ४६ ४ प्रति हजार एव ३६ ३ प्रति हजार १६३१ ४१ म ४५ २ प्रति हजार एव ३१ २ प्रति हजार १६४१ ५१ म ३६ ६ प्रति हजार एव २७ ४ प्रति हजार तथा १६५१ ६१ म ४७ ७ प्रति हजार एव २२ ८ प्रति हजार थ।

इन आकडा म स्पष्ट हो जाता ह कि भारत १६२१ क बाद डेमोग्राफिक सक्राति क प्रथम चरण म प्रवश कर गया जिससे जन्मदर लगभग वही रही और मत्युदर लगातार कम होती चला गई। द्वितीय विश्व युद्ध क पश्चात और विशेषतया स्वतत्रता क पश्चात सफाई आवागमन आधुनिक दवाइया मलेरिया उन्मूलन आदि साधनो ने मृत्युदर को कम करने म विशेष

याग दिया ह। इस प्रकार मत्यु दर की अपेक्षा जमदर अधिक होन स जनसख्या म निरतर वृद्धि ही हाती जाएगी।

उत्तर प्रदेश सबसे बडा राज्य

उत्तर प्रदेश (८ करोड ८३ लाख आबादी वाला) देश का सबस बडा राज्य रहा। बिहार का स्थान दूसरा रहा। इसकी आबादी ५ कराड ६४ लाख और इसके बाद महाराष्ट्र की आबादी ५ करोड ३ लाख रही। १९६१ की जनगणना क समय भी इन्हीं तीना राज्या का पहल तीन स्थान प्राप्त थे। ४ करोड ४४ लाख की आबादी वाला पश्चिम बगाल जा १९६१ म पाचव स्थान पर था, आध्र प्रदेश का अपने स्थान से हटाकर चौथे स्थान पर पहुच गया और अब आध्र प्रदेश सर्वाधिक आबादी वाला पाचवा राज्य है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश (४ कराड १५ लाख) सातव स्थान स १९७१ की जनगणना म छठे स्थान पर और तमिलनाडु (४ करोड ११ लाख) छठे स्थान स सातवें स्थान पर आ गया है। अन्य राज्या और केन्द्रशासित क्षेत्रा का कमोबेश वही स्थान रहा केवल असम ही इसका अपवाद है जिसकी आबादी म वृद्धि हुई और जो चौदहवें स्थान से तेरहवें स्थान पर हो गया ह। दिल्ली की भी आबादी बढी है और यह १९६१ की जनगणना म अठारहव स्थान क बजाय सत्रहवें स्थान पर पहुच गया है। अब इसकी आबादी हिमाचल प्रदश (३४ लाख) स भी अधिक हा गई है।

जिन राज्या और केन्द्रशासित क्षेत्रा की आबादी म दश क औसत स अधिक दर स वृद्धि हुई, उनम गावा दमन और दीव हैं। इनकी आबादी की वृद्धि की दर ६०० प्रतिशत स अधिक रही अर्थात पिछले दशक की तुलना म छह गुना से अधिक तजी से आबादी बढी। इसक बाद आत हैं— जम्मू और कश्मीर (२१४ प्रतिशत), नागालड (१८२ प्रतिशत) लकादीव मिनिकाय और अमीनीदीवी द्वीपसमूह (११८ प्रतिशत), तमिलनाडु (८६ प्रतिशत) पाडिचेरी (६७ प्रतिशत) आध्र प्रदेश (३२ प्रतिशत) उडीसा (२६ प्रतिशत) मेघालय (२६ प्रतिशत) उत्तर प्रदेश (१८ प्रतिशत) मध्य प्रदेश (१६ प्रतिशत) और महाराष्ट्र (१५ प्रतिशत)। जिन राज्या और केन्द्र शासित क्षेत्रा की आबादी की वृद्धि की दर म १९६१ ७१ क दशक म इससे पहल दशक की तुलना म कम दर स वृद्धि हुई उनम चडीगढ (७१ प्रतिशत), त्रिपुरा (५४ प्रतिशत) और दादरा तथा नगरहवेली (-२९ प्रतिशत) आत है।

स्त्री-पुरुष अनुपात

जनगणना का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आबादी म स्त्रिया की तुलना म निरन्तर पुरुषा की सख्या अधिक रही है। इस समय स्त्री-पुरुषा का अनुपात प्रति १,००० पुरुषा स पीछे ९३० स्त्रिया का ह। यह बात इस दृष्टि स भी महत्वपूर्ण ह कि प्राय प्रत्येक आयु वग म यह अतर कई दशका स बना हुआ है। यद्यपि इस असमानता का कारण पूरी तरह समझाया नही जा सका है पर जनगणना अधिकारिया का कहना ह कि निम्न कारणा से ऐसा हुआ ह (१) लडका का अधिक पसद किया जाना और परिणामस्वरूप लडकिया के प्रति उपेक्षा भाव, (२) लडकिया की मत्युदर अधिक होना और (३) माताओ की अधिक सख्या म मत्यु।

जिन राज्या म प्रति १,००० पुरुषा के पीछे स्त्रिया की सख्या अधिक है वे हैं—केरल (१०१९) और दादरा तथा नगरहवेली (१,००७) हैं। १९६१ की जनगणना तक उडीसा म स्त्रिया का सख्या पुरुषा स अधिक थी (१००१) लेकिन अब पुरुषा की सख्या अधिक हा गई ह। अब उडीसा म प्रति १,००० पुरुषा क पीछे ९८९ स्त्रिया हैं। यह भी ध्यान दन याग्य ह कि

यद्यपि केरल में अभी भी स्त्रियों का अनुपात अधिक है पर यह निरन्तर घटता जा रहा है। १९६१ में केरल में १००० पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या १०२२ थी।

साक्षरता

प्राथमिक शिक्षा के निरन्तर और विशाल पैमाने पर विस्तार के कारण तथा अनेक साक्षरता अभियानों के फलस्वरूप १९७१ में साक्षरता का प्रतिशत २९.३४ हो गया जबकि १९६१ में यह २४.०३ था। १९७१ में स्त्री साक्षरता का प्रतिशत १८.७० रहा जबकि १९६१ की जनगणना के समय यह १२.९५ था। साक्षरता के क्षेत्र में जो सफलता मिली है वह अधिक नहीं है क्योंकि तेजी से आबादी की वृद्धि ने देश के समस्त लोगों को साक्षर बनाने के प्रयास को और अधिक कठिन बना दिया है।

साक्षरता में चंडीगढ़ का पहला स्थान हो गया है जबकि १९६१ में यह दूसरे स्थान पर था। अब केरल ने यह दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। सन् १९६१ की जनगणना के समय दिल्ली में सर्वाधिक साक्षरता थी लेकिन अब यह तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। पहले केरल तीसरे स्थान पर था। गोआ के लिए यह प्रशंसा का विषय है कि वह सातवें स्थान से अब चौथे स्थान पर पहुंच गया है। लक्षद्वीप मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह का केन्द्रशासित क्षेत्र जो १९६१ में पन्द्रहवें स्थान पर था अब छठे स्थान पर आ गया है। यद्यपि अन्य राज्यों और केन्द्रशासित क्षेत्रों का पहले जैसा ही नीचा स्तर बना हुआ है लेकिन उड़ीसा १९६१ के सोलहवें स्थान से इक्कीसवें स्थान पर पहुंच गया है।

भारत में कितने नर और कितने नारी ?

राज्य	कुल आबादी	पुरुष	स्त्री
आंध्रप्रदेश	४३ ३९४ ९५१	२१,९४४ ८२६	२१ ४५० १२५
असम	१४ ९५२ १०८	७ ८६३ ७२५	७ ०८८ ३८३
बिहार	५६ ३३२ २४६	२८ ७९७ २३८	२७ ५३५ ००८
गुजरात	२६ ६८७ १८६	१३ ७८७ २४०	१२ ८९९ ९४६
हरियाणा	९ ९७१ १६५	५ ३१७ १४९	४ ६५४ ०१६
हिमाचल प्रदेश	३ ४२४ ३३२	१,७३५ १०६	१ ६८९ २२६
जम्मू-कश्मीर	४ ६१५ १७६	२ ४५२ ६६१	२ १६२ ५१५
केरल	२१ २८० ३९७	१० ५३८,८७३	१० ७४१ ५२४
मध्यप्रदेश	४१ ६५०,६८४	२१ ४३८ ८६४	२० २११,८२०
महाराष्ट्र	५६,३३५ ४९२	२९ ०५४ २३२	२४ २८१,२६०
कर्नाटक	२९ २६३ ३३४	१४ ९४० ६६१	१४ ३२२ ६७३
नागालैंड	५१५ ५६१	२७५ ३५९	२४०,२०२
उड़ीसा	२१ ९३४ ८२७	११ ०२८,०३६	१० ९०६ ७९१
पंजाब	१३ ४७२ ९७२	७,१९२ ३०५	६,२८० ६६७
राजस्थान	२५ ७२४ १४२	१३ ४४२ ०५६	१२,२८२ ०८६
तमिलनाडु	४१ १०३ १२५	२० ७७२ ५४९	२०,३३०,५७६

उत्तर प्रदेश	८८ ३६४,७७९	४६ ९२२,८१२	४१ ४४१,९०७
पश्चिम बगाल	४४ ४४०,०९५	२३ ४८८,२४४	२०,९५१ ८५१
सघीय राज्य			
अण्डमान निकाबार	११५ ०९०	७० ००५	४५ ०८५
चडीगढ	२५६ ९७९	१४६ ८८८	११० ०९१
दादरा एव नागर हवेली	७४ १९५	३३ ९४९	३७ २१६
दिल्ली	४ ०४४,३३८	२ २४४ २१०	१ ८००,०४८
गोवा दमन तथा दीव	८५७,१८०	४३१ ०२६	४२६ १५४
लकादीव, मिनीकाय तथा अमीन दीव द्वीप समूह	३१ ७९८	१६ ०६२	१५ ७३६
मणिपुर	१ ०६९ ५५५	५३९,१०१	५३० ४५४
मघालय	९८३,३३६	५०३ ३५१	४७९ ९८५
नफा	४४४ ७४४	२३३ १५४	२११ ५९०
पाडिचरा	४७१ ३४७	२३६ ८५०	२३४ ४९७
त्रिपुरा	१ ५५६,८२२	८०२ ५०९	७५४,३१३

भारत मे साक्षरता १९७१ की जनगणना के अनुसार भारत म साक्षर लोगो की सख्या १६० ५०८ ६५४ (अथात २९ ३५ प्रतिशत) है। इनम १११ ७७७ ७७२ पुरुष तथा ४८ ७३० ८८२ स्त्रिया है।

भारत मे राज्यवार साक्षरो का वरीयता के अनुसार प्रतिशत

क्रम सख्या	केन्द्र शासित तथा अन्य क्षत्र	१९७१ म साक्षरो का %	१९६१ म साक्षरो का %	१९६१ म वरीयता क्रम	साक्षरता म % वृद्धि
०	भारत	२९ ३५	२४ ०३	—	+२२ १४
१	चण्डीगढ	६१ २४	५१ ०६	२	+१९ ९४
२	केरल	६१ १६	४६ ५८	३	+२८ ४१
३	दिल्ली	५६ ६५	५२ ७५	१	+ ७ ३९
४	गोवा दमन तथा दीव	४४ ५३	३० ७५	७	+४४ ८१
५	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	४३ ४८	३३ ६३	४	+२९ २९
६	लकादीव मिनीकाय तथा अमीनीदावी द्वीप समूह	४१ ४४	२२ २७	१५	+८६ ६८
७	पाण्डिचरी	४३ ३६	३७ ४३	४	+१५ ८४
८	तमिलनाडु	३९ ३९	३१ ४१	६	+२५ ४१
९	महाराष्ट्र	३९ ०६	२९ ८२	१०	+३० ९९
१०	गुजरात	३५ ७०	३० ४५	८	+१७ २९

११	पंजाब	३३ ३६	६ ७३	१२	[illegible]
१२	पश्चिमी बंगाल	३३ ०४	६	११	१ -
१३	मणिपुर	३ ८०	३० ४	६	७ -
१४	कर्नाटक	३१ ४७	४ ४०	१४	०३ ६०
१५	हिमाचल प्रदेश	३१ ३	१ ६	७	४७ ३०
१६	त्रिपुरा	३ ८७	० ४	१६	३ ४ ४
१७	असम	८ ७४	६ १६	१	१ ४ ४
१८	मेघालय	८ ४१	१ ४७	१	+ ७३ ८०
१९	नागालैण्ड	७ ३३	१७ ६१	०३	+ ४ ६
२०	हरियाणा	०६ ६६	१६ ६३	४०	+ ३३ ६
२१	उड़ीसा	६ १	१ ६६	१६	+ ० ४६
	आन्ध्र प्रदेश	४ ४६	१ १६	१	+ १६ ६
	मध्य प्रदेश	०३	१७ १३	४	+ ८ ६०
२४	उत्तर प्रदेश	१ ४ ४	१७ ६४	४	६१
२५	बिहार	१६ ६७	१८ ६०		८ ७३
२६	राजस्थान	१८ ७६	१४ १		३ ४ ४
२७	जम्मू तथा कश्मीर	१८ ४०	११ ०३	७	+ ४ ६१
२८	[illegible] तथा [illegible] द्वीप	१४ ८४	६ ४८	८	४६ ७४
२९	उत्तर-पूर्वी सीमा एजेन्सी	६ ३४	७ १३	६	११ ००

हिन्दुओं की जनसंख्या वृद्धि में गिरावट

१९७१ की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार गत दशाब्दी में जहां हिन्दुओं की जनसंख्या प्रतिशत में कमी आई है वहां मुसलमानों व ईसाइयों की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। मुसलमानों की जनसंख्या में ३०.८५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि हिन्दुओं की जनसंख्या घटकर २३.६९ प्रतिशत हो गई है। ईसाइयों की जनसंख्या वृद्धि भी ३२.६० प्रतिशत रही।

धर्मानुसार जनसंख्या तथा वृद्धि—१९७१

धर्मानुसार वर्ग	जनसंख्या	स्त्री-पुरुष अनुपात (प्रति हजार पुरुषों के पीछे)	कुल जनसंख्या का प्रतिशत	वृद्धि-दर १९६१–७१
कुल जनसंख्या	५४७ ९४९ ८०९	९३०	१००.००	२४.८०
हिन्दू (जैन सिख सहित)	४६६ २७५ ५२९	९३०	८२.७२	२३.६९
मुस्लिम	६१ ४१७ ९३४	९२२	११.२१	३०.८५
ईसाई	१४ २२३ ३८२	९८६	२.६०	३२.६०
बौद्ध	३ ८१२ ३२५	९६०	०.७०	१७.२०
अन्य	२ १८६ ५५६	१०११	०.४०	२६.१०
जिन्होंने धर्म नहीं लिखाया	३६ ०८३	८६३	०.०१	—

आदिवासी : विभिन्न राज्यों में

१९७१ की जनगणना के अनुसार विभिन्न राज्यों की कुल जनसंख्या में आदिम जातियों की प्रतिशत जनसंख्या का विवरण ।

(जनसंख्या लाखों में)

क्रम संख्या	राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र	कुल जनसंख्या	आदिम जातियों की संख्या	प्रतिशत
राज्य				
१	आंध्रप्रदेश	४३५ ०३	१६ ५०	३ ८१
२	असम	१४९ ५८	१६ २०	१२ ८४
३	बिहार	५६३ ५३	४९ ३३	८ ७६
४	गुजरात	२६६ ९७	३७ ३४	१ ९९
५	हरियाणा	१०० ३७	—	—
६	हिमाचल प्रदेश	३४ ६०	१ ४२	४ ०९
७	जम्मू और कश्मीर	४६ १७	—	—
८	केरल	२१३ ४७	२ ६९	१ २६
९	मध्यप्रदेश	४१६ ५४	८३ ८७	२० १४
१०	महाराष्ट्र	५०४ १२	२९ ५४	५ ८६
११	मणिपुर	१० ७३	३ ३४	३१ १७
१२	मेघालय	१० १२	८ १४	८० ४३
१३	कर्नाटक	२९२ ९९	२ ३१	० ७९
१४	नागालैंड	५ १६	४ ५८	८८ ६१
१५	उड़ीसा	२१९ ४५	५० ७२	२३ ११
१६	पंजाब	१३५ ५१	—	—
१७	राजस्थान	२५७ ६६	३१ २६	१२ १३
१८	तमिलनाडु	४११ ९९	३ १२	० ७६
१९	त्रिपुरा	१५ ५६	४ ५१	२८ ९५
२०	उत्तरप्रदेश	८८३ ४२	१ ९९	० २२
२१	पश्चिम बंगाल	४४३ १२	२५ ३२	५ ७२
केंद्र शासित क्षेत्र				
१	अंडमान और निकोबार द्वीप	१ १५	० १८	१५ ५२
२	अरुणाचल प्रदेश	४ ६८	३ ६९	७९ ०२
३	चंडीगढ़	२ ५७	—	—
४	दादरा और नगर हवेली	० ७४	० ६४	[illegible]
५	दिल्ली	४० ६६	—	—
६	गोआ दमन और दीव	८ ५८	० ०८	[illegible]
७	लक्षद्वीप	० ३२	० ३०	[illegible]
८	पांडिचेरी	४ ७२	—	—
	कुल	५४,७९,४९,८०९	३ ८० १५ [illegible]	६ ९४

जनजातियों में सभी धर्मावलंबी हैं। सन् १९६१ की [illegible] प्रतिशत हिंदू, ४ १९ प्रतिशत विभिन्न आदिम मत, ० २४ [illegible] ० ३१ [illegible] मुस्लिम, ५ ५३ प्रतिशत ईसाई तथा ० २४ प्रतिशत अन्य मतों के [illegible] हैं।

विज्ञान

भारत जैसे विशाल देश की समस्याएं विज्ञान के बिना हल नहीं हो सकती। निर्धनता और निरक्षरता अन्धविश्वास अज्ञान और रूढ़िवादिता बीमारी गन्दगी और भूख—इन सबको जड़ मूल से उखाड़ फेंकने के लिए हमें विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी (टेक्नोलाजी) की शरण में जाना ही होगा। जहां सन १९५८ में हम अनुसंधान और विकास पर ७५ करोड़ रुपये खर्च करते थे, वहां अब १९७३ में लगभग १९७ करोड़ खर्च हो रहे हैं। सन १९५८ में ही लोकसभा ने वैज्ञानिक नीति प्रस्ताव पारित किया था जिसमें विज्ञान के प्रति सम्भावना व्यक्त करते हुए यह घोषणा की गई है—विशुद्ध व्यावहारिक तथा शैक्षणिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक अनुसंधान की अभिवृद्धि करना उच्च कोटि के वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित करना, और उनके कार्य को राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण मानना जनता की रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करना तथा व्यक्ति के प्रयासों में वैज्ञानिक खोज और वैज्ञानिक ज्ञान के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना हमारा लक्ष्य है।

निःसन्देह विज्ञान पर हम अधिक खर्च करते जा रहे हैं अनेक अनुसंधानशालाएं प्रयोगशालाएं भी हमने खड़ी कर दी किन्तु इसके बावजूद वांछित परिणाम सामने नहीं आए। इसका प्रमुख कारण यही रहा कि प्रौद्योगिकी के इस युग में हमने उस पर कोई नीति प्रस्ताव तैयार नहीं किया न ही आज तक हम निश्चय कर पाए कि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के किन क्षेत्रों में हमारे प्राथमिक लक्ष्य कौन से हैं।

वैज्ञानिकों तथा तकनीशियनों की कुल संख्या (हजारों में)

	१९५०	१९६०	१९७०
विज्ञान			
स्नातक	६००	१६५६	४२००
स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्रेजुएट)	१६०	४७३	१३९२
कृषि तथा पशु चिकित्सा			
स्नातक	६९	२०२	६०२
स्नातकोत्तर	१०	३७	१३५
इंजीनियरी तथा टेक्नोलाजी			
डिप्लोमाधारी	३१५	७५०	२४४४
स्नातक	२१६	६२०	१८५४
चिकित्सा			
डिप्लोमाधारी	३३०	३६०	७७०
स्नातक	१८०	४१६	९७८
योग	१८८०	४५००	११८७५

भारत में वैज्ञानिकों और तकनीशियनों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है जो कि उपरोक्त तालिका से प्रकट है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में ही दस साल वर्ष में वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मियों की संख्या दुगुनी होती गई। आज भारत में प्रशिक्षित वैज्ञानिकों की संख्या चार लाख से ऊपर पहुंच रही है। साथ ही यह भी तथ्य है कि देश के हजारों वैज्ञानिकों, डाक्टरों को नौकरी के लिए विदेश में जाना पड़ा या फिर अपने ही देश में हजारों इंजीनियरों तथा दूसरे प्रशिक्षित वैज्ञानिकों को बेकारी का सामना करना पड़ा।

केन्द्रीय बजट में विज्ञान और विकास के लिए जो राशि होती है उसका आधे से अधिक इन पांच प्रमुख संगठनों द्वारा खर्च किया जाता है—वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, परमाणु शक्ति विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, प्रतिरक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तथा भारतीय भेषज अनुसंधान परिषद्।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान भारत में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान को दिशा निर्देश और प्रोत्साहन देने के लिए सबसे बड़ी संस्था वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (काउंसिल आफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च) है। इसके अंतर्गत अनेक राष्ट्रीय अनुसंधानशालाएं, प्रयोगशालाएं तथा संस्थान हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में मूलभूत और व्यावहारिक अनुसंधान के कार्य में लगे हैं। विज्ञान में भारतीयता के पोषक डा० आत्माराम कई वर्षों से परिषद के महानिदेशक रहे। व्यावहारिक अनुसंधान के क्षेत्र में उनका कार्य उल्लेखनीय रहा है। सितम्बर १९७१ में उन्होंने अवकाश ग्रहण किया और डा० वाई० नायुडम्मा की महानिदेशक पद पर नियुक्ति हुई।

चिकित्सा भारतीय भेषज अनुसंधान परिषद (इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च) अपने सात संस्थानों और केन्द्रों के माध्यम से चिकित्सा के क्षेत्र में नए नए अनुसंधान को प्रोत्साहन देती है। विभिन्न शोध परियोजनाओं पर विचार करके उन्हें वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

परिषद के अंतर्गत विभिन्न संस्थान केन्द्र इस प्रकार हैं—

१ **राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद** (१९१९में स्थापित) संस्थान खाद्य तथा पोषण सम्बन्धी समस्याओं पर अनुसंधान करता है, जनसाधारण को संतुलित आहार की जानकारी कराता है और पोषण विज्ञान में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देता है।

२ **विषाणु अनुसंधान केन्द्र, पूना** (स्थापित १९५२)

३ **तपेदिक रसायनी चिकित्सा केन्द्र, मद्रास** (स्थापित १९५६)

४ **हैजा अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता** (स्थापित १९६३)

५ **इंडियन रजिस्ट्री आफ पथोलाजी, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली** (स्थापित १९६५)—रोग विज्ञान तथा उसकी विभिन्न शाखाओं में अनुसंधान करना और इस अनुसंधानों का पंजीकरण।

६ **व्यावसायिक स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, बी० जे० मेडिकल कालिज, अहमदाबाद** (स्थापित १९६६)

७ **जनन अनुसंधान संस्थान बम्बई** (स्थापित १९७०)

चिकित्सा क्षेत्र म विभिन अनुसधान एकाश—१ ब्लड ग्रुप रेफरेन्स सेन्टर हाफकिन इस्टीटयूट, बम्बई, २ एण्टीरो-वायरस रिसच यूनिट बम्बई ३ न्यूरो फिजीयालाजी रिसच यूनिट, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान सस्थान नई दिल्ली, ४ हमेटालाजिकल यूनिट कलकत्ता, ५ पीरियाडोन्टोलाजिकल रिसच यूनिट, लखनऊ ६ ट्रकामा (रोहा) रिसच सटर, अलीगढ, ७ टाक्सीकालाजी रिसच यूनिट (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान सस्थान), नई दिल्ली ८ आई० सी० एम० आर० यूनिट, कुन्नूर ९ लेबारेटरी एनिमल्स इन्फार्मेशन सर्विस, बम्बई १२ १० आगरा, वल्लौर बम्बई कलकत्ता और कुन्नूर म रोग विज्ञान विभाग के केन्द्र ।

इस वष ५६५ परियोजनाओ को वित्तीय सहायता देने के लिए स्वीकृत किया गया। पोषण अनुसधान प्रयोगशाला का दर्जा बढाकर राष्ट्रीय पोषण सस्थान का रूप दिया गया। दो एकाशो को मिलाकर बम्बई म जनन अनुसधान सस्थान की शुरुआत हुई ।

कृषि अनुसधान कृषि तथा पशुपालन के विविध क्षेत्रो म अनुसधान करने तथा अनुसधान के प्रयासो को प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय कृषि अनुसधान परिषद है। इसकी स्थापना १९२९ म हुई थी। परिषद के अन्तगत विभिन्न सस्थान तथा प्रयोगशालाए हैं और प्रायोगिक फाम भी है। भारतीय कृषि अनुसधान सस्थान (निदेशक डा० एम० एस० स्वामिनाथन) ने खाद्य फसलो तथा कृषि उपकरणो के क्षेत्र म उल्लेखनीय काय किया है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसधान सस्थान, इज्जतनगर, राष्ट्रीय दुग्धशाला अनुसधान-सस्थान करनाल चावल अनुसधान सस्थान, कलकत्ता, आलू अनुसधान सस्था, शिमला तटवर्ती मछली अनुसधान केन्द्र मण्डयम तथा कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर द्वारा उत्पादन बढाने तथा नई-नई किस्मो पर अनुसधान करने का काय किया जाता है। गेहू धान, तिलहन कपास आम अगूर साग-सब्जियो तथा कई तरह के फूलो पर महत्वपूण खोज-काय हुआ है ।

प्रतिरक्षा अनुसधान प्रतिरक्षा अनुसधान तथा विकास सगठन की स्थापना १९६२ म हुई ।

सगठन का प्रमुख ध्येय है—सनाओ की सामरिक अवस्थाओ का ध्यान म रखकर नए तथा आधुनिक शस्त्रास्त्रो व उपकरणो का डिजाइन और विकास करना उनके स्वदेशी उत्पादन म सहायता देना शारीरिक, मानसिक, पोषक सम्बधी तथा अय समस्याओ के समाधान मे सनाओ का सहायक बनना। विविध परियोजनाओ के फलस्वरूप शस्त्रो उपकरणो तथा पुर्जों के स्वदशी उत्पादन म तजी से वद्धि हुई है। इससे विदेशी मुद्रा की बचत हुई है और हमारी सशस्त्र सनाओ को अधिक प्रभावकारी तथा श्रेष्ठ किस्म के शस्त्र व उपकरण मिल हैं। नई किस्म की पवतीय तोप अध-स्वचालित राइफल टक नाशक सुरग विस्फोटक फील्ड आर्टिलरी रडार चेतावनी रडार-तत्र सीमान्त क्षेत्रो म सनिक उपयोग की कुछ वस्तुए आदि हमारी महत्वपूण उपलब्धिया मानी जा सकती हैं। रक्षा उपकरणो के काम मे आने वाले समागी काच की भारतीय विधि निकालना तथा उसमे आत्मनिभरता स्वतत्रता के बाद भारत की उल्लेखनीय उपलब्धि हैं।

१९५८ म साधारण किस्म की गिनी चुनी प्रयोगशालाओ से शुरुआत कर आज हम अनुसधान विकास और रक्षा उत्पादन के लिए तीस बडे-बडे सस्थान तथा प्रयोगशालाए सगठित कर चुके हैं। इनम रक्षा सम्बधी सभी वज्ञानिक तथा तकनीकी पहलुओ पर काम हो रहा है।

रक्षा अनुसधान और विकास पर वतमान व्यय यानी सम्पूर्ण रक्षा बजट का लगभग १ ७८ प्रतिशत खच होता है ।

परमाणु शक्ति तथा अतरिक्ष अनुसधान परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डा० विक्रम साराभाई ने भारत म परमाणु ऊर्जा तथा अतरिक्ष अनुसधान का दसवर्षीय कायक्रम तयार किया था जिस पर ससदीय सलाहकार समिति ने जून १९७० म स्वीकृति प्रदान कर दी । कायक्रम के अनुसार १९८० तक २७०० मेगावाट नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन होने लगेगा । १९७० ७५ के प्रथम चरण म ३६५ करोड रुपये तथा ७५ ८० के द्वितीय चरण म ८८५ करोड रुपये व्यय किए जायगे । कायक्रम पूरा होने पर विद्युत भारी पानी, इधन प्लूटोनियम तथा अन्य उत्पाद बेचकर १७० करोड का लाभ प्रतिवप होने का अनुमान है । विद्युत की कमी को दूर करने के लिए भी सौरऊर्जा के उपयोग को आवश्यक माना जाने लगा है । भारतीय विज्ञान काग्रेस के अध्यक्ष प्रो० आर० एस० मिश्र ने तीन जनवरी १९७४ को नागपुर म कहा कि विद्युत की वतमान कमी को दूर करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए । देश काफी समय तक सौर ऊर्जा पर निभर रह सकता है क्योकि यह काफी मात्रा मे नियमित ढग से प्राप्त की जा सकती है । अतएव हम सौरऊर्जा के उपयोग को सर्वाधिक प्राथमिकता देनी चाहिए ।

राजस्थान का रेगिस्तान जितनी सौर ऊर्जा अवशोषित करता है वह विश्व म एक वप मे कोयला तेल और गस जलाने से ऊर्जा जा मिलती है उसके सभवत बराबर होती है । परन्तु अभी सौर ऊर्जा को तैयार करने उसे सचित करने तथा उसके उपयोग पर अपेक्षाकृत अधिक धन व्यय करना पडता है । अतएव इसके लिए नई तकनीक का विकास करना होगा । अभी तक सौर ऊर्जा को तयार करने के लिए पर्याप्त धन नही मिल रहा है । परतु इस पर धन व्यय करना लाभप्रद रहेगा ।

तारापुर म भारत का प्रथम तथा एशिया का सबसे बडा परमाणु शक्ति ऊर्जा उत्पादन केन्द्र चालू है जिसकी क्षमता ३८० मेगावाट है । राजस्थान म राणाप्रताप सागर के परमाणु शक्ति केन्द्र की एक यूनिट तो शीघ्र ही चालू हो जाएगी ।

परमाणु शक्ति के क्षेत्र म अनुसधान तथा विकास सम्बधी क्रियाकलाप का राष्ट्रीय केन्द्र बम्बई के निकट ट्राम्बे स्थित परमाणु शक्ति प्रतिष्ठान है । इसम लगभग पाच हजार वज्ञानिक तथा तकनीकी कमचारी कायरत हैं । प्रतिष्ठान के पाच मुख्य विभाग हैं । इसम तीन परमाणु भट्टिया हैं—अप्सरा १९५६ म चालू हुई । चालीस मेगावाट की कनाडा भारत भट्टी जनवरी १९६१ म तयार हुई और तीसरी परीक्षणात्मक भट्टी जरलीना है । इन भट्टिया क अलावा यहा थोरियम निष्पण यूनिट और थोरियम सयत्र भी हैं । रेडियो आइसाटोप का उत्पादन भी यहा हो रहा है । चिकित्सा कृषि उद्योग जीवन विज्ञान तथा अन्य क्षेत्रा म रेडियो आइसाटोप के उपयोग के बार म यहा अनुसधान किया जाता है । सन १९७२ मे तलचर (उडीसा) म पाचवा गुरुजल सयत्र की स्थापना की गई तथा अगस्त १९७३ म राजस्थान परमाणु बिजलीघर की पहली परमाणु भट्टी चालू की गई ।

नाभिकीय इधन सयत्र समूह, हैदराबाद अणु आयुध तथा अणु विद्युत दोना ही के लिए इधन की आवश्यकता है जिसे अणु इधन कहते हैं । यह यूरेनियम तथा थोरियम से बनाया जाता है । प्राकृतिक यूरेनियम से इधन तैयार करने के लिए हैदराबाद के निकट आणुविक इधन सयत्र समूह परियोजना १९६८ के उत्तराध म प्रारम्भ की गई । इसम सात सयत्र हैं जो इधन

तथा इधन से सम्बधित वस्तुम्रो का निर्माण करने लगे हैं ।

परमाणु शक्ति विकास का काय ग्रय जिन सस्थाम्रो म हो रहा है उनके नाम ये है—

(१) **गौरी बिदनौर भूकम्पमापी केन्द्र**—यह बगलौर स ८० किलामीटर दूर है । इसम भूमिगत श्राणविक विस्फोटो का पता लगाने की व्यवस्था है । चीन के प्रथम श्राणविक विस्फोट का पता विश्व म सबसे पहले इसी केन्द्र को मिला था ।

(२) **भारी पानी सयत्र**—नागल म १९६२ से काय कर रहा है। राणाप्रताप सागर, बडौदा तथा तूतीकोरिन के सयत्र बन रहे हैं ।

(३) **भारतीय यूरेनियम निगम** जादुगुडा—अक्तूबर, १९६७ म स्थापना हुई । देश में यूरेनियम खानो के विकास तथा यूरेनियम उत्पादन के लिए उत्तरदायी है ।

(४) **भारतीय रेयर श्रथ लिमिटेड**—स्थापित १९५० । मनावलकुरुचि म समुद्र के किनारे से मूल्यवान मिट्टी प्राप्त कर रही है जिसका श्रणु विकास कायक्रमो म भारी महत्व है ।

(५) **इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन श्राफ इडिया लिमिटेड** हैदराबाद—स्थापित १९६७ । इसने भाभा श्रणु अनुसधान केन्द्र के इलेक्ट्रानिक उत्पादन इकाई का काम अपने हाथ म ले लिया है । यह श्राणविक यत्र, इलेक्ट्रानिक पाट श्रादि व्यापारिक रूप म तयार करती है ।

(६) **भौतिक अनुसधान प्रयोगशाला, श्रहमदाबाद—१९४८ ।**

(७) **श्रधिक ऊचाई (हाई श्रल्टीच्यूट) अनुसधान प्रयोगशाला गुलमग ।**

(८) **साहा नाभिकीय भौतिकी सस्थान, कलकत्ता ।**

(९) **परिवर्तनशील ऊर्जा साइक्लोट्रोन, कलकत्ता ।**

(१०) **टाटा मूलभूत अनुसधान सस्थान**—परमाणु विज्ञान तथा गणितमूलक अनुसधान का राष्ट्रीय केन्द्र है ।

(११) **टाटा स्मारक केन्द्र, बम्बई**—इसम टाटा स्मारक अस्पताल तथा कसर अनुसधान सस्थान शामिल हैं ।

टाटा मूलभूत अनुसधान, बम्बई द्वारा हैदराबाद से १९५९ म प्लास्टिक के गुब्बारे छोडकर अन्तरिक्ष अनुसधान का काय प्रारम्भ किया गया । तब से अब तक गुब्बारो की सौ बडी उडानें हो चुकी हैं ।

अन्तरिक्ष अनुसधान की भारतीय राष्ट्रीय समिति अगस्त १९६१ म अन्तरिक्ष अनुसधान का काय अणु ऊर्जा विभाग को सौंप दिया गया । विभाग ने १९६२ म इस काय के लिए डा० विक्रम साराभाई की अध्यक्षता म भारतीय राष्ट्रीय समिति गठित की ।

थुम्बा भूमध्यरेखीय राकेट प्रक्षेपण केन्द्र त्रिवेन्द्रम से १६ किलामीटर उत्तर म इसकी स्थापना १९६३ म की गई । नवम्बर १९६३ म यहा पर ध्वनित राकेट कायक्रम प्रारम्भ किया गया । १९६३ स १९७२ के जुलाई मास तक इस केन्द्र से ढाई सौ से अधिक राकेट छोडे जा चुके हैं । १९७१ की पहली छ माही मे ही ६३ राकेट छोडे गये । भारत ने अपना रोहिनी राकेट तयार कर लिया है । प्रथम रोहिनी राकेट (श्रार० एच० ७५) का सफल परीक्षण १९७० म किया गया । यही राकेट श्रागे चलकर उपग्रह के रूप मे विकसित करने के लिए काय चालू है ।

श्री हरिकोटा केन्द्र थुम्बा म प्राप्त सफलताम्रो के पश्चात भारतीय अन्तरिक्ष अनुसधान सगठन ने श्रान्ध्र प्रदश के नेल्लोर जिले म समुद्र म स्थित श्री हरिकोटा म उपग्रह प्रक्षेपण केन्द्र की

[illegible] है। [illegible]

प्रथम भारतीय उपग्रह [illegible] १९७२ [illegible] १९७४ [illegible]

अन्तरिक्ष यान की पुनर्प्राप्ति [illegible] १९७४ के [illegible]

भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम [illegible] १९७८ ७९ [illegible] है।

अन्तरिक्ष विज्ञान तथा तकनीकी केन्द्र १९६२ से भारतीय [illegible] में इसकी स्थापना हुई। इस केन्द्र ने उपग्रह व [illegible] के निर्माण तथा विकास में [illegible] की है। इस केन्द्र में वैज्ञानिक एवं [illegible] भारी संख्या में कार्य करते हैं।

अन्तरिक्ष अनुसंधान की दसवर्षीय योजना भारतीय अन्तरिक्ष आयोग द्वारा अन्तरिक्ष अनुसंधान के लिए १६५ करोड़ रुपए की एक दसवर्षीय (१९७० ८०) योजना तैयार की गई है। इसके प्रथम चरण में ६२ करोड़ तथा द्वितीय चरण में १०३ करोड़ रुपए व्यय होंगे।

चन्द्र नमूनों पर अनुसंधान भारत के दो वैज्ञानिक [illegible] द्वारा लाए गए चन्द्रधूल और चट्टानी नमूनों पर अनुसंधान कर रहे हैं। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान के डा० [illegible] तथा इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ टैक्नालाजी खड़गपुर के डा० [illegible] को यह गौरव मिला है।

राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी भारत में राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी वैज्ञानिकों का गैर सरकारी और स्वतन्त्र संगठन है। ब्रिटेन की रायल सोसायटी अथवा [illegible] अमरीका [illegible] की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमियों के समान ही भारत की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी काम करती है। इसकी स्थापना ७ जनवरी १९३५ को कलकत्ता में हुई थी और अब इसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में बहादुरशाह जफर मार्ग पर है।

भारतीय फेलो ऑफ रॉयल सोसायटी

क्र०	नाम	विशेषता	आयु	पुरस्कार प्राप्ति
१	खुरशेद जी, आरदशिर	जलपात निर्माता तथा इजीनियर	३३	२७-५-१८४१
२	रामानुजन, श्रीनिवास	गणितज्ञ	३१	२-५-१९१८
३	सर जगदीशचंद्र बसु	जीवभौतिकविद	७२	१३-५-१९२०
४	सर सी० वी० रमन	भौतिकविद	३६	१५-५-१९२४
५	मेघनाद साहा	भौतिकविद	३४	१२-५-१९२७
६	बीरबल साहनी	पत्रियाबाटनिस्ट	४४	७-५-१९३६
७	सर करीमनिक्कम श्रीनिवास कृष्णन	भौतिकविद	४२	४-३-१९४०
८	होमी जहांगीर भाभा	भौतिकविद	३२	२०-३-१९४१
९	सर शांतिस्वरूप भटनागर	रसायनज्ञ	४८	१८-३-१९४३
१०	सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर	खगोलभौतिकविद	३४	१६-३-१९४४
११	प्रशान्तचंद्र महालनोबिस	सांख्यिकीविद	५२	२२-३-१९४५
१२	दाराशा नौशेरवान वाडिया	भूगर्भवेत्ता	६४	२०-३-१९५८
१३	सत्येंद्रनाथ बोस	सांख्यिकीविद	६४	२०-३-१९५८
१४	शिशिर कुमार मित्रा	उपरी वायुमंडल भौतिकविद	६८	२०-३-१९५८
१५	तिरुवंकट राजेंद्र शेषाद्रि	रसायनज्ञ	६०	२४-३-१९६०
१६	पंचानन माहेश्वरी	वनस्पतिशास्त्री	६१	१८-३-१९६६
१७	कलियपूडि राधाकृष्ण राव	सांख्यिकीविद	४७	१६-३-१९६७
१८	एम० जी० के० मेनन	भौतिकविद	४२	१९-३-१९७०
१९	बेंजामिन पियरी पाल	कृषिविज्ञाना	६६	१६-३-१९७२
२०	हरिश्चंद्र	गणितज्ञ	५०	१५-३-१९७३
२१	एम० एस० स्वामिनाथन	कृषिविज्ञानी	४८	१५-३-१९७३

निरन्तर प्रगति

१९४७ में भारत स्वाधीन होने के साथ साथ वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी०एस०आई०आर०) की स्थापना की गई। भारतीय उद्योगों की सहायता करने, औद्योगिक अनुसंधान और वैज्ञानिक सूझ-बूझ को बढ़ावा देने तथा देश में अनुसंधान प्रयोगशालाओं का एक जाल सा बिछाने के लिए सी०एस०आई०आर० के अन्तर्गत ४४ अनुसंधान संस्थायें कायरत हैं। इनका बजट आरम्भ में १९५२ में ५ लाख था जो आज १९७३ में बढ़कर २३ करोड़ हो गया है। इसके अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं में १० हजार वैज्ञानिक और तकनीकीविद कार्य कर रहे हैं। सी०एस०आई०आर० ने अभी तक ५१२ प्रविधियां उद्योगों के उपयोग के लिए दी हैं। इनमें से २३७ का इस समय व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है।

गत २६ वर्षों में सी०एस०आई०आर० ने कई नये उद्योगों के विकास में तथा पुराने उद्योगों को समर्थ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सी०एस०आई०आर० ने उद्योगों

के लिए आवश्यक कई प्रकार की सामग्री रचना घटक और साज सामान म भारत का आत्म निर्भर बनाया है। इन सबसे भी अधिक सी०एस०आई०आर० का जो योगदान रहा है वह है विविध विषयो म विभिन्न प्रकार की कच्ची सामग्री की सरक्षण अनुसधान प्रयत्नो को बढ़ावा देना। वज्ञानिका का अधिक योग्य, अधिक सक्षम अधिक प्रबुद्ध और प्रसन्न प्राप्त कार्यों म अधिक दक्ष बनाकर उद्योगो और समाज के विकास के लिये अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया जाता रहा है। अधिकाश राष्ट्रीय प्रयोगशालाए एसी कच्ची सामग्री का सर्वेक्षण करती है जिनकी उनको बहुत अधिक आवश्यकता होनी है। परिणामस्वरूप कच्चे माल के सम्बन्ध म देश कितना सक्षम ह और उसम किन किन वस्तुओ की कमी है इस विषय म हम आज बड़ी अधिक जानकारी प्राप्त है। देश म उत्पादन की बढोत्तरी क लिये इस सम्बन्ध में ज्ञान होना अति आवश्यक है। देश म उपलब्ध कोयला खान चमडा निम्न स्तर का प्राप्त होता है। उसका अच्छे उद्योगो म उपयोग नहीं होता। सी०एफ०आर०आई० धनबाद और सी०एल०आर०आई० मद्रास ने क्रमश कोयल खाल और चमडे का उपयोगी बनाने के लिये नये तरीके निकाले हैं। कई उद्योगो म समुन्नत कोयला काम म लिया जाता है। एसे हो खाल और चमडा भी चमड का अच्छा सामान बनाने क लिये चमडा उद्योगो म काम म लिये जाते हैं। इस दृष्टि स सी०एस०आई०आर० का पिछले २६ वर्षों म भारत के आर्थिक विकास म जो योगदान रहा है वह महत्वपूर्ण है। उसके फलस्वरूप देश में शीशा चमडा रसायन धातु इलेक्ट्रानिक्स उपकरण जैसे उद्योगो का बहुत बडे पमाने पर विकास हुआ है।

इलेक्ट्रानिक्स विगत दो दशको म इलेक्ट्रानिक्स ने भारत म प्राय सभी मानव प्रयत्नो म अपना स्थान बना लिया है। सी०एस०आई०आर० की दो प्रयोगशालायें केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक्स इजीनियरी अनुसधान सस्थान (सी०ई०ई०आर०आई०) पिलानी और राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एन०पी०एल०) नई दिल्ली देश म इलेक्ट्रानिक्स के विकास म महत्वपूर्ण योगदान कर रही है।

सी०ई०ई०आर०आई० ने टलीविजन रिसीवरो का अभिकल्प तयार किया है और उसका विकास किया ह। टी०वी० कमरे बनाये हैं टेप रिकार्डर स्टीरिओफोनिक पिकअप डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव क लिये एक्साइटेशन कट्रोल सिस्टम तथा उनक लिये आवश्यक साज-सामग्री का देश म विकास किया है तथा उनके मूल्यो को गिराकर विदेशी मुद्रा की आवश्यकता म कमी की है। रल क इजिनो म इलक्टानिक मोडयूल काम म आते हैं। ऐसे एक मोड्यूल का मूल्य लगभग ३० हजार रुपये प्रति इजिन होता है। सस्थान न इस इजिन म एक्साइटेशन कट्रोल प्रणाली के इलेक्ट्रानिक भाग का अभिकल्प तयार कर, उसका विकास और निर्माण किया ह। उससे देश को प्रतिवर्ष ३० लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होने की आशा है।

एन०पी०एल० ने भी सोल्डर माइका कपेसिटर सिरमिक कपसिटर मुलायम और कठोर फराइट पाइजो इलेक्ट्रिक सिरेमिक आदि को तयार करने की पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। उनका उत्पादन देश म आरम्भ हो जाने स आयात म कमी हुई है और इसस लगभग २७ लाख रुपये मूल्य की विदशी मुद्रा की बचत सभव हो सकी है।

मशीन केन्द्रीय यात्रिक इजीनियरी अनुसधान सस्थान (सी०एम०आर०एस०) दुर्गापुर ने केबिल और तारो का बनाने की मशीन की एक शृखला सी तयार की है। इनका उत्पादन आरम्भ हो गया है और इससे पर्याप्त विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। इसके अतगत जो मशीनें बाजारो में आयी हैं उनम से कुछ है पेपर इसुलेटिंग मशीन बंचिंग मशीन टिवस्टिंग

मशीन, स्ट्रेडिंग मशीन, कंटीयूग्रस रेजिस्टेंस एनलायर ग्रौर स्लूलर । एक २० ग्रश्व शक्ति के कृषि ट्रैक्टर का भी देश म ही सफलतापूर्वक विकास किया गया है। इसको बनाने से सम्बधित जानकारी पजाब स्टेट इडस्ट्रियल डवलपमेंट कार्पोरेशन को दे दी गयी है।

ईंधन ग्रौर धातु भारत म पाये जाने वाले कोयले में धातु कणो का समावेश होने के कारण उन को ग्रच्छा नही माना जाता। ग्रपने इन ग्रवगुणो के कारण इस कोयले का उद्योगो म विशेषकर धातुकर्म उद्योगो म, उपयोग नही हो पाता। इस कोयले को विशुद्ध करने का काम विदेशी विशेषज्ञो की दृष्टि म ग्रसम्भव था। किन्तु केन्द्रीय इंधन ग्रनुसधान सस्थान (सी०एफ० ग्रार०ग्राई०), धनबाद ने इस सम्बन्ध म जो काम किया है उसके परिणामस्वरूप २ ५ करोड टन कोयला प्रतिवर्ष साफ करने की क्षमता रखने वाले कारखाने का निर्माण हो सका है। कोयला शोधन के कारखाने स्थापित करने से सम्बधित सभी ग्रावश्यक जानकारी प्रदान करके सस्थान ने जिन उद्योगो को स्थापित करने म सहयोग दिया है उनका मूल्य ७० करोड रुपये से ऊपर है।

इधन ग्रौर स्नेहन की कार्यक्षमता का मूल्याकन सम्बन्धी कार्य विदेशो से करवाया जाता था ग्रौर उसम एक नमूने पर लगभग १५ हजार रुपये खर्च होते थे। भारतीय पेट्रोलियम सस्थान (ग्राई०ग्राई०पी०) देहरादून ने ऐसा ही समतुल्य कार्य किया है। सस्थान की विधि से इस कार्य पर लगभग ५ हजार रुपये व्यय होता है ग्रौर एक नमूने पर १० हजार रुपया के बराबर विदेशी मुद्रा की बचत होती है। इसी प्रकार उद्योगो के उपयोग के लिये जो दूसरा कार्य सस्थान द्वारा किया गया है, वह स्नेहन तेलो की सफाई से सम्बधित विधि का विकास करना है। निजी क्षेत्र म लगभग १० उद्योगो को यह विधि उपयोग के लिये दे दी गयी है।

राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला (एन०एम०एल०), जमशेदपुर ने ग्रयस्क ग्रौर गालो के पूर्व लघुकरण ग्रौर स्पज लोहे के उत्पादन के लिये प्रक्रियाग्रो का विकास किया है। जमशेदपुर म सस्थान भवन म २०० टन वार्षिक क्षमता का मग्नेशियम धातु तैयार करने का एक प्रारूप-सयत्र लगाया गया है। यह देश का सामरिक महत्व के धातु ग्रौर उनका मिश्रण तयार करने म ग्रात्मनिर्भर बनाने की दिशा म एक महत्वपूर्ण कदम है। सस्थान ने कई ग्रौर विविध प्रकार के लौह मिश्रधातु तयार करके देश म इनकी कमी को पूरा करने का प्रयत्न किया है। इनम टिन निकल टग्स्टन, ग्रादि उल्लेखनीय हैं।

ग्रौषधि ग्रौर चिकित्सा केन्द्रीय ग्रौषधि ग्रनुसधान सस्थान (सी०डी०ग्रार०ग्राई०), लखनऊ ने गर्भ निरोध के सम्बन्ध म ग्रभी हाल ही म जो ग्रनुसधान कार्य किया है, वह काफी महत्वपूर्ण है। उसने सेंटक्लैयर नामक एक युक्ति तयार की है। इसको इस्तेमाल करने से कोई बुरा प्रभाव नही होता तथा इसम ग्रसफलता की सभावनायें भी बहुत कम हैं। सस्थान का एक ग्रन्य नया ग्राविष्कार हैं सेंटाजोलान, जिस ड्रग कट्रोलर ने ग्रौषधि के रूप म ग्रौषधालयो म परीक्षणो के लिये मुक्त कर दिया है।

काच, सिरेमिक ग्रौर चमडा काच ग्रौर सिरेमिक के क्षेत्र मे ग्रभी तक किए गए ग्रनुसधानो से काच ग्रौर सिरेमिक तथा तत्सम्बधी उद्योगो के लिये ग्रावश्यक सामग्री को देश म ही उपलब्ध करने म बहुत मदद मिली है। देश म इसके लिये जो विधिया तयार की गयी हैं, उनसे लगभग २ ५३ करोड रुपये वार्षिक की बचत हुई है। ये ग्रधिकाश विधिया केन्द्रीय काच ग्रौर सिरेमिक ग्रनुसधान सस्थान (सी०जी०सी०ग्रार०ग्राई०), कलकत्ता द्वारा तैयार की गयी हैं। इनमें से कुछ उल्लेखनीय हैं व्यर्थ ग्रभ्रक से इटो का निर्माण सामरिक महत्व का प्रकाशीय काच ग्रवरक्त किरण काच क्वार्टज वाटर फिल्टर केण्डिल, इत्यादि।

केन्द्रीय चमडा अनुसंधान संस्थान (सी०एल०आर०आई०), मद्रास ने आयात प्रति स्थापन करके बचत करने के सम्बन्ध में जो प्रक्रियायें विकसित की हैं उनमें से कुछ बेल्टिंग चमडे, पिकिंग बण्ड स्ट्रेप और अन्य उद्योग सम्बन्धी चमडे के निर्माण के लिये हैं। इनसे आयात में निरंतर कमी हुई है तथा १९५२ ५३ में आयातित वस्तुओं के मूल्य में ७१ लाख रुपया की बचत के स्थान पर १९६९ ७० में उनके मूल्यों में ७ ७ करोड रुपये की बचत हुआ है।

संस्थान ने निर्यात को दृष्टिगत रखकर जो विधियां विकसित की हैं, उनमें कच्ची खाल और चमडे के अतिरिक्त ई०आई० लदर क्लादिंग लदर वट ब्ल्यू लदर, लाइनिंग श्रोमलदर का सामान एनिमल वेसिंग बकरे के बाल जूते आदि शामिल हैं। उनका १९५२ ५३ में कुल निर्यात २७ ३९ करोड रुपये मूल्य का होता था। अब बढकर ८८ ५५ करोड रुपये मूल्य का हो गया है।

भोजन केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सी०एफ०टी०आर०आई०), मसूर ने यह सिद्ध कर दिया है कि शिशुओं के लिये भैंस के दूध से भी आहार तैयार किया जा सकता है। पहले यह समझा जाता था कि शिशु भैंस का दूध हजम नहीं कर सकते। इस विधि के विकसित होने से शिशु आहार उद्योगों में वृद्धि हुई है। और इसका आयात कम होने से प्रतिवर्ष ६ करोड रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। संस्थान ने उच्च प्रोटीन वाले आहार की विधि भी विकसित की है। यह सस्ती है। इसमें पोषण तत्व भी पर्याप्त मात्रा में होता है और इसे तिलहन और दाल आदि से तैयार किया जाता है।

इंजीनियरी संरचना इंजीनियरी अनुसंधान केन्द्र (एस०ई०आर०सी०) रुडकी ने अधिक ताकत वाली शक्तिशाली लोहे की डिफार्म्ड छडें तैयार की हैं। इनका नाम टिपबार है और ये कंक्रीट को प्रबलित करने के लिये मुलायम इस्पात की जगह इस्तेमाल किया जाता है। केन्द्र ने जो एक अन्य विशेष काम किया है वह फ्युनिकूलरशेल से संबंधित है और इससे इस्पात की काफी बचत हुई है।

केन्द्र ने कम्प्यूटर अध्ययन के आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिजली ले जाने के लिये तार बिछाने में इस्तेमाल होने वाले लोहे के टावरों का अभिकल्प तैयार किया है। इससे इस्पात में १० प्रतिशत की कमी हुई है। अनुमान है कि देश में इस्पात के सभी टावर यदि इस अध्ययन के आधार पर लगाये गये तो इससे चौथी योजना अवधि में ८० करोड रुपये की बचत हो सकेगी।

केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सी० बी० आर० आई०) रुडकी ने कई मंजिल (४ ५) मकान बनाने के सम्बन्ध में अध्ययन किए हैं। संस्थान ने माइक्रोवेव एंटेना टावर लगाने के लिये अण्डररीम्ड पाइल की बुनियाद को उपयोगी पाया है। इसमें लगभग ४० प्रतिशत की बचत होता है। संस्थान ने उत्तर रेलवे के लिये एम टावरों के कई डिजाइन तैयार किये हैं।

रसायन उद्योग रसायन के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण काम किए गए हैं उनमें विभिन्न रसायन तैयार करने की विधियां, छपाई रोधी रंग रोगन, मट्रिक्स बाइंड आदि उल्लेखनीय हैं। राष्ट्रीय रसायनिक प्रयोगशाला (एन०सी०एल०) पूना ने उद्योगों से सम्बन्धित रसायन रंग आदि मध्यवर्ती रसायन आदि तैयार करने के लिये अभी तक १२० विधियां विकसित की हैं। इनमें से ८० विधियां उद्योगों को दे दी गया हैं और उनमें से भी एन०सी०एल० की ५५ विधियां उपयोग में लाई जा रही हैं। क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (आर०आर०एल०), हैदराबाद ने स्वदेशी कच्चा सामग्री से छपाई रोधी रंग रोगन तैयार किया है। आशा की जाती है कि इससे निकट भविष्य में लगभग एक लाख डालर के रंग रोगन का आयात कम हो जाएगा।

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर

—डा० चन्द्रिका ठाकुर, कुलपति



जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना म० प्र० विधान सभा एक्ट द्वारा १ अक्टूबर सन् १९६४ को हुई।

भारत के अन्य कृषि विश्वविद्यालयों की भांति इस कृषि विश्वविद्यालय की शिक्षा पद्धति संयुक्त राष्ट्र अमरिका के लैण्ड ग्रांट विश्वविद्यालय की पद्धति पर आधारित है जिसका कि मुख्य उद्देश्य कृषि व सम्बन्धित विज्ञानों के शिक्षण व विस्तार का एकीकरण करना है।

विश्वविद्यालय के ग्यारह संघटक महाविद्यालय एवं १९ अनुसंधान केन्द्र एवं प्रक्षेत्र प्रदेश की विभिन्न भूमि एवं जलवायु वाले क्षेत्रों में स्थित हैं।

नौ वर्ष के अल्पकाल में इस विश्वविद्यालय ने उल्लेखनीय प्रगति की है। व्यावहारिक पाठ्यक्रम तकनीकी प्रशिक्षण, आवासीय शिक्षा के अतिरिक्त ग्राम सेवकों के लिये अल्पकालीन स्नातक पाठ्यक्रम (कृषि महाविद्यालय, रीवा), दुग्धशाला एवं कुक्कुट पालन के एक वर्षीय व्यावहारिक प्रशिक्षण के अतिरिक्त सस्यविज्ञान, मृदा विज्ञान सूक्ष्म विज्ञान और पशुपोषण विज्ञान में पी० एच० डी० उपाधि तक शिक्षा आरम्भ हो चुकी है। गृह विज्ञान एवं मत्स्य पालन महाविद्यालय भी सन १९७३ सत्र से जबलपुर में प्रारम्भ हो चुके हैं।

विश्वविद्यालय ने मुख्य फसलों की कई उन्नत किस्में विकसित की हैं। इनमें गेहूं नर्मदा ४ मूंग जवाहर मक्का चन्दन सफेद २ कपास खण्डवा २ तथा बड़नावर २ मूंगफली ज्योति और तिल एन ६२ अलसी आर १७ और नं० ५५ चना जे० जी० ६२ तथा मटर जी० सी० १४१ महत्वपूर्ण हैं।

मानव निर्मित अनाज ट्रिटिकेल पर महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्य इस विश्वविद्यालय में चल रहा है। विभिन्न दलहन फसलों के लिये राइजोबियम सम्बन्ध तथा सोयाबीन कुसुम सूर्यमुखी पान एवं अदरक के अतिरिक्त अफीम पर विशेष अनुसंधान कार्य हुआ है। असिंचित खेती पर भी एक परियोजना इन्दौर तथा रीवा में प्रारम्भ की गई है। मिश्रित खेती पर प्रयोग जारी है।

पशुपालन एवं पशुचिकित्सा सकाय के अन्तर्गत होल्सटीन फ्रिजियन नस्ल के हिमीकृत वीर्य से थारपारकर गायों का संकरण किया जा रहा है। स्थानीय भेड़ों के संकरण से मांस एवं ऊन के गुण तथा मात्रा में सुधार किया गया है।

कृषि अभियान्त्रिकी सकाय ने खेती के उन्नत यन्त्र निर्मित किये हैं। विस्तार शिक्षा गतिविधियों को गति देने के उद्देश्य से अनेक कृषि पुस्तिकायें कृषि नगर डायरी के अतिरिक्त कृषि विश्व नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन भी आरम्भ किया गया है। कृषि विश्वविद्यालय से खेतों की ओर' रेडियो कार्यक्रम काफी लोकप्रिय है।

विश्वविद्यालय ने कई योजनाएं बनाई हैं जिन्हें पांचवीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया जावेगा। इनमें वन महाविद्यालय की स्थापना उत्तम बीजों का उत्पादन एवं प्रमाणीकरण एवं कृषि अनुसंधान का विकास प्रमुख हैं।

मध्य प्रदेश को भारत का धान्यागार बनाना ही कृषि विश्वविद्यालय का लक्ष्य है।

: २८ :

पुस्तकालय

१५ अगस्त १९४७ को भारत आजाद हुआ। उस समय देश की केवल १५ प्रतिशत जनता ही लिख-पढ सकती थी। साक्षर लोगो म से केवल एक चौथाई मिडिल तक शिक्षा पाए हुए थ। दूसर शब्दो मे, भारत की कुल जनसख्या का ४ प्रतिशत से भी कम भाग इस योग्य था कि वह पुस्तकालयो का लाभ उठा सके। साथ ही साक्षर जनता का अधिकाश शहरो और कस्बो मे था। देश की कुल जनता का ८८ प्रतिशत भाग ५ लाख गावो म रहता था जहा तक ज्ञान का प्रकाश पहुचा ही नही था। यही नही जो ३ प्रतिशत जनता पुस्तकालयो का लाभ उठा सकती थी उसके लिए पुस्तकालयो की समुचित व्यवस्था नही थी।

स्वतत्रता के बाद से देश मे साक्षरता की दर १५ प्रतिशत से बढकर ३० प्रतिशत हो गई है लेकिन इसके बावजूद कुल मिलाकर निरक्षर लोगो की ही सख्या बढी है। इसका कारण यह है कि नव साक्षर लोग पढने की सुविधाओ के अभाव म निरक्षर लोगो की पक्ति मे आ जाते हैं। अत इन लोगो और अध शिक्षित लोगो के लिए सावजनिक पुस्तकालयो की व्यवस्था करना अनिवाय है।

इस समस्या का एक और भी पहलू है। व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कोई व्यक्ति चाहे वह इजीनियर डाक्टर अथवा तकनीशियन हो एक बार गाव मे नौकरी कर लेन के पश्चात अपन काय क्षेत्र की नई-नई खोजो से अनभिज्ञ रहता है। उसके पास इनके बारे म जानकारी हासिल करन का कोई साधन ही नही ह। ये विशेषज्ञ दूर दूर फले स्थानो म बिखरे हुए है। अत सभी क लिए अलग अलग पुस्तकालय की व्यवस्था करना कठिन है। उन्हें पास क सावजनिक पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध करानी होगी और यह तब तक नही हो सकता जब तक कि देश भर म जगह-जगह सावजनिक पुस्तकालय न खोल दिए जाए। इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि किसी व्यक्ति को अपन घर अथवा काम करने के स्थान से पुस्तकालय तक पहुचन के लिए २० मिनट से अधिक न चलना पडे।

राष्ट्रीय सावजनिक पुस्तकालय प्रणाली क अन्तगत कलकत्ता के राष्ट्रीय पुस्तकालय क अतिरिक्त देश के छहो प्रशासकीय क्षेत्रो म एक एक केन्द्रीय पुस्तकालय खोलन की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त जिला पुस्तकालय प्रणाली के अन्तगत कस्बो और गावो म पुस्तकालय खोल जाते हैं।

मद्रास और बम्बई म क्षेत्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय खोले गए है। आज २१ मे स १७ राज्यो म केन्द्रीय या राज्य पुस्तकालय हैं। इनके अलावा देश क ३७१ जिलो म स ३३६ जिलो म जिला केन्द्रीय पुस्तकालय हैं। १५०० विकास खण्डो और ४० ००० गावो म भी पुस्तकालय है।

पुस्तकालय हैं जिनमे काशी हिंदू विश्वविद्यालय का पुस्तकालय सकलन की दृष्टि से सबसे बडा है जिसमे ८ लाख पुस्तकें हैं। कालेजो मे आगरा कालेज का केन्द्रीय ग्रथालय प्राचीन और विशाल है।

नेशनल लायब्रेरी कलकत्ता

यह भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय है जो सामान्यतया सभी सकलना के लिए है। यह पुस्तकालय सावजनिक रूप में १८३५ म स्थापित हुआ था। १९३० म इसका पुनगठन हुआ और इसका स्वरूप इम्पीरियल लाइब्रेरी का है तथा स्वतत्रता के बाद राष्ट्रीय पुस्तकालय का रूप धारण किया जिसका शिलान्यास स्व० प० जवाहरलाल नेहरू ने १९६३ म किया था।

इसका सपूण सकलन १४ लाख है। इस पुस्तकालय का ७५ ००० पुस्तकें सर आशुतोष मुकर्जी से दान के रूप मे प्राप्त हुई। पूरे वष म यह पुस्तकालय केवल तीन दिन बद रहता है और ५२३ कायकर्ता काम करते है। १७ ००० प्रकाशन प्रति वष बुक डिलीवरी एक्ट के आधार पर इस पुस्तकालय को प्राप्त होते हैं और वार्षिक खच लगभग ३३लाख रुपये है। इस पुस्तकालय म १७ ००० पाठक पजीकृत हैं और ७७ ००० से अधिक पुस्तकें प्रत्येक वष पढ़ने के लिए प्रदान की जाती हैं।

3815

गुजरात स्टेट को-ऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक लि०

४८६, आश्रम रोड, अहमदाबाद-६

टेलीफोन नबर { ५०५३६ एम० डी०, ७६२८७ } कार्यालय, ७६,८८ } कार्यालय

ग्राम 'खेती बक'

फिक्सड डिपोजिट योजना

इस बक मे आकषक ब्याज की दर से फिक्सड डिपोजिट मे धन राशि जमा करवाकर अपने धन का उचित लाभ उठाईये।

१ वष के लिये ७ प्रतिशत
२ वष के लिये ७॥ प्रतिशत

बैंक का कृषि-ऋण मे योगदान

सदस्य सख्या	६ लाख ४५ हजार
शेयर कॅपिटल	रु० १० करोड ८१ लाख
रिजव फड	रु० २ करोड ४६ लाख
डिबेंचस द्वारा	
एकत्रित किया हुआ फड	रु० १६२ करोड ४१ लाख
कुल ऋण	रु० १७३ करोड ५३ लाख

मोरनभाई भावजीभाई पटेल
चेयरमेन

भीणाभाई दरजी
उपाध्यक्ष

ह० म० जोशी
आई ए एस
मनेजिंग डायरेक्टर

महावाणी

देशबासीहरूको सुख दु ख नै हाम्रो सुख दु ख हो,

देश र जनताको स्वार्थ नै हाम्रो एकमात्र स्वार्थ हो।

—श्री ५ वीरेन्द्र

शुभकामनाका साथ

डा० योगेन्द्र झा

काठमांडू

महावाणी

देशवासीहरूको सुख दुःख नै हाम्रो सुख दुःख हो,

देश र जनताको स्वार्थ नै हाम्रो एकमात्र स्वार्थ हो।

—श्री ५ वीरेन्द्र

शुभकामनाका साथ

डा० योगेन्द्र झा

काठमांडू

महावाणी

देशबासीहरूको सुख दुःख नै हाम्रो सुख दुःख हो,
देश र जनताको स्वार्थ नै हाम्रो एकमात्र स्वार्थ हो ।

—श्री ५ वीरेन्द्र

है। क्रिकेट के क्षेत्र म सन १९७२ म टेस्ट श्रखला शुरु होने से भारत ने ब्रिटेन पर अजीत वाडेकर की कप्तानी म दूसरी सफल विजय प्राप्त की। भारत २ १ से विजयी रहा। अजित वाडेकर के नाम एक और विजय लिखी गई और विजय की सीढी पर भारतीय क्रिकेट का एक और अध्याय जुड गया जो कुल मिलाकर एक सुखद घटना कही जाएगी।

हाकी मोर्चे पर भारतीय टीम ने विश्व कप के फाइनल में चहुमुखी खेल का प्रदर्शन किया किन्तु दुर्भाग्य से ट्राईब्रेकर म हार गई। फिर भी भारतीय टीम का खेल ओलम्पिक म जहा उसे केवल कास्य पर ही धैर्य रखना पडा काफी अच्छा एव प्रभावी रहा। १९२८ म एमस्टडम म भारत न प्रथम बार अपना प्रभुत्व जमाया था। भारत एक बार फिर अन्तर्राष्ट्रीय खिताब जीतने से वचित रह गया। हाकी के मैदान म पुराने प्रतिद्वदी पाकिस्तान को १ ० से हराने के बाद ऐसा निश्चित प्रतीत होने लगा था कि एक बार फिर एम्सटडम से ही भारतीय हाकी के नये युग की शुरुआत होगी। हमारी टीम ने अत्यन्त मजबूत जापानी टीम का डटकर मुकाबला किया तथा उसे हराया। पश्चिम जमनी का अन्त तक मुकाबला किया। पाकिस्तान को भी हराया अन्त म पनाल्टी स्ट्रोक का लाभ न उठा सकने के कारण ही स्वणपदक से वचित रहना पडा।

अक्तूबर १९७३ में राजधानी दिल्ली में भारतीय ग्राड प्री टेनिस चपियनशिप में मद्रास के युवक विजय अमृतराज ने आस्ट्रेलिया के अनुभवी टेनिस खिलाडी माल एण्डरसन को पराजित कर पुरुष एकल का खिताब जीता। छठे एशियाई जूनियर टेनिस का विजेता भारत बना। चपियनशिप के फाइनल मुकाबले म उसने ईरान को ३ ० से मात दी। एकल प्रतियोगिता म भी भारत का प्रदशन शानदार रहा और वह छठे एशियाई जूनियर टेनिस म एकल प्रतियोगिता का उपविजेता रहा और युगल का विजेता बना। अमृतराज को भारतीय टेनिस का प्रथम अग्रणी खिलाडी माना गया है। अब लगभग दो दशकों के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि मानो भारतीय टेनिस के इतिहास म विश्व चपियन बनने की सबसे अधिक सम्भावना १९ वर्षीय विजय अमृतराज की ही हो।

भारतीय गोल्फ टीम ने जिसमें लक्ष्मणसिंह आर० के० पीताम्बर पी० जी० सेठी और विक्रमसिंह थे जकार्ता म एशियाई एमच्योर गोल्फ टीम का खिताब जीता। देश का प्रतिनिधित्व करने वाले पाचों मुक्केबाजों ने एक स्वणपदक एव दो रजत पदक प्राप्त कर देश के गौरव को बढाया है। विश्व विनियड म म भारत के सतीश मोहन और माइकल फरेरा ने द्वितीय एव तृतीय स्थान प्राप्त किया है।

कुश्ती क्षेत्र में इस वर्ष सादू चौगुले ने राजधानी म आयोजित महानभारत केसरी प्रतियोगिता म महाभारत केसरी के गुर्ज को जीतने म सफल हुआ। पहलवान सतपाल इस बार भारतकेसरी व सतपाल उदीयमान पहलवान भारत कुमार का गुर्ज जीतने म सफल हुआ। ओलम्पिक खेलो म यहा पर प्रशिक्षण न होने के कारण ही कुश्ती के जादूगर पद्मश्री मास्टर चन्दगीराम सरीखे पहलवान भी मात खा गए थे। आगामी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओ म भाग लेने वाले पहलवानों की शीघ्र घोषणा होने वाली है। ऐसा विश्वास है कि आगामी वर्ष इस क्षेत्र म भी भारत नई उपलब्धिया प्राप्त करेगा।

एशियाई खेलों में भारत का दूसरा स्थान

१६ नवम्बर ७३ से २३ नवम्बर ७३ तक ८ दिन का प्रथम एशियाई एथलेटिक प्रतियोगिता मनीला म हुई। पदक तालिका म भारत का स्थान दूसरे नम्बर पर आया जबकि जापान प्रथम

रहा। कुल मिलाकर १८ देशों ने इसमें भाग लिया। प्रतियोगिता के परिणामों को देखकर कहा जा सकता है कि भारतीय एथलीट्स विश्व भर के एथलीट्स से तो नहीं, मगर एशिया के अन्य देशों के एथलीट्स से किसी प्रकार भी कम नहीं रहे। भारत ने कुल मिलाकर १६ पदक हासिल किए जिनमें ४ स्वर्णपदक ६ रजतपदक और ६ कांस्यपदक हैं। भारतीय टीम के कप्तान प्रवीण कुमार चक्का फेंकने में स्वर्ण पदक तो न जीत सके फिर भी ४६.८ मीटर चक्का फेंककर रजत पदक जीतने में सफलता प्राप्त की।

प्रतियोगिता में अजमेर सिंह ने ६०.४२ मीटर तार गोला फेंककर भारत के लिए पहला स्वर्णपदक प्राप्त किया। ५००० मीटर की दौड़ में भारत के शिवनाथ सिंह जापान के इचिका साओ से केवल ०.१ सेकेंड से पीछे रह गए, उन्हें रजत पदक मिला। १०,००० मीटर की लम्बी दौड़ में जापान के इचिका साओ और भारत के शिवनाथ सिंह एकबार पुनः प्रथम व द्वितीय नम्बर पर आए। २० नवम्बर (आखिरी दिन) को भारत के एथलीट्स ने सात पदक जीते जिनमें तीन स्वर्णपदक थे। इसके अतिरिक्त गोला फेंकने के मुकाबले में तो भारत ने तीनों स्थान प्राप्त किए। ज्ञानराज सिंह ने १७ मीटर गोला फेंककर पहला स्थान (स्वर्णपदक) गुरदीप सिंह ने दूसरा व बहादुर सिंह ने तीसरा स्थान अर्जित किया।

ट्रिपल जम्प (त्रिकूद) में मोहिन्दर सिंह गिल ने १५.६६ मीटर कूदकर स्वर्णपदक और टी० सी० योहानान ने १५.६६ मीटर कूदकर कांस्य पदक लिया। भारत के विजय चौहान ने डिकैथलिन प्रतियोगिता में ७३८५ अंक प्राप्त करके स्वर्णपदक लिया। दूसरी एशियाई एथलेटिक प्रतियोगिता १९७५ में दक्षिण कोरिया में होगी।

एशियाई खेल

एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन स्व० प्रधान मन्त्री पं० जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा से १९५१ में भारत में हुआ। इसमें जापान का दल चैम्पियन बना जबकि भारत ने ५ स्वर्ण ८ रजत और ६ कांस्य पदक जीत कर दूसरा स्थान प्राप्त किया था। इसके बाद इन खेलों का आयोजन १९५४ में मनीला १९५८ में टोकियो १९६२ में जकार्ता १९६६ में बैंकाक और १९७० में भी बैंकाक में किया गया। भारत का स्थान पांचवां रहा। इसने ६ स्वर्ण ६ रजत और १० कांस्य पदक जीते। १९७४ में मनीला में खेलों का आयोजन हुआ भारत ने १६ पदक जीते।

फुटबाल प्रथम एशियाई खेलों में फुटबाल में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। दूसरे खेलों में सेमीफाइनल में इण्डोनेशिया से पराजित हो गया। तीसरे खेलों में पुनः सेमीफाइनल में कोरिया से हार गया। चौथे खेलों में पुनः स्वर्ण पदक जीता। पांचवें खेल में बिल्कुल असफल रहा। बैंकाक के छठे खेलों में जापान को पराजित कर कांस्य पदक जीता।

दौड़कूद (एथलेटिक्स) दौड़कूद में भारत ने हर बार एशियाई खेलों में धाक बनाये रखी। प्रथम खेलों में हमारे अमर लेवी पिंटो ने १०० एवं २०० मीटर में रिकार्ड बनाये। चक्का और गोला फेंक में भारत का एकाधिकार रहा। दूसरे खेलों में बाधा दौड़ में सरवन एवं ऊंची कूद में अजीत ने स्वर्ण पदक जीते। तीसरे खेलों में मिल्खासिंह ने २०० और ४०० में रिकार्ड बनाए। महिन्दर सिंह त्रिकूद में प्रथम रहे। गुरबचन सिंह ने डेकाथलन में स्वर्ण पदक पाया।

जकार्ता खेलों में पुनः मिल्खा का मुकाबला न था। ८०० मीटर में दलजीत १५०० में महिन्दर, ५ और १० हजार में तरलोक प्रथम रहे। खेलों में पुनः भारत ने स्वर्ण

कमाया। चौथे खेलो में भारत ने मिलखा सिंह ने ४००, माहिन्दर ने १५००, किशोर ने १०,००० मीटर १००×४ रीले में स्वर्ण पदक जीते।

पांचवें खेलों में भारत के अमर ४०० मीटर में बाल्या ८०० मीटर में भीमसिंह ऊंची कूद में जोगिन्दर गोला फेंक में प्रवीण चक्का फेंक में स्वर्ण पदक विजेता बने।

छठे खेल में भारत के माहिन्दर ने कूद में जोगिन्दर ने गोला फेंकने में तथा प्रवीन ने डिसकस में तथा महिलाओं की ४०० मीटर दौड़ में कमलजीत संधु ने स्वर्ण पदक जीते। लाभसिंह त्रिकूद रामसिंह ८०० मीटर चौहान ६०० मील स्कीरा ५००० मीटर में रजत पदक और मुख्तारसिंह ४०० मी० गुरमेज २००० मीटर पगबाधा भीमसिंह ने ऊंची कूद में १०० मीटर रीले में कांस्य पदक जीते।

हाकी नई दिल्ली और मनीला के खेलों में हाकी शामिल नहीं थी। १६५८ में हाकी प्रथम बार सम्मिलित की गई। भारत गोल अनुपात से दूसरा और पाकिस्तान प्रथम माना गया। जकार्ता में भारत ० २ से पाकिस्तान से फाइनल में हारा। बैंकाक में भारत ने प्रथम बार स्वर्ण पदक जीता। छठे खेलों में फाइनल में पाकिस्तान से ० १ से हारा। भारत ने रजत पदक जीता।

कुश्ती दूसरे एशियाई खेलों में जब कुश्ती समाविष्ट हुई तो भारतीय टीम ने दो पदकों से जीत का श्रीगणेश किया। हमारे खालिद को रजत और राय को कांस्य पदक मिला। तीसरे खेलों में हमारे पहलवान जकार्ता नहीं गए। जकार्ता के चौथे खेलों में हमारे सात पहलवानों ने बारह पदक जीते। हमारे मालवा मारुतिमान और गणपत ने एक एक स्वर्ण के साथ एक एक अन्य पदक जीता। उदयचन्द ने दो रजत तथा पाण्डे और गुहम ने एक एक कांस्य पदक पाया। पांचवें खेलों में हमारे पहलवानों ने कमाल ही कर दिया। सात सदस्यों ने १२ पदक जीते। मालवा स्वर्ण व कांस्य मारुतिमान स्वर्ण व रजत गणपत स्वर्ण व रजत उदयचन्द दो रजत सज्जनसिंह रजत गुहम कांस्य व रजत पांडे कांस्य। कुश्ती के ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल दोनों मुकाबलों में हमारे पहलवानों की धाक रही। बैंकाक के छठे खेलों में भारत को एक स्वर्ण एक रजत और तीन कांस्य पदक मिले। मास्टर चन्दगीराम स्वर्ण जीतसिंह रजत और सोमी मुख्तियार व नेत्रपाल को कांस्य पदक मिले।

अन्य खेल मुक्केबाजी के हैवीवेट वर्ग में हवासिंह ने स्वर्ण पदक जीता। फ्लाईवेट में मुनुस्वामी वेणु ने रजत जीता। वाटरपोलो में भारत ने १६५१ के बाद दूसरी बार भाग लिया और रजत पदक प्राप्त किया। साइक्लिंग और बास्केटबाल में असफल रहे। नौका दौड़ में सोली कान्ट्रैक्टर और अफसर हुसैन ने कांस्य पदक जीता।

राष्ट्रमंडल खेल

प्रारम्भ में यह खेल ब्रिटेन के उपनिवेशों और ब्रिटेन के बीच आपसी सद्भावना बनाये रखने के लिये शुरू किये गये थे। धीरे धीरे उनके सभी उपनिवेश आजाद हो गये अतः अब यह राष्ट्रमण्डल खेलों का रूप ले चुके हैं। यह खेल प्रत्येक चार वर्ष बाद होते हैं।

भारत ने सिडनी खेलों से इसमें भाग लेना शुरू किया था। १६५८ के कार्डिफ खेलों में हमें अच्छी सफलता मिली। हमारे धावक मिल्खासिंह और पहलवान लीलाराम ने स्वर्ण पदक जीते। चीनी हमले के कारण भारत ने १६६२ में भाग नहीं लिया। जमैका में आयोजित १६६६ के खेलों में हमारे तीन पहलवानों भीमसिंह विशम्भर और मुख्तियार सिंह

भारतीय खिलाडियो के राष्ट्रीय रेकार्ड

(१ अक्तूबर १९७३ तक)

१०० मीटर	चेनय पावेल	१० ४ सक०	१९६५
२००	मिलखा सिह	२० ८	१९६०
४००		४५ ६	१९६०
८००	श्रीराम सिह	१ ४७ ३	१९७२
१ ५००	एडवर्ड सिक्वेरा	३ ४३ ७	१९६६
५ ०००		१४ ०१ ४	१९७२
१० ०००	कृपाल सिह	२९ ३४ ०	१९६७
३ ००० स्टापलचेज	गुरमज सिह	८ ५३ २	१९७०
११० बाधा	गुरबचन सिह	१४ ०	१९६४
४०० बाधा	श्रम तपाल	५२ २	१९६२
ऊची कूद	भाम सिह	२ ०९ मीटर	१९६८
पोल वाल्ट	लखबीर सिह	४ २१	१९६९
लबी कूद	टी० सी० युहानन	७ ६०	१९७२
तिकडी कूद	मोहिंदर सिह गिल	१६ ७९	१९७१
शाट पुट	जगराज सिह	१७ ८४	१९७३
चक्का फेंक	प्रवीण कुमार	५६ ७४	१९७३
हमर फक		६५ ७६	१९६९
नेजा फेंक	राज सिह	७० १८	१९७३
डिकेथलन	वी० एम० चौहान	७३७८ अक	१९७२
४×१०० मीटर रिल	राष्टीय दल	४० ५ सकड	१९६४
४×४००		३ ०८ ८	१९६४
मेराथन	हरनक सिह	२ घटे १८ मि ४८ ६ स	१९६९
२० किलामीटर पदल	बचन सिह	१ घ २७ मि ५७ ६ से	१९६७
५० किलोमीटर पदल	बिशन सिह	४ घ १९ मि ४६ ४ स	१९७०

भारतीय महिला खिलाडियो के राष्ट्रीय रेकार्ड

(१ अक्तूबर १९७३)

१०० मीटर	एम डी साजा	१२ २ स	१९६१
	निमला उथया	१२ २	१९७२
२००	एन राधा	२४ ९ ,	१९७३
४००	कमलजीत सधू	५६ ३ ,	१९७०
८००	जलज नायन	२ १४ २ ,	१९७३
१,५०० ,		४ ४४ ३ ,	१९७३
१०० मीटर बाधा	मजीत वालिया	१४ ३ ,,	१९७०
ऊचा कूद	गाम्ज	१ ५७ मीटर	१९६८
लबा कूद	मी फारज	५ ७१ ,	१९६६

शॉट पुट	क छनवाल	,१२ ८३ ,,	१९६६
चक्का फेंक	अनुसूया बाई	४१ २	१९७३
नजा फेंक	ई डेवनपाट	४७ ३८	१९६४
पेंटाथलन	मी फारेज	३९३१ अक	१९६५
४x१०० मीटर रिल	राष्ट्रीय दल	४६ ४ म	१९५८

ओलंपिक खेल प्रतियोगिताओं में भारत का स्थान

१९००	परिस	एन जी प्रिचाड २०० मीटर रजत पदक।
१९२४	परिस	जे के पिट ४०० मीटर सेमी फाइनल म ततीय।
१९२४	परिस	दिलीप सिंह ऊची कूद म छठा स्थान।
१९३२	लास एजल्स	एम मक्त ११० मीटर बाधा म सातवा स्थान।
१९४८	लदन	एच रिबैंलो लिम्बी कूद क फाइनल म बाहर।
१९४८	लदन	बलदेव सिंह ऊची कूद क फाइनल म बाहर।
१९४८	लदन	क डी जादव बटमवट कुश्ती म छठा स्थान।
१९५२	हेलसिंकी	क डी जादव फ्री स्टाइल बटमवेट म कांस्यपदक।
१९५२	हलसिंकी	माथ्यू फ्री स्टाइल फेदरवेट म चौथा स्थान।
१९५२	हलसिंकी	लेवी पिंटो १००–२०० मीटर दौड म समी फाइनल तक पहुचे।
१९६०	राम	मिलखा सिंह ४०० मीटर म चौथा स्थान।
१९६०	रोम	माधा सिंह मिडिलवेट कुश्ती म छठे।
१९६४	टाकियो	गुरबचन सिंह ११० मीटर बाधा म पाचव।
१९६४	टाकियो	स्टीफा डिसूजा ८०० मीटर समी फाइनल म सातवा स्थान।
१९६४	टाकियो	विशम्भर सिंह फ्री स्टाइल बटमवेट कुश्ती म छठा स्थान।

ओलंपिक हॉकी में भारत

१९२८	स्वण पदक	१९५६	स्वण पदक
१९३२		१९६०	रजत पदक
१९३६		१९६४	स्वण पदक
१९४८	,	१९६८	कास्य पदक
१९५२।		१९७२	,, ,,

फुटबाल म १९५६ म चौथा स्थान

२०वें म्यूनिख ओलम्पिक में पदक विजेताओं की सूची

	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल
सोवियत रूस	५०	२७	२२	९९
अमरीका	३३	३१	३०	९४
पूर्व जर्मनी	२०	२३	२३	६६
पश्चिम जर्मनी	१३	११	१६	४०
जापान	१३	८	८	२९
आस्ट्रेलिया	८	७	२	१७
पोलंड	७	५	८	२०
हंगरी	६	१३	१५	३४
बल्गारिया	६	१०	५	२१
इटली	५	३	१०	१८
स्वीडन	४	६	६	१६
ब्रिटेन	४	५	९	१८
रूमानिया	३	१	४	८
क्यूबा	३	१	४	८
हालैंड	३	१	१	५
फ्रांस	२	४	७	१३
चेकोस्लोवाकिया	२	४	२	८
केन्या	२	३	४	९
युगोस्लाविया	२	१	४	७
नार्वे	२	१	१	४
उत्तर कोरिया	१	१	३	५
न्यूजीलैंड	१	१	१	३
युगांडा	१	१	०	२
डेनमार्क	१	०	०	१
स्विटजरलैंड	०	३	०	३
कनाडा	०	२	३	५
ईरान	—	२	१	३
बेल्जियम	०	२	०	२
यूनान	—	२	—	२
आस्ट्रीया	०	१	२	३
कोलंबिया	०	१	२	३
मेक्सिको	०	१	०	१
पाकिस्तान	०	१	०	१
ट्यूनिसिया	०	१	०	१

अर्जेंटीना	०	१	०	१
दक्षिण कोरिया	०	१	०	१
लेबनान	०	१	०	१
तुर्की	०	१	०	१
मंगोलिया	०	१	०	१
ब्राजील	०	०	२	२
इथियोपिया	०	०	०	०
स्पेन	०	०	२	२
जमैका	०	०	१	१
भारत	०	०	१	१
नाइजीरिया	०	०	१	१
घाना	—	—	१	१

अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट भ्रमण

वेस्टइंडीज के विरुद्ध १९७१ में वेस्टइंडीज भ्रमण के दौरान भारत ने शृंखला जीती। इससे पूर्व वहां दो शृंखलायें हारी। भारत में तीन शृंखलाओं में हम हारे। अब १९७४-७५ में वेस्टइंडीज टीम भारत भ्रमण पर आयेगी। हमारी टीम वेस्टइंडीज १९७६ में जायेगी।

न्यूजीलैंड के विरुद्ध न्यूजीलैंड में दो शृंखला जीती और एक में बराबर छूटे और वहां एक भ्रमण जीता।

पाकिस्तान के विरुद्ध पाकिस्तान के साथ एक भ्रमण हमने जीता और एक बराबर छूटा। वहां एक भ्रमण बराबर रहा।

टेस्ट रिकार्ड कुल मिलाकर भारत ने अब तक १२४ टेस्ट खेले हैं। १७ में विजयी रहा ५८ में बराबर रहा और ४९ टैस्ट हारे।

इंगलैंड के साथ इंगलैंड के विरुद्ध कुल चालीस टेस्ट खेले गए। वहां कुल २५ खेले गए जिनमें भारत एक जीता १७ हारा और ७ में बराबर रहा। यहां कुल १५ टेस्ट खेले जिनमें हमने ३ जीते १ हारा और ११ में बराबर रहे।

आस्ट्रेलिया के साथ आस्ट्रेलिया के विरुद्ध २५ टेस्ट खेले गए जिनमें वहां कुल ९ टेस्ट खेले। एक में बराबर रहे और आठ हारे। यहां कुल १६ खेले जिनमें ३ में हम जीते, ८ हारे और ५ में बराबर रहे।

वेस्टइंडीज के साथ वेस्टइंडीज के विरुद्ध कुल २८ टेस्ट खेले गए। वहां कुल १५ टेस्ट हुए। इनमें भारत एक में जीता ८ में बराबर रहा और ६ में हारा। यहां कुल १३ टेस्ट हुए जिनमें भारत ७ में बराबर रहा ६ में हारा।

पाकिस्तान के साथ कुल १५ टेस्ट हुए। यहां १० हुए जिनमें भारत २ में जीता ७ में बराबर रहा और १ में हारा। वहां पांच टेस्ट हुए जो सभी बराबर छूटे।

न्यूजीलैंड के साथ इसके विरुद्ध कुल १६ टेस्ट हुए। वहां चार जिनमें तीन में भारत जीता और एक में हारा। यहां कुल १२ टेस्ट हुए जिनमें चार में भारत विजेता रहा ७ में बराबर और एक में हारा।

भारत ने अब तक निम्न १८ टेस्ट जीते और निम्न देशों को मात दी—

(१) इंग्लैंड को मद्रास में	१९५१-५२	में
(२) पाकिस्तान को दिल्ली में	१९५२-५३	
(३) पाकिस्तान को बम्बई में	१९५२-५३	„
(४) न्यूजीलैंड को बम्बई में	१९५५-५६	„
(५) न्यूजीलैंड को मद्रास में	१९५५-५६	
(६) आस्ट्रेलिया को कानपुर में	१९५९-६०	„
(७) इंग्लैंड को कलकत्ता में	१९६१-६२	„
(८) इंग्लैंड को मद्रास में	१९६१-६२	„
(९) आस्ट्रेलिया को बम्बई में	१९६३-६४	
(१०) न्यूजीलैंड को दिल्ली में	१९६४-६५	
(११) न्यूजीलैंड को डुनेडिन में	१९६७-६८	„
(१२) न्यूजीलैंड को वालिंगटन में	१९६७-६८	„
(१३) न्यूजीलैंड को आकलैंड में	१९६७-६८	„
(१४) न्यूजीलैंड को बम्बई में	१९६९-७०	
(१५) आस्ट्रेलिया को दिल्ली में	१९६९-७०	
(१६) वेस्टइंडीज को पोर्ट आफ स्पेन में	१९७०-७१	
(१७) इंग्लैंड को लन्दन में	१९७०-७१	
(१८) इंग्लैंड को भारत में	१९७२-७३	

राष्ट्रीय मुकाबले

राष्ट्रीय कुश्ती फ्रीस्टाईल कुश्ती का प्रचार भीला में सम्बद्ध भारतीय कुश्ती संघ द्वारा किया जाता रहा है। इसी संघ में देसी कुश्ती के प्रचार के लिए कदम भी उठाए और राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में हिन्द केसरी आदि मुकाबले कराए जाते हैं। इस वर्ष हिन्द केसरी मास्टर चन्दगीराम बने।

देसी कुश्ती संघ पिछले कई वर्ष से देसी कुश्ती संघ अलग काम करता है। भारत केसरी और भारत भीम मुकाबले इस संघ की महत्वपूर्ण देन हैं। अब महान भारत केसरी का मुकाबला भी होने लगा है।

भारत केसरी १९६८ मास्टर चन्दगीराम १९६९ मास्टर चन्दगीराम १९७० मेहरदीन १९७१ विजयकुमार १९७३ नेत्रपाल।

भारत भीम १९७० मास्टर चन्दगीराम १९७१ मेहरदीन १९७२ मास्टर चन्दगीराम।

महाभारत केसरी—दादू चौगुले।

डूरंड कप १८८८ में शिमला में अंग्रेज फौजी यूनिट ने प्रारम्भ किया। १९५० से दिल्ली में मैच शुरू हुए। मोहन बगान सबसे अधिक ८ बार विजेता रहा। तीन बार लगातार डूरंड कप जीता। ईस्ट बंगाल छह बार विजयी रहा। आंध्र प्रदेश चार, मद्रास रैजीमेंट और गोरखा दो-दो बार और सीमा सुरक्षा दल ने एक बार इसे जीता। १९७२ में ईस्ट बंगाल विजेता रहा।

आई० एफ० ए० फुटबाल (कलकत्ता मे) १९७२ विजेता ईस्ट बगाल रनर मोहनबागान। इस्ट ब गाल सबसे अधिक ११ बार विजेता रहा।

सुब्रत कप फुटबाल (दिल्ली मे) इसम स्कूला की टीम भाग लेती ह। १९७२ म पी० क० ए० आई० कलकत्ता विजयी रहा।

ओगिल्वी फुटबाल १९७२ म आर० ए० सी० बीकानेर विजयी।

डी० सी० एम० फुटबाल उत्तरी कोरिया की २५ अप्रल क्लब विजयी,।

अन्तरविश्वविद्यालय फुटबाल कलकत्ता विश्वविद्यालय विजयी।

राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिताए

देश म क्रिकेट के प्रचार और प्रसार करन क लक्ष्य से भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोड क तत्वावधान म वष भर क्रिकेट की विभिन्न प्रतियोगितायें चलती रहती है जिनका सक्षेप म विवरण प्रस्तुत है।

रणजी ट्राफी राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए महान क्रिकेट खिलाडी रणजीत सिंह जी राजा नावानगर की याद मे स्वर्गीय भूपेन्द्रसिंह महाराजा पटियाला ने 'रणजी ट्राफी १९३४ म प्रदान की। बम्बई ने इसे प्रथम दो वष और बीच-बीच म सात वष और १९५९ से लगातार अब तक चौदह वष जीत कर इस पर अधिकार किया। होलकर और बडौदा ने इसे चार चार बार जीता, महाराष्ट्र ने दो बार बगाल मद्रास नावानगर और हैदराबाद ने एक-एक बार जीता। होलकर बगाल, राजस्थान मद्रास, मसूर सना और बडौदा का कई बार रनर रहन का गौरव प्राप्त है।

ईरानी ट्राफी राष्ट्रीय विजेता (रणजी ट्राफी चम्पियन) और भारत शेष की टीमा क बीच प्रतिवष मुकाबले के विजेता को स्वर्गीय जैड आर० ईरानी के नाम पर स्पसर बन्धुओं द्वारा प्रदत्त ट्राफी प्रदान की जाती है। यह मुकाबला १९६१ से शुरू हुआ। रणजी ट्राफी विजेता बम्बई ने इसे लगातार ६ वष जीता।

दलीपसिंह ट्राफी अन्त क्षेत्रीय आधार पर अखिल भारतीय क्रिकेट चैम्पियनशिप क लिए भारतीय क्रिकेट के महान खिलाडी "रणजी" क भतीजे महाराजा दलीपसिंह (नावानगर) के नाम पर प्रतियोगिता १९६१ से आरम्भ की गई। प्रथम दो वष पश्चिम क्षेत्र विजयी रहा। ६४ म पश्चिम और दक्षिण सयुक्त विजेता बने। ६५ म पुन पश्चिम क्षेत्र विजेता रहा। इस वष पश्चिम क्षेत्र सातवा बार विजेता बना।

रोहिंटन बारिया कप अन्तर वि० वि० मुकाबले के लिए रोहिंटन बारिया कप प्रतियोगिता १९३५ से हो रही है। इस मुकाबले म क्षेत्रीय विश्वविद्यालयो क अखिल भारतीय मुकाबले म क्षत्रीय चम्पियन भिडते हैं। पजाब पहले तीन वष और एक बार फिर विजेता रहा। बम्बई विश्वविद्यालय ने इसे १९३८ से ४२ फिर ४४ से ४६ तक फिर ५२ और पुन ५४ से ५८ फिर ६० और पुन ६३ मे ६५ तक जीतकर रिकाड बनाया। दिल्ली व मसूर तीन-तीन बार विजेता रहे। उस्मानिया कलकत्ता व पूना ने इसे एक एक बार उठाया।

कूच बिहार ट्राफी स्कूली बालको म क्रिकेट के प्रचार के लक्ष्य म बोड ने १९५० म राष्ट्रीय स्कूलो के लिए कूच बिहार के महाराजा के नाम पर ट्राफी प्रतियोगिता शुरू की। यह मुकाबला क्षेत्रो की चुनी हुई टीमो के बीच क्षेत्रीय आधार पर होता है। मुकाबले म केवल स्कूलो के मान्य छात्र जो अठारह वष से कम आयु के है भाग ले सकते हैं।

सी० के० नायडू ट्राफी राष्ट्रीय आधार पर स्कूली टीमों की प्रांतीय भिडन्त के लिए सी० के० नायडू प्रतियोगिता शुरू की गई ताकि प्रान्तीय टीमें आपस तक इकट्ठी खेल और टीम खेल का विकास करें।

मोइनुद्दौला कप अखिल भारतीय स्तर पर हैदराबाद में प्रसिद्ध टीमों के बीच नाकआउट पद्धति पर मोइनुद्दौला क्रिकेट प्रतियोगिता होती है। हर वर्ष देश के चोटी के खिलाडी अपनी टीमों में यहा शानदार खेल दिखाते हैं।

विभिन्न खेल परिणाम एक दृष्टि मे

बैडमिन्टन

महाराष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चम्पियनशिप (बम्बई मे) इनमान के स्वीडिश पुरुष एकल विजेता स्वीडन की ईवा ट्रेड थव महिला एकल विजेता इगलैण्ड की टीम पुरुष युगल विजेता।

अन्तर्राज्य पश्चिम क्षेत्र बैडमिंटन चम्पियनशिप (गुजरात मे) रेलवे ने चम्पियनशिप जीती महाराष्ट्र महिला चम्पियन।

अन्तरविश्वविद्यालय बैडमिंटन चम्पियनशिप (दिल्ली मे) पुरुष वर्ग में दिल्ली वि० वि० विजयी। महिला वर्ग में गुरुनानक वि० वि० विजयी।

अन्तरविश्वविद्यालय महिला बैडमिंटन (त्रिवेन्द्रम मे) केरल विजेता।

राष्ट्रीय चम्पियन दिनेश खन्ना राष्ट्रीय चम्पियन बने।

थामस कप भारत ने इस वर्ष आयरलैंड में न्यूजीलैंड को ५ ४ से हराया। अब मई १९७३ में जकार्ता (इंडोनेशिया) में अमरिका से क्वाटर फाइनल में भिडा।

लान टेनिस

अपर इंडिया लान टेनिस (कानपुर) वर्षा के कारण फाइनल मैच नही हुआ अत एकल मैच में जयदीप मुकर्जी और प्रेमजीत लाल तथा युगल में कृष्णन और प्रेमजीत तथा बलराम और नरेन्द्र संयुक्त विजेता।

राष्ट्रीय चम्पियनशिप (कलकत्ता) गौरव मिश्र चम्पियन।

बास्केट बाल

बटलेरियन बास्केटबाल (दिल्ली मे) सीमा सुरक्षा दल तीसरी बार चम्पियन। महिला वर्ग में रायल क्लब दूसरी बार चम्पियन।

दिल्ली राज्य बास्केट बाल चम्पियनशिप (दिल्ली मे) सिगनल चम्पियन। महिलाओं में रायल क्लब।

पुरस्कार एवं सम्मान

प्रेरणा व पुरस्कार खेलों का आधार प्रेरणा है। उत्साह और उमंग का ही दूसरा नाम खेलकूद है। खेल के प्रसार और प्रचार के लिए प्रेरणा का वातावरण बनाना अत्यावश्यक है। पुरस्कार इस अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहज साधन हैं। पुरस्कार की कल्पना मात्र से हम कडे से कडा परिश्रम करने में जुट जाते हैं। विश्व में सर्वत्र खिलाडियों को सुन्दर पुरस्कार पदक और प्रमाणपत्र देने पर बहुत जोर दिया जाता है। ओलम्पिक और

अन्य पुरस्कारों के अलावा विश्व में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को कई अलंकरण दिए जाते हैं।

हैल्म्स पुरस्कार नोबल पुरस्कार की भांति खेल क्षेत्र में यह पुरस्कार हर वर्ष विश्व के चोटी के खिलाड़ियों को दिया जाता है।

भारत के निम्न चार खिलाड़ी यह गौरव पद पा चुके हैं

सर्वश्री के० डी० सिंह बाबू (हाकी) रामानाथन कृष्णन (टेनिस) मिल्खासिंह (दौड़कूद) जाल पारडिवाला (दौड़कूद आंकड़ों के विशेषज्ञ)।

विश्व क्रिकेट सम्मान विस्डन अलंकरण

(१) रणजीतसिंह १८९६ (२) दलीपसिंह १९२६ (३) नवाब पटौदी (सीनियर) १९३२ (४) सी० के० नायडू १९३३ (५) विजय मरचैंट १९३७ (६) वीनू मानकड १९४७ (७) नवाब पटौदी (जूनियर) १९६४।

राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतिवर्ष २६ जनवरी को राष्ट्रपति श्रेष्ठ खिलाड़ियों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करते हैं।

अर्जुन पुरस्कार

शिक्षामन्त्रालय द्वारा खेल संगठनों और भारतीय खेल परिषद की सिफारिश पर प्रतिवर्ष विभिन्न खेलों के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार देने का क्रम १९६१ से प्रारम्भ किया गया। अब तक १५३ खिलाड़ियों को पुरस्कार मिल चुका है। इस वर्ष जिन्हें १९७२ के अर्जुन पुरस्कार भेंट किए गए हैं उनकी संख्या १४ है। टैस्ट स्पिनर बी० एस० चन्द्रशेखर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैम्पियन प्रकाश पादुकोन के अतिरिक्त पुरस्कार पाने वालों में भारत की हाकी के फुलबैक माईकेल किण्डू और अन्तर्राष्ट्रीय पहलवान प्रेमनाथ भी शामिल हैं।

अब तक इन अलंकरणों के नाम इस प्रकार हैं

१९६२

दौड़कूद	हवलदार तरलोकसिंह	फुटबाल	टी० बलराम
बैडमिन्टन	कुमारी मीना शाह	टेनिस	नरेशकुमार
बिलियर्ड	विल्सन जोन्स	वालीबाल	नृपजीतसिंह
मुक्केबाजी	हवलदार पद्मबहादुर मल	वजन उठाना	एल० के० दास
		कुश्ती	मलवा

१९६३

दौड़कूद	कुमारी स्टेफी डिसूजा	पोलो	मेजर ठाकुर किशनसिंह
फुटबाल	चुन्नी गोस्वामी	वजन उठाना	कामिननी ईश्वरदार
गाल्फ	पी० एम० सेठिया	कुश्ती	जी० आन्धालकर
हाकी	चरणजीतसिंह		

१९६४

दौड़कूद	माखन सिंह	पोलो	गबरोना हनुमन्तसिंह
क्रिकेट	नवाब पटौदी	टेबिल टेनिस	गौतम आर० दीवान
फुटबाल	जर्नेल सिंह	कुश्ती	विश्वम्भरसिंह
हाकी	एम० लक्ष्मण		

१९६५

दौडकूद	के० एल० राव	हाकी (पुरुष)	उधम सिंह
बैडमिंटन	दिनेश खन्ना	हाकी (महिला)	कु० एलवीरा ब्रिटो
क्रिकेट	विजय मंजरेकर	वजन उठाना	बलबीरसिंह भाटिया
फुटबाल	अरुणलाल घोष		

१९६६

दौडकूद	अजमेरसिंह	हाकी (महिला)	कुमारी सुनीता पुरी
दौडकूद	बी० एस० बरुआ	लानटेनिस	जयदीप मुखर्जी
मुक्केबाजी	हवासिंह	तराकी	कुमारी रीमा दत्ता
क्रिकेट	चन्द्रकांत गुलाबराय बोर्डे	टेबुल टेनिस	कुमारी उषा सुन्दरराज
फुटबाल	युसुफ खां	वजन उठाना	मोहनलाल घोष
हाकी	बी० जे० पीटर	कुश्ती	भीमसिंह

१९६७

बैडमिंटन	सुरेश गोयल	लानटेनिस	प्रेमजीत लाल
बास्केट बाल	खुशी राम	तराकी	अरुण शा
क्रिकेट	अजीत वाडेकर	टेबल टेनिस	फारूक आर० खोदाजी
फुटबाल	पीटर थंगराज	वजन उठाना	मवरी मुत्तु जन ग्रैब्रियल
गाल्फ	आर० के० पीताम्बर	कुश्ती	मुखतियारसिंह
हाकी	हरबिंदरसिंह	दौडकूद	प्रवीण कुमार
हाकी	जगजीतसिंह	दौडकूद	भीमसिंह
हाकी	मोहिंदर लाल		

१९६८

निशानबाजी	कु० राज्यश्री	हाकी	बलबीरसिंह
दौडकूद	कु० मनजीत वालिया	बास्केट बाल	गुरदयालसिंह
दौडकूद	जोगेन्द्र सिंह	मुक्केबाजी	हनिस स्वामी
क्रिकेट	प्रसन्ना		

१९६९

कुश्ती	मास्टर चन्दगीराम	फुटबाल	इन्द्रसिंह
दौडकूद	हरनेकसिंह	तराकी	बद्यनाथ
बास्केट बाल	हरीदत्त	क्रिकेट	बिशनसिंह बेदी
निशानबाजी	कुमारी भुवनेश्वरी	स्क्वश	अनिल नायर

१९७०

दौडकूद	महिंदर सिंह गिल	बैडमिंटन	श्रीमती दमयंती ताम्बे
बाल बैडमिंटन	जे० पिन्चया	बास्केट बाल	अब्बास मुंतसीर
बिलियर्ड	माइकेल फरेरा	क्रिकेट	सरदेसाई
फुटबाल	मुहम्मद नइमुद्दीन	हाकी	अजीतपालसिंह
खो-खो	सुधीर भास्करराव	टेबल टेनिस	जगन्नाथ
भारोत्तोलन	अरुण कुमार दास	कुश्ती	सुदेश कुमार
नौकानयन	सोहराब जमशेद वान्द्रेवाला		

१९७१

दौडकूद	एडवर्ड सिक्वेरा	हाकी	कृष्णामूर्ति
बैडमिंटन	कु० शोभा मूर्ति	खो खो	कु० अचना
बास्केट बाल	मनमोहन सिंह	निशानेबाजी	भीमसिंह जी काला
घूसेबाजी	मुनुस्वामी वेणु	टेबल टेनिस	खाम्बायजी
क्रिकेट	वकट राघवन	तैराकी	भवर सिंह
फुटबाल	चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह	भारोत्तोलन	श्यामलाल मनवान

१९७२

दौडकूद	विजय सिंह चौहान
बैडमिंटन	प्रकाश पादुकोन
बाल बैडमिंटन	कुमारी जयाम्मा श्रीनिवासन
बिलियर्डस	सतीश मोहन
मुक्केबाजी	हवलदार चद्रयानारायण
क्रिकेट	बी० एस० चन्द्रशेखर
क्रिकेट	एकनाथ सोलकर
गोल्फ	श्रीमती अजनी देसाई
हाकी	माईकल किण्डू
कबड्डी	सदानन्द महादेव शेट्टी
रायफल शूटिंग	उन्यामिनू भाई
वालीबाल	बलवन्तसिंह
भारोत्तोलन	अनिल कुमार मडल
कुश्ती	प्रेमनाथ

राष्ट्रीय खेल-कूद संगठन

राष्ट्रीय खेल कूद संगठन का उद्देश्य खेल के चुने हुए क्षेत्रों में कालेज विद्यार्थियों के बीच श्रेष्ठता को बढ़ावा देना है। यह योजना १९६९ में आरम्भ की गई थी तथा १९७२ ७३ के दौरान निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्रम जारी थे —

१ विश्वविद्यालयों में शारीरिक सुविधाओं का विकास।

२ प्रशिक्षकों की व्यवस्था।

३ प्रशिक्षण शिविरा का आयोजन।

४ खेल-कूद प्रतिभा खोज, छात्रवत्तिया देना।

खेल प्रतिभा छात्रवत्तियां यह छात्रवत्तिया विश्वविद्यालया म अध्ययन कर रहे श्रेष्ठ पुरुष महिला खिलाडिया की महायता के लिए उनका अपने शारीरिक स्तर को बनाए रखने के हेतु उपस्करा की खरीद वस्तादि के लिए प्रदान की जाती हैं। प्रत्येक वष १०० रुपये प्रतिमास की ५० छात्रवत्तिया प्रदान की जाती ह जो दो वष की अवधि के लिए वष म १० मास के लिए धाय हाती है। १९७२ ७३ के दौरान ५० नई छात्रवत्तिया प्रदान की गई थी। १९७१ ७२ के दौरान प्रदान की गई ५० छात्रवत्तिया म मे ३० छात्रवत्तिया का नवीकरण किया गया था।

अखिल भारतीय खेल-कूद परिषद

अखिल भारतीय खेलकूद परिषद का पुनगठन अप्रल १९७२ का किया गया था। यह परिषद सलाहकार बोड के रूप म सरकार का उन सभी बाता पर सलाह देने के लिए है जो देश म खेल तथा खेलकूद के विकास से सबधित है। पुनगठित परिषद म अध्ययन तथा विभिन्न श्रेणिया म से भारत सरकार द्वारा मनोनीत किए गए ३६ सदस्य सम्मिलित है।

राज्य खेल कूद परिषदो को अनुदान उपयोगिता स्टडियमा का निर्माण करने तरने के तालाब स्टडियमा म तेज प्रकाश की व्यवस्था करने प्रशिक्षण शिविरा का आयोजन करने तथा खेलकूद उपस्करा को खरीदने और ग्रामीण केन्द्रो की स्थापना के लिए राज्य खेल कूद परिषदा को वित्तीय सहायता देने की सशोधित योजना को १९७२ ७३ म भी जारी रखा गया था। इस योजना के अतगत वष के दौरान १० लाख रुपया तक निधिया की व्यवस्था की गई थी।

अखिल भारतीय खलकूद परिषद की सिफारिश पर १९७२ ७३ से तरणताला के निर्माण के लिए सहायता की मात्रा प्रत्येक तरणताल की दर से २५ ००० रुपये से ५० ००० रुपये तक बढा दी गई है।

ग्रामीण खेल कूद केन्द्र ग्रामीण खेल-कूद केन्द्रा की स्थापना की योजना १९७२ ७३ के दौरान जारी रही। पश्चिम बगाल सरकार को ५५ नए ग्रामीण केन्द्रा की मजूरी दी गई और अन्य राज्या म पहले से स्थापित केन्द्रा को अनुदान दिए गये।

स्कूली विद्यार्थियो के लिए खेल कूद प्रतिभा छात्रवत्तिया इस योजना के अन्तगत प्रत्येक वष १३ १७ आयु वग के विद्यार्थिया के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओ के परिणामा के आधार पर ५० रुपये प्रति मास प्रत्यक छात्रवत्ति की दर से २०० छात्रवत्तिया और राज्य-स्तर पर प्रतियोगिताओ के परिणामा के आधार पर २५ रुपय प्रतिमास प्रत्यक छात्रवत्ति की दर स ४०० छात्रवत्तिया प्रदान की जाती हैं।

अखिल भारतीय खेलकूद परिषद की सिफारिशो पर अखिल भारतीय स्कूल खलकूद प्रतियोगिताओ जवाहरलाल नेहरू हाकी टूर्नामट और सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबाल टूर्नामट म भाग लेने वाला म से प्रतिभा का पता लगाने के लिए विशेष चयन समितिया का गठन किया गया था। इन समितिया द्वारा चुने गए विद्यार्थिया को अनुमन्य छात्रवत्तिया प्रदान की गई हैं।

खेल कूद संघों को अनुदान १९७२-७३ वर्ष के दौरान वार्षिक प्रतियोगिताओं, अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने, विदेशी दलों के भारत के दौरों और वैतनिक सहायक सचिवों के वेतनों का भुगतान करने, प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने, खेलकूद उपस्कर खरीदने तथा ग्रामीण टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय खेलकूद संघों को दिसम्बर १९७२ तक के लिए कुल २०.०३,८३४ रुपये के अनुदान स्वीकृत किये गये हैं।

२५वां स्वतन्त्रता वर्षगांठ समारोहों के भाग के रूप में, ग्रामीण युवकों के लिए देश भर में खेलकूद टूर्नामेंट आयोजित करने का निश्चय किया गया है। टूर्नामेंट ब्लाक स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर और बाद में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जायेगा। ब्लाक, जिला और राज्य स्तरों पर टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए राज्य सरकारों व संघ शासित क्षेत्रों को इस मन्त्रालय द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है। राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में ग्रामीण खिलाड़ियों के भाग लेने के आधार पर राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान, पटियाला के तत्वावधान में नई दिल्ली में हुई तीसरी अखिल भारतीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए विभिन्न खेलकूदों के दल चुने गये।

राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला

राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान, पटियाला, जिसकी स्थापना भारत सरकार ने १९६१ में की थी, विभिन्न खेलकूदों में अर्हताप्राप्त शिक्षक उपलब्ध कराने के प्रमुख कार्य में अच्छी प्रगति करता रहा है। इसने अब तक १३ विभिन्न प्रकार के खेलकूदों में २,०४६ शिक्षकों को प्रशिक्षित किया है। इस समय लगभग २३० विद्यार्थी नियमित तथा संक्षिप्त पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। वर्तमान विद्यार्थियों में बंगला देश के १०, नेपाल के ८ और श्रीलंका के २ विद्यार्थी शामिल हैं। १९७२ के ग्रीष्म अवकाश के दौरान सारे भारत से लगभग २६१ अध्यापकों के लिए एक विशेष अनुस्थापन पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया था। वाई० एम० सी० ए० शारीरिक शिक्षण कालेज, मद्रास में दक्षिणी राज्यों के लगभग १०० अध्यापकों के लिए एक ऐसा पाठ्यक्रम आयोजित किया गया था।

राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना के कार्यान्वयन के लिए संस्थान में इस समय लगभग ३०० शिक्षक हैं। ये विभिन्न राज्यों की राजधानियों में स्थापित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों और जिला मुख्यालयों में स्थापित नेहरू युवक केन्द्रों में तैनात किये जाते हैं।

१९७३-७४ के दौरान कलकत्ता में एक तरणताल तथा नई दिल्ली में प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल समूह का निर्माण प्रारम्भ कर दिया गया है। प्रायोजना का लक्ष्य देश में खिलाड़ियों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों की सुविधाएं प्रदान करना तथा महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय खेल कार्यों का आयोजन करना है। प्रायोजना के प्रथम पक्ष का अनुमान २.८३ करोड़ रुपये की लागत का है। परियोजना के पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूर्ण होने की संभावना है।

१९७२-७३ के दौरान खेलों के क्षेत्र में भारत विदेश सांस्कृतिक विनिमय डा० कारलोज फलिक्का सटिलिया, खेल राष्ट्रीय संस्थान, वेनेजुला के अध्यक्ष ने फरवरी १९७३ में भारतीय अतिथि के रूप में भारत का भ्रमण किया।

डा० मिहल नमसौर, केन्द्रीय खेल औषध संस्थान, बुडापेस्ट के निदेशक ने भारत का भ्रमण किया तथा साथ-साथ हैदराबाद में आयोजित खेल औषध संगोष्ठी को भी देखा।

रीयन राज्य खेल परिषद नाइजीरिया के निमंत्रण, श्री आर० एस० गुरनानी ने भारत का भ्रमण किया।

राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान पटियाला में विभिन्न खेलों में शिक्षकों के रूप में प्रशिक्षण हेतु बंगला देश के १० प्रशिक्षित शामिल हुए। प्रत्येक १० माह शिक्षण पाठ्यक्रम के लिए २०० रुपये प्रति माह की छात्रवृत्तियां तथा प्रति छात्र ८०० रुपये का उपस्कर भत्ता प्रशिक्षितों को दिया गया है।

भारत सरकार की ओर से उपहार के रूप में बंगला देश को ५०,००० रुपये की कीमत का खेल उपस्कर भेजा गया है।

राष्ट्रीय खेल संस्थान के एक हाकी प्रशिक्षक की सेवाएं ३ महीने की अवधि के लिए सिंगापुर सरकार को प्रदान की गई थी। एक क्रिकेट प्रशिक्षक ६ महीने की अवधि के लिए गाम्बिया को प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। नाइजीरिया को सौंपे गये एक हाकी प्रशिक्षक की प्रतिनियुक्ति की अवधि १९७३ तक बढ़ा दी गई थी।

भारत सोवियत रूस सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अधीन दिसम्बर १९७२ जनवरी १९७३ के दौरान सोवियत रूस की छ सदस्यीय टेनिस टीम ने भारत का दौरा किया।

बंगलादेश की एक फुटबाल और एक हाकी टीम ने क्रमश डुरंड फुटबाल प्रतियोगिता और जवाहरलाल नेहरू हाकी प्रतियोगिता में भाग लिया। बंगलादेश की एक फुटबाल टीम ने गोहाटी में हुई बरदोलाई ट्राफी प्रतियोगिता में भी भाग लिया।

१९७३-७४ में प्रमुख प्रतियोगिताओं का ब्योरा

क्रिकेट

१—कूच बिहार ट्राफी १९७३—दक्षिण क्षेत्र स्कूलों ने पश्चिमी क्षेत्र टीम को ८ विकेटों पर पराजित किया।

२—इरानी कप—बम्बई ने शेष भारत की टीमों को हराकर जीता।

फुटबाल

१—डूरण्ड कप १९७३—ईस्ट बंगाल ने मोहन बागान को हराकर जीता।

२—सुब्रातो कप—पी० के० आशुतोष इंस्टीटयूशन आफ कलकत्ता ने गोरखा बवायस कम्पनी देहरादून को हराकर जीता।

हाकी

१—वर्ल्ड कप—हालण्ड ने द्वितीय हाकी कप भारत से ६-४ पर जीता।

२—गोल्ड कप—कोर्प्स आफ सिगनल्स ने बार्डर सिक्यूरिटी फोर्स को हराकर जीता। नेहरू कप भी कोर्प्स आफ सिगनल ने ही जीता।

दसवें राष्ट्रमण्डल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के कारनामे

क्राइस्टचर्च में २४ जनवरी १९७४ से २ फरवरी तक राष्ट्रमण्डल खेलों का आयोजन हुआ। भारत को इन खेलों में चार स्वर्ण ८ रजत और तीन कांस्य पदक प्राप्त हुए। आस्ट्रेलिया चैंपियन राष्ट्र रहा उसने २९ स्वर्ण पदक, २८ रजत २५ कांस्य पदक जीते। भारत को पदक तालिका के हिसाब से छठा स्थान मिला।

इन खेलों में उसे बहुत उल्लेखनीय सफलता मिली। टीम के सदस्यों के अनुपात में

इतने अधिक पदक किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ी नहीं लाए।

श्री नारायण ने भारत के लिए पहली बार राष्ट्र मण्डल खेलों का रजत पदक जीता। भारत के मुनूस्वामी वेणु ने लाइट वेट वजन मे कास्य पदक जीता। भारोत्तोलन में भारत ने एक रजत और एक कास्य पदक प्राप्त किया। अनिल मण्डल ने फ्लाईवेट में रजत और श्री एस० केरलर्ग स्वामी ने बेंटमवेट में कास्य पदक जीता। भारत के श्री मोहिन्द्रसिंह को त्रिकूद प्रतियोगिता में रजत पदक से ही सन्तोष करना पड़ा।

पौरुष का प्रतीक कुश्ती में भारत के पहलवानो ने अपनी शक्ति का सुन्दर प्रदर्शन दिखाया। भारत ने राष्ट्र मण्डलीय खेलों में चार स्वर्ण पदक पांच रजत पदक और एक कास्य पदक हासिल किया। स्वर्ण पदक विजेताओं में सुदर्शकुमार (फ्लाईवेट) प्रेमनाथ (बेंटमवेट), जगरूप सिंह (लाइटवेट) और रघुनाथ पवार (बेंटमवेट) हैं। रजत पदक को जीतने वाले शिवाजी चिंगले (फेदरवेट) विश्वनाथसिंह (सुपर हैवीवेट) सतपाल (मिडिलवेट) दादू चौगुल (हैवीवेट) और नेत्रपाल (लाइट हैवीवेट)। कास्य पदक जीतकर सन्तोष करने वाले १६ वर्षीय राधेश्याम रहे।

पदक तालिका राष्ट्रमण्डल खेल

देश	स्वर्ण	रजत	कास्य
आस्ट्रेलिया	२९	२८	२५
इंग्लैंड	२८	३१	२१
कनाडा	२५	१९	१८
न्यूजीलैण्ड	९	८	१८
कीनिया	७	२	३
भारत	४	८	३
स्काटलैण्ड	३	५	११
नाइजीरिया	३	३	४
उ० आयरलैण्ड	३	१	२
जमायका	२	१	०
वेल्स	१	४	४
युगाण्डा	१	४	३
घाना	१	३	५
जाम्बिया	१	१	१
मलयशिया	१	०	३
तंजानिया	१	०	१
सैंट विंसेंट	१	०	०
ट्रिनीडाड टूबेको	०	१	१
प० समोआ	०	१	१
सिंगापुर	०	०	१
स्वेजलैंड	०	०	१

: ३० :

भारतीय श्रमिक

भारत मे पुराने काल से श्रम विषयक संग्रहालयों का निर्माण होता रहा है। इनके अनुसार समय-समय पर औद्योगिक और श्रम नीति का संचालन वितरण शास्त्रबद्ध रीति से होता रहा। श्रम नीति के दार्शनिकों मे प्रमुख रूप से बृहस्पति, याज्ञवल्क्य, नारद, मनु, शुक्र और कौटिल्य की गणना होती है। भारतीय श्रमिकों के परम्परा से विश्वकर्मा आदर्श रहे है और भारत के अलग-अलग प्रांतों मे अलग-अलग दिन मे विश्वकर्मा दिन को श्रमिक और उद्योग संस्थाएं 'अपना दिन' के रूप मे मनाते रहे है। वर्तमान काल मे पुनः इसे संघटित रूप से बड़े प्रमाण मे राष्ट्रीय श्रमिक दिन के रूप मे मनाना आरम्भ हुआ है।

औद्योगीकरण के साथ आधुनिक ढंग के श्रमिक-संघटना का निर्माण पिछली शताब्दी के आखिरी दशकों मे हुआ। शुरू मे जगह-जगह पर तात्कालिक संघ-समितियां बनती थी। १९०६ मे बम्बई और कलकत्ता के पोस्ट आफिसों मे प्रथम बार स्थायी रूप के संघटन बने। प्रथम महायुद्ध मे और इसके बाद यूनियनों की संख्या काफी बढ़ गई। भारतीय श्रमिकों के प्राथमिक नेताओं मे डा० बप्टिस्टा, लोखंडे, एन० एम० जोशी, मालामीटर, जिनवाला, आब-वाला, मुहम्मद रज्जब इ० की गिनती होती है।

इंडियन नेशनल कांग्रेस ने १९१९ से श्रमिक-क्षेत्र पर ध्यान देना शुरू किया। १९२३ मे कम्युनिस्टों ने भारत के श्रम-क्षेत्र मे अपना काम अधिकृत ढंग से शुरू किया। भारत का पहला संघटन विषयक महत्व का श्रम कानून १९२६ मे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट नाम से पारित हुआ। आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला अखिल भारतीय श्रमिक संगठन १९२० मे ही शुरू हुआ था। १९२९ मे पं० जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता मे एक आय टक संघटन बनाया गया। लेकिन यह निर्णय लोकशाही ढंग से नहीं हुआ ऐसा आरोप लगाकर इस निर्णय के साथ एन० एम० जोशी की अध्यक्षता मे दूसरे अखिल भारतीय श्रम संगठन नेशनल फेडरेशन आफ लेबर का निर्माण हुआ। श्रमिक संगठन के इस विभाजन के साथ ही राजनीति का मजदूर संगठनों के ऊपर प्रकट रूप से प्रभाव पड़ना प्रारम्भ हुआ।

मजदूर क्षेत्र के बारे मे पहली सर्वंकष रिपोर्ट रायल कमीशन आफ लेबर ने १९३१ मे प्रस्तुत की। इस कमीशन का आयटक और कांग्रेस इन दोनों ने बहिष्कार शुरू से ही जारी किया था। लेकिन १९६६ तक के सारे श्रमिक कानूनों के ऊपर इस रायल कमीशन की रिपोर्ट का ही गहरा असर रहा है। १९६७ मे दूसरे सर्वंकष समालोचन के लिए नेशनल लेबर कमीशन की नियुक्ति की गई। २८ अगस्त १९६९ को इस कमीशन ने अपना मत प्रस्तुत किया और इसके आधार पर ही श्रम-कानूनों की पुनररचना का काम शुरू हुआ है।

भारतीय श्रमिकों के संगठनों की वृद्धि का इतिहास निम्नलिखित ढंग से है

वर्ष	पंजीकृत यूनियनों की संख्या	रिपोर्ट भेजने वाली यूनियनों की संख्या	सदस्यता संख्या	प्रति यूनियन साधारण संख्या
१९२७ २८	२९	२८	१०१०००	३ ५९४
१९३८ ३९	२३६	२०५	२ ६८ ०००	१ ३०९
१९४७ ४८	२ ७६६	१,६२९	१६,६३,०००	१०२६
१९५१ ५२	४,६२३	२,५५६	१९ ९६ ०००	७८१
१९५५ ५६	८,०९५	४,००६	२२ ७५ ०००	५६८
१९६० ६१	११,३१२	६,८१२	४०,१३,०००	५८९
१९६३ ६४	११ ९८४	७,२५०	३९ ७७ ०००	५४९
१९६४ ६५	१३,०२३	७,५४३	४४,६६ ०००	५९२

उपर्युक्त यूनियन कई केन्द्रीय मजदूर संगठनों से संलग्न हुई है। इनमें सरकारी आँकड़ों के अनुसार इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक) की संख्या सबसे ज्यादा यानी १४ १७ ८५३ है। इंटक की स्थापना १९४७ में कांग्रेस के द्वारा की गई। करीब-करीब उसी समय यानी १९४८ में हिन्द मजदूर सभा और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। १९६६ में इन दोनों की संख्या क्रमशः ४ ३६ ९७७ और ९३ ४५४ थी। इसी समय आयटक की संख्या ८ ३३,५६४ थी। १९५५ में भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई। १९७१ की अनधिकृत जानकारी के आधार पर भारतीय मजदूर संघ की सदस्य-संख्या ४ ३४ ००० है। १९६५ में संसोपा के द्वारा हिन्द मजदूर पंचायत की स्थापना की गई। इंटक और हिन्द मजदूर सभा इंटरनेशनल कान्फेडरेशन आफ फ्री ट्रेड यूनियन्स के साथ संलग्न हैं।

१९७० में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में सी० आई० टी० यू० (सेन्टर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन) की स्थापना हुई।

मालिक मजदूर और सरकार इन तीन पक्षों को संगठित होकर देश की श्रम व्यवस्था के बारे में विचार विमर्श करने की आवश्यकता तब प्रतीत हुई जब इंटरनेशनल लेबर आर्गनायजेशन के दबाव में आ। सा० १९४२ में इंडियन लेबर कान्फ्रेंस और उसके अंतर्गत स्टैंडिंग लेबर कमेटी इन त्रिपक्षीय समिति का गठन हुआ। भारत में श्रम कानून में एकसूत्रता रहे, औद्योगिक विवादों का हल करने की पद्धति विकसित हो और अखिल भारतीय महत्त्व के औद्योगिक सम्बन्ध विषयक प्रश्नों की चर्चा हो इन तीन उद्देश्यों से यह स्थापना की गई है और केन्द्रीय श्रम मन्त्री की अध्यक्षता में इसकी बैठक होती रहती है। इसके सिवाय अलग अलग उद्योगों की अखिल भारतीय त्रिपक्षीय समिति और राज्य स्तरीय त्रिपक्षी समितियों का निर्माण होता रहता है।

देश की श्रम शक्ति

१९५१ में देश के कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या २९ १४ ००० थी जो १९७० के आँकड़ों के मुताबिक बढ़कर ४९ ३८ ००० हो गई। कुछ प्रमुख राज्यों में इनकी संख्या इस प्रकार थी —

असम—६८ ००० आंध्र प्रदेश—२ ५६ ००० उड़ीसा—७५ ००० उत्तर प्रदेश—

४१६ ०००, गुजरात—४,३८,००० तमिलनाडु—४७१,००० पंजाब—११७ ०००
प० बंगाल—८ ६० ०००, बिहार—२ २६,००० मध्य प्रदेश—२ २८ ०००, महाराष्ट्र—
१० ०३ ००० कर्नाटक—२ ६० ००० राजस्थान—८३ ००० हरियाणा—८६ ००० हिमाचल
प्रदेश—१० ०००, दिल्ली—८४ ००० और पांडिचेरी—१२ ०००। शेष राज्यों में श्रमिकों
की संख्या—१० ००० से कम थी।

इसी तरह सभी खानों में काम करने वाले मजदूरों की औसत दैनिक संख्या १९७० में ६ ३८,२२३ थी। इनमें से २ ६२ ६१४ व्यक्ति भूमि के नीचे काम करते थे। खान अधिनियम के अंतर्गत आने वाली कोयला खानों में श्रमिकों की संख्या ३ ६१ ५३८ थी। इनमें से २ ३५ ४०० व्यक्ति भूमि के नीचे काम करते थे।

इनके अतिरिक्त १९७०–७१ में भारतीय रेलों में १३ ७० ००० व्यक्ति काम कर रहे थे। डाक और तार विभाग में ५ ६० ००० व्यक्ति और बन्दरगाहों आदि पर लगभग १,००,००० व्यक्ति काम करते थे। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि लगभग ८० लाख श्रमिक संगठित क्षेत्र में काम कर रहे थे।

रोजगार और काम काज की स्थिति

मजदूरों को मालिकों के शोषण से बचाने के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद न्यूनतम वेतन अधिनियम १९४८ लागू किया गया। इसके अन्तर्गत श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन, काम के घंटे, साप्ताहिक छुट्टी और ओवर टाइम के काम के वेतन का निर्धारण किया गया है। कारखानों में काम-काज की स्थिति के सम्बन्ध में फैक्टरी एक्ट १९४८ लागू किया गया। इसके अन्तर्गत वयस्क मजदूर के लिए सप्ताह में काम के ४८ घंटे निर्धारित किए गए और श्रमिकों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सेवाओं की व्यवस्था की गई। अब १४ वर्ष से कम उम्र के बालक कारखानों में काम नहीं कर सकते। जिन कारखानों में २५० से अधिक कर्मचारी हों वहां कैंटीन की व्यवस्था भी की जाती है।

१९६५ के बोनस भुगतान अधिनियम के अंतर्गत यह तय किया गया था कि जिस कारखाने या संस्थान में किसी भी दिन २० या अधिक व्यक्ति काम करते हों उन्हें मजदूरों को वेतन का कम से कम ४ प्रतिशत के बराबर बोनस देना होगा परन्तु यह किसी भी दशा में ४० रुपए से कम नहीं हो सकता। अधिकतम बोनस २० प्रतिशत है। इस अधिनियम की पुनरीक्षा के लिए सरकार ने अप्रैल १९७२ में डा० बी० के० मदान की अध्यक्षता में बोनस पुनरीक्षा समिति नियुक्त की। इस समिति की अंतरिम सिफारिशों के आधार पर सरकार ने बोनस की न्यूनतम राशि ४ प्रतिशत से बढ़ाकर ८⅓ प्रतिशत कर दी परन्तु बोनस की यह राशि न्यूनतम ८० रुपए वेतन पाने वाले श्रमिकों के लिए ५० रुपए होगी।

विभिन्न राज्यों में १९७० में कारखानों के मजदूरों को प्रति व्यक्ति दिए जाने वाले औसत वार्षिक वेतन का योग इस प्रकार है (कोष्ठक में दिए गए आंकड़े १९७१ के हैं)— असम २ ३६३ रु० (१ ८६६ रु०) आंध्र प्रदेश २,११७ रु० (११९६ रु०), उड़ीसा २ ८९६ रु० (११८० रु०) उत्तर प्रदेश २ २६३ रु० (१२०४ रु०) केरल २ ४६७ रु० (११५२ रु०) गुजरात २ ८२० रु० (१७०२ रु०) जम्मू व कश्मीर १ ६३८ रु० (अनुपलब्ध), तमिलनाडु २ ६४२ रु० (१ ६६५ रु०) पंजाब २ १५६ (११०४ रु०) बिहार ३ ७१२ रु० (१ ८५६ रु०) मध्य प्रदेश ३ ६१२ रु० (१ ८१६ रु०) महाराष्ट्र ३ ६०३ रु० (१ ७७५ रु०) कर्नाटक २ ०८८ रु० (१ ३७५ रु०) राजस्थान २ ००३ रु० (७६१ रु०) हरियाणा

२,६१६ रु० (अनुपलब्ध), हिमाचल प्रदेश २,५२१ रु० (१,२८८ रु०) दिल्ली २,८४५ रु० (१,६५५ रु०)।

समूचे देश के लिए मजदूरी का सूचक अंक यदि १९६१ में १०० माना जाए तो दस वर्ष बाद १९७० में यह बढ़कर १७५ हो गया था। तथापि बढ़ी हुई महंगाई के कारण औसत वास्तविक आय ९८ रु० रह गई थी।

ठेके पर काम करने वाले मजदूरों के लिए भी एक अधिनियम १९७० में बनाया गया था जो १० फरवरी १९७१ से समूचे देश में लागू हो गया है। इसमें कुछ संस्थाओं में उनकी नौकरी की शर्तों का नियमन किया गया है और कुछ परिस्थितियों में उसे समाप्त कर दिया गया है।

सामाजिक सुरक्षा

सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी स्वाधीनता प्राप्ति के बाद कारगर कदम उठाए गए। १९४८ में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम पास हुआ जिसमें बीमारी, दुर्घटना और मातृत्व सम्बन्धी सेवाएं उपलब्ध की जाती हैं। यह अधिनियम उन कारखानों पर लागू होता है जिनमें २० से अधिक व्यक्ति काम करते हैं और जिनका वेतन ४०० रु० से कम है। इसके अन्तर्गत मजदूर, मालिक और सरकार तीनों ही योगदान देते हैं। काम के समय दुर्घटना में मृत्यु होने पर आश्रितों के लिए पेंशन की भी व्यवस्था है। परिवार के सदस्यों के लिए भी अब चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। १९७२ में ३३७ केन्द्रों में ४० लाख कर्मचारी और उनके १,२८,८६,००० आश्रित इस योजना से लाभ उठा रहे थे। इसके अन्तर्गत ५१ अस्पताल काम कर रहे हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम १९५२ में लागू हुआ। ३१ मार्च १९७२ को यह १२७ उद्योगों में और जम्मू व कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में लागू था। यह अधिनियम उन संस्थाओं पर लागू नहीं होता जिनमें ५० से कम व्यक्ति काम करते हैं और बिजली का उपयोग नहीं किया जाता। ८७ उद्योगों में मजदूरों और मालिकों का हिस्सा ८-८ प्रतिशत और शेष ६ १/४ प्रतिशत होता है। मार्च १९७२ में ६२,५०,००० व्यक्ति इस योजना से लाभ उठा रहे थे।

जनवरी १९६८ में मृत्यु राहत कोष की स्थापना की गई थी। इसके अन्तर्गत मृतक के उत्तराधिकारियों आदि को अगस्त १९६९ के बाद से ७५० रु० मिलना सुनिश्चित हो गया है।

उपर्युक्त अधिनियमों आदि के अतिरिक्त अन्य भी कई अधिनियम हैं। इनमें कोयला खान परिवार पेंशन योजना १९७१ और कर्मचारी परिवार पेंशन योजना १९७१ का उल्लेख किया जा सकता है। ३१ मार्च को इनके अन्तर्गत क्रमशः २.०५ लाख और ६५.० लाख कर्मचारी आते थे। विभिन्न खानों आदि में भी भविष्य निधि योजनाएं लागू हैं। श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम भी पास किए गए हैं जिनके अन्तर्गत उत्पादन पर उपकर लगा कर श्रमिक कल्याण व्यवस्था की जाती है।

श्रम स्थिति और औद्योगिक विवाद

यद्यपि स्वतन्त्रता से पहले भी औद्योगिक विवाद होते थे और मजदूर हड़ताल का सहारा लेते थे पर उनका कोई अधिक संगठित रूप नहीं था। इस दिशा में एक उल्लेख

नीय घटना थी, १९१८ में महात्मा गांधी के नेतृत्व में कपड़ा मिल मजदूरों की २८ दिन की हड़ताल। शांति और सद्भावनापूर्ण वातावरण में यह हड़ताल सफलतापूर्वक समाप्त हुई।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त सरकार ने अनुभव किया कि देश की औद्योगिक उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि औद्योगिक विवाद शांतिपूर्वक हल कर लिए जाएं। इसलिए मालिकों, मजदूरों और सरकारी प्रतिनिधियों का एक त्रिपक्षी सम्मेलन हुआ जिसके आधार पर *औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ बनाया गया।* यह औद्योगिक विवादों को तय करने हेतु तन्त्र की व्यवस्था करता है। इस अधिनियम के अतिरिक्त अनुशासन संहिता १९५८ और औद्योगिक शान्ति संकल्प १९६२ भी अच्छे औद्योगिक सम्बन्ध स्थापित करने की दिशा में बनाए गए हैं। इन्हें मालिकों और श्रमिकों के केन्द्रीय संगठनों ने स्वेच्छिक रूप से स्वीकृत किया है। १९५३ और १९५६ में इस अधिनियम में संशोधन हुए जिनके अन्तर्गत मिल बन्द रहने की स्थिति में या छटनी के समय मजदूरों को मुआवजा मिलता है।



: ३१ :

विदेशों में प्रवासी भारतीय

आज दुनिया के १२६ देशों में कुल मिलाकर ६० लाख ऐसे नागरिक रहते हैं जिनके पुरखे भारत से गए थे। उन दिनों बहुत से देशों या क्षेत्रों में ब्रिटिश प्रभुत्व था फलतः उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई परन्तु भारत तथा इन प्रदेशों के स्वाधीन होने पर आज स्थिति बदल गई है।

बर्मा से शुरूआत

आजकल जो कठिनाई उगाडा में रहने वाले भारतीयों के सामने है यह कोई अकेली घटना नहीं है। १९४८ में जब बर्मा स्वाधीन हुआ तब उस समय वहां भी भारतीय ऐसी ही स्थिति में थे, जैसे कि अब पूर्वी अफ्रीका में हैं। भारतीय काफी संख्या में दुकानदार साहूकार और उद्योगपति थे पर धीरे धीरे बर्मीकरण की नीति के फलस्वरूप उन्हें हटना पड़ा। १९६३ में बर्मा सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाने के बाद उक्त भारतीयों का वहां से हटना शुरू हो गया। अप्रैल १९६३ से १ जनवरी १९७३ के बीच १ लाख ९९ हजार ८२३ भारतीय भारत लौटे। उनमें से अधिकांश के दक्षिण भारत में रिश्तेदार आदि थे और उनके पूर्वज वहीं से गए थे अतः उनके पुनर्वास में ज्यादा कठिनाई नहीं हुई। भौगोलिक समीपता से भी सुविधा हुई।

भारतीय मूल के १ लाख २० हजार से १ लाख ५० हजार तक के लोगों को बर्मा स्थित अपनी उस सम्पत्ति का मुआवजा मिलेगा जिसका १९६३ और १९६५ के बीच बर्मा सरकार ने राष्ट्रीयकरण कर लिया था।

बर्मा सरकार ने एक क्षतिपूर्ति आकलन बोर्ड का गठन कर दिया है। अनुमान है कि डेढ़ लाख लोगों में से जिन पर क्षतिपूर्ति की घोषणा लागू होगी १ लाख लोग अभी बर्मा में ही हैं।

बर्मा सरकार ने जनवरी १९७८ में एक घोषणा कर प्रवासी भारतीयों की राष्ट्रीयकृत सम्पत्ति दुकानें तथा व्यापारिक संस्थानों का मुआवजा देने के संबंध में आवेदन मांगे हैं।

बर्मा सरकार ने १९६३ तथा १९६५ में थोक व्यापार तथा फुटकर कारोबार एवं उद्योग धंधों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। इससे लगभग ४ लाख प्रवासी भारतीय प्रभावित हुए थे। इनमें से तीन चौथाई भारत आ चुके हैं।

श्रीलंका श्रीलंका में १८४० में तमिलभाषी भारतीय जाने लगे थे तब वह भी ब्रिटेन के अधीन था। धीरे धीरे वहां भारतीयों की संख्या काफी बढ़ गई। ये लोग मजदूर,

ड्राइवर व्यापारी दर्जी, स्वर्णकार, आदि विभिन्न व्यवसायों में काम करते थे। १९४८ में लंका के स्वाधीन होने पर इन लोगों ने लंका की नागरिकता लेने की कोशिश की पर विफल रहे।

१९६४ के भारत-श्रीलंका करार के अन्तर्गत १ जनवरी १९७३ तक श्रीलंका से भारत आने वाले प्रत्यावासियों की संख्या ७६,०२५ थी। १९७० में भारतीय तथा श्रीलंका की नागरिकता के लिए अंतिम तिथि निश्चित किए जाने के पश्चात प्रथम दो वर्षों की लगभग १६०० की औसत और आगामी दो वर्षों की ७००० की औसत में और वृद्धि हो गई। १९७१ में प्रत्यावासन की संख्या २५,००० थी और यह संख्या १९७२ में ३३,००० पहुंच गई। १९७३ में प्रत्यावासन के आंकड़ों के ४०,००० होने की आशा है।

मलयेशिया और सिंगापुर

मलयेशिया और सिंगापुर की जनसंख्या में भी भारतीयों का महत्वपूर्ण स्थान है। इन क्षेत्रों में सदियों से ही भारतीय आते-जाते रहे हैं। मलयेशिया में करीब ८ लाख ८ हजार भारतमूल के लोग हैं। उनमें से ५० प्रतिशत सार्वजनिक निर्माण विभाग रेलवे नगरपालिकाओं आदि में काम पर लगे हैं। ३५ प्रतिशत व्यापारी हैं। कुछ लोग वकालत और चिकित्सा आदि का व्यवसाय करते हैं।

सिंगापुर में भी भारतीय काफी अर्से से रहते हैं। इसकी कुल आबादी १७,१२ ६०० है। उनमें १ लाख तीस हजार भारतमूलक हैं। उनमें से अधिक व्यापार में लगे हैं।

मारीशस मारीशस और फिजी में भारतवंशियों के कारण भारत का छोटा रूप ही विकसित हो गया है। बम्बई से लगभग २४०० मील दूर हिन्द महासागर का यह द्वीप ऐसा स्थान है जहां भारतीय परम्परा हिन्दू धर्म और हिन्दी भाषा जीवन्त रूप में विद्यमान है। मारीशस में भारत के मजदूर १८३५ से जाने शुरू हुए उनके जाने का उद्देश्य यूरोपियों के गन्ने के बड़े-बड़े खेतों पर मजदूरी करना था। १८४० तक वहां १८५०० भारतीय मजदूर पहुंच गए। उनके पहुंचने के साथ ही मारीशस में चीनी का उत्पादन बढ़ा और सम्पन्नता बढ़ने लगी। ठेके पर आने वाले मजदूर गिरमिटिया कहलाते थे। ये कालान्तर में वहीं बस गये और खेती करने लगे। कुछ व्यापारी भी वहां पहुंचे। भारतीयों ने अपनी पूजा अर्चना के लिए मन्दिर बनाये और अपनी संस्कृति को कायम रखते हुए जीवन व्यतीत करने लगे। ज्यादातर मजदूर बिहार से गए अतः वहां की मुख्य भाषा भोजपुरी हो गई पर गुजराती और तमिल भाषी भारतीय भी वहां पहुंचे। अब वहां के स्कूलों में हिन्दी पढ़ाई जाती है। वहां के बच्चे हिन्दी प्रेम से पढ़ते हैं। गांव में लोग रामायण महाभारत की कथा सुनते हैं। १९७३ में मारीशस में मानस चतुश्शती सम्पन्न समारोह के साथ मनाई गई। मारीशस की कुल आबादी ७ लाख है उसमें से करीब ६७ प्रतिशत भारतवंशी हैं। सभी भारतवंशियों ने मारीशस की नागरिकता ले रखी है। १९७० में मारीशस में अन्तर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन सम्पन्न हुआ जिसमें भारत व विश्व के अन्य देशों के आर्यसमाजियों ने भारी संख्या में भाग लिया। वहां लेबर पार्टी का शासन है और इसके नेता डा० शिवसागर रामगुलाम प्रधान मंत्री हैं।

फिजी उधर आस्ट्रेलिया के उत्तर-पूर्व में फिजी द्वीपसमूह में भी काफी भारतीय रहते हैं। यह देश १० अक्तूबर १९७० को स्वाधीन हुआ। पहले यह ब्रिटेन के अधीन था। मारीशस की भांति यहां भी भारतीय गन्ने के खेतों में मजदूरों के रूप में काम करने

गए। १८७० के बाद मजदूर वहा जाने लगे। १९१७ तक ६३००० भारतीय मजदूर वहा पहुच गए। उस मे से करीब एक तिहाई वापस लौट आए शेष वही बस गए और खेती करने लगे। फिजी मे करीब डेढ लाख एकड भूमि मे गन्ने के खेत हैं। ये लगभग सभी भारत वासियो के है। फिजी की कुल जनसख्या करीब ५ लाख है। भारतीयो की सख्या ढाई लाख से उपर है। कृषि के अलावा भारतीय व्यापारियो ने छोटी दुकान भी खोली, जिन पर परचून का सामान बिकता है। शाम को भारत की तरह यहा भी मदिरो म घडियाल बजते हैं। भजन और आरती गूजती हैं। शुरु मे यहा भी योरोपीय भू-स्वामियो ने भारतीयो पर अत्याचार किए और उनके प्रति गुलामो का-सा व्यवहार किया। भारतीयो ने प्रतिकार के लिए जोरदार आदोलन किया। पहले अग्रेजी शासको ने भारतीयो पर जमीन खरीदने पर भी रोक लगा रखी थी, पर अब स्वाधीन फिजी म भेदभाव नही है।

दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना म भी भारतीय शुरु म मजदूरो के रूप मे गए थे जबकि गुलामो की प्रथा समाप्त हो जाने के बाद, अफ्रीकियो द्वारा काम करने से इन्कार कर देने के बाद बागो के मालिको को मजदूरो की जरूरत हुई। ये मजदूर भी इकरारनामे के अतगत वहा गए और बाद म वही बस गए। ये लोग तटवर्ती क्षेत्रो म धान की खेती करने लगे और आजकल गुयाना का पूरा चावल उद्योग इन्ही के हाथ मे है। गुयाना की करीब पौने सात लाख की आबादी म करीब साढे तीन लाख भारतवशी है। इस प्रकार ये कुल जनसख्या के आधे से अधिक हैं उन पर कोई प्रतिबन्ध नही है। कुछ अर्से तक भारतवशियो के मजदूर नेता छेदी जगन यहा के प्रधानमत्री रह चुके हैं, पर अग्रेजो के कुचक्र के कारण उन्हें पद से हटना पडा। सभी भारतवशी गुयाना के नागरिक है।

तजानिया कीनिया और उगाडा म भी भारतीय काफी अर्से से है। स्वय वास्को डिगामा ने मोम्बासा और पूर्वी अफ्रीका के अन्य तटवर्ती नगरो तथा जजीबार म भारतीयो के होने का उल्लेख किया है। भारत के पश्चिमी तट और पूर्वी अफ्रीका के बीच जहाजो का आना जाना काफी समय से होता रहा है। कीनिया और उगाडा म रलवे के निर्माण म मुख्य योग भारतीयो का रहा है। उगाडा के वतमान सनिक राष्ट्रपति भले ही पिछला इतिहास भूल जाए पर यह सप्रमाण सिद्ध है कि भारतीय मजदूरो के बिना वहा रेलवे लाइन नही बिछती। १८९६ म ३५० भारतीय मजदूरो का पहला दल मोम्बासा आया था। कुछ ही वर्षों मे यह सख्या बढकर ३२००० तक पहुच गई। रलवे लाइन पूरी हो जाने के बाद करीब ६००० मजदूर वही बस गए और कारीगर खाती सर्वेक्षक क्लर्क आदि के काम म लग गए। करीब २००० भारतीय रेलवे म ही लग गए। रलवे के निमाण म भारतीयो को बडा कष्ट उठाना पडा। बीहड जगलो म शिविरो म से अनेक मजदूरो को नरभक्षी जानवर उठा ले जाते थे। अनेक मजदूर मलेरिया और अन्य भयकर रोगो के शिकार हो जाते थे।

रेलवे लाइन के बिछने के साथ ही पूर्वी अफ्रीका के आतरिक भाग म फैलने चले गए। स्टेशनो के पास धीरे धीरे छोटी छोटी दुकान खोली गयी और कुछ समय बाद सारा फुटकर व्यापार भारतीयो के हाथो म आ गया। भारतीयो ने दूर-दूर के इलाको म दुकान खोलकर आम अफ्रीकियो को रोजमर्रा की चीज उपलब्ध की। ब्रिटिश अधिकारियो ने भी भारतीयो के हौसले की दाद दी और नई जगह बस्ती बसाते हो वे भारतीयो को दुकान खोलने के लिए आमन्त्रित करते। जजीबार के एक भूतपूर्व कामल जनरल ने एक बयान म स्पष्ट रूप स कहा था कि पूर्वी अफ्रीका म भारतीयो की बदौलत ही अर्थ-व्यवस्था चल रही है।

भारतीय हो मूल्या को उचित स्तर कायम रखने में मदद करते हैं क्योंकि वे कम मुनाफा लेकर चीजें बेचते हैं। यूरोपीय प्रवासियों में भारतीयों के प्रति द्वेष जागने लगा। उनके स्टोर भारतीयों के मुकाबले कम ग्राहक आकर्षित करते थे और वे दूर-दराज के इलाकों में जाने से कतराते थे पर भारतीय दुकानदार सुबह ७ बजे से रात तक दुकान पर जुटा रहता था उसकी जरूरतें कम थी अतः कम मुनाफा लेता था।

इसके साथ ही पूर्वी अफ्रीका में बड़े-बड़े व्यापारी भी जम गए और उन्होंने खूब धन अर्जित किया। उगाण्डा में उद्योग के रूप में कपास को प्रतिष्ठित करने का श्रेय भी भारतीयों को है। अफ्रीका के वहां जाने के पूर्व कपास की उन्नतशील खेती वहां नहीं होती थी। १६०३ में ब्रिटिश सरकार ने भारत से कपास के बीज मंगाकर बांटे और बड़े पैमाने पर खेती शुरू हुई। शीघ्र ही भारतीयों ने उसमें रुचि लेना शुरू की और कपास भारत के केन्द्र बनाये। १६२४ में इस तरह के १६४ केन्द्रों में से १०० से अधिक भारतीयों के थे। निर्यात के लिए ६८ प्रतिशत रूई भारतीय फर्में भेजती थीं और केवल ८ प्रतिशत यूरोपीय फर्में। धीरे धीरे यह काम काफी धन दिलाने लगा अफ्रीकियों ने शिकायत की कि भारतीय कपास का कम दाम देते हैं। इस पर कपास का न्यूनतम भाव निश्चित करने के लिए कार्रवाई की गई पर जांच से पता चला कि कुछ मामलों का छोड़कर किसानों का वाजिब दाम दिया जा रहा है।

उगांडा में उद्योग के रूप में चीनी को जमाने का भी श्रेय भारतीयों को है। पहला चीनी कारखाना १६२३ में नानजी कालिदास महता ने लुगाजी में लगाया था। अब भी उगांडा में काफी मालदार भारतीय हैं। एक अनुमान है कि माधवानी उद्योग-समूह का वर्तमान मूल्य उगांडा के कुल बजट का एक चौथाई है। उधर तांगानिका में भारतीय पहुंच गए। वहां की प्रमुख फसल सीसल उत्पादन में भी उनका एकाधिकार हो गया। भारतीयों का महत्व इतना बढ़ गया कि द्वितीय विश्वयुद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद यह प्रस्ताव रखा गया कि तांगानिका को केवल भारतीयों के लिए सुरक्षित कर दिया जाए पर भारतीयों ने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया।

इसी प्रकार कीनिया में भी भारतीयों ने व्यापार चलाया। नैरोबी और मोम्बासा के बाजारों में दुकानों के नाम देखकर ही भारतीय प्रभाव पता लग जाता है। अन्य पूर्वी अफ्रीकी देशों की तरह वहां भी भारतीयों पर यह आरोप है कि वे कीनिया के प्रति निष्ठा नहीं रखते अपनी बचत की राशि भारत या अन्य देशों को भेजते हैं। कीनिया के विकास में धन नहीं लगाते। एक अर्थशास्त्री के अनुसार कीनिया के २०.८ प्रतिशत भारतीयों ने अपना धन कीनिया में ही सम्पत्ति खरीदने में लगाया जबकि ६.७ प्रतिशत भारतीयों ने भारत में सम्पत्ति खरीदी। यह सही है कि वे पहले अपनी बचत की राशि का कुछ भाग अपने परिवार वालों को भारत भेजते थे क्योंकि संयुक्त परिवार व्यवस्था में यह जिम्मेदारी निभानी होती है पर अब यह बात नहीं है।

उगाण्डा के राष्ट्रपति के ६ अगस्त १६७२ के आदेश द्वारा उगाण्डा में रह रहे एशियाई मूल के उन सभी लोगों के निष्कासन या उनके वशक्रम को समाप्त करने के लिये प्रवेश परमिट तथा आवास प्रमाणपत्र रद्द कर दिए गये जो भारत इंगलैंड पाकिस्तान तथा बंगलादेश के नागरिक थे।

१५ अगस्त १६७२ से ८ मार्च १६७३ की अवधि के दौरान ६८०६ प्रत्यावासी

उगाडा से भारत ग्राये। उन्हें बुरी तरह प्रताडित कर निकाल दिया गया तथा उनकी सम्पत्ति व यहा तक कि आभूषण आदि भी जबरदस्ती छीन लिये गये।

इसी प्रकार मोजाम्बिक से लगभग ६०० परिवार जिनमे लगभग २३ ००० व्यक्ति है भारत वापस लौटे।

ग्राजकल उगाण्डा म भारतीयो के साथ जो बीत रही है वह १९६८ म कीनिया म भी हुआ था। कीनिया, उगाडा तागानिका और जजीबार जब अग्रेजो के शासन से मुक्त हुए तब वहा रहने वाले भारतवसियो को यह छूट दी गई थी कि वे चाहें तो ब्रिटिश पास पोर्ट लेकर ब्रिटिश नागरिक बन सकते है चाहे भारत या पाकिस्तान के नागरिक बन सकते हैं चाहे उन्हा देशो के नागरिक हो सकते हैं। कुछ ने वहा की नागरिकता ले ली कुछ ने ब्रिटिश पासपोर्ट ले लिये, कुछ भारत एव पाकिस्तान के नागरिक बन गए और एक ऐसा वर्ग रह गया जो कहीं का नागरिक नहीं था।

●

भारत में विस्थापित

'अतिथि देवो भव' सूत्र के उद्घोषक और पालनकर्त्ता भारत को १ करोड़ से अधिक अतिथियों (विस्थापितों) का भरण पोषण, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा आदि समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। संसार में ऐसा कोई देश नहीं है जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हों और जिनका दायित्व सरकार को वहन करना पड़ रहा हो।

समझा जाता है कि द्वितीय विश्वयुद्ध में सर्वाधिक ८० लाख लोग विस्थापित हुए, पर भारत की संख्या इस संख्या से डेढ़ गुना से कुछ ही कम है। द्वितीय महायुद्ध के समय ८० लाख लोग बेघरबार बना दिये गये थे। १९४५ में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस समस्या को अन्तर्राष्ट्रीय ढंग पर सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ सहायता और पुनर्वास परिषद् की स्थापना की। इस परिषद ने इस समस्या को पूरी तरह हल करने में ३ ६८ ३५ ८२,२३६ डालर व्यय किये और ३१ जून १९४७ तक यह परिषद कार्यशील रही। इस अवधि में ५५८४८१ जर्मन, २८०५६ आस्ट्रियन, १७८६५ इटालियन, २८०७५ मध्य पूर्व के देशों के, १०१४६ चीनी विस्थापितों को बसाया गया। आस्ट्रिया में १३८००० बेल्जियम में ५००० चीन में १३५००, फ्रांस में ४३१००० यूनान में २००० इटली में १८६००० मध्य पूर्व में ३३,०००, नीदरलैंड में ५,००० इंग्लैंड में ६०००० विस्थापित थे।

भारत विभाजन के दुर्दिन से ही नहीं अपितु इससे पूर्व ३ जून १९४७ को विभाजन की घोषणा के बाद से ही भारत में विस्थापितों का आना शुरू हो गया। इन विस्थापितों की सरकार ने अलग अलग श्रेणियां बनाई हैं। पाकिस्तान से आने वालों को विस्थापित, बर्मा, मोजाम्बिक और श्रीलंका से आने वालों को स्वदेश लौटे भारतीय निष्क्रान्त तथा बंगलादेश से आने वालों को शरणार्थी, भारतीय अन्तःक्षेत्रों को पाकिस्तान को हस्तान्तरित किये जाने से प्रभावित व्यक्ति और भारत-पाक संघर्ष के समय हुए बेघरबार लोग।

पाकिस्तान से भारत में विस्थापितों के आने के ८ मुख्य कारण हैं —

१—शत्रुतापूर्ण वातावरण के कारण अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों द्वारा पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़ना।

२—उनके धार्मिक रीतिरिवाज तथा शिक्षा पद्धति में हस्तक्षेप के कारण असुरक्षा की भावना। बहुसंख्यक जाति के लोगों द्वारा संगठित तरीके से खेतों में खड़ी फसल को काटने आना और सम्पत्ति पर कब्जा करना।

३—पाकिस्तान को एक इस्लामी राज्य बनाने की बार-बार की घोषणा ने हिंदुओं में ऐसी भावना भर दी है कि पाकिस्तान में उनका कोई भविष्य नहीं रह गया है।

४—पूर्वी बंगाल की विकट आर्थिक परिस्थिति और अल्पसंख्यक समुदाय का आर्थिक बहिष्कार।

५—ग्रामीण रोजगार तथा व्यापार सुविधाओं की कमी।

६—अल्पसंख्यक समुदाय की औरतों का उत्पीड़न, हरण आदि।

७—स्थानीय अधिकारियों तथा न्यायालयों से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के विरुद्ध की गई शिकायतों को दूर न करा पाना।

८—अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के संबंधियों तथा पड़ोसियों के लगातार भारत आने की वजह से उनकी संख्या में होने वाली कमी तथा उससे उत्पन्न शंकाएं।

अगस्त १९४६ से १९७१ तक बंगलादेश (तब पूर्वी पाकिस्तान) से आए विस्थापितों की वर्षवार संख्या इस प्रकार है —

सन	संख्या	कारण
१९४६	१९,०००	हिन्दू विनाश
१९४७	२,४४,०००	भारत विभाजन
१९४८	७,७६,०००	हैदराबाद पुलिस कारवाई के विरोध में दंगा उत्पात
१९४९	२ १२ ०००	,,
९५०	१५,७५,३६०	दंगा उत्पात
९५१	१ ८७,०००	हिन्दू निष्कासन
९५२	३ ०३ ०००	आर्थिक विपत्ति से सताये जाकर और पासपोर्ट मिलने की कठिनाई
९५३	७६ ०००	लियाकत अली-नेहरू पैक्ट दफना दिया गया
९५४	१ १८,०००	दंगे
९५५	२ ३९ ०००	उर्दू विरोधियों और बंगला प्रेमियों को निकाल देने की नीति के फलस्वरूप
५६	३ २० ०००	पाकिस्तान को इस्लामी राज्य घोषित किया गया
६४	८ ५६ ०००	इस्लामी राज्य में 'हिन्दू क्यों?'
६५	१ ०७ ९०६	पैगम्बर का बाल श्रीनगर में चोरी चला गया
६६	७ ५६५	हिन्दू विरोधी आन्दोलन
६७	२४ ५२७	,,
६८	११ ६१४	,,
६९	९ ७६८	
७०	२ ४९ ९९९	,,
अगस्त ३	८९ ०० ०००	बंगला देश संघर्ष

सरकारी आंकड़ों के अनुसार पू० पाकिस्तान से ४७.४० लाख विस्थापित भारत
) १९५६ से १९६४ तक पाकिस्तान से आने वालों की संख्या नगण्य रही। १६ दिसम्बर

१९७१ का बगलादेश की मुक्ति के बाद बगलादेश मे आये प्राय सभी विस्थापित भारत स अपने देश लौट गये।

उगाडा सरकार द्वारा भारतीयो का निकालन के आदेश क बाद अगस्त १९७२ स प्रत्यावासियो का भारत आना प्रारम्भ हो गया। १९७३ तक ६ ८०० व्यक्ति उगाडा से भारत लौट चुके ह। इनम स लगभग ५,६६० भारतीय पासपोट वाले है तथा शेष मुख्यतया ब्रिटिश पासपाट वाले है। उगाडा पासपोट वाला तथा राज्यविहीन व्यक्तियो की सख्या भी कम नही है।

उगाडा से लौटे विस्थापितो की सहायता के लिये बम्बइ म एक शिविर स्थापित किया गया तथा प्रत्यावासियो को तत्काल राहत दी गई।

बर्मा की सरकार द्वारा सभी प्रकार क व्यापार का राष्ट्रीयकरण तथा विदेशियो पर कुछ अन्य प्रकार के प्रतिबन्ध लगाए जान के फलस्वरूप बर्मा म रहन वाले भारतीय १ जून, १९६३ स भारी सख्या म भारत लौट रहे हैं। यह अनुमान किया गया था कि कुछ समय क भीतर लगभग २ ३० ००० व्यक्ति वापस आ जायगे। जून १९७३ तक १ ९६ ६२३ व्यक्ति भारत आए। बर्मा से आये इन भारतमूलक विस्थापितो को देश भर म बसाया गया है।

मोजाम्बिक (अफ्रीका) स भारत विरोधी भावना क कारण लगभग ६०० परिवार जिनम लगभग २३ सौ व्यक्ति है भारत लौटे हैं और अधिकतर गुजरात राज्य म बस गए हैं। स्वदेश लौटने समय उनको भारत सरकार द्वारा उदारतापूवक सीमा शुल्क म सुविधाए दी गई हैं। विधवाओ, अनाथो और अशक्त व्यक्तियो को गरीबी की परिस्थितियो म १२०० रु० प्रतिवष तक की वित्तीय सहायता दी जानी है। स्वदेश लौटने वाले भारतीयो का रियायती दरो से ब्याज पर ऋण के रूप म पुनर्वास सहायता भी दी गई है ताकि वे व्यापार व्यावसायिक प्रतिष्ठान या लघुस्तरीय उद्योगो को शुरू करन के योग्य बन सक। कृषि भूमि एलाट करने क मामने म उन्ह प्राथमिकता दी गई। स्वदेश लौटे भारतीयो के बच्चो को शिक्षा के लिए निशुल्क शिक्षा छात्रवत्ति पुस्तक इत्यादि के रूप म सुविधाए दी गई हैं। गुजरात सरकार के अनुसार अब लगभग इन सभी परिवारो को बसाया जा चुका है।

१९६४ के भारत-श्रीलका करार क अन्तगत भारतीय मूल के ५ २५ लाख व्यक्तियो को भारतीय नागरिकता दी जानी है और इन व्यक्तियो को १५ वष की अवधि म भारत लौटना है। कोलम्बो स्थित भारतीय उच्चायोग से प्राप्त सूचना के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने के लिए ४ ५८,४०० व्यक्तियो के प्राथनापत्र प्राप्त हुए है। १ जनवरी १९७३ तक भारतीय नागरिकता प्रदान किये गये व्यक्तियो की कुल सख्या १ ५५ ०३८ थी। १ जनवरी १९७३ तक ७९ ०२५ व्यक्ति भारत आ चुके है। स्वदेश लौटन वाले इन लोगो म से अधिकाश सीधे अपने मूल शहरो या गावो को चले गये है।

२९ जनवरी १९७४ को दिल्ली म श्रीलका की प्रधानमंत्री श्रीमती भडारनायक तथा प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाधी के बीच हुई वार्ता के बाद घोषणा की गई कि भारत और श्रीलका न डेढ लाख भारत मूलक लोगो के भविष्य का निणय करते हुये आधे आधे के आधार पर उन्ह नागरिकता देने का निणय किया है। इस प्रकार ७५ हजार लोगो को भारत तथा बाकी ७५ हजार को श्रीलका सरकार नागरिकता प्रदान करगी।

१९६४ मे हुये समझौते मे अन्तगत भारत ने ५२५,००० व्यक्तियो को नागरिकता देने का निणय किया था। श्रीलका ने तीन लाख लोगो को नागरिकता देने की जिम्मेदारी ली थी।

श्रीलका स लौटने वाले भारतीयो के पुनर्वास को राष्ट्रीय समस्या क रूप म माना गया ह। सहायता तथा पुनर्वास उपायो क कार्यान्वयन क लिए वाछित धन भारत सरकार द्वारा अनुदान तथा ऋण के रूप म दिया जाता है।

तिब्बत पर हुए चीनी आक्रमण के कारण १९५९ से अब तक लगभग ८६००० तिब्बती भारत सिक्किम तथा भूटान म आए है। १९७० क दौरान लगभग १०४ शरणार्थी स्थायी पुनर्वास के लिए स्विट्जरलैंड चले गये थ।

तिब्बती शरणार्थियो क कृषि और अन्य व्यवसायो म पुनर्व्यवस्थापना की योजनाओ म इस वष और प्रगति हुई ह। अब तक २५ ३०० तिब्बती शरणार्थियो को कृषि बस्तियो लघुस्तर के उद्योगो और देश के विभिन्न भागो म स्थापित दस्तकारी केन्द्रो म पुनर्वास दिया गया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा सचालित या सहायता प्राप्त कई शिशुशालाओ और स्कूलो म लगभग ६ ५०० बच्चे पढ रहे है। लगभग ४,००० से अधिक शरणार्थियो ने अपने प्रयासो द्वारा विभिन्न प्रकार के काम खोज लिए हैं।

केन्द्रीय सरकार श्रम रोजगार और पुनर्वास मत्रालय के अधीन पुनर्वास विभाग क माध्यम स भारत आने वाल इन विस्थापितो क लिए अनेक काय करती ह। दडकारण्य विकास पुनर्वास भूमि उद्धार सगठन कुछ ऐसे ही काय हैं जिनके माध्यम स सरकार काय करती है।

: ३३ :

भारतीय चलचित्र

भारतीय सिनेमा का विकास बड़ी मामूली स्थिति में हुआ। पिछले कुछ दशकों में भारतीय सिनेमा पर विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक शक्तियों का प्रभाव पड़ा और अब भारतीय सिनेमा ने बड़ी भारी प्रगति कर ली है।

भारत में औसतन प्रतिदिन एक फिल्म और हर तीसरे दिन एक लघु फिल्म तैयार हो जाती है। इस प्रकार अब भारत, जापान और अमरीका के बाद विश्व में सबसे अधिक फिल्म बनाने वाले देशों में से एक है।

१९७२ में ४१२ फिल्में बनाई गई। इन्हें मिलाकर अब तक बनाई गई फिल्मों की कुल संख्या लगभग ११,५०० हो गई है। इनमें से लगभग ८,७०० हिन्दी में बनाई गई हैं और शेष बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड, मराठी, गुजराती और अन्य भाषाओं में बनाई गई हैं।

एक बड़ा उद्यम

चाहे किसी भी मानदण्ड में देखा जाय, अब भारतीय सिनेमा एक बड़ा व्यावसायिक उद्यम और एक विशाल उद्योग बन गया है जिसमें लगभग ११० करोड़ रु० की पूंजी निवेश किया गया है। इसमें विभिन्न योग्यता के एक लाख से अधिक पुरुष और स्त्रियां काम करते हैं और इसमें प्रति सप्ताह लगभग ३ करोड़ फिल्म देखने वालों का मनोरंजन होता है।

हमारे इस विशाल देश में ७,००० से अधिक सिनेमाघर हैं। १९७२ के अन्त में इन सिनेमाघरों में बैठने के कुल स्थान ४२,७३,०५२ थे। सिनेमा हमारे युग का इस समय सबसे अधिक शक्तिशाली मनोरंजक और संवाहक बन गया है और इससे बड़ी भारी संख्या में दर्शकों को प्रभावित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मानवीय जीवन के समस्त पहलुओं और क्रियाकलापों पर भी इसका बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ता है।

भारत में पहला चलचित्र लूमियेर बन्धुओं के एक सिनेमैटोग्राफी के माध्यम से ७ जुलाई १८९६ को बम्बई के वाटसन होटल में दिखाया गया था। भारत का पहला लघुचित्र 'रसलर' १८९९ में श्री एच० एस० भातवडेकर ने बनाया था। एफ० बी० थानावाला ने १९०० में ही अपनी एक फिल्म बनाई थी। श्री थानावाला और सावेदादा तथा हीरालाल सेन—ये सबसे पहले भारतीय थे जिन्होंने इस क्षेत्र में पथ प्रदर्शन का कार्य किया। भारत की पहली मूक फिल्म 'पुंडलिक' श्री आर० जी० तारने और श्री एम० जी० चित्रे

की एक कहानी के आधार पर बनाई गई थी और वह बम्बई में १८ मई, १९१२ को दिखाई गई थी।

सिनेमा के विकास की दृष्टि से ३ मई १९१३ का दिन भारतीय सिनेमा के विकास का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी के लिये बड़ा महत्व रखता है। इसी दिन श्री दादा साहब फालके द्वारा भारत में पूरी तरह से बनाई गई फिल्म हरिश्चन्द्र बम्बई में दिखाई गई थी। भारतीय सिनेमा के जनक की इस फिल्म में सभी कलाकार पुरुष थे। श्री फालके दरअसल एक बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। वे स्वयं अपनी पटकथा लिखते थे स्वयं ही सम्पादन करते थे और सेट का डिजाइन फोटो लेने का काम और निर्देशन भी स्वयं ही करते थे। उनकी फिल्मों के प्रतिपाद्य विषय दन्तकथाओं धर्म और लोक-साहित्य में लिए गए हैं।

१९१७ में श्री जे० एफ० मदान ने भी इसी विषय पर बंगला में एक फिल्म बनाई। उन्होंने थियेटरों का जाल बिछाकर सिनेमा की लोकप्रियता बढ़ाई। दक्षिण में सबसे पहली फिल्म कीचकवधन श्री एन० मुदालियर ने मद्रास में १९१९ में बनाई थी।

१९१२ से १९३४ तक इस प्रकार कुल १२७९ मूक फिल्म बनाई गई थीं। इन फिल्मों के प्रतिपाद्य विषय दंतकथा इतिहास जीवनकथा कल्पना चमत्कार और सामाजिक बातों पर आधारित थे।

इस उद्योग की जाच पड़ताल करने के लिए १९२७ में फिल्म जाच समिति नियुक्त की गई थी। उस समय यह अनुभव किया गया था कि इस माध्यम का मनुष्यों और उनके नैतिक मूल्यों पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। इससे दस साल पहले सिनेमाओं का लाइसेंस देने के लिए और सार्वजनिक रूप से फिल्मों के प्रदर्शन के अधिकार के सर्टिफिकेट देने के लिए भारतीय सिनेमा फोटोग्राफी अधिनियम पास किया गया था।

बोलती फिल्में

भारत में सबसे पहला बोलता चित्र आलम आरा श्री आर्देशर ईरानी ने बम्बई में १९३१ में बनाया था। यह दरअसल एक युगान्तकारी घटना थी क्योंकि इससे हमारी फिल्मों में संगीत नृत्य और संवाद का सूत्रपात हुआ। इसका यह परिणाम हुआ कि न केवल हमारी फिल्मों के प्रतिपाद्य विषय और स्वरूप में ही आमूलचूल परिवर्तन हुए बल्कि इस उद्योग और इसके क्षेत्र के समस्त संगठन में भी भारी परिवर्तन हुए। भारत के लोगों में फिल्मी संगीत बड़ा लोकप्रिय है। हमारी फिल्मों की भाषा और हमारा अपना संगीत ये दोनों ही इतने भिन्न हैं कि हम वास्तविक विश्व सिनेमा से बिल्कुल अलग अलग पड़ गए हैं। फिर भी श्री पी० सी० बरुआ देवकी बोस नितिन बोस वी० शान्ताराम विनायक हिमांशु राय महबूब जे० बी० एच० वाडिया आदि निर्माताओं ने कुछ बहुत अच्छी भारतीय फिल्में बनाई। श्री सत्यजीत रे ने भारतीय सिनेमा को विश्व के सिनेमा के समक्ष रख दिया।

नई तकनीकें अपनाने फोटोग्राफी के आधुनिक साज-सामान का इस्तेमाल करने और सम्पादन की नई प्रणालियां अपनाने की दृष्टि से भारत ने फिल्म बनाने की कला और विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। मोंटेज फ्लश-बैक क्लोज अप डिसाल्व और जम्प आउट जैसी फोटोग्राफी की विभिन्न प्रणालियां अब हमारी फिल्मों का निर्माण करते समय प्रयोग की जाती हैं।

सबसे पहली

भारत म सवसे पहली रंगीन फिल्म 'कन्याकुमारी' १९३७ म बनाई गइ थी। अब तक ३५० से अधिक रंगीन फिल्म बन चुकी हैं जिनम से अधिकाश हिन्दी म बनाई गई हैं। १९३३ म 'कर्म' फिल्म हिन्दी और अंग्रेजी दोना म बनाई गई थी जिसकी नायिका देविका रानी थी। श्री गुरुदत्त न १९५९ म सबसे पहली सिनेमास्कोप फिल्म 'कागज के फूल' बनाई थी। सिनेमास्कोप म पहली रंगीन फिल्म 'प्यार की प्यास' १९६१ म बनी। पहली बहुत बडे बजट की फिल्म 'मुगले आजम' थी जिसे श्री के० आसिफ न बनाया था। १९७१ म एक बगाली फिल्म 'इगीन' बनाई गई जिसमे कोई शब्द नही बोला गया था। श्री सुनील दत्त ने १९६४ म केवल एक अभिनेता से अपनी प्रायोगिक फिल्म 'यादें' बनायी। १९६७ मे बनाई गई 'राउण्ड दि वल्ड' पहली भारतीय टक्नीकलर फिल्म थी जो ७० मिलीमीटर म स्टीरियाफोनिक साउण्ड के साथ बनाई गई थी। 'पाम्पौश' गेवाकलर म बनी पहली फिल्म थी और किसी भारतीय द्वारा बनाई गई पहली टैक्नीकलर फिल्म 'झनक झनक पायल बाजे' थी।

श्रेष्ठतम फिल्में

बाबूराव पटर विमलराय गुरुदत्त, के० आसिफ बी० एन० सरकार और कई अन्य भारतीय निर्माता ऐसे हैं जिन्हाने भारत की श्रेष्ठतम फिल्म बनाई और उन्हाने अपनी कृतिया से यह सिद्ध कर दिया कि सिनमा की कला म हमारी सफलताए कितनी उत्कृष्ट हैं। हम दरअसल अपने इन निर्माताओ पर गव है।

प्रभात टाकीज, बाम्बे टाकीज, 'न्यू थियेटस एo बी० एम०, जेमिनी'—ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हाने भारत म कई साद्देश्य फिल्म बनायी।

१९४३ म बाम्बे टाकीज द्वारा जारी की गई फिल्म 'किस्मत' ने कलकत्ता म लगातार साढे तीन साल तक चलकर अपने समय का सारा रेकाड ताड दिया। इसका कारण यह था कि इस फिल्म की कथा आकर्षक सगीत और कुशल कलाकारा न इसे सुन्दर और आकर्षक बनान म काई कसर उठा नही रखी।

इस समय श्री सत्यजित र विश्व म सबसे अधिक प्रतिभाशाली फिल्म निर्माताओ म स एक माने जाते हैं। आपू समेत उनके तीन चित्र निस्सन्देह सिनमा कला की एक सर्वोत्कृष्ट कृति है। वाल्ट डिजने का छोडकर शायद अब काई ऐसा व्यक्ति नही है जिसे सामयिक फिल्मा की दुनिया म इतने बडे पैमाने पर फिल्म के आलोचका और प्रशसका ने सम्मान दिया हो और प्रशसा की हो। उनकी पहली फिल्म 'पाथेर पाचाली' की सारी दुनिया म प्रशसा हुई। फिल्म बनाने के उनके ढग म नवीनता है और इस माध्यम के द्वारा वे यथाथ रूप से विचारा का चित्रण करत हैं कहानी का उद्घाटन करते हैं पहले से ही स्थिति का सिलसिला बैठाते हैं और जीवन के छोटे छोटे कष्टा और छोटी-छोटी खुशिया को प्रकट करते हैं। उनकी कृतिया मे यथाथ तथा लय आदि अन्य खूबिया का बडा सुन्दर समन्वय होता है और यही उनकी सबस बडी विशेषता है। अब फिल्म बनान का उनका यह ढग 'रेज सिनमा' के नाम से जाना जाता है।

वृत्तचित्र

फिल्म विभाग दो दशक पहले स्थापित किया गया था। यह अपने प्रकार का सबस

बडा सगठन है। जनता को जागरूक बनाने और उन्हें जानकारी देने के लिए आवश्यक विचारो और सूचना के आधार पर यह अधिकाश-वृत्तचित्र तैयार करता है। कुछ वृत्तचित्र अन्य फिल्म निर्माताओ को भी दे दिये जाते है ताकि वे निजी क्षेत्र म वृत्तचित्रो को तैयार करने के काम म सहायता ■। कई वृत्तचित्रो और प्रायोगिक फिल्मो का विश्वभर मे गुणगान हुआ है। यह विभाग एक साप्ताहिक समाचार चित्र तयार करता है ताकि देशवासी देश म तथा विदेशो मे होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओ को देख सकें और उनका विवरण सुन सकें। ये फिल्म अग्रेजी और प्रादेशिक भाषाओ म बनाई जाती हैं। वृत्तचित्रो के समाचार चित्रो के अलावा यह विभाग कार्टून, कथा फिल्म, शिक्षणिक निर्देशात्मक फिल्म पर्यटन फिल्म और अन्य फिल्म भी बनाता है। यह विभाग हर साल लगभग १५० फिल्म तयार करता है जो विभिन्न प्रादेशिक भाषाओ म भी तैयार होती हैं।

फिल्म उद्योग के साथ सबध

१९५१ म स्थापित फिल्म जाच समिति ने अन्य बातो के साथ साथ इन बातो की सिफारिश की थी

(१) फिल्म निर्माताओ के लिए प्रशिक्षण सस्थान स्थापित किया जाय।

(२) कलात्मक महत्व की फिल्मो का वित्तीय सहायता के लिए एक सस्था स्थापित की जाय।

(३) एक फिल्म परिषद स्थापित की जाय।

भारत और भारत के आसपास के देशो के नये फिल्म निर्माताओ को प्रशिक्षण देन के लिये फिल्म प्रशिक्षण सस्थान स्थापित किया गया है जो एशिया म अपने प्रकार का सबसे बडा सस्थान है। इस सस्थान ने फिल्म उद्योग को नायक और नायिकाए योग्य और प्रशिक्षित निर्देशक और पटकथा लेखक फिल्म सम्पादक साउड रिकार्डिस्ट और अन्य तकनीकज्ञ दिये हैं। अब इसम यह व्यवस्था भी की जा रही है कि वह टेलीविजन के नये उभरते माध्यम के बारे म भी प्रशिक्षण दे सके।

नई लहर की फिल्मे

अब कुछ एसे नये फिल्म निर्माता सामन आये है जो थोडे स रुपये-पसे से लीक से हटकर कलात्मक और प्रायोगिक फिल्म बनाने के लिये उत्सुक है जो इस समय के सामाजिक व्यवहार और प्रथाओ तथा सम-सामयिक प्रवृत्तियो के अनुकूल हो और जिनमे लोगो की भावनात्मक आवश्यकताओ की भी सतुष्टि हो सके। फिल्म वित्त निगम ने सिनेमा का एक सार्थक ढग से विकास करन के लिय काफी साहसिक यत्न किये है। यह निगम हमारे सिनमा देखने वाले लोगो की रुचि बदलने का यत्न करता है और प्रतिभाशाली तथा योग्य फिल्म निर्माताओ को आवश्यक वित्तीय सहायता देता है। भुवनशोम सारा आकाश दस्तक और 'बदनाम बस्ती' आदि फिल्मो की विशेषता और गुणो की बडी सराहना की गई है और इन फिल्मो को इस निगम न ही वित्तीय सहायता दी है।

पूना म राष्ट्रीय फिल्म-सग्रहालय स्थापित किया गया है ताकि देश और विदेश की श्रेष्ठतम फिल्म यहा लाकर सुरक्षित रूप स रखी जा सकें। यहा फिल्मो का वर्गीकरण किया जाता है अनुसधान किया जाता है और फिल्मो के अध्ययन और फिल्मी-सभ्यता के प्रचार प्रसार को प्रोत्साहित किया जाता है।

भारतीय चलचित्र नियात निगम हमारी फिल्मो के नियात के लिय नये अवसर पैदा करके इस उद्योग की सहायता कर रहा है।

सेंसरशिप

सरकार ने फिल्मों को सेंसर करने के प्रश्न के बारे में एक समिति नियुक्त की है ताकि वह इस बात का अध्ययन करे कि सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की गई फिल्मों का समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में लोगों पर क्या असर पड़ता है।

खोसला समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दी है। समिति ने विस्तार से वर्तमान कानूनी मशीनरी और भारतीय तथा विदेशी फिल्मों के प्रदर्शन के लिये सर्टिफिकेट देने की प्रणाली का अध्ययन किया है।

राष्ट्रीय पुरस्कार

सरकार ने कलात्मक और सांस्कृतिक दृष्टि से उत्कृष्ट प्रकार की फिल्म बनाने के लिये फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के निमित्त राष्ट्रीय पुरस्कार देने की व्यवस्था की है। फिल्मों कथाचित्रों और प्रायोगिक तथा शैक्षणिक फिल्मों के लिए अलग अलग पुरस्कार दिये जाते हैं।

सन '७३ को पुरस्कृत सर्वश्रेष्ठ फिल्में

१९७२ की घोषित सर्वश्रेष्ठ फिल्मों और सर्वश्रेष्ठ फिल्मी व्यक्तियों को १७ दिसम्बर १९७३ को नई दिल्ली के विज्ञान हाल में राष्ट्रपति वी वी गिरि ने निम्न प्रकार पुरस्कार दिये।

सर्वोत्तम अभिनेता	श्री संजीव कुमार भरत पुरस्कार	कोशिश (हिन्दी)
सर्वोत्तम अभिनेत्री	श्रीमती टी शारदा उर्वशी पुरस्कार	'स्वयम्वरम् (मलयालम)
सर्वोत्तम निर्देशक	श्री अदूर गोपालाकृष्णन	स्वयम्वरम
सर्वोत्तम पटकथा लेखक	श्री गुलजार	कोशिश (हिन्दी)
सर्वोत्तम संगीतकार	श्री एस डी बर्मन	'जिन्दगी, जिन्दगी (हिन्दी)
सर्वोत्तम गायिका	कु० लता मंगेशकर	परिचय' (हिन्दी)
सर्वोत्तम गायक	श्री जेसूदोस	अच्चानुम भाप्पायुम (मलयालम)
सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफी (रंगीन)	श्री के के महाजन	माया दर्पण (हिन्दी)
सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफी (ब्लैक एंड ह्वाइट)	श्री एम सी रवि वर्मा	स्वयम्वरम'
सर्वश्रेष्ठ बाल अभिनेत्री	कु० नीरा मालाय	रानूर प्रथम भाग
फिल्म उद्योग योगदान	संगीतकार पंकज मलिक	दादा साहब फाल्के पुरस्कार

क्षेत्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली फिल्में

माया दर्पण	हिन्दी	पनी थीरता	मलयालम
ग्रोपजा सोनार माती	असमी	'मातागी मनीपुर	मनीपुरी
स्त्रीर पत्र	बंगाली	पिंजरा	मराठी
गुण सुन्दरी नो घर संसार	गुजराती	पथिकत्था पटानमा	तमिल
'शोरा मजरा	कन्नड	पनन्ती वपूरम	तेलगू

भारतीय संगीत व नृत्य

भारतीय सगीत ने विदेशो म भारी लोकप्रियता प्राप्त की है। भारतीय सगीतज्ञ वर्षो से अमरीका और यूरोपीय देशा म परम्परागत भारतीय सगीत पेश करत रहे है। आज प० रविशकर उस्ताद अली अकबर खा जसे कलाकार यूरोप और अमरीकी सगीत जगत म उतने ही लोकप्रिय है जितने कि प्रतिष्ठित पश्चिमी सगीतज्ञ।

भारतीय सगीत म इस प्रकार की रुचि और उसे सगव अपनाने की इस प्रवृत्ति के कई कारण है। सगीत के अध्येता इस बात को अनुभव करने लगे है कि विश्व के विभिन्न देशा म अधिक विकसित प्रभावकारी एव हृदयस्पर्शी सगीत प्रणालिया है। आज सगीत के क्षेत्र म देश की सीमाओ का बधन समाप्त हो चुका है। प० रविशकर और उस्ताद अली अकबर खा अमरीकी विश्वविद्यालयो म भारतीय सगीत की शिक्षा दते रहे हैं तथा उनके द्वारा स्थापित सगीत कालेजो म भारतीय सगीत को गभीर रूप म अपनाने वाला की सख्या बढ़ रही है। विश्वविख्यात वायलिनवादक यहूदी मेनुहिन उस्ताद अल्ला रखा की तबला सगीत के साथ भारतीय राग बजाने लगे है। रविशकर-यहूदी मेनुहिन की युगलबन्दी जन मानस को आदोलित कर चुकी है जबकि उस्ताद अली अकबर खा और अमरीकी सक्साफोन वादक जोन हडी का युगल कायक्रम नये स्वरूप की सृष्टि कर चुका है। इसी प्रकार विविध पश्चिमी साजो के साथ भारतीय साजो के कायक्रमो ने सगीत की सीमाबद्धता समाप्त कर दी है।

परम्परागत सागीतिक परम्परा का निर्वाह करने वाले प्रतिभाशाली सगीत सर्जक प० रविशकर न देश म ही नही बल्कि अमरीका एव यूरोपीय देशा म नवयुग का निर्माण किया है। उन्होने भारतीय सगीतज्ञो के लिए विश्व के द्वार खोल दिए हैं।

१९५८ म उन्हे प्रथम बार पेरिस म आयाजित यूनेस्को सगीत समारोह म भाग लेन के लिए आमत्रित किया गया। इसी समारोह मे यहूदी मेनुहिन एव डेविड आस्ट्रिच न कायक्रम पेश किये। १९६६ म उन्होने पुन इसी समारोह म भाग लिया। मध्यपूव, रूस एव स्केंडिनेविया की उनकी यात्रा प्रभावकारी रही और उन्होने विदेशी फिल्मो म सगीत दिया। उन्होंने लास एजिल्स म किनर स्कूल आफ म्यूजिक स्थापित किया, जिसम गायन, सितार सरोद, तबला की शिक्षा अभी भी जारी है।

उस्ताद अली अकबर खा अपने ढग के एक ही कलाकार है। भारत के श्रेष्ठ सरोद वादक उस्ताद अली अकबर खा का स्थान आज विश्व के सगीतज्ञो मे काफी ऊचा है। यूरोपीय देशा और अमरीका म इस पक्के परम्परावादी कलाकार ने सगीतज्ञो और सगीत प्रेमियो

को समान रूप से प्रभावित किया है। सुर और लय के बादशाह अली अकबर के संगीत से युवावर्ग में नयी चेतना का संचार हुआ है। अमरीका के श्रेष्ठ सैक्सोफोनवादक जान ग्रीम आदि कलाकारों के साथ वादन, विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षण, भाषण, प्रदर्शन तथा कालेज के संचालन से उस्ताद ने संगीत की महान सेवा की है।

उस्ताद अली अकबर खां १९५५ में प्रथम बार वायलिनवादक यहूदी मेनुहिन के आमंत्रण पर अमरीका गये। उन्होंने न्यूयार्क स्थित म्यूजियम आफ माडर्न आर्ट में सरोद वादन पेश किया। टेलीविजन पर भारतीय संगीत पेश करने वाले उस्ताद अली अकबर प्रथम कलाकार थे। १९६५ में उन्होंने अमरीकन सोसायटी आफ ईस्टर्न आर्ट्स में वाद्य एवं गायन की शिक्षा देना स्वीकार कर लिया। इस ओर काफी अमरीकी छात्र आकृष्ट हुए। १९६७ में छात्रों की संख्या बढ़ गयी और सरोद, सितार, तबला, बांसुरी वादन तथा गायन सीखने के लिए अमरीका के विभिन्न भागों के व्यक्ति अधिक उत्सुक दिखायी दिये। इस समय उस्ताद ने कैलिफोर्निया में 'अली अकबर कालेज आफ म्यूजिक' स्थापित किया। इस कालेज में प्रशिक्षण देने के लिए उस्ताद भारत से वायलिन वादक श्री वी० पी० जोग, सरोदवादक बहादुर खां और सितारवादक इन्द्रनील भट्टाचार्य को ले गये।

वास्तव में यूरोप में भारतीय संस्कृति के प्रति रुचि बहुत पहले ही जाग्रत हो चुकी थी। श्री उदयशंकर के पिता डा० श्यामशंकर वर्षों से यूरोप में थे। संगीत के शौकीन डा० श्यामशंकर ने अपने पुत्र उदयशंकर को वहां बुलाया। १९२४ के लगभग वहां संगीतमय नाटक पेश किये गये जिसमें उदयशंकर सहायक रहे। इसी समय में उदयशंकर विख्यात पावलोवा के सम्पर्क में आये और उन्होंने उनकी सहायता के लिये एक कार्यक्रम पेश किया जिसमें भारतीय वाद्य-वीणा, तबला, आदि का प्रयोग किया गया। पावलोवा ने भारत आकर अध्ययन किया और पुनः यूरोप लौट कर दो नृत्यनाटिकाएं प्रस्तुत कीं। भारतीय वाद्यों का ही आर्केस्ट्रा तैयार किया गया। इस आर्केस्ट्रा के निर्माण में पं० विष्णु दिगम्बर के शिष्य विष्णुराम सिरानी और उस्ताद अलाउद्दीन खां के शिष्य तिमिर बरन का हाथ रहा।

भारतीय संगीत के महान संरक्षक गायनाचार्य पं० विष्णु दिगम्बर पलुस्कर ने १९३० में यद्यपि केवल बर्मा और श्रीलंका की ही यात्रा की किन्तु भारत में रहते हुए भी उन्होंने जिस प्रकार की स्वरलिपि तैयार की उसमें भारतीय संगीत एवं पश्चिमी संगीत को निकट लाने तथा स्टाफनोटेशन प्रणाली अपनाने के प्रयास का एक उदाहरण मिलता है।

पं० पलुस्कर के शिष्य पं० ओंकारनाथ ठाकुर ने १९२३-२४, १९२६-२७, १९३० और १९५५ में यूरोप यात्रा की और फ्लोरेंस के अन्तर्राष्ट्रीय संगीत सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने इटली के तत्कालीन कर्णधार मुसोलिनी के समक्ष गायन पेश किया।

भारत के महान गायक उस्ताद अमीर खां ने १९६९ में स्टेट यूनिवर्सिटी कालेज न्यूयार्क में 'विजिटिंग प्रोफेसर' के रूप में अमरीका की यात्रा की।

विश्वविख्यात सितारवादक उस्ताद विलायत खां ने १९५५-५६ में सांस्कृतिक प्रतिनिधिमण्डल के साथ चीन एवं रूस की यात्रा कर उन्हें भारत की समृद्ध परम्परा से परिचित कराया। १९६४ में उन्होंने एशियन म्यूजिक कंसर्ट में भाग लिया तथा १९६५ में बर्लिन, स्टाकहोम आदि स्थानों पर सितारवादन पेश किया।

भारत का प्राचीन गायकी ध्रुपद के प्रतिनिधि के रूप में उस्ताद नासिर मोइनुद्दीन

डागर एव नासिर ग्रमीनुद्दीन डागर न १९६८ म यूरोप की यात्रा की। बर्लिन पेरिस लदन, ब्रुसल्स म उनके कार्यक्रमो की काफी सराहना की गई।

विख्यात तबलावादक प० चतुरलाल न १९५४ स १९६८ तक प० रविशकर, प० रामनारायण एव श्रीमती शरन रानी के साथ विदेश यात्रा की ग्रौर तबला वादन स पश्चिमी वादको को काफी प्रभावित किया। गुणी तबलावादक प० तारानाथ का ग्रमरीका एव यूरोप म बडा सम्मान ह ग्रौर उन्होने वहा कई शिष्य तयार किये। ग्राज उस्ताद ग्रल्लारखा ग्रमरीका ग्रौर यूरोप म प्रसिद्ध है।

विख्यात सारगीवादक प० रामनारायण १९५४ स ग्रब तक यूरोप एव ग्रमरीका की कई बार यात्रा कर चुक है। इस पारम्परिक वाद्य स पश्चिम को परिचित कराने का श्रेय प० रामनारायण का है।

उस्ताद ग्रलाउद्दीन खा की शिष्या सरोदवादिका शरन रानी न रूस ग्रास्ट्रेलिया, ईरान, फिजी द्वीप तथा यूरोपीय देशो की यात्रा के दौरान भाषण प्रदशन व कार्यक्रमो स वहा की जनता को काफी प्रभावित किया। १९६६ ग्रौर १९६७ म शरन रानी ने ईरानी सतूर के साथ युगलबन्दी पेश की जो एक नया ग्रनुभव था।

प्रसिद्ध बासुरीवादक विजयराघव राव ने १९५४ म सास्कृतिक शिष्टमडल क साथ रूस, पोलड चेकोस्लोवाकिया की यात्रा की।

बीनकार उस्ताद जिया मोइउद्दीन डागर ने १९६८ म ग्रमरीका के वेसलीन विश्व विद्यालय मे बीन एव सुरबहार वादन एव गायन की शिक्षा दी। प्रभा ग्रत्र सरोदवादक ग्रमजद ग्रली खा बासुरीवादक हरिप्रसाद चौरासिया एव माणिक वर्मा ने भी विदेशो म भारतीय सगीत की लोकप्रियता म योगदान किया।

नृत्य कला

विदेशो म नृत्य प्रदशन क क्षेत्र म सितारा देवी बिरजू महाराज गोपीकृष्ण भवेरी बहना, दमयन्ती जोशी ग्रादि ने काफी काय किया।

वास्तव म स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूव नृत्य क प्रचार का काय मनका-दल ने किया। इनके साथ इनके ग्रलावा रागिनी देवी का भी भारतीय नृत्य प्रदशन के सम्बन्ध म बडा नाम है। कथकली गुरु गापीनाथ भी उनक साथ थ। रामगोपाल न पेरिस लदन, न्यूयाक हालिवुड म कायक्रम पश किये।

श्रीमती बाल सरस्वती ने यूरोप ग्रौर ग्रमरीका की यात्रा की तथा ग्रमरीकी विश्व विद्यालय म गायन ग्रौर भरतनाटयम नृत्य की शिक्षा दी। श्रीमती बाल सरस्वती के भ्राता बासुरीवादक श्री टी० विश्वनाथन न तीन वर्षों मे दो बार ग्रमरीका एव यूरोपीय देशो की यात्रा की ग्रौर कर्नाटक सगीत को लोकप्रिय बनाने म बडा योगदान किया। जान हिगिन्स ने मद्रास ग्राकर सगीत सीखा ग्रौर ग्रपना नाम हिगिन्स भगवतार रख लिया। टोरेंटो विश्व विद्यालय म ग्रभी कर्नाटक सगीत पीठ स्थापित हो गई है। मद्रास सरकार के क० वी० नारायणस्वामी न दो बार ग्रमरीका की यात्रा की। मृदगमवादक पालघाट रघु ने एक वर्ष तक ग्रमरीका म रह कर कर्नाटक ताल पद्धति का प्रचार किया। मृदगमवादक तिरुचि शकरन ग्रभी टोरटो विश्वविद्यालय म शिक्षा दे रह ह। वीणावादक कल्याण कृष्ण भगवतार ने एक वर्ष तक ग्रमरीकी विश्वविद्यालय म शिक्षा दी। वीणावादक एस० बालचदर ने कई

वार यूरापीय देशा एव अमरीका की यात्रा कर कर्नाटक सगीत की विशेषता स पश्चिम का परिचित कराया।

बासुरीवादक रमणी वायलिनवादक लालगुडी जयरामा तथा अय कनाटक सगीतज्ञा की पश्चिम म बडी माग है। गायिका एम० एस० सुब्बलक्ष्मी न राष्ट्रसघीय कट्सभा म गायन पश कर वडा मम्मान प्राप्त किया। वीणावादक चिट्टी बाबू और वायलिनवादक टी० एन० कृष्णन ने भी पश्चिम म कायक्रम पेश किये।

दक्षिण की नत्य प्रणालिया का भी वहा काफी प्रचार हुआ। श्रीमती मृणालिनी साराभाई न अमरीका की यात्रा कर भरतनाट्यम का प्रचार किया। ऋता देवी न सात वार यूरापीय देशा तीन बार अमरीका और तीन बार रूस की यात्रा कर भरतनाटयम कूचिपुडि माहिनी आट्टम एव उडासा नत्या का सफल प्रदशन किया। ऋता के अनुसार भारतीय नृत्य के आध्यात्मिक पक्ष ने पश्चिम का अधिक प्रभावित किया। श्रीमती रुक्मिणी देवी अरुन्डेल न आस्ट्रेलिया और अमरीका म भरतनाटयम नृत्य पेश कर ख्याति अर्जित की।

लगभग दा सौ वप पूव सर विलियम जास ने भारतीय सगीत का अध्ययन कर भारतीय रागा के विविध रूप बताये। इसके बाद विलियड ने भारतीय सगीत पर ग्रथ की रचना की। कप्तान सी० के० ड० ने दक्षिणी एव उत्तरी शाखा की तुलना की। श्री ई० क्लमट न श्रुतिया के सम्बध म कुछ सिद्धात निर्धारित किये। श्री फाक्स स्ट्रेंजवे ने यह स्थापित किया कि मेलाडी ही मूल आधार है।

एलेन डेनेलू ने हमारे सगीत के परम्परागत स्वरूप को स्थापित करन का प्रयास किया। रोजथल ने उत्तर भारतीय एव दक्षिण भारतीय सगीत का तुलनात्मक अध्ययन किया। वाल्टर काफमन ने उत्तर भारतीय रागा की स्वरलिपिया का तुलनात्मक अध्ययन किया। बाट राइट न भारतीय सगीत की स्वरलिपि पद्धति की समस्या पर विचार किया। राजर आस्टन ने भारतीय सगीत क दाशनिक पहलू का स्थापित किया।



आय-कर दाता!

आय कर विभाग ने प्रत्येक आय कर दाता के लिये एक

स्थायी लेखा नम्बर

नियत कर दिया है

ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिये
किया गया है कि निर्धारितियों से
प्राप्त भुगतान के चालान और
और अन्य सभी विवरणी पत्रियों को
ठीक तरह से दर्ज किया और नत्थी में
रखा जा सके। अगर आपको गलती से दो स्थायी
लेखा नम्बर मिल गये हों या कोई नम्बर नहीं मिला हो तो
कृपा करके अपने कर निर्धारण आय-कर अधिकारी/
आयकर आयुक्त से एक नम्बर रद्द करने को या
एक ही नम्बर नियत करने को कहें।
कृपया अपने आय के ब्यौरों, चालानों आदि पर अपना सही
स्थायी लेखा नम्बर अवश्य लिखिए ताकि
विभाग आपको अच्छी सेवा कर सके।

निरीक्षण निदेशालय

निरीक्षण निदेशालय
(अनुसंधान, सांख्यिकी और प्रकाशन)
नई दिल्ली

राजनीतिक दल

भारत के राजनीतिक ढाचे म अखिल भारतीय काग्रेस का दो हिस्सा म विभाजन तथा उसके कारण विभिन्न दला म हो रही प्रतिक्रिया महत्वपूण घटना रही है। प्रक्रिया चाल है और जहा एक ओर राजनीति विशारदा का मत है कि निकट भविष्य म समान-काय क्रम के आधार पर दला की सख्या कम होगी वहा यह मत भी व्यक्त किया जा रहा है कि राजनीतिक दला की सख्या पर कोई स्थायी निणय निकट भविष्य म निकल पाना कठिन है।

डा० शकरदयाल शर्मा के नेतत्व वाली काग्रेस और श्री अशोक मेहता के न तृत्व वाली काग्रेस के अलावा भारत के राजनीतिक ढाचे म अखिल भारतीय मा यताप्राप्त चार दल हैं—स्वतन्त्र पार्टी जनसघ कम्युनिस्ट पार्टी माक्सवादी कम्युनिस्ट। द्रविड मुनत्र कडगम, भारतीय क्राति दल अकाली दल, रिपब्लिकन पार्टी, बगला काग्रेस आदि क्षेत्रीय स्तर की पार्टिया हैं। विलय स पूव समोपा व प्रसोपा को भी अखिल भारतीय मा यता प्राप्त थी।

भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस

काग्रेस देश का सबसे बडा और सर्वाधिक पुराना राजनीतिक दल था। इसकी स्थापना सन १८८५ म मि० ए० ओ० ह्यूम नामक अवकाश प्राप्त अग्रेज अधिकारी न का थी। आरम्भ म इस सस्था का उद्देश्य देश म सामाजिक और आर्थिक सुधारा को लागू कराना था किन्तु बीसवी शताब्दी के आरम्भ म ही राष्ट्रवादी तत्वा के भारी सख्या म इसम प्रवेश करने के कारण काग्रेस राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन के क्षेत्र म अग्रसर हो उठी और १९४७ तक वह देश म राष्ट्रीय रगमच पर सबसे प्रभावी पार्टी के रूप म काय करती रही।

१५ अगस्त १९४७ को अग्रेजा के भारत छोडने पर देश का शासन सूत्र भी इसी दल ने सम्भाला। सन १९४८ म काग्रेस ने अपने लक्ष्य की घोषणा करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य भारत म शान्तिपूण वध उपाया द्वारा जनता क राजनीतिक, समाजिक तथा आर्थिक अधिकारा की समानता पर आधारित एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है जिसका ध्येय विश्वशाति तथा सहयोग है। गाधीवादी विचारधारा स प्रभावित होन के कारण काग्रेस न लोकतात्रिक माग से देश की प्रगति की घोषणा की।

विदेश नीति के क्षेत्र म काग्रेस गुटनिरपेक्ष नीति की समथक रही। राष्ट को शक्ति गुटा के प्रभाव से मुक्त रखने और अ य राष्ट्रा से सैनिक गठजोड करन क विरोध म काग्रेस की नीति रही। सयुक्त राष्ट्रसघ को विश्वशान्ति के लिए अत्यन्त महत्वपूण मानकर औपनिवशिक देशा की स्वतत्रता, रगभेद की नीति का परित्याग अ य राष्ट्रा स मास्त्र

तिक और आर्थिक सहयोग तथा विश्वशान्ति उनकी विदेश नीति के प्रमुख आधार रहे।

कांग्रेस के दो दल (कांग्रेस—संगठन कांग्रेस)

१९६९ में इस दल में एक भीषण आंतरिक विस्फोट हुआ जिसके कारण वह दो पार्टियों में विभाजित हो गया। कांग्रेस के लम्बे इतिहास में पहले भी ऐसे अवसर आए जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विखंडन की स्थिति पैदा हुई और किसी बड़े विभाजन से वह हर बार बचती रही। परन्तु इस बार बच नहीं सकी।

जून १९६९ को कांग्रेस महासमिति के बंगलौर अधिवेशन में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चुनाव के प्रश्न पर प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी और अध्यक्ष श्री निजलिंगप्पा और दोनों के समर्थकों के बीच सीधा टकराव हुआ। १३ जून को श्रीमती गांधी के विरोध के बावजूद लोकसभा के अध्यक्ष श्री नीलम संजीव रेड्डी को दल के संसदीय बोर्ड ने दो के विरुद्ध चार के बहुमत से कांग्रेसी प्रत्याशी चुना।

श्री रेड्डी के पक्ष में सर्वश्री मोरारजी देसाई (जो उस समय उप प्रधानमंत्री व वित्त मन्त्री थे) श्री कामराज, श्री यशवंतराव चह्वाण और श्री स० का० पाटिल ने तथा विरोध में श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने मत दिये। श्री जगजीवनराम ने मत नहीं दिया क्योंकि उनका अपना नाम श्रीमती गांधी द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका था। उन्होंने अन्य नाम श्री वराहगिरि व्यंकट गिरि का रखा था। श्री निजलिंगप्पा द्वारा मतदान किये जाने का अवसर उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन जबकि श्री जगजीवनराम श्री रेड्डी के विरुद्ध थे श्री निजलिंगप्पा उनके पक्ष में थे।

सोलह अगस्त १९६९ को हुए राष्ट्रपति चुनाव में श्रीमती गांधी और उनके समर्थकों ने अन्तरात्मा की आवाज के अनुसार श्री गिरि को मत दिये और श्री गिरि विजयी रहे।

इसके बावजूद कांग्रेस कार्यसमिति की अगली बैठक में एकता बनाए रखने का प्रस्ताव पारित हुआ। पर इस पर अमल न होने की शिकायतें दोनों ओर से होती रहीं। बाद में प्रधानमंत्री के समर्थकों ने श्री निजलिंगप्पा को अध्यक्ष पद से हटाने के उद्देश्य से महासमिति की विशेष बैठक बुलाने का अनुरोध करते हुए देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाया।

श्री निजलिंगप्पा और उनके गुट ने इस कार्य को अनुशासन भंग की गम्भीर कार्यवाही माना और कार्यसमिति की अगली बैठक से एक रात पूर्व श्री जगजीवनराम श्री फखरुद्दीन अली अहमद और तीन में से एक महासचिव डा० शंकरदयाल शर्मा को कार्य समिति की सदस्यता से अलग कर दिया।

श्रीमती गांधी ने उसी रात अपने समर्थक नेताओं की एक बैठक बुलाकर कार्यसमिति की बैठक अपने निवास स्थान पर उसी समय करने की घोषणा की। इस प्रकार दूसरे दिन एक ही समय कार्यसमिति की दो समानान्तर बैठकें हुईं—एक दल के मुख्यालय पर श्री निजलिंगप्पा की अध्यक्षता में हुई और दूसरी प्रधानमंत्री निवास पर श्रीमती गांधी के सभापतित्व में। यही कांग्रेस के विभाजन की पहली निश्चित प्रक्रिया हुई। कार्यसमिति के २१ सदस्यों में से ११ श्री निजलिंगप्पा की अध्यक्षता में हुई बैठक में और शेष दस श्रीमती गांधी द्वारा बुलायी गयी बैठक में सम्मिलित हुए।

इस प्रकार दल का दो भागों में विभाजन एक वस्तुस्थिति बन गया।

प्रधानमन्त्री और उनके समर्थकों ने २३ और २४ नवम्बर को महासमिति की विशेष बैठक में श्री निजलिंगप्पा और उनकी कार्यसमिति के सभी सदस्यों को दल से निकाल दिया तथा उनके द्वारा की गई सारी अनुशासनात्मक कार्रवाई रद्द कर दी। इसके बाद कांग्रेस संसदीय दल का भी विभाजन हो गया।

कांग्रेस अध्यक्ष डा० शंकरदयाल शर्मा तथा महामन्त्री सर्वश्री हेनरी आस्टिन तथा चन्द्रजीत यादव हैं। अन्य प्रमुख नेता हैं श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री यशवंतराव चव्हाण, श्री जगजीवनराम, श्री फखरूद्दीन अली अहमद, श्री उमाशंकर दीक्षित आदि।

संगठन कांग्रेस अध्यक्ष श्री अशोक मेहता तथा महामन्त्री सर्वश्री श्यामधर मिश्र एवं रवीन्द्र वर्मा हैं। अन्य प्रमुख नेता श्री मोरारजी देसाई, श्री श्यामनन्दन मिश्र, श्री कामराज, स० का० पाटिल, श्री चन्द्रभानु गुप्त आदि।

स्वतन्त्र पार्टी

इस दल की स्थापना तीसरे आम चुनाव से पूर्व देश के एक वरिष्ठ राजनयज्ञ श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने की थी। उनके प्रभावी व्यक्तित्व के कारण शीघ्र ही इस दल को कुछ राजनयज्ञों एवं भूतपूर्व शासकों के एक बड़े वर्ग तथा अवकाश प्राप्त वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों का समर्थन प्राप्त हो गया।

यह दल कांग्रेस की समाजवादी नीतियों का विरोध करता है। राजाजी के अनुसार कांग्रेस वाद का सहारा लेकर जनता को भ्रमित करती है और अपने दावों पर आवरण डालती है। उसके शासन ने नवीन असमानताओं को जन्म दिया है और उसकी अर्द्ध राष्ट्रीयकरण की नीतियां एक नए पूंजीवादी वर्ग का संगठन कर रही हैं। स्वतन्त्र पार्टी कांग्रेस की राष्ट्रीयकरण, सहकारी कृषि आदि नीतियों का विरोध करती हुई गांधी जी के बताये हुए आदर्शों पर राष्ट्र का निर्माण करना चाहती है। यह दल वैयक्तिक अधिकारों को मान्यता देकर राष्ट्रीय जीवन, कृषि, व्यवसाय और उद्योगों को शासन के कठोर नियन्त्रण से मुक्त रखना चाहता है।

वैदेशिक नीति के क्षेत्र में यह दल साम्यवादी गुट का विरोधी तथा पश्चिमी देशों से घनिष्ठतम सम्बन्ध बनाये रखने का समर्थक है। इस समय दल के अध्यक्ष श्री पीलू मोदी तथा महामन्त्री श्री मधु मेहता हैं।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (दक्षिणपंथी)

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन इस देश में अंग्रेजों के विरुद्ध चल रहे स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कांग्रेस के अन्तर्गत ही हुआ था। किन्तु १९४२ के 'भारत छोड़ो' आन्दोलन का विरोध करने के कारण कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को कांग्रेस से बाहर आकर अपना विधिवत पृथक संगठन खड़ा करना पड़ा और अब यह पार्टी देश के प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक है। किंतु चीन समर्थक तत्वों के दल से अलग हो जाने के बाद इस दल की शक्ति को गहरा धक्का लगा है और भारत का कम्युनिस्ट आंदोलन आज भी फूट से ग्रस्त है।

सन १९७१ के चुनाव घोषणापत्र के अनुसार कम्युनिस्ट पार्टी आर्थिक क्षेत्र में विदेशी एकाधिकारवाद की समाप्ति पर बल देती है और सभी व्यापारिक एवं वाणिज्यिक संस्थानों का राष्ट्रीयकरण करना चाहती है। चौथी योजना के प्रारम्भ में मतभेद रखते हुए जन

वानी योजना' का सुझाव देती है। जिसके अनुसार आवश्यकता के अनुसार वेतन के सिद्धांत को स्वीकार किया जा सके और कृषि तथा उद्योग के क्षेत्रों में श्रमिकों को समुचित वेतन दिया जा सके। अन्य उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने के साथ साथ पार्टी विदेशी बैंकों के राष्ट्रीयकरण की समर्थक है।

राजनीतिक क्षेत्र में पार्टी केन्द्र एवं राज्यों के विवादों को समाप्त करने के लिए राज्यों की स्वायत्तता पर बल देती है।

इस समय पार्टी के चेयरमैन कामरेड श्रीपाद अमृत डांगे और महासचिव श्री सी० राजेश्वरराव हैं। दल का केन्द्रीय कार्यालय नई दिल्ली में है। प्रमुख नेता हैं—श्री हीरेन मुकर्जी श्री भूपेश गुप्त आदि।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी

सन १९६४ में अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक बहुत बड़े वर्ग ने रूस चीन के सैद्धांतिक मतभेदों से प्रभावित होकर एक नवीन दल का गठन किया जो सोवियत संघ के 'संशोधनवाद' का घोर विरोधी था। इस नवीन दल का नाम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी रखा गया और घोषणा की गयी कि यह नवीन दल भारतवर्ष में समाजवाद एवं साम्यवाद की स्थापना करने के लिए उन भारतीय श्रमजीवियों का प्रभावी संगठन होगा जो कि मार्क्सवादी और लेनिनवाद के प्रति अपनी अटूट आस्था रखते हैं तथा जो प्राथमिक चरण के रूप में इस देश में जनवादी लोकतान्त्रिक राज्य की स्थापना चाहते हैं।

सन १९७१ के चुनाव घोषणापत्र के अनुसार मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी बैंक उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने निजी क्षेत्र को समाप्त करने एवं जीवनोपयोगी वस्तुओं पर कर कम करने का आश्वासन देता है। कम्युनिस्ट पार्टी की ही भांति मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी सामंतवादी व्यवस्था का पूरी तरह उन्मूलन कर क्रान्तिकारी भूमि सुधारों की समर्थक है। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पार्टी वर्ग संघर्ष और जनांदोलनों की अपरिहार्यता को स्वीकार करती है। कम्युनिस्ट चीन से वर्तमान विवाद को हल करने के लिए पार्टी सीधी द्विपक्षीय वार्ता पर बल देती है और पश्चिमी देशों के साथ चल रहे वर्तमान व्यापारिक एवं वाणिज्यिक करारों को समाप्त करने की समर्थक है।

दल के महासचिव कामरेड पी० सुन्दरय्या हैं और सर्वश्री ए० के० गोपालन ई० एम० एस० नम्बूद्रीपाद श्री राममूर्ति एम० बसवपुनय्या बी० टी० रणदिवे तथा ज्योति बसु प्रमुख नेताओं में से है। दल की केन्द्रीय समिति का कार्यालय कलकत्ता में है।

इन दो कम्युनिस्ट पार्टियों के अतिरिक्त खुला हिंसा का कार्यान्वित करने वाले नक्सलवादी खुलआम माओवाद का प्रचार कर हिंसात्मक प्रवृत्तियों को भड़काते रहे हैं। उनकी दृष्टि में दोनों कम्युनिस्ट संशोधनवादी डरपोक व पथभ्रष्ट हैं।

भारतीय जनसंघ

भारतीय जनसंघ की स्थापना सन् १९५१ में डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। इस दल ने देश के विरोधी दलों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है।

जनसंघ एकात्म मानववाद को अपना आदर्श मानता है और राष्ट्र की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारों की पारस्परिक होड़ को समाप्त करने के लिए एकात्मक शासन का समर्थक है। देश में विधि सम्मत शासन लागू करने के लिए जनसंघ धर्मराज्य (धर्म आधारित राज्य नहीं) की संस्थापना करना चाहता है जिससे कि समाज

के आर्थिक और सामाजिक ढांचे में व्याप्त सभी असमानताओं को समाप्त किया जा सके।

सन १९७२ के चुनाव घोषणापत्र के अनुसार जनसंघ देश को ईमानदार प्रशासन देने की घोषणा करता है तथा उच्चतम स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए एक 'उच्चाधिकार प्राप्त आयोग' गठित किए जाने और सभी भूतपूर्व मंत्रियों की सम्पत्ति की जांच किए जाने का सुझाव देता है।

शैक्षणिक क्षेत्र में जनसंघ आगामी पांच वर्षों में ११ वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का अभिवचन देता है। उसके उपरान्त हायर सैकेंडरी स्तर तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जायेगी। शिक्षा को राष्ट्रीय आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप बनाने के लिए शैक्षणिक ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन किया जायेगा। मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दी जायेगी। राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी का प्रचलन होगा। संस्कृत को लोकप्रिय बनाया जायेगा और हिन्दी भाषी क्षेत्रों के लोगों को एक अन्य प्रादेशिक भाषा का ज्ञान कराया जायेगा।

विदेश नीति के क्षेत्र में जनसंघ स्पष्टतम शब्दों में घोषणा करता है कि असंलग्नता हमारे लिए अनुल्लंघनीय धर्म के रूप में नहीं है। राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर जनसंघ शक्ति गुटों से अलग रहकर 'स्वतन्त्र नीति' पर बल देता है। वह द्विपक्षीय समझौतों का समर्थक है और ऐसा करते समय विभिन्न राज्यों के शक्ति गुटों से सम्बन्धों को वह अधिक महत्व नहीं देता। पाकिस्तान के प्रति यथार्थवादी नीति का पोषक है।

राष्ट्रीय स्वाधीनता को अक्षुण्ण बनाने की दृष्टि से भारत के सामरिक बल का बढ़ाना और अणुबम बनाने का जनसंघ समर्थन करता है।

आर्थिक क्षेत्र में जनसंघ स्वदेशी-योजना की घोषणा करता है। मशीन के स्थान पर श्रम शक्ति के अधिकाधिक प्रयोग का समर्थक है जिससे बेकारी दूर की जा सके। जनसंघ कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र में सामंजस्य बिठाए जाने का समर्थक है।

इस समय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी और महामन्त्री श्री सुन्दरसिंह भंडारी हैं। अन्य प्रमुख नेताओं में श्री अटलबिहारी वाजपेयी डा० महावीर, जगन्नाथराव जोशी राजमाता विजयाराजे सिंधिया, यशवन्त शर्मा नानाजी देशमुख, पी० परमेश्वरन् पीताम्बर दास आदि हैं। दल का केन्द्रीय कार्यालय नई दिल्ली में है।

रिपब्लिकन पार्टी

रिपब्लिकन पार्टी मुख्यतः अनुसूचित और सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ी हुई जातियों द्वारा संगठित एक ऐसा राजनीतिक दल है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर अत्यधिक बल देता है और पिछड़े वर्ग के शोषण का अविलम्ब समाप्त कर देना चाहता है।

इस दल के भी दो टुकड़े हो गए हैं तथा एक गायकवाड गुट के नाम से प्रसिद्ध है तथा दूसरे का नेतृत्व श्री बी० डी० खोबरागडे के हाथ है।

सोशलिस्ट पार्टी

छठे दशक के प्रारम्भ में प्रजा समाजवादी दल के रूप में समाजवादी आन्दोलन चलता था। श्री जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेन्द्रदेव तथा आचार्य कृपलानी आदि नेता इसमें रहे हैं। १९५५ के अंतिम माह में इस समाजवादी आन्दोलन का विभाजन हुआ।

डा० लोहिया ने समाजवादी दल की स्थापना की। कालान्तर में प्रजा समाजवादी दल क्षीण होता गया और डा० लोहिया के नेतृत्व में समाजवादी दल सबल होता गया। सन् १९६४ में प्रजा समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का पुनः विलय होकर संयुक्त समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। संयुक्त समाजवादी पार्टी तब तक ५१ सदस्य ने रहे और प्रजासमाजवादी दल स्वयं में प्रधान हो गया। १९६७ के महानिर्वाचन में डा० लोहिया के नेतृत्व में संयुक्त समाजवादी पार्टी को उल्लेखनीय सफलता मिली। किन्तु इसी वर्ष डा० लोहिया का निधन हो गया। मार्च १९७१ के मध्यावधि चुनाव में संसोपा और प्रसोपा दोनों की भारी पराजय हुई। इन्हें कुल मिलाकर ५ सीटें मिलीं।

३० मई ७१ को दिल्ली में संसोपा के तत्कालीन अध्यक्ष श्री कर्पूरी ठाकुर व महामंत्री श्री जार्ज फर्नान्डीज तथा प्रसोपा अध्यक्ष श्री नारायण दत्त गौड़ व महामंत्री प्रेम भसीन ने पुनः दोनों दलों के विलय के घोषणापत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। ९ अगस्त १९७१ को दोनों दलों की संयुक्त प्रतिनिधि सभाओं की बम्बई में बैठक में इस दल का विलय हुआ और समाजवादी पार्टी बनी। इसके अध्यक्ष श्री कर्पूरी ठाकुर बने थे। बाद में श्री कर्पूरी ठाकुर ने त्यागपत्र दे दिया। इस दल के अध्यक्ष जार्ज फर्नान्डीज तथा महासचिव श्री सुरेन्द्र मोहन हैं। दूसरा उपदल श्री राजनारायण के नेतृत्व में अलग सक्रिय है।

घोषणा के अनुसार यह नया पार्टी प्रथम चरण में। कांग्रेस दल तथा अन्य गैर समाजवादी दलों को सत्ता से हटाने का सम्पूर्ण प्रयत्न करते हुए उनका वास्तविक विकल्प प्रस्तुत करेगी। मजदूरों किसानों पिछड़ों अल्पसंख्यकों हरिजनों आदिवासियों शिक्षकों छात्रों महिलाओं और युवकों का नया समाजवादी व्यवस्था को बनाने के संघर्ष में आस्था का नया केन्द्र प्रस्तुत करेगी।

शिरोमणि अकाली दल

शिरोमणि अकाली दल मुख्य रूप से पंजाब प्रदेश के अन्दर सिक्खों का एक ऐसा राजनीतिक संगठन है जो भाषा के आधार पर पंजाबी सूबा स्थापित करने की माँग करता रहा था। कालान्तर में इस दल के दो प्रमुख आधार स्तम्भ संरक्षी मास्टर तारासिंह और संत फतहसिंह के बीच मतभेद हो जाने के कारण दल दो वर्गों में बंट गया जिसमें संत फतहसिंह के नेतृत्व में चलने वाला अकाली दल अधिक प्रभावशाली रहा। इसी बीच मास्टर तारासिंह का निधन हो जाने के बाद दोनों गुट पुनः एक हो गए।

द्रविड़ मुनेत्र कषगम

द्रविड़ मुनेत्र कषगम का गठन १७ सितम्बर सन् १९४९ को स्व० सी० एन० अन्नादुरै द्वारा मद्रास में किया गया था। इससे पूर्व श्री अन्नादुरै और उनके सहयोगी श्री रामास्वामी नायकर के नेतृत्व में चलने वाली द्रविड़ कषगम नामक संस्था में सम्मिलित थे। इस राजनीतिक दल का जन्म मुख्य रूप से दक्षिण भारत में उत्तर भारत के बढ़ते हुए कथित प्रभाव का प्रतिकार करने और हिन्दू समाज के उच्च वर्ग के विरुद्ध व्याप्त प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ था।

अपने अस्तित्व में आने के समय से लेकर सन् १९६७ के निर्वाचन के पूर्व तक इस दल ने भारतीय संविधान की प्रतियाँ जलाने, हिन्दी का विरोध करने आदि अनेक आन्दोलन चलाए।

श्री सी० एन० अन्नादुरै के निधन के उपरान्त श्री एम० करुणानिधि दल के प्रमुख नेता के रूप में सामने आए और वे ही इस समय तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री हैं। किन्तु अक्तूबर १९७२ में दल के कोषाध्यक्ष तथा प्रख्यात फिल्मी कलाकार श्री रामचन्द्रन ने विद्रोह कर अलग दल अन्ना-द्रमुक की स्थापना की है। इससे पार्टी में भीषण फूट पड़ गई है तथा अन्ना-द्रमुक में अनेक विधायक व संसद सदस्य शामिल हो गये हैं।

भारतीय क्रांतिदल

भारतीय क्रांतिदल का गठन चौथे आम चुनाव के पूर्व विभिन्न प्रदेशों में कांग्रेस के एक असन्तुष्ट वर्ग द्वारा किया गया था। आम निर्वाचन के दौरान दल का व्यवस्थित संगठन खड़ा न हो सका और इसके तत्कालीन प्रमुख नेताओं सर्वश्री महामायाप्रसाद सिंह तथा अजय मुखर्जी ने दल के गांधीवादी दर्शन पर चलने की घोषणा की। किन्तु चौथे आम चुनाव के उपरान्त इस दल की शक्ति बिखरनी आरम्भ हो गई और अजय मुखर्जी तथा महामायाप्रसाद सिंह सरीखे नेता इससे अलग हो गए। फिर भी फरवरी १९६९ में उत्तरप्रदेश में हुए मध्यावधि चुनाव में चौधरी चरणसिंह के व्यक्तित्व के कारण इस दल को आशातीत सफलता प्राप्त हुई। किन्तु १९७१ के मध्यावधि चुनाव में इसे भारी विफलता का मुंह देखना पड़ा। दल के अध्यक्ष चौधरी चरणसिंह तथा सचिव श्री श्यामलाल यादव हैं।



पाकिस्तानी आक्रमण : तिथिक्रम

पाकिस्तान ने अपने जन्मकाल से अभी तक २६ वर्षों में भारत पर जो बर्बर हमले किये हैं उनकी डायरी इस प्रकार है

अक्तूबर, १९४७ पाकिस्तानी सेना की प्रेरणा और सहायता से कबायलियों ने कश्मीर पर हमला किया।

मई १९४८ पाकिस्तान ने स्वीकार किया कि उसकी नियमित सेना की तीन ब्रिगेड कश्मीर में हैं।

जनवरी, १९५६ पाकिस्तानी सैनिक कच्छ के रन में छाडबेट में घुस गए। उस क्षेत्र में भारतीय सेनाओं ने २५ फरवरी को प्रवेश कर पाकिस्तानियों को पीछे हटने को बाध्य कर दिया।

जनवरी १९६५ पाकिस्तान ने कच्छ के रन में कंजरकोट पर कब्जा कर लिया।

९ अप्रैल, १९६५ पाकिस्तान ने टैंकों और भारी तोपों से कच्छ में भारतीय सीमा चौकी पर अचानक और पूरा हमला बोल दिया। ३० जून को हुए समझौते के अनुसार १ जनवरी १९६५ की स्थिति फिर लाने के लिए कच्छ समझौते पर हस्ताक्षर किया।

५ अगस्त १९६५ हजारों पाकिस्तानी सैनिक सादे कपड़ों में ४७० मील लम्बी युद्ध विराम रेखा पार करके तोड़फोड़ लूट और कत्ल करने के लिए जम्मू-कश्मीर में घुस आए।

१ सितम्बर १९६५ पाकिस्तानी सेना का एक पूरी ब्रिगेड ७० टैंकों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार कर भारतीय क्षेत्र छम्ब-जोरियां में घुस आई। (इसके बाद पश्चिम पाकिस्तान की सारी सीमा पर भारत के साथ युद्ध छेड़ दिया।) १० जनवरी १९६६ को ताशकन्द समझौते के अन्तर्गत भारत ने विजित प्रदेश वापस किये और पाकिस्तान ने भविष्य में आक्रमण न करने का आश्वासन दिया।

३० जनवरी १९७१ दो पाकिस्तानी एजेंट श्रीनगर से इंडियन एयरलाइन्स के एक विमान का अपहरण कर लाहौर ले गये जहां उसे नष्ट कर दिया गया।

२ फरवरी १९७१ पाकिस्तानी आश्वासनों के बावजूद भारतीय विमान को हवाई अड्डे के अधिकारियों सेना और पुलिस के सामने जला दिया गया और इसके जलाने का सारा दृश्य पाकिस्तानी टेलीविजन पर दिखाया गया।

१० अप्रैल से नवम्बर १९७१ तक पूर्वी बंगाल की निहत्थी जनता पर बर्बर सैनिक अत्याचार। १ करोड़ शरणार्थियों को भारत में खदेड़ कर हमारी अर्थ-व्यवस्था पर आक्रमण।

पाकिस्तानी सेना ने असम और त्रिपुरा में भारत की सीमा चौकियों पर बार-बार गोलाबारी की।

१ नवम्बर १६७१ अगरतल्ला नगर पर हवाई आक्रमण एवं बमवर्षा।

३ दिसम्बर १६७१ पाकिस्तानी विमानों ने भारतीय हवाई अड्डों पर हमला किया और सीमा चौकियों पर गोलाबारी की।

४ दिसम्बर १६७१ पाकिस्तानी सैनिक जुंटा ने भारत के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी।

भारत पर पाक आक्रमणों का इतिहास

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत की यही इच्छा रही है कि वह पाकिस्तान के साथ शान्ति और मैत्रीपूर्वक रहे। इस देश ने समय-समय पर पाकिस्तान की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया है। भारतीय नेता सदैव यही कहते आये हैं कि भारत और पाकिस्तान में मित्रता और सदभाव न केवल भौगोलिक कारणों से बल्कि दोनों देशों के निवासियों में इतिहास संस्कृति भाषा तथा अन्य कई बन्धनों के कारण भी आवश्यक है लेकिन दुर्भाग्यवश पाकिस्तान बनने के दिन से अब तक पाकिस्तान के नेता समय-समय पर कहते रहे हैं कि भारत उनका नम्बर एक दुश्मन है और भारत को कुचल कर ही पाकिस्तान उन्नति कर सकता है। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पिछले पच्चीस वर्षों में पाकिस्तान ने भारत पर बार बार खुल्लमखुल्ला आक्रमण किया तथा भारत के विरुद्ध अन्य शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियां की हैं।

कश्मीर पर आक्रमण (१६४७)

पाकिस्तान बनने के सात सप्ताहों में ही पाकिस्तान ने भारत पर पहला आक्रमण किया। यह हमला पाकिस्तान के कबायली हमलावरों ने पाकिस्तान की नियमित सेना की मदद से जम्मू और कश्मीर राज्य पर किया जिसका विलय भारत में हो चुका था। पाकिस्तान से युद्ध टालने के लिए भारत के प्रधानमन्त्री ने २२ दिसम्बर १६४७ को पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान से हमलावरों को सहायता न देने तथा संघर्ष चालू न रखने का अनुरोध किया। पाकिस्तान ने सहायता की बात से साफ इंकार कर दिया और वहां के प्रधानमन्त्री ने ३० दिसम्बर १६४७ को पत्र का उत्तर देते हुए कहा पाकिस्तान सरकार हमलावरों को सहायता देने के आरोप का खण्डन करती है। इसके विपरीत पाकिस्तान सरकार ने लगातार प्रयत्न किया है कि युद्ध को छोड़ अन्य सभी उपायों से कबायली आन्दोलन को प्रोत्साहित किया जाए। इसके बाद पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मन्त्री सर मुहम्मद जफरुल्ला खां ने १५ जनवरी १६४८ को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार इस आरोप का खण्डन करती है कि वह कथित हमलावरों को कोई सहायता दे रही है और न ही उन्होंने भारत के विरुद्ध कोई आक्रामक कार्यवाही की है।

यह खण्डन तथ्यों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था। उपलब्ध जानकारी के आधार पर भारत पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध छेड़ सकता था लेकिन अपनी नीति के अनुरूप भारत ने शान्ति का मार्ग अपनाया और उसने समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मुख रखा। ३० दिसम्बर १६४७ को भारत ने पाकिस्तानी हमले के विरुद्ध शिकायत सुरक्षा परिषद को भेजी। जुलाई १६४८ में संयुक्त राष्ट्र आयोग कराची पहुंचा तथा कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र

सघ की उपस्थिति आसन्न हो गई तो पाकिस्तान अपनी कथनी से फिर गया और उसके जम्मू-कश्मीर पर आक्रमण में शामिल न होने की बात स्वीकार करने पर भी सर जफरुल्लाखा ने निलज्जतापूर्वक सुरक्षा परिषद को सूचित किया कि कश्मीर में पाकिस्तान की नियमित सेना के तीन दस्ते मौजूद हैं तथा ये दस्ते कश्मीर राज्य में मई मास के पहले पखवारे में भेजे गये थे।

आयोग ने मौके पर परिस्थितियों का अध्ययन किया तथा वह इस निर्णय पर पहुचा कि जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तानी सेना का जमाव अवैध है और वह सेना तुरंत हटा ली जानी चाहिए तथा भारतीय क्षेत्र खाली किया जाना चाहिए।

कच्छ पर आक्रमण

कश्मीर में अपने मनसूबे पूरे होते न देखकर पाकिस्तान ने भारत के एक दूसरे भाग पर अपनी कुदृष्टि डाला। १९५६ के आरम्भ में पाकिस्तान ने कच्छ के रन के उत्तरी भाग में छाडवेट के भारतीय क्षेत्र का बलपूर्वक हथियाने का असफल प्रयास किया। लेकिन उसी वर्ष २५ फरवरी को जब भारत की सेना उस क्षेत्र की ओर बढ़ी पाकिस्तानी सेना वापिस अपने क्षेत्र में चली गई। १९६८ के आरम्भ में पाकिस्तानियों ने दोबारा सीमा पार करके कंजरकोट के भारतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया तथा वहा एक स्थायी चौकी खोल दी। भारत ने मैत्री और शांति की अपनी नीति से प्रेरित होकर पाकिस्तान को १९६० के भारत पाक सीमा समझौते के सीमा पर गश्त सम्बन्धी नियमों के अंतर्गत पूर्व स्थिति लाने के लिए स्थानीय कमाण्डरों की एक बैठक आयोजित करने का सुझाव दिया। भारत ने यह भी सुझाव दिया कि समस्या को शांतिपूर्वक सुलझाने के लिए जिस स्तर पर पाकिस्तान चाहे दोनो देशों के प्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित की जाए। पाकिस्तान ने इन सुझावों को ठुकरा दिया और पिछले नक्शों और समझौता को ताक पर रखकर ९ अप्रैल १९६५ को हमारे कच्छ क्षेत्र की सरदार सीमा पर चुप-चुप लेकिन पूरी सैनिक ताकत से आक्रमण किया। इस हमले में टैंकों और भारी तोपों की मदद से पैदल सेना की एक ब्रिगेड ने भाग लिया। २८ अप्रैल १९६५ को लोकसभा को सबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री ने कहा पाकिस्तानी (१५ फरवरी १९६८ को राजकोट रेंजर्स के उप-महाधीक्षक और पाकिस्तान इडस रेंजर्स के कमाण्डर की बैठक में तथा मार्च में। मार्च १९६५ के पाकिस्तानी नोट में पाकिस्तान इस बात से मुकर गया कि इण्डस रेंजर्स ने कंजरकोट क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ है।) युद्धबन्दियों से बरामद दस्तावेजों और उनसे पूछताछ से यह तथ्य सामने आया कि पाकिस्तानी आक्रमण पहले सोच-समझकर तथा योजना बनाकर किया गया। इस आक्रमण के लिये ७ अप्रैल को आदेश दिया गया था और हमला ९ अप्रैल को बड़े सवेरे आरम्भ हुआ।

१५ अप्रैल को पाकिस्तान के मनमाने आक्रमण के औचित्य को सिद्ध करते हुए पाकिस्तान के तत्कालीन विदेशमन्त्री श्री जेड० ए० भुट्टो ने अपने लड़खड़ाते प्रत्युत्तर में कहा कि ध्यान रहे कि मोटे तौर पर मुख्य बात यह है कि झगड़ा उस क्षेत्र के बारे में है जो २४वीं समानान्तर रेखा के उत्तर में है। झगड़ा इस बात पर खड़ा नहीं हुआ है कि सीमाएं निश्चित नहीं की गई है बल्कि इसलिए कि हमारे वाला यह क्षेत्र भारत के अनुचित कब्जे में है। इस प्रकार पाकिस्तान ने उस क्षेत्र पर आक्रमण किया जो उसके कब्जे में कभी था नहीं रहा।

यह आक्रमण सयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र और १६५६ के भारत-पाक सीमा समझौत के मूल नियमा क विरुद्ध था। इस समस्या को जून १६६५ म लन्दन म हुई राष्ट्र मण्डल देशा के प्रधानमत्रियां की बठक मे उठाया गया। ब्रिटिश प्रधानमत्री श्री हेरोल्ड विल्सन की पहल पर तथा पाकिस्तान के साथ मत्री सम्बन्ध कायम रखने की इच्छा से प्रेरित होकर भारत ने ३० जून, १६६५ को पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम संधि की जिसम निम्नलिखित शर्तें थी —

(१) १ जुलाई १६६५ से युद्ध विराम,

(२) सेनाओ की १ जनवरी १६६५ की स्थिति म वापसी और

(३) सिंध-कच्छ सीमा के निर्धारण के लिए निर्धारित कायक्रम पर अमल करना।

इस समझौत के अ तगत स्वीडन के न्यायाधीश ग्रेन की अध्यक्षता म एक तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। इसका निणय अतिम और सवमान्य होना था। भारत ने इस क्षेत्र की अपनी सुनिश्चित सीमा को केवल शाति क कारण ही ट्रिब्यूनल पर छोडा था। १६ फरवरी १६६८ को इस न्यायाधिकरण ने अपना निर्देश दिया और सवसम्मति से २५वें समानान्तर के साथ वाली सीमा पर पाकिस्तान के दावे को अस्वीकार कर दिया। न्यायाधिकरण ने पाकिस्तान के इस मत को भी पूरी तरह अस्वीकार कर दिया कि कच्छ और सिंध की सीमा रेखा कच्छ के रन के बीच से २४वें समानान्तर के साथ गुजरनी चाहिए। न्यायाधिकरण के निणय के अनुसार कच्छ क उत्तरी सिरे क साथ-साथ भारत की सीमा मानी गई। फसले के अनुसार कच्छ के रन के उत्तरी सिरे का ३२० वग मील का छोटा सा क्षेत्र पाकिस्तान को दिया गया। हलाकि पाकिस्तान ने इस क्षेत्र म ३५०० वग मील पर अपना दावा किया था। इस न्यायाधिकरण क एक सदस्य श्री ऐलिस बाब्लर ने जिन्हाने भारत क पक्ष म अपना मत दिया था कहा —

सीमा का मकडोनल्ड सीमाकन काफी समय से मान्य रहा है। १८७० म भारत म ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना से १६४७ म उसकी समाप्ति तक यह चिन्हाकन सभी तरह के उतार चढाव के बीच हमेशा मान्य रहा है।

इस अवधि म न तो भारत सरकार न न बम्बई सरकार या १६६५ के भारत सरकार अधिनियम के अ तगत गवनर के अधीन सिंध राज्य की स्थापना हाने पर सिंध सरकार ने ही उक्त सीमा निर्धारण को चुनौती दी या गलत माना।

१८६५ १८७० म पूरे सिंध के सर्वे आफ इण्डिया द्वारा सर्वेक्षण क बाद तथा १८७१ और १८७२ म इस सर्वेक्षण के निष्कप प्रकाशित होने पर कच्छ के महान रन की सीमा ठीक-ठीक निश्चित कर दी गई।

इस निणय का अतिम सस्करण १६२८ का है। सिंध राज्य के १६३५ क सकेत मानचित्र म भी मकडोनल्ड सीमा रेखा दिखाई गई है और यह रेखा ब्रिटिश राज्य की समाप्ति तक सभी मानचित्रा म दिखाई गई है।

कश्मीर पर आक्रमण (१६६५)

कच्छ समझौत का हुए अभी कुछ ही समय बीता था और उसक अ तगत भारत और पाकिस्तान क विदेश मत्रिया का बठक क लिए प्रबन्ध और प्रचार किया जा रहा था कि ५ अगस्त १६६५ का पाकिस्तान न भारत पर तीसरा हमला कर दिया। सादी वर्दी म हजारा पाकिस्तानी सनिक ८३० मील लम्बी युद्धविराम रेखा पार करक तोडफोड लूट

मार और हत्या के लिए जम्मू और कश्मीर म प्रवेश कर गये। जसा कि १९४७ म हुआ था पाकिस्तान न इस बार भी साफ इकार किया कि इस आक्रमण म उसका हाथ है। तत्कालीन पाकिस्तानी विदेश मन्त्री श्री जेड० ए० भुट्टो ने एक बयान म कहा "कश्मीर म जो कुछ हो रहा है उसके बारे म किसी तरह यह नही कहा जा सकता कि वह पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा है। जब हमलावर घुसपठिये असफल हो गये तो पाकिस्तान की एक ब्रिग्रेड और १७ टको ने अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार करके १ सितम्बर १९६५ को भारतीय क्षेत्र म प्रवेश किया और इस प्रकार युद्धविराम समझौते तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून का बेशर्मी स उल्लघन किया। इस आक्रामक कायवाही के बाद पाकिस्तान के प्रेसीडेण्ट अयूब खा ने अपने राष्ट्रव्यापी प्रसारण म खुल्लम-खुल्ला कहा कि अगर आजाद कश्मीर या पाकिस्तान के अन्य किसी हिस्से के लोग कश्मीर के बहादुर लोगो की सहायता के लिए जाए तो भारत किसी को दोषी नही ठहरा सकता। इसके साथ पाकिस्तान के थल सेनाध्यक्ष जनरल मुहम्मद मूसा ने ललकारा 'दुश्मन पर तुम्हारे दात हैं। उन्हे और गडाते जाओ जब तक कि दुश्मन नष्ट न हो जाए। लेकिन पाकिस्तान अपने दात गहरे न गडा सका और शत्रु को नष्ट न कर सका, क्योकि भारतीय सेनाओ ने ६ सितम्बर को लाहौर क्षेत्र म तीन स्थानो से सीमा को पार किया जिससे वह उन अड्डो तक पहुच सके, जहा से पाकिस्तान अगले हमला के लिए तैयारी कर रहा था। इस प्रकार भारत न पाकिस्तान की अगली कायवाही रोक दी जो आत्मरक्षा के लिए आवश्यक थी।

प्रेसीडेंट अयूब खा न यह देखकर कि उन्होने अपने देश को लडाई के कगार तक धकेल दिया है ऐसे कदम उठाये जिससे सीमित कायवाही और युद्ध के बीच अन्तर लगभग समाप्त हो गया। लाहौर क्षेत्र म भारत की रक्षात्मक कायवाही के तुरन्त बाद प्रेसीडेंट अयूब खा ने रेडियो से घोषणा की कि भारत के साथ हमारा युद्ध छिड गया है। हालाकि भारत के तत्कालीन रक्षामन्त्री श्री यशवन्तराव चह्वाण ने फिर यह स्पष्ट कर दिया कि हमारी कायवाही सीमित है और उसका उद्देश्य पाकिस्तान को यह महसूस कराना है कि हम कश्मीर समेत भारत की प्रादेशिक अखण्डता म कोई हस्तक्षेप सहन नही करेंगे। इससे पहले ३ सितम्बर को अपने प्रसारण म प्रधानमन्त्री श्री शास्त्री ने घोषणा की थी कि मैं यह कहू कि हमारा झगडा पाकिस्तान की जनता के साथ नहा है। हम उसका भला चाहते हैं। हम चाहते है कि पाकिस्तान के लोग फूलें फले और हम उनके साथ शान्ति और मित्रतापूवक रहना चाहते हैं। युद्ध विराम होने के समय तक भारतीय सेनाए लम्बे चौडे युद्ध क्षेत्र म जो कश्मीर से सिंध तक फला हुआ था, कायवाही के लिए सन्नद्ध थी। लेकिन जबकि भारत पाकिस्तान की जनता की भलाई चाहता था, वहा पाकिस्तानी सेना न नितान्त अथहीन और बबरतापूण कायवाही की तथा युद्धविराम स्वीकार करने के चार घटे बाद भी अमृतसर के एक उपनगर छेहरटा म भारतीय नागरिको पर बमवर्षा की।

कश्मीर पर हुये हमले म सारे ससार के सामने यह स्पष्ट हो गया कि ३० जून, १९६५ को जो समझौता हुआ था उसकी प्रस्तावना म सद्भाव के जिस वातावरण की चर्चा थी वह भारत को भुलावे म डालने के लिए थी और इसीलिए था जिससे अचानक भारत के विरुद्ध कायवाही की जा सके। अपनी स्वाभाविक सौम्यता के साथ प्रधानमन्त्री श्री शास्त्री न कहा दुनिया को यह जानकर बडा आघात पहुचेगा कि जब उस समझौते पर हस्ताक्षर हो रहे थे तभी पाकिस्तान न कश्मीर म सशस्त्र घुसपठिये भजने की

योजना तैयार कर ली थी और भारी मात्रा में उन लोगों को प्रशिक्षण दे रखा था। इन लोगों को बाद ३० जून के समझौते की स्याही सूखने से पहले ही उसने उन्हें कश्मीर में भेजा। इस प्रकार उसका आचरण अपनी कहानी आप कहता है।

हालांकि पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर पर हमला किया फिर भी भारत ने शांति और सद्भाव के नाते १० जनवरी, १९६६ को ताशकन्द समझौते को स्वीकार किया जिससे दोनों देशों के बीच संघर्ष समाप्त हुआ और कश्मीर में वही स्थिति फिर हो गयी जो ५ अगस्त १९६५ से पहले थी। जबकि पाकिस्तानी नियमित सेना ने घुसपैठियों के रूप में प्रवेश किया था। उस समझौते के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान ने संकल्प किया कि वे बल प्रयोग का त्याग करेंगे और घोषणा की कि वे दोनों देशों की जनता के बीच सामान्य और शांतिपूर्ण सम्बन्ध कायम करने और दोनों देशों की जनता के बीच सद्भाव और मित्रता बनायेंगे। समझौते के बाद भारत ने आशा की कि दोनों देशों के सम्बन्धों का एक नया युग आरम्भ होगा।

भारतीय विमान का अपहरण

लेकिन यह भी धोखा मात्र सिद्ध हुआ। ३० जनवरी, १९७१ को दो पाकिस्तानी एजेंटों ने एक भारतीय नागरिक यात्री विमान को जो श्रीनगर से जम्मू की नियमित उडान कर रहा था पिस्तौल के बल पर लाहौर जाने के लिए विवश किया। जैसा कि होता आया है पाकिस्तान ने इस बात से इन्कार किया कि इस काम में उसका कोई हाथ है और भारत को अपने इस निर्णय की सूचना दी कि वह उस विमान को उसके यात्रियों और चालकों सहित भारत वापिस जाने देगा। फिर भी पाकिस्तान ने भारत के उस विमान की सहायता के लिए राहत विमान भेजे जाने की बात स्वीकार नहीं की। उसने यह भी नहीं माना कि अफगानिस्तान की एरियाना विमान सेवा के एक विमान द्वारा अपहृत विमान के यात्रियों और कर्मचारियों को वापस भेज दिया जाए। अन्त में जब यात्री ४८ घंटे से अधिक समय तक कष्ट झेल चुके तो पाकिस्तान ने उन्हें और चालकों को सड़क द्वारा भारत-पाक सीमा पर हुसनीवाला चौकी भेजना स्वीकार किया। २ फरवरी, १९७१ को पाकिस्तान सरकार के पिछले आश्वासन के बावजूद भारतीय विमान को उड़ा दिया गया और यह काम हवाई अड्डे के अधिकारियों सैनिकों और पुलिस की उपस्थिति में हुआ तथा उसके नष्ट किये जाने को टेलीविजन व्यवस्था द्वारा टेलीविजन कमरों पर उतारा *गया।* इससे अधिक और क्या प्रमाण हो सकता था कि इस कांड में पाकिस्तान का हाथ है। यही नहीं पाकिस्तान ने विमान का अपहरण करने वालों को शरण दी उन्हें और उनके सहयोगियों से सहानुभूति प्रकट की और १३ फरवरी १९७१ को लाहौर में उन्हें विजय परेड में घुमाया गया। भारतीय विमान के अपहरण और उसे नष्ट करने में पाकिस्तान सरकार की स्पष्ट जिम्मेवारी को देखते हुए भारत सरकार ने २ फरवरी १९७१ से भारतीय सीमा से होकर पाकिस्तान के सभी विमानों की उडान को रोक दिया और पाकिस्तान को यह स्पष्ट कर दिया कि यह रोक तब तक लागू रहेगी जब तक पाकिस्तान सरकार अपना उत्तरदायित्व स्वीकार न करे और जो कुछ हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति न करे।

१९७१ का आक्रमण

विमान अपहरण के लगभग दो महीने बाद पाकिस्तान के सैनिक शासकों ने भारत

के विरुद्ध एक अन्य ढंग से आक्रमण आरम्भ किया। उन्होंने पूर्व बंगाल से भारतीय सीमा पर अपने लाखों नागरिकों को बलपूर्वक भेजना शुरू किया। यह पूर्व बंगाल में उस दारुण काण्ड का आरम्भ था जिससे भारत की सुरक्षा और आर्थिक विकास पर गम्भीर प्रभाव पड़ा। वास्तव में भारत को यह आशा थी कि पाकिस्तान की जनता के साथ मित्रता पूर्ण सम्बन्धों का नया युग आरम्भ होगा क्योंकि पाकिस्तान ने लोकतन्त्रीय अधिकारों के लिए लम्बे संघर्ष के बाद २८ नवम्बर १९६९ को विजय पाई थी और उसे पाकिस्तान के सैनिक शासकों का स्पष्ट आश्वासन मिला था कि देश में चुनाव कराये जायेंगे तथा सत्ता जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को सौंप दी जायगी।

चुनाव हुए और शेख मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व में आवामी लीग को पाकिस्तान की राष्ट्रीय असेम्बली में पूर्ण बहुमत मिला। राजनीतिज्ञों के मन में प्रमुख प्रश्न यह था कि क्या सैनिक शासन सचमुच सत्ता जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को सौंप देगा?

शेख मुजीबुर्रहमान जन प्रतिनिधियों को सत्ता सौंपने के प्रश्न पर सैनिक शासकों से बातचीत कर ही रहे थे कि २५ मार्च १९७१ को अचानक योजना मिट्टी में मिला दी गई और पूर्व बंगाल के निहत्थे लोगों पर जिन्होंने लगभग शत प्रतिशत वोट शेख मुजीबुर्रहमान को दिये थे दमन के तौर पर बर्बर अत्याचार शुरू कर दिया गया जिसकी मिसाल मिलना कठिन है। बताया जाता है कि लगभग तीस लाख बंगालियों को मौत के घाट उतार दिया गया और एक करोड़ लोगों ने भारत में शरण ली।

भारत की विजय

बंगलादेश की आड़ में पाकिस्तान ने मेघालय व त्रिपुरा क्षेत्र में भारतीय नगरों पर भीषण गोलाबारी प्रारम्भ कर दी। पूर्वी बंगाल सीमा के क्षेत्र से उड़ान खुलकर वायुयानों व टैंकों से भारत पर आक्रमण किया।

३ दिसम्बर को सायंकाल अचानक पाकिस्तान ने भारत के १२ हवाई अड्डों पर वायु सेना द्वारा बमबारी कर खुला आक्रमण प्रारम्भ कर दिया। पाकिस्तानी विमानों ने १९६५ की तरह नागरिकों पर बम वर्षा के साथ-साथ नापाम बम भी गिराये। पाकिस्तान की आक्रामक नीति को देखते हुए भारत ने बंगलादेश की मुक्ति के लिए अपनी सेना को आदेश दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी हमलावरों से पूर्वी व पश्चिमी दोनों सीमाओं पर भीषण संघर्ष कर उन्हें न केवल पीछे धकेलने में अपितु पाकिस्तान के अनेक स्थानों पर कब्जा करने में भी सफलता प्राप्त की।

भारतीय जवानों ने सभी मोर्चों पर पाकिस्तानी हमलावरों के दांत खट्टे किये तथा अन्त में १६ दिसम्बर को ढाका पर कब्जा करने में सफलता प्राप्त की। पाकिस्तानी सेना के ९३ हजार सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। १७ दिसम्बर को पाकिस्तान ने भारत के युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर अपनी पराजय मान ली।

भारत-पाक युद्ध का घटनाक्रम

३ दिसम्बर १९७१ पाकिस्तानी वायुसेना ने अपनी पूर्व निश्चित योजना के अनुसार शाम को ५-४८ बजे कई भारतीय हवाई अड्डों—अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवन्तीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अम्बाला और आगरा—पर हवाई हमले किये। इसके साथ ही पाकिस्तानी स्थल सेना ने भी हमारी पश्चिमी सीमा में कई स्थानों पर आक्रमण कर दिया।

पाकिस्तानी सेना ने कई भारतीय ठिकानों—सुलेमानकी, खेमकरन, पुंछ और अन्य कई स्थानों पर गोलाबारी की।

२८ नवम्बर को पाकिस्तानी प्रेसीडेंट याह्या खां ने १० दिन में अन्दर युद्ध छेड़ने की घोषणा की थी। प्रेसीडेंट याह्या खां ने इस वक्तव्य के नवें दिन भारत पर आक्रमण कर दिया।

भारतीय प्रधानमन्त्री, रक्षामंत्री और वित्तमन्त्री पाकिस्तानी हमले का समाचार सुनकर अपने दौरों से दिल्ली लौट आए। प्रधानमंत्री के कलकत्ता से लौटने के तुरन्त बाद मन्त्रिमंडल की आपातकालीन बैठक हुई।

राष्ट्रपति श्री वी० वी० गिरि ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की।

रात के ११.५० बजे भारतीय वायुसेना ने जवाबी कार्यवाही की और पाकिस्तानी हवाई अड्डों—चंदेरी, शोरकोट, सरगोधा, मुरी, मियांवली, मसरूर (कराची के निकट) रिसालवाला (रावलपिंडी के निकट) और चांगामांगा (लाहौर के निकट) पर हमले किए। इन पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर खड़े कई विमानों को क्षतिग्रस्त किया गया और पट्रोल टंकों पर आग लगा दी गई। सरगोधा हवाई अड्डा बर्बाद कर दिया गया।

४ दिसम्बर पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध युद्ध की औपचारिक घोषणा कर दी।

पाकिस्तानी सेनाओं ने बख्तरबन्द गाड़ियों और तोपखाने की मदद से छम्ब पर भारी हमला बोल दिया। भारतीय सेना ने दुश्मन के अनेक सैनिक हताहत कर दिए।

फिरोजपुर में एक पाकिस्तानी ब्रिगेड ने पाक वायुसेना बख्तरबन्द गाड़ियों और तोपखानों की मदद से हुसैनीवाला के निकट भारतीय इलाके पर आक्रमण कर दिया। हमारी सेना ने दुश्मन के अनेक सैनिक हताहत किये और उसे पीछे धकेल दिया।

पूर्वी क्षेत्र में भारतीय सेना कई स्थानों से बंगलादेश में प्रविष्ट हुई। भारतीय सेना ने मुक्तिवाहिनी के सहयोग से कई स्थानों को आजाद कर दिया।

भारतीय नौसेना के पश्चिमी और पूर्वी बेड़े शत्रु के युद्धपोतों को नष्ट करने के लिए निकल पड़े।

५ दिसम्बर सुरक्षा परिषद में भारत और पाकिस्तान को समान मानकर युद्ध विराम के लिये जो प्रस्ताव पेश किया गया था रूस ने उसे अपने वीटो के प्रयोग से ठुकरा दिया।

मुक्तिवाहिनी के सहयोग से भारतीय सेना ने बंगलादेश के कई और इलाके मुक्त कराये।

पाकिस्तानी सेना ने बख्तरबन्द गाड़ियों की मदद से लौंगानेवाला पर भारी हमला बोल दिया। भारतीय सेना ने अपनी वायुसेना के सहयोग से पाकिस्तानी सेना को पीछे धकेल दिया। पाकिस्तान की दो बटालियनों ने अमृतसर में रानिया पर हमला कर दिया। भारतीय सेना ने दुश्मन के अनेक सैनिक हताहत किये और उसे पीछे धकेल दिया।

छम्ब में दुश्मन का दूसरा हमला भी विफल कर दिया गया।

दुश्मन के अनेक सैनिक हताहत हुये और उसे पीछे हटना पड़ा।

पुंछ के निकट कस्बों में पाकिस्तानी हमला विफल कर दिया गया।

भारतीय नौसेना के एक पश्चिमी नौसैनिक दल ने दो पाकिस्तानी विध्वंसकों—खैबर और शाहजहां—को डुबाने का साहसिक कार्य कर दिखाया। इस नौसैनिक दल ने कराची बन्दरगाह के प्रतिष्ठानों पर भी बमबारी की।

बगाल की खाडी मे हमारी नौसना ने दुश्मन की एक पनडुब्बी क्षतिग्रस्त कर दी और चटगाव तथा काक्स बाजार के प्रतिष्ठाना पर लगातार बमबारी की।

६ दिसम्बर ५।६ दिसम्बर की रात को पाकिस्तानी सेना की लगभग दो ब्रिगेडा ने बख्तरबद रेजीमेटा की मदद से छम्ब म दो बार भारतीय सनिक ठिकाना पर हमला किया। दोना बार हमलावरा को पीछे धकेल दिया गया।

उधर बगलादेश म हमारी सेना ने मुक्तिवाहिनी के सहयोग से कई इलाका को मुक्त कर लिया।

भारतीय नौसनिक विमाना ने खुलना, चालना और मगला बदरगाहो पर प्रहार किया और चटगाव हवाई अड्डे तथा उसके आस-पास के पाक सनिक सस्थाना पर आक्रमण किया।

मुक्ति वाहनी न लालमुनीरहाट म प्रवेश किया। भारतीय सेना दुश्मन के विरुद्ध मुक्तिवाहिनी के साथ कधे से कधा मिलाकर लडी।

६ दिसम्बर की रात का छम्ब दुश्मन से खाली करा लिया गया।

प्रधानमत्री श्रीमती इन्दिरा गाधी न ससद म गण प्रजातत्री बगलादेश को भारत द्वारा मान्यता की सूचना दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा— इस समय हमारा ध्यान इस नवजात देश क राष्ट्रपिता की ओर है।'

पाकिस्तान ने भारत क साथ राजनातिक सम्बध ताड दिये।

७ दिसम्बर जसार हवाई अड्डा हमारे अधिकार म। भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी जसार छावनी म प्रविष्ट हुई। जसार शहर मुक्त।

सिल्हट म भारतीय सनिक हेलीकोप्टरा म उतारे गये। सिल्हट और मौलवी बाजार मुक्त करा लिये गये।

८ दिसम्बर भारतीय थलसेनाध्यक्ष जनरल एम० एच० एफ० जे० मानेकशा न बगलादेश स्थित पाकिस्तान आधिपत्य सेना के अधिकारिया और अन्य सनिक तथा कर्मचारिया को, उनकी शोचनीय स्थिति का ध्यान म रखते हुए, तुरन्त आत्मसमपण करने क लिए कहा।

छम्ब म पाकिस्तानी सेना ने एक और ब्रिगेड और अधिक बख्तरबद गाडिया और अपनी वायुसेना की सहायता स भीषण हमला किया। भारतीय सेना न दुश्मन का डटकर मुकाबला किया और उसके बडी सख्या म सनिक हताहत कर दिये।

उधर भारतीय सना न मुक्तिवाहिनी के सहयोग से कोमिल्ला और ब्राह्मणबारिया को मुक्त करा लिया।

सयुक्त राष्ट्र महासभा न एक प्रस्ताव पास करके भारत और पाकिस्तान का युद्ध विराम करन और अपनी अपनी फौजें अपने अपन इलाके म वापस बुलाने का अनुरोध किया।

९ दिसम्बर रक्षामन्त्री न ससद म घोषणा की कि विशाखापत्तनम के निकट ३।४ दिसम्बर की रात का समुद्र म अमरीका म बनी सबसे बडी पाकिस्तानी पनडुब्बी गाजी डुबा दी गई।

बगलादेश म भारतीय सेना और मुक्तिवाहिनी ने मिलकर चान्दपुर और दाउद कन्दी मुक्त करा लिए।

नया छोड पर दुतरफा हमला किया गया भारतीय सना की नया छोड म तनात

दुश्मन की पाकिस्तानी सेना से भिड़न्त । भारतीय पश्चिमी नौसनिक बेड़े ने दूसरी बार साहसिक अभियान म ग्वादार स कराची तक के सम्पूण मकरान तट पर बमबारी की और कराची बन्दरगाह म कई महत्वपूण इधन के भडारा पर आग लगा दी।

१० दिसम्बर लक्सम मुक्त। यहा पर तैनात पाकिस्तानी कमाडिग अफसर न अपन अधीन ४१६ अधिकारियो और सनिका सहित आत्मसमपण किया।

छम्ब म दुश्मन ने मुनव्वर तवी नदी के पार बढ़ने के लिए भारी आक्रमण किया। यहा पर दुश्मन की सनिक डिवीजन की सहायता के लिए कम से कम दो बख्तरबन्द रेजीमेंट थे। यहा पर घमासान लडाई शुरू हो गई।

कच्छ म नगरपारकर स उत्तर म १० मील दूर वीरावाह और विकोट पर कब्जा।

भारत ने विश्व क कई देशो के विमानो को कराची इस्लामाबाद और ढाका से विदेशी नागरिको को निकालने म उनकी सुरक्षा की गारटी दी।

११ दिसम्बर मेजर जनरल राव फरमानअली ने सयुक्त राष्ट्र महासचिव थाट से पश्चिम पाकिस्तानी सनिको और नागरिको को बगलादेश से निकालने म सहायता दन का अनुरोध किया और कहा कि जब तक उनको वहा स निकाला नही जाता तब तक उनकी सुरक्षा का बन्दोबस्त किया जाय।

जनरल याह्या खा न मेजर जनरल फरमानअली के इस सदेश को रद्द कर दिया।

जनरल मानकशा न मेजर जनरल फरमानअली को एक सदेश म बताया कि मुकाबला करना बेकार है इसलिए हथियार डाल दो।

सेनाध्यक्ष ने मेजर जनरल फरमानअली को एक और सदेश म चेतावनी दी कि वह भागने का प्रयत्न न करे।

मुक्तिवाहिनी ने भारतीय सना के सहयोग स बगलादेश म हिली ममनसिंह कुश्तिया और नोआखाली को मुक्त कर दिया। हमारी सना न छम्ब सेक्टर म घमासान युद्ध क बाद पाकिस्तानी सेना को मुनव्वर तवी के पश्चिम की ओर धकेल दिया।

१२ दिसम्बर बहुत सारे भारतीय छाताधारी सनिको को ढाका पर हमला करने क लिए ढाका के आस-पास उतारा गया।

१३ दिसम्बर हमारी सेना न ढाका घेर लिया। सेनाध्यक्ष जनरल मानकशा न मेजर जनरल फरमानअली को फिजूल खून खराबा रोकने के लिए सदेश भेजा और कहा कि जो सनिक हथियार डाल देंगे उनके साथ उचित व्यवहार किया जाएगा।

१४ दिसम्बर रक्षामत्री श्री जगजीवनराम न ससद को युद्ध क पहले के दस दिन क हताहतो की सख्या बताई। मतक—१६७८ घायल—५०२५ और लापता—१६६२।

उन्होन बताया कि पाकिस्तानी सेना के हताहतो की सख्या इसस बहुत ज्यादा है। इसके अलावा पाकिस्तानी नियमित सेना क ४१०२ अफसर और सनिक हमारी कैद म है।

भारतीय वायुसेना क ९ विमान चालक और ३ नवीगेटर वीरगति को प्राप्त हुए और ३६ विमान चालक और ३ नवीगेटर लापता हैं।

भारतीय नौसना क आई०एन०एस० खुकरी जहाज क डूबने स १८ अधिकारी और १७३ नौसनिक लापता हैं।

बगलादेश म पाकिस्तानी प्रशासन क उच्चाधिकारियों न त्यागपत्र दे दिए और

रेडक्रास व तटस्थ क्षेत्र में शरण की याचना की। बोगरा मुक्त हो गया। पाकिस्तानी सेना की ९३ इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर, ब्रिगेडियर खदेर ने दो लेफ्टिनेंट कर्नलों और ७ मेजर के साथ ढाका के नजदीक आत्मसमर्पण कर दिया।

सोवियत संघ ने अमरीका के भारत-पाक युद्ध विराम और सेनाओं की वापसी के प्रस्ताव पर तीसरी बार वीटो कर दिया।

१५ दिसम्बर ढाका में पश्चिमी पाकिस्तानी सेना के कमांडर, ले० ज० ए० ए० के० नियाजी ने भारतीय सेनाध्यक्ष को युद्धविराम का अनुरोध किया। जवाब में जनरल मानकशा ने उन्हें १६ दिसम्बर, १९७१ को सुबह ९ बजे तक आत्मसमर्पण करने का निदेश दिया।

१६ दिसम्बर प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने संसद में घोषणा की कि बंगला देश में पश्चिमी पाकिस्तानी सेना ने आज दिन के ४.३१ बजे बिना शर्त हथियार डाल दिये हैं। आत्मसमर्पण करार पर ले० जनरल नियाजी ने पाकिस्तानी पूर्वी कमान की ओर से हस्ताक्षर किए हैं।

शिमला समझौता

भारत द्वारा पाकिस्तान को बुरी तरह पराजित किये जाने के परिणामस्वरूप श्री भुट्टो याह्या खां को हटाकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए। उन्होंने समस्त पराजय का दोष याह्याखां पर डालकर उन्हें नजरबन्द कर लिया तथा पराजय की जांच करने की घोषणा की।

राष्ट्रपति भुट्टो ने जब देखा कि बंगलादेश तो बन ही गया दूसरे पाकिस्तान का भारी भूभाग व ९३ हजार पाकिस्तानी सैनिक भारत के कब्जे में हैं तो उन्होंने भारत से समझौते की पेशकश की। अन्त में २८ जून से शिमला में भारत-पाक शिखर वार्ता प्रारम्भ हुई तथा भुट्टो के कड़े रुख के बावजूद भारत ने अपनी शांति की नीति को प्रमुखता देकर समझौता वार्ता सफल बनाने का पूरा प्रयास किया। अन्त में २ जुलाई की मध्यरात्रि को १२ बजकर ४० मिनट पर प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी व श्री भुट्टो ने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये।

शिमला समझौते का पूर्ण पाठ निम्न है —

१ भारत और पाकिस्तान की सरकारें यह संकल्प करती हैं कि दोनों देश उस संघर्ष और टकराव को समाप्त करेंगे जिसने उनके सम्बन्धों को अब तक बिगाड़े रखा है। वे मैत्री और सद्भावनापूर्ण सम्बन्धों तथा उपमहाद्वीप में स्थायी शांति कायम करने के लिए काम करेंगे जिससे आगे से दोनों देश अपने साधनों और शक्ति का उपयोग अपनी जनता के कल्याण के गुरुतर कार्य में कर सकें।

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत और पाकिस्तान की सरकारें निम्न बातों पर सहमत हैं कि—

(क) दोनों देश आपसी सम्बन्धों में संयुक्त राष्ट्र घोषणा-पत्र के सिद्धान्तों और उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करेंगे।

(ख) दोनों देश अपने मतभेदों का शांतिपूर्ण उपायों तथा द्विपक्षीय बातचीत अथवा ऐसे किसी उपाय से हल करेंगे जो दोनों देशों को मान्य हो। दोनों देशों के बीच किसी भी समस्या के अंतिम समाधान होने तक कोई भी पक्ष एकतरफा तौर पर स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करेगा और दोनों पक्ष ऐसी किसी कारवाई के संगठन, उसको

सहायता और प्रात्साहन को राकेंगे जिससे शांतिपूण और सद्भावनापूण सम्बधा को हानि पहुचती हा।

(ग) दोना देश समझाते, अच्छे पडोसीपन और स्थायी शांति के लिए वायदा करते है कि वे *शांतिपूण सहअस्तित्व, एक दूसर की क्षेत्रीय अखडता एव प्रभुत्व सम्पन्नता* तथा बराबरी तथा दोना के लाभ पर आतरिक मामला म हस्तक्षेप न करा के उसूला पर काम करगे।

(घ) दाना देशो के सम्बधा म पिछले २५ वर्षों स बिगाड पदा करन वाल सघप के मूल विवादा और कारणा का शांतिपूण उपाया द्वारा सुलझाया जाएगा।

(ङ) वे एक दूसर की राष्ट्रीय एकता क्षेत्रीय अखडता राजनीतिक स्वतत्रता और समानता का सदव सम्मान करगे।

(च) दोनो दश सयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र के अनुरूप एक-दूसरे की क्षत्रीय अखडता या राजनीतिक स्वतत्रता के विरुद्ध शक्ति का उपयोग नहा करग और न ही ऐसा करन की धमकी देगे।

२ दोना सरकारें एक-दूसरे के खिलाफ शत्रुतापूण प्रचार राकन के लिए सभी सम्भव कदम उठाएगी। वे ऐसी सूचना व प्रचार प्रसार का प्रात्साहन देंगी जिमस दोना क सम्बधा म वद्धि हा।

३ दोना देशा क बीच शन शन सम्बधो का कायम करने और उह सामाय बनान के लिए इस पर सहमति हुई कि

(क) सचार सम्बध पुन कायम करने के लिए कदम उठाए जायेंगे। सचार सम्बधो म डाक तार समुद्रीय एव स्थलीय यात्रा और विमान सेवाए शामिल है। विमान सेवा म भारत पर होकर उडाने भी सम्मिलित है।

(ख) एक दूसर दश के नागरिका को यात्रा सुविधाए बढाने के लिए उचित कदम उठाए जाएग।

(ग) आर्थिक तथा आपसी सहमति के क्षेत्रा म व्यापार और सहयाग यथासम्भव पुन शुरू किया जायगा।

(घ) विज्ञान और सस्कृति क क्षेत्र म आदान प्रदान को प्रात्साहन किया जायेगा।

इस सम्बध म आवश्यक विवरण तयार करन क लिए दोनो देशा के प्रतिनिधि-मण्डल समय समय पर मिलते रहगे।

४ स्थायी शांति की स्थापना का प्रक्रिया शुरू करन के लिए दाना सरकारें इस पर सहमत है कि—

(क) भारतीय और पाकिस्तानी सेनाए अतर्राष्ट्रीय सीमा के अपनी अपनी ओर हटा ली जाएगी।

(ख) दाना देश जम्मू-कश्मीर म १७ दिसम्बर १६७१ को हुए युद्धविराम के फलस्वरूप कायम हुई नियत्रण रखा का किसी भी पक्ष द्वारा स्वीकृत स्थिति का प्रभावित किए बिना समादर करेंगे।

काइ भी पक्ष इस सम्बध म आपसी मतभद या कानूनी परिभाषा का लेकर एक तरफा तौर पर स्थिति म परिवतन नही करेगा। दाना पक्ष वायदा करत है कि शक्ति का उपयाग करक रखा का उल्लघन नहा करेंगे।

(ग) सेनाओं की वापसी इस समझौते के लागू होने पर शुरू हो जायेगी और उसके ३० दिनों बाद यह काम पूरा हो जायेगा।

५ इस समझौते की दोनों देशों की अपनी अपनी सांविधानिक प्रक्रियाओं के अनुरूप पुष्टि होनी आवश्यक है। इन पुष्टि-पत्रों के आदान प्रदान की तिथि से ही समझौता लागू होगा।

६ दोनों सरकार इस पर सहमत हैं कि उनके प्रधान भविष्य में दोनों की सुविधा के अनुरूप किसी समय मिलेंगे। इस बीच सम्बन्धों के सामान्यीकरण की प्रक्रिया और प्रबन्ध तय करने के लिए दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों की बैठक होगी। ये प्रतिनिधि युद्ध में बन्दी बनाए गए सैनिकों और नागरिकों की वापसी जम्मू-कश्मीर विवाद के अन्तिम निपटारे और राजनयिक सम्बन्ध पुन कायम करने के प्रश्नों पर विचार करेंगे।

शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करके लौटते ही श्री भुट्टो ने पुन भारत विरोधी रुख अपनाना प्रारम्भ कर दिया। उन्होंने लाहौर पहुंचते ही कहा—

'पाकिस्तान की खोई हुई जमीन तथा युद्ध बंदियों को लेने के लिए मैं शिमला गया था। जमीन लेकर लौटा हू। हमारे कैदी भाई भी शीघ्र ही छूट जायगे। मैंने पाकिस्तान के किसी सिद्धान्त के साथ समझौता नहीं किया। मैंने युद्धवर्जन सन्धि को भी स्वीकार नहीं किया है। कश्मीर पर हमारा दावा अभी भी बरकरार है।

भारत ने शिमला समझौते के अनुसार पाकिस्तान विरोधी प्रचार बिल्कुल बन्द कर दिया था किन्तु पाकिस्तान में जारी रहा। श्री भुट्टो ने शिमला में आश्वासन दिया था कि वे अगस्त तक बंगलादेश को मान्यता दे देंगे किन्तु उन्होंने लगभग डेढ़ वर्ष बीत जाने पर भी अभी तक मान्यता नहीं दी है।

भारत पाकिस्तान के सैन्याधिकारियों की सीमा रेखांकन के लिए वार्ता प्रारम्भ हुई। पाकिस्तान ने उसमें भी अड़चनें खड़ी कीं। कश्मीर के ठाको चक क्षेत्र, जोकि भारत का क्षेत्र था पर उसने अपना अधिकार जमाया। भारतीय थल सेनाध्यक्ष जनरल मानेकशा को दो बार लाहौर जाकर टिक्का खां से वार्ता करनी पड़ी और अन्त में भारत ने पाकिस्तान के असहयोगपूर्ण रवैये को देखते हुए भी पाकिस्तान को छम्ब का क्षेत्र ठोका चक के बदले में देकर उसका हठ को मान लिया। इस प्रकार भारत ने २० दिसम्बर १९७२ को सायं ६ बजे तक सभी विजित क्षेत्रों से सेनाओं की वापसी का काम पूरा कर लिया। किन्तु इसके बाद ही पाकिस्तान ने पुन भारत को धमकियां देनी प्रारम्भ कर दी। श्री भुट्टो समय समय पर त्यौरियां बदल कर धमकी भरे शब्दों का प्रयोग करते रहे।

भारत ने अत्यन्त धैर्य के साथ व्यवहार कर शिमला समझौते की क्रियान्विति का प्रयास जारी रखा। २३ जुलाई १९७३ को श्री पी०एन० हक्सर के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल इस्लामाबाद पहुंचा। २४ जुलाई से दोनों देशों के प्रतिनिधिमण्डलों के बीच बातचीत प्रारम्भ हुई। इसी बीच २६ जुलाई को पेरिस में राष्ट्रपति भुट्टो ने पुन कश्मीर की आड़ में भारत विरोधी वक्तव्य दे डाला। सात दिनों तक हुई वार्ता पाकिस्तान की हठधर्मी के कारण ३० जुलाई १९७३ को असफल हो गयी तथा निर्णय हुआ कि अगली वार्ता दिल्ली में होगी।

१७ अगस्त को श्री अजीज अहमद के नेतृत्व में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमण्डल दिल्ली पहुंचा। १८ को दोनों प्रतिनिधिमण्डलों के बीच वार्ता प्रारम्भ हुई। २१ व २६ अगस्त को

अजीज अहमद ने श्रीमती इंदिरा गांधी से भेंट की। अंत में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमण्डल की हठधर्मी के बावजूद भारत ने वार्ता की सफलता का मार्ग निकाला और ग्यारह दिन तक लगातार बातचीत के बाद २८ अगस्त को दोनों के बीच मानवीय समस्याओं के हल के लिये समझौता हो गया। भारत ने अधिसंख्य पाकिस्तानी युद्धबंदियों की मुक्ति स्वीकार कर ली। साथ ही उन १९५ युद्धबंदियों जिन पर बंगलादेश ने गम्भीर आरोप लगाये हैं, के अभियोग के सिलसिले में पाकिस्तान और बंगलादेश के बीच प्रत्यक्ष वार्ता के द्वारा मामला सुलझाने की आकांक्षा व्यक्त की गई। पाकिस्तानी युद्धबंदियों की वापसी के साथ साथ पाकिस्तान में फंसे बंगालियों की वापसी का मार्ग भी प्रशस्त हुआ।

भारत ने समझौता होते ही १९ सितम्बर १९७३ से पाकिस्तानी युद्धबंदियों की वापसी तेजी से शुरू कर दी। किन्तु पाकिस्तान बंगालियों की वापसी तथा बंगलादेश से बिहारी पाकिस्तानियों की वापसी में बराबर बाधा उत्पन्न करता रहा। बंगलादेश को मान्यता देने के आश्वासन का भी वह बराबर अधर में लटकाये हुए है।

राष्ट्रपति भुट्टो ने पुनः कश्मीर के नाम पर भारत के विरुद्ध विषवमन जारी किया हुआ है। फ्रांस व अमरिका की सहायता से वह शस्त्र एकत्रित कर भारत के विरुद्ध तैयारियों में लगा हुआ है।



हिन्दुस्थान समाचार (रजत जयन्ती वर्ष)

सन १९४७ में देश आजाद हुआ और सन् १९५० में देश को प्रजातान्त्रिक संविधान मिला। आजादी और सार्वभौम स्वतंत्र लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र घोषित करने वाला संविधान ये दो ऐसी घटनाएँ थीं जिनसे जन-जीवन नई आशा, नये विश्वास प्रगति समानता और बंधुता के विचारों से भर गया। सन ४७ और सन् ५० के बीच के इस कालखण्ड में नव निर्माण का दायित्व लिए अनेक राष्ट्रनिर्माण के निश्चय गूंज उठे। भारतीय पत्रकारिता में हिंदुस्थान समाचार का पदार्पण भी इसी महान वैचारिक जागरण की एक देशाभिमानी किरण है। आजादी आने के साथ ही जन-जागरण के क्षेत्र में यह विचार गूंजने लगा था कि प्रजातन्त्र और स्वतन्त्रता की सुरक्षा और अभिवृद्धि के लिए जिस प्रकार जागरूक जनमत चाहिए वह विदेशी भाषा और चन्द बड़े शहरों की राजनीतिक गतिविधियों में बंधे हुए अखबारों एवं न्यूज एजेंसियों से सम्भव नहीं होगा। इसलिए राष्ट्रीय भाषाओं के समाचार पत्रों का स्तर उनका प्रसार और उनकी स्वस्थ निष्पक्ष, निर्भीक समाचार संकलन करने की शक्ति को बढ़ाना आवश्यक है। इसी स्वाभाविक और महती आवश्यकता की पूर्ति के लिये सन् १९४८ के दिसम्बर मास में हिन्दुस्थान समाचार का कार्य प्रारम्भ हुआ। भारतीय भाषाओं में समाचार संकलन, सम्पादन और वितरण करने के कार्य को हिंदुस्थान समाचार ने उठाया। हिंदुस्थान समाचार पूरे २५ वर्ष पूर्ण कर २६वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। यह उसका रजत जयन्ती वर्ष है।

हिंदुस्थान समाचार प्राइवेट लिमिटेड

भारतीय भाषाओं और विशेषकर हिंदी की प्रगति के लिये जो महापुरुष विगत शताब्दी में कार्यशील रहे उनका शुभाशीर्वाद इस कार्य को प्राप्त हुआ। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ने इस कार्य की सराहना की। आचार्य विनोबा भावे ने इस कार्य के लिए प्रोत्साहन दिया। बम्बई के यू० पी० आई० में कार्य कर रहे एक पत्रकार इस कार्य की धुरी लेकर आगे बढ़े। उनका नाम है श्री शिवराम शंकर आप्टे। श्री आप्टे जी पत्रकारिता के क्षेत्र में जिस प्रकार विख्यात थे उसी प्रकार एक अच्छे अधिवक्ता भी हैं। श्री आप्टे जी ने बम्बई में ही इस कार्य को प्रारम्भ किया। सन १९४८ के दिसम्बर मास में हिंदुस्थान समाचार प्राइवेट लि० की विधिवत स्थापना की गई। श्री आप्टे जी विभिन्न प्रान्तों में घूम घूमकर साथी पत्रकारों को इस कार्य में उत्साहित तथा संलग्न करने लगे।

निःसन्देह कार्य प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रारम्भ हुआ। सर्व प्रथम बम्बई नागपुर दिल्ली और पटना में केन्द्र स्थापित हुए। छोटे-बड़े अनेक क्षेत्रों में समाजसेवी और

भारतीय भाषाओं के प्रेमी कार्यकर्ताओं ने समाचार संकलन में हिन्दुस्थान समाचार को सहायता पहुंचाई। आर्थिक दुरावस्था और भारतीय भाषाओं के सम्वाददाताओं के प्रति उदासीनता के बावजूद उस वायुमंडल में शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी, प्रोफेसर कई लोगों ने इस महती राष्ट्रीय आवश्यकता की पूर्ति में अपने धन तथा समय दानों की शक्ति लगाई।

विकास

सर्वप्रथम मराठी, हिन्दी और उर्दू में बम्बई, नागपुर, दिल्ली और पटना केन्द्रों से यह कार्य हुआ। फिर सन १९४८ से १९५३ के बीच लगभग सभी प्रान्तों में समाचार संकलन का यह कार्य पहुंच चुका था और बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, पटना, बंगलौर, नागपुर, कानपुर और नेपाल की राजधानी काठमाण्डू में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हो चुके थे। तब तक देवनागरी लिपि में दूर मुद्रक नहीं थे। इसी कारण शीघ्रता से समाचार प्रेषण में कठिनाई हो रही थी। किन्तु इसी समय तत्कालीन केन्द्रीय संचार मंत्री श्री रफी अहमद किदवई ने जबलपुर टेलीग्राफ वर्कशाप में अंग्रेजी टेलीप्रिंटर मशीन पर नागरी कुंजी पटल स्थापित कराने का कार्य सम्पन्न कराया। सर्वप्रथम चार मशीनें तैयार हुई। उनमें से दो हिन्दुस्थान समाचार को मिलीं। पटना में राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन ने और दिल्ली में श्री जगजीवनराम जी ने जून १९५४ में हिन्दुस्थान समाचार द्वारा नागरी दूर मुद्रक स्थापित होने की विधि का उद्घाटन किया। इस प्रकार हिन्दुस्थान समाचार की ओर से स्वतन्त्र भारत में सर्वप्रथम नागरी लिपि में समाचार प्रेषण का स्वदेशी युग प्रारम्भ हुआ। बाद में दो बार देवनागरी दूर मुद्रक के काम के विषय में सरकार को सुझाव देकर हिन्दुस्थान समाचार ने देवनागरी दूर मुद्रक के विकास में योगदान किया।

पत्रकारिता के क्षेत्र में इस युगान्तरकारी कार्यारम्भ पर पटना में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था। बिहार के तत्कालीन राज्यपाल श्री रंगनाथ रामचन्द्र दिवाकर इस अवसर पर पधारे थे। निष्पक्ष, निर्भीक और राष्ट्रोपयोगी समाचारों के दायित्व को मुखरित करने के लिए जो गोष्ठी आयोजित की गई थी उसकी अध्यक्षता पटना विश्वविद्यालय के तत्कालीन उपकुलपति स्व० श्यामानन्द सहाय ने की थी। विशेष अतिथि के रूप में नेपाल के तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्री मातृकाप्रसाद कोइराला भी पधारे थे। इस अवसर पर आचार्य विनोबा भावे और श्री जयप्रकाशनारायण ने हिन्दुस्थान समाचार के समाचारों की निष्पक्षता की सराहना की। लोक-सभा के अध्यक्ष श्री जे० वी० मावलंकर ने कहा— मैं इस कार्य योजना का हार्दिक समर्थन करता हूं। तत्कालीन केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री पंजाबराव देशमुख ने कहा कि— सत्य और निष्पक्ष समाचार राष्ट्रीय जीवन को मजबूत करने में आवश्यक हैं। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले पांच वर्षों में हिन्दुस्थान समाचार ने देश के सभी प्रमुख केन्द्रों पर संवाददाता नियुक्त करने में सफलता प्राप्त की है।

इनके अतिरिक्त पं० दीनदयाल उपाध्याय, श्री भदन्त कौशल्यायन, श्री शान्त धर्माधिकारी, सन्त प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, डा० अमरनाथ झा, डा० श्री कृष्णसिंह, श्री कमलापति त्रिपाठी आदि विद्वानों ने भी हिन्दुस्थान समाचार द्वारा नागरी में दूर मुद्रक सेवा प्रारम्भ करने के कार्य की सराहना की। इस प्रकार देश के सरकारी तथा गैर-सरकारी सभी क्षेत्रों से प्राप्त सहायता के आधार पर हिन्दुस्थान समाचार ने प्रगति कर दूसरी मंजिल पार कर ली।

प्रगति का तीसरा चरण

जनता के सभी वर्गों और क्षेत्रों से प्राप्त व्यापक समर्थन से उत्साहित हिन्दुस्थान

समाचार व कार्यकर्ताओं न देखा तो तक पहुंचकर राष्ट्र की प्रगति में सर्वाधिक सभी दृष्टि कोणों के समाचार सकलित कर एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। अब यह माना जाने लगा कि ग्राम तहसील और जिला केन्द्रों तक पहुंचकर समाचार संकलन का व्यापक कार्य करने में हिन्दुस्थान समाचार ने राष्ट्रीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए महान कार्य किया है। विभिन्न राज्य सरकारें और केन्द्रीय सरकार भी हिन्दुस्थान समाचार की ग्रामों तक छू लेने वाली इस समाचार संकलन योजना से प्रभावित हुई। सन् १९६१ में ही बिहार सरकार हिन्दुस्थान समाचार से समाचार लेने लगी। इसके बाद मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश राजस्थान पंजाब सरकारों ने भी समाचार लेना प्रारम्भ किया। राष्ट्रीय समाचारों में हिन्दुस्थान समाचार के इस कार्य का योगदान स्वीकार करते हुए आज लगभग सभी प्रदेश और संघीय क्षेत्र की सरकार इसकी नियमित ग्राहक हैं। केन्द्र सरकार ने भी समाचार लेना प्रारम्भ कर दिया है। सन १९६८ में आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों में प्रादेशिक समाचार प्रसारण के लिए तथा दिल्ली में राष्ट्रीय समाचार प्रसारण के लिए भी हिन्दुस्थान समाचार द्वारा प्रेषित समाचार लिए जाने लगे।

भारतीय जनजीवन की विविध सांस्कृतिक सामाजिक और राजनीतिक सभी गतिविधियों को जनता की अपनी भाषा यानी राष्ट्रीय भाषाओं में संकलित और प्रेषित करने वाली एकमात्र संस्था हिन्दुस्थान समाचार है यह तथ्य सबके सामने उभर कर आया। नि:सन्देह हिन्दुस्थान समाचार के संवाददाताओं, सम्पादक और छोटे-बड़े सभी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय समाचार संकलन में अभी तक अधिकांशतः उपेक्षित पड़े सांस्कृतिक धार्मिक, साहित्यिक और सामाजिक क्षेत्रों के समाचारों को महत्व प्रदान किया जो राष्ट्र जीवन की विविध क्षेत्रों की प्रगति को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण माने गये।

हिन्दुस्थान समाचार की इस विशेष स्थिति को स्वीकार कर नेपाल ने भी इस समिति का स्वागत किया। सन १९५६ से सन् १९६२ तक नेपाल रेडियो में हिन्दुस्थान समाचार से नेपाल एवं भारत के समाचार लिए जाते थे। फिर वहां जब राष्ट्रीय समाचार समिति की स्थापना हुई तो हिन्दुस्थान समाचार नेपाल की समिति को समाचार देने लगा।

सिक्किम सरकार पिछले १७ वर्षों से हिन्दुस्थान समाचार की सेवा लेती है। भारत के सीमावर्ती पड़ोसी देशों नेपाल भूटान सिक्किम के साथ समाचारों द्वारा सम्पर्क स्थापित करने में हिन्दुस्थान समाचार ने जो अगुवाई की है वह भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना गिना जायगी।

सहकारी समिति सुदृढ़ आधार

हिन्दुस्थान समाचार की इस प्रगति की आधारशिला सन १९५७ में रखी गई थी। यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। सन १९५७ में हिन्दुस्थान समाचार के कार्यकर्ताओं ने एक सहकारी समिति (को आपरेटिव सोसायटी) स्थापित की और उसका पंजीयन फरवरी १९५७ में कराया। हिन्दुस्थान समाचार (प्राइवेट) लिमिटेड के व्यवस्थापकों ने समाचार समिति का संचालन इस सहकारी समिति को सौंप दिया। सहकारिता के आधार पर एक समाचार समिति के कार्य का संचालन न केवल भारत में वरन विश्व की पत्रकारिता में एक अद्वितीय उदाहरण बन कर सामने आया। तब से इसी व्यवस्था के अन्तर्गत यह समिति देश की सभी राज्य भाषाओं तथा राष्ट्रभाषा हिन्दी में समाचार संकलन सम्पादन और प्रेषण का कार्य कर रही है।

हिंदुस्थान समाचार सहकारी समिति की स्थापना पर भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डा० राजेंद्रप्रसाद जी ने जो सन्देश दिया था वह हिंदुस्थान समाचार का सदा के लिए मार्गदर्शक रहेगा। राष्ट्रपति महोदय ने कहा था कि —

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि हिंदुस्थान समाचार समिति एक सहकारी संस्था के रूप में आज विधिवत परिवर्तित हो रही है। यह रूपांतर एक बड़े महत्व का प्रमाण है। हिन्दी की एकमात्र समाचार समिति होने के नाते या भी हिंदुस्थान समाचार की जिम्मेदारियां काफी बड़ी थीं। इस नये रूपांतर में जिम्मेदारियां और बढ़ी हैं। मुझे आशा है कि समिति के कार्यकर्ता जो अब इसके मालिक और व्यवस्थापक भी होंगे समिति के ऊंचे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अथक प्रयत्न करेंगे। मैं समिति की सफलता की कामना करता हूं।'

अनेक महानुभावों का सहकार्य

हिंदुस्थान समाचार को प्रारम्भ से ही इस बात का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि देश के श्रेष्ठ विद्वान जन-नेता और शासन के उच्च पदस्थ अधिकारियों का इसे समर्थन मिला। स्थापना के समय डा० राजेंद्रप्रसाद राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन प० गोविंदवल्लभ पन्त और श्री रफी अहमद किदवई जैसे राष्ट्र भक्तों का शुभाशीष प्राप्त हुआ। इसके साथ ही हिंदुस्थान समाचार की विभिन्न प्रबंध समितियों में पदाधिकारी रह कर अनेक महानुभावों ने हिंदुस्थान समाचार की प्रगति में सहयोग प्रदान किया है। डा० हरेकृष्ण महताब डा० रामसुभगसिंह सेठ गोविन्ददास श्री तख्तमल जैन श्री जयनारायण व्यास श्री हरिश्चन्द्र माथुर श्री रंगनाथ रामचन्द्र दिवाकर श्री घनश्यामसिंह गुप्त और श्री सुरेंद्रनाथ धाप आदि जन नेताओं ने प्रबंध समिति के कार्य संचालन पदों पर रह कर समिति का मार्गदर्शन समय समय पर किया है। राज्य सभा में कांग्रेस दल के उपनेता श्री जयसुखलाल हाथी ने गत दो वर्षों में समिति के अध्यक्ष के रूप में सक्रिय योगदान दिया।

इनके अतिरिक्त श्री सत्यकाम विद्यालंकार (धर्मयुग बम्बई) श्री सत्येंद्रकुमार गुप्त (आज काशी) और श्री श्रीनारायण चतुर्वेदी (सम्पादक सरस्वती प्रयाग) आदि साहित्यिक पत्रकार विद्वानों ने भी प्रबंध समिति में अपना योगदान दिया। चालू वर्ष (१९७३-७४) में प्रबंध समिति इस प्रकार है

अध्यक्ष—डा० सरोजिनी महिषी—नागरिक विमानन एवं पर्यटन राज्यमंत्री।

उपाध्यक्ष—श्री कामाख्याप्रसाद त्रिपाठी असम।

श्री अभयकुमार जैन प्रधान सम्पादक नवभारत टाइम्स।

श्री बसंतकृष्ण ओक दिल्ली।

मंत्री—श्री बालेश्वर अग्रवाल प्रबंध सम्पादक हिंदुस्थान समाचार।

कोषाध्यक्ष—श्री ना० बा० लेले मुख्य समाचार सम्पादक हिंदुस्थान समाचार।

सदस्य—

(१) श्री जयसुखलाल हाथी, उपनेता कांग्रेस संसदीय दल नई दिल्ली।
(२) श्री गंगाशरण सिंह संसद सदस्य नई दिल्ली।
(३) श्री सुधाकर पांडे संसद सदस्य महामंत्री नागरी प्रचारिणी सभा काशी महामंत्री अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग।
(४) श्री मुकुंद राव किर्लोस्कर सम्पादक किर्लोस्कर पुणे।

(५) श्री ओमप्रकाश कुंद्रा, विशेष प्रतिनिधि, हिंदुस्थान समाचार भोपाल।
(६) श्री देवेंद्र नाथ महथी, सम्पादक, हिंदुस्थान समाचार कटक।
(७) श्री भपतभाई पारीख सम्पादक, हिंदुस्थान समाचार अहमदाबाद।
(८) श्री श्रीकृष्ण शर्मा सम्पादक हिंदुस्थान समाचार, त्रिवेंद्रम।
(९) श्री अमर सिंह संदेशवाहक, हिंदुस्थान समाचार, दिल्ली।

प्रगति के महत्वपूर्ण आंकड़े

* विभिन्न प्रदेशों के लगभग सभी तहसील केन्द्रों तक पहुंचकर हजारों गांव हिंदुस्थान समाचार की पहुंच के अन्तर्गत आ चुके हैं।
* हिंदी, मराठी गुजराती, उड़िया बंगला असमी, पंजाबी मलयालम तेलुगु तमिल उर्दू और कन्नड भाषाओं में समाचार प्रेषण और वितरण होता है।
* चार स्थानों से अंग्रेजी में समाचार देकर अंग्रेजी पत्रों में भी ग्रामीण समाचारों को हि० स० ने स्थान दिलाया है।
* इस समय २० शाखा कार्यालयों से समाचारों का आदान प्रदान नियन्त्रित होता है।
* हिंदुस्थान समाचार के अधिकृत सम्वाददाताओं की कुल संख्या १०७२ है। दूर मुद्रक केन्द्र २० हैं।
* १३५ समाचारपत्र इसके ग्राहक हैं।
* केन्द्र एवं सभी राज्य सरकारों तथा संघीय क्षेत्रों से इसे मान्यता प्राप्त है।
* आकाशवाणी के केन्द्रों से ७ भाषाओं में इसके समाचार प्रसारित होते हैं।
* हिंदुस्थान समाचार की ओर से प्रतिवर्ष 'वार्षिकी' का प्रकाशन होता है जिसमें वर्ष की महत्वपूर्ण जानकारियां महत्वपूर्ण अध्यायों के अन्तर्गत उपलब्ध की जाती हैं।
* हिंदुस्थान समाचार की ओर से युगवार्ता प्रसंग-लेख सेवा (Feature Service) संचालित की गई है जिसकी सामग्री ८५ समाचारपत्रों के लेख-स्तम्भों में प्रकाशित होती है।

भावी योजनाएं

* अति शीघ्र १० दूरमुद्रक केन्द्र और स्थापित करना। यह कार्य सम्पन्न होने से हिंदुस्थान समाचार प्रगति की उस महत्वपूर्ण मंजिल पर पहुंच जायगा जिससे सम्पूर्ण भारत के समाचारों का एक साथ वितरण सभी प्रान्तों में सभी भारतीय भाषाओं में होने लगेगा।
* जो समाचारपत्र नागरी लिपि में सेवा ले रहे हैं उन्हें समाचारपत्र केन्द्रों तक दूरमुद्रक (टिकर) मशीनों से जोड़कर समाचार देना।
* बर्मा इंडोनेशिया मलयेशिया, थाईलैंड श्रीलंका, सिंगापुर कीनिया मारीशस आदि पड़ोसी देशों में शाखा कार्यालय स्थापित करना और समाचारों के आदान प्रदान की व्यवस्था करना।

समाचार चित्र (News Photos) विभाग स्थापित कर राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं के चित्र समाचारपत्रों में प्रकाशनार्थ भेजना।

वर्तमान गठन

इस समय हिंदुस्थान समाचार सहकारी समिति के २७६ अंशधारी सदस्य हैं।

इनमें 'हिंदुस्थान समाचार' में कार्य करने वाले व्यक्तियों के अतिरिक्त भारतीय भाषाओं के विकास में प्रजातंत्र का उज्ज्वल भविष्य मानने वाले उत्साही समाजसेवी और पत्रकार महानुभाव भी सहकारी समिति के सदस्य हैं। उल्लेखनीय कुछ नाम हैं—श्री सुरेन्द्रमोहन घोष (पायनियर लखनऊ) श्री ए० डी० मणि (हितवाद, नागपुर) श्री अनन्तगोपाल शेवडे (नागपुर टाइम्स) श्री मायाराम सुरजन (देशबंधु रायपुर) श्री कृष्णचन्द्र अग्रवाल (विश्वमित्र कलकत्ता) श्री डोरीलाल अग्रवाल (अमर उजाला आगरा) श्री मानक चोपड़ा (जनगण जोधपुर) डा० भगवानदास अरोड़ा (गाण्डीव वाराणसी) श्री वी० एन० नायर (मातृभूमि कालीकट) इन सम्पादकों के अतिरिक्त समिति के सदस्यों में श्री प्रकाशवीर शास्त्री श्री श्यामधर मिश्र (संसद सदस्य) सेठ गोविन्ददास (संसद सदस्य) श्री अनंत प्रसाद शर्मा (संसद सदस्य) श्री वेदप्रकाश साहनी (दिल्ली) श्री जगदीशचन्द्र ऋषि (बिलासपुर) श्री आनन्दप्रकाश रहेजा (दिल्ली) श्री जयकिशन भाई हरिवल्लभदास (अहमदाबाद) श्री प्रफुल्लचन्द्र बरुआ (भूतपूर्व संसद्सदस्य) श्री रामनारायण चौधरी (अजमेर) आदि समाजसेवी अनुभवी महानुभाव हैं। प्रति वर्ष समिति की साधारण सभा की वार्षिक बैठक में समिति की प्रगति का सिंहावलोकन कर नये वर्ष के लिये मार्गदर्शन इन सब बंधुओं से प्राप्त होते रहते हैं।

हमारी प्रतिबद्धता

हिंदुस्थान समाचार की गत २५ वर्षों की प्रगति में इतने बंधुओं का सहयोग प्राप्त हुआ है और विभिन्न कठिन परिस्थितियों में से उभरने के लिए इतने हाथ आत्मीयतापूर्वक सहायतार्थ आगे आये हैं कि उनकी गिनती करना कठिन है। पचीस वर्षों के कार्यकाल का चलचित्र ही मन चक्षु के समक्ष खिंच जाता है और श्रद्धावनत होकर उन सब बंधुओं के समक्ष हम कृतज्ञ अवस्था में यह संकल्प लिये खड़े हैं कि राष्ट्र की बहुविधि प्रगति शांति सुव्यवस्था और सौहार्द के निर्माण में निष्पक्ष सत्य निर्भीक पत्रकारिता के पथ पर हम आगे ही बढ़ते जायेंगे। भारत में पत्रकारिता का जन्म राष्ट्रभक्ति की लहरों के साथ हुआ है।

राजा राममोहनराय से लेकर तिलक अरविंद रवीन्द्र गांधी तक अनेक जननेताओं ने पत्रकारिता को जन जागरण के प्रबल माध्यम के रूप में अपनाया है। सर्वश्री महावीर प्रसाद द्विवेदी गणेशशंकर विद्यार्थी जगन्नाथप्रसाद मिलिंद प्रतापनारायण मिश्र बाबूराव विष्णु पराड़कर इन्द्र विद्यावाचस्पति बालकृष्ण भट्ट शिवपूजनसहाय लक्ष्मणनारायण गर्दे भगवतीप्रसाद वाजपेयी माखनलाल चतुर्वेदी रामवृक्ष बेनीपुरी आदि नाम पत्रकारिता के साथ सीधे सम्बंधित हैं तो सर्वश्री रामचन्द्र वर्मा रामचन्द्र शुक्ल प्रेमचन्द अंबर गिरिधर शर्मा डा० सम्पूर्णानन्द आदि कितने ही साहित्यकारों ने भी पत्रकारिता की धारा को पुष्ट किया है। यही वे मार्गदर्शक दीप स्तम्भ हैं जिनकी पावन स्मृति हिंदुस्थान समाचार की प्रगति में निःस्वार्थ समाज सेवा की प्रेरणा बनकर हमारे सामने उपस्थित है।

इन पावन विश्वासों में आगे बढ़ते हुए हिंदुस्थान समाचार का वह दिन भी देखना है जब हिंदुस्थान समाचार समिति विश्व के विभिन्न देशों में सम्पर्क स्थापित कर भारतीय भाषायी समाचारपत्रों के लिए विश्व समाचारों का संकलन तथा प्रसारण कर सके। लक्ष्य महान है प्रेरणा उदात्त है और अगम्य मार्गों का सहकार्य हमारा सम्बल है। ढाई दशक की प्रगति इस उत्साहित कर रहा है। हिंदुस्थान समाचार इसी उद्देश्य की पूर्ति में सभी बंधुओं के अधिकाधिक सहकार्य की कामना करता है।

हिन्दुस्थान समाचार के प्रमुख कार्य केन्द्र

*अगरतल्ला
*अकोला
*अहमदाबाद
*बम्बई
बंगलौर
*भोपाल
*कलकत्ता
*कटक
*चण्डीगढ़
*ग्वालियर
*गोहाटी
गंगटाक (सिक्किम)
*हैदराबाद
इन्दौर
*जयपुर
*जालंधर
जम्मू
काठमाण्डू (नेपाल)
*लखनऊ
*लुधियाना
मद्रास
*नई दिल्ली
*नागपुर
*पटना
पणजी
शिलांग
श्रीनगर
शिमला
त्रिवेन्द्रम

*दूरमुद्रक केन्द्र।

सुरा वै मलमन्नानां पाप्मा च मलमुच्यते ।
तस्माद् ब्राह्मणराजन्यौ वश्यश्च न सुरां पिबेत् ॥

—मनुस्मृति ११ ९३

सुरा (शराब) अन्न का मल है। मल को पाप कहते हैं। मल मूत्र जसे अभक्ष्य पदार्थ हैं वैसे ही ब्राह्मण-क्षत्रिय और वश्य आदि सुरा (शराब) रूपी मल को न पीवें क्योंकि मल मूत्र तो शूकर (सूअर) आदि पशु ही खाते है। मनुष्य नहीं।

पतिलोकं न सा याति ब्राह्मणी या सुरां पिबेत् ।
इहैव सा शुनी गृध्री शूकरी चोप जायते ॥

—याज्ञवल्क्य स्मृति ५ १५६

जो ब्राह्मणी स्त्री शराब पीवे वह पतिलोक को प्राप्त नहीं होती अर्थात वह घर को नहीं बसा सकती-फिर भला वह अपने बाल बच्चों को क्या शिक्षा दे सकती है। वह तो इस लोक में मल खाने वाली कुतिया गिधनी तथा सूकरी हो जाती है। यही दशा शराब पीने वाले पति की भी होती है।

यक्षरक्षःपिशाचान्नं मद्यं मांसं सुरासवम् ।
तद् ब्राह्मणेन नात्तव्यं देवानामश्नता हविः ॥

—मनुस्मृति ११ ९५

मद्य मांस आदि तो यक्ष राक्षस पिशाच और नीच चाण्डालों के भोज्य एवं पेय पदार्थ हैं। अतएव ब्राह्मण (ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य) को उनका सेवन नहीं करना चाहिए-क्योंकि उन देवताओं का भोजन तो द्रव्य पदार्थ हैं।

स्वाद एवं सुगन्ध से भरपूर !



पं. देवीप्रसाद प्रयागदत्त.

कलकत्ता. कन्नौज. कानपूर. नागपूर. हैदराबाद.

फोन	कलकत्ता	कन्नौज	कानपुर	नागपुर	हैदराबाद
	३, २८२६	५१	५३१८५	२३७९८	५३ ५०

मध्यावधि निर्वाचन

प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी व मन्त्रिमण्डल की सलाह पर राष्ट्रपति श्री वी० वी० गिरि ने २७ दिसम्बर १९७० को चौथी लोक सभा को ३ वर्ष और २८५ दिन के बाद ही भंग कर दिया। लोक सभा की सामान्य कालावधि पांच वर्ष होती है। वस्तुतः प्रधानमन्त्री का दल कांग्रेस विभाजन के बाद नवम्बर १९६९ में अल्पमत में रह गया था। अतः राज्यसभा में प्रीवीपर्स के मामले में सत्तारूढ़ दल की पराजय हुई थी। प्रधानमन्त्री श्रीमती गांधी ने अपनी "धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी नीतियों को लागू करने के लिये" जनादेश की अभियाचना देश के २८ करोड़ मतदाताओं के समक्ष की। इन २८ करोड़ मतदाताओं में दो करोड़ मतदाता पहली बार मतदान करने वाले थे। १ से १० मार्च १९७१ तक चुनाव सम्पन्न हुए।

५१८ सीटों में से नयी कांग्रेस को ३५० सीटें मिलीं। यह दो तिहाई बहुमत से ४ अधिक थी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को २५, कम्युनिस्ट पार्टी को २३, जनसंघ को २२, संगठन कांग्रेस को १६, निर्दलीय को १३, स्वतन्त्र को ८, ससोपा को ३ और प्रसोपा को २ सीटें मिलीं। अन्यों को ४३, तेलंगाना प्रजासमिति को १०, द्रमुक को २३, मुस्लिम लीग को ४, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी और केरल कांग्रेस को ३ ३ झारखंड पार्टी को २ तथा विशाल हरियाणा पार्टी, उत्कल कांग्रेस, बंगला कांग्रेस, अकाली दल, फारवर्ड ब्लाक, भा० क्रा० दल, रिपब्लिकन पार्टी और पहाड़ी नेता दल को १ १ सीट मिली।

हालांकि १६५ विरोधी सदस्य जीते थे पर इनमें से ७३ के सामने नयी कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं थे। इन ७३ में से २३ द्रमुक के, २१ (२३ में से) कम्युनिस्ट पार्टी ३ मुस्लिमलीग (४ में से) के, केरल कांग्रेस के ३ और क्रान्तिकारी समाजवादी पार्टी के २ (३ में से) थे।

निर्दलीय भी कम हुए

अन्य दलों की तरह निर्दलीय सदस्यों की भी इस बार संख्या घट गई। १९५२ में १०६ निर्दलीय आये थे १९५७ में यह संख्या ७३ तथा १९६२ में ६० रह गई। भंग लोक-सभा में ३५ निर्दलीय थे और २५ का संयुक्त निर्दलीय प्रगतिशील ग्रुप था ... १३ निर्दलीय सदस्य हैं। यद्यपि इस बार निर्दलीय प्रत्याशियों ... की अपेक्षा अधिक थी। अधिकांश निर्दलीयों की ... विकास के लिए शुभ लक्षण माना जा सकता है।

: ३८ :

मध्यावधि निर्वाचन

प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी व मन्त्रिमण्डल की सलाह पर राष्ट्रपति श्री वी० वी० गिरि ने २७ दिसम्बर १९७० को चौथी लोक सभा को ३ वर्ष और २८५ दिनों के बाद ही भंग कर दिया। लोक सभा की सामान्य कालावधि पांच वर्ष होती है। दरअसल प्रधानमन्त्री का दल कांग्रेस विभाजन के बाद नवम्बर १९६९ में अल्पमत में रह गया था। अतः राज्यसभा में प्रीवीपर्स के मामले में सत्तारूढ़ दल की पराजय हुई थी। प्रधानमन्त्री श्रीमती गांधी ने अपनी 'धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी नीतियों को लागू करने के लिये" जनादेश की अभियाचना देश के २८ करोड़ मतदाताओं के समक्ष की। इन २८ करोड़ मतदाताओं में दो करोड़ मतदाता पहली बार मतदान करने वाले थे। १ से १० मार्च १९७१ तक चुनाव सम्पन्न हुए।

५१८ सीटों में से नयी कांग्रेस को ३५० सीटें मिलीं। यह दो तिहाई बहुमत से ४ अधिक थीं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को २५, कम्युनिस्ट पार्टी को २३, जनसंघ को २२, संगठन कांग्रेस को १६, निर्दलीय को १३, स्वतंत्र को ८, ससोपा को ३ और प्रसोपा को २ सीटें मिलीं। अन्यों को ५३, तेलंगाना प्रजासमिति को १०, द्रमुक को २३, मुस्लिम लीग को ४, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी और केरल कांग्रेस को ३-३, झारखंड पार्टी को २ तथा विशाल हरियाणा पार्टी, उत्कल कांग्रेस, बंगला कांग्रेस, अकाली दल, फारवर्ड ब्लाक, भा० क्रा० दल, रिपब्लिकन पार्टी और पहाड़ी नेता दल को १-१ सीट मिली।

हालांकि १६५ विरोधी सदस्य जीत गये पर इनमें से ७३ के सामने नयी कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं थे। इन ७३ में से २३ द्रमुक के, २१ (२३ में से) कम्युनिस्ट पार्टी, ३ मुस्लिमलीग (४ में से) के, केरल कांग्रेस के ३ और क्रान्तिकारी समाजवादी पार्टी के २, (३ में से) थे।

निर्दलीय भी कम हुए

अन्य दलों की तरह निर्दलीय सदस्यों की भी इस बार संख्या घट गई। १९५२ में १०६ निर्दलीय आये थे। १९५७ में यह संख्या ७३ तथा १९६२ में ६० रह गई। भंग लोकसभा में ३५ निर्दलीय थे और २५ का संयुक्त निर्दलीय प्रगतिशील ग्रुप था परन्तु अब केवल १३ निर्दलीय सदस्य हैं। यद्यपि इस बार निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या गत चुनावों की अपेक्षा अधिक थी। अधिकांश निर्दलीयों की जमानतें जब्त हो गईं। यह लोकतन्त्र के विकास के लिए शुभ लक्षण माना जा सकता है।

७५ करोड रुपये व्यय

उक्त चुनाव मे कितना खर्च हुआ है इस विषय पर बहुत से अनुमान लगाये जा रहे हैं लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक विशेषज्ञ ने यह हिसाब लगाया है कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियो और उम्मीदवारो ने लोकसभा के चुनाव के लिए ४८.७५ करोड रुपए खर्च किये हैं। यह हिसाब इस अनुमान को लेकर लगाया गया है कि प्रत्येक चुनाव क्षेत्र मे सभी उम्मीदवारो ने मिलकर ५ लाख रुपया खर्च किया है। क्योंकि ५१८ चुनाव क्षेत्र मे चुनाव हुए है। इसलिए कुल खर्च ४१ करोड ७८ लाख रुपया बैठता है।

लेकिन उपरोक्त निर्दिष्ट ४१.७८ लाख रुपये मे राज्य विधान सभा के लिए होने वाला खर्च नही है। इस बात का अनुमान लगाया गया है कि उडीसा, पश्चिमी बगाल और तमिलनाडु की तीन राज्य विधान सभाओ के चुनाव पर कम से कम १९ करोड रुपयाँ और खर्च हुआ होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियो और उम्मीदवारो ने लोक सभा तथा तीन राज्य विधान सभाओ के चुनाव पर ६० करोड ७५ लाख रुपया खर्च किया है।

परन्तु सरकारी खर्च इसके अतिरिक्त हैं। चुनाव आयोग के सूत्रो ने यह बताया है कि पोलिंग बूथ लगाने, पपरो की छपाई और बक्से उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने तथा वोटरो की लिस्ट छपाने पर कुल खर्च १५ करोड रुपए के लगभग आया है।

इस १५ करोड रुपये की राशि के अतिरिक्त विभिन्न राज्यो मे विशेष रूप से पश्चिमी बगाल मे कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये सरकार को लगभग २० करोड रुपया व्यय करना पडा है। चुनाव के बीच काम करने वाले सरकारी कर्मचारियो के वेतन और महगाई भत्ते की कुल राशि ५ करोड रुपये बनता है। क्योंकि चुनाव प्रबन्ध के कारण सेना तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पडा है इसलिए इस पर भी काफी खर्च हुआ है। इन सभी खर्चों को देखते हुए यही कहना उपयुक्त होगा कि केन्द्रीय और राज्य सरकारो ने कुल मिलाकर ३५ करोड रुपया खर्च किया है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि मध्यावधि चुनाव मे देश को ७५ करोड रुपए के खर्च का बोझ वहन करना पडा। इसमे ३५ करोड सरकारी खजाने से खर्च हुआ और ४० करोड रुपया राजनैतिक पार्टियो और उम्मीदवारो ने खर्च किया।

मान्यता प्राप्त

लोकसभा के मध्यावधि चुनाव मे गहरी पराजय के बाद प्रसोपा, ससोपा तथा स्वतन्त्र पार्टी की अखिल भारतीय दल की मान्यता समाप्त हो गई।

उक्त तीनो दलो को वैध मतो का ४ प्रतिशत मत नही प्राप्त हो सका जो अखिल भारतीय स्तर की मान्यता के लिए आवश्यक है।

लोकसभा के साथ ही उडीसा, तमिलनाडु व प० बगाल तीनो विधानसभाओ के चुनाव भी सम्पन्न हुए।

लोकसभा मध्यावधि चुनाव परिणाम १९७१

	१९७१ में प्राप्त सीट	स्थान लड़े	मिले वैध मतों का प्रतिशत
कांग्रेस	३५०	४४२	४३ ०१
कांग्रेस (संगठन)	१६	२३८	१० ४७
जनसंघ	२२	१५७	७ ०२
स्वतन्त्र पार्टी	८	५९	३ ०९
ससोपा	३	९२	३ ४३
प्रसोपा	२	६२	१ ०९
कम्युनिस्ट	२३	८७	४ ३७
कम्युनिस्ट (मार्क्स)	२५	८४	५ १४
द्र० मु० क०	२३	२४	३ ८५
तेलंगाना प्र० स०	१०	१२	
बा० सा० पा०	३		
मुस्लिम लीग	४		
भाक्राद	१	१०१	२ २२
निर्दलीय व अन्य	२५		

आंध्र प्रदेश

कुल स्थान	४१
कुल मतदाता	२ २५ ६६ ४११
कुल मतदान	१ ३४,२० ८०४
प्रतिशत	५९ ४

दल	प्राप्त मत	वैध मतों का प्रतिशत	स्थान लड़े	जीते
कांग्रेस (संगठन)	७ २५ ६६६	५ ५	१२	—
कांग्रेस	७२ ८६ ०६६	५४ ८	३७	२८
स्वतन्त्र	५ ६७ ७७७	५ ०	९	—
जनसंघ	२ ०५ ५५६	१ ६	५	—
कम्यु०	७ ७६ ०१६	६ ०	११	१
कम्यु० (मा)	२ ६८ ७१३	३ ०	५	१
ससोपा	४० ८५३	० ४	२	—
रिपब्लिकन	३३ ७०८	० ४	४	—
तेलंगाना प्रजा समिति	१८ ८२ ५८६	१४ ०	१४	१०
तेलंगाना कांग्रेस	४१ ५४८	० ४	७	—
मायनर्टीज और लेबर पार्टी	४० ९९८	० ४	६	—
वक्कड कनाम महासभा	६ ९२६	० १	१	—
रामराज्य परिषद्	४३६	—	१	—
निर्दलीय	१० ७३ ३९२	८ ५	९३	१

असम

कुल स्थान १४
कुल मतदाता ६३,०७ ३६५
कुल मतदान ३१,७७ १४३
प्रतिशत ५० ३७

दल	प्राप्त मत	वैध मतों का प्रतिशत	स्थान लड़े	जीते
कांग्रेस	१७ २४ ९९८	५६ ९	१३	१३
कांग्रेस (संगठन)	८८ १५५	६	१०	—
स्वतन्त्र	७ ०३३	० २	१	—
जनसंघ	७९ ४९२	२ ५	१	—
कम्युनिस्ट	१ ८०,६७७	५ ९	५	—
कम्यु (मा)	६० ७७०	१ ९	२	—
ससोपा	६१ २८१	१ ९	४	—
प्रसोपा	१ ३७ ६२८	४ ५	९	—
आलपार्टी हिलसीड्स कांग्रेस	९० ७७२	३ ०	१	१
निर्दलीय	६ ९८ ५६६	१ ८	९	—

बिहार

कुल स्थान ५३
कुल मतदाता ३ ०६ ११ ०६२
कुल मतदान १ ५० ६६ ६१
प्रतिशत ४८ ८३

दल	प्राप्त मत	वैध मतों का प्रतिशत	स्थान लड़े	जीते
कांग्रेस	४६ ७७ २८३	३३ ७५	५७	३६
कांग्रेस (संगठन)	१७ १४,३५७	११ ५७	४४	३
स्वतंत्र	३३ ३३१	० ०२	३	—
जनसंघ	१८ ०१ ७७२	१२ ६०	२८	२
ससोपा	१४ १० २५१	६ ५२	२८	२
कम्युनिस्ट	१४ ७७ १४६	६ ६८	१७	५
कम्युनिस्ट (मा)	१ १३ ३७३	० ७६	४	—
प्रसोपा	१ ४२ १००	० ९६	१२	—
भाक्राद	१ ३९ १००	० ९५	१३	—
झारखण्ड	१ २० ३००	० ८१	१२	१
जनता	१ ३६ ०६१	० ९६	४	—
निदलीय एव अन्य	२७ ५० ६५२	१० ५६	२२८	१

३ गुजरात

कुल स्थान	२४
कुल मतदाता	१,१५ ३४,५६५
कुल मतदान	६४,२२ ७३२
प्रतिशत	५५ ६

दल	प्राप्त मत	वध मतो का प्रतिशत	स्थान लड़े	जीते
कांग्रेस	२७,४६ ५१५	४४ ८	२३	११
कांग्रेस (सग)	२४,३३,६४३	३९ ६	१९	११
स्वतंत्र	३ ३४,८५८	५ ४	४	२
जनसघ	१ ३४,७९१	२ २	५	—
प्रसोपा	६७ ४१८	१ ०	१	—
निर्दलीय एवं अन्य	३ ७८,८०७	६ १	६६	—

हरियाणा

कुल स्थान	९
कुल मतदाता	४७ ६८ ०३२
कुल मतदान	३०,६८ ६६९
प्रतिशत	६४ ३

दल	प्राप्त मत	वध मतो का प्रतिशत	स्थान लड़े	जीते
कांग्रेस	१५ ७२ ९२९	५२ ७३	९	७
कांग्रेस (सगठन)	३,३९ २१३	११ ३७	४	—
जनसघ	३ ३४,८३०	११ २२	३	१
विशाल हरियाणा पार्टी	२ ७४ ०९१	९ १९	३	१
भाक्राद	१६,९७८	० ५६	२	—
कम्युनिस्ट (मा०)	३ ९१७	० १३	१	—
ससोपा	८६ ५१०	२ ९०	१	—
प्रसोपा	५ ९४२	० १९	२	—
फारवर्ड ब्लाक	१८,७०२	० ६३	२	—
आर्य सभा	१३ ०७७	० ४४	१	—
प्राउटिस्ट	३ १०८	० १०	१	—
रिपब्लिकन पार्टी	१४,६६५	० ४९	३	—
अकाली दल			१	—
निर्दलीय	२,९९,१६८	१० ०५	३०	—

हिमाचल प्रदेश

कुल स्थान ३
कुल मतदाता १२ ५२ २२६
कुल मतदान ५ २८ ६४३
प्रतिशत ४३

दल	प्राप्त मत	वैध मतों का प्रतिशत	स्थान लड़े	जीते
कांग्रेस	४०२ ००२	७६ ६६	३	[illegible]
कांग्रेस (संगठन)	१३ ६६८	२ ६८	२	—
जनसंघ	७२ ५४२	१३ ८६	२	—
लोकराज्य पार्टी	८ २६०	१ ५६	१	—
कम्युनिस्ट पार्टी	११ २४६	२ १५	१	—
स्वतन्त्र पार्टी	५ ७६७	१ ०६	१	—
निर्दलीय	८ ४५०	१ ६४	४	—

जम्मू-कश्मीर

कुल मतदाता २० ५३ ३२६
कुल मतदान ११ ८१ ०२४
प्रतिशत ५७ ५३

दल	प्राप्त मत	वैध मतों का प्रतिशत	स्थान लड़े	जीते
कांग्रेस	६ ०६ ६०६	५४ ००	५	५
जनसंघ	१ ४२ ७५०	१२ ०१	३	—
जमायते इस्लामी	१ ६८ ६७७	१५ ००	२	—
प्रसोपा	५ ३३२	० ०४	१	—
अकाली दल	१२ ६५८	१ ०१	२	—
अन्य दल एवं निर्दलीय	१ ९६ ६१३	१७ ००	५	१

केरल

कुल स्थान १९
कुल मतदाता १ ०२ २२ २७४
कुल मतदान ६५ ९१ १९७
प्रतिशत ६४ ४८

दल	प्राप्त मत	वैध मतों का प्रतिशत	स्थान लड़े	जीते
कांग्रेस	१ २८ ९६०	१९ ७६	७	६
कांग्रेस (संगठन)	९० ८८७	१ ४०	४	—
स्वतन्त्र पार्टी	१४ ७१६	० २४	१	—
जनसंघ	९१,१८७	१ ३४	३	—

कम्युनिस्ट	५ ६३ ७६१	६ १०	३	३
कम्युनिस्ट (मा०)	१७ ११ ४८७	२६ २१	११	२
मुस्लिम लीग	३ ६६ ७०७	५ ६३	२	२
केरल कांग्रेस	५ ४२,४३१	८ २१	३	३
रिवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी	४,१६ ७६६	६ ४८	२	२
प्रसापा	१ ८३ ७८५	२ २१	१	—
ससापा	५७ ३८७	० ८८	२	—
निर्दलीय	१२ ०७ २१३	१८ ८८	२८	१

मध्य प्रदेश

कुल स्थान	३७
कुल मतदाता	१ ६५ ५६,८६८
कुल मतदान	६६ ६८,८६१
प्रतिशत	४८ ०३

दल	प्राप्त मत	वैध मतों का प्रतिशत	स्थान लड़े	जीते
कांग्रेस	४० २४,६४६	४५ ५८	३६	२१
कांग्रेस (संगठन)	२ ०० ४०६	२ २७	५	—
जनसंघ	२६ ६८ २३८	३२ ५७	२८	११
प्रसोपा	१७ २६८	० २२	६	—
ससोपा	१ ३८ ५५०	१ ५७	५	१
कम्युनिस्ट (मा)	५ ३६२	० ०६	१	—
कम्युनिस्ट	—	—	४	—
स्वतन्त्र पार्टी	८ २८२	० ०६	१	—
अन्य	६० ८८२	० ८६	८	—
निर्दलीय	१२,३० ८४८	१३ ६४	७३	४

महाराष्ट्र

कुल स्थान	४५
कुल मतदाता	२ ३४ ५० ६५२
कुल मतदान	१ ४० ८५ ६३०
प्रतिशत	५६ ६०

दल	प्राप्त मत	वैध मतों का प्रतिशत	स्थान लड़े	जीते
कांग्रेस	८६ ५६ ६४८	६३ ७७	४३	४२
कांग्रेस (संगठन)	३ ७८ ७४८	२ ७६	६	—
ससापा	३ ०२,६७१	२ २३	६	—
प्रसापा	२ ३३ २८६	१ ७२	८	१
जनसंघ	७ २७ १६७	५ ३५	१३	—
रिपब्लिकन (गायकवाड)	१ ५२ ७६४	१ १३	१	१
रिपब्लिकन (खोब्रागडे)	३ ०१ ६११	२ २२	१२	—

रिपब्लिकन (काम्बले)	३२,१६२	० २४	७	—
कम्युनिस्ट पार्टी	२ ३२ ३४७	१ ७१	८	—
कम्युनिस्ट पार्टी (मा)	६७,१६६	० ४६	२	—
भाक्राद	१ ७५ ७१	१ २६	८	—
फारवर्ड ब्लाक	१ ७६ २००	१ २६	२	—
शिवसेना	२ २७,४६८	१ ६७	५	—
प्राउटिस्ट	५ ६४७	० ०८	३	—
हिन्दू महासभा	३१८	० ०२	१	—
महाविदर्भ संघर्ष समिति	२ ६६६	० २२	१	—
निर्दलीय	११ ६३ ६६८	८ ५६	६१	—

कर्नाटक (मैसूर)

कुल स्थान	२७
कुल मतदाता	१ ३७ ८६ ६८३
कुल मतदान	७६ ४५ ३४७
प्रतिशत	५५

दल	प्राप्त मत	वैध मतों का प्रतिशत	स्थान लड़े	जीते
कांग्रेस	५४,१८ ५३६	७१ ००	२७	२७
कांग्रेस (संगठन)	१२ ५१ २५५	१६ ४०	१७	—
स्वतन्त्र पार्टी	२ ७६ ६१०	३ ६०	५	—
जनसंघ	१ ४५ ५३१	१ ६०	२	—
ससोपा	७६ १११	१ ०४	१	—
कम्युनिस्ट पार्टी	६ ६१४	० ०८	१	—
प्रसोपा	६७,३०१	१ २८	५	—
कम्युनिस्ट (मा)	४५ १८८	० ६०	२	—
निर्दलीय	३,२१,६०१	४ १०	४३	—

नागालैंड

कुल मतदाता	२ ७५ ४५६
कुल मतदान	१ ४८ ०२५
प्रतिशत	६० ६

दल	प्राप्त मत	वैध मतों का प्रतिशत	स्थान लड़े	जीते
यूनाइटेड फ्रंट आफ नागालैंड	८६ ५१४	६० ०५	१	१
नागालैंड नेशनलिस्ट आर्गनायजेशन	५८,५११	३६ ०५	१	—

पजाब

कुल स्थान	१३
कुल मतदाता	६९ ४१,४५४
कुल मनदान	४१ १४ ४६२
प्रतिशन	५८ ८

दल	प्राप्त मत	वैध मता का प्रतिशत	स्थान लडे	जीते
काग्रस	१८,७३,८६२	४५	११	१०
काग्रेस (सगठन)	१,८६,८९५	४ ५	४	—
अकाली दल	१२ ५७ ८०२	३ १	१२	१
जनसघ	१ ८१,३१६	४ ४	५	—
कम्युनिस्ट	२,५३,८००	५ ९	२	२
कम्युनिस्ट (मा)	८९,६४३	२ २	३	—
ससोपा	२९,३३१	० ७	३	—
रिपब्लिकन	१८ ०९५	० ४	२	—
प्रसोपा	२,८९९	० ७	१	—
निदलीय	१,८३ ३४३	४ ५	३९	—

उडीसा

कुल स्थान	२०
कुल मतदाता	१ ०८,४५,२३५
कुल मतदान	४६,८४,८०१
प्रतिशत	४३ २

दल	प्राप्त मत	वध मतो का प्रतिशत	स्थान लडे	जीते
काग्रेस	१७ १५,९८७	३८ ४	१९	१५
काग्रेस (सगठन)	१ ००,३९२	२ २	६	—
स्वतत्र	७ १०,०९५	१५ ७	१३	३
जनसघ	९ ९३०	० २	१	—
उत्कल काग्रस	१० ५३ १६४	२३ ६	२०	१
प्रसोपा	३ ०८ ३४०	६ ९	६	—
कम्युनिस्ट	१ ९४ २७३	४ ४	३	१
कम्युनिस्ट (मा)	४५ ७०३	१ ०	१	—
झारखण्ड	७३ ९००	१ ६	२	—
ससोपा	८१,८४३	१ ८	२	—
जनकाग्रेस	६० १०३	१ ६	२	—
फारवड काग्रस	२२ ९५६	० ५	१	—
निदलीय	८७ २९४	१ ९	९	—

राजस्थान

कुल स्थान	२३
कुल मतदाता	१ ३२ ६६ ५५६
कुल मतदान	१० ५८ ०३६
प्रतिशत	५४ ०४

दल	प्राप्त मत	वैध मतो का प्रतिशत	स्थान लड़ा	जीत
काग्रेस	३४ ८६ ३३४	५० ३५	२३	१४
काग्रेस (सगठन)	१ १४ ३८४	१ ६५	४	—
स्वतत्र	१० १४ २०७	१४ ६५	८	२
जनसघ	८ ५७ ००१	१२ ३८	७	४
भाक्राद	२ ७० ८१३	२ ९१	[illegible]	—
ससोपा	१ ७४ २३३	२ ५२	[illegible]	—
कम्युनिस्ट	०४ २६८	० ४६	१	—
कम्युनिस्ट (मा)	४५,५४६	० ६६	[illegible]	—
विशाल हरियाणा पार्टी	७४ ३८२	१ ०६	१	—
निर्दलीय	८,५४ १२२	१२ ३३	७३	२

तमिलनाडु

कुल स्थान	३९
कुल मतदाता	२ ३० ६४,९८५
कुल मतदान	१ ६४ ६५ ६४२
प्रतिशत	१७ ८२

दल	प्राप्त मत	वैध मतो का प्रतिशत	स्थान लड़ा	जीत
काग्रेस	१९ ९५ ५६७	१२ ५१	९	९
काग्रेस (सगठन)	४८ ५३ ५३४	३० ४३	२९	१
स्वतत्र	१४ ७९ ६६३	९ २८	९	—
जनसघ	३ ९४४	० ०२	१	—
कम्युनिस्ट	८ ६६ ३९९	५ ४३	४	४
कम्युनिस्ट (मा)	२ ६० ८३३	१ ६४	६	—
ससोपा	१ ४१ ६०५	० ८९	१	—
द्रमुक	५६ २२ ७५८	३५ २५	२४	२३
फारवर्ड ब्लाक	२ ०८ ४३१	१ ३१	१	१
निर्दलीय	५ १६,४४८	३ २४	२७	१

उत्तर प्रदेश

कुल स्थान ८५
कुल मतदाता ४५६ ६६ २ ५
कुल मतदान २ १०,६२ ३५२
प्रतिशत ४६ १५

दल	प्राप्त मत	वैध मतों का प्रतिशत	स्थान लड़े	जीत
काग्रेस	६६ ८३ २६८	४८ ५७	७८	७३
काग्रेस (सगठन)	१० ६५ १४७	८ ५८	४४	१
जनसघ	२५ २४ २२७	१२ २८	२७	४
स्वतत्र	६ ५७८	० ५०	३	—
ससोपा	८ ४२ ८६८	४ १०	२५	—
कम्युनिस्ट	७ ६० ८८६	३ ७०	६	४
प्रसोपा	४७,३३४	० २३	७	—
कम्युनिस्ट (मा)	२६ ८२१	० १६	३	—
भाक्राद	२६,११ ११८	१२ ७०	६७	१
निर्दलीय एव अन्य	१६ ७२ २२२	६ ६०	२७०	२

पश्चिमी बगाल

कुल स्थान ४०
कुल मतदाता २,१७,१४ ७४५
कुल मतदान १ ३७ ४२ ३५१
प्रतिशत ६३ २६

दल	प्राप्त मत	वैध मतों का प्रतिशत	स्थान लड़े	जीत
काग्रेस	३५ ६८ ६६५,	,२७ ३३	३१	१३
काग्रेस (सगठन)	६ १५ १४७	६ ६५	३४	—
कम्युनिस्ट (मा)	४४ ८५ ८०४	५४ २१	३८	२०
कम्युनिस्ट	१३ ८० ८१३	१० ३०	१५	३
फारवर्ड ब्लाक	३ ५३ १७६	२ ६८	१०	—
प्रसोपा	१ ६८ ११६	१ २०	३	१
ससोपा	१ १२ १८६	० ८५	४	—
बगला काग्रेस	५ १८ ७८१	३ ६८	१४	१
जनसघ	१ ११ ६७५	० ८५	४	—
रिवाल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी	२ ६६ १८५	२ ०२	५	१
मुस्लिम लीग	६० ५७८	० ४७	२	—
निर्दलीय एव अन्य	११ ६६ ५०४	६ ०६	३	१

संघ शासित क्षेत्र अंडमान निकोबार

कुल मतदाता ६३ १२२
कुल मतदान ४४ ५२५
प्रतिशत ७० ५

दल	प्राप्त मत	वैध मतों का प्रतिशत	स्थान लड़े	जीते
कांग्रेस	२७,३७३	६१ ५	१	१
निर्दलीय	१७ १५२	३८ ५	४	—

चंडीगढ़

कुल स्थान १
कुल मतदाता ११६,५००
कुल मतदान ७३ ४१८
प्रतिशत ६३ ०२

दल	प्राप्त मत	वैध मतों का प्रतिशत	स्थान लड़े	जीते
कांग्रेस	४८ ३३५	६६ ८५	१	१
जनसंघ	१६ ८५४	२३ ३१	१	—
निर्दलीय	७,११३	९ ८४	२	—

दादरा नगर हवेली

कुल मतदाता ३३ ०१२
कुल मतदान २३ ०४७
प्रतिशत ६९ ६

दल	प्राप्त मत	वैध मतों का प्रतिशत	स्थान लड़े	जीते
कांग्रेस	८ ४८४	३९ १	१	१
कांग्रेस (संगठन)	७,१३८	३२ ९	१	—
कम्युनिस्ट (मा)	६ ०३६	२७ ७	१	—

दिल्ली

कुल स्थान ७
कुल मतदाता २०,७०,३६६
कुल मतदान १३,१४,४८०
प्रतिशत ६५ १

दल	प्राप्त मत	वैध मतों का प्रतिशत	स्थान लडे	जीते
कांग्रेस	८,३५,६७३	६४ ४	[illegible]	७
कांग्रेस (संगठन)	२१ ३९८	१ ६	५	—
जनसंघ	३,८३,७९२	२९.३	७	—
स्वतन्त्र	१,२७६	० १	१	—
प्रसोपा	१,१९८	० १	२	—
ससोपा	१,४०५	० २	२	—
निर्दलीय	५३ १४६	४ १	४	—

गोवा, दमन और दीव

कुल मतदाता ६ ३५ १६८
कुल मतदान २ ३५ १०५
प्रतिशत ४० ६०

दल	प्राप्त मत	वैध मतों का प्रतिशत	स्थान लडे	जीते
कांग्रेस	५८ ८७३	२५ १	२	१
यूनायटेड गोअन्स	५८ ४०१	२४ ९	१	१
कांग्रेस (संगठन)	१ ७८२	० ७	१	—
निर्दलीय	५० ५६६	२१ ५	५	—
लोकपक्ष	२ ८५३	१ २	२	—
महाराष्ट्र गोमान्तक	५४ ५९७	२३ २	१	—
म० गो० (विद्रोही ग्रुप)	८ ०३३	३ ४	१	—

विधानसभा निर्वाचन-१९७२

मार्च १९७२ में १६ राज्यों और दो संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव सम्पन्न हुए। कांग्रेस को १४ राज्यों तथा एक संघ शासित क्षेत्र में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। इस चुनाव में विभिन्न दलों द्वारा खड़े किये गये प्रत्याशियों, प्राप्त स्थान तथा पूर्व की स्थिति इस प्रकार है —

दल	प्रत्याशी	विजयी	पूर्व सदन में
कांग्रेस	२५२४	१९२७	१३८२
जनसंघ	१२३३	१०५	१७५
संगठन कांग्रेस	८७२	८८	२०७
कम्युनिस्ट पार्टी	३२५	११२	७६
कम्युनिस्ट (मा)	४६२	३४	१२८
सोशलिस्ट	६५३	५८	११७
स्वतंत्र	३०८	१६	५४
अन्य दल	६६७	१३४	१५५
निर्दलीय	८९५५	२४९	२३२
कुल	११९९८	२७२३	१५२७

आंध्र प्रदेश

कुल स्थान	२८७
कुल मतदाता	२ ४५ ८९ ५७४
कुल वैध मतदान	१ ४२ ६८ ०९०
कुल स्थान	२८७

दल	विजित स्थान	प्राप्त मत	कुल मतदान का प्रतिशत
कांग्रेस	२१९	७४ ७८ ५४०	५२ ०
कांग्रेस संगठन	—	२६ ३२२	० २
जनसंघ	—	३ ४२ ९२४	२ ४
स्वतंत्र	२	३ ०५ ५७४	२ १
कम्युनिस्ट	७	८ ६१ ०८१	६ १
कम्युनिस्ट (मा)	१	४ २९ २८५	३ १
अन्य	२	२ ६० ०७८	१ ८
निर्दलीय	५६	४५ ६४ २८६	३२ ३

असम

कुल स्थान	११४
कुल मतदाता	६२ ४५ ९४२
कुल मतदान (प्रतिशत)	३८ ४९ ८५३ (६१ ३)
अवैध मत	१ ३६ १२३

दल	विजित स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
कांग्रेस	९५	१९ ७५ २०५	५३ १९
कम्युनिस्ट	३	२ ०९ ५५०	५ ६४

कम्युनिस्ट (मा०)	—	९६ ६६७	२ ५६
सोशलिस्ट	४	२,१४,३४२	५ ७७
कांग्रेस स०	—	१७,३६७	० ४७
जनसंघ	—	१०,०६१	० २७
स्वतन्त्र	१	२१,६६३	० ५८
निर्दलीय	११	११ ६६,४४५	३१ ४६
कुल	११४	३७,१३,७३०	१०० ००

बिहार

कुल स्थान ३१८
मतदाता ३ ३१,३४ १८३
मतदान १ ७४,८७,५६१
अवैध मत ३,३२,४५४

दल	प्राप्त स्थान	वैध मतदान	प्रतिशत
कांग्रेस	१६७	५८,५३,४३२	३४ १२
कांग्रेस (स०)	३०	२२ ८५,६७६	१३ ६१
कम्युनिस्ट	३५	१२ ०३,७०६	७ ०२
कम्युनिस्ट (मा०)	—	३ ७३ २६६	१ ४६
सोशलिस्ट पार्टी	३३	२७ ५६,३६६	१६ ८
जनसंघ	२५	२० ६५ १३६	१२ ०४
स्वतन्त्र	१	१ ३७,४७८	० ८०
अन्य	१३	६ ५७,१३४	३ ८४
निर्दलीय	१४	१८ १६,६०७	१० ६०

अन्य दलों में प्रसोपा के ४ हिसाब के ७, झारखंड ग्रुप के ७ अंकित हैं।

दिल्ली महानगर परिषद

कुल स्थान ५६

दल	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
कांग्रेस	४४	६,८१ ३३२	४८ ५४
संगठन कांग्रेस	२	२७ ५३३	१ ६६
जनसंघ	५	५ ४०,०३०	३८ ७४
स्वतंत्र पार्टी	—	१,०१२	० ०७
कम्युनिस्ट	३	५६,१६७	३ ८६
सोशलिस्ट पार्टी	—	४ ३४३	० ३१
निर्दलीय	१	७५ ८८६	५ ४१
मुस्लिम लीग	१	१६ ४०४	१ ३८

गुजरात

कुल स्थान १६८

दल	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
कांग्रेस	१३६	३८ ६६ ५१५	५० ५६
कांग्रेस (संगठन)	१६	१६ ३६ २११	२३ ७०
जनसंघ	३	६ १८,३८१	८ ६८
स्वतंत्र	—		
कम्युनिस्ट	१	३२ ८२६	० ८७
कम्युनिस्ट (मा)	—	१५ ५००	० २३
संसोपा	—	६६ ७३१	१ ००
निर्दलीय	८	८८ ८६ ५३	१२ २८

गुजरात के नेहसाम निर्वाचन क्षेत्र में १६ मार्च को हुए मतदान में कांग्रेस ही जीती।

गोआ

कुल स्थान ३०

दल	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
कांग्रेस	१	४१ ६१२	१३ ६४
महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी	१८	१ १६ ८५५	३८ ३१
यूनाइटेड गोअन्स पार्टी	१०	६६ १५६	३२ ५०
जनसंघ	—	१ १०३	० ३६
सोपा	—	३ ५५६	१ १७
कम्युनिस्ट (मा०)	—	२ २२४	० ७२
कम्युनिस्ट	—	४२६	० १४
अन्य	—	११ ४८३	३ ७६
निर्दलीय	१	२८ ६४६	६ ४०

हरियाणा

कुल स्थान	८१
मतदाताओं की कुल संख्या	५० ६१ २०७
मतदान	३५ ८७ ०३२
अवैध मत	६२ २३४
वैध मत	३४ ६४ ७६८

दल	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
कांग्रेस	५२	१६ ३८ ६१२	४६ ६०
कांग्रेस (संगठन)	१२	३ ७७,४२७	१० ८०

जनसघ	२	२२८७६१	६ ५५
सोशलिस्ट	—	८६३३	० २५
कम्युनिस्ट	—	६९ ६३५	२००
कम्युनिस्ट (मा)	—	१२,६१७	० ३६
वि० ह० पा०	३	२४२,४४४	६ ९८
श्राय सभा	१	७७ ७३४	२ २२
एम० यू० सी०	—	२६४०	० ०७
आर० पी० आई०	—	६,८६४	० २०
आर० पी० आई० (के)	—	३६३६	■ १०
प्राकाद	—	१ ४८६	० ०४
निदलीय	११	८२३४०९	२३ ५७
कुल	८१	३४ ६४,७९८	१०० ००

हिमाचल प्रदेश

कुल स्थान ६८
मतदान १७,१० ४६४
मतदान ८३५ २२७
प्रतिशत ५० ६

दल	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
काग्रेस	५३	४,२३,८२१	५० ७०
काग्रेस (सगठन)	—	२३,१६५	२ ७०
जनसघ	५	६७ ०८५	८ ०३
कम्युनिस्ट	—	१६ ४५४	१ ९०
कम्युनिस्ट (मा)	१	९,६३८	१ १०
सोशलिस्ट	—	५८६	० ०७
निदलीय	६	२ ६६२ ६१६	३१ ००
लोकराज पार्टी	२	३१ ५६२	३ ७०
रिक्त	१	—	—

मध्य प्रदेश

कुल स्थान २९६
मतदाता ७०८४२१२९
मतदान ११३,५०,४३७

दल	प्राप्त स्थान	वध मतदान	प्रतिशत
काग्रेस	२२०	५१ ६२ ७७०	४८ १४
काग्रेस सगठन	—	२८,३५८	० २६
कम्युनिस्ट	३	१११ ४९७	१ ०४
कम्युनिस्ट (मा०)	—	४,४४७	० ०४

सोशलिस्ट	७	६,७०,१९८	६ २६
जनसंघ	४८	३०,५१,४८७	२८ ४६
स्वतंत्र	—	६२,५१५	० ५८
अन्य	—	१८,४४४	० १८
निर्दलीय	१८	१६,१३,७५५	१५ ०५
कुल	२९६	१ ०७,२३,४६२	१०० ००

महाराष्ट्र

कुल स्थान २७०
मतदाता २ ५८ ६१ ७६१
मतदान १ ५६ ७१ ४०८
अवैध मत ४,६५,७३२

दल	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
कांग्रेस	२२२	८५ १८ ६०३	५६ ३२
पी० डब्लू० पी०	७	८ ५६ ९९१	५ ६७
जनसंघ	५	९ ४५ ७२७	६ २५
संगठन कांग्रेस	—	१ ६४ ४५३	१ ०९
सोपा	३	६ ९३ ६६३	४ ५९
कम्युनिस्ट	२	४ १५ ८३०	२ ७५
कम्युनिस्ट (मा०)	१	१ १९ ३६४	० ७९
रिपब्लिकन	३	६ ०५ १९८	४ ००
शिवसेना	१	२ ७८ ८६८	१ ८४
स्वतंत्र	—	१४ २६९	० ०९
निर्दलीय	*२३	२५ १२ ५०३	१६ ६१
कुल	२७०	१ ५१ २५ ७१६	१०० ००

*निर्दलीय सफल प्रत्याशियों में मुस्लिम लीग के भी हैं।

मणिपुर

कुल स्थान ६०
मतदाता ६ ०५ ५[illegible]
मतदान [illegible]६० ६०[illegible] ([illegible])
अवैध मत ९ ४८

दल	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
कांग्रेस	१७	१ ३६ ३७	३० ३१
[illegible] कांग्रेस	१	१० ७०१	[illegible]
कम्युनिस्ट	५	४५ ७६४	१० १४

कम्युनिस्ट (मा०)	—	२ ६६१	० ६६
सोपा	३	२४,१६२	५ ३६
जनसघ	—	१,००४	२२
मणिपुर प्रजा परिषद	१५	६१,२४८	२० २१
निदलीय	१६	१,३६,१४७	३० ८३
कुल	६०	४,५१ ४२१	१०० ००

मेघालय

कुल स्थान	६०
मतदाता	४,१८,४६५
मतदान	२,१५ ७५१
अवैधमत	८ ७३६

दल	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
आल पार्टी हिल लीडस	३२	७५,८५१	३५ ५०
काग्रेस	६	२०,४७३	१० ००
कम्युनिस्ट	—	१,१८२	० ५०
निदलीय	१६	१ ११,५०६	५४ ००
कुल	६०	२ ०८ ००८	१०० ००

कर्नाटक (मैसूर)

कुल स्थान २१६

दल	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
काग्रेस	१६५	४६ २८,८३५	२३ ५६
सगठन काग्रेस	२४	२३,६० ३४४	२५ ६५
जनसघ	—	३,६६ ४७०	३ ६८
स्वतत्र पार्टी	—	५१ ४६१	० ५६
कम्युनिस्ट	३	८८ ६७८	० ९७
कम्युनिस्ट (मा०)	—	६२ ५१८	१ ०१
सोपा	३	१ ५२ २५६	१ ६५
निर्दलीय	२०	११ ४९ ३६९	१२ ४६
जनतापक्ष	१	१४,३६०	० १६

निदलीय सफल प्रत्याशियों में रिपब्लिकन १ द्रमुक १ और एम० ई० एस० के ३ प्रत्याशी भी सम्मिलित हैं।

पंजाब

कुल स्थान १०४

दल	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
कांग्रेस	६[illegible]	२० ८३ ३२८	४२ ८४
अकाली दल (संत ग्रुप)	[illegible]४	१३ ४४ ४२३	२७ ६४
कम्युनिस्ट	१०	[illegible]	[illegible] ५१
कम्युनिस्ट (मा०)	१	१ ५८ ३०६	३ [illegible]
जनसंघ	—	[illegible]	[illegible]
स्वतंत्र पार्टी	—	१ [illegible]	० ०१
संगठन कांग्रेस	—	११ ६५६	० [illegible]
सोपा	—	४४ ४६०	० ६[illegible]
अकाली दल (गुरनामसिंह ग्रुप)	—	[illegible] ३५३	० ८८
रिपब्लिकन	—	१३ [illegible]	० ८
निर्दलीय	[illegible]	[illegible] ०[illegible] १६	१ [illegible]
कुल	१०४	[illegible]	१०० ००

पश्चिम बंगाल

कुल स्थान २८०

दल	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
कांग्रेस	२१६	६५ ६१ ६४६	४९ ४४
संगठन कांग्रेस	२	१ ६६ ०५४	१ ४७
जनसंघ	—	२५ १४६	० १९
कम्युनिस्ट	३५	१७ ६१ ४३४	१३ २२
कम्युनिस्ट (मा०)	१४	३६ ७८ ५०२	२७ ६१
सोशलिस्ट पार्टी	—	१ ०६ ०६२	० ८१
निर्दलीय	८	१२ १५ १४८	७ २६
फारवर्ड ब्लाक	—	३ ३१ २३५	२ ४६
र० सोशलिस्ट पार्टी	३	२ ८६ ६८०	२ १५
मारवाड़ी लीग	२	२५ ८०२	० २६

राजस्थान

कुल स्थान १८४

दल	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
कांग्रेस	१४५	३९ ७६ १५०	५१ ०१
स्वतंत्र	११	९ ५८,१०२	१२ २९

जनसंघ	८	९ ४८,७३२	१२ १७
कांग्रेस म०	१	१ ०४,४०७	१ ३४
सोशलिस्ट	४	१ ८९ ८५१	२ ४४
कम्युनिस्ट	४	१ २१ ५९१	१ ५६
कम्युनिस्ट (मा०)	—	७४ ५१४	० ९६
विशाल हरियाणा	—	५० २६७	० ६४
रिपब्लिकन	—	२ १४७	० ०२
निर्दलीय	११	१३ ६९ ९०८	१७ ५७
कुल	१८४	७७ ९५ ४२०	१०० ००

त्रिपुरा

कुल स्थान ६०

दल	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
कांग्रेस	४१	२ २४ ८२१	४४ ८३
कम्युनिस्ट (मा०)	१६	२ ८९ ६६७	३७ ८२
कम्युनिस्ट	१	१५ २२६	३ ०३
फारवर्ड ब्लाक	—	५ ०२७	१ ०१
जनसंघ	—	३४५	० ०७
जटी जुना समिति	—	६ ८०४	१ ३६
आजाद	२	५९ ५८३	११ ८८
कुल	६०	५ ०१ ४७३	१०० ००

जम्मू-कश्मीर

कुल स्थान ७५

दल	प्राप्त स्थान
कांग्रेस	५८
जनसंघ	३
जमायतए इस्लामी	५
निर्दलीय	९

नगर परिषद्, जयपुर

जयपुर नगर एवं समस्त राजस्थान की जनता एवं उत्तरोत्तर विकासोन्मुख सतत् प्रयत्नशील सभी गणमान्य निवासियों, नागरिकों एवं श्रमिक वर्ग का

हार्दिक अभिनंदन करती है

एवं

राजस्थान की राजधानी और भारत के पेरिस एवं गुलाबी नगर जयपुर के सौंदर्य को अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु नगर के समस्त निवासियों से हरसंभव सहयोग की अपेक्षा करती हुई निरन्तर प्रगति की ओर अग्रसर है।

गत तीन वर्षों से निर्वाचित प्रतिनिधियों के कार्यकाल में परिषद् ने जो बहुमुखी प्रगति की ओर कदम बढ़ाये हैं एवं जो नवीन उपलब्धियां हासिल की हैं उनमें नागरिकगण द्वारा जो सहयोग मिला है उसके लिए परिषद आभार प्रकट करती है और यह अपेक्षा करती है कि भविष्य में भी सम्भव अधिकतम व भरपूर सहयोग नागरिकों की ओर से मिलता रहेगा।

उपलब्धियां

आय के आंकड़े	वर्ष	आय	वर्ष	आय
चुंगीकर	१९६७ ६८	रु० ७७,६२ ९९०	१९७२ ७३	रु० ९६,८६,०६३
गृहकर	"	७,६८ ९९३		११,३८,९५८
रूपिणी स्टेज फार्म	७२ ७३	१,८४,०००	१९७३ ७४	२,१८,०००
मुर्गी मण्डी	७२ ७३	३८,०००	१९७३-७४	६०,०००

इसी प्रकार अन्य आय में भी वृद्धि हुई है।

प्रकाश एवं जल की जो व्यवस्था तीन वर्ष पूर्व थी उसमें वर्तमान परिषद के कार्यकाल में अत्यन्त उल्लेखनीय वृद्धि हुई है एवं शहर के प्रमुख बाजारों एवं दीवारों के बाहर के क्षेत्रों में अनेक नये ट्यूब लाइटें व मरकरी बल्ब आदि लगाये गये हैं। प्रकाश व्यवस्था के मद में वर्तमान निर्वाचित परिषद के कार्यकाल में जो उल्लेखनीय प्रगति हुई उसकी एक झलक निम्न आंकड़ों से स्वतः ही स्पष्ट हो जाती है।

		१९६९ ७०	१९७२ ७३
लाइट पोईंट व ट्यूब लाइटें		८ ७४८	१२,७७७
विद्युत व्यय	३१ २ ७१ ११ रु०	६४ ००२ ४८	८०४,८६० ०५

शहर की कच्ची बस्तियों के सुधार हेतु भी पर्याप्त प्रयास किये गये हैं। परिषद् के अध्यक्ष एवं समस्त पार्षदगण नागरिकों का आह्वान करते हुये यह अपील करते हैं कि —

१ स्वच्छता हेतु कूड़ादानों में ही कूड़ा डालें व बच्चों को नाली पर टट्टी न बैठायें।

२ परिषद के करों का सामयिक भुगतान कर परिषद् को सबल बनावें।

३ महत्वपूर्ण स्थानों व भवनों आदि पर इश्तिहार व पोस्टर नहीं चिपकावें।

जी० डी० भारद्वाज
आयुक्त

राधामोहनलाल
अध्यक्ष

परिशिष्ट

केन्द्रीय मन्त्रिमंडल

१ श्रीमती इन्दिरा गाधी	प्रधानमत्री
२ श्री फखरुद्दीन अली अहमद	कृपि एव खाद्य
३ श्री यशवन्तराव बलवन्तराव चव्हाण	वित्त
४ श्री जगजीवनराम	रक्षा
५ श्री स्वर्णसिंह	विदेश
६ श्री टी० ए० प	भारी उद्योग
७ डा० कर्णसिंह	स्वास्थ्य एव परिवार नियोजन
८ श्री राजबहादुर	पयटन एव नागर विमानन
९ श्री क० ब्रह्मानन्द रड्डी	सचार
१० श्री हरि रामचन्द्र गोखले	विधि न्याय एव कम्पनी काय
११ श्री चि० सुब्रह्मण्यम	औद्योगिक विकास
१२ श्री उमाशकर दीक्षित	गृह
१३ श्री दुर्गाप्रसाद धर	योजना
१४ श्री ललितनारायण मिश्र	रेल
१५ श्री के० रघुरामैया	ससदीय मामल
१६ श्री भोला पासवान शास्त्री	निर्माण तथा आवास
१७ श्री देवकान्त बरुआ	पट्रोलियम व रसायन
१८ श्री कमलापति त्रिपाठी	परिवहन तथा जहाजरानी
१९ श्री केशवदव मालवीय	इस्पात तथा खान

राज्य मत्री

१ प्रो० एस० नूरुल हसन	शिक्षा तथा समाज कल्याण
२ डा० सरोजिनी महिषी	पयटन एव नागर विमानन
३ श्री र० क० खाडिलकर	पूर्ति एव पुनवास
४ श्री के० वी० रघुनाथ रड्डी	श्रम
५ इन्द्रकुमार गुजराल	सूचना एव प्रसारण
६ प्रो० शेरसिंह	सचार
७ श्री नीतिराजसिंह चौधरी	विधि न्याय एव कम्पनी काय
८ श्री ओम मेहता	ससदीय काय तथा आवास

९	श्री [illegible]	[illegible]
१०	श्री [illegible]	विदेश [illegible]
११	श्री [illegible]	औद्योगिक विकास
१२	श्री [illegible]	[illegible]
१३	श्री [illegible]	[illegible]
१४	श्री [illegible]	कृषि
१५	श्री [illegible]	कृषि
१६	श्री [illegible]	[illegible]
१७	श्री [illegible]	[illegible]
१८	श्री [illegible]	वाणिज्य
१९	श्री [illegible]	[illegible]

उप मंत्री

१	श्री अमियकुमार किस्कू	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन
२	श्री जगन्नाथ पहाड़िया	[illegible]
३	श्री [illegible]	[illegible]
४	श्री सिद्धेश्वरप्रसाद	सिंचाई और विद्युत
५	श्री बी० [illegible]	[illegible]
६	श्री [illegible]	[illegible]
७	श्री बेदव्रत बरुआ	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य
८	प्रो० [illegible]	शिक्षा और समाज कल्याण
९	श्री बालगोविन्द वर्मा	श्रम
१०	श्री [illegible]सिंह	भारी उद्योग
११	श्री धर्मवीर सिंह	सूचना और प्रसारण
१२	श्री ए० सी० जार्ज	वाणिज्य
१३	श्रीमती सुशीला रोहतगी	वित्त
१४	श्री एफ० एच० मोहसिन	गृह
१५	श्री [illegible]	स्वास्थ्य परिवार नियोजन
१६	श्री जियाउर्रहमान अन्सारी	औद्योगिक विकास
१७	श्री प्रणवकुमार मुखर्जी	जहाजरानी एवं परिवहन
१८	श्री अरविन्द नेताम	शिक्षा तथा समाज कल्याण
१९	श्री जानकी वल्लभ पटनायक	रक्षा
२०	श्री सुखदेव प्रसाद	इस्पात तथा खान
२१	श्री जी० वेंकटस्वामी	पूर्ति तथा पुनर्वास
२२	श्री सुबोधचन्द्र हंसदा	इस्पात और खान

लोकसभा

अध्यक्ष—श्री गुरदयालसिंह ढिल्लों
उपाध्यक्ष—श्री जी० जी० स्वल

सदस्य

आंध्र

१ श्री बी० राजगोपालराव (का०)
२ विश्विकी सत्यनारायण „
३ , के० नारायणराव ,
४ पी० वी० जी० राजू
५ श्रीमती बी० राधाबाई आनंदराव
६ श्री एम० आर० ए० एम० अप्पाला नायडू ,
७ एम० एस० संजीव राव
८ एम० वी० पी० बी० पट्टाभिरामाराव
९ वी० एस० मूर्ति ,
१० एम० टी० राजू ,
११ के० सूर्यनारायण
१२ एम० अनकीनीडू
१३ डा० के० एल० राव
१४ एम० नागेश्वरराव
१५ पी० अनकीनीडू प्रसाद राव
१६ के० रघुरमैया ,
१७ एम० सुदर्शनम „
१८ पी० वेंकट रेड्डी
१९ डी० कामाक्षय्या „
२० टी० बालकृष्णय्या ,
२१ , पी० नरसिंह रेड्डी ,
२२ पी० पार्थसारथी „
२३ वाई० ईश्वर रेड्डी (कम्यु०)
२४ पी० बय्यापा रेड्डी (का०)
२५ „ पी० एटनी रेड्डी ,
२६ , के० कोडंडाराम रेड्डी (का०)
२७ पी० वेंकट सुब्बय्या
२८ श्री एम० भीष्मदेव ,
२९ जे० रामेश्वरराव
३० डा० जी० एस० मेलकोटे
३१ श्री एम० एम० हाशिम
३२ जी० वेंकटस्वामी
३३ , मल्लिकार्जुन
३४ एम० रामगोपाल रेड्डी
३५ पी० गंगा रेड्डी
३६ तुलसीराम
३७ एम० सत्यनारायण राव (नि०)
३८ एस० बी० गिरि
३९ श्रीमती डा० लक्ष्मीकान्तम्मा (का)
४० श्री के० रामकृष्ण रेड्डी
४१ बी० नरसिंह रेड्डी ' (कम्यु० मा०)

असम

४२ रिक्त (का०)
४३ श्री निहार रंजन लस्कर
४४ बीरेन एगती
४५ मोइनुल हक चौधरी „
४६ , डी० बासुमतारी „
४७ फखरुद्दीनअली अहमद ,
४८ दिनेश गोस्वामी „
४९ , धरनीधर दास ,
५० , कमलाप्रसाद अग्रवाल
५१ नानाधर कटोकी ,
५२ „ वेदव्रत बरुआ ,
५३ „ तरुन गोगोई „

१८८ श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (का०)
१८९ राममहाय पाडे
१९० चिन्तामनराव डी० गौतम
१९१ मगरू जी० उइक
१९२ डा० गोविन्दास
१९३ वी० शंकर गिरि
१९४ श्रीमती महारानी बाइ राय ,
१९५ श्री गार्गीशंकर मिश्रा ,
१९६ एन० के० पी० सालवे ,
१९७ नीतिराजसिंह चौधरी
१९८ डा० शंकरदयाल शर्मा ,
१९९ श्री रामनाथ गायनका (जनसंघ)
२०० जगन्नाथराव जोशी
२०१ फूलचंद वर्मा "
२०२ रामसिंह भाई वर्मा (का)
२०३ भारतसिंह चौहान (जनसंघ)
२०४ गंगाचरन दीक्षित (का०)
२०५ रामचन्द्र बड (जनसंघ)
२०६ भागीरथ भवर (सापा)
२०७ डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डे (जनसंघ)

महाराष्ट्र

२०८ श्री मधु दण्डवते (सापा)
२०९ एम० एल० पज (का०)
२१० शंकरराव मावल
२११ डा० एन० एन० कनाम
२१२ श्री गानभाई ए० काम्
२१३ श्रीमती राजा गायकवाड (कम्यु०)
२१४ श्री हरि रामचन्द्र गोखले (का०)
२१५ राजा कुलकर्णी
२१६ बा० एम० धमनास्कर
२१७ एन० के० स्माडा
२१८ बा० आर० कवाड
२१९ जैन एम० कान्नान
२२० डा० एम० मर्चेन्ट
२२१ मा० ए० पार्टिल
२२२ [illegible]

२२३ श्री वाई० एम० महाजन (का०)
२२४ ,, ए० एस० कस्तूर ,
२२५ , वसन्त साठे ,
२२६ के० जी० देशमुख ,
२२७ , राम हडाऊ (महाविदर्भ)
२२८ , जम्बूवत धोत (नि०)
२२९ , ज्वालाप्रसाद दुबे (का०)
२३० कृष्णराव ठाकुर "
२३१ , ए० शेफी ,
२३२ , जे० जी० कदम ,
२३३ सदाशिव राव ठाकरे ,
२३४ तारोदेकर वकटराव बाबाराव ,,
२३५ टी० डी० काम्बले "
२३६ एम० एस० देशमुख "
२३७ बी० के० काले "
२३८ , माणिकराव पलाडकर
२३९ एस० टी० पटिल
२४० टी० ए० पाटिल
२४१ एम० आर० दमानी
२४२ एन० एस० काम्बले (रिपब्लिकन)
२४३ अनासाहब पी० शिन्दे (का०)
२४४ ई० वी० विखे पाटिल
२४५ अनन्तराव पाटिल
२४६ मोहन धारिया
२४७ आर० के० खाडिलकर
२४८ य० य० चव्हाण
२४९ श्रीमती प्रमिला चव्हाण
२५० श्री अन्नासाहब गोटखिण्डे
२५१ डा० वी० कदम ,
२५२ आर० डा० भिम्बानकर

कर्नाटक

२५३ श्री शंकरानन्द (का०)
२५४ धमराव अफजलपुरकर
२५५ वमरान गायकवाड
२५६ [illegible]

२५७ डा० वी० के० आर० वी० राव (का०)
२५८ श्री काडाजी बासप्पा
२५९ क० लक्प्पा
२६० क० मल्लना ,
२६१ जी० वाई० कृष्णन ,
२६२ एम० वी० कृष्णप्पा
२६३ , के० हनुमन्तया
२६४ सी० के० जफर शरीफ ,
२६५ , क० चिक्कालिंगिहा
२६६ एम० एम० सिद्धया
२६७ तुलसीदास दासप्पा
२६८ , के० के० शेट्टी
२६९ रंगनाथ शिनाय ,
२७० एन० शिवप्पा ,
२७० एन० शिवप्पा
२७१ डी० बी० चन्द्रे गावडा ,
२७२ टी० वी० चन्द्रशेखरप्पा
२७३ बी० वी० नाइक
२७४ एफ० एच० मोहसिन
२७५ डा० सरोजिनी महिषी
२७६ श्री ए० क० कोटरा शेट्टी
२७७ बी० शकरानन्द
२७८ एम० बी० पाटिल
२७९ बी० के० चौधरी

उडीसा

२८० श्री सी० एम सिंहा (नि०)
२८१ श्यामसुन्दर महापात्र (का)
२८२ , अर्जुन सेठी
२८३ अनादि चरनदास
२८४ सुरेन्द्रनाथ महन्ती (उत्कल का०)
२८५ जानकी वल्लभ पटनायक (का०)
२८६ बनमाली पटनायक
२८७ चिंतामणि पाणिग्रही
२८८ दुतीकृष्ण पण्डा (कम्यु०)
२८९ आर० जगन्नाथ राव (का०)
२९० गिरधर गमागा ,
२९१ खगपति प्रधानी
२९२ श्री पी० के० देव (स्वतन्त्र)
२९३ बक्शी नायक
२९४ राज राजसिंह देव
२९५ बनमाली बाबू (का०)
२९६ गदाधर माझी ,
२९७ , कुमार माझी
२९८ देवेन्द्र सतपथी
२९९ प्रताप गंगादेव बडाकुमार

पंजाब

३०० श्री गुरदास सिंह बादल (अकाली दल)
३०१ मोहिन्दरसिंह गिल (का०)
३०२ गुरदयालसिंह ढिल्लो (अध्यक्ष)
३०३ रघुनन्दनलाल भाटिया (का०)
३०४ प्रबोधचन्द्र
३०५ दरबारासिंह
३०६ , स्वर्णसिंह
३०७ साधूराम
३०८ देवेन्द्रसिंह गारचा
३०९ बूटासिंह
३१० सतपाल कपूर ,,
३११ रिक्त (कम्यु०)
३१२ भानसिंह भौरा (कम्यु०)

राजस्थान

३१३ श्री पन्नालाल बारूपाल (का०)
३१४ महाराजा कर्णीसिंह (निर्लीप)
३१५ शिवनाथसिंह (का०)
३१६ श्रीकृष्ण मोदी
३१७ श्रीमती गायत्री देवी (स्व०)
३१८ श्री नवलकिशोर शर्मा (का०)
३१९ डा० हरिप्रसाद ,
३२० श्री राजबहादुर
३२१ जगन्नाथ पहाडिया
३२२ छुट्टनलाल
३२३ विश्वेश्वरनाथ भार्गव

१२७ [illegible] (कु)
१२८ श्री [illegible] (कन्नड़)
१२९ [illegible] (क०)
१३० [illegible] (क)
१३१ [illegible] (क)
१३२ [illegible] (कन्नड़)
१३३ [illegible]
१३४ [illegible] (क०)
१३५ [illegible]
१३६ [illegible]
१३७ [illegible] (कि)
१३८ श्री [illegible] (क)

[illegible]

१३९ श्री के [illegible] (कन्नड़)
१४० [illegible]
१४१ [illegible]
१४२ श्री० [illegible]
१४३ [illegible] (क)
१४४ [illegible]
१४५ [illegible]
१४६ श्री० [illegible]
१४७ एम० [illegible] (का०)
१४८ एम० [illegible]
१४९ बी० [illegible] (इ० म०क०)
१५० एम० [illegible]
१५१ वि० सुब्रह्मण्यम् (का०)
१५२ ए० [illegible] (इ० म० क०
१५३ आ० [illegible] (का०)
१५४ एम० सुब्बाराव (प्राग इतर)
१५५ आ० माया गाइर (इ० म० क०)
१५६ [illegible] (वाङ्मु०)
१५७ मारवाड़ (इ० म० क०)
१५८ गो० टी० [illegible]
१५९ पी० ए० स्वामीनाथन
१६० एम० [illegible] (मु० मी०)

१५७ के [illegible] (कन्नड़)
१५८ [illegible] (क०)
१५९ श्री के [illegible] (क०)
१६० [illegible] (कन्नड़)
१६१ [illegible]
१६२ के श्री [illegible]
१६३ [illegible]
१६४ के [illegible]
१६५ [illegible] (कन्नड़)
१६६ [illegible]
१६७ [illegible]
१६८ श्री के [illegible] (कन्नड़)
१६९ श्रीमती [illegible] (क)
१७० श्री [illegible] (कन्नड़)
१७१ [illegible] (क)
१७२ [illegible]
१७३ [illegible]
१७४ के [illegible] (क)

[illegible]

१७५ श्री [illegible] (क०)
१७६ [illegible]
१७७ [illegible]
१७८ [illegible]
१७९ [illegible]
१८० [illegible]
१८१ [illegible] (मराठी)
१८२ [illegible] (वाङ्मु)
१८३ [illegible] (का०)
१८४ श्रीमती [illegible]
१८५ श्री [illegible]
१८६ [illegible]
१८७ [illegible]
१८८ [illegible] वर्मा
१८९ [illegible]
१९० [illegible]
१९१ डा० [illegible]

३९२ , कि दरलाल
३९३ श्रीमती शीला कौल „
३९४ गंगादेवी ,
३९५ जिया-उर रहमान अंसारी (का०)
३९६ श्रीमती इंदिरा गांधी ,
३९७ श्री दिनेशसिंह ,
३९८ विद्याधर बाजपेयी „
३९९ „ कदारनाथसिंह ,
४०० रामजीराम „
४०१ , रामकृष्ण सिंहा „
४०२ „ बैजनाथ कुरील
४०३ „ रुद्रप्रताप सिंह ,
४०४ श्रीमती शकुन्तला नायर (जनसंघ)
४०५ श्री बदलूराम शुक्ल (का०)
४०६ , चन्द्रभाल मणि तिवारी „
४०७ , मान सिंह ,
४०८ , अनन्तप्रसाद धूसिया ,
४०९ केशवदेव मालवीय ,
४१० , कृष्णचन्द पांडे
४११ राममूरत प्रसाद
४१२ नरसिंहनारायण पाण्डे ,
४१३ शिब्बनलाल सक्सेना (निर्दलीय)
४१४ गेंदासिंह (का०)
४१५ , विश्वनाथराय
४१६ तारकेश्वर पाण्डे
४१७ चन्द्रिकाप्रसाद ,
४१८ झारखण्डेराय (कम्यु०)
४१९ चन्द्रजीत यादव (का०)
४२० रामधन राम ,
४२१ नागेश्वर द्विवेदी
४२२ राजदेव सिंह
४२३ , शम्भूनाथ
४२४ सरजू पाण्डे (कम्यु०)
४२५ सुधाकर पाण्डे (का०)
४२६ राजाराम शास्त्री
४२७ „ रामस्वरूप

४२८ , अजीज इमाम ,
४२९ विश्वनाथप्रताप सिंह
४३० „ हेमवतीनंदन बहुगुणा
४३१ श्री छोटेलाल (का०)
४३२ „ सत्तवक्स सिंह
४३३ , रामरतन शर्मा (जनसंघ)
४३४ , स्वामी ब्रह्मानन्द (का०)
४३५ गोविन्ददास रिछारिया
४३६ चौ० रामसेवक
४३७ „ तुलाराम ,
४३८ श्रीमती सुशीला रोहतगी
४३९ श्री एस० एम० बनर्जी (कम्यु०)
४४० , शंकर तिवारी (का०)
४४१ , एम० एन० मिश्र
४४२ , अवधेशचन्द्रसिंह
४४३ , महाराजसिंह यादव
४४४ , महादीपकसिंह शाक्य (जनसंघ)
४४५ , रोहनलाल चतुर्वेदी (का०)
४४६ , छत्रपति अम्बेश ,
४४७ सेठ अचलसिंह
४४८ चक्लेश्वरसिंह
४४९ चन्द्रपाल सैलानी ,
४५० , शिवकुमार शास्त्री (भा०क्रा०द०)
४५१ हरिसिंह बाल्मीकि (का०)
४५२ सुरेन्द्रपाल सिंह ,
४५३ बुद्धप्रिय मौर्य ,
४५४ शाहनवाज खां
४५५ , रामचन्द्र विकल
४५६ विजयपालसिंह (कम्यु०)
४५७ शफकतजंग (का०)
४५८ सुंदरलाल ,
४५९ मुल्कराज सैनी ,

पश्चिम बंगाल

४६० „ विनय कृष्णदास चौधरी (का०)
४६१ तुना उरांव ,
४६२ , रतनलाल ब्राह्मण (कम्यु० मा०)

४६३ श्रीमती माया राय (का०)
४६४ राजेन्द्रनाथ बमन
४६५ निश जारदार (कम्यु० मा०)
४६६ श्री हाजी लुतफल हक (का०)
४६७ मौ० खुदा बख्श
४६८ ,, त्रिदिव चौधरी (क्रा० सा० पा०)
४६९ रेणुपाद दास (कम्यु० मा०)
४७० श्रीमती विभा घोष ,
४७१ श्री रेनेननाथ सेन (कम्यु०)
४७२ ए० के० एम० इशाक (का०)
४७३ शक्ति सरकार
४७४ प्रा० माधुय हलदर (कम्यु० मा०)
४७५ श्री ज्योतिमय बसु
४७६ इन्द्रजीत गुप्ता (कम्यु०)
४७७ मोहम्मद इस्माइल (कम्यु० मा०)
४७८ अशोककुमार सेन (का०)
४७९ हीरेन मुखर्जी (कम्यु०)
४८० प्रियरजनदास मुशी (का०)
४८१ समर मुखर्जी (कम्यु० मा०)
४८२ श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य
४८३ दिनेन भट्टाचार्य
४८४ विजय कृष्ण मोदक
४८५ मनोरजन हाजरा
४८६ जगदीश भट्टाचार्य
४८७ सतीशचन्द्र सामन्त (का०)
४८८ समर गुहा (सोपा)
४८९ सुबोधचन्द्र हसदा (का०)
४९० अमियकुमार किस्कू
४९१ देवेन्द्रनाथ महतो
४९२ शकर नारायण सिंह देव
४९३ अजितकुमार साहा (कम्यु० मा०)
४९४ कृष्णचन्द्र हलदर
४९५ राबिन सेन ,
४९६ सोमनाथ चटर्जी
४९७ सराज मुखर्जी
४९८ सत्तीश रे
४९९ गदाधर साहा

नागालैंड

५०० श्री ए० कवीचम्रा (स० माचा नागालड)

दिल्ली

५०१ श्रीमती सुकुल बनर्जी (का०)
५०२ श्री शशि भूषण ,,
५०३ चौ० दिलीपसिंह
५०४ श्री हरिकृष्णनाथ भगत
५०५ श्रीमती सुभद्रा जोशी ,
५०६ श्री अमरनाथ चावला ,,
५०७ टी० सोहनलाल ,,

दिल्ली को छोडकर अन्य केन्द्र शासित क्षेत्र

अण्डमान निकोबार

५०८ श्री के० आर० गणेश (का०)

दादरा नागर हवेली

५०९ श्री रामभाई रावजीभाई पटेल ,

लक्षदीव व मिनिकाय

५१० श्री पी० एम० सईद ,,
(निर्विरोध निर्वाचित)

मणिपुर

५११ श्री एन० ताम्बीसिंह (का०)
५१२ श्री पाओकाई हाओकिप

त्रिपुरा

५१३ श्री दशरथ देव बमन (कम्यु० मा०)
५१४ बीरेन दत्त ,

चण्डीगढ़

५१५ श्री अमरनाथ विद्यालकार (का०)

पाण्डीचेरी

५१६ रिक्त

गोवा

५१७ श्री एरासमा सिक्वेरा (सयुक्त गोमन)
५१८ पुरुषोत्तम काकोडकर (का०)

अरुणाचल

५१९ श्री सी० सी० गोहेन (का०)

मिजोरम

५२० श्री सगनियन (नि०)

मेघालय

५२१ श्री जी० जा० स्वल (नि०)
५२२ के० मारक (नि०)

एग्लो इडियन (राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत)

५२३ श्री फ्रक अन्थोनी
५२४ श्रीमती मरजारी गाडफ्रे

राज्य सभा

सभापति श्री गोपालस्वरूप पाठक

उपसभापति . श्री गोडे मुराहरि

आंध्र

१ श्री जनाधन रेड्डी (का०)
२ ए० एम० चौधरी (नि०)
३ नुथालापति जासफ (का०)
४ पापी रड्डी (नि०)
५ वी० वी० राजू (का०)
६ ,, कोटा पुनया ,
७ वेणीगन्द सत्यानारायण
८ एम० आनन्दम्
९ कासिम अली आबिद ,
१० चन्द्रमौली जगरलामुडा (स्व०)
११ गड्डम नारायण रेड्डी (का०)
१२ एम० श्रीनिवास रड्डी ,
१३ के० एल० एन० प्रसाद
१४ , श्रीमती रत्नाबाई श्रीनिवासराव
१५ कट्टरगड्डु श्रीनिवासराव (नि०)
१६ के० वी० रघुनाथ रड्डी (का०)
१७ एम० आर० कृष्ण
१८ , सत्य नारायणप्पा

असम

१९ श्री नपतिरजन चौधरी (का०)
२० विजय चन्द्र भगवती
२१ , एन० सी० बुरगाहेन
२२ गोलप बारबोरा (सा०)
२३ बिपिनपालदास (का०)
२४ एमर्तसिंह एम० सागमा (का०)
२५ देवकान्त बरूवा

बिहार

२६ श्री सूरज प्रसाद (कम्यु०)
२७ श्रीमती अजीजा इमाम (का०)
२८ श्री नवलकिशोर प्रसाद सिंह (का०)
२९ विन्देश्वरी प्रसाद सिंह
३० गुणानन्द ठाकुर ,,
३१ श्यामलाल गुप्त (स० का०)
३२ भूपेन्द्रनारायण मण्डल (सा०)
३३ महावीरदास (का०)
३४ योगेन्द्र शर्मा (कम्यु०)
३५ शिशिर कुमार (सा०)
३६ धर्मचन्द जैन (का०)
३७ जगदम्बीप्रसाद यादव (जनसंघ)
३८ भयाराम मुंडा (का०)
३९ श्रीमती जहानारा जयपालसिंह ,
४० श्री भोलाप्रसाद (कम्यु०)
४१ भोलापासवान शास्त्री (का०)
४२ सीताराम केसरी
४३ राजेन्द्र कुमार पोद्दार (नि०)
४४ सीताराम सिंह (सा०)
४५ अवधेश्वर प्रसाद सिन्हा (का०)
४६ श्रीमती प्रतिभा सिंह ,
४७ श्री कमलनाथ झा

गुजरात

४८ श्री योगेन्द्र मकवाना (का०)
४९ श्रीमती सुमित्रा गांधी कुलकर्णी
५० श्री डी० के० पटेल (जनसंघ)

५१ श्रीमती कुमुदबेन मणिशंकर जोशी (का०)
५२ श्री हिम्मतसिंह (का०)
५३ यू० एन० महीदा ,,
५४ इब्राहिम भाई कासमभाई कालनिया
५५ जयसुखलाल हाथी (का०)
५६ , एच० एम० त्रिवेदी ,
५७ त्रिभुवनदास किसिभाईपटेल (स०का०)
५८ मनुभाई शाह (का०)

हरियाणा

५९ श्री देवदत्त पुरी (का०)
६० , रणबीरसिंह
६१ , प० भगवतदयाल शर्मा (स० का०)
६२ कृष्णकान्त (का०)
६३ सुलतानसिंह

हिमाचल प्रदेश

६४ श्री रोशनलाल (का०)
६५ जगन्नाथ भारद्वाज
६६ श्रीमती सत्यवती डाग

जम्मू-कश्मीर

६७ श्री श्याम महता (का०)
६८ दुर्गाप्रसाद धर
६९ सय्यद हुसैन
७० तीरथराम अमला

केरल

७१ श्री हामिद अली शमनाद (मु० लीग)
७२ पी० के० कुंजाचन (मा० कम्यु०)
७३ नारायण के० कृष्णन (कम्यु०)
७४ के० पी० सुब्रह्मण्य मेनन (मा० कम्यु)
७५ जी० गोपीनाथन नायर (आर एस पी)
७६ डा० के० ए० सय्यद मोहम्मद (का०)
७७ डा० के० मथ्यू कुरियन (मा०कम्यु)
७८ श्री के० चन्द्रशेखरन (मा०)
७९ एम० कुमारन् (कम्यु०)

मध्य प्रदेश

८० श्री एम० मा० धाय (जनसघ)
८१- सय्यद अहमद (का०)
८२ प० भवानीप्रसाद तिवारी ,,
८३ श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी ,,
८४ श्री नारायणप्रसाद चौधरी ,,
८५ ,, महेन्द्र बहादुरसिंह ,,
८६ ,, बलरामदास ,
८७ विजयभूषण देवशरण (जनसघ)
८८ एन० के० शेजवलकर
८९ , रामसहाय (स० का०)
९० श्रीमती श्यामकुमारी देवी (का०)
९१ श्री चक्रपाणी शुक्ला ,,
९२ सवाईसिंह सिसौदिया ,,
९३ शकरलाल तिवारी ,,
९४ नन्दकिशोर भट्ट ,,
९५ वीरेन्द्रकुमार सखलेचा (जनसघ)

महाराष्ट्र

९६ श्री नारायण गणेश गोरे (सो०)
९७ डा० कु० सरोजनी कृष्णराव बबर (का०)
९८ श्री विदेश तुकाराम कुलकर्णी
९९ बाबूभाई एम० चिनाय (नि०)
१०० कु० सरोज पुरुषोत्तम खापर्डे (का०)
१०१ श्री त्र्यबक गोपाल देशमुख
१०२ सिकन्दर अली वाजद
१०३ विठल गाडगिल
१०४ एन० एच० कुभारे (रि०)
१०५ अरविन्द गणेश कुलकर्णी (का०)
१०६ पी० एम० पाटिल
१०७ श्रीमती सुशीला शकर अदिवरेकर (का०)
१०८ श्री गुलाबराव रघुनाथराव पाटिल (का०)
१०९ शकरराव बाजीराव बाबर ,
१०० जयन्त श्रीधर तिलक ,
१११ , धोंडिराम गणेश गरवारे (कम्यु०)
११२ श्री डा० वाई० पवार (मार्क्स०)
११३ वि० रा० पाठारकर (का०)

११४ डा० एम० आर० व्यास (का०)

मणिपुर

११५ श्री सलाम ताम्बी (एम० पी० पी०)

मेघालय

११६ श्री शावालेस के० शिल्ला (नि०)

कर्नाटक

११७ श्री वीरेन्द्र पाटिल (सं० कांग्रेस)
११८ मलप्पा लिंगप्पा काम्मर (का०)
११९ डा० के० नागप्पा अल्वा (सं० का०)
१२० श्री मुल्का गोविन्द रड्डी (का०)
१२१ , पाटिल पुत्तप्पा (सं० का०)
१२२ , टी० ए० प (का०)
१२३ बी० टी० केम्पराज ,
१२४ यू० के० लक्ष्मण गोडा (नि०)
१२५ मक्सूद अलीखा (का०)
१२६ , के० एम० मल्ले गोडा (नि०)
१२७ बी० पी० नागराजा मूर्ति ,
१२८ एच० एम० नरसिया (का०)

नागालैंड

१२९ श्री मेल्हुपुरा वेरो (का०)

उड़ीसा

१३० श्री ब्रह्मानन्द पंडा (का०)
१३१ विनय कुमार महन्ती (का०)
१३२ चतन्यप्रसाद मांझी
१३३ वीरकेसरी देव (स्व०)
१३४ के० पी० सिंहदेव (स्व०)
१३५ कृष्णचन्द्र पंडा (स्व०)
१३६ लोकनाथ मिश्र (स्व०)
१३७ सुन्दरमणी पटेल (स्व०)
१३८ श्रीमती सरस्वती प्रधान (नाग्रस)
१३९ , देवानन्द अमात (का०)

पंजाब

१४० श्री मोहनसिंह (का०)
१४१ ,, रतनलाल जैन (जनसंघ)
१४२ ,, भूपिन्दर सिंह (अकाली)
१४३ ,, सरदार गुरचरनसिंह टोहरा (अकाली)
१४४ श्रीमती सीतादेवी (का०)
१४५ श्री इन्दरकुमार गुजराल ,
१४६ ,, गुरमुखसिंह मुसाफिर

राजस्थान

१४७ श्री महेन्द्रकुमार मोहता (स्व०)
१४८ श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूडावत (का०)
१४९ श्री जगदीशप्रसाद माथुर (जनसंघ)
१५० जमनालाल बेरवा (का०)
१५१ श्रीमती नारायणी देवी माणकलाल वर्मा (का०)
१५२ श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ
१५३ रामनिवास मिर्धा
१५४ कुम्भाराम आर्य (नि०)
१५५ , बालकृष्ण कौल (नि०)
१५६ ,, गणेशलाल माली (का०)

तमिलनाडु

१५७ श्री ए० के० रफाये (मुस्लिम लीग)
१५८ , टी० के० श्रीनिवासन (द्रमुक)
१५९ के० ए० कृष्णास्वामी (द्रमुक)
१६० , काञ्ची कल्याणसुन्दरम
१६१ जी० ए० अप्पन ,
१६२ एम० कमलनाथन ,,
१६३ एम० रुथनास्वामी (स्व०)
१६४ एम० एम० मारीस्वामी (द्रमुक)
१६५ एम० आर० वकटरमन (मा० कम्यु०)
१६६ ,, एम० सी० बालन (अन्ना द्रमुक)
१६७ एस० एस० राजेन्द्रन (द्रमुक)
१६८ , टी० वी० आनन्दन (सं० का०)
१६९ एम० एम० अब्दुलकादर (द्रमुक)
१७० , वी० वी० स्वामीनाथन ,
१७१ ए० के० ए० अब्दुल समद (मुस्लिम लीग)

१७२ , के० एस० रामास्वामी (का०)
१७३ , थिल्लई विलालन (द्रमुक)
१७४ एम० ए० खाजा मोहिद्दीन (मुस्लिम लीग)

त्रिपुरा

१७५ डा० त्रिगुण सेन (का०)

उत्तर प्रदेश

१७६ श्री बनारसी दास (स० का०)
१७७ दत्तोपन्त ठेंगडी (जनसंघ)
१७८ गणेशलाल चौधरी (स० का०)
१७९ सुखदेव प्रसाद (का०)
१८० अजितप्रसाद जैन (का०)
१८१ चन्द्रदत्त पाण्डे (स० का०)
१८२ पीताम्बरदास (जनसंघ)
१८३ यशपाल कपूर (का०)
१८४ नवलकिशोर (स० का०)
१८५ महावीर त्यागी (स० का०)
१८६ हर्षदेव मालवीय (का०)
१८७ प्रो० एस० नूरुल हसन (का०)
१८८ श्री त्रिलोकीसिंह
१८९ प्रेममनोहर (जनसंघ)
१९० आनन्दनारायण मुल्ला (का०)
१९१ सीताराम जयपुरिया (नि०)
१९२ मोहनसिंह ओबराय (भाक्राद)
१९३ नागेश्वर प्रसाद शाही (का०)
१९४ कल्याणचन्द्र (का०)
१९५ त्रिभुवननारायण सिंह (स० का०)
१९६ उमाशंकर दीक्षित (का०)
१९७ चन्द्रशेखर
१९८ सेठ पृथ्वीनाथ (भाक्राद)
१९९ मानसिंह वर्मा (जनसंघ)
२०० डा० बी० बी० सिंह (का०)
२०१ डा० जेड० ए० अहमद (कम्यु०)
२०२ श्री गौडे मुराहरि (नि०)
२०३ ओमप्रकाश त्यागी (जनसंघ)
२०४ मौलाना असद मदनी (का०)
२०५ , श्यामलाल यादव (भाक्राद)
२०६ महावीर प्रसाद शुक्ल (का०)
२०७ इन्दर सिंह ,
२०८ कमलापति त्रिपाठी ,
२०९ श्यामधर मिश्र (स० का०)

प० बंगाल

२१० श्री शशांकशेखर सान्याल (मा० कम्यु०)
२११ सुहृद मल्लिक चौधरी (नि०)
२१२ सरदार अमजद अली (का०)
२१३ डा० रजतकुमार चक्रवर्ती
२१४ श्री कृष्णबहादुर चेत्री
२१५ द्विजेन्द्रलाल सेन गुप्त (नि०)
२१६ भूपेश गुप्त (कम्यु०)
२१७ कल्याणराय (कम्यु०)
२१८ डा० देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय (का०)
२१९ श्री काली मुखर्जी
२२० श्रीमती पुरबी मुखर्जी
२२१ श्री सलिलकुमार गांगुली (मा० कम्यु०)
२२२ , नीरेन घोष (मा० कम्यु०)
२२३ सनतकुमार राहा (कम्यु०)
२२४ प्रणवकुमार मुखर्जी (का०)
२२५ मनोरंजनराय (मा० कम्यु०)

अरुणाचल प्रदेश

२२६ श्री तोदक बासर (राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत)

दिल्ली

२२७ डा० भाई महावीर (जनसंघ)
२२८ श्रीमती सविता बहन (का०)
२२९ श्री लालकृष्ण आडवानी (जनसंघ)

मिजोरम

२३० श्री लालबुअइया

पांडिचेरी

२३१ श्री एस० शिवप्रकाशम (द्रमुक)

राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत

२३२ प्रो० रशीदुद्दीन खाँ
२३३ श्री चन्द्रकिशन दफ्तरी
२३४ श्री उमाशंकर जोशी

२३५ श्री जयरामदास दौलतराम
२३६ प्रमथनाथ विशि
२३७ डा० के० रमया
२३८ श्रीमती मरागायम चन्द्रशखर
२३६ श्री गगाशरण सिन्हा
२४० हबीब तनवीर
२४१ अबू अब्राहम
२४२ जोखिम अल्वा
२४३ डा० बी० पी० दत्त

नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी के नवीनतम प्रकाशन



हिंदी विश्वकोश, खंड १ (संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण) मूल्य ५० ००

पूर्व प्रकाशित संस्करण के अनेक विषयों में संशोधन एवं परिवर्धन के साथ इसमें ज्ञान विज्ञान के प्रचुर नए विषयों का समावेश कर दिया गया है।

सोमनाथ ग्रंथावली, खंड २ संपा० पं० सुधाकर पांडेय मूल्य ५१ ००

इस ग्रंथावली के प्रस्तुत खंड में कविवर सोमनाथ की 'रामचरित-रत्नाकर', 'रामकलाधर', 'ब्रजेंद्र विनोद' नाम की तीन रचनाओं का अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से संपादन किया गया है।

सोमनाथ ग्रंथावली, खंड ३ संपा० पंडित सुधाकर पांडेय, मूल्य २५ ००

प्रस्तुत खंड में 'रामचरित रत्नाकर' के अवशिष्ट भाग के संपादन के साथ ही कवि की कृतियों का साहित्यिक पर्यालोचन भी दे दिया गया है। अंत में पद्यानुक्रमणिका भी लगा दी गयी है।

ठाकुर ग्रंथावली संपा० पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र मूल्य १० ००

कविवर ठाकुर की रचनाओं के संपादन के साथ ही उनके जीवन एवं काव्यगत गुणों का अत्यंत उत्कृष्ट पर्यालोचन।

भ्रमरगीतसार संपादक पं० रामचंद्र शुक्ल मूल्य ८ ००

सभा द्वारा प्रथम प्रकाशित संस्करण।

राज्य तथा संघीय क्षेत्र

आन्ध्र प्रदेश

राजधानी—हैदराबाद, क्षेत्रफल—२७६७१४ वर्ग कि० मी०, जनसंख्या—४३,५०२ ७०८ मुख्यभाषा—तेलुगु साक्षरता प्रतिशत—२४ ६ (१९७१) राज्यपाल—श्री खण्डूभाई कासनजी देसाई, शासक दल—कांग्रेस विधान सभा सदस्य संख्या—२८८, विधान परिषद सदस्य संख्या—९०,

योजना परिव्यय (करोड़ रुपया में)

	तीसरी योजना	चतुर्थ योजना (१९६६ ६७ से १९७० ७१ तक)
कुल	३५२ ८२	३६७ ९९
केन्द्रीय सहयोग	२२० ७३	२०३ ८२
राज्य के साधनों से	१३१ ६५	१६४ १७

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और सदर मुकाम

	जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर) हजारों में	जन-संख्या (लाखों में)	सदर मुकाम
१	अनन्तपुर	१९ १	२१ १५	अनन्तपुर
२	आदिलाबाद	१६ ३	१२ ८८	आदिलाबाद
३	कडपा	१५ ४	१५ ७७	कडपा
४	कर्नूल	१८ ८	१९ ८२	कर्नूल
५	करीमनगर	११ ८	१९ ६४	करीमनगर
६	कृष्णा	८ ७	२४ ९४	मछलीपटनम
७	खम्मम	१५ ९	१३ ७०	खम्मम
८	गुण्टूर	११ ४	२८ ४५	गुण्टूर
९	चित्तूर	१५ ८	२२ ८६	चित्तूर
१०	नलगोण्डा	१४ ३	१८ २०	नलगोण्डा
११	निजामाबाद	८ ०	१३ १३	निजामाबाद

१२ नेल्लूर	१३१	१६१०	नेल्लूर
१३ पश्चिम गोदावरी	७८	२३७८	एलूर
१४ पूर्वी गोदावरी	१०६	३०८७	काकिनाडा
१५ प्रकाशम (ओंगोल)	१७६	१६२०	ओंगोल
१६ महबूबनगर	१८४	१६३२	महबूबनगर
१७ मेदक	६७	१४६८	सगारड्डि
१८ वरंगल	१२६	१८७१	वरंगल
१६ विशाखापटनम	१३७	२८०५	विशाखापटनम
२० श्रीकाकुलम	६७	२५६०	श्रीकाकुलम
२१ हैदराबाद	७७	२७६२	हैदराबाद

मन्त्रिमण्डल

१ श्री जे० वंगलराव	मुख्यमंत्री
२ श्री बी० वी० सुब्बारड्डी	उपमुख्यमंत्री, कृषि, खाद्य तथा कानून
३ श्री एन० रामाचन्द्रा रड्डी	वित्त एवं वाणिज्य कर
४ श्री पी० वासी रेड्डी	उद्योग
५ श्री जे० चोक्काराव	परिवहन
६ श्री वे० राजामल्लु	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
७ श्री राजा सागी सूर्यनारायण राजू	धार्मिक तथा चरिटेबिल
८ श्री इब्राहिमअली मसारी	सूचना तथा जनसम्पर्क
९ श्री बी० कृष्णमूर्ति नायडू	बृहद सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण
१० श्री बी० सुब्बाराव	सहकारिता
११ श्री लक्ष्मणदासु	श्रम रोजगार तथा पुनर्वास
१२ श्री जी० राजाराम	विद्युत
१३ श्री चिल्ला सुब्बाराड्डू	नगरपालिका प्रशासन तथा जल कल

राज्य-मन्त्री

१ डा० सी० एच० देवेन्द्रराव	पर्यटन रवीन्द्र भारती
२ श्रीमती लक्ष्मीदेवी	महिला कल्याण तथा बाल कल्याण

असम

राजधानी—शिलांग क्षेत्रफल—७८५२३ वर्ग कि० मी० जनसंख्या—१४६२९१०८
मुख्यभाषा—असमिया साक्षरता प्रतिशत—२८.७४
राज्यपाल—श्री एल० पी० सिंह शासक दल—कांग्रेस
मुख्य मन्त्री—श्री शरतचन्द्र सिन्हा विधान सभा अध्यक्ष—श्री आर० सी० बरुआ
सदस्य संख्या—११४

योजना परिव्यय (लाख रुपया म)

	तीसरी योजना	चतुथ योजना
कुल	१३ २२४	२६ १७५
केन्द्रीय सहयाग	६ ६६०	२३ ०००
राज्य क साधन	३ २३८	४ १७५

जिलो का क्षेत्रफल, जनसख्या और सदर मुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वग किलामीटर)	जनसख्या (१६७१ जनगणना)	मुख्यालय
१ उत्तरी काचार पहाडिया	४ ८६०	७६ ०४७	हैफ्लाग
२ काचार	६ ६६२	१७,१३ ३१८	सिलचर
३ कामरूप	६ ८६३	२८,५४ १८३	गाहाटी
४ गोलपारा	१०,३५६	२२,२५ १०३	धुवरी
५ दारग	८ ७७५	१७,३६ १८८	तजपुर
६ नौगाव	५ ५६१	१६ ८० ८६८	नौगाव
७ मिकिर पहाडिया	१० ३३२	३ ७६ ३१०	डीफ
८ लखीमपुर	१२ ७६२	२१ २२ ७१६	डिब्रुगढ
६ शिवसागर	८,६८६	१८,३७ ३८६	जारहाट

मन्त्रिमण्डल

१ श्री शरतचन्द्र सिन्हा	मुख्यमत्री गृह वित्त आदि
२ श्री सय्यद अहमद अली	कानून ससदीय काय आदि
३ श्री परमानन्द गागाई	वन समाज कल्याण तथा राजस्व
४ श्री गजेन तालो	श्रम सहकारिता
५ मौ० इदरीस	उद्याग आबकारी विद्युत
६ श्री माहिनाथ पुरकायस्थ	आपूर्ति खादी तथा ग्रामाद्याग
७ डा० लुतफुररहमान	लाकनिर्माण
८ श्री उपेन्द्रदास	कृषि तथा मछलीपालन
६ श्री उत्तमचन्द ब्रह्मा	समाज कल्याण
१० श्री हरेन्द्रनाथ तालुकदार	शिक्षा परिवहन तथा पयटन
११ श्री छत्रसिंह तरो	आदिवासी मामले आदि
१२ श्री नयभद्र हगजर	पशुपालन एव जल

राज्य-मन्त्री

१ श्री हितेश्वर सकिया	गृह स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन
२ श्री विष्णु प्रसाद	विद्युत व्यापार तथा वाणिज्य
३ श्रीमती स्वर्णप्रभा महन्त	समाज कल्याण, रेशम तथा बुनकर

बिहार

राजधानी—पटना, क्षेत्रफल—१७३ ८७६ वर्ग कि० मी०,
जनसंख्या—५ ६३ ५३ ३६९
मुख्य भाषा—हिन्दी बोलियां—भोजपुरी नागपुरिया मैथिली मगही
साक्षरता प्रतिशत—(१९७१) १९ ९७, राज्यपाल—श्री आर० डी० भण्डारे
शासक दल—कांग्रेस
मुख्यमन्त्री—श्री अब्दुल गफूर, विधान सभा अध्यक्ष—श्री हरिनाथ मिश्र
सदस्य संख्या—३१९ मन्त्रिपरिषद संख्या—२९ मन्त्री—२१ राज्य मन्त्री—४
उपमन्त्री—४, प्रति व्यक्ति आय—२३८ रुपये

योजना परिव्यय (लाख रुपयों में)

	तीसरी योजना	चतुर्थ योजना
कुल	३३ १७४	५३ १२८
केन्द्रीय सहयोग	२१ ५९०	३३ ८००
राज्य के साधन	११ ५८४	१९ ३२८

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और सदरमुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या (१९७१ जनगणना)	मुख्यालय
१ गया	१२ ३६४	४४ ५७ ४७३	गया
२ चम्पारन	९ १९६	३५ ४३ १०३	मोतिहारी
दरभंगा	८ ६७९	४२ ३३ ९०४	दरभंगा
४ धनबाद	२ ९९४	१४ ६६ ४१७	धनबाद
५ पटना	५ ५०८	५ ५६ ९४५	पटना
पलामू	१२ ६७७	१५ ०४ ३५०	डाल्टनगंज
७ पूर्णिया	११ ०१२	३९ ४१ ८६३	पूर्णिया
८ भागलपुर	५ ६५६	२० ९१ १०३	भागलपुर
मुंगेर	९ ८ ७	२८ ९२ ६०९	मुंगेर
१० मुजफ्फरपुर	७ ८२८	४८ ४० ६८१	मुजफ्फरपुर

११	रांची	१८ ३३१	२६ ११ ४४५	रांची
१२	शाहाबाद	११ ३२०	३९ २९ ०३१	आरा
१३	संथाल परगना	१४ १२९	२१ ८६ ९०८	दुमका
१४	सहरसा	५ ८८५	२३ ५० २९८	सहरसा
१५	सारन	६ ९५२	४२ ७९ २५२	छपरा
१६	सिंहभूम	१३ ४४७	२४ ३७ ७९९	चाइबासा
१७	हजारीबाग	१८ ०६०	३०,२० २१६	हजारीबाग

मन्त्रिमण्डल

१	श्री अब्दुल गफूर	मुख्यमंत्री गृह सूचना व पर्यटन
२	श्री दारोगाप्रसाद राय	वित्त और योजना
३	श्रीमती रामदुलारी सिन्हा	श्रम एवं रोजगार
४	श्री चन्द्रशेखर सिंह	उद्योग तथा तकनीकी शिक्षा
५	डा० जगन्नाथ मिश्र	सिंचाई एवं विद्युत
६	श्री लहटन चौधरी	राजस्व तथा भूमि सुधार
७	श्री मुंगेरीलाल	खान
८	श्री शत्रुघ्नशरण सिंह	सहकारिता तथा गन्ना
९	श्री रामराजप्रसाद सिंह	स्वायत्त शासन आवास तथा जन स्वास्थ्य
१०	श्री राजा जयपालसिंह यादव	कृषि पशुपालन
११	श्री विद्याकर कवि	शिक्षा
१२	श्री सिदुअल हुसैन	मत्स्य पालन तथा कारागार
१३	श्री करमचन्द भगत	वन तथा जनजाति कल्याण
१४	श्री नरसिंह बैठा	सामुदायिक विकास तथा ग्राम पंचायत
१५	श्री जयनारायण महता	एक्साइज
१६	श्री कन्दार पाण्डे	स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन
१७	श्री बालेश्वरराय	सूचना पर्यटन तथा समाज कल्याण
१८	श्री प्यारेलाल बार्डी	कानून तथा लघु सिंचाई
१९	श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही	खाद्य आपूर्ति तथा वाणिज्य
२०	श्री रफीक आलम	जन-न्याय
२१	श्री बिन्देश्वरी दुबे	परिवहन तथा डेयरी

राज्य-मन्त्री

१	श्री भाष्म नारायणसिंह	खाद्य तथा आपूर्ति
२	श्रीमती प्रभावती गुप्त	खान तथा भूतत्व
३	श्री मिश्री सादा	प्राथमिक शिक्षा
४	श्री शंभूशरण ठाकुर	कारागार

उपमन्त्री

१ श्री अवधेश्वर राम	*सिंचाई तथा विद्युत*
२ श्री फजुल आजम	लघु सिंचाई
३ श्री मदनप्रसाद सिंह	पर्यटन एव क्रीडा
४ श्री बिलातराम	हरिजन कल्याण

गुजरात

राजधानी—गांधीनगर क्षेत्रफल—१ ६५ ६८४ वग कि० मी०,
जनसख्या—२६ ६३० ६२६
मुख्यभाषा—गुजराती साक्षरता प्रतिशत—४४ ४३
राज्यपाल—श्री के० विश्वनाथन् ।

योजना परिव्यय (लाख रुपया म)

	तीसरी योजना	चतुर्थ योजना
कुल	२३७६८	४५५००
केन्द्रीय सहयोग	१११६०	१५८००
राज्य के साधन	१२६०८	२६७००

जिलों का क्षेत्रफल, जनसख्या और सदरमुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वग कि० मीटर)	जनसख्या (१६७१ जनगणना)	मुख्यालय
१ अमरेली	६ ७६०	८ ४८ ७३०	अमरेली
२ अहमदाबाद	८ ७०७	२६ १० ३०७	अहमदाबाद
३ कच्छ	४५ ६१२	८ ४६ ७६६	कच्छ
४ खेडा	७,१६४	२४ ५१ ३८७	खेडा
५ गांधीनगर	६४६	२ ०० ६४२	गांधीनगर
६ जामनगर	१४ १२५	११ ११ ३४३	जामनगर
७ जूनागढ	१० ६०७	१६ ५६ ६७७	जूनागढ
८ डांग	१ ६८३	६४ १८५	अहवा
६ पचमहल	८ ८६६	१८ ४८ ८०४	गोधरा
१० बडोदरा	७ ७८८	१६ ८० ०६५	बडोदरा
११ बनासकांठा	१२ ७०२	१२ ६५,३८३	पालनपुर
१२ भडौच	६ ०४५	११ ०६ ६०१	भडौच
१३ भावनगर	११ १५५	१४ ०५ २८५	भावनगर
१४ मेहसाना	६,०२७	२०,६२ ४६८	मेहसाना

१५ राजकोट	११,२०३	१६,२४,०७२	राजकोट
१६ वल्साड	५ २३८	१४ २८,७४२	वल्साड
१७ साबरकाठा	७ ३९०	११,८७,६३७	हिम्मतनगर
१८ सुरेन्द्रनगर	१०,४८८	८,४४,४५४	सुरेन्द्रनगर
१९ सूरत	७,७६५	१७,८६,६२४	सूरत

मन्त्रिमंडल

१ श्री चिमनभाई पटेल	मुख्यमंत्री गृह, सूचना तथा कृषि
२ श्री कांतिलाल घिया	उप मुख्यमंत्री उद्योग, विद्युत तथा सहकारिता
३ डा० प्रफुल देसाई	वित्त तथा योजना
४ डा० ठाकोरभाई पटेल	स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन
५ श्रीमती आयशा बेगम शेख	शिक्षा, मत्स्यपालन तथा युवागतिविधि
६ श्री दिव्यकान्त नरावती	कानून तथा नगरपालिका
७ श्री नरेन्द्र सिंह झाला	राजस्व तथा नागरिक आपूर्ति
८ श्री गगाराम रावल	परिवहन, पयटन तथा वन
९ श्री छबीलदास मेहता	जन-कार्य
१० श्री मनसुख जोशी	श्रम तथा आवास
११ श्री अमरसिंह चौधरी	समाज कल्याण

राज्यमंत्री

१ श्री उदेसिंह वादोडिया	कृषि तथा परिवहन
२ श्री मगनभाई बरोत	शिक्षा श्रम तथा आवास
३ श्री पीयूष ठाकुर	उद्योग, विद्युत तथा सहकारिता

उपमंत्री

१ श्री सामजीभाई दामोदर	नागरिक आपूर्ति तथा वन
२ श्री रामजीभाई ठाकर	उद्योग विद्युत तथा सहकारिता
३ श्री एम० मामाभाई भाभी	स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन
४ श्री बी० एम० मुतिमानी	समाज कल्याण तथा पयटन
५ श्री नवीनचन्द्र रावानी	योजना तथा आवास

हरियाणा

राजधानी—चण्डीगढ़ क्षेत्रफल—४४,२२२ वर्ग किलोमीटर
जनसंख्या—१ ००,३६ ८०८ (१९७१ की जनगणना के अनुसार)
मुख्य भाषा—हिन्दी, साक्षरता प्रतिशत—२६ ८९

राज्यपाल—डॉ बी० एन० चक्रवर्ती   शासन रूप—काँग्रेस   मुख्य मंत्री—श्री बंसीलाल
विधान सभा अध्यक्ष—श्री [illegible]   [illegible]—[illegible]

चतुर्थ योजना परिव्यय		(लाख रुपयों में)
कुल	३५००	३ ०००
केन्द्रीय सहायता	७५५०	
राज्य के साधन	१४६५०	३४६५०

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्य स्थान

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्य स्थान
१ हिसार	१० ५०३ ००	१६ ६३ ९६३	हिसार
रोहतक	३ ८३४ ००	११० ४०७	रोहतक
३ गुड़गाँव	४ ८८६ ००	११ ७१ ७१४	गुड़गाँव
४ करनाल	३ ७७१ ००	९ ०७९ ३	करनाल
५ अम्बाला	३ ८३३ ००	१० ९८ ४०४	अम्बाला
६ जींद	३ ३०० ००	७ ७० ०६१	जींद
७ महेन्द्रगढ़	३० ९ ००	७ ३८ ५५	नारनौल
८ [illegible]	१६६ ००	९ ८३ ० ७	[illegible]
९ भिवानी	५ ०४७ ००	७ ५७ ७१७	भिवानी
१० कुरुक्षेत्र	३ ७३८ ००	८ ६७ ८९९	कुरुक्षेत्र

मन्त्रिमण्डल

१ श्री बंसीलाल	मुख्यमन्त्री सामान्य प्रशासन (सिवाय जन सम्पर्क) न्याय एवं योजना, विद्युत एवं सिंचाई
२ श्री कन्हैयालाल पोसवाल	गृह, जन [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] उद्योग निर्वाचन [illegible] [illegible] [illegible] श्रम एवं रोजगार और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग।
३ चौधरी भजनलाल	कृषि खाद्य एवं पूर्ति वन एवं सहकारिता विभाग।
४ श्री श्याम चन्द	विकास एवं पंचायत, सामाजिक कल्याण, पिछड़ी हुई एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण एवं आबकारी एवं कराधान विभाग।
५ श्री रामशरण चन्द मित्तल	वित्त, मुद्रण एवं लेखन प्रणाली, आवास विभाग।
६ चौधरी माडूसिंह मलिक	शिक्षा, भाषा एवं पुरातत्व विभाग।
७ श्री हरपाल सिंह	उद्योग, नगर एवं ग्राम योजना, उपनिवेशन एवं नागरिक सम्पत्ति और स्वास्थ्य विभाग।

८ पंडित चिरंजी लाल — लोक निर्माण (सड़क एवं भवन निर्माण) तकनीकी शिक्षा वास्तुकला, राजस्व एवं पुनर्वास और चकबन्दी विभाग।

९ कर्नल महासिंह — परिवहन डेरी विकास पशुपालन, मत्स्य पालन स्वायत्त शासन एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग।

१० श्री बनारसीदास गुप्त — आवास सहकारिता स्थानीय स्वायत्त शासन।

राज्य मन्त्री

१ श्रीमती शारदा रानी — स्वास्थ्य गृह, संसदीय कार्य विभाग।

२ श्रीमती चन्द्रावती — लोक निर्माण (भवन एवं सड़क निर्माण) राजस्व पुनर्वास एवं चकबन्दी और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग।

३ श्रीमती प्रसन्नी देवी — शिक्षा आबकारी एवं कराधान और परिवहन।

४ श्री साधन दास — स्वायत्त शासन सहकारिता एवं तकनीकी शिक्षा

५ श्री हरमोहिन्दर सिंह चटठा — योजना विद्युत एवं सिंचाई खाद्य एवं पूर्ति विभाग।

हिमाचल प्रदेश

राजधानी–शिमला जनसंख्या १९७१–३४ ६० ४३४ क्षेत्रफल–५५ ६७३ वर्ग कि० मी०
मुख्यभाषा—हिन्दी साक्षरता प्रतिशत १९ ?
राज्यपाल—एस० चक्रवर्ती **शासक दल**—कांग्रेस
मुख्यमन्त्री—डा० यशवन्तसिंह परमार
विधानसभा अध्यक्ष—कुन्नारचन्द राणा **सदस्य संख्या**—६८ (३ मनोनीत)

योजना परिव्यय (लाख रुपया में)

तीसरी योजना	चतुर्थ योजना
३ ३८५	६ ४४०

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और सदरमुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग कि० मी०)	जनसंख्या (१९७१ जनगणना)	मुख्यालय
१ कांगड़ा	८ ३९७	१३,२७ २११	धर्मशाला
२ सिरमौर	६ ५५३	४९ ८३५	नाहन
३ कुल्लू	५ ५५५	१ ९२ ३७१	कुल्लू
४ चम्बा	८ १९५	२ ५५ २३३	चम्बा
५ बिलासपुर	१ १६७	१ ९४ ७८६	बिलासपुर
६ मण्डी	४ ०१८	४ ९५ १८०	मण्डी

७	ऊना	—	—	ऊना
८	लाहौल और स्पीति	१२,०१५	२३,५३८	कीलोंग
९	शिमला	१ ४१६	२ १७ १२६	शिमला
१०	सिरमौर	२ ८२५	२ ५० ०३३	नाहन
११	हमीरपुर	—	—	हमीरपुर
१२	सोलन	—	—	सोलन

मन्त्रिमंडल

१	डा० यशवंतसिंह परमार	मुख्यमंत्री गृह योजना वित्त जनसम्पर्क आदि
२	श्री रामलाल	परिवहन पर्यटन विधि तथा चुनाव
३	श्री देशराज महाजन	राजस्व शिक्षा महाधिवक्ता तथा परायन
४	श्री लालचन्द प्रार्थी	वन उद्योग सहकारी

राज्य मन्त्री

१	श्री हरदयाल	पंचायत
२	श्री मनसाराम	समाज कल्याण तथा कारागार
३	श्रीमती सरला शर्मा	स्थानीय स्वायत्त शासन स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन

जम्मू-कश्मीर

राजधानी—श्रीनगर (ग्रीष्म), जम्मू (शीत) **क्षेत्रफल**—२२२८७० वर्ग कि० मी० (१३७३८२ वर्ग कि० मी० युद्ध विराम रेखा से भारतीय क्षेत्र में शेष पाक अधिकृत), **जनसंख्या**—४६,१६ ६३२ **मुख्यभाषा**—उर्दू कश्मीरी, डोगरी **साक्षरता प्रतिशत**—१८ २०, **राज्यपाल**—श्री एल० के० झा० **शासक दल**—कांग्रेस
मुख्यमंत्री—श्री मीर कासिम, **विधान सभा अध्यक्ष**—श्री अब्दुल गनी
सदस्य संख्या—७५ ।

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग कि० मी०)	जनसंख्या (१९७१ जनगणना)	मुख्यालय
अनन्तनाग (कश्मीर दक्षिण)	५,३८२	८ ३२ २८०	अनन्तनाग
ऊधमपुर	४,५४६	३ ३८ ८४६	ऊधमपुर
कठुआ	२,६५१	२ ७४ ६७१	कठुआ
जम्मू	३ १६५	७ ३१ ७४३	जम्मू
डोडा	११ ६६१	३ ४२ २२०	डोडा
पुंछ	१ ६५८	१ ७०,७८७	पुंछ
बारामूला (कश्मीर उत्तर)	७ ४५८	७ ७५ ७२४	बारामूला
राजौरी	२ ६८१	२ १७ ३७३	राजौरी
लद्दाख	९५,८७६	१ ०५ २९१	लेह
श्रीनगर	३ ०१३	८,२७ ६९७	श्रीनगर

मन्त्रिमंडल

१ श्री मीर कासिम	मुख्यमंत्री, योजना, सूचना आदि
२ श्री गिरधारीलाल डोगरा	वित्त विधि, उद्योग एवं वाणिज्य
३ श्री त्रिलोचन दत्त	कृषि वन, पशुपालन राजस्व
४ मोहम्मद सईद	सिंचाई बाढ नियन्त्रण
५ श्री जी० आर० कार	खाद्य आपूर्ति परिवहन विद्युत समाज कल्याण तथा श्रम

राज्य मंत्री

१ श्री गुलाम मोहम्मद	उद्योग एवं वाणिज्य
२ श्री हंसराज डोगरा	स्वास्थ्य
३ ठा० रणधीर सिंह	सूचना पर्यटन
४ श्री अब्दुल अजीज जरगर	कृषि
५ सोनम वाग्याल	सहकारिता
६ श्री गुलाम मोहम्मद पची	श्रम समाज कल्याण तथा संसदीय कार्य
७ श्री माखनलाल फोतेदार	कानून तथा सिंचाई

उपमंत्री

१ मोहम्मद अली काचू	आबकारी तथा कर
२ श्री धर्मपाल	परिवहन
३ श्री परमानन्द	स्थानीय स्वायत्त शासन
४ अब्दुल कयूम	शिक्षा तथा योजना
५ श्री बशीर अहमद	पशुपालन तथा भेड विकास

केरल

राजधानी—त्रिवेन्द्रम क्षेत्रफल—३८८५५ वर्ग कि० मी०
जनसंख्या—१९७१—२१ ३४७३७५, मुख्य भाषा—मलयालम
साक्षरता प्रतिशत—(१९७१) ६० ४२, राज्यपाल—श्री एन० एन० वान्चू
शासक दल—कांग्रेस—कम्युनिस्ट मोर्चा मुख्यमंत्री—श्री अच्युत मनन
सदस्य संख्या—१३४,
मंत्रीपरिषद संख्या—१३
राज्य की राष्ट्रीय आय—१००२ करोड १९६९-७०—११९८ करोड प्रति व्यक्ति आय—५६७ ६०

योजना परिव्यय (लाख रुपया म)

	तीसरी योजना	चतुर्थ योजना
कुल	१८ १५९	२५ ८३५
केन्द्रीय सहयोग	१२ १७०	१७ ५००
राज्य के साधन	५ ९८९	८ ३३५

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या (लाख में)	मुख्य मुकाम
१ आलप्पुज़ा	१ ८८४	२१ २६	आलप्पुजा
२ एर्णाकुलम	२ ३७७	२१ ६४	एर्णाकुलम
३ कण्णूर	५ ७०६	२३ ६५	कण्णूर
४ कोजिकोड	३ ७२६	२१ ०६	कोजिकोड
५ कोट्टयम	२ १६५	१५ ३६	कोट्टयम
६ कोल्लम	४ ६२३	२४ १३	कोल्लम
७ तिरुवनन्तपुरम्	२ १६२	२१ ६६	तिरुवनन्तपुरम
८ तशूर	३ ०३२	२१ २६	तशूर
९ पालक्काट	४ ४००	१६ ८५	पालक्काट
१० मलप्पुरम	३ ६३८	१८ ५६	मलप्पुरम
११ ईडुक्की	५ १२७	१७ ६५	कोट्टयम

मन्त्रिमंडल

१ श्री सी० अच्युत मेनन	मुख्यमंत्री सामान्य प्रशासन योजना आदि
२ श्री टी० के० दिवाकरन	बाढ़ नियंत्रण सिंचाई
३ श्री बाबी जान	भूराजस्व तथा आबकारी
४ श्री के० अवुकादर कुट्टी नाहा	पंचायत मत्स्यपालन आदि
५ श्री एन० के० बालकृष्ण	सहकारिता एवं जनस्वास्थ्य
६ श्री पाल० पी० मणि	खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति
७ के० जी० अदियोदी	वन लाटरीज आदि
८ चाक्करी अहमद कुट्टी	शिक्षा समाज कल्याण पर्यटन अन्य
९ श्री के० करुणाकरन	गृह सूचना एवं प्रचार
१० श्री वी० पुरुषोत्तम	कृषि एवं श्रम कानून तथा रोजगार
११ श्री वल्ला एचारन	हरिजन कल्याण तथा सामुदायिक विकास
१२ श्री टी० वी० थामस	उद्योग तथा वाणिज्य
१३ *श्री एम० एन० गोविन्द नायर*	परिवहन तथा संचार आदि

मध्यप्रदेश

राजधानी—भोपाल क्षेत्रफल—४ ४३ ४५६ वर्ग कि० मी०
जनसंख्या—४१ ६५४ ११६
मुख्यभाषा—हिन्दी साक्षरता प्रतिशत—२२ १४
राज्यपाल—श्री सत्यनारायण सिंह शासक दल—कांग्रेस मुख्यमंत्री—श्री प्रकाशचन्द सेठी,
विधान सभा अध्यक्ष—श्री गुलशेर अहमद सदस्य संख्या—२९७ दलीय स्थिति—

कांग्रेस—२२१, जनसंघ—४६, सोशा—८, कम्यु०—५, निर्दलीय—१७, रिक्त—३
नाम निर्दिष्ट—१ मंत्रीपरिषद संख्या—२६ मंत्री—११ राज्यमंत्री—८ उपमंत्री—७,
राज्य की राष्ट्रीय आय—२ २३ ७६ ३६ लाख रु०, प्रति व्यक्ति आय—५६६ रुपये

योजना परिव्यय (लाख रुपया में)

	तीसरी योजना	चतुर्थ योजना
कुल	२८,८३५	३८,३००
केन्द्रीय सहयोग	२१,९५०	२६,२००
राज्य के साधन	६,८८५	१२,१००

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और सदरमुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	सदरमुकाम
१	२	३	४
१ इन्दौर	२ ८३१	१० २५ १५०	इन्दौर
२ उज्जैन	६ ११३	८ ६८ ५१३	उज्जैन
३ गुना	११ ०६२	७ ८३ ७४८	गुना
४ ग्वालियर	५ १८४	८ ५८ ००१	ग्वालियर
५ छतरपुर	८ ७५८	७ १२ २८४	छतरपुर
६ छिन्दवाड़ा	११ ८२५	६ ८६ ४१३	छिन्दवाड़ा
७ जबलपुर	१० १५२	१२ ८६ ०३०	जबलपुर
८ झाबुआ	६ ७७२	६ ६७ ८११	झाबुआ
९ टीकमगढ़	५,०३४	५ ६८ ८८४	टीकमगढ़
१० दतिया	२ ०२७	२ ४५ २६७	दतिया
११ दमोह	७ ३२१	५ ७२ २६३	दमोह
१२ दुर्ग	१६ ६२२	२४ ६१ ६०१	दुर्ग
१३ देवास	७ ००७	५ ६४ ३२	देवास
१४ धार	८ १६०	८ ४२ ६००	धार
१५ नरसिंहपुर	५ १२	४ १६,२७०	नरसिंहपुर
१६ निमाड़ (प०) (खरगोन)	१२ ४८१	१२ ८४ ८१२	खरगोन
१७ निमाड़ (पू० खंडवा)	१० ७०१	८ ७८ २२१	खंडवा
१८ पन्ना	७ ०२१	४ २६ ०७७	पन्ना
१९ बस्तर	३६ १७०	१५ १५,६५६	जगदलपुर

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	सदरमुकाम
२० बालाघाट	९ २५५	९ ७७ ५८३	बालाघाट
२१ बिलासपुर	१९ ७२३	२४ ४०,९६२	बिलासपुर
२२ बैतूल	१० ०६०	७,३६ १९६	बैतूल
२३ भिण्ड	४४६२	७ ९३ ९५५	भिण्ड
२४ मंडला	१३ २७८	८ ७३ ५७७	मंडला
२५ मन्दसौर	१० २७१	९ ६१ ५२२	मन्दसौर
२६ मुरैना	११ ६२८	९ ८५ ३३८	मुरैना
२७ रतलाम	४४७४	६ २६ ५३४	रतलाम
२८ राजगढ	६ १७३	६ ४४ ३४६	राजगढ
२९ रायगढ	१३ ११६	१२ ७८ ७०८	रायगढ
३० रायपुर	२१ २७३	२६ १३ ५३१	रायपुर
३१ रायसेन	८ ४७४	५ ५३ ०२६	रायसेन
३२ रीवा	६ ४९७	९ ७७ ८९४	रीवा
३३ विदिशा (भिलसा)	७ ३५३	६ ५८ ४२७	विदिशा
३४ शहडोल	१४ ०१६	१० २९ ८३९	शहडोल
३५ शाजापुर	६,१८६	६ ७८ ३५९	शाजापुर
३६ शिवपुरी	१० ३२५	६ ७६ ५६७	शिवपुरी
३७ सतना	७ ३६२	९ १३ ५३१	सतना
३८ सरगुजा	२२ ३४०	१३ २६ ४३९	अम्बिकापुर
३९ सागर	१० २५९	१० ६२ २९१	सागर
४० सिवनी	८ ७४३	६ ६८ ३५२	सिवनी
४१ सीधी	१० ५१६	७ ७६ ७८६	सीधी
४२ सीहोर	९ ३२५	१० ८४ ९३३	सीहोर
४३ होशंगाबाद	१० ०१६	८ ०५ ८७०	होशंगाबाद

नोट —कुल जिलों की संख्या ४५ हो गई है। दो नये जिले हैं—भोपाल तथा राजनांदगांव।

मन्त्रिमंडल

१ श्री प्रकाशचन्द्र सेठी — मुख्यमंत्री गृह पर्यटन पुरातत्व सिंचाई एवं विद्युत शक्ति

२ श्री श्यामसुन्दरनारायण मुशरान — वित्त पंचायत राजस्व तथा वन

३ श्री मथुराप्रसाद दुबे — सहकारिता लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी

४ श्री किशोरीलाल शुक्ला — राजस्व भू-सुधार

५ श्री अर्जुनसिंह	शिक्षा
६ श्री परमानन्द भाई पटेल	उद्योग एवं वाणिज्य
७ श्री कृष्णपालसिंह	विधि तथा जेल
८ श्री बसन्तराव उइके	कृषि खाद्य तथा आदिम जाति कल्याण
९ श्री चन्द्रप्रताप तिवारी	योजना
१० श्री तेजलाल टेंभरे	लोक निर्माण विभाग
११ श्री रिसालराम महन्त	श्रम तथा पुनर्वास

राज्य मंत्री

१ श्री राजा रामसिंह	स्थानीय स्वायत्त शासन (नगर)
२ कु० विमला वर्मा	लोक स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन
३ श्री बाबूराम चतुर्वेदी	पंचायत सामुदायिक विकास तथा समाज कल्याण
४ श्री रणविजय प्रतापसिंह	गृह
५ श्री अजीज कुरेशी	सिंचाई एवं विद्युत
६ श्री उमराव सिंह	वन
७ श्री मुकुन्दलाल भेडिया	सहकारिता
८ श्री टुमनलाल	विधि एवं जल

उपमंत्री

१ श्री मनमोहनदास	लोक निर्माण विभाग
२ श्री चन्द्रप्रभाष शेखर	वित्त
३ कु० कमला कुमारी	पंचायत समाज कल्याण
४ श्री दुर्गादास सूर्यवंशी	राजस्व
५ श्री भंवरसिंह पोर्ते	शिक्षा
६ श्री शोभाराम पटेल	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन
७ श्री कन्हैयालाल डामरिया	सहकारिता

महाराष्ट्र

राजधानी—बम्बई क्षेत्रफल—३,०७ ७६२ वर्ग कि० मी०,
जनसंख्या—५० ३२५ ८९२
मुख्य भाषा—मराठी साक्षरता प्रतिशत—२९
राज्यपाल—अलीयावर जंग, शासक दल—कांग्रेस, मुख्यमंत्री—वसन्तराव फूलसिंह नाईक
विधान सभा अध्यक्ष—शेषराव वानखेडे सदस्य संख्या—२७१ दलीय स्थिति—कांग्रेस—२२१ लो० मो०—१२ जनसंघ—५ शिवसेना—१ समाज—२ नि०—७ रिक्त—२ समाजवादी प्रपार्टी—१६, मंत्री परिषद संख्या—२१ मंत्री—१२ राज्यमंत्री—८ उपमंत्री—१ राज्य की राष्ट्रीय आय—३ ०५३ करोड़ रुपये प्रति व्यक्ति आय—६५४.६०

योजना परिव्यय (करोड रुपया मे)

	तीसरी योजना	चतुर्थ योजना
कुल	३९० २०	१००० २१
केन्द्रीय सहयोग	१६२ ००	२४५ ५०
राज्य के साधन	२२८ २०	७५४ ७१

जिलो का क्षेत्रफल, जनसख्या और सदरमुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग कि० मी०)	जनसख्या (१९७१ जनगणना)	मुख्यालय
१ अकोला	१० ५६७	१५ ०१,४७८	अकोला
२ अमरावती	१२ २१०	१५ ४१ २०६	अमरावती
३ अहमदनगर	१७ ०३५	२२ ६६ ११७	अहमदनगर
४ उस्मानाबाद	१४ ११७	१८ ६६ ६८७	उस्मानाबाद
५ औरंगाबाद	१६ २००	१९ ७१ ००६	औरंगाबाद
[illegible] कोलाबा	७ १६८	१० ६३ ००३	अलीबाग
७ कोल्हापुर	८ ०५६	२० ४८ ०४६	कोल्हापुर
८ बृहत्तर बम्बई	६०३	५९ ७० ५७५	बम्बई
९ चन्द्रपुर	२५ ६४१	१६ ४० १३७	चन्द्रपुर
१० जलगाव	११ ७७१	२१ २३ १२१	जलगाव
११ थाना	९ ५५३	२२ ८१ ६६४	थाना
१२ धुलिया	१३ १४३	१६ ६२ १८१	धुलिया
१३ नान्देड	१० ५६२	१३ ९७ ७६२	नान्देड
१४ नागपुर	९ ९२८	१६ ४२ ६८८	नागपुर
१५ नासिक	१५ ५८२	[illegible]	नासिक
१६ परभणी	१२ ५८९	१५ ०१ ७७१	परभणी
१७ पूना	[illegible]	[illegible]	पूना
१८ बीड	[illegible]	१२ ८६ १२१	बीड
१९ बुलढाणा	९ ७४५	१२ ६२ ९७८	बुलढाणा
२० भण्डारा	[illegible]	१५ ८५ ५८०	भण्डारा
[illegible] यवतमाल	[illegible]	[illegible]	यवतमाल
[illegible] रत्नागिरि	१३ ०५०	१९ ९० ५८३	रत्नागिरि
[illegible] वर्धा	[illegible]	७ ७९ ५६२	वर्धा
[illegible] शोलापुर	[illegible]	[illegible]	शोलापुर
[illegible] सतारा	[illegible]	[illegible]	सतारा
[illegible] सांगली	[illegible]	[illegible]	सांगली

मन्त्रिमण्डल

१ श्री वसन्तराव नाइक	मुख्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ग्राम विकास, गृह योजना, सूचना तथा पर्यटन
२ श्री वसन्तराव दादा पाटील	सिंचाई तथा विद्युत
३ श्री शंकरराव चह्वाण	कृषि एवं राज्य सड़क परिवहन
४ श्री मधुकरराव चौधरी	वित्त, लघुबचत तथा वन
५ श्री एन० एम० तिड़के	उद्योग श्रम एवं विधायी मामले
६ डा० रफीक जकारिया	जनस्वास्थ्य तथा नागर विकास
७ श्री वाई० जे० मोहिते	महकारिता तथा आवास
८ श्री एच० जी० वर्तक	राजस्व पुनर्वास खाद्य तथा आपूर्ति
९ श्री ए० आर० अनतुले	भवन तथा संचार विधि एवं न्याय तथा मत्स्य पालन
१० श्रीमती प्रतिभा पाटील	समाज कल्याण तथा सांस्कृतिक मामले
११ प्रो० ए० एन० नामजोशी	शिक्षा एवं खेल
१२ डा० एम० बी० पापट	मद्यनिषेध

राज्यमन्त्री

१ श्री के० पी० पाटील	उद्योग बिजली वन तथा पर्यटन
२ श्री शंकरराव पाटील	वित्त ग्रामीण विकास तथा श्रम
३ श्री सुन्दरराव सोलंके	राजस्व एवं सहकारिता
४ श्री शरच्चन्द्र पवार	गृह प्रचार, पुनर्वास खाद्य तथा आपूर्ति
५ श्री जी० एम० सरनायक	नगर विकास, जनस्वास्थ्य तथा भवन एवं संचार
६ श्रीमती प्रभा राव	शिक्षा तथा योजना
७ श्री आर० जे० देवतले	कृषि सिंचाई तथा राज्य सड़क परिवहन
८ श्री डी० टी० रूपवते	समाज कल्याण, मत्स्य पालन तथा आवास

उपमन्त्री

१ श्री रामू पटेल	वन तथा समाज कल्याण

कर्नाटक

राजधानी—बंगलौर, **क्षेत्रफल**—१,९१,७७३ वर्ग कि० मी० **जनसंख्या**—२,९२,९९,०१४, **साक्षरता प्रतिशत**—३१.४७ **मुख्य भाषा**—कन्नड।

राज्यपाल—श्री मोहनलाल सुखाडिया।

योजना परिव्यय (लाख रुपयों में)

	तीसरी योजना	चतुर्थ योजना
कुल	२५०.६९	३५०.०८
केन्द्रीय सहयोग	१५९.५०	१७३.००
राज्य के साधन	९४.१९	१७७.००

जिलो का क्षेत्रफल, जनसंख्या और सदरमुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलामीटर)	जनसंख्या (१९७१ जनगणना)	मुख्यालय
१ उत्तर कन्नड	१० २७६	८ ४९ १०५	कारवाड
२ कोल्ग (कुर्ग)	४,१०४	३ ७८ २९१	मडकेरी
३ कोलार	८ २२३	१५ १६ ६२६	कोलार
४ गुलबर्ग	१६ २२४	१७ ३९ २२०	गुलबर्ग
५ चिकमगलूर	७ १९९	७ ३६ ६४७	चिकमगलूर
६ चित्रदुर्ग	१० ८५२	१३ ९७ ४५६	चित्रदुर्ग
७ तुमकुर	१० ६०६	१६ २७ ७२१	तुमकुर
८ दक्षिण कन्नड	८ ४४१	१९ ३९ ३१५	मंगलोर
९ धारवाड	१३ ७४९	२३ ४२ २१३	धारवाड
१० बंगलोर	८ ००३	३३ ६५ ५१५	बंगलोर
११ बल्लारी	९ ८९८	११ २२ ६८६	बल्लारी
१२ बीजापुर	१७ ०५६	१९ ८५ ५९१	बीजापुर
१३ बीदर	५ ४५१	८ २४ ०५९	बीदर
१४ बेलगाम	१३ ४१०	२४ २३ ३४२	बेलगाम
१५ मण्डया	४ ९५८	११ ५४ २०४	मण्डया
१६ मैसूर	११ २४७	२० ७७ २३८	मैसूर
१७ रायचूर	१४ ००५	१४ १५ ७४०	रायचूर
१८ शिवमोग्ग	१० ७४८	१३ १० ४८५	शिवमोग्ग
१९ हासन	६ ८२३	११ ०२ ३७०	हासन

मन्त्रिमण्डल

१ श्री देवराज उर्स	मुख्यमंत्री गृह योजना तथा सामान्य प्रशासन
२ श्री एच० एम० चन्नबसप्पा	सार्वजनिक कार्य
३ श्री एच० सिद्दावीरप्पा	स्वास्थ्य
४ श्री बी० बसवलिंगप्पा	नगरपालिका प्रशासन तथा आवास
५ श्री मल्लिकार्जुनस्वामी	पंचायतीराज समाज कल्याण
६ श्री ए० आर० बद्रीनारायण	शिक्षा
७ श्री ए० शंकर अल्वा	सहकारिता
८ श्री एन० हुच्चमस्ता गौडा	राजस्व
९ श्री के० एच० पाटिल	कृषि एवं वन
१० श्री अजीज सेट	श्रम परिवहन पर्यटन तथा वक्फ

११ श्री एम० वाई घोरपडे	वित्त
१२ श्री एम० एम० कृष्ण	उद्योग एव वाणिज्य
१३ श्री डी० म० नायकर	विधि तथा ससदीय काय

राज्यमन्त्री

१ श्री वी० एम० कौजली	युवा सेवा
२ श्री एच० एन० नागे गौडा	वहद सिंचाई
३ श्री बी० शिवन्ना	वित्त
४ श्री के० टी० राठौड	मत्स्य पालन
५ श्री डी० मी० जामदुर	याजना एव सूचना
६ श्री एन० चिक्र	पशुपालन
७ श्री एस० बी० नगराज	रशम विकास
८ श्रीमती इवा वज	खाद्य तथा आपूर्ति

मेघालय

राजधानी—शिलाग, **क्षेत्रफल**—२२ ४८९ वग कि० मी०, **जनसख्या**—१० ११ ६९९
मुख्यभाषा—खासी **साक्षरता प्रतिशत**—२६ ५ **राज्यपाल**—श्री एल० पी० सिंह (प्रसम)
शासक दल—आल पार्टी हिल लीडस कान्फ्रेंस **मुख्यमत्री**—क० विलियम्सन सगमा
विधान सभा अध्यक्ष—श्री आर० एस० लिगडो **सदस्य सख्या**—६०, **दलीय स्थिति**—
ए० पी० एच० एल० सी०—३२ का—६ निदलीय—१६
मत्री परिषद सख्या—७

जिलो का क्षेत्रफल, जनसख्या और सदरमुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वग कि० मी०)	जनसख्या (१९७१ जनगणना)	मुख्यालय
खासी पहाडिया	१० ५२६		
जन्तिया पहाडिया	३ ८६३		
शिलाग	१३	६,०५ ०८४	शिलाग
गारो पहाडिया	८,०८४	४०६ ६१५	तुरा

(खासी पहाडिया, जन्तिया पहाडिया तथा शिलाग के लिए जनसख्या व मुख्यालय एक साथ दिए गए हैं।)

मन्त्रिमण्डल

१ कप्टन विलियम्सन सगमा	मुख्यमत्री गृह आदि
२ श्री ए० डा० निकालसराय	उद्याग तथा कृषि
३ श्री बा० बी० लिगदा	वित्त
४ श्री ई० बरह	जनकाय
५ श्री म—डा— मारक	स्वास्थ्य परिवार नियाजन तथा शिक्षा

राज्यमन्त्री

१ श्री नारायिन सिंह	शिक्षा युवा तथा समाज कल्याण
२ श्री जी० एम० मारक	सार्वजनिक निर्माण सीमा शुल्क तथा जनसम्पर्क

मणिपुर

राजधानी—इम्फाल क्षेत्रफल—२२ ३५६ वर्ग कि० मी०,
जनसंख्या—१० १२ ७५३
मुख्यभाषा—मणिपुरी साक्षरता प्रतिशत—३७ ७
राज्यपाल—श्री एल० पी० सिंह ।

योजना परिव्यय (लाख रुपयों में)

	तीसरी योजना	चतुर्थ योजना
	१२८२	२८००

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और सदरमुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग कि० मी०)	जनसंख्या (१९७१ जनगणना)	मुख्यालय
मणिपुर उत्तर	३ ४१७	१ ०४ १३५	करांग
मणिपुर दक्षिण	४ ५८१	९८ ११४	चूड़ाचान्दपुर
मणिपुर पूर्व	४ ४०९	६२ २२६	उखरुल
मणिपुर पश्चिम	४ ३४४	५४ ९७५	तामेंगलांग
मणिपुर मध्य	५ ६०५	७ ६३ २६०	इम्फाल

राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत ।

नागालैंड

राजधानी—कोहिमा क्षेत्रफल—१६ ५२७ वर्ग कि० मी०
जनसंख्या—५ १६ ४४९
मुख्यभाषा—अंगामी साक्षरता प्रतिशत—२७ ४३
राज्यपाल—श्री एल० पी० सिंह मुख्यमंत्री—होकिशे सेमा ।

योजना परिव्यय (लाख रुपया मे)

	तीसरी योजना	चतुर्थ योजना
कुल	१०८०	४,०००
केन्द्रीय सहयोग	१,०८०	३,५००
राज्य के साधन	—	५००

जिलो का क्षेत्रफल, जनसख्या और सदरमुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलामीटर)	जनसख्या	सदरमुकाम
१	२	३	४
१ कोहिमा	७,२०६	१७५,२०४	कोहिमा
२ त्वेनसाग	५,४६६	१,७३,००३	त्वेनसाग
३ मोकोक्चुग	३,८५२	१,६८,२४२	मोकोक्चुग

मन्त्रिमण्डल

१ श्री होकिशे सेमा	मुख्यमत्री, गृह, सामान्य प्रशासन, सूचना आदि
२ श्री जसोकी अगामी	शिक्षा एव सास्कृतिक अनुसन्धान
३ श्री पी० सी० चितेन जमीर	वित्त एव राजस्व सहकारिता उद्योग एव वाणिज्य
४ श्री टी० एन० अगामी	सावजनिक निर्माण विभाग एव विद्युत
५ श्री अकुम इमलाग	विधि एव ससदीय काय तथा कृषि

राज्यमन्त्री

१ श्री एन० एल० ओडिया	परिवहन एव सचार तथा पुनर्वास
२ श्री इहेशे झिमामी	जनस्वास्थ्य एव चिकित्सा सहकारिता
३ श्री कारामान आम्रो	सामुदायिक विकास आदि
४ श्री चिंगवाग कोन्याक	पशु चिकित्सा एव कारागार
५ श्री वेप्रेनी कापफो	शिक्षा एव समाज कल्याण

उपमन्त्री

१ श्री राइट हाग	सावजनिक निर्माण विभाग
२ श्री सुलुतेम्बा आम्रो	वन एव मत्स्यपालन
३ श्री निहावी सेमा	सूचना एव प्रचार,
४ श्री तोची हान्सो	जनस्वास्थ्य एव चिकित्सा
५ श्री पुतुहू	कृषि

उडीसा

राजधानी—भुवनेश्वर क्षेत्रफल—१,५५,८४२ वग कि० मी०, जनसख्या २,१६,४४,६१५, मुख्यभाषा—उडिया, साक्षरता प्रतिशत—२१ ६२

राजयपाल—श्री बी० डी० जेत्ती, शासक—राष्ट्रपति शासन ।

योजना परिव्यय (लाख रुपया म)

	तीसरी योजना	चतुथ योजना
कुल	२५ ४२३	२२ २६०
केन्द्रीय सहयोग	१३ ४४०	१६ ०००
राज्य के साधन	११ ९८३	६ २६०

जिलो का क्षेत्रफल, जनसख्या और सदरमुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वग किलामीटर)	जनसख्या (१९७१ जनगणना)	मुख्यालय
१	२	३	४
१ कटक	११ २११	३८ २७ ६७८	कटक
२ कलाहाण्डी	११ ८३५	११ ६३,८६६	भवानी पटना
३ केओझर	८ २४०	९ ५५,५१४	केओझर
४ कोरापुट	२७ ०२०	२० ४३ २८१	कोरापुट
५ गजाम	१२ ५२७	२२ ९३ ८०८	छत्रपुर
६ ढेंकानाल	१० ८२६	१२ ९३ ९१४	ढेंकानाल
७ पुरी	१० १५९	२३ ४० ८५९	पुरी
८ बलागीर	८ ९०३	१२ ६३ ६५७	बलागीर
९ बालेश्वर	६ ३९४	३८ ३० ५०८	बालेश्वर
१० बौद्ध खण्डमाल	११ ०३०	६ २१ ६७५	फूलबाणी
११ मयूरभज	१० ४१२	१८ ३४ २००	बारिपदा
१२ सम्बलपुर	१७ ५७०	१८ ४४ ८९८	सम्बलपुर
१३ सुन्दरगढ	९ ६७५	१० ३० ७५८	सुन्दरगढ

पंजाब

राजधानी—चण्डीगढ क्षेत्रफल—५० ३६२ वग कि० मी०

जनसख्या—१ ३५ ५१ ०६०

मुख्यभाषा—पंजाबी साक्षरता प्रतिशत (१९७१)—३३ ३९ राज्यपाल—श्री महेन्द्रमोहन चौधरी

विधानसभा अध्यक्ष—डा० केवलकृष्ण ।

योजना परिव्यय (लाख रुपया म)

	तीसरी योजना	चतुर्थ योजना
कुल	२५ ४२३	२६ ३५६
केन्द्रीय सहयोग	१६ ४४०	१० १००
राज्य के साधन	११ ६८३	१६,२५६

जिलो का क्षेत्रफल, जनसख्या और सदरमुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वग कि० मी०)	जनसख्या (१६७१ जनगणना)	मुख्यालय
१ अमृतसर	५,०८८	१८,३५,५००	अमृतसर
२ कपूरथला	१ ६३३	४ ७६,५१८	कपूरथला
३ गुरदासपुर	३ ५६०	१२ २६,२४६	गुरदासपुर
४ जालधर	३ ३६६	१६,५४ ५०१	जालधर
५ पटियाला	४ ५८३	१२ १५ १००	पटियाला
६ फिरोजपुर	१० १६८	१६ ०५,८३३	फिरोजपुर
७ भटिंडा	७ ०२२	१३ १८ १३४	भटिंडा
८ लुधियाना	३ ८५७	१४ १६ ६२१	लुधियाना
६ सगरूर	५ १०७	११ ८६ ६५०	सगरूर
१० होशियारपुर	३ ८८३	१० ५२,१६३	होशियारपुर
११ रोपड	२ ०६८	४७१ ५६४	रोपड
१२ फरीदकोट	—	—	फरीदकोट

मन्त्रिमण्डल

१ ज्ञानी जलसिंह	मुख्यमन्त्री सामान्य प्रशासन गृह
२ श्री उमरावसिंह	राजस्व भू-सुधार, ससदीय कार्य आदि
३ श्री हसराज शर्मा	वित्त, योजना लघु बचत,श्रम एव रोजगार
४ श्री गुरमलसिंह	शिक्षा चिकित्सा शिक्षा आदि
५ मास्टर गुरबन्तासिंह	कृषि वन आदि
६ श्री यश	तकनीकी शिक्षा कारागार तथा आबकारी कर

राज्यमन्त्री

१ श्री जोगेन्द्रपाल पाण्डे	सार्वजनिक निर्माण कार्य
२ श्री सन्तोषसिंह रधावा	सामुदायिक विकास पचायतराज, पशुपालन

३ कु० सरला पाराशर	समाज कल्याण
४ स० सोहनसिंह जलालुस्मान	जन स्वास्थ्य कुटीर उद्योग
५ श्री दिलबागसिंह दलेका	परिवहन
६ स० बलबीरसिंह	स्वास्थ्य एव परिवार नियोजन
७ सरदार गुरबख्शसिंह साविया	सिंचाई एव विद्युत
८ स० गुरदर्शनसिंह	खाद्य एव आपूर्ति
९ श्रीमती गुरबिंदरकौर बरार	आवास तथा गन्दी बस्ता उन्मूलन

उपमंत्री

१ श्री बलराम	सहकारिता तथा सिंचाई व विद्युत
२ श्री खुशहाल बहल	कुटीर उद्योग तथा औद्योगिक सहकारिता

राजस्थान

राजधानी—जयपुर **क्षेत्रफल**—३ ४२ २६७ वग कि० मी०
जनसख्या—२५ ७६५ ८०६ (२५ ७६५ ८०६) १९७१ म
मुख्यभाषा—हिन्दी **बोली**—राजस्थानी **साक्षरता प्रतिशत**—१९ ०७
राज्यपाल—श्री जोगिन्दरसिंह **शासक दल**—कांग्रेस **मुख्यमंत्री**—श्री हरदेव जोशी
सदस्य सख्या—१८४ **दलीय स्थिति**—कां० १४४ स्व० ११ जन० ८ मो० ४, स० कां०—१ कम्यु०—४ निद०—११, एक रिक्त

योजना परिव्यय (लाख रुपया म)

	तीसरी योजना	चतुथ योजना
कुल	२१ २३४	३१६ ०
केन्द्रीय सहायता	१६ ४०३	२२ ०००
राज्य के तथा अन्य साधन	४ ८३१	९ ६००

जिलो का क्षेत्रफल जनसख्या तथा सदरमुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वग किलोमीटर)	जनसख्या (१९७१ जनगणना)	सदरमुकाम
१	२	३	४
१ अजमेर	८ ४७९	११ ४७ ७२९	अजमेर
२ अलवर	८ ३८२	१३ ९१ १६२	अलवर
३ उदयपुर	१७ २६७	१८ ०३ ६८०	उदयपुर
४ कोटा	१२ ४३७	११ ४३ ८१०	कोटा
५ गगानगर	२० ६२९	१३ ९९,०११	गगानगर

६ चित्तौड़गढ़	१०,८५८	६,४४,६८१	चित्तौड़गढ़
[illegible] चूरू	१६,८२६	८,७४ ८३६	चूरू
८ जयपुर	१६,०००	२४ ८२,३८५	जयपुर
६ जालौर	१०,६४०	६ ६७,६५०	जालौर
१० जैसलमेर	३८,४०१	१ ६६ ७६१	जैसलमेर
११ जोधपुर	२२ ८६०	११ ५२ ७१२	जोधपुर
१२ झालावाड़	६ २१६	६,२२,००१	झालावाड़
१३ झुन्झुनू	५ ६२६	६ २६,२३०	झुन्झुनू
१४ टोंक	७ २००	६ २५ ८३०	टोंक
१५ डूंगरपुर	३ ७७०	५ ३० २६८	डूंगरपुर
१६ नागौर	१७ ७१८	१२ ६२,१५७	नागौर
१७ पाली	१२ ३६१	६ ७०,००२	पाली
१८ बांसवाड़ा	५ ०३७	६ ५४ ५८६	बांसवाड़ा
१९ बाड़मेर	२८ २८७	[illegible] ७४ ८०४	बाड़मेर
२० बीकानेर	२७,२३१	५ ७३ १४६	बीकानेर
२१ बूंदी	५ ५५०	४ ४६,०२१	बूंदी
२२ भरतपुर	८ ०६३	१४,६०,२०६	भरतपुर
२३ भीलवाड़ा	१० ४५०	१० ५४ ८६०	भीलवाड़ा
२४ सवाई माधोपुर	१० ५६३	११ ६३ ५२८	सवाई माधोपुर
२५ सिरोही	५ १३४	४,२३,८१५	सिरोही
२६ सीकर	७ ७३२	१० ४२ ६४८	सीकर

मन्त्रिमंडल

१ श्री हरदेव जोशी	मुख्यमन्त्री कार्मिक सामान्य प्रशासन राजनीतिक मन्त्रिमंडल गृह (नागरिक सुरक्षा सहित), उद्योग जन अभियोग अकाल एवं बाढ़ सहायता पर्यटन
२ श्री परसराम मदेरणा	राजस्व उपनिवेशन वन खनिज कल्याण देवस्थान वक्फ
३ श्री चन्दनमल बैद	वित्त, आयोजना आर्थिक एवं सांख्यिकी, आबकारी एवं कराधान
४ श्री शिवचरण माथुर	कृषि, पशुपालन, भेड़ व ऊन खाद्य एवं नागरिक रसद
५ श्री हीरालाल देवपुरा	सिंचाई सार्वजनिक निर्माण विद्युत राजस्थान नहर
६ श्री सतसिंह	शिक्षा भाषा विभाग भाषायी अल्पसंख्यक, कानून एवं न्याय, विधानसभायी मामले
७ श्री मोहनलाल छगाणी	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (परिवार नियोजन सहित) यातायात, समाज कल्याण, श्रम एवं नियोजन

८ श्री रामनारायण चौधरी	सहकारिता, स्वायत्त शासन, नगर आयोजन, पचायत एव सामुदायिक विकास, जल
९ श्रीमती कमला बेनीवाल	जनसम्पर्क, चिकित्सा एव स्वास्थ्य (परिवार नियोजन सहित) श्रम एव नियोजन समाजकल्याण
२ श्री जुझार सिंह	खनिज (स्वतत्र चाज) वित्त आयोजना आर्थिक एव सांख्यिकी आबकारी एव करारोपण
३ श्री मूलचन्द मीणा	खादी एव ग्रामोद्योग (स्वतन्त्र चाज) राजस्व एव भू-सुधार उपनिवेश वन सैनिक कल्याण देवस्थान

राज्य मन्त्री

४ श्री फारुख हसन	शिक्षा भाषा विभाग विधि एव न्याय कानूनी मामले निर्वाचन
५ श्री मुणीलाल महावर	कृषि पशुपालन भेड व ऊन, स्वायत्त शासन नगर आयोजना
६ श्री गुलाब सिंह शक्तावत	सामान्य प्रशासन, गृह (नागरिक सुरक्षा सहित) उद्योग जन अभियोग अकाल एव बाढ़ सहायता
७ श्री बनवारी लाल बरवा	सहकारिता पचायत एव विकास मुद्रण एव लेखन सामग्री जेल

उत्तर प्रदेश

राजधानी—लखनऊ क्षेत्रफल—२ ९४ ४१३ वर्ग कि० मी०
जनसख्या—(१९७१)—८ ८३ ४१ १४४
राज्यपाल—श्री अकबरअली खा शासक दल—काग्रेस
मुख्यभाषा—हिन्दी साक्षरता प्रतिशत—२१ ६४
मुख्यमंत्री—श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा
विधान सभा अध्यक्ष—श्री आत्माराम गोविन्द खेर सदस्य सख्या—४२५
राज्य की राष्ट्रीय आय—२१०७ करोड रुपये, प्रति व्यक्ति आय—२४७ रुपये

योजना परिव्यय (लाख रुपयों मे)

	तीसरी योजना	चतुर्थ योजना
कुल	५६ ०२५	९६,५००
केन्द्रीय सहायता	३५ ६२०	५२ ६००
राज्य के साधन	२० ४४५	४३ ९००

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या तथा सदरमुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या (१९७१ जनगणना)	मुख्यालय
१	२	३	४
१ अल्मोड़ा	७,०२३	७ ५० ०३८	अल्मोड़ा
२ अलीगढ़	५ ०२४	२१ ११ ८२६	अलीगढ़
३ आगरा	४ ८१६	२३ ०८ ६२८	आगरा
४ आजमगढ़	५ ७४४	२८ ५७,४८४	आजमगढ़
५ इटावा	४ ३२७	१४ ४७ ३०२	इटावा
६ इलाहाबाद	७,२५५	२६ ३७,२७८	इलाहाबाद
७ उत्तरकाशी	८ ०१६	१ ४७ ८०५	उत्तरकाशी
८ उन्नाव	४ ५८	१४ ८४ २६३	उन्नाव
९ एटा	४ ४४६	१५ १७,६२५	एटा
१० कानपुर	६ १२१	२६ ६६ २३२	कानपुर
११ खेरी	७ ६६१	१४ ८६ ५६०	लखीमपुर
१२ गढ़वाल	५ ४४०	५ ५३,०२८	पौड़ी
१३ गाजीपुर	३ २८१	१५ ३१,६५४	गाजीपुर
१४ गोंडा	७ ३२१	२२ ०२ ०२६	गोंडा
१५ गोरखपुर	६ ३१६	३० २८ १७७	गोरखपुर
१६ चमोली	६ १२४	२ ६२ ५७१	चमोली
१७ जालौन	४ ५४६	८ १३ ४६०	उरई
१८ जौनपुर	४ ०४०	२० ०५ ४२४	जौनपुर
१९ झांसी	१० ०६६	१३ ०७ ०४८	झांसी
२० टीहरी गढ़वाल	४ ४२१	३ ९७ ३८५	नरेन्द्रनगर
२१ देवरिया	५ ४००	२८ १२ ३५०	देवरिया
२२ देहरादून	३ ०८८	५ ७७ ३०६	देहरादून
२३ नैनीताल	६ ७९२	७ ०८ ०८०	नैनीताल
२४ पिथौरागढ़	७ २१७	२ १३ ७४७	पिथौरागढ़
२५ पीलीभीत	३ ५०४	७,५२ ११४	पीलीभीत
२६ प्रतापगढ़	३ ७५०	१४ २२ ७०७	बेला
२७ फतेहपुर	४ १६८	१२ ७८ २५४	फतेहपुर
२८ फर्रुखाबाद	४ ३४६	१५ ५६ ६२०	फतेहगढ़
२९ फैजाबाद	४,४२७	१६ २७ ०८१	फैजाबाद
३० बदायूं	५ १५८	१६ ४५ ६६७	बदायूं
३१ बलिया	३ १८३	१५,८८ ६०५	बलिया

३२	बस्ती	७३०६	२६८४०६०	बस्ती
३३	बहराइच	६८०१	१७ ६६७२	बहराइच
३४	बांदा	७६४५	११८२ ९५	बांदा
३५	बाराबंकी	४४०२	१६ ३५ ५६३	बाराबंकी
३६	बिजनौर	४८५२	१४६० १८४	बिजनौर
३७	बुलन्दशहर	४८६५	२० ७३ ३४३	बुलन्दशहर
३८	बरेली	४१२५	१७,७६ ८६७	बरेली
३९	मथुरा	३ ७६७	१२ ६० २०७	मथुरा
४०	मिर्जापुर	११ ३०१	१५ ४१ ०८८	मिर्जापुर
४१	मुरादाबाद	५ ६४६	२४ २८ ६७१	मुरादाबाद
४२	मुजफ्फरनगर	४ २४५	१८ ०२ २८६	मुजफ्फरनगर
४३	मेरठ	५ ६४४	३३ ६६ ६५३	मेरठ
४४	मैनपुरी	४ २५४	१४ ४५ ५३४	मैनपुरी
४५	रामपुर	२,३७२	६ ०१ २०६	रामपुर
४६	रायबरेली	४ ६०३	१५ १७ ८१२	रायबरेली
४७	लखनऊ	२ ५२८	१६ १७ ८४०	लखनऊ
४८	वाराणसी	५ ०६१	२८ ५२ ४५६	वाराणसी
४९	शाहजहांपुर	४ ५८१	१२ ८६ १०४	शाहजहांपुर
५०	सहारनपुर	५ ५२०	२० ५४ ८३४	सहारनपुर
५१	सीतापुर	५,७३८	१८ ८४ ४००	सीतापुर
५२	सुलतानपुर	४ ४२४	१६ ४२ ६२८	सुलतानपुर
५३	हमीरपुर	७ १६२	६ ८८,२१५	हमीरपुर
५४	हरदोई	६ ०१२	१८ ४६ ५१६	हरदोई

मन्त्रीमंडल

१	श्री हेमवतीनंदन बहुगुणा	मुख्यमंत्री सामान्य प्रशासन गृह योजना आदि
२	श्री अजीत प्रतापसिंह	पर्यटन एवं वन
३	श्री बलदेवसिंह आर्य	सामुदायिक विकास तथा पंचायत राज
४	श्री नारायणदत्त तिवारी	वित्त भारी उद्योग आदि
५	श्री लक्ष्मीशंकर यादव	सार्वजनिक निर्माण कार्य
६	श्री महमूद अलीखां	सिंचाई
७	श्री स्वामीप्रसाद सिंह	राजस्व
८	श्री धर्मदत्त वैद्य	स्थानीय स्वायत्त शासन एवं आवास
९	डा० रामजीलाल सहायक	तकनीकी शिक्षा
१०	श्री रामचन्द्र विकल	कृषि पशुपालन तथा लघु सिंचाई
११	श्रीमती राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी	खाद्य एवं आपूर्ति
१२	श्री सालिगराम जायसवाल	चिकित्सा एवं परिवार नियोजन
१३	श्री इस्तिफा हुसैन	उद्योग
१४	श्री राजमंगल पाण्डे	कानून न्याय श्रम तथा परिवहन
१५	श्री देवराम	जल तथा आबकारी

राज्यमन्त्री

१ श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी	पर्वतीय विकास
२ श्री राजविहारी सिंह	प्राथमिक शिक्षा
३ श्री गोपीनाथ दीक्षित	सहकारिता
४ श्री अजीजुररहमान	वित्त मंत्री से सम्बद्ध
५ काजी जलील अब्बासी	सामुदायिक विकास मंत्री से सम्बद्ध
६ श्री जगन्नाथ प्रसाद	कृषि व पशु पालन मंत्री से सम्बद्ध
७ श्री नवाबसिंह यादव	आवास मंत्री से सम्बद्ध
८ श्री वीरेन्द्रस्वरूप भटनागर	वित्त मंत्री से सम्बद्ध
९ श्रीमती माहसिना किदवई	खाद्य व आपूर्ति से सम्बद्ध
१० श्री शिवनाथ सिंह	स्वास्थ्य व परिवार नियोजन से सम्बद्ध

उपमन्त्री

१ श्री आगा जैदी	आवास से सम्बद्ध
२ श्री बचनसिंह	श्रम व न्याय से सम्बद्ध
३ श्री जे० एन० प्रसाद	स्वास्थ्य व परिवार नियोजन से सम्बद्ध
४ श्री देवेन्द्रसिंह	सिंचाई मंत्री से सम्बद्ध
५ श्री वीर बहादुरसिंह	वित्त व सहकारिता मंत्री से सम्बद्ध
६ श्री भानुप्रताप सिंह	कृषि मंत्री से सम्बद्ध
७ श्री रामकृष्ण द्विवेदी	राजस्व मंत्री से सम्बद्ध
८ श्री लालमाराम	उद्योग मंत्री से सम्बद्ध
९ श्री शिवलाल वाल्मीकि	सामुदायिक विकास से सम्बद्ध

तमिलनाडु

राजधानी—मद्रास क्षेत्रफल—१३००६९ वर्ग कि० मी०
जनसंख्या—४११९९,१६८ मुख्यभाषा—तमिल साक्षरता प्रतिशत—३९ ३९
राज्यपाल—के० के० शाह शासक दल—द्र० मु० क० मुख्यमंत्री—श्री एम० करूणानिधि
सदस्य संख्या—२४५
मंत्री परिषद संख्या—१३
राज्य की राष्ट्रीय आय—२,०९४ २० करोड रु० प्रति व्यक्ति आय—५५१ रुपये

योजना परिव्यय (लाख रुपया में)

	तीसरी योजना	चतुर्थ योजना
कुल	३४,२३३	५१ ९३६
केन्द्रीय सहयोग	१२ ६८०	२०,२००
राज्य के साधन	२१ ५५३	३१ ७३७

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या तथा सदरमुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या (१९७१ जनगणना)	मुख्यालय
१ उत्तर आरकाड	१२ २६५	३७ ५५ ७६७	वेल्लोर
२ कन्याकुमारी	१ ६८४	१२ २२ ५४६	नागरकोइल
३ कोयम्बत्तूर	१५ ६७३	४३ ०२ १७८	कोयम्बत्तूर
४ चिंगलपट	७ ६२०	२६ ०७ ५६६	कांचीपुरम
५ तंजावूर	६ ०२४	३८ ४० ७३२	तंजावूर
६ तिरुच्चिरापल्लि	१४ २६१	३८ ४८ ८१६	तिरुच्चिरापल्लि
७ तिरुनेलवेलि	११ ४३३	३२ ०० ५१४	तिरुनेलवेलि
८ दक्षिण आरकाड	१० ८६८	३६ १७ ०८३	कड्डलूर
९ धर्मपुरी	९ ६४३	१६ ०७ ७०५	धर्मपुरी
१० नीलगिरि	२ ५४९	४ ९४ ०१५	उदकमंडलम्
११ मदुरै	१२ ६२६	३९ ०८ १६७	मदुरै
१२ मद्रास	१२८	२४ ६९ ४४९	मद्रास
१३ रामनाथपुरम	१२ ५७८	२८ ६० २०७	मदुरै
१४ सलम	८ ६४३	२९ ६२ ६१६	सलम

मन्त्रिमण्डल

१ श्री एम० करुणानिधि	मुख्यमंत्री, सामान्य प्रशासन, मद्यनिषेध, सूचना तथा प्रचार
२ श्री वी० आर० नेडुचेजियन	शिक्षा, राजस्व तथा पर्यटन
३ श्री के० अन्बझगन	जनस्वास्थ्य
४ श्री एन० वी० नटराजन	सूचना तथा जनसम्पर्क
५ श्रीमती सत्यवती मुत्थू	हरिजन कल्याण
६ श्री पी० यू० शनमुगम	खाद्य तथा स्थानीय प्रशासन
७ श्री एस० माधवन	उद्योग
८ श्री एम० जी० सादिकपाशा	जन कार्य
९ श्री एम० पी० आदित्यनार	सहकारिता, कृषि तथा खाद्य उत्पादन
१० श्री अनबिल धर्मलिंगम	स्थानीय शासन
११ श्री के० राजाराम	पिछड़ावर्ग तथा श्रमिक
१२ श्री ओ० पी० रामन	विद्युत
१३ श्री एम० रामचन्द्रन	परिवहन

त्रिपुरा

राजधानी—अगरतला, क्षेत्रफल—१०४७७ वर्ग कि० मी०

जनसंख्या—१५ ५६ ३४२, साक्षरता प्रतिशत—३० ९५

राज्यपाल—श्री एल० पी० सिंह

योजना परिव्यय (लाख रुपया में)

	तीसरी योजना	चतुर्थ योजना
कुल	१,५२१	२,१६१

जिलों का क्षेत्रफल तथा जनसंख्या

जिला	क्षेत्रफल (किलोमीटर)	जनसंख्या
उत्तर त्रिपुरा	३ ५४१	४,०४,००६
दक्षिण त्रिपुरा	३ ५७७	३ ६६ ७२८
पश्चिम त्रिपुरा	३ ३५६	७,५१ ६०५

मन्त्रिमण्डल

१ श्री सुखमय सेनगुप्त	मुख्यमंत्री, गृह शिक्षा योजना खाद्य तथा आपूर्ति, कृषि उद्योग
२ श्री मनोरंजन नाथ	जनस्वास्थ्य तथा चिकित्सा, विधि कारागार
३ श्री देवेन्द्रकिशोर चौधरी	वित्त पुनर्वास
४ श्री हरिचरन चौधरी	जनजाति तथा हरिजन कल्याण

उपमन्त्री

१ श्रीमती वमन चक्रवर्ती	समाज, शिक्षा, महिला कार्यक्रम वृद्ध तथा असहाय महिला कल्याण आदि
२ श्री मनसूर अली	कृषि तथा सामुदायिक विकास
३ श्री गणेश राम	शिक्षा सहकारिता पचायत आदि

पश्चिमी बंगाल

राजधानी—कलकत्ता, क्षेत्रफल—८७ ८५३ वर्ग कि० मी०

जनसंख्या—१९७१—४,४३ १२ ०११

मुख्यभाषा—बंगला साक्षरता प्रतिशत—३३ ५

राज्यपाल—ए० एल० डायस मुख्यमंत्री—श्री सिद्धार्थ शंकर रे

योजना परिव्यय (लाख रुपया में)

	तीसरी योजना	चतुर्थ योजना
कुल	३० ०६८	३२,२५०
केन्द्रीय सहायता	१५ ५१०	२२ १००
राज्य के साधन	१४ ५५८	१० १५०

जिलो का क्षेत्रफल, जनसख्या तथा सदरमुकाम

	जिला	क्षेत्रफल (वग किलोमीटर)	जनसख्या (१६७१ जनगणना के अनुसार)	मुख्यालय
१	कलकत्ता	१०४	३१ ४८,७४६	कलकत्ता
२	कूचबिहार	३ ३८६	१४ १४ १८३	कूचबिहार
३	जलपाईगुडी	६,२४५	१७ ५० १५६	जलपाईगुडी
४	दार्जिलिंग	३,०७५	७ ८१ ७७७	दार्जिलिंग
५	नदिया	३ ६२६	२२ ३०,२७०	कृष्ण नगर
६	पश्चिम दिनाजपुर	५ २०६	१८ ५६,८८७	बालूरघाट
७	पुरुलिया	६,२५६	१६ ०२,८७५	पुरुलिया
८	बाकुडा	६ ८८१	२० ३१,०३६	बाकुडा
६	मालदा	३ ७१३	१६,१२ ६५७	इगलिश बाजार
१०	मुर्शिदाबाद	५,३४१	२६,४० २०४	बहरामपुर
११	मिदनापुर	१३ ७२४	५५ ०६,२४७	मिदनापुर
१२	बर्द्धवान	७ ०२८	३६ १६ १७४	बर्द्धवान
१३	बीरभूम	४ ५५०	१७,७५ ६०६	सूरा
१४	हावडा	१ ४७४	२४ १७ २८६	हावडा
१५	हुगली	३ १४५	२८ ७२ ११६	चुचुडा
१६	२४ परगना	१३ ७६६	८४ ४६ ४८२	अलीपुर

मन्त्रिमण्डल

१	श्री सिद्धार्थ शंकर राय	मुख्यमंत्री गृह पयर्टन तथा ससदीय मामला विकास तथा नियोजन सूचना व जनसम्पर्क विधि तथा शिक्षा
२	श्री मृत्युंजय बनर्जी	शिक्षा (युवा सेवा रहित)
३	श्री अबुबरकत अताउल गणि खा चौधरी	सिंचाई व नदी माग विद्युत विभाग
४	श्री तरुणकान्ति घोष	वाणिज्य व उद्योग एव गृह विभाग पयर्टन विभाग
५	श्री शंकर घोष	वित्त तथा आबकारी मन्त्री
६	श्री गुरुपद खा	भूमि उपयोगिता व सुधार एव भूमि राजस्व
७	श्री सीताराम महतो	वन तथा पशुपालन पशु चिकित्सा विभाग
८	डा० गोपालदास नाग	श्रम एव रोजगार
९	श्री ज्ञानसिंह सोहनपाल	परिवहन जन व गृह विभाग के समन्वय मामला
१०	श्री सन्तोष राय	सहाय्य व पुनर्वास अनुसूचित जाति व जनजाति विभा

११ श्री भोलानाथ सेन
१२ श्रा अरुण मत्र
१३ श्री अजित पज

१ श्री प्रदीप भट्टाचाय
२ श्री आनन्द मोहन बिश्वास

३ श्री प्रफुल्ल कान्ति घाप
४ डा० मोहम्मद फजल हक
५ श्री डनिश लकरा
६ श्री सुब्रतो मुखर्जी
७ श्री गोविन्द नस्कर
८ श्री रामकृष्ण सरावगी
९ श्री सतीश सिन्हा

१ श्रीमती अमला सारेन
२ गजेन्द्र गुरुग

३ श्रा सुनीति चटर्जी

लोक निमाण व आवास
सहकारिता तथा मत्स्यपालन
स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन

राज्यमन्त्री

श्रम व रुग्ण कारखान
कृषि व सामुदायिक विकास ग्रामाण जल आपूर्ति
विधि
खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति
गृह जेल पयटन
समाज कल्याण विभाग
सूचना व जनसम्पर्क
स्वास्थ्य एव परिवार नियाजन
लोक निमाण व आवास
सावजनिक उपक्रम कुटीर व लघु उद्याग

उपमन्त्री

शिक्षा (युवा सवा व खलकूद छाडकर)
वाणिज्य व उद्याग तथा गृह मन्त्रालय के अधीन
पयटन
सिचाई व जलमाग विद्युत ।

केन्द्र शासित राज्य

अरुणाचल

राजधानी—शिलांग क्षेत्रफल—८३,५७८ जनसंख्या—४६७,५११
मुख्य आयुक्त—के० ए० ए० राजा

जिला का क्षेत्रफल जनसंख्या तथा सदरमुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या (१९७१ जनगणना के अनुसार)	जिला मुख्यालय
कामेंग	१३ ७२४	८६ ००१	बोमडीला
तिरप	६ ९०७	६७ ४७०	खासा
लोहित	२४ ४२७	६२ ८६५	तजू
सियांग	२३,७२३	१ २१ ६३६	अलांग
सुबनसिरी	१४ ७९७	९९ २३९	जिरो

अंडमान निकोबार

राजधानी—पोर्ट ब्लेयर क्षेत्रफल—८२९३ वर्ग कि० मी०
जनसंख्या—१ १५ १३३ मुख्यभाषा—बहुभाषी साक्षरता प्रतिशत—४८ ३
मुख्यायुक्त—श्री हरमन्दर सिंह मुख्य सचिव—एम० सी० वाजपेयी ।

योजना परिव्यय (लाख रुपया में)

	तीसरी योजना	चतुर्थ योजना
कुल	६१७	११००

चण्डीगढ़

जनसंख्या—२ ५७ २५१ क्षेत्रफल—११४ वर्ग कि० मी०
मुख्यभाषा—हिन्दी-पंजाबी मुख्यायुक्त—एम० पी० माथुर

योजना परिव्यय (लाख रुपया में)

	तीसरी योजना	चतुर्थ योजना
कुल	८५९	७५०

दादरा नगर हवेली

राजधानी—सिलवासा क्षेत्रफल—४९१ वर्ग कि० मी० मुख्यालय—सिलवासा
जनसंख्या—७४१७०, साक्षरता प्रतिशत—१४ ८६
मुख्यभाषा—बहुभाषी प्रशासक—श्री एस० के० बनर्जी।

योजना परिव्यय (लाख रुपया में)

	तीसरी योजना	चतुर्थ योजना
कुल	२५	२२४

दिल्ली

राजधानी—दिल्ली क्षेत्रफल—१४८५ वर्ग कि० मी०
जनसंख्या—४० ६५ ६९८
मुख्यभाषा—हिन्दी साक्षरता प्रतिशत—५६ ६५
उपराज्यपाल—श्री बालेश्वरप्रसाद शासक दल—कांग्रेस मुख्य कार्यकारी पार्षद—श्री राधारमण
महानगर परिषद अध्यक्ष—मीर मुश्ताक अहमद सदस्य संख्या—५६ दलीय स्थिति—का०—४४, जन०—५ स० का०—२ निर्द०—१ मुस्लिम लीग—१ सोपा—३, कार्यकारी पार्षद संख्या—४

महानगर परिषद

१ श्री राधारमण	मुख्य कार्यकारी पार्षद
२ श्री ओमप्रकाश बहल	कार्यकारी पार्षद नागरिक संभरण व श्रम आदि
३ श्री मांगेराम	कार्यकारी पार्षद वित्त
४ श्री किशन स्वरूप	कार्यकारी पार्षद समाज कल्याण आदि

गोआ, दमण व दीव

राजधानी—पंजिम क्षेत्रफल—३ ८१३ वर्ग कि० मी०
जनसंख्या—८,५७ ७७१
मुख्यभाषा—मराठी कोंकणी साक्षरता प्रतिशत—४४ ५३
उपराज्यपाल—श्री एम०के० बनर्जी शासक दल—गोमान्तक दल
सदस्य संख्या—३२।

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या व सदरमुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग कि० मी०)	जनसंख्या (१९७१ की जन गणना के अनुसार)	मुख्यालय
१ गोआ	३७०१	७९५१२०	पणजी
२ दमण	७२	३८७३९	दमण
३ दीव	४०	२०९१२	दीव

लक्षदीव, मिनिकाय, अमीनदीवी द्वीप समूह

राजधानी—करत्ति, क्षेत्रफल—३२ वर्ग कि० मी०
जनसंख्या—१९७१—३१ ८१०
मुख्यभाषा—बहुभाषी प्रशासक—श्री के० डी० मनन।

मिजोरम

क्षेत्रफल—२१ ०८७ वर्ग कि० मी० जनसंख्या— ३२ ३६० मुख्यालय—एजा
मुख्यभाषाएं—मिजो और अंग्रेजी
मुख्यमंत्री—श्री चनछुंगा उपराज्यपाल—शांतिप्रिय मुखर्जी।

पाण्डिचेरी

राजधानी—पाण्डिचेरी ; क्षेत्रफल—४८० वर्ग कि० मी०
जनसंख्या—१९७१—४७१ ७०७
मुख्यभाषा—तमिल मलयालम तलगू साक्षरता प्रतिशत—४३ ७
उपराज्यपाल—श्री छेदीलाल।

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या व सदरमुकाम

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग कि० मी०)	जनसंख्या (१९७१ जनगणना)	मुख्यालय
कारैकाल	१६१	१०० ०४२	कारैकाल
माहे	९	२३ १३४	माहे
पांडिचेरी	२९०	३ ४० २४०	पांडिचेरी
यनाम	२०	८ २९१	यनाम

१९७३ : कठिनाइयों का वर्ष

सन १९७३ भारत के लिये कमरतोड महगाई तथा आर्थिक कठिनाइयों का वर्ष रहा। वर्ष का प्रारम्भ अनाज व बिजली की कमी के सकट से हुआ तो अन्त अखबारी कागज व तेल के भारी अभाव से हुआ।

सरकार ने अनाज के सम्भावित अभाव को दृष्टिगत रखते हुये गेहू के थोक व्यापार का सरकारीकरण किया। अनाज का उत्पादन बढ़ाने हेतु रबी अभियान में लगभग १०० करोड रुपया अतिरिक्त व्यय करने पर भी खाद्यान्न उत्पादन में ९.५ प्रतिशत की गिरावट आई। विदेशों से ६१ लाख टन अनाज मगवाना पडा। रूस से २० लाख टन गेहू ऋण के रूप में लिया गया।

मूल्य-वृद्धि भी १९७३ के दौरान चरम सीमा को पहुच गयी। एक वर्ष के दौरान लगभग २४ प्रतिशत मूल्य वृद्धि हुई। अनेक वस्तुओं के मूल्य तो डयोढे तक हो गये।

अखबारी कागज तथा बिजली की भी भारी कमी रही। अखबारी कागज की कमी के कारण जहा समाचार-पत्रों के कोटे में ३० प्रतिशत कटौती करनी पडी वहा कोयला व बिजली के अभाव के कारण उद्योग क्षेत्र को भारी सकट का सामना करना पडा। अरब इस्राइल युद्ध के दौरान अरब देशों ने अचानक तेल में कटौती के साथ-साथ मूल्य वृद्धि कर भारत व विश्व के समक्ष एक भीषण सकट ही उत्पन्न कर दिया। तेल व पेट्रोल की मूल्य वृद्धि व कमी का भी उद्योग पर भारी दुष्प्रभाव पडा। इन सब कारणों से देश आर्थिक सकट की सम्भावना से त्रस्त हो उठा।

देश में तेजी से हुई मूल्य-वृद्धि तथा वस्तुओं के अभाव से समाज के प्रत्येक वर्ग में असन्तोष व आक्रोश फैलना स्वाभाविक था। अत इसका परिणाम सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, रेल कर्मचारियों व डाक्टरों आदि की हडताल के रूप में सामने आया। औद्योगिक क्षेत्र के कर्मचारियों ने भी हडताल का सहारा लिया। फलत प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाधी तथा राष्ट्रपति श्री गिरि तक ने इन सकटों का धैर्य से सामना करने तथा आर्थिक विकास के लिये हडतालों का क्रम समाप्त करने का आह्वान किया।

अनाज, वनस्पति व चीनी आदि की भारी महगाई व अभाव के कारण आम जनता ने इस वर्ष क्षुब्ध होकर प्रदर्शनों व हिंसा तक का सहारा लिया। स्थान स्थान पर सरकार विरोधी प्रदर्शन तथा अन्न के लिये दगे हुये। छात्र आदोलनों ने भी १९७३ के दौरान व्यापक रूप धारण किया। लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, दिल्ली आदि में अलग अलग कारणों से छात्रों ने आदोलनों का मार्ग अपनाया। लखनऊ में तो पी० ए० सी० व छात्रों के सयुक्त आन्दोलन ने अत्यन्त उग्र रूप धारण कर लिया तथा जिसके परिणामस्वरूप पी० ए० सी० ने विद्रोह ही कर डाला।

राजनीतिक उथल पुथल

१९७३ के दौरान आपसी उथल-पुथल व दलबन्दी के कारण भारत के अनेक राज्यों

की कांग्रेसी सरकारें गिरी व बनी। आलोच्य वर्ष में उड़ीसा, मणिपुर, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। बिहार, राजस्थान मैसूर और पांडिचेरी में मन्त्रिमण्डल को संकट से गुजरना पड़ा। आन्ध्र विभाजन की माग को लेकर भीषण हिंसक घटनाएं हुई तथा अन्त में मन्त्रिमण्डल को त्यागपत्र देना पड़ा। १८ जनवरी को राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। दिसम्बर के तीसरे सप्ताह में आन्ध्र सरकार का गठन सम्भव हो सका।

इसी प्रकार उड़ीसा में कांग्रेसियों ने ही मुख्यमंत्री श्रीमती नंदिनी सत्पथी के विरुद्ध तथा गुजरात में श्री घनश्याम ओझा के विरुद्ध विद्रोह खड़ा कर उन्हें त्यागपत्र को विवश कर दिया। उत्तर प्रदेश में पी० ए० सी० के विद्रोह के बाद श्री कमलापति त्रिपाठी की सरकार को १२ जून को त्यागपत्र देना पड़ा। राष्ट्रपति शासन के बाद श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा के नेतृत्व में नयी सरकार का गठन हुआ।

मणिपुर विधानसभा के १० विधायकों द्वारा दल बदल किये जाने के परिणामस्वरूप २८ मार्च को वहां भी राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। राजस्थान में मुख्यमन्त्री श्री बरकतुल्लाखां के निधन के बाद मुख्य मन्त्री पद के दावेदारों में संघर्ष की नौबत आते आते टली।

रूस से समझौता

देश का आर्थिक सन्तुलन बनाये रखने के लिये भारत सरकार ने २ फरवरी को नयी औद्योगिक नीति की घोषणा की। ५ जुलाई १९७३ को भारत और बंगलादेश के बीच तीन वर्षीय व्यापारिक समझौता सम्पन्न हुआ।

सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के अध्यक्ष श्री ब्रेझनेव २६ नवम्बर को दिल्ली पधारे तथा ३० नवम्बर को भारत रूस के बीच महत्वपूर्ण आर्थिक और वाणिज्य विषयक समझौता सम्पन्न हुआ। सोवियत संघ ने तेल संकट से उबारने के लिये तेल स्रोतों को विकसित करने हेतु भारत को प्राविधिक सहायता देने की घोषणा की। श्री ब्रेझनेव ने घोषणा की— सोवियत संघ सुख दुःख में भारत के साथ रहेगा। सोवियत जनता भारत की आर्थिक उन्नति करते देखकर प्रसन्न होगी।

३० नवम्बर को जारी भारत रूस संयुक्त विज्ञप्ति में कहा गया कि दोनों पक्षों का विश्वास है कि देशों का अपने संबंध एक दूसरे की सीमाओं की अखण्डता प्रभुसत्ता के समादर एक दूसरे के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करने तथा समानता व पारस्परिक हित के आधार पर बनाने चाहिए। इस प्रकार एशिया को स्थायी शांति का क्षेत्र बनाया जा सकता है।

संयुक्त घोषणा में यह भी प्रकट किया गया है कि निरस्त्रीकरण के लिए विश्व सम्मेलन की ठोस तयारी का अवसर आ गया है। इस प्रसंग में रूस अमरीकी समझौते का जिक्र करते हुए स० रा० की विशेष समिति को सहयोग देने का फैसला किया गया।

संयुक्त घोषणा में उपमहाद्वीप की समस्याओं के संबंध में कहा गया है कि पाकिस्तान द्वारा बंगलादेश को मान्यता देने से इस क्षेत्र में राजनीतिक हल तेजी से होगा और स्थिरता कायम होगा। आशा प्रकट की गई है कि पाकिस्तान निकट भविष्य में ऐसे कदम उठाएगा। तीनों देशों के संबंध सामान्य करने के लिए शिमला समझौते व दिल्ली समझौते को आधार बनाया गया।

घोषणा में पश्चिमी एशिया और हिन्द महासागर के प्रश्नों पर भी विचार प्रकट

किए गए हैं। अरब इस्राइल संघर्ष में इस्राइल द्वारा जीते हुए क्षेत्र खाली करने तथा स० रा० के प्रस्ताव का आदर करने की आवश्यकता बताई गई है। हिंद महासागर के बारे में अन्य संबद्ध देशों से मिलकर इसे शांति का क्षेत्र बनाने के प्रश्न का न्याययुक्त हल निकालने के प्रयत्न करने पर सहमति प्रकट की गई है।

संयुक्त घोषणा में आर्थिक सहयोग को बढ़ाने का भी जिक्र है जिसमें भिलाई की क्षमता को ७० लाख टन तक और बोकारो को १ करोड़ टन तक पहुंचाने तथा मथुरा तेल शोधशाला लगाने में सहयोग की व्यवस्था है। आशा की गई है कि १९८० तक दोनों देशों का व्यापार डेढ़ से दो गुना तक बढ़ जाएगा। इसके लिए १९७४ में संयुक्त प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे।

चेकोस्लोवाकिया से समझौता

दिसम्बर १९७३ के प्रथम सप्ताह में चेकोस्लोवाकिया की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डा० गुस्ताव हूसाक भारत पधारे। ८ दिसम्बर को भारत चेकोस्लोवाकिया के बीच आर्थिक समझौता सम्पन्न हुआ।

डा० हूसाक व श्रीमती गांधी द्वारा जारी संयुक्त घोषणा में आर्थिक सहयोग समझौते तथा आर्थिक तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग के जरिये भारत और चेकोस्लोवाकिया में उपयोगी तथा लाभप्रद सहयोग की वृद्धि पर बल दिया गया है। हाल में दोनों देशों में विज्ञान, तकनीकी तथा औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग पर भी एक समझौता किया गया।

वर्तमान समझौता के अधीन चेकोस्लोवाकिया भारत के औद्योगिक विकास में मदद देगा। बिजली उत्पादन रेलवे के विजलीकरण उर्वरक उत्पादन तथा इंजीनियरी और वर्तमान कारखानों की क्षमता के विस्तार में वह सहायता देगा।

चेकोस्लोवाकिया ने भारत आर्थिक विकास में योगदान के लिये ८० करोड़ रुपये का ऋण देने की घोषणा की।

पोलैण्ड के प्रधान मंत्री श्री प्योत यारोशविक भी भारत आये तथा पोलैण्ड के साथ भी एक व्यापारिक समझौता हुआ। इसी प्रकार जनवादी जर्मन गणराज्य के प्रधान मंत्री श्री विली स्टोफ भी भारत आये तथा जर्मनी के साथ आर्थिक सहयोग का आश्वासन दिया।

अमरिका से दिसम्बर में पी० एल० ४८० पर एक समझौता संपन्न हुआ।

नेपाल नरेश की यात्रा

१२ अक्तूबर को नेपाल नरेश महाराजाधिराज श्री वीरेन्द्र वीर विक्रमशाह देव तथा महारानी ऐश्वर्य राज्यलक्ष्मी एक सप्ताह की यात्रा पर भारत पधारे। प्रधान मंत्री व अन्य नेताओं से हुई वार्ता से दोनों देशों के बीच उत्पन्न अनेक आशंकाओं का समाधान हुआ। नेपाल नरेश ने दृढ़ता के साथ कहा कि नेपाल एक हिन्दू राष्ट्र होने के कारण भारत से अटूट संबंध रखता है तथा दोनों की मैत्री सुदृढ़ व अटूट है।

भारत ने नेपाल के विकास में पूर्ण योगदान का आश्वासन दिया।

अनेक आर्थिक व राजनीतिक संकटों का जैसे तैसे सामना करते हुए देश ने १९७३ वर्ष को विदा किया। इस प्रकार आलोच्य वर्ष संकट और उनसे लड़ने की प्रक्रिया में सफलता की ओर कदम बढ़ाने का वर्ष रहा।

❂

राष्ट्रीय घटनाचक्र : १९७३

जनवरी

१ आन्ध्र के ११ कांग्रेसी संसद सदस्यों ने आन्ध्र विभाजन की खुली मांग की।

२ स्थल सेनाध्यक्ष मानेकशा को फील्ड मार्शल का पद मिला।

३ उड़ीसा में डा० हरेकृष्ण मेहताब का कांग्रेस से इस्तीफा।

४ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में (कलकत्ता) भारत ने इंगलैण्ड को २८ रनों से हराया।

५ बुलन्दशहर में सोशलिस्ट पार्टी का सम्मेलन शुरू

७ सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में कांग्रेस को अपदस्थ करने का आवाहन किया गया।

८ पुलिस की गोली से २ पृथक आन्ध्र आंदोलनकारी मरे।

१० पोलैण्ड के प्रधान मंत्री श्री प्याल यारोशविच भारत आये।

११ आन्ध्र मन्त्रिमण्डल में आठ मन्त्रियों की नियुक्ति।

१२ कांग्रेस उच्चाधिकार समिति ने आन्ध्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की।

—भारत और पोलण्ड के बीच व्यापार समझौता।

१३ कांग्रेस कार्य समिति ने रबी मौसम से गेहूं के सरकारी थोक व्यापार का निर्णय किया।

१४ उत्तर प्रदेश विद्युत बोर्ड के अभियन्ताओं की राज्यव्यापी हड़ताल शुरू।

१५ जनरल बेवूर स्थल सेनाध्यक्ष तथा एयर मार्शल ओ० पी० मेहरा वायु सेनाध्यक्ष हुए।

१६ उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली अभियन्ताओं की हड़ताल को अवैध घोषित किया—बिजली आपूर्ति न होने से दिल्ली-हावड़ा के बीच रेलें बंद।

१७ आन्ध्र प्रदेश मन्त्रिमण्डल ने त्यागपत्र दिया।

—मद्रास के तीसरे टेस्ट मैच में भारत ने इंगलैण्ड को चार विकेट से हराया।

१८ आन्ध्र में राष्ट्रपति शासन लागू।

२१ आन्ध्र में पुलिस की गोली से चार मरे—आन्दोलनकारियों ने तीन रेलवे स्टेशन जलाये।

—जईर (काना) के राष्ट्रपति जनरल मोबुतु भारत आये।

२२ उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूं चावल का थोक व्यापार अपने हाथ में लेने का निर्णय किया।

२३ आन्ध्र में चार आन्दोलनकारी पुलिस की गोली से मरे।

२४ उत्तर प्रदेश में बिजली इंजीनियरों की हड़ताल समाप्त।

२५ भारत-जईर (कांगो) की संयुक्त विज्ञप्ति में उभय देशों में सहयोग के लिए समिति बनाने की घोषणा।

—प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा कि भारत चीन से सम्बन्ध सुधारने को इच्छुक है।

२६ गणतन्त्र दिवस के उपलक्ष्य में राजधानी में परेड के अवसर पर आधुनिकतम अस्त्रों का प्रदर्शन।

२७ लाओस के प्रधान मन्त्री सुवन्ना फोमा भारत आये।

३० ४६४ कोकिंग कोयला खानों का प्रबन्ध सरकार ने अपने हाथ में लिया।

—कानपुर में भारत इंगलैण्ड का चौथा क्रिकेट मैच अनिर्णित रहा।

फरवरी

१ नयी दिल्ली में राज्यों तथा जिला कांग्रेस नेताओं का दो दिवसीय सम्मेलन।

२ भारत सरकार ने नयी औद्योगिक नीति की घोषणा की।

—भारत और मिस्र के बीच व्यापार समझौता।

३ राष्ट्रसंघ के महामन्त्री डा० कुर्ट वाल्डहेम भारत आये।

—पांचवीं योजना के बारे में प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने विरोधी दल के नेताओं से वार्ता की।

४ केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल का विस्तार हुआ।

५ नयी दिल्ली में 'एफ्रो-एशिया' असेम्बली की बैठक।

७ प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी नेपाल पहुंचीं। दोनों प्रधान मन्त्रियों ने दक्षिण एशिया में स्थायी शांति पर जोर दिया।

८ काठमाण्डू में प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की नेपाल नरेश वीरेन्द्र से वार्ता।

—उत्तर प्रदेश में ४० प्रतिशत बिजली कटौती का आदेश जारी।

९ उत्तर प्रदेश में रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल।

—कानपुर में जनसंघ का अधिवेशन शुरू।

१० प्रधानमन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी नेपाल से भारत लौटीं।

११ बम्बई में पांचवां क्रिकेट टेस्ट मैच अनिर्णित रहा—भारत ने रबर जीता।

—अनुशासनहीनता के लिए जनसंघ ने श्री बलराज मधोक को कारण बताओ नोटिस दिया।

१४ भारत में बना प्रथम विकसित मिग २१ वायुसेना को समर्पित।

१५ भारत सरकार ने रुपये का पुनर्मूल्यांकन न करने की घोषणा की।

१६ संसद का बजट अधिवेशन शुरू—राष्ट्रपति श्री गिरि ने आ॰ ॥ समस्या के शान्तिपूर्ण हल की अपील तथा पाकिस्तान से द्विपक्षीय वार्ता के लिए उपयुक्त वातावरण बनाये जाने की मांग की।

२० लन्दन में भारतीय उच्चायोग पर नकाबपोश पाकिस्तानियों का हमला।

—लोकसभा में रेलवे बजट पेश—किराया तथा माल भाड़ा बढ़ाये जाने का प्रस्ताव।

—नये अमरिकी राजदूत डनियल मायनीहृा भारत आये।

२३ मगोलिया के प्रधान मन्त्री श्री युमजागिन भारत आये।

२४ मुख्य मन्त्रियो के सम्मेलन म रबी फसल स गहू के थोक व्यापार के अधिग्रहण के निणय की पुष्टि की गयी।

२५ नलगाडा (आध्र) म विषाक्त शराब पान स ६० स अधिक व्यक्ति मरे।

—कानपुर म अखिल भारतीय क्रातिकारी सम्मेलन।

२६ ससद के दोनो सदनो म आध्र के विभाजन की जोरदार माग की गयी।

२७ लोकसभा म प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाधी न कहा कि आध्र-समस्या का निणय दबाव स नही होगा।

२८ लोकसभा म भारत सरकार का ३३५ करोड की कमी का बजट पेश, ६२ करोड का नया कर लगाने का प्रस्ताव।

मार्च

१ उडीसा मन्त्रिमण्डल ने त्यागपत्र दिया—मुख्यमन्त्री श्रीमती सत्पथी न नया चुनाव कराने का सुझाव दिया।

—उत्तर प्रदेश म सरकारी डाक्टरो की प्राइवेट प्रक्टिस पर रोक लगी।

३ उडीसा मे राष्ट्रपति शासन लागू— विधान सभा भग।

४ राष्ट्रपति गिरि मलयेशिया की यात्रा पर रवाना।

५ क्वालालम्पुर मे राष्ट्रपति गिरि ने कहा कि दक्षिण-पूर्व एशिया को शाति-क्षेत्र बनाया जाय।

६ लोकसभा म अचल सम्पत्ति की अवाप्ति और अधिग्रहण (सशोधन) विधेयक पारित।

८ लोकसभा म रेलवे को क्षति पहुचाने वाले को मत्युदण्ड देने का रेलवे सशोधन विधेयक पेश।

९ उत्तर प्रदेश विधानसभा मे ४०.०३ करोड की कमी का बजट पेश।

—मलयेशिया की यात्रा समाप्त कर राष्ट्रपति श्री गिरि दिल्ली लौटे।

१० भारत मिस्र की सयुक्त विज्ञप्ति म मिस्र ने भारत की नीति का समथन किया।

११ ऊगाण्डा से ५४ हजार भारतीय निकाले गये।

१२ उत्तर प्रदेश विधानसभा मे १ अरब ९० करोड का विनियोग विधेयक पारित।

१३ श्री बलराज मधोक जनसघ से ३ वष के लिए निष्कासित।

—भारत, सूडान के बीच तकनीकी ऋण समझौता।

१४ प्रयाग उच्च न्यायालय ने निणय दिया कि एडवोकेट अदालत के सामने धोती-कुर्ता म उपस्थित नही हो सकते।

—राज्यसभा म विदेशमन्त्री श्री स्वण सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को अमेरिकी शस्त्रपूर्ति स शिमला समझौते के क्रियान्वयन म बाधा आयेगी।

१५ पाकिस्तान को शस्त्र देने पर भारत सरकार ने अमेरिका से कडा विरोध प्रकट किया।

—उत्तरप्रदेश सरकार ने ३१ माच स गहू के थोक व्यापार के अधिग्रहण की घोषणा की।

—मणिपुर म सत्ताम्ढ विधायक दल के १० विधायको ने इस्तीफा दिया।

१६ केन्द्रीय नगर विमानन मन्त्री डाक्टर कर्णसिंह ने त्यागपत्र दिया।

१८ भारत मिस्र और यूगोस्लाविया म व्यापार समझौते म पाच साल की वृद्धि हुई।

—नागर विमानन मन्त्री श्री कर्ण सिंह ने त्यागपत्र वापस लिया।

—जितपुर (धनबाद) कोयला खान म विस्फोट से ३■ श्रमिक मरे।

१९ जनवादी जर्मन गणराज्य के प्रधान मन्त्री विली स्टोफ भारत आये।

२२ महाराष्ट्र विधानसभा के २७ विधायक ४ दिन के लिए निलम्बित।

२४ राष्ट्रपति गिरि न ८५ व्यक्तियो को क्षमाकृत किया।

२६ मणिपुर म सयुक्त विधायक दल की सरकार का इस्तीफा।

२८ मणिपुर म राष्ट्रपति शासन लागू

३० उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य मे गेहू के थोक व्यापार का काम अपने हाथ म लिया।

३१ वेतन आयोग की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्राप्त।

अप्रैल

१ इण्डोनेशिया के विदेश मन्त्री आदम मलिक भारत आये।

२ वेतन आयोग की रिपोर्ट लोकसभा मे पेश।

—भारत सरकार ने नयी आयात नीति की घोषणा की।

४ भारत सरकार ने पाच लाख बेरोजगारो को रोजगार देने के लिए विशेष समिति का गठन किया।

५ सिक्किम ने भारत स सनिक सहायता मागी गगटोक म ३ पुलिस थाना पर प्रदर्शनकारियो का कब्जा।

६ सिक्किम में कई क्षत्रो मे भारतीय सेना का प्रवेश।

७ सिक्किम के दक्षिण पश्चिम जिला म जनता की सरकार बनी।

८ चोग्याल के लिखित अनुरोध पर भारत ने सिक्किम का प्रशासन सभाला।

९ सिक्किम म सघर्ष समिति का आदोलन स्थगित।

—महेशनगर (गया) मे सगठन काग्रेस क अधिवेशन में सरकारी गल्ला व्यापार के गम्भीर परिणाम की आशका व्यक्त।

—पटना में आनन्दमार्गी अवधूत द्वारा आत्मदाह।

१० काग्रेस अध्यक्ष डा० शकरदयाल शर्मा ने चेतावनी दी कि खाद्य पूरा न होने पर हिंसात्मक क्रान्ति सभव है।

११ दिल्ली में रामचरितमानस चतुशती समारोह का प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाधी ने शुभारम्भ किया।

१३ प्रमुख फिल्म अभिनेता तथा निर्देशक श्री बलराज साहनी का निधन।

१५ सिक्किम के चोग्याल को राजगद्दी से हटाने की माग अमान्य।

१६ देश की प्रमुख मण्डियो म गेहू की सरकारी खरीद शुरू।

—काग्रेस का सोशलिस्ट फोरम भग।

१७ भारत बगलादेश पाकिस्तानी युद्धबन्दियों की रिहाई पर सहमत।

१८ भारत बंगलादेश के प्रस्ताव का ब्रिटेन और अमरिका द्वारा स्वागत ।
—नागपुर मे सस्ते गल्ले की दूकान लूटी गयी ।
—बाका म ससदीय उपनिर्वाचन म सोशलिस्ट नेता मधु लिमय जीते ।

१९ सर्वोच्च न्यायालय ने सुरक्षा अधिनियम की धारा १७(ए) अवध घोषित की ।

२० भारत बंगलादेश की संयुक्त विज्ञप्ति पर विचार कर पाकिस्तान सरकार ने भारत सरकार के प्रतिनिधियो को आमंत्रित किया ।

२२ नासिक म गल्ले के प्रश्न पर हुए उपद्रव म पुलिस की गोली से ५ मरे ।

२४ ससद को संविधान के सभी अनुच्छेदो म सशोधन का अधिकार गोलकनाथ के मुकदम का निर्णय रद्द सर्वोच्च न्यायालय का फसला ।

२५ राष्ट्रपति ने अजीतनाथ राय को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया ।

२६ सर्वोच्च न्यायालय म तीन वरिष्ठ न्यायाधीश श्री जे० एम० शलट श्री के० एस० हेगडे, श्री ए० एन० ग्रोवर ने इस्तीफा दिया ।
—विधिमन्त्री श्री एच० आर० गोखले ने मुख्य न्यायाधीश के पद पर श्री राय की नियुक्ति को सवैधानिक बताया ।

२७ प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाधी लका पहुचा ।

२८ श्रीलका की ससद म प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाधी ने कहा कि उभय देश बडी शक्तियो के हथकण्डो से सतक रहें ।

३० भारत सरकार न ६० ७० लाख टन गल्ले का आयात करने का निर्णय लिया ।

मई

२ लोकसभा म इस्पात और खान मन्त्री श्री कुमारमगलम ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय मे न्यायाधीश की नियुक्ति म वरीयता नही वरन दृष्टिकोण मुख्य आधार है ।

३ सम्पूर्ण देश म न्यायालयो का अधिवक्ताओ ने बहिष्कार किया ।

४ कोचीन मे प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाधी ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतत्रता को कोई खतरा नही है ।

८ बेलगाव म गल्ले की ५ दूकान लूटी गयी ।

१९ सीतापुर मे प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाधी ने कहा कि किसानो ने गेहू नहा बेचा तो आयात होने पर उनकी क्षति होगी ।

२१ लखनऊ म पी० ए० सी० के जवानो का खुला विद्रोह ।
—लखनऊ विश्वविद्यालय में भयकर अग्निकाण्ड ।

२२ उत्तर प्रदेश म पी० ए० सी० पर सेना का नियंत्रण । रामनगर और कानपुर में सेना व पी० ए० सी० सघर्ष मे ३१ जवान मरे ।

२४ गोरखपुर म पी० ए० सी० का आत्मसमपण ।

२५ जहागीराबाद (बाराबकी) मे पी० ए० सी० का आत्मसमपण ।

२६ उत्तर रेलव के लाको रनिंग स्टाफ के कर्मचारियो की हडताल से ४८ यात्री ट्रेनें रद्द ।

—भारत सरकार ने रेलवे म हडताल पर ६ महीने के लिए प्रतिबध लगाया ।

२७ उत्तर प्रदेश विधायक दल की बठक म मख्यमत्री श्री कमलापति त्रिपाठी से त्यागपत्र की माग ।

—उत्तर प्रदेश पुलिस कमचारी परिषद अवैध घोषित ।

—बिहार मत्रिमडल स ७ मत्री हटाये गये ।

२८ बिहार म श्री केदार पाण्डेय के नतत्व मे नया मत्रिमडल ।

२९ रेलवे की हडताल से प्रभावग्रस्त क्षेत्रा का सकट बढा

३० उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक ढाचे म भारी उलटफेर का निर्णय किया ।

३१ दिल्ली के पास विमान दुघटना म केन्द्रीय मत्री श्री कुमारमगलम पजाब के भूत पूव मुख्य मत्री श्री गुरनाम सिंह सहित ४८ यात्रिया की मत्यु ।

—उत्तर प्रदेश मे पी० ए० सी० के १०४६ कमचारी बर्खास्त ।

—बम्बई ट्रेन दुघटना मे २० व्यक्ति मरे ।

—लोको रनिंग कमचारिया की हडताल समाप्त ।

जून

३ उत्तर प्रदेश के मुख्यमत्री श्री कमलापति त्रिपाठी ने मत्रिमण्डल तथा प्रशासन म हरफेर का सकेत दिया ।

—आस्ट्रेलिया के प्रधान मत्री एडवड गोफ ह्विटम भारत आये ।

४ भारत ने अतरराष्ट्रीय न्यायालय का बहिष्कार किया ।

५ राष्ट्रीय स्वयसेवकसघ के सरसघचालक श्री मा० स० गोलवलकर (श्री गुरु जी) का महानिर्वाण ।

६ सयुक्त विज्ञप्ति म भारत आस्ट्रेलिया हिन्द महासागर को शाति क्षेत्र बनाने पर सहमत ।

७ उत्तर प्रदेश सरकार ने पी० ए० सी० की तीन बटालियन भग की ।

८ उत्तर प्रदेश म राष्ट्रपति शासन होने की सम्भावना बढी ।

९ दिल्ली म उत्तर प्रदेश के मत्रिया की बैठक ।

—बम्बई विद्युत केन्द्र पर बिजली गिरने से बिजली का विकट सकट ।

१० नेपाली विमान का अपहरण कर ३८ लाख रुपया लूटा गया ।

१२ उत्तर प्रदेश म कमलापति त्रिपाठी मत्रिमण्डल ने इस्तीफा दिया ।

१३ उत्तर प्रदेश म राष्ट्रपति शासन लागू विधान सभा स्थगित ।

१४ दिल्ली म राज्य के मुख्यमत्रिया तथा खाद्य मत्रिया का सम्मेलन ।

—प्रधान मत्री श्रीमती इन्दिरा गाधी कनाडा तथा यूगोस्लाविया की यात्रा पर रवाना ।

१५ प्रधानमत्री श्रीमती गाधी ने बेलग्रेड म कहा कि पाकिस्तान के विपरीत रुख के बावजूद भारत शाति पर दृढ है ।

१७ भारत-यूगोस्लाव विज्ञप्ति में कहा गया कि अमीर और गरीब देशों के बीच बढ़ते अंतर से शांति को खतरा है।

—भारत सहायता मण्डल के देशों ने भारत को ८१८ करोड़ की सहायता देने का निर्णय किया।

—प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ओटावा (कनाडा) पहुंची।

२२ बिहार मन्त्रिमण्डल के ४० सदस्यों में से २४ ने इस्तीफा दिया।

२४ शक्ति परीक्षण में पराजित होने पर बिहार के मुख्यमन्त्री श्री केदार पाण्डेय का इस्तीफा।

२५ प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी लदन में ब्रिटिश प्रधान मन्त्री हीथ से मिली।

२७ प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी विदेश यात्रा से भारत लौटी।

२९ गुजरात के मुख्य मन्त्री श्री घनश्याम ओझा ने इस्तीफा दिया।

३० युद्ध होने पर ईरान ने भारत के विरुद्ध पाकिस्तान को मदद करने की धमकी दी।

जुलाई

१ श्री अब्दुल गफूर बिहार कांग्रेस विधानमण्डल दल के नेता मनोनीत।

२ बिहार में अब्दुल गफूर के नेतृत्व में नया मन्त्रिमण्डल गठित।

—अलवर जिले में सोनीपुर नदी में बस गिरने से ७० यात्री डूबे।

३ गुजरात में श्री कांतिलाल घीया ने विधायक दल के नेता पद का चुनाव लड़ने की घोषणा की।

—विदेश मन्त्री श्री स्वर्णसिंह ने पाकिस्तान से दिल्ली में अधिकारिक स्तर पर वार्ता करने का प्रस्ताव किया।

५ भारत-बंगलादेश में तीन वर्ष का व्यापार समझौता।

६ पाकिस्तान ने भारत से २८ जुलाई से रावलपिण्डी में वार्ता का सुझाव दिया।

७ पाकिस्तान से वार्ता करने के लिए भारत-बंगलादेश में सहमति।

—केन्द्रीय विधि राज्य मन्त्री डॉ० आर० चह्वाण का निधन।

१० सूखे से उत्तर प्रदेश के पूर्वी तथा दक्षिणी जिलों में अकाल की स्थिति।

११ पाकिस्तान को वार्ता के लिए भारत का सुझाव मान्य।

१२ केरल सरकार ने खाद्य अभाव के कारण शिक्षण संस्थाओं को बन्द करने का आदेश दिया।

१३ गुजरात में कांग्रेस विधानमण्डल दल के नये नेता के लिए गुप्त मतदान।

—मध्य प्रदेश के पांच असंतुष्ट मंत्रियों का इस्तीफा।

१५ उत्तर प्रदेश में सूखे से पांच करोड़ जनता का जीवन संकटापन्न।

१६ श्री चिमनभाई पटेल गुजरात कांग्रेस विधायक दल के नेता निर्वाचित।

१८ गुजरात में श्री चिमन भाई पटेल ने मुख्य मन्त्री पद की शपथ ली।

१९ भारत तथा रूस ने अफगानिस्तान की नयी सरकार को मान्यता दी।

२० भारत सरकार ने अखबारी कागज के कोटे म ३० प्रतिशत कटौती की ।
२१ श्री अशोक महता सगठन काग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित ।
२३ ससद का पावस अधिवेशन शुरू ।
—श्री पी० एन० हक्सर के नेतत्व म भारतीय प्रतिनिधिमण्डल इस्लामाबाद पहुचा ।
२४ रावलपिण्डी मे भारतीय तथा पाकिस्तानी अधिकारियो की वार्ता शुरू ।
२५ भारत सरकार ने चालू वष मे ४५ लाख टन गेहू के आयात का निणय किया ।
२६ आर्थिक सकट का मुकाबला करने के लिए प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाधी ने विपक्षी नेताओ से ३ घण्टे बात की ।
—पेरिस म राष्ट्रपति भुट्टो ने कहा कि कश्मीर के प्रश्न पर भारत स समझौता नही होगा ।
२७ मधुपुर स्टेशन (बिहार) पर दो यात्री गाडिया की टक्कर म २० मरे ।
२६ रावलपिण्डी म भारत-पाकिस्तान के अधिकारिया की वार्ता निर्णायक दौर म पहुची ।
—वाशिंगटन म ईरान के शाह ने कहा कि पाकिस्तान का विघटन असहनीय है ।
३० रावलपिण्डी म भारत-पाकिस्तान अधिकारिया की वार्ता विफल, अगली वार्ता दिल्ली म करने का निणय ।
—मसूर राज्य का नाम कर्नाटक हुआ ।

अगस्त

१ लोको कमचारिया की हडताल से ८१ ट्रेनें रुकी ।
३ दिल्ली के सेण्ट्रल बक से १ लाख १२ हजार रुपया लूटा गया ।
४ हडताल के कारण देश म ४६० ट्रेना का चलना स्थगित ।
६ पत्नी की हत्या के आरोप मे तिरहुत के आयुक्त एन० नागमणि गिरफ्तार ।
७ लोको कमचारिया की हडताल जारी—७०० यात्री ट्रेनें रुकी—मालगाडियो का आवागमन ठप्प ।
६ केन्द्रीय मत्रिया क वेतन म दस प्रतिशत कटौती ।
१० केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारा के खर्चे मे चार अरब की कटौती करने का निणय किया ।
—ओटावा म परराष्ट्रमत्री श्री स्वर्णसिह न कहा कि भारत पाकिस्तान से अयुद्ध समझौत क लिए तयार है ।
११ पूना म गोला-बारूद क कारखाने मे विस्फोट से १२ व्यक्ति मरे ।
१२ लोको कमचारिया की हडताल समाप्त ।
—गोवा में मुख्यमत्री श्री दयानन्द बदोन्कर का निधन ।
१३ लोको कमचारियो की ड्यूटी १४ घण्टे से घटाकर दस घण्टे की गयी ।
१५ लालकिले म २५ वर्षों के वक्त की कालमजूषा भूमि म गाडी गयी ।
१६ उत्तर प्रदेश बिजली इजीनियरा की हडताल समाप्त ।
१७ भारत से वार्ता करने के लिए पकिस्तानी प्रतिनिधिमण्डल दिल्ली आया ।
—भोपाल म मूल्य वद्धि के विरोध म हुए उग्र आन्दोलन म पुलिस की गोली से आठ व्यक्ति मरे ।

३० हिन्द महासागर में अमरीकी जंगी बेड़ा नहीं रहने के लिए।
३१ भारत सरकार ने एक करोड़ की पूंजी वाले उद्योगों को आयात लाइसेंस से मुक्त किया।

नवम्बर

१ उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री श्री बहुगुणा हारा—पण्डित कमलापति त्रिपाठी केन्द्र में जाने को राजी।
३ देश में पट्रोल तथा मिट्टी के तेल का भाव बढ़ा।
—सऊदी अरब ने भारत को तेल आपूर्ति में १० प्रतिशत की कटौती की।
५ हैदराबाद में कांग्रेस महासमिति द्वारा आन्ध्र के ६ सूत्रीय फार्मूले का अनुमोदन।
६ कलकत्ता में भूगर्भ रेलवे बनाने के लिए रूस मन्त्रालय और रूसी फर्म में समझौता।
—प्रयाग उच्च न्यायालय ने न्यायालय की मानहानि के आरोप में प्रयाग के जिला मजिस्ट्रेट को जेल की सजा दी।
७ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए राज्यपाल ने श्री बहुगुणा को आमन्त्रित किया।
—लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइसचांसलर श्री गोपाल त्रिपाठी निलम्बित।
८ उत्तर प्रदेश में श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा के नेतृत्व में नये मन्त्रिमण्डल का गठन।
—पण्डित कमलापति त्रिपाठी केन्द्रीय नौपरिवहन मन्त्री हुए।
—केन्द्रीय विद्युत एवं सिंचाई मन्त्री डाक्टर के० एल० राव का इस्तीफा।
९ केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में दूसरी बार उलटफेर।
१२ लोकसभा का शीतकालीन अधिवेशन शुरू सदन में मूल्य-वृद्धि की तीव्र आलोचना।
१३ नयी पाली पद्धति के विरोध में इंडियन एयरलाइंस की कई उड़ानें रद्द।
१७ लखनऊ से प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने विपक्षियों से आर्थिक संकट में सहयोग करने की अपील की।
१८ पटना में शेख अब्दुल्ला ने कहा कि मुस्लिम लीग से मुसलमानों का अहित होगा।
१९ रूस भारत शिखर वार्ता का आधार तैयार करने के लिए उभय देशों के अधिकारियों की बैठक।
—पंजाब के सात मन्त्रियों का इस्तीफा।
२१ पंजाब मन्त्रिमण्डल में १० नये मन्त्री शामिल।
२२ लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव ५३ के विरुद्ध २४७ मतों से गिरा।
२३ दिल्ली में राज्यपाल सम्मेलन शुरू।
—केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल की पांचवीं योजना का प्रारूप मंजूर।
२४ इंडियन एयरलाइंस में तालाबंदी विमानों की उड़ानें ठप।
२६ रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रधान श्री ब्रेझनेव भारत आये।
२७ लालकिले में अभिनन्दन के समय श्री ब्रेझनेव ने कहा कि रूस भारत के सुख दुख में सदा उसके साथ रहेगा।
२८ श्री ब्रेझनेव ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की आलोचना की।
२९ रूस भारत के बीच आर्थिक और वाणिज्य समझौता।

—भारतीय ससद म सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के प्रधान श्री ब्रेझनेव न एशियाई सामूहिक सुरक्षा पर विचार का ग्रावाहन किया।

३० रूस भारत समझौता सम्बन्धी दस्तावेज लोकसभा मे पेश।

दिसम्बर

१ डा० रामधारी सिंह दिनकर को 'उवशी पर ज्ञानपीठ का पुरस्कार।

२ प्रधान मन्त्री श्रीमती गाधी ने हरिद्वार मे गगा नदी पर पुल का शिलान्यास किया।

—श्रीनगर म शेख अब्दुल्ला ने कहा कि स्वतन्त्र कश्मीर का नारा अव्यवहारिक है।

३ चेकोस्लोवाकिया कम्युनिस्ट पार्टी के प्रधान श्री गुस्ताव हुसाक भारत आये।

५ भारत चेकोस्लोवाकिया म व्यापार समझौता—चेकोस्लोवाकिया न ८० करोड के ऋण देने के समझौते पर हस्ताक्षर किया।

—भारत चेक सयुक्त विज्ञप्ति म शाति तथा सुरक्षा के लिए एशियाई देशो के सहयोग का ग्राह्वान किया गया।

६ उत्तर प्रदेश म भारतीय क्रान्ति दल मुसलिम मजलिस व ससोपा म चुनाव समझौता।

७ काग्रेस ससदीय दल ने श्री जलगान वेंगल राव को आन्ध्र का नया मुख्यमन्त्री मनोनीत किया।

८ दिल्ली म राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक शुरू।

९ राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक म पाचवी योजना के उद्देश्यो नीतियो तथा लक्ष्यो की पुष्टि।

—पत्नी की हत्या के अपराध म दिल्ली के नेत्र चिकित्सक डाक्टर जैन गिरफ्तार।

१० आन्ध्र म श्री वेंगल राव के नेतृत्व म नया मन्त्रिमण्डल।

—एयरलाइन्स के तकनीकी कर्मचारी काम पर लौटे।

—प्रयाग मे साम्प्रदायिक दगा—नगर म कर्फ्यू।

११ महाराष्ट्र म कन्नडभाषियो के विरुद्ध हिंसात्मक आन्दोलन।

—साबरकाठा (गुजरात) ससदीय क्षेत्र क उपचुनाव म सगठन काग्रेस की कुमारी मणिबेन विजयी।

—मेरठ म साम्प्रदायिक उपद्रव—पुलिस की गोली से दो मरे कर्फ्यू लगा।

१२ उत्तर प्रदेश सरकार ने दगाइयो को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया।

—दिल्ली म यूनियन बैंक डकैती काण्ड के सभी अभियुक्त पकडे गये ५॥ लाख रुपया बरामद।

१३ पी० एल० ४८० के सम्बन्ध म भारत अमेरिका क बीच समझौता।

—बिहार विधानसभा म प्रत्याशित मतदान के समय बिहार सरकार पराजित।

—महाराष्ट्र मे कन्नडो पर हुए आक्रमण के प्रतिशोध म कर्नाटक म लूटपाट तथा उपद्रव।

१४ कर्नाटक मन्त्रिमण्डल के ७ पुराने मन्त्री हटाये गये।

१५ उत्तर रेलवे के ७ डिवीजनो के लोको कर्मचारियो की हडताल शुरू।

—सरकार ने खुले बाजार म चीनी का दाम ७॥ प्रतिशत घटाया।

१६ भारत सरकार ने लोको के हडताली कर्मचारियो को कडी चेतावनी दी।

—बम्बई म सूती मिल क एक लाख कर्मचारियो की हडताल।

१७ रेल कर्मचारियों की हड़ताल में ७२ ट्रेनें रद्द।
१८ लोकसभा में संविधान का ३३वां संशोधन विधेयक पारित।
१९ दक्षिण पूर्व रेलवे में भी लोको कर्मचारियों की हड़ताल।
—लोकसभा में पांचवी योजना का मसविदा पेश।
२० मध्य रेलवे में लोको कर्मचारियों की हड़ताल।
—दिल्ली हवाई अड्डे पर पश्चिमी जर्मनी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ—कोई भी यात्री नहीं मरा।
२२ भारत सेवक समाज में धन के दुरुपयोग के मामले में कपूर आयोग की रिपोर्ट लोकसभा में पेश।
२४ लोको कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त।
२५ पूर्वोत्तर रेलवे के ४ डिवीजनों में स्टेशन मास्टरों की हड़ताल शुरू।
—महाराष्ट्र कर्नाटक तथा आन्ध्र का कृष्णा नदी जल विवाद समाप्त।
२६ उत्तर भारत में भयंकर शीतलहरी।
पूर्वोत्तर रेलवे में स्टेशन मास्टरों की हड़ताल समाप्त।
२७ उत्तर प्रदेश उड़ीसा नागालैण्ड तथा मणिपुर में विधानसभा के चुनाव के लिए तिथियों की घोषणा।
—न्यूजीलैण्ड के प्रधानमन्त्री नारमन कर्क भारत आये।
२८ पांडिचेरी में दो मंत्रियों ने इस्तीफा दिया—सरकार अल्पमत में हुई।
३० पांडिचेरी के मुख्य मंत्री श्री फारुख मारिकार का इस्तीफा।

दूतावास और उच्चायुक्त

विदेशों में भारतीय राजदूत

अफगानिस्तान राजदूत—श्री ए० एन० मेहता भारतीय दूतावास मलाईवाट काबुल।

अलजीरिया राजदूत—मो० यूनुस, भारतीय दूतावास ११६ टेर रियूइ डिडूशे मौराद अलजीयस।

अर्जेण्टीना राजदूत—(पराग्वे और उरुग्वे के भी राजदूत) श्री बी० के० सान्याल भारतीय दूतावास लावाल ४२ (तीसरी मंजिल) ब्यूनस एअ्रस।

आस्ट्रिया राजदूत—श्री वी० सी० त्रिवेदी, भारतीय दूतावास १ ओपेरनरिंग वियना १।

बेलजियम राजदूत—श्री बी० आर० पटेल, भारतीय दूतावास १२१ एवन्यू मालिएर, ब्रुसेल्स १८।

ब्राजील राजदूत—(बोलिविया और वेनेजुएला के भी) श्री पृथ्वीसिंह भारतीय दूतावास, रूआ वाराओ डी फ्लमगो २२, एप्टोस ८०१ ८०२ रिओ डी जेनिरो।

बर्मा राजदूत—श्री बालेश्वरप्रसाद भारतीय दूतावास, ओरियंटल इश्योरेंस बिल्डिंग ५४५/४७ मर्चेण्ट स्ट्रीट रंगून।

बंगला देश राजदूत—श्री समर सेन भारतीय दूतावास ढाका।

कम्बोडिया राजदूत—डा० एस० गुप्ता, भारतीय दूतावास प्नोमपह।

चिली राजदूत—(कालंबिया और पेरू के भी) श्री के० एल० मेहता भारतीय दूतावास ८७१ विभ्राना सटिआगो।

चीन मंत्री और चार्ज डी अफेयर्स—श्री बी० मी० मिश्र भारतीय दूतावास, ८ ववाग हुआ लू पेकिंग।

कांगो राजदूत—(गेबून और कांगो—ब्राजेविले के भी) श्री सुरेन्द्रसिंह आफ अलीराजपुर भारतीय दूतावास १८ एवन्यू ८ डमे आरमी लिओपोल्डविले।

चकोस्लोवाकिया राजदूत—श्री एस० एच० देसाई भारतीय दूतावास वाल्डस्टे जेंस्का ६ प्राग १।

डेनमार्क राजदूत—श्री एस० आर० धडानी भारतीय दूतावास ८११ अमरेगर टोव कोपेन हेगन।

इथोपिया राजदूत—श्री के० सी० सेनगुप्त भारतीय दूतावास पी० ओ० ५२८ अदिस आबाबा।

फिनलैंड राजदूत—श्री सी० जे० स्ट्रेसी भारतीय दूतावास कानसाकोलकालू ५ बी १४ हेलीसिंकी १०।

फ्रांस राजदूत—श्री डी० एन० चटर्जी भारतीय दूतावास १५ रय एलम डेहाइनक, पेरिस १६।

जर्मनी (फेडरल रिपब्लिक) राजदूत—श्री यामाइकृष्ण पुरी भारतीय दूतावास २६२, एडेनायूरालो बोन।

पूर्व जर्मनी (ज० ज० गणराज्य) राजदूत—श्री ज० मा० प्रजमानी भारतीय दूतावास बर्लिन।

गुएना राजदूत—(माली के भी) श्री श्यामसुन्दरलाल भारतीय दूतावास कोनाक्रे।

हंगरी राजदूत—कुमारी सी० बी० मुथामा भारतीय दूतावास मुर्जाविराग उत्का १४ बुडापेस्ट २।

इंडोनेशिया राजदूत—श्री एन० बी० मेनन भारतीय दूतावास पा० बाक्स न० ११८४४ कंबून सेरीह मर्दाता।

ईरान राजदूत—श्री एम० ए० रहमान भारतीय दूतावास, ३५८६/७ एवन्यू साबा शोमाली तेहरान।

इराक राजदूत—श्री महबूब महमूद भारतीय दूतावास २२/१२ A १ तट्राई स्ट्रीट, वजीराह बगदाद।

आयरलैंड राजदूत—श्री एस० वी० पटेल भारतीय दूतावास ५८ अपर लीसन स्ट्रीट डबलिन।

इटली राजदूत—(माल्टा के उच्चायुक्त भी) श्री ए० बी० पंत भारतीय दूतावास वाया फ्रानसेसको डेनसे ३६ रोम।

जापान राजदूत—श्री बीनसट एच० नेहरू भारतीय दूतावास न० २ २ चौमे कुडाल मिनामी चियोडाकू टोकियो।

कुवैत राजदूत—श्री एम० के० चौधरी भारतीय दूतावास, रिंगरोड न० १ कुवैत।

लाओस राजदूत—श्री ए० एस० गोनसालवेस भारतीय दूतावास पो० प्रा० बाक्स न० २२५ वियनटिएन।

लेबनान राजदूत—(जोर्डन के राजदूत और साइप्रस के उच्चायुक्त भी) श्री ए० के० दर भारतीय दूतावास शाहमिरानी बिल्डिंग ३१ कनटारी स्ट्रीट बेरूत।

मालागासे राजदूत—श्री ए० आर० सेठी पो० ओ० बाक्स १७८७ टानानारिवे।

मक्सिको राजदूत—(क्यूबा और पनामा के भी राजदूत) श्री बी० माधवन नायर भारतीय दूतावास एवेनिडा टेनयुसन ६७ काल पोलांगो मक्सिको ५, डी० एफ० स्टेशन मक्सिको सिटी।

मोरक्को राजदूत—(ट्यूनेशिया के भी) (रिक्त) भारतीय दूतावास ११ रयूए डेसकारटेस रबात।

नेपाल राजदूत—श्री महाराज कृष्ण रसगोत्रा भारतीय दूतावास जी० पी० ओ० बाक्स २९२ काठमाण्डू।

नीदरलैंड राजदूत—श्री ज० एन० धमीजा भारतीय दूतावास, बयूइटेनरूसटबाग २ दहेग।

नार्वे राजदूत—श्री ज० क० गजू भारतीय दूतावास ४८, प्रोफेसर डाहलस गेट ओस्लो।

फिलीपीन्स राजदूत—श्री वी० दवा राव भारतीय दूतावास, १८५६, बी०बोक्रोबा स्ट्रीट, मालाते मनिला।

पोलैंड राजदूत—श्री दिलीप कामटेकर, भारतीय दूतावास, न० १६, नोगोले वस्कीगा, वारसा।

रूमानिया राजदूत—श्री थिरुवेंगदा थान, अलीइया स्टेफन धोरगिन १६ बुखारेस्ट ३।

सऊदी अरब राजदूत—श्री टी० टी० पी० अब्दुल्ला भारतीय दूतावास सुलेमान उन-दर्जी हाउस अल शराफिया, बगनादिया जेदा।

सेनेगाल राजदूत—(आइवरी कोस्ट, मारीटानिया और अपर वोल्टा के राजदूत और जाम्बिया के उच्चायुक्त भी)—श्री हरिकृष्ण सिंह, भारतीय दूतावास पो० बाक्स ३६८ डाकार।

सोमालिया राजदूत—श्री जे० बी० मुंधियाल भारतीय दूतावास, पो० बाक्स ६५५ मागादिशू।

दक्षिणी यमन (गणराज्य) राजदूत—जे० एल० मलहोत्रा भारतीय दूतावास अदन।

स्पेन राजदूत—श्री एम० विक्रमशाह काले मारक्यूएस डी उरक्यूइजा मेड्रिड।

सूडान राजदूत—श्री के० एल० दलाल, पो० बाक्स न० ७०७ खारतूम।

स्वीडन राजदूत—श्री ए० के० दामोदरन भारतीय दूतावास वी० ट्राडगार डसगाटन १५ स्टाकहाम।

स्विटजरलैंड राजदूत—एयर चीफ मार्शल अर्जुनसिंह, भारतीय दूतावास २० कालचेगेवेग, ३००० बर्न।

सीरियन अरब गणराज्य राजदूत—श्री बी० ए० किदवाई भारतीय दूतावास ८०/४६ यासीन नुबाई लाटी बिल्डिंग एवन्यू अदनान मालकी इम दमिश्क।

थाईलैंड राजदूत—डा० पी०के० बनर्जी, भारतीय दूतावास १३६ पानरोड बैंकाक।

तुर्की राजदूत—श्री यू० एस० बाजपेयी भारतीय दूतावास न० ५० किजिलीर-याक साकाक कोसाटेपे, अंकारा।

संयुक्त अरब गणराज्य राजदूत—श्री आइ० जे० बहादुरसिंह भारतीय दूतावास ५ अल शारिया अल माहा, स्विसरि जामालाक पो० ओ० बाक्स ७१८, काहिरा।

संयुक्त राज्य अमेरिका राजदूत—श्री टी० एन० कौल भारतीय दूतावास, २१०७ मसाच्यूसटस एवेन्यू एन० डब्ल्यू०, वाशिंगटन ८ डी० सी०।

रूस - राजदूत—डा० एस० के० बेलवालकर भारतीय दूतावास न० ६ और ८ उलीत्सा ओबुखा मस्कवा।

यूगोस्लाविया राजदूत—श्री रिखी जयपाल भारतीय दूतावास प्रोलेटेर सकेह ब्रिगेड ६ बेलग्रेड।

उत्तर वियतनाम राजदूत—शिशिरकुमार गुप्त भारतीय दूतावास हनोई।

उच्चायुक्त

आस्ट्रेलिया उच्चायुक्त—श्री ए० एम० टामस, ६२, मग्गा वे रटहिल कनबरा।

कनाडा उच्चायुक्त—श्री ए० बी० भदकामकार, २००, मरनारन स्ट्रीट ओटावा, ४, ओनटेरियो।

श्रीलंका उच्चायुक्त—श्री विनसेंट हुबर्ट केट्नो, ७ कालूपितिया स्टेशन रोड, कोलंबो ३।

घाना उच्चायुक्त—(लिबरीया व राजदूत और सिरा लियोन व उच्चायुक्त भी) —श्री ए० एस० मेहता पो० बाक्स ३०४०, अक्करा।

गुयाना उच्चायुक्त—डा० गोपालसिंह ७८ चच स्ट्रीट, जाज टाउन।

केन्या उच्चायुक्त—श्री गुरबचनसिंह जीवन भारती बिल्डिंग हारामबी एवन्यू नरोबी।

मलावी उच्चायुक्त—श्री एम० एम० खुराना भारतीय उच्चायोग पो० बा० न० ३६८ बलानटयरे।

मलेशिया उच्चायुक्त—श्री के० चन्द्रशेखरन नायर पो० बाक्स न० ५६ १६ मालाक्का स्ट्रीट कुआलालम्पुर।

मारीशस उच्चायुक्त—श्री कृष्णदयाल शर्मा बक आफ बड़ौदा बिल्डिंग पोर्ट लुइस मारीशस।

न्यूजीलैंड उच्चायुक्त—श्री पी० एस० भास्कर ४६ विलिसस्ट्रीट बेलिंगटन स्टेशन वलिंगटन।

नाइजीरिया उच्चायुक्त (कमरून दहोम और टागो गणराज्य के राजदूत भी) श्री एम० जी०रामचन्द्रन प्राइवेट मल बेग २३२२ लागोस नाइजीरिया।

सिंगापुर उच्चायुक्त—श्री थोमस अब्राहम इण्डिया हाउस ३१ आनगे रोड सिंगापुर।

तनजानिया उच्चायुक्त—श्री बी० सी० विजयराघवन २८ इण्डीपेंडस एवेन्यू दारे अस सलाम।

त्रिनिडाड और टोबागो उच्चायुक्त—श्री एल० एन० राय पो० बा० न० ५३० पोर्ट आफ स्पेन (त्रिनिडाड)।

उगाडा उच्चायुक्त—(बुरुण्डी की राजशाही और रुआंडा गणराज्य के राजदूत भी) श्री आर० आर० सिन्हा बैंक आफ इंडिया बिल्डिंग कंपाला रोड कंपाला।

ब्रिटेन उच्चायुक्त—(रिक्त) इण्डिया हाउस एल्डविच लन्दन डब्ल्यू० सी०—२।

जाम्बिया उच्चायुक्त—श्री जे० सी० कक्कड, भारतीय उच्चायुक्त कार्यालय पो० ओ० बाक्स २१११ लुसाका।

भारत मे विदेशी दूतावास

अफगानिस्तान राजदूत—अनाउल्लाह नासर जिया ६ ए रिंगरोड लाजपतनगर नई दिल्ली २४।

अलजीरिया राजदूत—अली लाखदारी १३ सुन्दर नगर नई दिल्ली ११।

अर्जेंटीना राजदूत—एडोल्फ ए० बोरलीना, सी २७/२८ साउथ एक्सटेंशन भाग २ नई दिल्ली ४६।

आस्ट्रिया राजदूत—डा० जोहान्ना नेसटर, ३ ए न्याय मार्ग चाणक्यपुरी, नई दिल्ली २१।

बेलजियम राजदूत—चार्ल्स वेरेमास ७ गोल्फ लिंक्स, नई दिल्ली ३।

ब्राज़ील राजदूत—व्लादीमीर डी० अमाराल मुरटिनहा, ८ औरंगजेब रोड नई दिल्ली ११।

बलगेरिया राजदूत—नाइदेन पी० वेलचेव १६८ गोल्फ लिंक्स एरिया, नई दिल्ली ३।

बर्मा राजदूत—यूहला माव बर्मा हाउस ३/५० एफ शांतिपथ चाणक्यपुरी, नई दिल्ली २१।

कम्बोडिया राजदूत—नामकिमन, २५, गोल्फ लिंक्स एरिया नई दिल्ली ३।

उत्तर कोरिया गणतन्त्र राजदूत—श्री पकचन ह्यून।

चिली राजदूत—जूलिओ बोरेनेचेआ पी० सी० १०८ नई दिल्ली साउथ एक्सटेंशन २ नई दिल्ली ४६।

चीन राजदूत—(रिक्त) शांतिपथ चाणक्यपुरी नई दिल्ली २१।

कोलम्बिया राजदूत—डा० जोर्गे इरागोरी, २७ जोरबाग नई दिल्ली ३।

कांगो (प्रजातांत्रिक गणराज्य) राजदूत—जनरल लियोनार्ड मुलाम्बा ५ गोल्फ लिंक्स नई दिल्ली ३।

क्यूबा राजदूत—जे० इलोप वल्देस, ५६ रिंग रोड लाजपतनगर ३ नई दिल्ली २४।

चकोस्लोवाकिया राजदूत—रिचार्ड दवाराक ४५ सुन्दरनगर नई दिल्ली ११।

डेनमार्क राजदूत—हास एडोल्फ बीयरिंग ६ गोल्फ लिंक्स एरिया नई दिल्ली ३।

इथोपिया राजदूत—गेनाचेड मकाशा २१ पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली ११।

फिनलैंड राजदूत—विलहैल्म शरेस्क ४२, गोल्फ लिंक्स नई दिल्ली ३।

फ्रांस राजदूत—जीन डरीडान २ औरंगजेब रोड नई दिल्ली ११।

प० जर्मनी (फैडरल रिपब्लिक) राजदूत—ब्वेर्टर डीहेल न० ६ ब्लाक, ५० जी शांतिपथ चाणक्यपुरी नई दिल्ली २१।

पू० जर्मनी (जर्मन जनवादी गणतन्त्र) राजदूत—हबर्ट फिशर २ न्याय मार्ग नई दिल्ली।

ग्रीस राजदूत—डा० क० पानायाटाकोस १८८, जोरबाग पो० बाक्स ३०५८ नई दिल्ली-३।

हंगरी राजदूत—डा० पीटर कास १५ जोरबाग नई दिल्ली ३।

इण्डोनेशिया राजदूत—मु० राफिज ५० ए चाणक्यपुरी, नई दिल्ली २१।

ईरान राजदूत—जी० ए० माजदारानी ३७ गोल्फ लिंक्स नई दिल्ली ३।

इराक राजदूत—सईद के० हिंदावी, ३३ गोल्फ लिंक्स, नई दिल्ली ३।

आयरलैंड राजदूत—अवेल होम्स १३, जोरबाग नई दिल्ली ३।

इटली राजदूत—डा० अमेदे गुइलेट ७ जोरबाग नई दिल्ली ३।

जापान राजदूत—क्निया निसकी प्लाट न० ४ और ५, ब्लाक ५० जी शांतिपथ चाणक्यपुरी, नई दिल्ली २१।

जोर्डन राजदूत—वजीह किलानी १२०, मालचा मार्ग चाणक्यपुरी नई दिल्ली २१।

कुवैत राजदूत—अब्दुल रहमान १६ पंचशील कालोनी मार्ग नई दिल्ली १८।

लाओस राजदूत—श्री एन० ए० नारांगिन ८, मथुरा रोड चाणक्यपुरी नई दिल्ली २१।

लेबनान राजदूत—महमूद हाफिज १०, सरदार पटेल मार्ग चाणक्यपुरी नई दिल्ली २१।

मेक्सिको राजदूत—कारलोस गुटीरेज मैकीयास १३६ गोल्फ लिंक नई दिल्ली ३।

मंगोलिया (जनवादी गणराज्य) राजदूत—मा० ध० डडायाम ३८, गोल्फ लिंक्स नई दिल्ली ३।

मोरक्को राजदूत—अब्दुल्ला लामरानी, १६६ जोरबाग नई दिल्ली ३।

नेपाल राजदूत—श्री कृष्णबाम मल्ला बाराखम्भा रोड नई दिल्ली १।

नीदरलैंड राजदूत—फ्रैडरिकवाल मीन ६/५० एफ शान्तिपथ चाणक्यपुरी नई दिल्ली २१।

नार्वे राजदूत—हाकून नाह कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी नई दिल्ली २१।

पेरू राजदूत—डा० रेन हुपरलोपेज २६० डिफेंस कालोनी नई दिल्ली ३।

फिलीपीन्स राजदूत—लीओन मा० गयुएरेरो ५० एन न्याय मार्ग चाणक्यपुरी, नई दिल्ली २१।

बंगला देश ए० आर० मलिक बी ७० ग्रेटर कैलाश नई दिल्ली।

पोलैंड राजदूत—श्री रामुआल्ड स्पासावस्की २२ गोल्फ लिंक्स नई दिल्ली ३।

रूमानिया (समाजवादी गणराज्य) राजदूत—ए० मरदेलआन् ४८ गोल्फ लिंक नई दिल्ली।

सऊदी अरब राजदूत—शेख अनास यूसुफ यासीन, १, ईस्टर्न एवन्यू महारानी बाग नई दिल्ली १४।

स्पेन राजदूत—गुइलेरमो नादाल १२ पृथ्वीराज रोड नई दिल्ली ११।

सूडान राजदूत—हसन मो० अल अमीन ६ जोरबाग नई दिल्ली ३।

स्वीडन राजदूत—गुन्नार हेकस्चेर, न्याय मार्ग चाणक्यपुरी नई दिल्ली २१।

स्विटजरलैंड राजदूत—डाक्टर ए० लिंडट न्याय मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली २१।

सीरियाई अरब गणराज्य राजदूत—रासलान अलउश १०, पंचशील मार्ग नई दिल्ली २१।

थाईलैंड राजदूत—प्रिंस प्रम पुराक्षत, ५६ एन न्याय मार्ग चाणक्यपुरी, नई दिल्ली २१।

तुर्की राजदूत—गुनदोग्दू उस्तुन, नं० २७ जोरबाग नई दिल्ली ३।

सोवियत रूस राजदूत—विक्टर फेडरोविच मालासेव शांतिपथ चाणक्यपुरी नई दिल्ली २१।

संयुक्त अरब गणराज्य राजदूत—मोहम्मद अमीन हुल्मी द्वितीय, २५, सुन्दरनगर, नई दिल्ली ११।

अमेरिका राजदूत—डेनियल पी० मायनाहन, शातिपथ, चाणक्यपुरी नइ दिल्ली २१।

उरुग्वे राजदूत—डो० लिस्सीडनी, डी० १३८, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली ३।

वेनेजुला राजदूत—पिंटो मालीनास, १८५ जोरबाग, नई दिल्ली ३।

युगोस्लाविया राजदूत—श्री इलिजा तोपालोस्की ३/५० जी, नीति माग, चाणक्य पुरी, नई दिल्ली २१।

भारत मे उच्चायुक्त

आस्ट्रेलिया उच्चायुक्त—पात्रिक शाह सी० बी० ई० १/५०-जी शातिपथ चाणक्य पुरी नई दिल्ली २१।

ब्रिटेन उच्चायुक्त—सर टेरन्स ग्रेव, शातिपथ चाणक्यपुरी, नई दिल्ली २१।

कनाडा उच्चायुक्त—सर विलियम्स, ७१८ शातिपथ, नई दिल्ली २१।

श्रीलका उच्चायुक्त—सिरी परेरा २७ कौटिल्य माग, चाणक्यपुरी नई दिल्ली २१।

घाना उच्चायुक्त—मेजर जनरल एम० जे० ग्रोटबू २, गोल्फ लिक्स, नई दिल्ली-३।

मलेशिया उच्चायुक्त—खान अब्दुल खालिद, ३ लिक रोड, जगपुरा, नई दिल्ली १४।

मारीशस उच्चायुक्त—रवीन्द्र घरभरन बी १०, मालचा माग चाणक्यपुरी, नई दिल्ली २१।

न्यूजीलैड उच्चायुक्त—बी० एस० लेंडम ३९ गोल्फ लिक, नइ दिल्ली ३।

नाइजीरिया उच्चायुक्त—सोजी विलियम्स, १६९/१७०, जोरबाग, नई दिल्ली ३।

सिंगापुर उच्चायुक्त—मोरिसे बेकर १६ रिंग रोड, लाजपतनगर नई दिल्ली २४।

तनजानिया उच्चायुक्त—सबस्टियनचाले, ई १०६ हिल व्यू ग्रेटर कलाश नई दिल्ली ४८।

उगाडा उच्चायुक्त—जी० डब्ल्यू० एम० काम्बा ११, गोल्फ लिक नई दिल्ली ३।



कुछ तथ्य

१९७३ मे रुपये का मूल्य

वित्त मत्री के ससद के एक उत्तर के अनुसार १९४९ के उपभोक्ता मूल्या के सूच काक को आधार मानकर लगाये गये हिसाब के अनुसार रुपये की क्रय शक्ति १९५० में ९९ पसे १९६० म ८० ६ पैसे १९७० में ४४ ६ पैसे तथा जनवरी १९७४ म ३५ पसे थी।

राष्ट्रीय आय वृद्धि का ब्यौरा

१९६० ६१ के भावा पर राष्टीय आय की वद्धि का ब्यौरा निम्न प्रकार है

१९६९ ७०	५ ३ प्रतिशत
१९७० ७१	४ २ प्रतिशत
१९७१ ७२	१ ७ प्रतिशत
१९७२ ७३	= ६ प्रतिशत

रेल भाडे पर एक नजर

वप	प्रति टन प्रति किलोमीटर भाडा	प्रति यात्री प्रति किलोमीटर भाडा
१९५० ५१	३ १६	१ ४८
१९६० ६१	३ ५०	१ ७३
१९६८ ६९	५ ०८	२ ४८
१९७१ ७२	५ ६१	२ ५५

(सरचाज तथा अतिरिक्त टक्सो को छोडकर)

केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के खर्चों का ब्यौरा

	रुपयो मे
१९४८ ४९	१२,८० ०००
१९६८ ६९	३२ ०५ ५२६
१९७१ ७२	५४ ३० ०००

ओवर टाइम के ५१ करोड

२३ नवम्बर ७३ का दी गई वित्त मत्रालय की एक सूचना क अनुसार सचिवालयी कार्यालया क केन्द्रीय सरकार क कमचारिया का १९७२ ७३ म समयोपरि भत्ते के रूप म दी गई कुल रकम ९० लाख २९ हजार रुपए था। केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयो के कमचारिया का १९७२ ७३ म समयोपरि भत्ते के रूप में दी गई कुल रकम ५१ करोड १३ लाख रुपए थी।

२५ करोड दरिद्र

योजना मन्त्री की सूचना के अनुसार दरिद्रता की सीमा के नीचे के लोगों की सख्या

१९५१ ५२	२१ करोड
१९५६ ५७	२१ करोड
१९६१ ६२	२३ करोड
१९७३	२५ करोड

दरिद्रतम लोगो की आमदनी

पाचवी योजना के अनुसार देश के दरिद्रतम ३० प्रतिशत लोगो की मासिक आय २५ रुपए है। योजना के अत में इनकी आय २६ रुपए होगी (२६ रुपए की क्रय शक्ति तब आज के २५ रुपए से भी कम होगी)।

बेकारी

रोजगार दफ्तरो में दर्ज बेकारो की सख्या का विवरण १६ नवम्बर १९७३ को राज्यसभा के उत्तर में से लिया गया है।

१९७१ के अत में	५१ लाख
१९७२ के अत में	६९ लाख
अगस्त, १९७३ तक	८१ लाख

(लाख मे)

अनसूचित जाति के बेकारों की सख्या		अनुसूचित जनजाति के बेकारो की सख्या
१९६९	३ ८६	० ८१
१९७०	४ ४६	० ९४
१९७१	५ ४५	१ १२
१९७२	७ ०५	१ ५१
जून १९७३ तक	७ ६०	२ २२

पेशेवर, तकनीकी तथा वेकार वैज्ञानिको की सख्या

३० जून १९६९	२ ८२ १५२
३० जून १९७३	४ १०,८७४

(ससद में दिये गए २० दिसम्बर, १९७३ के उत्तर से)

स्नातकोत्तर बेरोजगारो की सख्या

स्नातकोत्तर बेरोजगारों की सख्या

उत्तर प्रदेश	९४४६	पजाब	२६१५
बिहार	४६५६	तमिलनाडु	२४७३
पश्चिम बगाल	४४५१	कर्नाटक	२३२५
मध्य प्रदेश	३१७३	महाराष्ट्र	२२३२
राजस्थान	३००१	हरियाणा	१७३३
केरल	२७६१	उडीसा	१२२४
आन्ध्र	२६९७	गुजरात	२२१

(योजना राज्य मत्री श्री मोहन धारिया के लोकसभा के उत्तर से)

विदेशी ऋण

१९६६	२६११ करोड
१९७२	६६५४ करोड
१९७३ के अंत म	१०००० करोड से अधिक

खाद्यान्न आपूर्ति

(हजार टनो मे)

राज्य	१९७१ मे दिया गया खाद्यान	१९७२ मे दिया खाद्यान
प० बगाल	२२६२ ००	२३३० ००
महाराष्ट्र	११८६ ००	१८३६ ०१
केरल	६३६ ००	६६७ ००
बिहार	६१६ ०७	१०८५ ००
असम	३६७ ०२	३०५ ००
दिल्ली	३१३ ०८	४७० ००
उत्तर प्रदेश	३६२ ०२	६५८ ००

(२६ नवबर ७३ का लोकसभा में कृषि राज्य मन्त्री श्री शिन्दे के उत्तर स)

मध्यप्रदेश में...
सहकारिता के बढ़ते चरण

	१९५० ५१		१९७१ ७२
		(लाखो मे)	
सदस्य सख्या	३ ८६		३२ ७२
अशगत पूजी	० ९७		८८ ४९
कायगत पूजी	७ ७३		४०८ ९२
अल्पावधि तथा मध्यावधि			
ऋणा का वितरण	१ १२		५६ ५३
खाद बीज कीटनाशक दवाओ			
कृषि उपकरण आदि का वितरण —			२१ ८२
कृषि उपज का विपणन			२३ ४५
दीर्घावधि ऋणा का वितरण	० ०३		७ ७३

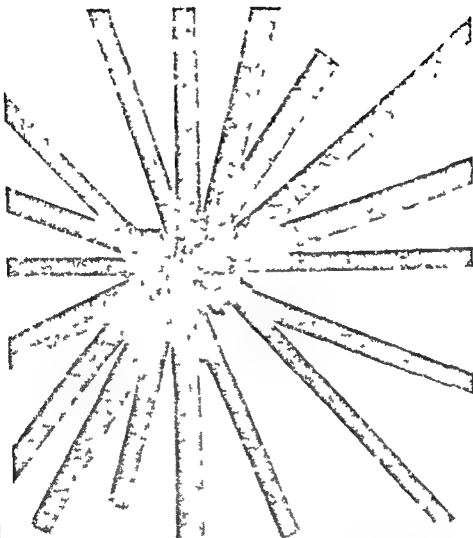
इसके अतिरिक्त

७ ६६ करोड रुपये की लघु सिंचाई योजनायें
३२ कृषि विकास की विशेष योजनायें

४३,५४६ एकड भूमि का हरिजन एव आदिवासियों में वितरण
१३० ०० लाख रुपये की तकावी का वितरण

राज्य के सौफीसदी गाव तथा जनसख्या का ३९ प्रतिशत
भाग सहकारिता से लाभान्वित

(पजीयक सहकारी सस्थायें मध्यप्रदेश द्वारा प्रसारित)



You are looking at an artist's impression of HMT unLimited

Hyderabad

विधानसभा चुनाव परिणाम—१९७४

फरवरी १९७४ में उत्तरप्रदेश, उड़ीसा, मणिपुर [illegible]
विधानसभाओं के चुनाव सम्पन्न हुए। परिणाम निम्न प्रकार हैं

उत्तर प्रदेश

दल	१९६९ में प्रत्याशी	जीते	१९७४ में प्रत्याशी	[illegible]
कांग्रेस	४२४	२११	४०३	[illegible]
जनसंघ	३९७	४९	४०१	६१
स्वतंत्र	७२	५	३११	[illegible]
कम्युनिस्ट	१०६	४	४०	१६
कम्यु० (मार्क्सवादी)	२४	१	३१	[illegible]
संगठन कांग्रेस	—	—	३६०	[illegible]
संसोपा	२३८	३३	—	—
प्रसोपा	६	३	—	—
सोशलिस्ट		—	[illegible]	[illegible]
भाक्राद	४०[illegible]	९८	३६[illegible]	[illegible]
हिन्दू महासभा	—	—	[illegible]	[illegible]
मुस्लिम लीग	—	—	३१	[illegible]
शोषित समाजदल	—	—	[illegible]	[illegible]
अन्य दल	४००	३	[illegible]	[illegible]
निर्दलीय	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
कुल	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

संसोपा व मुस्लिम मजलिस के प्रत्याशियों [illegible]
था। भाक्राद के १०६ सफल प्रत्याशियों [illegible]
मुस्लिम मजलिस के हैं।
नोट—एक स्थान अभी रिक्त है।

मणिपुर

कुल स्थान ६०

दल		
मणिपुर पीपुल्स पार्टी	[illegible]	[illegible]
मणिपुर हिल्स [illegible]	[illegible]	[illegible]

६
६८
६६
४०८
४६१
३३४
४७३
५७६
४६५
४५२
३५५
५८२
२८०
१६७
५७२
२६४

उडीसा

कुल स्थान १४७

दल	१९७१ म प्रत्याशी	जीते	१९७४ मे प्रत्याशी	जीते
काग्रेस	१२६	५१	१३५	६६
सगठन काग्रेस	५०	१	१७	—
उत्कल काग्रेस	१३७	३३	६२	३३
स्वतन्त्र	११५	३६	५६	२१
ससोपा	१५	—	३	२
जन काग्रेस	६६	१	४२	१
एस०पी०आई	—	—	१७	२
कम्युनिस्ट	२६	४	१४	७
कम्यु० (मार्क्सवादी)	११	२	८	३
जनसघ	२१	—	१२	—
निर्दलीय	१६२	४	३२६	८
प्रसोपा	५०	४	—	—
झारखड	१५	४	—	—
फारवर्ड ब्लाक	४	—	—	—
कुल	८३५	१४०	७२२	१४६

नोट एक स्थान पर चुनाव नही हुआ ।

पाडिचेरी

कुल स्थान ३०

दल	१९७४ मे प्रत्याशी	जीते
अन्नाद्रमुक	२१	१२
काग्रेस	१४	७
सगठन काग्रेस	१६	५
द्रमुक	२६	॰
कम्युनिस्ट पार्टी	७	२
मार्क्सवादी दल	५	१
निर्दलीय	४६	१

नागालैंड

कुल स्थान ६०

दल	१९७४ म प्रत्याशी	जीते
नागालैड नेशनलिस्ट आर्गेनाइजेशन	८५	२३
यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रन्ट	५३	२५
निर्दलीय	१०८	१२
कुल	२४६	६०

विज्ञापनदाताओं की सूची

३६	एस० जी० सप्लाई एजेंसी		नई दिल्ली	५८०
३७	एल्कोवक्स मटल्स (प्रा०) लि०		जोधपुर	६०४
३८	एन० के० इलक्ट्रीकल		जयपुर	२७३
३९	ओरियंट पेपर मिल्स लि०		अमलई	५७२
४०	काफी बोड		बंगलोर	५६४
४१	केडिया वनस्पति प्रा० लि०		हैदराबाद	१६२
४२	के० के० अग्रवाल		बिलासपुर	५८०
४३	कृषि उपज मंडी		जबलपुर	४०६
४४	केडिया एण्ड क०		भोपाल	४१०
४५	किर्लोस्कर ब्रादर्स लि०	आर्ट प्लेट	पूना	४५३
४६	किर्लोस्कर कमिन्स लि०	आर्ट प्लेट	पूना	१
४७	किर्लोस्कर आयल इंजन	आर्ट प्लेट	पूना	१६३
४८	के० एन० चौधरी		सिलीगुड़ी	६०८
४९	कलाश डिस्ट० को आप० मार्किटिंग एण्ड सप्लाई फेडरेशन लि०		शिमला	५८५
५०	किसान को आप० शुगर फक्टरी लि०		पीलीभीत	४६६
५१	खचेड़ूसिंह नरेंद्रकुमार		पिलखुवा	५६०
५२	गुजरात स्टेट को आ० बक लि०		अहमदाबाद	४६२
५३	गदरे ब्रदस		सांगली	२१६
५४	गुप्ता एण्ड क०		कलकत्ता	१७८
५५	गुजरात सरकार (पयटन विभाग)		अहमदाबाद (तीसरा आवरण पृ०)	
५६	गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन	आर्ट प्लेट	अहमदाबाद	३३७
५७	गुजरात इण्डस्ट्रीयल इनवेस्टमेंट का०	आर्ट प्लेट	अहमदाबाद	१६२
५८	गुजरात स्टेट फाईनेंशियल कारपोरेशन		अहमदाबाद	३५६
५९	गुजरात मिनिरल डवलपमेंट का० लि०		अहमदाबाद	२२५
६०	गुजरात स्टेट फर्टीलाईजर क० लि०	आर्ट प्लेट	बड़ौदा	४००
६१	गुजरात स्टेट को आप० लैंड ड० बैंक लि०		अहमदाबाद	३५२
६२	गुजरात एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि०		अहमदाबाद	५६६
६	गुजरात स्टेट को आप० मार्किटिंग सोसायटी लि०		अहमदाबाद	५६३
६४	गुजरात एक्सपोर्ट कारपोरेशन लि०		अहमदाबाद	५७४
६५	ग्वालियर रेयन सिल्क मन्यू० क० लि०		नागदा	४७३
६६	गोरी छवि गृह		रायगढ़	३६३
६७	गोआ दमन दिव सरकार		गोआ	४४१
६८	डी०ए०वी०पी० ([illegible] टी०)		नई दिल्ली	२१८
६९	डी०ए०वी०पी० ([illegible])		नई दिल्ली	[illegible]२०
७०	डी०ए०वी०पी० (इनकम टैक्स)		नई दिल्ली	४१२
७१	[illegible] कारकारिया (प्रा०) लि०		बम्बई	३१७
७२	[illegible] का प्राप० लि०		[illegible]	४७५
७३	[illegible]		कलकत्ता	५६३
७४	ज० बा० [illegible] क० लि०		ग्वालियर	[illegible]२७
७५	[illegible] मिल्स लि०		ग्वालियर	५७[illegible]

७६ जवाहर बैल बोरिंग वर्क्स		रायपुर	५६६
७७ जनता सहकारी बैंक लि०		पूना	४२२
७८ जेंजो वैक्यूम पलास्क प्रा० लि०		पूना	५६४
७९ जोधपुर वूलन मिल्स लि०		जोधपुर	६०१
८० ज्वलर्स एसोसियेशन		जयपुर	५७४
८१ दिल्ली प्रशासन		दिल्ली	६०८
८२ देवीप्रसाद प्रयागदत्त	आर्ट प्लेट	हैदराबाद	४५०
८३ दैनिक जागरण		झांसी	३७६
८४ धौलपुर सहकारी भूमि विकास बैंक लि०		धौलपुर	२६६
८५ धमानी जैन मैटल इण्डस्ट्रीज		जयपुर	४६०
८६ नार्थ फ्रंटीयर रेलवे		गौहाटी	३५
८७ न्यू प्रताप कमिकल लि०		कालीकट	१६०
८८ नगरपालिका निगम		ग्वालियर	६५२
८९ नारायण राइस एण्ड आइल मिल्स		बिलासपुर	६१३
९० नगर निगम		भोपाल	६२१
९१ नवीन दुनिया		जबलपुर	३९९
९२ नेशनल इंडिया रबड़ वर्क्स लि०		कटनी	१८०
९३ नगर पालिक निगम		जबलपुर	३८३
९४ नेशनल पेस्टीसाईड्स		विदिशा	५६७
९५ नगरपालिक परिषद्		शिवपुरी	५८२
९६ नगर निगम		नागपुर	४१४
९७ नगर परिषद्	आर्ट प्लेट	जयपुर	४७४
९८ नगरपालिका परिषद		उदयपुर	४२४
९९ नगर निगम		शिमला	४४६
१०० नगरपालिका		शामली	११३
१०१ नागरी प्रचारिणी सभा		वाराणसी	६९३
१०२ नगरमहापालिका		वाराणसी	५५५
१०३ नगरपालिका		बूंदी (राज०)	५८२
१०४ प्लिनेशन बोर्ड		आसाम	४४२
१०५ प्यार पैक प्राडक्ट्स		कलकत्ता	५६४
१०६ प्रभात जर्दा फैक्टरी		मुजफ्फरपुर	३९२
१०७ पंजाब स्टेट को आप० सप्लाई एण्ड मा० फे० लि०		चण्डीगढ़	१७६
१०८ पंजाब एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी		लुधियाना	१८६
१०९ पंजाब सरकार (सूचना एवं प्रचार)		चण्डीगढ़	१७६
११० प्यारे डिश (नई दिल्ली) प्रा० लि०		नई दिल्ली	४११
१११ पंजाबी चद्दू हलवाई		बम्बई	४५१
११२ प्रतिमा कास्टिंग		डोमबीवली	५७८
११३ पोद्दार स्पिनिंग मिल्स		जयपुर	२५३
११४ पावरलूम वस्त्र उत्पादक संघ		भिवण्डी अन्तिम कवर के पीछे	
११५ फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लि०		सिन्दरी	१६८
११६ फ्रूट प्रीजरवेशन फैक्टरी		सिक्किम	१५४
११७ फोर्ट ग्लोस्टर इण्डस्ट्रीज लि०		कलकत्ता	५८३

११८	बिपिन ट्रेडिंग कं०		गोहाटी	५७८
११९	बैल्स जनरल इण्डस्ट्रीज		कलकत्ता	६००
१२०	बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास समिति		पटना	३८६
१२१	बिहार स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड		पटना	३७८
१२२	बिहार सरकार (पर्यटन विभाग)		पटना	४४६
१२३	बिहार राज्य एग्रीकल्चर एण्ड मार्केटिंग कौ०		पटना	४०६
१२४	बिहार स्टेट लाटरीज		पटना	३५०
१२५	बी० आर० राजेन्द्र आयल मिल्स		हैदराबाद	६०७
१२६	बी० किशनलाल खण्डसारी शुगर मिल्स		निजामाबाद	३७६
१२७	ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि०		धारीवाल	५८३
१२८	बनारसीदास भनोत एण्ड सन्स	आर्ट प्लेट	जबलपुर	४७५
१२९	बिनोद मिल्स कं० लि०		उज्जैन	५७९
१३०	बिलासपुर को आप० सेन्ट्रल बैंक लि०		बिलासपुर	४६४
१३१	बाधवीय समाचार		रीवा	५४८
१३२	बीना सिल्क मिल्स		बम्बई	५८६
१३३	बैंक आफ इंडिया		बम्बई	५७७
१३४	बुलढाना डिस्ट सेन्ट्रल को आप० बैंक लि०		बुलढाना	(दूसरा कवर)
१३५	बाड़मेर सेन्ट्रल को आप० बैंक लि०		बाड़मेर (राज०)	४०६
१३६	बहेड़ी को आप० केन डवलपमेंट यूनियन लि०		बहेड़ी	१६१
१३७	भारत इलक्ट्रानिक्स लि०		बंगलौर	१६
१३८	भूटान डास एसोसियेशन		कलकत्ता	६०२
१३९	भारत सरकार (पर्यटन विभाग)	आर्ट प्लेट	नई दिल्ली	११४
१४०	भोपाल यूनिवर्सिटी		भोपाल	५६४
१४१	भाव प्रा० लि०		बम्बई	३५८
१४२	भिडे एण्ड सन्स प्रा० लि०		सांगली	२१६
१४३	भारत उद्योग		गाजियाबाद	६०६
१४४	मघालय सरकार (सूचना विभाग)		शिलांग	३२४
१४५	मैसूर सण्डल सोप	आर्ट प्लेट	बंगलौर	२२५
१४६	मैसूर स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि०		बंगलौर	६०६
१४७	मफतलाल ग्रुप		कलकत्ता	१७९
१४८	महमाना डिस्ट को आप० मिल्क यूनियन लि०		अहमदाबाद	१४२
१४९	मेट्रो अगरबत्ती कं०		हैदराबाद	३५
१५०	म०प्र० स्टेट टेक्सटाईल कारपोरेशन		भोपाल	३८५
१५१	म०प्र० स्टेट साहित्य परिषद		भोपाल	४१३
१५२	म०प्र० वित्त निगम		इंदौर	२२६
१५३	म०प्र० लघु उद्योग निगम लि०		भोपाल	३५१
१५४	म०प्र० राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक		भोपाल	३८५
१५५	म०प्र० माध्यमिक शिक्षा मण्डल		भोपाल	३६१
१५६	म०प्र० हिन्दी ग्रंथ अकादमी		भोपाल	४००
१५७	महाराजा जिवाजीराव सिंधिया म्यूजियम		ग्वालियर	४११

१५८	मोहनलाल हरगोविंददास	जबलपुर	४७४
१५९	म०प्र० वाड पेपर मिल्स	विदिशा	६०७
१६०	म०प्र० विद्युत मंडल	जबलपुर	३९८
१६१	म०प्र० शासन (सूचना तथा प्रकाशन संचालनालय)	भोपाल	३४५
१६२	म०प्र० शासन (पर्यटन संचालनालय)	भोपाल	३४५
१६३	म०प्र० हाउसिंग बोर्ड	भोपाल	४२२
१६४	म०प्र० शासन (संचालन मत्स्योद्योग)	भोपाल	३७७
१६५	म०प्र० शासन (पशु चिकित्सा सेवाएं)	भोपाल	३७७
१६६	म० प्र० शासन (परिवार नियोजन)	भोपाल	३५१
१६७	म० प्र० शासन (उद्योग संचालनालय)	भोपाल	३५१
१६८	म० प्र० राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित	भोपाल	४५०
१६९	म० प्र० स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डवलपमेंट लि०	भोपाल	४२२
१७०	म० प्र० औद्योगिक विकास निगम लि०	भोपाल	५७०
१७१	म० प्र० राज्य सहकारी गृह निर्माण वित्त सं०	भोपाल	५८१
१७२	म० प्र० राज्य परिवहन निगम	भोपाल	४८४
१७३	म० प्र० राज्य सहकारी बैंक मर्या०	जबलपुर	४२६
१७४	म० प्र० स्टेट माईनिंग कारपोरेशन लि०	भोपाल	५६३
१७५	म० प्र० स्टेट इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि०	भोपाल	५८१
१७६	म० प्र० वेयर हाऊसिंग कारपोरेशन	इन्दौर	५५९
१७७	म० प्र० राईस मिल्स एसोसियेशन	रायपुर	५४८
१७८	म० प्र० शासन (पंजीकृत सहकारी संस्थाएं)	भोपाल	५६०
१७९	म० प्र० पाठ्य पुस्तक निगम	भोपाल	५६५
१८०	महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड	बम्बई	२६५
१८१	महाराष्ट्र स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज का०	बम्बई	२२८
१८२	महाराष्ट्र सरकार (पर्यटन)	बम्बई	४२३
१८३	महाराष्ट्र स्टेट को आ० बैंक लि०	बम्बई	१८०
१८४	महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन	बम्बई	१०५
१८५	महाराष्ट्र सरकार (सूचना तथा प्रकाशन)	बम्बई	११४
१८६	मफतलाल सर्विस प्रा० लि०	बम्बई	अंतिम कवर
१८७	महाराष्ट्र स्टेट हैंडलूम कारपोरेशन लि०	नागपुर	४६७
१८८	मरकेंटाईल को आ० बैंक लि०	जयपुर	४७१
१८९	मथुरा जिला सहकारी बैंक लि०	मथुरा	४१४
१९०	यूनियन कारबाईड इंडिया लि०	नई दिल्ली	८४
१९१	यू-फोम प्रा० लि०	हैदराबाद	४६६
१९२	योगेन्द्र झा आर्ट प्लेट	काठमांडू	३५२
१९३	रामकुमार मिल्स (प्रा०) लि०	बंगलोर	५७९
१९४	रवि कमिकल प्रा० लि०	कलकत्ता	५९५
१९५	राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लि०	राजकोट	२७८
१९६	राजकोट डिस्ट० को आ० बैंक लि०	राजकोट	४७४
१९७	रहनुमाए-डक्कन (उर्दू दैनिक)	हैदराबाद	५७८
१९८	रायपुर वल बेरिंग क०	रायपुर	६०२
१९९	रायपुर को आ० सेन्ट्रल बैंक लि०	रायपुर	५६४
२००	रायपुर चैम्बर आफ कामर्स एंड इण्डस्ट्रीज	रायपुर	५६४

२०१	राजस्थान सरकार (जनसम्पर्क विभाग) बाद और	जयपुर		४६७
२०२	राजस्थान खाद्य व्यापार संघ	जयपुर		१६०
२०३	राजस्थान स्टेट इन्डस्ट्रीयल एण्ड मिनिरल ड० का	जयपुर		इस नगर के नाम
२०४	राजस्थान स्टेट को आ० बैंक लि०	जयपुर		२६४
२०५	राजस्थान पत्रिका बाद	जयपुर		३१६
२०६	राजस्थान स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि०	जयपुर		६०४
२०७	राजस्थान सरकार (पर्यटन)	जयपुर		६०५
२०८	राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन	जयपुर		४२४
२०९	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लि०	जयपुर		३६४
२१०	राजन्द्र प्लास्टिक इन्डस्ट्रीज	जयपुर		५६०
२११	राजस्थान स्टेट इन्डस्ट्रीयल को० बैंक	जयपुर		५८३
२१२	राजस्थान सरकार (राजस्थान नहर मण्डल)	जयपुर		५८१
२१३	राजरूप टांक जौहरी	जयपुर		५८०
२१४	राजश्री एक्सपोर्ट (प्रा०) लि०	नई दिल्ली		३६३
२१५	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि०	हैदराबाद		४००
२१६	लारल साफ मकामट इन्जीनियरिंग डिपार्टमेंट	लखनऊ		१६१
२१७	लखनऊ प्रोड्यूसर का आ० यूनियन लि०	लखनऊ		६६
२१८	लीला सरा ब्रीयरीज प्रा० लि०	भोपाल		५६३
२१९	लालजी एच० ठाकर एण्ड क०	बम्बई		५७६
२२०	विजया बैंक लि०	बंगलौर		१४१
२२१	विश्वमित्र	कलकत्ता		४६०
२२२	वूल टैक्स	पटना		४६१
२२३	विदर्भ पेपर मिल्स लि०	नागपुर		३८४
२२४	वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय	वाराणसी		५६२
२२५	वेस्ट-कोस्ट पेपर मिल्स लि०	बम्बई		५६१
२२६	स्टील बेच प्रा० लि०	गोहाटी		१७७
२२७	स्टोर सप्लाई (इंडिया) एजेंसी	कलकत्ता		६००
२२८	सराफ इण्डस्ट्रीज	आर्ट प्लेट	नई दिल्ली	११५
२२९	स्वदेशी खडसारी उद्योग	हैदराबाद		५६६
२३१	सी० डी० जर्दा वर्क्स	हैदराबाद		५६८
२३२	सत्यजन (साप्ता०)	भोपाल		४०६
२३३	स्वदेश	इन्दोर		५५८
२३४	सतना सीमेंट वर्क्स	सतना		५६१
२३५	सहकारी सूत मिल मर्या०	बुरहानपुर		५७१
२३६	सांगली अरबन को आ० बैंक लि०	सांगली		१६०
२३७	सिंदिया स्टीम नेवीगेशन क० लि०	बम्बई		१०६
२३८	स्वास्तिक रबड प्रोडक्टस	पूना		२१७
२३९	स्माल सेविंग एण्ड स्टेट लाटरीज	जयपुर		३२६
२४०	सिरोही सेंट्रल को आ० बैंक लि०	सिरोही (राज०)		४५०
२४१	सुदीप परफ्यूमिक्स	जयपुर		५७६
२४२	सिक्किम सरकार (पर्यटन विभाग)	आर्ट प्लेट	गंगटोक	२२४
२४३	सिक्किम डिस्टिलरीज लि०	आर्ट प्लेट	सिक्किम	प्रारम्भ मे
२४४	सार्वजनिक निर्माण विभाग	लखनऊ		४२६

२४५ सरला वैब एक्युपमट म युफक्चरिंग क०	नई दिल्ली	६४१
२४६ शाईन प्राडक्टस	कलकत्ता	५६५
२४७ शिपिंग कारपोरशन ग्राफ इडिया (लि०)	वम्बई	२८०
२४८ शिवरतन जी० माहता	जयपुर	३३४
२४६ शक्ति इलक्ट्रिकल प्रा० लि०	जयपुर	६६६
२५० शोभा (श्री मानुकुमार)	कलकत्ता	३१८
२५१ श्री लक्ष्मी हैण्डलूम फक्टरी	पिलखुवा	४७४
२५२ श्री खत्री क्लाथ स्टोर	जयपुर	५८२
२५३ श्री महामाया माइनिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज	जयपुर	२७७
२५४ श्री मधुसूदन मिल्स लि०	कलकत्ता	५६६
२५५ श्री लाल सागरमल	कलकत्ता	६०२
२५६ सत्यनारायण भागचदका	कलकत्ता	५६३
२५७ श्री बद्यनाथ ग्रायुर्वेद भवन प्रा० लि० ग्राट प्लेट	पटना	४६६
२५८ श्री सिंथेटिक लि०	उज्जन	६०३
२५९ हिन्दुस्तान मशीन टूल्स	बगलौर	५७४
२६० हैस्टिंग मिल्स लि०	कलकत्ता	५७७
२६१ हिन्दुस्तान ककरीट एण्ड एलाय इण्डस्ट्रीज	पटना	५६५
२६२ हरियाणा स्टेट इलक्ट्रीसिटी बोड	चण्डीगढ	३७८
२६३ हिन्दुस्तान टाइम्स	नई दिल्ली	२६४
२६४ हैदराबाद वनस्पति लि०	हैदराबाद	५२६
२६५ हैवी इलक्ट्रिकल्स (इडिया) लि०	भोपाल	२७६
२६६ हीरा मिल्स लि०	उज्जैन	४६४
२६७ हिमाचल प्रदेश सरकार (जनसम्पर्क विभाग)	शिमला	५६६
२६८ हिमाचल प्रदश स्टेट को ग्रा० मार्किटिंग ड० फ०	शिमला	५८६
२६९ हिमाचल प्रदेश फाइनशियल कारपोरेशन	शिमला	५८४
२७० हिमाचल प्रदश स्टेट को ग्रा० बक लि०	शिमला	५८४
२७१ हिमाचल प्रदश मिनिरल एण्ड इण्डस्ट्रीयल लि०	शिमला	५६६
२७२ हिन्दुस्तान एल्युमिनियम क० लि० ग्राट प्लेट	लखनऊ	३५३
२७३ हरियाणा सरकार	चण्डीगढ	१५३
२७४ केशोराम इण्डस्ट्रीज एण्ड काटन मिल्स लि०	कलकत्ता	५८८
२७५ बुक क्राफ्ट प्रोडक्टस लि०	कलकत्ता	५८८
२७६ हुकमचन्द जूट मिल्स लि०	कलकत्ता	५८७
२७७ भारत जनरल एण्ड टक्सटाइल्स इण्डस्ट्रीज लि०	कलकत्ता	५८७
२७८ इन्स्ट्रुमेंटेशन लि०	कोटा (राज०)	५६२
२७९ जयपुर उद्योग	जयपुर	५६०
२८० म्युनिसिपल बाड	सुजानगढ (राज०)	५८६
२८१ मानकचन्द वच्छराज	इम्फाल	५६१
२८२ हिन्द ग्रायुर्वेदिक	गया	५६५
२८३ पजाब स्टेट इलक्ट्रीसिटी बोड	पटियाला	५६२
२८४ ईस्टन रेलवे	कलकत्ता	५६७
२८५ हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डवलपमट कारपो० लि०	शिमला	५६८
२८६ जन ट्रेडिंग एजेन्सीज	जयपुर	६१८